उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १५६

सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५

से

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५ तक

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, भारत।
१९५६

मूल्य; बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।
वार्षिक चन्दा; बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय सूची

सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५

बृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १९५५

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

मंत्रि-परिषद्

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन एवं गृह मंत्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी०ए०, एल-एल बी०, विधान सभा सदस्य, वित्त, वन, सहकारिता तथा विद्युत् मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह, बी०ए०, एल-एल बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, रजिस्ट्रेशन तथा मादक-कर मंत्री ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम०ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मंत्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल तथा परिवहन मंत्री ।

श्री हरगोविंद सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा सदस्य, निर्माण मंत्री ।

आचार्य जुगल किशोर, एम०ए०, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री ।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी०ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उपमंत्री ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी०ए०,एल-एल०बी०, विधान सभा सदस्य, वन उपमंत्री ।

श्री फूलसिंह, बी०ए०,एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री ।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी०एस-सी० एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, पुलिस-उपमंत्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, कारावास उपमंत्री ।

श्री राममूर्ति, एम०ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई उपमंत्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी०ए०, एल-एल०बी०, विधान सभा सदस्य, माल उपमंत्री ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (बिस), पी०-एच०डी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उपमंत्री ।

श्री कैलाश प्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वशासन उपमंत्री ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान सभा सदस्य, निर्माण उपमंत्री ।

सभा-सचिव

मुख्य मन्त्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा सदस्य ।

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव

१--श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान सभा सदस्य ।
२--श्री बनारसीदास, विधान सभा सदस्य ।

कृषि मंत्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम ए०, विधान सभा सदस्य ।

सूचना मंत्री के सभा-सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान सभा सदस्य ।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान सभा सदस्य ।

श्रम मंत्री के सभा-सचिव

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान परिषद् सदस्य ।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१—अंसमानसिंह, श्री ..	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री ..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री ..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री ..	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह श्री ..	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री ..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री ..	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री ..	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृत नाथ मिश्र, श्री ..	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद ..	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवध शरण वर्मा, श्री ..	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री ..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री ..	बाकीपुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री ..	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्मा राम गोविंद खेर, श्री ..	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री ..	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती ..	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इरतजा हुसैन, श्री ..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसराउल हक, श्री ..	फिरोजाबाद—फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री ..	गोरखपुर (मध्य)
२१—उदयभान सिंह, श्री ..	डलमऊ (पूर्व)
२२—उमाशंकर, श्री ..	सगरी (पश्चिम)
२३—उमाशंकर तिवारी, श्री ..	चंदौली (दक्षिण—पश्चिम)—रामनगर
२४—उमाशंकर मिश्र, श्री ..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही घाट
२५—उम्मेदसिंह, श्री ..	उतरौला (उत्तर—पूर्व)
२६—उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री ..	ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
२७—एजाजरसूल, श्री ..	शाहाबाद (पश्चिम)
२८—ओंकार सिंह, श्री ..	दातागंज (उत्तर) बदायूं
२९—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री ..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तम—पश्चिम)
३०—कमलापति त्रिपाठी, श्री ..	चकिया—चन्दौली (दक्षिण—पूर्व)
३१—कमलासिंह, श्री ..	सैदपुर
३२—कमाल अहमद रिजवी, श्री ..	मोहम्मदी (पूर्व)
३३—करणसिंह यादव, श्री ..	गुन्नौर (उत्तर)
३४—करन सिंह, श्री ..	निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
३५—कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री ..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३६—कल्याणराय, श्री ..	हुजूर मिलक (उत्तर)
३७—कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री ..	चंदौली (उत्तर)
३८—कालिकासिंह, श्री ..	लालगंज (दक्षिण)
३९—कालीचरण टंडन, श्री ..	कन्नौज (उत्तर)

क्रम-संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४०—काशीप्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर
४१—किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४२—किशनस्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४३—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४४—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)–बस्ती (पश्चिम)
४५—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण–पूर्व)
४६—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४७—कृष्णशरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)–शाहाबाद
४८—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४९—केवलसिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
५०—केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५१—केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५२—केशव पांडेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)
५३—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५४—कैलाशप्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५५—खयालीराम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५६—खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़–चम्पावत
५७—खूबसिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर–पूर्व)–नगीना (पूर्व)
५८—गंगाधर जाटव, श्री	..	फिरोजाबाद–फतेहाबाद
५९—गंगाधर मैठाणी, श्री	..	चमोली (पश्चिम)–पौड़ी (उत्तर)
६०—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिस्रिख
६१—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
६२—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६३—गजेन्द्रसिंह, श्री	..	विधूना (पूर्व)
६४—गज्जू राम, श्री	..	मऊ–मोठ (दक्षिण)–झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
६५—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी–(उत्तर)–भोगांव (उत्तर)
६६—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६७—गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण–पश्चिम)
६८—गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
६९—गिरधारीलाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर–पूर्व)–नगीना (पूर्व)
७०—गुप्तारसिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण–पश्चिम)
७१—गुरुप्रसाद पांडेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७२—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)–अमेठी (पश्चिम)
७३—गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)–सुल्तानपुर (उत्तर)
७४—गेंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७५—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७६—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७७—गौरीराम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
७८—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)–हैदरगढ़–राम सनेही घाट
७९—घासीराम जाटव, श्री	..	विधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर)–इटावा (उत्तर)

क्रम-संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८०—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई–जालौन (दक्षिण)
८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२—चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८३—चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
८४—चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८५—चरणसिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८६—चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
८७—चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर–एटा (उत्तर)
८८—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)–कन्नौज (दक्षिण)
८९—चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
९०—छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)–हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९१—छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९२—जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९३—जगदीशप्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)–सम्भल (पश्चिम)
९४—जगदीशसरन, श्री	..	बरेली नगरपालिका
९५—जगदीशसरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९६—जगनप्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९७—जगन्नाथप्रसाद, श्री	..	निघासन–लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथबख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथमल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथसिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर-पूर्व)–बांसडीह (दक्षिण–पश्चिम)
१०१—जगपतिसिंह, श्री	..	मऊ–करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहनसिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)–हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)–सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	खेन–टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहरलाल, श्री	..	करछना (उत्तर)–चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा–कुलपहाड़–चरखारी
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री	..	संडीला–बिलग्राम (दक्षिण–पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११५—डालचंद, श्री	..	माट–सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमलसिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११८—तुलाराम, श्री	..	औरैया–भरथना (दक्षिण)
११९—तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२०—तेजप्रतापसिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२१—तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)

क्रम-संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२२—तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२३—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२४—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
१२५—दर्शनराम, श्री	..	मऊ—करवी-बबेरू
१२६—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण) (पूर्व)
१२७—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२८—दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१२९—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३०—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३१—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३२—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३३—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३४—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३५—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३६—देवमूर्तिराम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३७—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१३८—देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१३९—द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४०—द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री	..	मड़ियाहूं (उत्तर)
१४१—द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४२—धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४३—धर्मसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४४—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी—(दक्षिण-पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४५—नत्थूसिंह, श्री	..	आवला (पूर्व)—फरीदपुर
१४६—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४७—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून-दक्षिण-पूर्वीय दून
१४८—नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
१४९—नरोत्तमसिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५०—नवलकिशोर, श्री	..	आंवोला (पश्चिम)
१५१—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५२—नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
१५३—नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५४—नारायणदास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५५—नारायणदीन वाल्मीकि, श्री	..	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५६—निरंजनसिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५७—नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५८—नेत्रपालसिंह, श्री	..	सिकन्दराराऊ (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१५९—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१६०—पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६१—परमानन्द सिन्हा, श्री	..	सोरावं (दक्षिण)
१६२—परमेश्वरीदयाल, श्री	..	केराकट—जौनपुर (दक्षिण)
१६३—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)
१६४—पहलवानसिंह चौधरी, श्री	..	बांदा

क्रम-संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६५—पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६६—पुत्तूलाल, श्री	..	एतमादपुर—आगरा (पूर्व)
१६७—पुट्टनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६८—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१६९—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७०—प्रतिपालसिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७१—प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७२—प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७३—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१७४—फजलुल हक़, श्री	..	रामपुर नगर
१७५—फतेहसिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७६—फूलसिंह, श्री	..	देवबन्द
१७७—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१७८—बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१७९—बलदेवसिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८०—बलदेवसिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
१८१—बलवीरसिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८२—बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८३—बलवन्तसिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)—जानसठ (उत्तर)
१८४—बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८५—बसन्तलाल, श्री	..	कालपी—जालौन (उत्तर)
१८६—बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८७—बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१८८—बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१८९—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	राम सनेही घाट
१९०—बाबूलाल मीतल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९१—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)—प्रतापनगर
१९२—बिशम्बर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९३—बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९४—बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९५—बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९६—बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९७—बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
१९८—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
१९९—भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)—शाहगंज (पश्चिम)
२००—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)—गोरखपुर (दक्षिण)
२०१—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०२—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
२०३—भगवानसहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०४—भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०५—भुवरजी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)—हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०६—भूपालसिंह खाती, श्री	..	अलमोड़ा (उत्तर)
२०७—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)

क्रम-संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२०८—भोलासिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२०९—मक़सूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२१०—मंगलाप्रसाद, श्री	..	मेजा—करछना (दक्षिण)
२११—मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ
२१२—मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१३—मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
२१४—मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१५—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा—कुलपहाड़—चरखारी
२१६—मलखानसिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२१७—महमूद अली खां, श्री	..	सुमर—टांडा-बिलासपुर
२१८—महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर—पश्चिम)—नकुड़ (उत्तर)
२१९—महाजन, श्री सी०बी०	..	आगरा नगर (पश्चिम)
२२०—महादेवप्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर—पूर्व)
२२१—महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२२—महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२३—महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलाल गंज
२२४—महावीरसिंह, श्री	..	हाटा (उत्तर)—देवरिया
२२५—महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२६—मान्धातासिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२७—मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
२२८—मिहरबानसिंह, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
२२९—मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२३०—मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	..	पूरनपुर—बीसलपुर (पूर्व)
२३१—मुन्नूलाल, श्री	..	बिसवां—सिधौली (पूर्व)
२३२—मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर—अकबरपुर
२३३—मुश्ताक अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३४—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३५—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३७—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	..	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)—धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२३८—मुहम्मद तकी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२३९—मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२४०—मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा
२४१—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४२—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४३—मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	..	मछली शहर (दक्षिण)
२४४—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)
२४५—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४६—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२४७—मोहनलाल, श्री	..	सफीपुर—उन्नाव (उत्तर)
२४८—मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर—कोइल (उत्तर-पश्चिम)

क्रम-संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२४९—मोहनसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५०—मोहनसिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५१—यमुनाप्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५२—यमुनासिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)–मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५३—यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण)–पश्चिम
२५४—रघुनाथप्रसाद, श्री	..	मेजा–करछना (दक्षिण)
२५५—रघुराजसिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५६—रघुवीरसिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२५७—रणंजयसिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२५८—रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना
२५९—रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२६०—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मरियाहूं (दक्षिण)
२६१—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६२—राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६३—राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६४—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६५—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६६—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२६७—राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)–देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२६८—राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)–कोइल (पूर्व)
२६९—राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)–कुन्डा (उत्तर)
२७०—राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२७१—राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७२—राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७३—राजेश्वर सिंह, श्री	..	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
२७४—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७५—राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७६—रामअधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)–पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७७—रामअधीनसिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२७८—रामअनन्त पांडेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२७९—रामअवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२८०—रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)–पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८१—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८२—रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८३—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८४—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८५—रामचरण लाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८६—रामजीलाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८७—रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)–हाटा (दक्षिण-पश्चिम)

क्रम-संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२८८—रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२८९—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९०—रामदुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९१—रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
२९२—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९३—रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
२९४—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर–कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९५—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९६—रामप्रसादसिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९७—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)–अमेठी (पूर्व)
२९८—रामभजन, श्री	..	मोहमदी (पश्चिम)
२९९—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३००—रामरतनप्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०१—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०२—रामलखन, श्री	..	चकिया–चन्दौली (दक्षिण–पूर्व)
३०३—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०४—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०५—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३०६—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
३०७—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३०८—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम)
३०९—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोथा मोठ (उत्तर)
३१०—रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३११—रामसुन्दरराम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१२—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१३—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१४—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी–राबर्ट्सगंज
३१५—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)–डेरापुर (दक्षिण)
३१६—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
३१७—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३१८—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३१९—रामहेतसिंह, श्री	..	छत्ता
३२०—रामेश्वरप्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२१—रामेश्वरलाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२२—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२३—लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ–मोठ (दक्षिण)–झांसी (पश्चिम)–ललितपुर (उत्तर)
३२४—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला–बिलग्राम (दक्षिण–पूर्व)
३२५—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट–सादाबाद (पश्चिम)
३२६—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२७—लताफत हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३२८—लालबहादुरसिंह, श्री	..	केराकट–जौनपुर (दक्षिण)
३२९—लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)

क्रम-संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३३०—लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)
३३१—लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३२—लेखराजसिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३३—वंशनारायणसिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३४—वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)–शिकोहाबाद (पूर्व)
३३५—वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३६—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३७—वसी नकवी, श्री	..	महाराज गंज (पूर्व)–सलोन (उत्तर)
३३८—वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३३९—विचित्रनारायण शर्मा, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४०—विजयशंकरप्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४१—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)–अलीगढ़ (पश्चिम)–कसगंज (दक्षिण)
३४२—विश्रामराय, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३४३—विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विष्णुदयाल वर्मा, श्री	..	जसराना
३४५—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	मवाना
३४६—वीरसेन, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३४७—वीरेन्द्रपति यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३४८—वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३४९—वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३५०—वीरेन्द्रशाह, राजा	..	कालपी–जालौन (उत्तर)
३५१—व्रजभूषण मिश्र, श्री	..	दूधी राबर्ट्सगंज
३५२—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर–अकबरपुर
३५३—व्रजवासीलाल, श्री	..	बीकापुर (मध्य)
३५४—व्रजविहारी मिश्र, श्री	..	फूलपुर (उत्तर)
३५५—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर–भोगनीपुर (पूर्व)
३५६—शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५७—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३५८—शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता–पश्चिमी दून (उत्तर)
३५९—शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३६०—शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण)–धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६१—शिवदानसिंह, श्री	..	इगलास
३६२—शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६३—शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)–बस्ती (पश्चिम)
३६४—शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६५—शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य)
३६६—शिवमंगलसिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६७—शिवमंगलसिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)
३६८—शिवराजबलीसिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)–फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६९—शिवराजसिंह यादव, श्री	..	बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
३७०—शिवराम पांडेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)

क्रम-संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३७१—शिवरामराय, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७२—शिववक्षसिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७३—शिववचन राव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर)
३७४—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
३७५—शिवस्वरूपसिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७६—शुकदेवप्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
३७७—शुगनचन्द, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३७८—श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३७९—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८०—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३८१—श्रीचन्द्र, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८२—श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८३—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८४—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर)
३८५—श्रीनिवास पंडित, श्री	..	बदायूं (उत्तर)
३८६—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८७—सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती	..	कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३८८—संग्रामसिंह, श्री	..	सोरों (उत्तर)—फूलपुर (पश्चिम)
३८९—सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व)
३९०—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९१—सत्यनारायणदत्त, श्री	..	औरैया—भरथना (दक्षिण)
३९२—सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९३—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९४—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९५—सहदेवसिंह, श्री	..	जलेसर (एटा) (उत्तर)
३९६—सालिगराम जायसवाल, श्री	..	सिराथू—मंझनपुर
३९७—सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९८—सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
३९९—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
४००—सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०१—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०२—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू—मंझनपुर
४०३—सुन्दरदास, श्री दीवान	..	कैसरगंज (उत्तर)
४०४—सुन्दरलाल, श्री	..	आंवला (पूर्व)—फरीदपुर
४०५—सुरजूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०६—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर—मौदहा (उत्तर)
४०७—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां—सिधौली (पूर्व)
४०८—सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४०९—सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४१०—सूर्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४११—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
४१२—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफीपुर—उन्नाव (उत्तर)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४१३	हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
४१४	हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)
४१५	हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१६	हरखयालसिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१७	हरगोविंदपंत, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१८	हरगोविंदसिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४१९	हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४२०	हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२१	हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२२	हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२३	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२४	हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२५	हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२६	हुकुमसिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२७	हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	..	करछना (उत्तर)–चैल (दक्षिण)
४२८	होतीलालदास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४२९	(रिक्त)	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)–गोंडा (दक्षिण)
४३०	(रिक्त)	..	बिलग्राम (पश्चिम)
४३१	(रिक्त)	..	फतेहपुर (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविंद खेर, बी०ए०, एल-एल०बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविंद पंत, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सचिव

श्री कैलाशचन्द्र भटनागर, एम०ए० ।

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम०ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी०काम०, एल-एल० बी० ।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम०ए०, एल-एल० बी० ।

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उपमंत्रियों एवं सभा सचिवों के लिये नवनिर्मित भवन

**१--श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या सरकार शीघ्र दारुलशफा में निवास करने वाले उप-मंत्रियों एवं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को नये निर्मित भवनों में ले जाने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)--जी हां।

श्री रामेश्वरलाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मंत्रियों, उप-मंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को कब तक विधायक निवास से नवनिर्मित भवनों में ले जाया जायगा ?

श्री धर्मसिंह--जब वह बन कर तैयार हो जायेंगे तभी उनको वहां ले जाने का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी इन नवनिर्मित मकानों में जाने की इच्छा नहीं रखते ?

श्री धर्मसिंह--ऐसी बात नहीं है, जितने बनवाये जा रहे हैं उतने लोग उसमें जाने को तैयार हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ और डिप्टी मिनिस्टर्स के लिए कितने मकान बनवाये जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह--इस समय तो केवल ४ बनवाये जा रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि जो लोग इन मकानों में जायंगे वह अपने इन मकानों का क्या किराया देंगे ?

श्री धर्मसिंह—जब वह बन जायंगे तभी तय होगा कि कितना किराया देंगे।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास में निवास करने वाले पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उप-मंत्री वहां कितने कमरों को इन्गेज किए हुए हैं?

श्री धर्मसिंह—७ वहां रह रहे हैं, ७ ही कमरे हैं जिनमें से कुछ फेमिली सुईट्स भी हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या इन उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को वही किराया देना पड़ता है जो मंत्रियों को देना पड़ता है?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, उससे अधिक देना पड़ता है।

श्री शिवनारायण—कितना ज्यादा देना पड़ता है?

श्री धर्मसिंह—वह तो कितने ही कमरे हैं, जो फेमिली सुईट्स हैं उनको सौ रुपया देना पड़ता है, और दूसरे कमरों के लिए किसी को ५७।। रुपया और बाकी को उससे कुछ कम देना पड़ता है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ४ भवनों के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ है?

श्री धर्मसिंह—वह तो अभी बन ही रहे हैं, अभी पूरा व्यय नहीं हुआ है।

राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ आवेदन-पत्र

**२—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के लिये एक अलग विभाग तथा एक विशेषाधिकारी नियुक्त हुये हैं? इस विशेषाधिकारी के पास अभी तक (२५ अगस्त, १९५५ तक) कुल कितने आवेदन-पत्र आये हैं और उन पर अभी क्या और कितनी कार्यवाही हो सकी है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। लगभग १०,००० के ऊपर प्रार्थना-पत्र आये हैं और उन पर जिलेवार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। १४५ व्यक्तियों को पेन्शन दी जा चुकी है और ४० की पेंशन बढ़ाई जा चुकी है।

**३—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि "राजनीतिक पीड़ित" शब्द की जो परिभाषा अभी तक मानी गई है, उसमें संशोधन करने का उसका कुछ विचार है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि सदन में बता चुका हूं काफी संशोधन किया जा चुका है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आवेदनकर्ताओं द्वारा किस-किस प्रकार की मांगें आई हैं?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी समझ गए हों तो उत्तर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न का ठीक मतलब तो माननीय प्रश्नकर्ता ही समझ होंगे, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं कुछ पेंशन के तौर पर चाहते हैं, कुछ पढ़ाई आदि के लिए, कुछ लड़की की शादी के लिए, कुछ रोजगार व्यापार के लिए, पैसा चाहते हैं, यही चार पांच मिसालें हमारे सामने आती हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तिम व्याख्या राजनीतिक पीड़ित की क्या की गई है?

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं कि सदन में वह बतला दी गई है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैं जानना चाहता हूं कि उस समय से कई व्याख्या की जा चुकी है, अब वह अन्तिम व्याख्या क्या है?

श्री अध्यक्ष—इसका वह जवाब पहले दे चुके हैं?

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सब जिलों से दरख्वास्तें आ गई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने दस हजार दरख्वास्तों को नहीं देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से आ ही गई होंगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश का प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इन सब सवालों का जवाब मुश्किल से एक हफ्ता हुआ मैंने दे दिया था। बहरहाल, फिर मैं आपकी आज्ञा से दुहरा देता हूं। मैंने कहा था कि माननीय सदस्यों ने उस फार्म को देखा होगा। उसमें लिखा है कि जिलाधीश का प्रमाण-पत्र होना ही आवश्यक नहीं है, जिला कांग्रेस कमेटी या कोई दो सज्जन उनके साथ जो जेल में रह चुके हों या किन्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र ही काफी हैं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनको सहायता दी जायगी उनके छांटने का तरीका क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो अधिकारी हैं उन पत्रों को पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि के अनुसार जिसको ठीक समझेंगे रखेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि वह राजनीतिक पीड़ित जो कार्य करने के योग्य हैं परन्तु जिनकी आर्थिक अवस्था खराब हो गई है क्या उनको व्यापार के लिये सहायता दी जायगी?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि जो दरख्वास्तें आयी हैं उनमें ऐसे लोगों की दरख्वास्तें हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के विरोधी दलों में सम्मिलित हो गये हैं, यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या नीति होगी?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १४५ व्यक्तियों को पेंशनें दी जाती हैं वह किन किन जिलों की और कितनी कितनी हैं?

श्री अध्यक्ष—यह बहुत लम्बी लिस्ट होगी। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—यह जो विशेषाधिकारी इस कार्य के लिये नियुक्त हुये हैं ये पहले किस पद पर थे और इनको इस समय क्या वेतन दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उत्पन्न नहीं होता। यह राजनीतिक पीड़ितों का प्रश्न है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सन् १९४५ के बाद भी कोई राजनीतिक पीड़ित हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह माननीय सदस्य राय पूछते हैं। वे स्वयं अपनी राय कायम कर सकते हैं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों का आवेदन-पत्र लेने के लिये कोई अन्तिम तिथि है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। कोई तारीख रखी गई थी, मुझे याद नहीं है कि वह कौन तारीख थी, लेकिन उसको कई बार बढ़ाया गया। जिन जिलों में बाढ़ आ गई थी उनके लिये तो १५ तारीख तक कर दी गई है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वाभिमानवश यदि कोई आवेदन-पत्र न करे तो क्या दूसरों द्वारा उसके लिये आवेदन-पत्र दिये जाने पर कोई विचार उस पर होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रायः ऐसा होता भी नहीं और न होना ही चाहिये लेकिन यदि किसी अवस्था में ऐसा हो तो विचार किया जा सकता है।

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--[६ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

ओला गिरने से रुड़की तहसील में फसल को हानि

*४--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या यह सच है कि मार्च के प्रारम्भ में ओला पड़ने से रुड़की तहसील में फसल को भारी हानि पहुंची है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी हां।

*५--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि इस हानि का तखमीना क्या है और यह हानि कितने गांवों में हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह हानि तहसील रुड़की के १८८ ग्रामों में अनुमानतः ३६ लाख रुपये की हुई।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रुड़की तहसील के किसानों को लगान और आबपाशी में कितनी छूट दी गई और कितनी तकावी मिली ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तकावी ३ लाख १५ हजार रुपये और रिलीफ वर्क पर २५ हजार रुपये।

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी जमींदारों को प्रतिकर

*६--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अंग्रेजों के अतिरिक्त जो २० विदेशी जमींदार, जमींदार खात्मा कानून के लागू होते समय प्रदेश में थे, उन्हें कितना-कितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय प्रदेश में अंग्रेजों के अतिरिक्त केवल १७ विदेशी जमींदार थे। प्रत्येक को प्रतिकर की देय निर्धारित धनराशि की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३ पर।)

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन १७ जमींदारों में कितने हमारे देश में बस गये हैं स्थायी रूप से और कितने अपने देश को वापिस चले गये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अधिकतर लोग बाहर के हैं और बाहर चले गये हैं। यहां रहने वालों की संख्या मालूम नहीं, ज्यादातर सभी चले गये हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इनको जो रकम दी जाने वाली है दी जा चुकी है या अभी बाकी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रकम कुछ उनको दी जा चुकी है और कुछ सरकार के ऊपर पावना था उसमें वह एडजस्ट हो गयी है और थोड़ी सी रकम बाकी है जो उन्हें देनी है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री कुल धनराशि का योग बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१,२१,५०७ रु०।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी उस सूची को पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी से सूची आप बाद में ले लेगें क्योंकि पढ़ने में अधिक समय लगेगा।

मिर्जापुर जिले में पकरी ग्राम के वर्षा पीड़ित हरिजनों को गृह निर्माण के लिये आर्थिक सहायता

*७—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या माल मंत्री को यह मालूम है कि ग्राम पकरी का पुरा तथा चौरासी तहसील व जिला मिर्जापुर के हरिजनों (चमारों) की बस्ती लगभग तीन ओर से नदी व नालों के घिर जाने के कारण भयावह स्थिति में पड़ गयी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला मिर्जापुर में ग्राम पकरी का पुरा के लगभग ३० घरों की हालत वर्षा ऋतु में खतरनाक हो जाती है। इनमें से ८ घर हरिजनों के हैं।

*८—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या मन्त्री जी उस बस्ती के गरीब भूमिहीन हरिजनों की दयनीय दशा को देखते हुये इस वर्ष वर्षा प्रारम्भ होने के पहले ही उन्हें उसी ग्राम के अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रभावित ग्रामीणों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की जा सकती है परन्तु पैतृक घर की ममता के कारण वे स्वयं अपने मौजूदा घरों को छोड़ना नहीं चाहते।

*९—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या मंत्री जी उनकी गरीबी को देखते हुये गृह-निर्माण के हेतु सरकार की ओर से कुछ आर्थिक सहायता भी देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न फिलहाल नहीं उठता।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि उस प्रवाहित गांव के कुछ लोग पैतृक ममता को छोड़ कर सरकार के पास आवेदन-पत्र भेजें तो वह उनको उसी गांव में बसाने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह नहीं कहा जा सकता उसी गांव में लेकिन किसी न किसी गांव में उन्हें बसाने की व्यवस्था अवश्य की जायगी।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी तारांकित प्रश्न को देने के पहले या कोई जांच-पड़ताल करने के पहले वहां के अधिकारी सरकार के पास इत्तिला भेजते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो इत्तिला आती है वह जांच-पड़ताल के बाद ही आती है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको क्या सहायता दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता लेकिन जिलाधीश ने अन्दाज किया है कि उनको दूसरी जगह बसाने के लिये १६ हजार रुपये खर्च होंगे ।

द्योली, जिले अल्मोड़ा में अति वृष्टि से हानि के कारण ग्रामीणों को अन्यत्र बसाने का प्रार्थना-पत्र

*१०—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि पिछली बरसात में जिला अल्मोड़ा में तेज पानी गिरने से पट्टी मल्ला सालम में ग्राम द्योली की जमीन धंस गई है और मकानों में दरारें पड़ गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५४ ई० की वर्षा में ऐसी कोई हानि नहीं हुई । ग्राम द्योली में जमीन का धंसना सन् १९१९ ई० में ही आरम्भ हो गया था और सन् १९२४ ई० की तेज वर्षा के कारण इस जमीन में दरारें पड़ गई थीं और तब से सन् १९५४ ई० की वर्षा ऋतु तक जमीन का धंसना जारी रहा । इस ग्राम के १ पक्के मकान तथा २ झोपड़ियों में दरारें पड़ गई हैं और जमीन लगभग ५० प्रतिशत खेती के अयोग्य हो गई है ।

*११—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त गांव के निवासियों ने सरकार को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि जमीन धंसने की वजह से गांव की हालत खतरनाक होने के कारण उन्हें बसने के लिये किसी अन्य स्थान में भूमि प्रदान की जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५३ में ग्राम निवासियों ने मारनौली के प्रथम श्रेणी के रक्षित वन के अन्तर्गत जमीन के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था । चूंकि चाही गई जमीन से जंगल काटना असम्भव था, अतएव प्रार्थियों को तराई भाबर में जमीन मांगने के लिये राय दे दी गई थी । तराई भाबर पसन्द न होने के कारण ग्राम वासी चुप बैठे रहे ।

*१२—श्री गोवर्धन तिवारी—यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें भूमि देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुल ६ ऐसे ग्राम निवासियों ने तराई भाबर में जमीन के लिये अब प्रार्थना-पत्र दिये हैं जिनके पास ३० नाली से ज्यादा हिस्सेदारी या खैकारी जमीन मौजूद थी । अतः न तो उन्हें भूमिहीन कहा जा सकता है न खामिया ब्लाक के अन्तर्गत जमीन दिलाये जाने की उनकी प्रार्थना पूरी की जा सकती है, क्योंकि वहां कोई जमीन अब बाकी नहीं है जो कि उन्हें दी जा सके ।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि इसी गांव के छिपना तोक में श्री राम लाल का नौ जनों का परिवार और ढोढ़ तोक में स्थित श्री हरिराम ओड़ का तीन जनों का परिवार मय मकान के और जानों के धंस गया और उसका पता नहीं लगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो जरूर इसका पता लगायेंगे।

ग्राम, रमोल, तहसील मौदहा में अग्निपीड़ित व्यक्तियों को सहायता

*१३—श्री तेजप्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाल ही में रमोल तहसील में मौदहा में आग लग जाने के कारण किन व्यक्तियों की कितनी क्षति हुई तथा सरकार का उन्हें क्या इमदाद देने का विचार है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ग्राम रमोल तहसील मौदहा में दिनांक १८ मार्च, १९५५ को, आग लग जाने से १० व्यक्तियों की हानि हुई जिसका विवरण संलग्न सूची में दिखा दिया गया है।

पीड़ित व्यक्तियों को ८५० रु० तकावी, १०० रु० अनुदान तथा सरकारी जंगल से घर बनाने के लिये बिना कीमत लकड़ी दी गई।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४ पर।)

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पीड़ित व्यक्तियों की मालगुजारी माफ करने का प्रश्न भी विचाराधीन है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मालगुजारी का सवाल तो अभी उठता नहीं।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या सरकार इन पीड़ित व्यक्तियों की खराब हालत को देखते हुये इनकी मालगुजारी माफ करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अन्दाजा ऐसा लगाया जाता है कि उनके खेतों में जरूर पैदावार हुई होगी। इसलिये अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया।

प्रदेश के शरणार्थियों के क्लेम्स का भुगतान

*१४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने शरणार्थियों को उनके क्लेम्स (claims) का भुगतान हो चुका है और अभी कितनों के भुगतान बाकी हैं?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है न कि प्रदेशीय सरकार से। मांगी हुई सूचना प्रदेशीय सरकार को उपलब्ध नहीं है। अतः वह सूचना देने में असमर्थ है।

*१५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास बरेली के शहदना क्षेत्र के शरणार्थियों का इस विषय पर कोई शिकायती पत्र आया है? अगर हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं। इस विषय से प्रदेशीय सरकार का कोई सम्बन्ध भी नहीं है जैसा कि प्रश्न १४ के उत्तर में बतला दिया गया है।

तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में ग्राम समाजों का निरीक्षण

*१६—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला तथा तहसील के अधिकारी अपने दौरे में ग्राम समाज सम्पत्ति का रजिस्टर देखते हैं या नहीं? यदि देखते हैं, तो उन्होंने तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, जिला व तहसील के अधिकारी अब तक ६२३ गांव समाजों का निरीक्षण कर चुके हैं। तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में कुल ५९ ग्राम समाज सम्पत्ति के रजिस्टर देखे गये। उनमें जो गलतियां मिलीं वह ठीक करा दी गईं और जो सम्पत्ति दर्ज होने से छूट गई उसे उनमें दर्ज करा दिया गया। जो रजिस्टर निर्धारित आकार-पत्र पर नहीं बने थे उन्हें नये सिरे से छपे हुए आकार-पत्र संख्या १ के अनुसार बनाया गया।

*१७--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या यह सही है कि जिला गोरखपुर में ९५ फीसदी ग्राम समाजों की बैठकें अब तक एक भी नहीं हुईं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं, कुल ३६२५ गांव समाजों में से केवल ८१३ गांव समाजों की (अर्थात् २२.५ या २२ प्रतिशत गांव समाजों की बैठकें) अभी तक नहीं हुई हैं। सदस्यों तथा अध्यक्षों के साक्षर न होने के कारण ये बैठकें न हो सकीं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या गोरखपुर के सभी गांव समाजों का निरीक्षण किया गया है, ऐसी माल विभाग की ओर से सूचना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जवाब तो दे दिया गया जिनका किया गया है उनका।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--जो जांच हुई है क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उस जांच में कितनी गलतियां मिली हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये फिर से नयी सूचना की जरूरत होगी। इस फाइल में तो ऐसी चीज है नहीं।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--जिन २२ प्रतिशत ग्राम समाजों की बैठकें अभी तक नहीं हुई हैं वहां गांव समाज की संपत्ति का जिम्मेदार कौन है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--गांव समाज ही जिम्मेदार है।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार जिन गांव समाजों की जांच हो चुकी है उनकी सूची मेज पर प्रस्तुत करेगी?

श्री अध्यक्ष--यह बहुत से गांव हैं। मैं इसकी इस समय इजाजत नहीं दूंगा। माननीय माल मंत्री से आप बाद में मिल कर जान लें।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या तहसील फरेंदा के कुछ गांवों की पड़ताल के लिये माल मंत्री के पास दरख्वास्त दी गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई दरख्वास्त की इत्तला नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अशिक्षा के कारण जिन गांव समाजों की बैठकें नहीं हुई हैं वहां की सम्पत्ति की व्यवस्था के संबंध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उनको मदद देने के लिये लेखपाल लोग रहते हैं और कोई भी आदमी जो उनमें पढ़ा लिखा होता है वह उसमें कार्य करता है।

श्री केशव पांडेय--क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदर तहसील के ग्राम समाजों का भी निरीक्षण किया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, किया गया है।

पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र

*१८—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जहां-जहां पर पशु चिकित्सालय हो वहां वहां कृत्रिम पशु गर्भाधान का केंद्र स्थापित करे ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—सरकार सभी पशु चिकित्सालयों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित करने का विचार नहीं रखती। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक संख्या में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलने की व्यवस्था हो रही है उनके खुल जाने पर प्रदेश के सभी क्षेत्र इन केंद्रों के अन्तर्गत इस प्रणाली से लाभ उठा सकेंगे।

प्रदेश में हल्दी की उपज तथा खेती को प्रोत्साहन देने की सरकारी योजना

*१९—श्री रामेश्वर लाल—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में हल्दी की कुल कितनी उपज होती है और किस-किस इलाके में बहुतायत से होती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उत्तर प्रदेश में हल्दी की कुल उपज अनुमानतः आठ हजार मन होती है। देवरिया जनपद में सलेमपुर के पूर्वी तथा पडरौना तहसील के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में हल्दी की खेती बहुतायत से की जाती है।

*२०—श्री रामेश्वरलाल—क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले के पूर्वी सलेमपुर तहसील में हल्दी की खेती बहुतायत से होती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—हां, सलेमपुर पूर्वी भाग में भाटापार रानी के क्षेत्र में हल्दी की काश्त मक्के, अरहर तथा अन्य फसलों के साथ बहुतायत से की जाती है।

*२१—श्री रामेश्वर लाल—क्या कृषि मंत्री हल्दी की उपयोगिता देखते हुये खेती की वृद्धि के लिये कोई विशेष सहायक कदम उठाने को सोच रहे हैं ?

श्री मुहम्मदरऊफ़ जाफ़री—उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से हल्दी की काश्त को प्रोत्साहन देने के हेतु एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि हल्दी की खेती देवरिया जिले के अतिरिक्त किन-किन जिलों में अधिक होती है ?

श्री हुकुमसिंह—लफ्ज अधिक की वजह से मुझे दिक्कत है, बिला नोटिस के मैं नहीं बता सकता।

मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील की टूटी-फूटी इमारत की मरम्मत

*२२—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले में जानसठ तहसील की इमारत बहुत ही पुरानी है और इसकी छतें, दीवारें आदि सब टूटी फूटी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इमारत की छत और दीवारें खराब हालत में हैं परन्तु उनकी सालाना मरम्मत होती रहती है।

*२३—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस इमारत को फिर से बनवाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस इमारत की खास मरम्मत (special repairs) करवाने की कार्यवाही की जा रही है। आशा की जाती है कि इस मरम्मत के बाद यह इमारत कुछ अर्से के लिये मजबूत हो जायेगी। बाद में जरूरत समझी गई तो इस इमारत की जगह पर एक नई इमारत बनवाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्पेशल मरम्मत का क्या एस्टीमेट होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--१,२९४ रुपये के करीब एस्टीमेट आता है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जो अब मौजूदा इमारत है उसमें न कागज ठीक रहते हैं और न आदमियों के बैठने की ठीक जगह है ऊपर से मिट्टी पड़ती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा व्योरा तो मेरे पास नहीं है लेकिन हालत खराब है। पूरा व्योरा जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह मेरे पास नहीं है।

बुलन्दशहर जिले में पटवारी स्कूल के छात्रों में हरिजन

*२४--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ में जिला बुलन्दशहर में कितने लड़के पटवारी स्कूल में पढ़ने के लिये चुने गये हैं और उनमें कितने हरिजन थे?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--सन् १९५४ ई० में पटवारी (लेखपाल) स्कूल, बुलन्दशहर में ६१ लड़के भरती किये गये और उनमें ५ हरिजन भी चुने गये थे।

नैनीताल जिले में ग्राम तुसराड़ में मत्स्य-पालन योजना

*२५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास मांग आई है कि ग्राम तुसराड, पट्टी बिजूला, जिला नैनीताल में मत्स्य-पालन के हेतु डिग्गी बनाई जाये? अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, सरकार के पास ग्राम तुसराड़ के निवासियों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र उस क्षेत्र में मत्स्य-पालन के हेतु सरकारी नरसरी बनाने के लिये आया था। मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र का निरीक्षण किये जाने पर ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में या इसके आस-पास कोई उचित जलाशय (stocking water) न होने कारण मछली पालन की योजना लाभकर नहीं होगी। इस कारण ग्राम निवासियों के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

ईख की उपज बढ़ाने की योजना

*२६--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि कोई योजना ईख की उपज बढ़ाने की सरकार ने पिछले वर्षों में चलायी थी? यदि हां, तो कब से कब तक और कहां-कहां पर, उसमें क्या सफलता मिली है?

श्री हुकुमसिंह--जी हां। यह योजना प्रदेश में स्थित चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में १९४८-४९ ई० में चालू की गई थी और १९५५-५६ ई० तक चलती रहेगी। इसके फलस्वरूप गन्ने की औसत उपज ३५० मन प्रति एकड़ से बढ़कर ४३९ मन प्रति एकड़ तक पहुंच गई है।

*२७--श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)--क्या उपज को बढ़ाने की योजना इस समय भी चल रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री हुकुमसिंह--जी हां। उस योजना की रूपरेखा संक्षिप्त में नीचे दी जा रही है:--

१--सिंचाई की सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

२--रोग मुक्त तथा अच्छे गन्ने के बीज का किसानों में वितरण करना।

३--अच्छी तथा नई किस्मों के गन्ने के बीज के लिये पौधशालाओं (nurseries) की स्थापना करना।

४---रासायनिक खादों, कम्पोस्ट तथा उर्वरक और उन्नतिशील कृषि यंत्रों का वितरण करना।

५---कम्पोस्ट के बनाने में प्रोत्साहन देना।

६---गन्ने की फसल को हानिकारक कीड़ों तथा रोगों से बचाना।

७---प्रदर्शन क्षेत्रों की स्थापना, भूमिसर्वेक्षण (soil survey) और संरक्षण (soil conservation) करना।

८---गन्ने की खेती के वैज्ञानिक उपायों का प्रचार करना।

अधिवासियों को सीरदार का हक मिलने पर भी पूर्व भूमिपतियों से मालगुजारी की वसूली

*२८---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम सन् १९५४ के अनुसार जिन अधिवासियों को सीरदार का हक मिला है इस साल सन् १३६२ फसली की मालगुजारी उनके पहले के भूमिपतियों से ही वसूल की गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। किसी-किसी तहसील में ऐसा हुआ है। इसका कारण यह है कि खरीफ फसल के आरम्भ में ही नया कानून लागू हो गया था परन्तु लगान वसूली मौजूदा जमाबन्दी के अनुसार ही करनी पड़ी क्योंकि इतने कम समय में जमाबन्दी नये कानून के अनुसार शुद्ध नहीं की जा सकती थी, लेकिन जहां कहीं ऐसा हुआ है, पूर्व भूमिपतियों को बता दिया गया है कि जो फाजिल रकम वसूल की गई होगी वह अगली फसल की मालगुजारी में मुजरा कर दी जायेगी। जिलाधीशों को यह भी आदेश दिया गया है कि ऐसे भूमिपतियों के विरुद्ध कोई कोअर्सिव प्रोसेसेज (coersive processes) न जारी किये जायं।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि १३६२ फसली की मालगुजारी अधिवासियों से सरकार तथा उनके भूतपूर्व भूमिधर और सीरदारों ने भी वसूल की है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना तो नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कहीं हुआ हो।

श्री उमाशंकर---अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई हो तो सरकार उनको जो नये सीरदार बने हैं, कोई मदद दे सकती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अगर ऐसे कोई केसेज (मामले) होंगे और माननीय सदस्य उनको लायेंगे तो उनके बारे में विचार किया जायगा।

*२९-३०---श्री रामचन्द्र विकल---[२० सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ६८-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के अन्तर्गत लउआसाथ ताल का ठेका

*३१---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के अन्तर्गत लउआसाथ ताल का ठेका जनवरी, ५५ तक क्यों नहीं दिया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गत वर्ष सितम्बर मास में लउआसाथ ताल की मछलियों का ठेका नीलाम द्वारा दिये जाने की चेष्टा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा की गई थी पर क्योंकि उस समय वर्षा के कारण ताल पानी से एकदम भर जाते हैं इसलिये ताल में मछलियों की तादाद का अन्दाजा सही तौर पर नहीं लगाया जा सकता। इस कारण कोई ठेका लेने को तैयार नहीं होता या बोलियां नीलाम कम रकम की होती हैं। तथापि इसका ठेका इस वर्ष जनवरी मास के बाद ही दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर मास में जिस व्यक्ति को ठेका देने की चर्चा की गई थी उसका नाम क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना की जरूरत है। मेरे पास उसका कोई नाम नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी महीने के कितने दिनों के बाद ठेका दिया गया और किसको दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह भी सूचना नहीं है कि किसको ठेका दिया गया इसके लिये भी सूचना की जरूरत होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि परगनाधीस घोसी की गलत रिपोर्ट के कारण जनवरी मास के पहले ठेका नहीं दिया जा सका था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नहीं, यह बात सही नहीं है।

आजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में मुअत्तल लेखपाल

*३२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में फरवरी और मार्च, ५५ में कितने-कितने लेखपाल मुअत्तल एवं सेवा मुक्त किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला आजमगढ़ की प्रत्येक तहसील में फरवरी और मार्च, १९५५ में मुअत्तल एवं सेवा मुक्त किये गये लेखपालों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :

नाम तहसील		मुअत्तल		सेवा मुक्त	
		फरवरी	मार्च, ५५	फरवरी	मार्च, ५५
फूलपुर	..	७	४	२	१
लालगंज	..	४	३	१	१
मोहम्मदाबाद	..	१	१	..	१
सगड़ी	..	..	३	..	..
सदर	..	..	..	..	..
घोसी	..	४	१	१	..
योग	..	१६	१२	४	३

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी तहसील में फरवरी, मार्च में ४ जो मुअत्तल किये गये थे उसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कारण कुछ लोगों का बुरा काम होना था और कुछ ने रेमिशंन स्लिप्स वगैरह नहीं बांटी थीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह मुअत्तली का जो चार्ज लगाया गया था वह क्या बेबुनियाद साबित हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन मामलों में ऐसा हुआ होगा उनको बहाल कर दिया गया होगा।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जो लेखपाल मुअत्तल और बर्खास्त किये गये वह मार्च और फरवरी में ही क्यों हुए ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उस समय कागज आते हैं और उनकी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं ।

बस्ती जिले में राप्ती नदी द्वारा ग्राम गोठवा की कृषि योग्य भूमि का कटाव

*३३---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोठवा ग्राम, तहसील बांसी, जिला बस्ती राप्ती नदी की तेज धार से कट गया है और उस गांव का सारा खेत कट कर नदी के दूसरे पार चला गया है ?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)---ग्राम गोठवा की बहुत सी खेती के लायक भूमि राप्ती नदी से कट गई है और केवल १४ एकड़ भूमि बच रही है । कटी हुई भूमि कुछ तो नदी के पेटे में है, कुछ उस पार चली गई है ।

*३४---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि कटाव अब भी जारी है और उक्त गांव के अब कुछ ही घर बच रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---कटाव अब भी जारी है, परन्तु आबादी नहीं कट रही है । गांव के सभी घर जिनकी संख्या १३ है, बचे हैं ।

*३५---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार उक्त गांव के लोगों के जो खेत कटाव से नदी के दूसरे पार हो गये हैं उन्हें उन खेतों को दिलाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री चरणसिंह---ऐसे मामले बंगाल रेगुलेशन संख्या ११ सन् १८२५ के अनुसार तय होते हैं जिसमें प्रचलित रीति को मुख्यता प्रदान की गई है । संबंधित व्यक्ति यदि चाहें तो अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिये उपयुक्त न्यायालय में अपने वाद प्रस्तुत कर सकते हैं ।

बस्ती जिले में खलीलाबाद तहसील की नई इमारत

*३६---श्री उमाशंकर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद (बस्ती) की तहसील की नई इमारत मजबूत नहीं है और प्रायः टपकती रहती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---तहसील खलीलाबाद (बस्ती) की नई इमारत मजबूत बनी है तथा टपकती नहीं है ।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या पिछले महीने में पी० डब्ल्यू० डी० के डिप्टी मिनिस्टर उस इमारत की देखभाल करने गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

बस्ती जिले के बाढ़ से पीड़ित कानूनगो क्षेत्रों में टेस्ट वर्क

*३७---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में सन् १९५४ में किन-किन तहसीलों के किन कानूनगो क्षेत्र में कितने कितने गांव वर्षा काल में बाढ़ स त्रसित रहे ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ३३-३५ श्री शिवनारायण ने पूछे ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---जिला बस्ती में १९५४ में तहसीलों के कानूनगो क्षेत्र में जितने जितने गांव वर्षा काल में बाढ़ से त्रसित रहे उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५ पर)

*३८---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माल मंत्री यह बतायेंगे कि उपरोक्त क्षेत्र में किन-किन कानूनगो क्षेत्र के गांवों में टेस्ट वर्क चालू किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जिन कानूनगो क्षेत्रों में टेस्ट वर्क चालू किये गये थे वह इस प्रकार हैं---

नाम तहसील	कानूनगो क्षेत्र	नाम सड़क
बस्ती	नगर	१---अक्सरा बहादुर-पुर रोड
	नगर	२---कल्वारी बस्ती रोड
	कुदराहा	१---कुल्वारी कुदराहा रोड
खलीलाबाद	मेंहदावल	१---करमैनी मेंहदावल रोड
		२---मोहिमा ठाटा रोड
हरैया	कप्तानगंज	१---दबोलिया छावनी रोड

*३९---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माल मंत्री यह बतायेंगे कि जिला बस्ती के किन-किन क्षेत्रों में टेस्ट वर्क चालू करने के लिये आवेदन पत्र आये थे और उन-उन क्षेत्रों में टेस्ट वर्क क्यों नहीं खोला गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---केवल एक आवेदन पत्र श्री धनुष धारी पांडेय, सदस्य विधान सभा, की ओर से आया था, परन्तु कोई टेस्ट वर्क चालू नहीं किया गया क्योंकि उस क्षेत्र में कोई अकाल नहीं पाया गया तथा धरातल को ऊंचा करने की योजना चालू होने के कारण उन क्षेत्रों में लोगों को अपने गांवों में ही कार्य मिल जाने से और कोई टेस्ट वर्क चालू करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि घाघरा कोआनी और राप्ती, इन्हीं नदियों से जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी थी, उन्हीं में टेस्ट वर्क चालू किये गये और खलीलाबाद तहसील के दक्षिणी क्षेत्र बनकटा और बांसी क्षेत्र के ट्रांस-राप्ती एरिया में क्यों नहीं चालू किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो बतला दिया गया है कि जहां टेस्ट वर्क चालू किया गया है, वह वहां किया गया है, जहां मजदूर मिलने को थे । जहां लोग आये, वहीं काम चालू किया गया ।

श्री धनुषधारी पांडेय---अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि जहां-जहां मजदूर मिले तहां-तहां चालू किया गया । क्या खलीलाबाद के बनकटा एरिया और बांसी के ट्रांस राप्ती एरिया में इसके लिए कोशिश की गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, वहां मजदूर नहीं मिले, इसलिये काम नहीं हुआ ।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि धनुषधारी पांडेय ने किस तारीख को आवेदन पत्र दिया था कि टेस्ट वर्क चालू किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--माननीय सदस्य को तो मालूम ही होगा । उन्होंने ही दरख्वास्त दी थी ।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि धरातल ऊंचा करने का कार्य किस तारीख को प्रारंभ हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । मेरे पास तारीख नहीं है कि कब काम शुरू हुआ ।

*४०--श्री श्रीचन्द्र--[१० अक्तूबर, १९५५, के लिये स्थगित किया गया ।]

जालौन जिले की विलीन रियासत बावनी में आबी व पाही टैक्सों की वसूली

*४१--राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार को मालूम है कि विलीन रियासत बावनी, जिला जालौन, के ४६ ग्रामों की जनता से करीब एक लाख रुपया आबी व पाही टैक्स के नाम से वसूल किया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, एक लाख रुपया तो नहीं परन्तु करीब २३ हजार रुपया हर साल आबी व पाही टैक्स के नाम से रियासत बावनी के काश्तकारों से वसूल होता है ।

*४२--राजा वीरेंद्रशाह--क्या यह सही है कि यह आबी व पाही टैक्स लगान व नहर रेट के अलावा वसूल किया जाता है और यह नवाबी के समय से बंधा चला आ रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां ।

*४३--राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार इन आबी व पाही टैक्सों को माफ करने का विचार करती है, और जो रकम अभी तक वसूल कर ली गई है उसे लौटा देने को सोचती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सारा मसला सरकार के विचाराधीन है, परन्तु किसी रकमके वापिस करने का सवाल नहीं उठता ।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या यह सही है कि पुराने नवाबी टैक्सों के अलावा जब से बावनी स्टेट विलीन होकर यू० पी० में आई है, यू० पी० के सारे टैक्स उस पर लगा दिये गये है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो कानून की बात है । जो स्टेट में लोग होंगे, जहां टैक्स देने को होगा वहां लगाया जायगा ।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या यह सही है कि वहां पर नवाबी टैक्स और सरकारी नये टैक्स लगने से किसानों पर भार अधिक बढ़ गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा हो सकता है कि भार अधिक हो, लेकिन जो पुराना लगान था वह लोग अपनी मर्जी से दे रहे थे ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय हमारे प्रदेश के टैक्सेज वहां के लोगों पर लगाये गये उस समय इस टैक्स के माफ कर देने पर कोई विचार नहीं किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह टैक्स का नहीं लगान का सवाल है और अभी जबाव दिया गया है कि इस पर विचार हो रहा है। जो दूसरे लगान वहां लगाये गये थे आबी व पाही ये आबपाशी की जमीन पर और नान-रेजीडेंट्स पर लगते थे। अब यह मसला सरकार के विचाराधीन है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक सरकार यह आदेश जारी करेगी कि उन लोगों से यह एक्सट्रा टैक्स न लिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये कोई आदेश की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि चूंकि वह कन्ट्रेक्टेड रेट्स थे, इसलिये एक तरह से वे लगान देने के जिम्मेदार तो हैं ही।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार को यह मालूम है कि बावनी स्टेट के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ जी व्यास ने टैक्स के बारे में सरकार के पास कोई शिकायत भेजी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, भेजी थी।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार उस पर विचार करके उन टैक्सेज को माफ कर देगी ?

श्री अध्यक्ष--इसका तो जबाव दिया जा चुका है।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि भूतपूर्व रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात् जो कानून पहले उन रियासतों में लागू थे वे रद्द हो गये थे ? यदि हां, तो यह कर किस आधार पर लिया जा रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह कोई अलग कर नहीं है। यह जमीन का लगान है। जो लगान पुराने जमींदार ले रहे थे--मुझे अफसोस है कि जमींदार वह लगान ले रहे थे--वही लगान अभी वसूल किया जा रहा है और उस पर फिर विचार इसलिये हो रहा है कि आया वह ठीक है या नहीं।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बावनी स्टेट के किस कानून के जरिये यह टैक्स वसूल होता था ?

श्री अध्यक्ष--इसका जबाव दिया जा चुका है। कंट्रैक्ट था ऐसा वह बता रहे थे।

बनारस कलेक्टरी की पुलिस हवालात में जगह की कमी

*४४--**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी** (जिला बनारस)--क्या सरकार को विदित है कि बनारस कलेक्टरी के पुलिस हवालात (लाकअप) में जगह की कमी के कारण अभियुक्तों को दिन भर उन छोटी तंग कोठरियों में बड़ा ही कष्ट और असुविधा होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है।

*४५--**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी**--क्या सरकार ने कृपा कर उन कोठरियों को कुछ बढ़ाकर उन्हीं से लगा हुआ कुछ दूर पर पेशाब खाना बनवा देने का निश्चय कर लिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बनारस कलेक्टरी के पुलिस हवालात (लाक आप) में तीन कमरे हैं। प्रत्येक कमरे से मिला हुआ एक छोटा कमरा है जिससे अभियुक्तों के लिये पेशाब घर का काम लिया जाता है। कोठरियों के बढ़ाने तथा नये पेशाब घर बनवाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी--क्या माननीय मंत्री को पता है कि इन हवालाती कोठरियों में ज्यादा से ज्यादा हवालाती एक ही साथ दिन भर रहा करते हैं और उन्हें बदबू से बहुत ही तकलीफ होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा तो नहीं है। कभी तो बहुत कम रह जाते हैं और कभी-कभी कुछ ज्यादा भी हो जाते हैं।

चकेरी (कानपुर) के निकट रोडवेज बस दुर्घटना तथा घायलों का उपचार

*४६--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि रविवार दिनांक २७-३-५५ को चकेरी (कानपुर) के निकट रोडवेज की बस उलट जाने के कारण लगभग १ दर्जन मुसाफिर सख्त घायल हो गये हैं ? क्या सरकार इन घायलों की लिस्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, दुर्घटना शनिवार दिनांक, २६ मार्च, १९५५ को हुई थी जिसमें ५ व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। जिन व्यक्तियों को चोटें आईं उनके नाम निम्नलिखित हैं:

१--श्री आर० के० सेठ

२--श्री देव सुख राम

३--श्री निसार खां

४--श्री दीन दयाल

५--श्री जिया लाल दूधवाला।

*४७--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि बस उलटने का क्या कारण था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--एक साइकिल सवार दूध वाले के बीच सड़क पर बस के सामने आ जाने के कारण ड्राइवर को बस बाईं ओर जरूरत से ज्यादा मोड़नी पड़ी जहां गड्ढे थे और जिस के कारण बस उलट गई।

*४८--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि घायलों के उपचार की कोई व्यवस्था की गई ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, घायलों के उपचार की व्यवस्था तुरन्त ही डा० हरिश्चन्द्र गुप्ता, दयाल धर्मार्थ चिकित्सालय, कृष्ण नगर, चकेरी द्वारा की गई।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बस नीचे गिरकर उलट गई उसको कुछ क्षति भी पहुंची है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई सूचना नहीं है। कोई विशेष क्षति नहीं हुई, वहीं दुरुस्त करा ली गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यातायात मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घायलों के उपचार में सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत है ? रुपये की जरूरत नहीं हुई क्योंकि धर्मार्थ औषधालय था वहां चिकित्सा करा दी गई।

मेरठ व बुलन्दशहर कलेक्टरेट में पेड एपरेंटिसों की नियुक्ति

*४९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बतायेगी कि मेरठ व बुलन्दशहर जिलों में पेड एपरेंटिसों की नियुक्ति कब से नहीं की गई है और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५० के पश्चात् मेरठ तथा बुलन्दशहर क्लेक्ट्रेट में पेड अप्रेंटिसेज (Paid-Apprentices) की नियुक्तियां नहीं की गई हैं, क्योंकि इस पद पर प्रदेश के सभी जिलाधीशों के कार्यालयों में नियुक्तियां १९५१ से ५ वर्ष के लिये बन्द कर दी गई हैं ताकि सेटिलमेंट (Settlement) और पार्टीशन (Partition) के भूतपूर्व कर्मचारी और आनरेरी मजिस्ट्रेट (Honrary Magistrates) की अदालतों के कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट में स्थायी रूप से रखा जा सके। परन्तु बुलन्दशहर कलेक्ट्रेट में १९५४ में गवर्नमेंट के आदेश से एक ऐसे पेड अप्रेंटिस (Paid-Apprentice) की नियुक्ति की गई थी, जो १९४९ में पेड अप्रेंटिस (Paid-Apprentice) के पद पर नियुक्त करने के लिये चुन लिया गया था।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि जो नियुक्तियां मंत्री जी ने बताईं उसके अतिरिक्त भी कुछ कर्मचारी लिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, यह सही नहीं मालूम होता है, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*५०-५१—श्री रामहेतसिंह [१० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

कन्सालिडेटर्स ट्रेनिंग स्कूल का रामपुर से मेरठ तथा कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल का हरदोई से रामपुर स्थानान्तरित किया जाना

*५२—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कन्सालिडेटर्स ट्रेनिंग स्कूल रामपुर से मेरठ ले जाया जा रहा है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, कन्सालिडेटर्स ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर तीन महीने के लिये खोला गया था और अब बन्द कर दिया गया है।

*५३—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल हरदोई से स्थानान्तरित कर रामपुर भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—स्थानाभाव के कारण कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल को गत मई/ जून, १९५५ से हरदोई से रामपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

*५४—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—इन स्कूलों के हटाने के संबंध में सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस स्कूल के स्थानान्तरण में सरकार को ७,७०० रुपया व्यय करना पड़ा।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर में जो स्कूल बन्द कर दिया गया है क्या वह पुनः खोलने का विचार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो यदि जरूरत होगी तब खोला जायगा। अभी जरूरत नहीं समझी गई, इसलिये बन्द कर दिया गया।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई में यह स्कूल कितने वर्षों से चल रहा है और किस इमारत में चल रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--काफी दिनों से चल रहा है। एक सड़क के पास कोई इमारत थी उसमें चल रहा था।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या कृपा कर सरकार बतायेगी कि यह ७,००० रुपये का खर्च किस-किस में हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह फर्नीचर और सामान को ले जाने के संबंध में ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ है।

श्री शिवनारायण--क्या यह सही है कि कानूनगो की अधिकता होने के कारण सीनियर पटवारियों से यह काम लिया जा रहा है इसलिये सरकार ने इस ट्रेनिंग को बन्द कर दिया है?

श्री अध्यक्ष--इसमें बन्द करने का सवाल नहीं उठता है।

लेखपाल तथा पंचायतराज सेक्रेट्री का पद संयुक्त करने का प्रश्न

*५५--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह लेखपाल और पंचायत सक्रेट्री के पद संयुक्त करने जा रही है? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू होगी?

श्री चरणसिंह--लेखपाल और पंचायत सेक्रेट्री का पद संयुक्त करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

*५६--श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)--[इस प्रश्न का उत्तर ७ सितम्बर, १९५५ को प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत दिया गया।]

*५७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[इस प्रश्न का उत्तर २५ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत दिया गया।]

*५८--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--[इस प्रश्न का उत्तर २४ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत दिया गया।]

ग्रामों में गोचर भूमि संबंधी नियम

*५९--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने हर एक ग्राम में गोचर भूमि छोड़े जाने के संबंध में कोई नियम बनाये हैं? यदि हां, तो क्या?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, इस संबंध में जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-क के अन्तर्गत प्रसारित शासकीय आदेशों का उल्लेख गांव समाज मैनुअल के ३७वें परिच्छेद में किया हुआ है उसके अनुसार प्रत्येक गांव की गैरमजरूआ भूमि का एक निश्चित भाग योजना के अनुसार उपयोग के लिये जिसमें गोचर भूमि भी शामिल है, सुरक्षित कर दिया गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त नियम का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा कोई पता नहीं है। अगर माननीय सदस्य ऐसी मिसाल देंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री रामहेतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त नियम के अनुसार ग्राम समाजों को काफी दिन मुकदमा लड़ना पड़ता है और उसमें वह कामयाब नहीं होती?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ५५ श्री उमाशंकर ने पूछा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो कानून की बात है। कानून के अनुसार जो कार्यवाही करनी पड़ती है वह की जाती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस संबंध में कोई आंकड़े इकट्ठा कर रही है कि कितने ग्राम समाजों में गोचर भूमि की व्यवस्था हो गयी?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी कोई आंकड़े इकट्ठा नहीं हुये हैं।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में गोचर भूमि नहीं है कानूनन उनको दिक्कत पड़ती है तो उसके लिये सरकार उनको क्या सुविधा देने जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसे गांवों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्तिगत काश्तकारों के पास जमीन है उनसे जमीन छुड़ाना गोचर भूमि के लिये जरा ठीक नहीं मालूम होता है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट और तहसीलदार को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि जब वह दौरे पर जायं तो गांव समाज अगर उनसे गोचर-भूमि के लिए प्रार्थना करे तो उसकी कार्यवाही वह वहीं तत्काल कर दें और उन गांव समाजों का अधिकार दिला दें?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वहां जो अधिकारी दौरे पर जाते हैं उनका यह काम है कि वहां पर जो शिकायतें हों उनको रफा करें।

*६०-६१--श्री रामहेतसिंह--[१९ सितम्बर, १९५५ के प्रश्न संख्या ५७-५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सासनी (अलीगढ़) में बस स्टैण्ड के लिये पक्की इमारत

*६२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सासनी (अलीगढ़) रोडवेज स्टेशन पर धूप, वर्षा तथा तेज लू से बचने का कोई साधन नहीं हैं? क्या इस स्थान पर भी रोडवेज स्टेशन की पक्की इमारत बनाने की योजना विचाराधीन है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, आज कोई साधन नहीं है। परन्तु सासनी में बस स्टैंड बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से पक्की इमारत बनाने के संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस भमि का मालिक कौन है, और इस भमि को प्राप्त करने के लिये क्या चेष्टा की जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह भूमि पहले तो जमींदारों की थी, लेकिन अब माल विभाग में आ गयी है। इसलिये माल विभाग से ली जा रही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजकल वर्षा और धूप से बचने के लिये साधन जुटाने का कब तक मौका मिल सकेगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जल्द से जल्द कोशिश की जायगी कि यह हो जाय।

फतेहपुर जिले के कैनाल अमीनों का कलेक्शन अमीनों में परिवर्तन

*६३—श्री अनन्तस्वरूपसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में जो कैनाल अमीन (Canal Amins) अब कलेक्शन अमीन (Collection Amins) बना दिये गये हैं उनकी सर्विस (Service) तब से मानी जा रही है जब से वह कैनाल अमीन (Canal Amins) नियुक्त हुये थे या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। कैनाल अमीन जो कलेक्शन अमीन बना दिये गये थे उनकी सर्विस उस दिन से मानी गई है जिस दिन से वह कलेक्शन अमीन नियुक्त हुये थे।

*६४—श्री अनन्तस्वरूपसिंह—क्या सरकार को यह विदित है कि सिवाय २ अमीनों के और किसी को जिले में अभी तक उस समय का जब वे कैनाल अमीन (Canal Amins) थे इन्क्रीमेंट (increment) नहीं मिल पाया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—फतेहपुर जिले में भूतपूर्व कैनाल के अमीनों में से केवल एक ही अमीन अपनी सर्विस के आधार पर सालाना तरक्की पाने का हकदार है। उसकी तरक्की की बकाया रकम मंजूर होने पर शीघ्र ही दे दी जायगी। जिन दो अमीनों की सालाना तरक्की कैनाल की सर्विस में कलेक्शन की सर्विस सम्मिलित करके गलती से स्वीकृत हो गई है, वह रद्द कर दी जायगी और उनको जो अधिक वेतन मिल चुका है उसकी वसूली की कार्यवाही की जायगी।

'सी' क्लास रूटों पर सरकारी बसें

*६५—श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 'सी' क्लास रूटों पर भी रोडवेज सरकारी बसें चलाने का निश्चय उसने किया है ?

श्री चरणसिंह—रोडवेज की बसों को "सी" क्लास रूट पर चलाने की कोई रोक नहीं है इसलिये सरकार के निश्चय का प्रश्न नहीं उठता।

*६६—श्री देवमूर्ति राम—क्या जमानियां से बनारस वाया धानापुर, कमालपुर, सकलडीह, चन्दौली और मुगलसराय रूट जो "सी" क्लास की है, मोटर वेहिकिल ऐक्ट सन् ५१ के अन्तर्गत नोटीफाइड की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

प्रदेश में गाय तथा भैंस के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक व्यय

*६७—श्री श्रीचन्द्र—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गाय भैंस के जो कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र खोले गये हैं (जिसकी सूचना ता० २०-९-५४ के प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में नहीं दी गई थी) उन में प्रत्येक केंद्र का व्यय आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक १९५२-५३ और १९५३-५४ में क्या-क्या था और इन वर्षों में इन केंद्रों में कितना कार्य किया गया और उसमें क्या सफलता मिली ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस संबंध में विस्तृत सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६ पर)

श्री श्रीचन्द्र—क्या इन १६ केंद्रों के अतिरिक्त और जगह केंद्र खोलने का सरकार निकट भविष्य में विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह—अगली पंचवर्षीय योजना में कुछ खोलने जा रहे हैं परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि कहां पर खोले जावेंगे।

तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर की खरीफ १३६२ फसली की मालगुज़ारी तथा उसकी वसूली

*६८—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला सुल्तानपुर की अमेठी तहसील की खरीफ १३६२ फसली की मालगुजारी कितनी थी और कुल कितनी वसूल की गई है?

श्री चरणसिंह—तहसील अमेठी जिला सुल्तानपुर की खरीफ १३६२ फ० की मालगुजारी ४,२६,३८४ रु० १२ आ० ६ पा० थी और ४,७६,७०८ रु० ११ आ० ६ पा० मालगुजारी वसूल हुई।

*६९—श्री रणंजयसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त अमेठी तहसील में बहुत से किसानों से खरीफ में ही रबी की मालगुजारी भी वसूल कर डाली गई है?

श्री चरणसिंह—तहसील अमेठी के केवल उन्हीं खातेदारों से रबी की मालगुजारी ली गई, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपने छोटे खातों को खरीफ में ही बेबाक करना ठीक समझा।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में बस स्टेशन बनाने के लिये उपयुक्त स्थान

१—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में बस स्टेशन बनाने के लिये कौन स्थान निश्चित किया गया?

श्री चरणसिंह—जौनपुर में बस स्टेशन बनाने के लिये जेल के निकट स्थान निश्चित किया गया है।

२—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन सुविधाओं को देखते हुये बस स्टेशन बनाया जायेगा?

श्री चरणसिंह—यह स्थान कचेहरी के निकट है। इसके अतिरिक्त कोई और भूमि बस स्टेशन के लिये उचित नहीं मालूम पड़ी।

३-५—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[२६ सितम्बर, १६५५ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में पशु-चिकित्सालय

६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में चौपायों का अस्पताल कब तक खुल जायेगा?

श्री हुकुमसिंह—मड़ियाहूं में पशु-चिकित्सालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। आर्थिक कठिनाइयों तथा पशु-चिकित्सकों की कमी के कारण ही अभी तक चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं हो सका है। चिकित्सालय कब तक खुल जायेगा यह ठीक से नहीं कहा जा सकता।

जौनपुर जिले में मुख्य मंत्री फंड के रुपये का वितरण

७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जौनपुर जिले में १६५३ ई० में बाढ़-पीड़ितों की सहायतार्थ मुख्य मंत्री फंड से जो २,५०० रु० माननीय शिक्षा मन्त्री को दिया गया था क्या सरकार उस के वितरण की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी कि वह रुपया किसको-किसको वितरित किया गया?

नोट—तारांकित प्रश्न ६८-६९ राजा वीरेंद्रशाह ने पूछे।

श्री हुकुमसिंह--इस प्रश्न का उत्तर श्री रामेश्वर लाल जी द्वारा पूछे गये प्रश्न क उत्तर में ८वें सोमवार को दिया जा चुका है और सरकार अधिक तफसील में जाना उचित नहीं समझती है क्योंकि यह रुपया सरकारी फंड का नहीं था।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब पर आपत्ति

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले मंगलवार को माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछे थे कि जिला गोरखपुर में ४ आदमियों की भूख से मृत्यु हो गई है। मैंने उस समय निश्चित कर दिया था कि शुक्रवार तक जवाब आ जाना चाहिये। आपने कहा था कि काम रोको प्रस्ताव न हो कर अल्पसूचित प्रश्न रखे जावें।

श्री अध्यक्ष--उसकी मुझे तहक़ीक़ात करनी होगी। आप मेरे कमरे में आ जावें।

†उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स के पुनरीक्षित नियम ३-२६

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ८५ (२) के अनुसार पंचायतों के चुनावों से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स के पुनरीक्षित रूल्स ३ से २६ तक, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इन नियमों को सदन की मेज पर रखने के पहले ही लागू कर दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायतों के चुनाव की तिथियां इन नियमों के आधार पर घोषित कर दी गई हैं। मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार का यह कार्य बिना पहले नियमों को सदन की मेज पर रखे, कहां तक उचित है।

श्री अध्यक्ष--आप मुझे ऐसा नियम बतावें जिसके अनुसार सरकार लागू नहीं कर सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इसके लिये समय चाहता हूं। तब तक के लिये आप वादविवाद रोक दें।

श्री अध्यक्ष--वादविवाद तो बाद में ही होगा।

*उत्तर प्रदेश सरकार के लेखों पर लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५४

वित्त मन्त्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भारत संविधान के अनुच्छेद १५१ (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के लेखों पर लेखापरीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५४ का भाग १, सदन की मेज पर रखता हूं।

†उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में कृत संशोधन

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ (४) के अनुसार माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२१४/१--अ--१०५६--५४, दिनांक ६ अप्रैल, १९५५, को जिससे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

---

* छापी नहीं गयी।

† छापे नहीं गये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, २५ जुलाई को भी सरकार ने कुछ संशोधन किये हैं। नियम के अनुसार १४ दिन पहले वे सदन में आ जाने चाहियें। तो उन्हें भी क्यों नहीं सदन में रख दिया जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मुझे पूरी इत्तिला नहीं है, लेकिन वह बाद में भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से शायद तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--जो नियमों में संशोधन हुआ है वह सदन के सामने आ जाना चाहिये और एक साथ ही सब नियमों पर विवाद हो जाय, तो अच्छा रहेगा। इसलिये शीघ्र ही आप (श्री चतुर्भुज शर्मा से) उन संशोधित नियमों को सदन में उपस्थित कर दें।

१९५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के सम्बन्ध में निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदानों पर, जिनके लिये मुख्य मंत्री ने ७ सितम्बर, १९५५ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में ५१,२१,५९२ रुपये की मांग उपस्थित कीं, मतदान, इसके सम्बन्ध में.........

बनारस में २ नाव के डूबने के संबंध में सूचना

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, उस दिन आपने मुझे आज्ञा दी थी कि २ नावें जो डूब गयी हैं उनके बारे में कुछ बयान सदन के सामने पेश करूं, तो वह किस समय होगा?

श्री अध्यक्ष--नावों के बारे में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस दिन श्री राजनारायण ने नावों के बारे में कुछ कहा था और आप ने आदेश दिया था कि मैं उस सूचना को अगले दिन पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब तो कार्य आरम्भ हो गया है, कल आप उस सूचना को दे दें।

अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष--नियमों के सम्बन्ध में मैं यहां कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं क्योंकि यह ऐक्सेस ग्रान्ट है और पहली ही मर्तबा सदन के सामने आयी है। तो इस सदन में इसके सम्बन्ध में क्या प्रथा होनी चाहिये, मैं यह चाहता था कि मैं इसके ऊपर विचार कर लूं और सदन को इसके विषय में बता दूं कि इसके ऊपर आम बहस होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये, यह प्रश्न मेरे सामने था। मैं सब जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो यह अनुदान होता है, इसमें जो खर्चा होता है वह उन्हीं विषयों पर होता है जिनकी मंजूरी सदन पहले सालाना बजट के समय दे देता है। उस पर अधिक खर्चा हुआ तो उतनी ही सीमा तक वह हमारे सामने आता है क्योंकि किसी नयी नीति से इसका सम्बन्ध नहीं है। फिर भी उस में एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या अतिरिक्त अनुदानों को अलहदा-अलहदा पेश होना चाहिये और उसमें जितना खर्च हुआ है वह अलग-अलग पेश होना चाहिये यदि ऐसा भिन्न-भिन्न समयों में किया जाय तो सदन का बहुत समय खर्च होगा। यदि एक साथ अनुदान एक ही समय में पेश होगा जैसे कि एक साथ मुख्य मंत्री जी ने पेश किये हैं तो लोगों को यह मौका मिलना चाहिये कि वे पूरे अनुदान पर टीका कर सकें, ये बातें मेरे दिल में आयीं। अगर यह मौका नहीं मिलता है तो फिर हरएक मंत्री को अपने-अपने विभाग का अनुदान अलग-अलग पहले से पेश कर देना चाहिये था। ऐसी अवस्था में मैंने यह उचित समझा कि मैं स्वयं इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त प्रथा निश्चित करूं यह अच्छा होगा। और

नियम १५७ में मुझे यह अधिकार भी है। सालाना बजट के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हो, सालाना वाद-विवाद में तो यह आवश्यक है कि आम बहस हो, लेकिन सप्लीमेंटरी बजट और एक्सेस ग्रान्ट (पूरक अनुदान और जो अधिक खर्चा हो जाता है, उसका अनुदान) के संबंध में नियमों में परिवर्तन कर के कोई भिन्न प्रथा नियम १५७ के अनुसार मैं कायम कर सकता हूं। सप्लीमेंट्री बजट में बहस इस सदन में भी होती है और विधान परिषद् में भी होती है। उसमें यह होता है कि खर्चा का अन्दाजा लगाया जाता है, और अगर अधिक खर्चा होता है या अधिक खर्च की संभावना हो या कोई नयी सर्विस कायम करना हो और उसके लिये गवर्नमेंट ने खर्चा मांगा हो तो उस में नीति का सवाल पैदा हो जाता है। यही कारण है कि संविधान में यह दिया है कि पूरक अनुदान विधान परिषद् में भी बहस के लिये रखा जाय जिसमें परिषद् को बहस करने का मौका मिले। अतः सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के सम्बन्ध में यह प्रथा पड़ गयी है कि उस पर आम बहस भी होगी, फिर अनुदान के ऊपर मत केवल विधान सभा में लिये जायंगे। इसमें अतिरिक्त अनुदानों के विषय में संविधान में दिया हुआ है कि वह केवल लेजिस्लेटिव असेम्बली में आयेगा, इससे जरूर यह मंशा मालूम होती है कि आम बहस संविधान में इंगित नहीं है, क्योंकि नीति का सवाल पैदा नहीं होता लेकिन जहां तक सदन के सदस्यों का यह अधिकार कि उन्हें आम नजर पूरे अनुदानों पर डालने का मौका मिलना चाहिये और टीका करने का मौका होना चाहिये। मैंने यह उचित समझा कि मैं वह मौका जिस वक्त विनियमन विधेयक आयेगा उस वक्त थोड़ा सा मौका दे दूंगा। लेकिन इतना परिवर्तन अतिरिक्त अनुदानों के विषय में कर देना चाहता हूं कि आम बहस प्रारम्भ में न हो। एक-एक माननीय मंत्री अपनी ग्रान्ट पेश करें और उसके ऊपर थोड़ी सी बहस हो कर, मत लेकर फैसला हो जायगा। जब विनियमन विधेयक आयेगा उस के ऊपर मैं संक्षेप में थोड़ी आम बहस करने की इजाजत दे दूंगा। मैं समझता हूं कि यह एक उचित प्रथा होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जो आपने यह व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है, लेकिन इसमें कोई कटमोशन वगैरह प्रस्तुत करने की आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी है, फाइनेंस विभाग से, पहले भी इस कांस्टीट्यूशन के लागू होने के पहले भी इस प्रकार का कोई विवाद सदन में सन् १९३० के लगभग या कभी हुआ है, तो मैंने चेष्टा इस बात की कि जो इस सम्बन्ध में उस समय विवाद हुआ वह देखा जा सके, लेकिन कार्यालय बन्द होने के कारण वह उपलब्ध नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि हम इस पर कोई कटमोशन पेश कर सकें, इस सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था करने की आप कृपा करें। विशेष रूप से जो नियम १५७ में लिखा है एक्सेस ग्रान्ट के मामले में नियम १५०, १५१, १५२ और १५३ लागू हो सकता है। इस व्यवस्था को देखते हुये आप नीति निर्धारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री जी कटमोशन के सम्बन्ध में आपको कहना है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--कटमोशन इसमें हो सकता है या नहीं, इस बात को छोड़ कर मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। अगर कोई मोशन पेश करेगा तो वह सामने रखा जायगा कि फलां अनुदान के अन्दर जो इतना ज्यादा खर्च हुआ है उस की इजाजत दी जाय। अगर उस में कटमोशन रखा जायगा तो उसमें बहस क्या होगी सिवा इसके कि इतना ज्यादा क्यों खर्च किया गया ? तो इस चीज को जो कहना चाहेगा वह तो कहेगा ही, लेकिन जो रुपया खर्च हो चुका है उस में १ रुपया या १०० रु० या ५०० रु० कम करने का कटमोशन रखना, यह इनकंसिस्टेंट होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--गलत क्यों खर्च किया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो आप जितना चाहेंगे कह सकेंगे क्योंकि खर्च हुआ या गलत खर्च हुआ, लेकिन जो कहना है वह तो बगैर कटमोशन के रक्खे हुये भी कहा जा सकता है जब कि मोशन आपके सामने आवेगा। इसलिये कटमोशन का कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सफ़ाई और चाहता हूं कि जिस समय कोई माननीय मंत्री अपना कोई आइटम रखे, जैसे स्टाम्प वाला है, उसको रेगुलराइज करने के लिये इस सदन की इजाजत मांगे तो क्या उस पर जनरल विवाद हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने अभी बतलाया कि सारी बहस एक्सेस ग्रांट जब आये तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—एक-एक के ऊपर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप विरोध करेंगे, विरोध का अधिकार तो है ही। जहां तक इस वक्त जो कटमोशन का प्रश्न सामने है, इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि क्या आप कोई उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं जिसमें ऐक्सेस ग्रान्ट के ऊपर किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में या लोक सभा में या किसी अन्य विधान सभा में इसके ऊपर कटमोशन लाया गया हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि परसों ही अकस्मात् हमारे सामने ऐक्सेस ग्रांट के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव आया तो इस सम्बन्ध में कोई किताब उपलब्ध नहीं हो सकी इसलिये मैं कोई उदाहरण अभी देने में असमर्थ हूं। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि यह ऐक्सेस ग्रान्ट का मौक़ा इसलिये आया कि पूरक अनुदान सदन के सामने नहीं लाया जा सका। अगर पूरक अनुदान सदन के सामने आया होता तो ऐक्सेस ग्रान्ट की मांग पेश करने की नौबत न आती। गलती विभाग की ओर से हुई कि उन्होंने पूरक अनुदान की मंजूरी नहीं ली। पूरक अनुदान के ऊपर हम कटमोशन पेश कर सकते थे, उसी तरीके के अनुसार यह सिद्ध है कि जो पूरक अनुदान इसका आता तो हम कटमोशन कर सकते तो आज वह पूरक अनुदान न आ कर एक्सेस ग्रान्ट के लिये वह आइटम आ रहा है और उस पर अगर हम कटमोशन प्रस्तुत न कर सकें तो यह विडम्बना का प्रश्न है, जब पूरक अनुदान लिये जाते हैं तब तो कटमोशन आवश्यक होते हैं और पार्लियामेन्टरी सिस्टम के अनुसार यह आवश्यक है और नियम १५४ के अनुसार हमें ग्रान्ट बढ़ाने का अधिकार नहीं है लेकिन उसको कम करने या समाप्त करने का अधिकार है इस लिये मैं श्रीमन्, आप से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हमें कटमोशन पेश करने का अधिकार अवश्य दें।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के साथ सहमत हूं। आज प्रश्न यह है कि सरकार एक्सेज एक्सपेंडीचर के लिये हमारी रजामन्दी मांग रही है, यह दूसरी बात है कि हम आज उसकी सैंक्शन न दें और सरकार को इस खर्च के लिये रेस्पान्सिबिल कहें और इस प्रश्न को न लिया जाय लेकिन जिस प्रकार बजट के समय या सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स के समय वह हमसे रुपया मांगते हैं उसी प्रकार जो रुपया खर्च हो चुका है उस के लिये वह सैंक्शन मांग रहे हैं तो यह भी वही हुआ कि हम से वह पैसा मांग रहे हैं। ऐसी हालत में हमारा अधिकार होना चाहिये कि हम कारणों में जायं और सरकार का ध्यान दिलायें कि कितना दिया जाय या कम दिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि कटमोशन मूव करने का अधिकार होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, जहां तक ऐक्सेस ग्रान्ट्स का मामला है, वह जो ज्यादा खर्च हो जाता है, आडिटर्स उसकी जांच कर के बताते हैं और जो रिपोर्ट तैयार होती है वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जाती है, वहां कंसिडरेशन होता है और वह बताते हैं कि फलां-फलां खर्च को हाउस में ले जाया जाय और उसकी मंजूरी ली जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां जो यह खर्च आता है वह एक हाउस की बनायी हुई कमेटी की स्क्रूटिनी के बाद आता है और उसके भेजने का मक़सद ही यह है कि उस की लेजिस्लेचर से मंजूरी ली जाय। अब सवाल यह है कि या तो यहां के किसी कायदे में उस का प्राविजन हो या अगर वह नहीं है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की

जो प्रेक्टिस इस मुताल्लिक़ है उस से यह बात निकलती हो कि वहां इस एक्सेज ग्राण्ट्स पर भी कटमोशन और मुबाहिसा होता है, तब यहां भी हो सकता है। मैंने इस सबजेक्ट पर मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस को पढ़ा था कि एक्सेज ग्राण्ट्स पर क्या बहस का तरीका हो और क्या क्या बातें आती हैं और चूंकि वह एक निगेटिव बात है मैं उसको निकाल कर सुना नहीं सकता, यह तो उनको बताना चाहिये कि वहां होता है। जनाब बालेन्दुशाह साहब ने फरमाया कि बजट या सप्लीमेंटरी बजट के वक्त हमसे जिस तरीके से रुपया मांगा गया था उसी तरीके से हमसे यह एक्सेज खर्च का रुपया मांगा जा रहा है, चाहे वह खर्च अब हो चुका है। लिहाजा वह सब बातें जो बजट के वक्त एप्लाई करती हैं वह सब यहां भी एप्लाई की जायं। लेकिन उनको समझना चाहिये कि जो डिमांण्ड्स होती हैं और उन में जो सरकार की इनहेरेण्ट पालिसी होती है उस पर यहां बहस होती है और लेजिस्लेचर को उसको मंजूर या नामंजूर करने का हक़ है। अब फर्ज़ कीजिये, मैं इस वक्त जरा देर को गलत बनता हूं चाहे मैं बाद को बेकसूर साबित हो जाऊं, लेकिन मैं इस वक्त अपने को कसूरवार करार देता हूं। मान लीजिये कि १ लाख रुपया यह हाउस मंजूर करता है, लेकिन मैंने उसमें १ लाख १० हज़ार रुपये खर्च कर दिये हैं। तो अब जो बहस हो सकती है कि १० हजार रुपया ज्यादा क्यों खर्च कर दिये कोई और क्वेश्चन उठता नहीं। इसलिये इस पर कटमोशन उठने का सवाल नहीं है। जनाब ने इरशाद फरमाया है कि आम बहस हो सकती है, लेकिन जो रूल १८५ है उसकी इबारत के अन्दर सप्लीमेंटरी और एक्सेज ग्रांट का जिक्र है। उसके साथ-साथ यह अख्तियार दिया गया है कि अगर किसी चीज़ में किसी किस्म के माडीफ़िकेशन करने की जरूरत महसूस हो तो वह स्पीकर साहब कर सकते हैं। उसके माने यह हैं कि जो बहस सप्लीमेंटरी पर हो वहीं दूसरी चीज के मुताल्लिक़ न हो इसी को करने के लिये जनाब को अख्तियार दिया है। तो जो बातें हैं उससे यही जाहिर है कि जो मेरे दोस्त चाहते हैं वह मंजूर नहीं होना चाहिये।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि यदि कोई समझे कि यह कटमोशन जो हाउस में आते हैं चाहे बजट के वक्त या सप्लीमेंटरी के वक्त तो उसके माने यह है कि इस वक्त भी आ सकें तो इस जगह पर किसी कटमोशन की गुंजायश नहीं है। और बजट के वक्त या सप्लीमेंटरी के वक्त कटमोशन किये जाते हैं तो उसके माने यही होते हैं कि जो रक़म मांगी जा रही है, उसमें से रुपया कम खर्च किया जाय और उसके मतलब यही होते हैं कि जो प्रिंसिपल्स आफ पालिसी है उसको जेरे बहस लाना होता है, एमाउन्ट आफ मनी पर कोई एतराज नहीं होता, बल्कि प्रिंसिपल्स आफ पालिसी पर होता है, लेकिन इस वक्त जो मामला है वह यही है कि जो मैटर आफ पालिसी है वह इसमें बहुत ज्यादा नहीं आती है। बल्कि जो रकम बजट में मंजूर थी, कुछ रकम उससे ज्यादा खर्च हो गई। तो अब महज देखना यह है कि जो रक़म खर्च हो गई वह मुनासिब है या गैर मुनासिब है या कितनी मुनासिब है और कितनी गैरमुनासिब है। तो अगर इसमें किसी कटमोशन को ले लिया जाय तो वह आ नहीं सकती, इसलिये कि यह रक़में सब खर्च हो चुकी हैं अब किसी को कम नहीं कर सकते। यह तो बाद को हाउस की इत्तिला के लिये जिस पर कमेटी में भी गौर हो चुका है हाउस के सामने लाया गया है। तो इस पर यह कहा जा सकता है कि यह क्यों खर्च हुआ, लेकिन इसमें किसी कटमोशन की जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय न्याय मंत्री जी ने यह मान कर बहस की कि यह ग्राण्ट सप्लीमेण्टरी ग्रांट्स की तरह से नहीं है और यह रुपया खर्च हो चुका है। श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स जब आते हैं तब कटमोशन्स की व्यवस्था होती है और रुपया खर्च होता है। बहुत से मामलों में जब रुपया खर्च हो चुकता है तब सप्लीमेंटरी उस खर्च को पूरा करने के लिये इस सदन के सामने पूरक अनुदान के रूप में उपस्थित किया जाता है। दूसरी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]
बात माननीय मंत्री जी कहते हैं कि रुपये खर्च हो गये तो अगर सदन इस को आउटवोट कर दे तो माननीय मंत्री जी पर एक प्रकार से अविश्वास हो जाता है। लेकिन यह अधिकार सदन को है और जो नियम सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स के लिये है वही इसके लिये भी अवश्य लागू होते हैं, क्योंकि यह भी रुपया खर्च हो चुकने के बाद प्रायः लाया गया है। इस लिये इसमें कटमोशन की व्यवस्था होना आवश्यक है। इसके बिना तो हम बहस ही नहीं कर सकते।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, जिस विधान के मुताबिक यह एक्सेज डिमाण्ड इस हाउस के सामने आया है उसके आर्टिकिल २०५ (१) (बी) में लिखा है :--

"The Governor shall, if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be.

(2) The provision of Articles 202, 203 and 204 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorizing the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made or the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure or grant."

सेक्शन २०२ और २०३ आप इसमें देखेंगे।

"So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates.

"So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the Legislative Assembly, and the Legislative Assembly shall have power to assent, (or) to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein."

जब ये सारी चीजें इस पर लागू होने की हैं तो यह जरूरी है कि हम कटमोशन भी पेश कर सकते हैं। जैसा माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि सप्लीमेंट्री डिमांड में जब मांगते हैं, उससे पहले खर्च कर चुके होते हैं, इससे मैं सहमत नहीं।

माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने ठीक कहा कि मांग वह खर्च नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हमारी कांसिलिडेटेड फण्ड से एक पाई भी खर्च नहीं कर सकती बिना लेजिस्लेचर की इजाज़त के। लेजिस्लेचर अगर किसी कारण मीट नहीं कर सकता तो कांस्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जिसके अनुसार एक कांटिन्जेंसी फण्ड क्रियेट होता है और वह गवर्नर के डिस्पोज़ल पर होता है। अगर लेजिस्लेचर मीट नहीं कर सकता है तो फिर सरकार कांटिन्जेंसी फण्ड से रुपया मांग कर खर्च कर सकती है। खर्च करने के बाद उस रुपये को फिर हाउस के सामने लाया जाता है। सरकार उस रुपये को हाउस से पास कराती है और फिर उस रुपये को कांटिन्जेंसी फण्ड में वापस रक्खा जाता है। यह इतना बड़ा कांस्टीट्यूशन ब्रीच है कि हमारे सारे अधिकारों का इसमें अपहरण हो जाता है और यह एक प्रकार से एम्बेजिलमेंट है।

श्री अध्यक्ष--शब्द आप उचित उपयोग में नहीं ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एम्बेजिलमेंट शब्द आप वापस ले लें। यह अनपार्लियामेंटरी है। मजाक की बात दूसरी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं वापस लेता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहने जा रहा था कि यह उसी तरह है कि कोई शख्स धरोहर रखता है और वह उसे उठा देता है, तो उसे क्या कहा जायगा ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाबवाला, आपकी तवज्जह जरा इस पर दिलाना चाहता हूं। समझा यह जा रहा है और नतीजा यह निकाला जा रहा है कि एक्सेस ग्राण्ट्स जो हैं उसी तरीके से ट्रीट होंगी, जिस तरीके से और ग्राण्ट्स ट्रीट होती हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने एक चीज़ पढ़ने से छोड़ दी जो कि बड़े मोटे लट्ठे के रूप में इस कांस्टीट्यूशन में रक्खी हुई है और इससे पहले रक्खी हुई है। सेक्शन २०५ का बी जो है, वह इस प्रकार है :--

"If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be."

इसमें इबारत आखिरी जो है यह कहती है कि यह जो एक्सेस ग्राण्ट होगी उसको सिर्फ असेम्बली के अन्दर पेश किया जायगा और अपर चेम्बर जो है उसके अन्दर पेश नहीं किया जायगा। क्यों नहीं किया जायगा, साफ बात है कि अपर चेम्बर में जनरल डिस्कशन हो सकता है। जनरल डिस्कशन अगर इसका कराना होता कांस्टिट्यूशन बनाने वालों को एक्सेस ग्राण्ट्स का तो अपर चेम्बर को अख्तियार दिया जाता कि वहां उसके सामने इसको रक्खा जाय और जनरल डिस्कशन हो, लेकिन इसमें लिखा है कि सिर्फ असेम्बली में इसको ले जाया जायगा और अपर चेम्बर में नहीं ले जाया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, यह सारा मैंने पढ़ा था।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह था कि आम बहस इस पर हो या न हो इस पर जो फैसला मैंने दिया उसको नारायण दत्त तिवारी जी ने स्वीकार किया और वह तो उन्हें भी मंजूर है। लेकिन कटमोशन का सवाल और आम बहस का सवाल पृथक है। इसमें कोई शक नहीं कि वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स या बजट सालाना जो पेश होता है तो बजट के एस्टिमेट्स और एक्सेस ग्राण्ट्स में इसमें अन्तर इस विषय में है कि आम बहस हो या न हो।

श्री अध्यक्ष]

यह संविधान में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। लेकिन ग्रान्ट्स मंजूर हों या न हों इस संबंध में सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह उन्हें पूरे तौर से मंजूर करे या उनमें से कम रकम मंजूर करे, इसके विषय में मैं समझता हूं कि कोई मतभेद नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि कौन सी प्रथा ठीक होगी। इस सदन के सामने कटमोशन का तरीका रक्खा जाय या न रक्खा जाय यही प्रश्न है। जहां तक सिद्धांत का सवाल है इस सदन को कोई रोक नहीं सकता कि उससे जितनी ग्रान्ट मांगी गयी है उससे कम मंजूर करे और चूंकि खर्च हो चुकी है उससे फिर यह नतीजा निकले कि गवर्नमेंट पर अविश्वास प्रकट होता हो और सरकार रिडक्शन मंजूर नहीं करती तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़े—ये सब बातें दूसरी हैं—लेकिन इस सदन का अधिकार इस सम्बन्ध में हट नहीं सकता। इस विषय में एक कार्यवाही लेजिस्लेटिव कौंसिल की है और १८ दिसम्बर, १९३१ की है उसको पढ़े देता हूं। इसमें सी० वाई० चिन्तामणि यह कहते हैं:—

"I wish to make one general observation that if we vote for this sum and do not move any reduction or do anything of that kind, it is not because we are satisfied that in every case excess was inevitable but because no useful purpose would be served in moving rejection as the expediture was already incurred."

इस पर फायनेन्स मिनिस्टर जवाब देते हैं:

"Sir, reply to what my honourable friend has said, I can assure him that there is nothing whatever to prevent him moving a reduction. The results, were it carried, would probably be unpleasant to somebody or other, but still it is clearly within the competence of the House to move it. I only make that plain as it does to seem to be realized. For the rest, all I have to say is that, right or wrong, these have been recommended to the Council by the Public Accounts Committee, which is a standing committee of this House."

इन विचारों से मैं सहमत हूं सदन का यह अधिकार है कि पूरी ग्राण्ट को वह मंजूर कर सकता है और उसमें कटमोशन न मूव करे, पूरे अनुदान का विरोध करे तो वह दूसरा तरीका भी हो सकता है और तीसरा कम रकम मंजूर करने का हो सकता है। उदाहरणार्थ १० हजार रुपये की मांग हो तो सदन यह कह सकता है कि ५ हजार रुपया हम वाजिब समझते हैं और ५ हजार रुपया वाजिब नहीं समझते। इसलिये हम सिर्फ ५ हजार ही मंजूर कर सकते हैं और बाक़ी नामंजूर करते हैं। इसी तरीके की एक और भी रूलिंग है केन्द्रीय लेजिस्लेचर के प्रेसीडेंट की। श्री सत्यमूर्ति जी ने १९३५ में यह सवाल उठाया था कि इस प्रकार के अनुदानों का स्कोप आफ डिस्कशन क्या होना चाहिये। प्रेसीडेंट सर अबदुर्रहीम ने यह कहा:—

"Is there any difference in that respect between supplementary grants and excess grants? I have looked up the Parliamentary procedure and I do not find that there is any distinction as regards the scope of discussion so far as supplementary grants and excess grants are concerned."

जहां तक कटमोशन के सम्बन्ध में इस सदन के सदस्यों का अधिकार है उस विषय में मैं यह समझता हूं कि जब तक मुझे कोई दूसरा स्पष्ट नियम या संविधान की किसी धारा के द्वारा य ़ न बताया जाय कि कटमोशन नहीं आ सकता तब तक मैं यही निश्चित करता हूं कि रिडक्शन हो सकता है और रिडक्शन होने का मतलब यह है कि कटमोशन हो सकता है। टोकेन रिडक्शन जिस तरह नीति के सम्बन्ध में बजट के अनुदानों पर होता है। वह उसमें नहीं हो सकता। जैसे जनरल पालिसी किसी ग्रान्ट के अन्तर्गत डिस्कस करने के लिये बजट के समय एक रुपया की टोकन कटौती का प्रस्ताव दिया जाता है। इस तरह की चीज इसमें नहीं होगी। लेकिन जितनी ग्राण्ट है उससे कितनी सदन कम करना चाहता है, यह इस सदन को करने का अधिकार है। इस तरह का कटमोशन इस में आ सकता है। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अब आपने इजाजत दे ही दी। रिडक्शन करेंगे तो समय भी दिया जाना चाहिये मूव करने के लिये।

श्री अध्यक्ष--समय देने के लिये मैंने कुछ कहा नहीं। समय तो मिल चुका, पेश हुये कितने रोज हो चुके। आप रिज्क लेते और पेश कर देते।

१९५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या ४--स्टाम्प

मादककर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ४--स्टाम्प के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को २२,१५८ रु० की धनराशि दी जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन का जो अधिकार था वह हमें दिया है और हमें इस बात की इजाजत दी है कि हम जो एक्सेस डिमांड के लिये आज सदन के सामने यह मांग पेश की है, उसमें कटौती के प्रस्ताव भी रख सकते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि इस अनुदान के सम्बन्ध में कोई कटौती का प्रस्ताव रखकर उसमें कमी करूं। किन्तु सिद्धांततः जो डिमांड आज हमसे की गयी है उसके जनरल प्रिंसिपल पर कुछ बातचीत करना अवश्य चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--लेकिन आप को जनरल डिस्कशन नहीं करना है। या तो आप विरोध करें या समर्थन।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--विरोध तो कर ही रहा हूं और विरोध इसलिये कर रहा हूं--भाषा का जिक्र हमारे मंत्री जी ने किया, कोई दूसरा शब्द बतल दें तो उसी शब्द को इस्तेमाल करने लगूं क्योंकि इस सदन का अधिकार है और पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर दि फाइनेंसेज आफ दि स्टेट यह प्रजातंत्र के अन्दर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसीज पनप नहीं सकती है अगर लेजिस्लेचर का कंट्रोल फाइनेंसेज के ऊपर न हो।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। निवेदन यह है कि इस अनुदान में जो भी व्याख्या की गयी है, उसमें जो बातें लिखी गयी हैं उन्हीं के आधार

[श्री व्रज भूषण मिश्र]

पर बहस हो सकती है और उपाध्याय जी की बहस जनरल ट्रेंड ले रही है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष--अभी तो उन्होंने भाषण कुछ शुरू ही किया है। आम बहस कर रहे हैं या क्या चीज है यह पता अभी नहीं लगता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं तो अभी एक्सेस की परिभाषा सुना रहा हूं। आज हमारे सामने एक ऐसी मांग की जा रही है, जिसको खर्च कर लिया गया। विधान यह कहता है कि हमारी सरकार एक भी पैसा बिना इस सदन की मंजूरी के खर्च नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत है और आज हम से आप उस चीज की स्वीकृत मांगते हैं जो खर्च कर चुके हैं सन् १९५०-५१ में। सन् १९५०-५१ में खर्च करने के बाद आपको १९५१ या १९५ के अगस्त के महीने तक यह पता लग गया होगा कि हमारे बजट में कितना रुपया मंजूर था, उससे ज्यादा खर्च हो गया है। आज १९५०-५१ के बाद हमारे इस सदन से इस बात की मांग की जा रही है कि जो रुपया हमने खर्च कर लिया है वह हमें मंजूर कर दो। मैं समझता हूं कि यह कांस्टीट्यूशन की धाराओं की अवहेलना है और इसलिये मैं यह समझता हूं कि अगर आज तक कोई ऐसी चीज हो गयी है तो हो गयी, लेकिन आगे के लिये हमारा डिपार्टमेंट पर जबरदस्त कंट्रोल रहना चाहिये ताकि जो रुपया वह खर्च करें उसका संकशन इस सदन से पहले ही ले लिया जाया करे। इस कांस्टीट्यूशन में, जैसा कि मैंने कहा, एक दफा ऐसी दी गयी है इसी बजट के लिये कि अगर किसी कारण से विधान सभा न मिल सके, पहले तो साल भर के अन्दर मार्च तक अगर सरकार खर्च करना चाहती है तो यह कोशिश होनी चाहिये कि विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाय और उससे मंजूरी ली जाय, लेकिन अगर किसी कारण से वह न बुलाया जा सके तो आर्टिकल २६८ में यह लिखा है कि एक कांटिजेंसी फंड क्रियेट होगा। उस कंटिंजेंसी फंड में कुछ रुपया जो हमारा कंसालिडेटेड फंड से उसमें रखा जायेगा वह गवर्नर महोदय के अंडर में रहेगा। अगर लेजिस्लेचर किसी कारण से मीट नहीं कर पायेगा तो गवर्नमेंट गवर्नर महोदय को एक दरख्वास्त देगी और उन से यह कहेगी कि हम किसी कारण से लेजिस्लेचर को नहीं बुला सके हैं, आपके पास जो रुपया कंटिजेंसी फंड में पड़ा हुआ है उसमें से कुछ रुपया दे दीजिये और जिस समय हम लेजिस्लेचर को बुलायेंगे तो हमारा पहला काम यह होगा कि हम उस रुपये को लेजिस्लेचर से मंजूर करवा कर आपके फंड में आपका रुपया वापस जमा कर दें। जब हमारे कांस्टीट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकिल है तो कोई वजह नहीं है कि कोई भी मांग का रुपया जो हमारी सरकार ने खर्च किया है वह उन्होंने कांटिन्जेंसी फंड से क्यों नहीं ले लिया अभी तक। यह कांस्टीट्यूशनली गलत है और अगर वह खर्च करते हैं तो इसके माने यह होंगे कि इस साल जो रुपया हमारी बिना राय के सरकार खर्च कर दे, वह करोड़ों रुपया खर्च कर सकती है तो उसकी जांच चार, पांच साल बाद होगी, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स को तैयार करने में कन्ट्रोलर एन्ड आडीटर जनरल को बहुत टाइम लगता है और फिर यह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में जाते हैं और फिर........

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप सिर्फ जनरल बात कह रहे हैं। आप ग्रान्ट पर आ जाइये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं तो इस सिद्धांत पर कह रहा हूं। उन्होंने जो खर्च कर डाला मैं उस पर क्या कहूं।

श्री अध्यक्ष--जब बिल आयेगा उस समय उस पर आप आब्जर्वेशंस कर सकते हैं। यह तो जनरल आब्जर्वेशन्स हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जो उस डिपार्टमेंट में क्या खराबी थी, यह तो मैं कहना नहीं चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--अगर यह वाजिब है तो मानिये और गैरवाजिब है तो उसको बताइये कि क्यों ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं वाजिब है या गैरवाजिब है इस पर नहीं जा रहा हूं । मैं इस पर जा रहा हूं कि यह खर्च न हो ।

श्री अध्यक्ष--उसमें आपको वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री उसका जवाब देंगे जनरल पालिसी के बारे में ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इस पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं । मजबूरी थी उनको खर्च करने की और उन्होंने खर्च किया । जहां तक इस आइटम के बारे में है । लेकिन मैं कांस्टीट्यूशनली इसकी मुखालिफत करता हूं और जैसा कि आपने कहा जब यह बिल आयेगा तब मैं बोलूंगा और मैं उस समय इस सारे सवाल को लूंगा और मैं एक घंटा बोलूंगा क्योंकि यह सबसे पहली ग्रान्ट इसी प्रकार एक्सेस की आयी है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । (कुछ सदस्यों की ओर इशारा करके) हमारे माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं । अगर पढ़ते तो समझते कि यह कितने महत्व की चीज है और क्या इसकी महत्ता है । मैं डिमोक्रेसी में विश्वास करता हूं और इस सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहता हूं । इस सदन की जो पावर्स हैं उन पर बात करना चाहता हूं । और अगर इसके पावर्स पर कोई भी कोठाराघात करना चाहेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। हां माफी मांगें, जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, यह बात दूसरी है । लेकिन यह कह देना कि नहीं साहब हम खर्च भी कर सकते हैं, आप करोड़ों रुपया खर्च कर दीजिये और हाउस की परवाह न कीजिये तो यह डिक्टेटरशिप है । बहुमत के बल पर आप मनमानी करना चाहते हैं । तो यह तो एक तरह से डिक्टेटरशिप ही है । श्रीमन्, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसका बिल कब आयेगा, अगर आज ही आ जाय तब तो ठीक है । तब मैं कुछ कहूं ।

श्री अध्यक्ष--अनुदानों पर मतदान खत्म होते ही आज ही आजायगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--तो अध्यक्ष महोदय, जनरल डिस्कशन पर मैं बहस करूंगा ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर उपाध्याय जी ने स्पष्टीकरण को पढ़ा होता तो इतना अधिक बोलते की आवश्यकता न होती । सारे लेनदेन का हिसाब तो ऐसा होता ही है । बनिया भी जब पर्ची काटता है तो नीचे लिखा होता है कि भूल-चूक लेनी देनी । वही यहां पर भी है सीधासादा हिसाब है । उसमें न कोई व्याख्या की जरूरत है और न कोई गबन की बात, जैसा पहले माननीय उपाध्याय जी कह चुके हैं जिसको कि उन्होंने आपकी आज्ञा से वापस भी लिया । सीधी सी बात है १२ लाख के स्टाम्प बिके तो जितने बिकेंगे रुपया तो राजस्व में चला जायगा और कमीशन स्टाम्प के खाते में पड़ेगा । कहीं रुपया नहीं गया । और न कहीं किसी ने गबन किया है । एक जेब से निकल कर दूसरी जेब में रखना है, केवल (paper adjustment) का रूप है, सीधी सी बात है कि इतने के स्टाम्प बिके तो उनकी छपाई वगैरह में जो कागज और रुपया खर्च हुआ वह स्टाम्प की मद में बढ़ गया और यही टोटल मिल करके २२ हजार हो गया उसके वास्ते मैं समझता हूं कि यह मांग स्वीकार की जाय ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत मांग का विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। इस ग्रान्ट् नम्बर ४ के अनुसार स्टाम्प ग्रान्ट के अधीन २२,१५८ रुपये की वृद्धि के सम्बन्ध में रुपये की मांग की गयी है। मैंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह ध्यान से देखने की चेष्टा की कि आखिर इस ग्रान्ट के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठा है या नहीं। लेकिन उस रिपोर्ट में सन् १९५०-५१ के बजट के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है एप्रोप्रियेशन आडिट रिपोर्ट, उसमें कोई ब्योरा या विवरण न इस विभाग की ओर से और न कमेटी की तरफ से देखने को प्राप्त हुआ। तो इसलिये कम से कम इस ग्रान्ट ४ के बारे में नहीं कहा जा सकता कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने कोई ब्योरा उपस्थित किया या स्पष्टीकरण मांगा। इसलिये मैं इतना अत्यन्त आवश्यक समझता हूं कि इस ग्रान्ट के बारे में माननीय मंत्री जी को पूरा ब्योरा सदन के सामने रखना चाहिये। यह जो स्पष्टीकरण दिया गया है यह केवल ५ लाइन का है और इतना अर्थहीन है, इतना अस्पष्ट है कि इससे कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती है कि क्यों २२ हजार ही दिया जाय। यह हो सकता है कि आडिटर जनरल ने या कम्पट्रौलर जनरल ने सारी फाइलें डिपार्टमेंट की देख ली हों उसके बाद कोई सिफारिश की हो। लेकिन सदन के सामने कोई सिफारिशों का ब्योरा नहीं आया। मिसाल के लिये सन् १९५०-५१ में स्टाम्प्स की आइटम ग्रान्ट नम्बर ४ के लिये ५१,७०० रुपये की मांग की गयी। जिसमें २२ हजार की वृद्धि हुयी। कहा यह जाता है कि उस साल १२ लाख रुपये की अधिक आमदनी स्टाम्प बिकने से हुयी जिसके कारण स्टाम्प वेन्डर्स को डिस्काउन्ट दिया गया और स्टाम्प्स के बनने की कीमत जो थी वह और बढ़ गयी। तो इस ऐक्सप्लेनेशन से यह मालूम होना चाहिये था, अलग अलग स्पष्ट किया जाना चाहिये था ब्योरेवार कि कितना डिस्काउन्ट स्टाम्प वैन्डर्स को दिया गया और कितना बढ़ा। और कितना जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, प्रकाशन व्यय था वह कितना बढ़ा अलग अलग उसका ब्योरा दिया जाना चाहिये था कि इतना पहले था, इतना इसमें बढ़ गया। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि २२,१५८ रुपये में से कितना रुपया ऐसा था जो कि उन्होंने डिस्काउन्ट के रूप में दिया और कितना रुपया ऐसा था जो कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के रूप में दिया।

दूसरी बात यह है कि माननीय मन्त्री जी को यह बतलाना चाहिए कि पूरक अनुदानों के रूप में सन ५०-५१ से लेकर आज तक उन्होंने इस ग्रान्ट को क्यों नहीं मांगा और जब तक आडीटर जनरल ने उसको बतलाया नहीं कि एक्सेस ग्रान्ट खर्च कर चुके हो, उनके विभाग को पता क्यों नहीं लगा। यह आमदनी का आइटम था, १२ लाख आमदनी हुयी यह तो मालूम था उनके विभाग को, लेकिन जो ज्यादा खर्चा करना पड़ा यह उनके विभाग को नहीं मालूम हुआ। उनके विभाग को अपनी आमदनी जो बढ़ गयी है वह तो मालूम है, लेकिन जो खर्चा बड़ा वह नहीं मालूम हुआ जब तक कि आडटिर जनरल ने तीन साल तक उनके विभाग को नहीं बतलाया कि इतना ज्यादा खर्चा तुम कर चुके हो, मैं समझता हूं कि यह उनके विभाग के लिये बड़े शर्म की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि सन् ५०-५१ के पूरक अनुदान जो प्रस्तुत हुये उनमें क्यों नहीं मांगा? ५१-५२ का बजट आया, सप्लीमेंट्री उस समय आया उस समय क्यों नहीं मांगा। आपको ज्ञात होगा श्रीमन्, सप्लीमेंट्री स्टीमेट्स में तीन तीन साल पुराने आइटमस हमने मंजूर किये हैं और पिछले साल के कितने आइटम्स मंजूर करते रहे हैं। मैं तो सदन से विनीत निवेदन करूंगा कि जब तक माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण नहीं देते कि उनका विभाग सोया हुआ नहीं था, स्वप्नावस्था में विचरण नहीं कर रहा था जिस समय कि यह रुपया खर्च हुआ, अपने स्पष्टीकरण को और स्पष्ट नहीं करते तब तक हमको इस ग्रान्ट को मंजूर नहीं करना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सिलसिले में बहुत ज्यादा नहीं कहना है। सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूं कि सदन में जिस समय सब एक्सेस ग्रान्ट्स रखी गयी उसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय यह भी रखी गयी और दूसरी खास बात उन्होंने यह कही कि यह अलग अलग कितना रुपया इसमें खर्च हुआ है । तो मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि १० हजार ७ सौ रुपया तो स्टाम्प वेंडर्स के कमीशन वगैरह में और १२ हजार ७ सौ ८३ रुपया मैन्युफैक्चरिंग कास्ट वगैरह में दिया गया है । और मैं समझता हूं बाकी जितनी बातें इसके अलावा कही गयी वह सब वैसी ही बातें हैं और उनका स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एक बात जानना चाहता हूं ? एक सवाल करना चाहता हूं कि कमीशन में केवल दस हजार रुपया खर्च होना और १२ हजार रुपये छपाई में खर्च होना यह इतना आश्चर्यजनक है कि कैसे इसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—आपको कुछ जवाब देना है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं देना है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४–स्टाम्प के अन्तर्गत २२,१५८ रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१२१,
विपक्ष में—१४ ।)

अनुदान संख्या ६—रजिस्ट्री

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान सं या ६, रजिस्ट्री के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को ६,६३० रुपये की धनराशि दी जाय ।

इसके विषय में भी खास बात नहीं कहनी है, क्योंकि इसमें जो खास एक्सप्लेनेशन है वह संबंधित लिट्रेचर में दिया हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—विधान की धारा २०३ के अनुसार गवर्नर महोदय की सिफारिश के अनुसार यह मांग नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह कह तो दिया । आपने सुना न होगा ।

*राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रजिस्ट्री के सम्बन्ध म ६,६३० रुपये की मांग सरकार ने की मैं उसका विरोध करता हूं । विरोध करने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को इसमें तो कोई उज्र नहीं है कि ६,६३० रुपया खर्च किया गया, जरूरत पड़ने पर किया गया, लेकिन यह जो तरीका एक्सेस ग्रान्ट में मांगने का है, यह उचित नहीं है । यह तो सब विभागीय कर्मचारियों को मालूम होना चाहिये कि कितना खर्च होना चाहिये । यह कोई अच्छी चीज नहीं है कि एक्सेस ग्रान्ट हम विधान सभा में पेश करें और फिर वह पूरा किया जाय । यह तर्क देना कि हम भूल गये, तो तीन-तीन सप्लीमेंटरी डिमांड्स सरकार ने रखे हैं इस भवन के अन्दर सन् १९५०–५१ तक के खर्चे के और यह पता खर्चे का नहीं चल सका कि विलीन रियायतों के सम्बन्ध में क्या खर्चा इस बारे में हुआ । यह विभाग के लोग न जान सके, तो मैं समझता हूं कि यह जायज नहीं है और इसलिये विरोध करता हूं कि आइंदा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल—मुझे इसके विषय में भी कोई खास बात नहीं कहनी है । सिर्फ इतना ही है कि यह साफ जाहिर है कि जिस समय सदन के सामने बजट रखा जाता है उस समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गिरधारीलाल]

सरकार की कभी यह ख्वाहिश नहीं होती कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट या एक्सेस ग्रान्ट सदन के सामने रख कर सदन का समय लिया जाय। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट का काम बिला इसके चल भी नहीं सकता। लिहाजा जब बहुत मजबूरी हो जाती है तभी ऐसी ग्रान्ट्स सदन के सामने पेश की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—रजिस्ट्री के अन्तर्गत ६,६३० रुपयों की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२—कमिश्नर और जिला प्रशासन

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या १२—कमिश्नर और जिला प्रशासन के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को ९२,१८६ रुपये की धनराशि दी जाय।

इस सम्बन्ध में मैं दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह बिल्कुल सही है कि बिना सदन की मंजूरी के रुपया खर्च नहीं होना चाहिये। अगर मूल बजट बनते वक्त वह चीज नहीं भी हो सके तो सप्लीमेंट्री के रूप में आनी चाहिये। लेकिन जिन लोगों ने कांस्टीट्यूशन बनाया उनको दुनियां के और देशों का भी अनुभव था और वे जानते थे इस बात को कि कांस्टीट्यूशन के अनुसार जो भी काम होता है वह आदमियों के हाथ से होता है और वे इस बात को समझते थे और मैं भी इस बात को कहता हूं कि दुनियां में कोई भी गवर्नमेंट कभी ऐसे नहीं चल सकती कि उससे कभी न कभी कुछ एक्सेस खर्च न हो जाय। इसीलिये हमारे कांस्टीट्यूशन में एक्सेस ग्रांट्स के लिये नियम रखा गया है। अगर एक्सेस ग्रान्ट्स होनी ही नहीं चाहिये थीं तो उनका न यहां जिक्र होता, न केन्द्र में होता और न ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता। एक बात और है समझने के लिये। यह एक्सेस ग्रान्ट ऐसी चीज है जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप में कदापि पेश नहीं हो सकती। अगर सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप में पेश हो सके तो उसे सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप में आना चाहिये। जब कोई योजना गवर्नमेंट की होती है जिसको वह चलाना चाहती है उसको तो गवर्नमेंट सदन के सामने पेश कर सकती है, अगर वह मूल बजट में न हो। मसलन् इंडस्ट्रीज की बात है, उसका दो करोड़ रुपये सालाना का बजट हो और बीच में अगर यह बात आये कि अमुक इंडस्ट्री को भी चलाना है और उसके लिये २०–२५ लाख रुपये की जरूरत है तो उसके लिये तो गवर्नमेंट सप्लीमेंटरी ग्रान्ट पेश कर सकती है। लेकिन बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जिनको करने की न तो गवर्नमेंट की इच्छा होती है और उसको पता भी नहीं होता है, लेकिन वह खर्च हो जाता है। मिसाल के लिये, इसी में लिखा है कि जमींदारी एबालिशन और ग्रो मोर फूड के सिलसिले में जो काम हुआ उनमें गाड़ियों में खर्चा हुआ। अब इस खर्च को करने वाले हमारे यहां ५१ जिले हैं और एक नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक के हाथ से वह खर्चा हुआ। कहीं पेट्रोल में दो रुपये खर्च किये गये और कहीं सवारी में, और ये सब रुपये जोड़ कर इतने हो जाते हैं जिनका सरकार को पता नहीं होता। जब कहीं सारा हिसाब पूरा हो जाता है तब कहीं जाकर पता लगता है कि इस काम में इतने रुपये ज्यादा खर्च हो गये। फिर अगर एक अधिकारी के हाथ से खर्च होता हो तब भी कुछ हो सकता है कि उसे पता रहता है कि इतना रुपया इस काम के लिये है, उसी के अन्दर खर्च करने की कोशिश करें, लेकिन जहां पर इतने आदमी खर्च करने वाले होते हैं वहां पर कभी-कभी ऐसा हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। इसी मद को लीजिये ९२,१८६ रुपये हम मांगते हैं। इसके लिये कुल खर्चा सदन ने २ करोड़ ८३ लाख का मंजूर किया था। उसके ऊपर ९२,१८६ रुपये और खर्च हुये। उसको बतलाया गया है कि टेहरी-गढ़वाल स्टेट का मर्जर हुआ और वह उत्तर प्रदेश में आयी। अब उसमें क्या खर्च होगा इसका कोई खास एस्टीमेट नहीं हो सकता था। जो समझ में आ सकता था वह तो बजट में रख

दिया गया या सप्लीमेंटरी बजट में रख दिया गया लेकिन वहां कैसी सड़कें हैं, और क्या-क्या खर्चे होंगे, इसका कुछ अंदाजा नहीं हो सकता था। इसलिये ऐसा हुआ और जैसा कि लिखा है कि जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में, कलेक्शन के काम में तथा ग्रो मोर फूड के सिलसिले में सवारी में रुपया खर्च हुआ है। हिसाब तो एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां रहता है और जब वहां से हिसाब आता है तो हम लिखते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम रख सकें। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन मेरी मांग को स्वीकार करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग का विरोध करता हूं और मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुयी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि ऐसा हो जाता है और अगर ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता तो विधान में यह क्लाज आया ही नहीं होता। हमारी एक और शिकायत है कि बजट ३१ मार्च को खत्म होता है। ३१ मार्च तक जितना रुपया होता है वह खर्च हो जाता है या जो कुछ रुपया जितना बजट का सैंक्शन होता है उससे कुछ ज्यादा खर्च हो गया हो तो ए०जी० के यहां किताबों में दर्ज हो जाता है। वह दो तीन महीने तक खुली रहती हैं। वैसे तो ३१ मार्च को बंद हो जानी चाहियें लेकिन अगस्त के महीने तक खुली रहती हैं। जहां पर डिपार्टमेंट्स की पिक्चर आ जाती है कि इस डिपार्टमेंट ने कितनी सेविंग की या एक्सेज किया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख तो इस बात का है कि जो रीजन्स दिये गये हैं वह सब गलत हैं, इसलिये हमें शिकायत है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने यह मामला आया था और उसने सारे पहलू पर खूब अच्छी तरह से विचार किया था और देखा था कि स्टेट्स के मरजर पर क्या खर्चा हुआ और जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में कलेक्शन में खर्चा हुआ था। उस सब को देखकर अन्त में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने यह फैसला किया था कि यह जो ग्रान्ट है बहुत अनविल्डी है। सब कमीशन, लेजिस्लेचर वगैरह दुनियां भर के डिपार्टमेंट्स इस हेड में हैं। उसने यह फैसला किया कि यह डिपार्टमेंट बहुत अनविल्डी हो गया है इसलिये इसे डिसबर्स कर दिया जाय और छोटे-छोटे ग्रान्ट्स बना दिये जायं।

मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देते समय यह बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने इस पर क्या फैसला किया? अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि यह ऐसे रीजन्स हैं जिनसे हम कन्विन्स नहीं हो सकते हैं, वैसे बदनाम हमें किया गया है। इसमें लिखा है कि:—

"A demand for an excess grant can be laid before the Legislative Assembly only after the Appropriation Accounts of the year have been made up and audited. The work of compilation . . . ."

श्री अध्यक्ष--यह आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--यह उन्होंने कहा कि क्यों देर हुयी....।

श्री अध्यक्ष--वह हिन्दी में भी तो आया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जी हां, "संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे (एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स) तैयार हो जाने और उनकी लेखा परीक्षा हो जाने के बाद ही अतिरिक्त अनुदान के लिये मांग विधान सभा के समक्ष रखी जा सकती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कंट्रोलर ऐन्ड आडिटर जनरल) द्वारा विनियोग लेखों (एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स) के संकलन करने में तथा लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) द्वारा उन पर विचार करने में कुछ समय लगता है। चूंकि अतिरिक्त अनुदानों के लिये इन मांगों को संविधान के अनुसार सदन के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिये भारत सरकार के परामर्श से इस सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (प्रोसीजर) के निर्धारण में भी कुछ समय लगा है।"

अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन हमारे सामने है, हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से क्या पूछना है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, जैसे एकाउन्टटेन्ट जनरल

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

महोदय के बीच में और ऐड मिनिस्ट्रेटिव हेड्स के बीच में कारस्पांडेंस चलती है और जब एकाउन्टेंट जनरल के यहां किताबों में दर्ज हो जाता है कि इस डिपार्टमेंट ने कितनी सेविंग की है तो वह वहां लिखी जाती है, इसी तरह से किसी डिपार्टमेंट ने कितना ज्यादा खर्च कर दिया वह भी दर्ज हो जाता है और गवर्नमेंट को मालूम हो जाता है कि हमारे इस डिपार्टमेंट में एक्सेस हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि १९५०–५१ में जो रुपया एक्सेस हुआ उस रुपये की सूचना गवर्नमेंट को हो चुकी थी कि इस डिपार्टमेंट में इतना एक्सेस हो गया । कोई कारण नहीं था कि इतने लम्बे समय तक वह पड़ी रहे और यहां पर हमारे सामने न आवे । गवर्नमेंट के पास आडिटर जनरल के दफ्तर से हिसाब-किताब आ गया होगा । यह जरूरी नहीं है कि इस तरह की ग्रान्ट पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आवे । गवर्नमेंट और एकाउन्टेन्ट जनरल में खतोकिताबत होती रहती है और फिर आपस में ही इनका फैसला हो जाता है कि इस तरह से इसको ठीक कर लिया जाय । इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि ५०–५१ के ऐक्सेस एकाउन्ट का हिसाब गवर्नमेंट को ५२ में हर हालत में पहुंच गया होगा । कोई कारण नहीं है कि आज तक इतने साल तक यह एक्सेस ग्रान्ट हमारे सामने न रखी जाती । इसमें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का कोई दोष नहीं है । यह तो उसी तरह से हुआ कि अगर इस साल कोई एक्सेस ग्रान्ट आवे तो वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के पास तो जा नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास एप्रोप्रियेशन एकाउण्ट्स नहीं है । पहले उसको आडिटर जनरल तैयार करे और फिर वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आवे और तब उस पर फैसला हो । फिर वह सरकार के पास जाय तब वह फैसला करे कि यह एक्सेस हो गया । तब मांग करे । तो वह एक्सेस यहां पर सन् ६२ में आयेगा तब तक न मालूम कौन गवर्नमेंट यहां पर बैठी रहेगी । इसलिये मेरी शिकायत है कि इस तरह से नहीं होना चाहिये । एक्सेस होता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन इसका तरीका यह दोषपूर्ण है । जनरल डिस्क्शन के मौके पर मैं माननीय मंत्री जी को बताने की कोशिश करूंगा और सरकार ने उसको पालन किया तो फिर इस तरह की आपत्ति से वह बच सकती है । इन शब्दों के साथ जो ग्रान्ट यहां पर रखी गयी है, मैं उसका विरोध करता हूं ।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)––माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि किसी विधान सभा के लिये किसी न किसी समय उसको एक्सेस ग्रान्ट् के लिये मंजूरी देनी होगी। अभी जो बातें यहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने कही हैं उससे न मुझे कोई विरोध है और न ऐसी बात है जिसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ग्रान्ट के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं । वह यह है कि टेहरी गढ़वाल के सम्बन्ध में यह सच है कि वह नहीं बता सकते थे, विलीन होते हुये समय बहुत सी जानकारी उस रियासत के बारे में इस प्रदेश की सरकार को नहीं थी । सरकार उस समय उसके लिये पूरी और समुचित व्यवस्था नहीं कर सकती थी । परन्तु मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि ग्रो मोर फूड कम्पेन के सम्बन्ध में क्या सरकार को जानकारी नहीं थी । आज की नहीं, यह उस समय की बात है जब कि महायुद्ध चल रहा था । तब से आजतक इसके लिये इस प्रदेश में काफी धन व्यय हो चुका है । इस सम्बन्ध में किस तरह से अपव्यय हुआ है और व्यय का दुरुपयोग हुआ है इसके कहने के लिये यह अवसर नहीं है ।

दूसरी बात जो और बताने वाली है वह यह है कि जमींदारी विनाश कोष के लिये सरकार को कौन सी आपत्ति आ गयी थी जिसके लिये सहसा इतनी मोटर गाड़ियां खरीदनी पड़ीं। जमींदारी विनाश कोष जिस समय चल रहा था उस समय हमारे माननीय ठाकुर हुकुम सिंह जिम्मेदार थे । इस सरकार ने उसके लिये भी प्रबंध किया था कि सरकार के कोष में रुपया संचित किया जाय । जब कि सरकार ने इसके लिये करोड़ों रुपया दिया तो इसके लिये कौन सी आपत्ति आ पड़ी थी । जहां तक जमींदारी विनाश कोष का सम्बन्ध है मैं आपके द्वारा सरकार को यह बता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी प्रदेशीय सरकार ने इसके सिलसिले में धन का दुरुपयोग किया। और अधिक अन्न उपजाओ और जमींदारी विनाश कोष के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं था मैं समझता हूं कि इसमें कोई सार नहीं है। जब बजट आया था तो हो सकता था कि उस समय तक पूरा ज्ञान न हो पाया हो परन्तु यह कहना कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट जब आयी थी उस समय भी मंत्री महोदय को इसका ज्ञान न था इसमें कोई तथ्य नहीं है। यह हो सकता है कि उस समय और आज भी ऐसी गलतियां हों, जिनकी वजह से यह हो सकता हो कि सरकार को पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। परन्तु किसी भी सरकार के लिये डेमोक्रेसी में रहना और पूरा ज्ञान प्राप्त न करना केवल यही कहा जा सकता है कि उधर की बेंचेज पर जो लोग बैठे हुये हैं वे सब लोटस ईटर्स ही हैं, जिनको अपने कर्त्तव्य और कार्य का ज्ञान नहीं है। इसलिये केवल डेमोक्रेसी में यह कह कर पार लगना संभव नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी का गढ़वाल के बारे में जो कहना है वह तो मान्य हो सकता है, लेकिन ठाकुर साहब के लिये यह क्या आफत आ गयी कि वे मोटर पर मोटर खरीदते ही गये। जमींदारी मोटरों से थोड़े ही टूटनी थी, उसको तोड़ने के लिये तो स्वयं विराजमान ही थे। अधिक अन्न उपजाओ के सिलसिले में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी हर एक चीज को जानते थे। हां, किसी तरह की गलतियों पर आवरण डालने की बात तो समझ में आ सकती है और ऐसे समय में जो कुछ किया जाता है और करना पड़ता है, वह तो मैं जानता ही हूं। श्रीमन्, अब मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता और इतना कह कर ही समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं कार्यक्रम के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं। इन अनुदानों के ऊपर आप ४ बजे तक बहस करें। ४ बजे जो अनुदान रह जायेंगे उनके ऊपर बिना बहस में वोट ले लूंगा और उसके बाद फिर जैसा कि नियम है वह विनियमन विधेयक आयेगा। ४ बजे तक इसके ऊपर मतदान का कार्यक्रम समाप्त हो जाना चाहिये।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत मांग का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन सिद्धांत सम्बन्धी विचारों को उपस्थित किया है वे विचारणीय हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि कोई भी सरकार, किसी भी देश की क्यों न हो उस के बजट में वृद्धियां होने की गुंजाइश रहती है और इसीलिये विधान में ऐसी व्यवस्था है कि उस के अनुसार वृद्धियों के लिये सदन के सम्मुख मांग की गुंजायश हो। यह सही है कि उनके लिये गुंजाइश होनी चाहिये। लेकिन प्रश्न यह है कि वह वृद्धियां कौन सी हों? वह ऐसी न हों जिन की पूरक बजट में व्यवस्था हो सकती थी। उनका कहना है कि जिन विषयों में पूरक बजट में व्यवस्था हो सकती है वे अलग हैं और जिनकी मांग वृद्धियों में हो सकती है वे अलग होती हैं। मैं कहूंगा कि कुछ मामलों में ऐसा होना सम्भव भी है जैसे मिसाल के लिये एक है। जो मांग आज रखी जा रही है, इस में रोडवेज के सम्बन्ध में डिप्रीसिएशन एकाउन्ट का जिक्र है। इसके सम्बन्ध में यहां के फाइनेंस सेक्रेटरी ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जिक्र किया और ३ बार कहा कि यह बजट में आना चाहिये। यही नहीं है और भी आइटम्स हैं जो पूरक बजट में आ सकते हैं और वृद्धियों में नहीं आने चाहिये। देखना यह है कि प्रस्तुत मांग में कौन सी व्यवस्था है जो पूरक बजट में आ सकती थी। आप देखें कि इसमें लिखा है कि अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के सम्बन्ध में अपेक्षित मोटर गाड़ियों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में करना पड़ा। यह ९२ हजार रुपया इस मद पर और विलीनीकृत रियासतों में अधिक व्यय के सम्बन्ध में व्यय हुआ। अगर मोटर गाड़ियाँ खरीदनी पड़ीं तो यह न्यू एक्सपेंडिचर आइटम हो जाता है और उसकी व्यवस्था पूरक बजट में होनी चाहिये थी और रखरखाव में हुआ तो सवाल दूसरा है। जिस तरह से स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है उससे मालूम होता है कि नयी मोटर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

गाड़ियां खरीदने की आवश्यकता हुयी, अगर यह होता कि नहीं खरीदी गयीं तो वृद्धि में आ सकता था लेकिन मोटर गाड़ियों की व्यवस्था का अर्थ हो सकता है कि नयी खरीदी गयीं।

सन् ५०-५१ का बजट हमारे सामने है, उसमें सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में २ करोड़ ५३ लाख की मांग की गयी है। उसके बाद एक पूरक बजट आया और उसमें इसके लिये २८ लाख दस हजार की और मांग की गयी थी। पूरक बजट में आप देखेंगे कि इन दोनों मांगों के लिये व्यवस्था की गयी है। एक तो जमींदारी विनाश कोष की उगाही की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूरक बजट में १ लाख ५० हजार की मांग की गई थी फिर उन गाड़ियों के लिए पेट्रोल आदि के लिए २ लाख की मांग अलग की गई थी और उन मोटर गाड़ियों की मरम्मत आदि के लिए १ लाख रुपए के करीब और मांग की गई थी। इस तरह से मोटर गाड़ियों की मद में ही कुल अलग-अलग आइटम्स में उस सप्लीमेंटरी बजट में साढ़े ४ लाख रुपए की मांग की गई थी। तो जब सप्लीमेंटरी बजट, १९५०-५१ में इन्हीं मदों के लिये रुपया मांगा गया था और उस वृद्धि का अन्दाजा हो गया था कि ज्यादा रुपया खर्च होना चाहिये तो यह रुपया एक नये मद के रूप में खर्च नहीं होना चाहिये और अगर वृद्धि हुयी है तो हमें यह जानने का अधिकार है कि यह वृद्धि किस प्रकार हुयी और क्या यह पूरक बजट में नहीं आ सकती थी और यह पुराना खर्च किस उपशीर्षक के मातहत हुआ ? पहले तो यह आना ही नहीं चाहिये था और अगर आता भी है तो उसमें पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिये था कि किस उपशीर्षक से यह धन आया है, क्योंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में सभी मदों का पूरा ब्योरा नहीं होता। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की प्रोसीडिंग्ज इस साल काफी मोटी छपी हैं, लेकिन जहां तक उसकी रिपोर्ट होती है वह बहुत संक्षिप्त होती है और सभी बातें उसमें नहीं आ सकतीं। तो कम से कम स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी दें और इसीलिये इसका विरोध करने के लिये मैं प्रस्तुत हुआ हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, मुझको ऐसा लगता है कि मेरी इस मांग का विरोध करते हुये माननीय उपाध्यक्ष जी ने अपने साथ थोड़ा सा अन्याय किया है। उनको पब्लिक एकाउन्ट्स इत्यादि के विषय में जो ज्ञान है उससे उन्होंने पूरा-पूरा काम नहीं लिया। उन्होंने यह कहा यदि मैं उन्हें गलत नहीं समझ पाया हूं कि जब कोई वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तो उसके चार-पांच महीने के भीतर ही सरकार को पता लग जाना चाहिये कि कितना रुपया कहां ज्यादा खर्च हुआ है ? मेरा निवेदन है कि ऐसा सम्भव नहीं है। क्लोज आफ दि ईयर के चार-पांच महीने के भीतर यह अन्दाजा लगता है मोटे तौर पर कि कितना अधिक व्यय हुआ है, लेकिन उपाध्याय जी को इसके बाद मालूम है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से एकाउन्टेन्ट जनरल से लिखा पढ़ी होती है और बाद में यह दोनों के खतोकिताबत करने से तय होता है कि किसकी गलती है ? यदि एकाउन्टेंट जनरल के हिसाब की जांच में गलती नहीं होती तो सरकार के उस विभाग को मालूम होता है कि रुपया ज्यादा खर्च किया है। इसमें कितने वक्त की आवश्यकता है तब जाकर वह मालूम होता है। इस वास्ते साल महीने में यह सम्भव भी नहीं है। उपाध्याय जी ने बजट मैनुअल जरूर देखा होगा। उसका जो सेक्शन १५७ है वह इस प्रकार है —

"A demand for an excess grant differs from a demand for a supplementary grant in that, while the latter is essentially a demand for a grant the need for which is foreseen during the currency of a year and is presented in the year to which it relates, a demand for an excess grant is presented after the close of the financial year to which it relates in order to regularize expenditure in excess of the voted grant of that year or on a 'new service' in that year not covered have been made up and audited the work of compilation of the appropriation accounts by the vote of the Assembly. The need for an excess grant connot be known until the appropriation accounts by the Accountant Genral and their considera-

tion by the committee on public accounts all take time. In practice, there fore it is not possible to present a demand for an excess grant until about two years after the expiry of the financial year to which it relates."

इसका तात्पर्य यह है कि जैसा हमने कहा था कि कम से कम इतने वक्त में यह सम्भव नहीं है। बजट मैनुअल के हिसाब से उसको पेश होना चाहिये, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने और उसको हमने किया। सम्भव है यह तरीका गलत हो। माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि वे ऐसा तरीका बतलायेंगे जिससे एक्सेस ग्रांट्स की आवश्यकता न हो। माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रोसीजर का कि किस तरह से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने नहीं जाना चाहिये, हमको अवश्य सोचना चाहिये लेकिन जो नियम हैं उनका हमने पालन किया और जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने यह चीज गुजर चुकी तब हमने इसको यहां पेश किया। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी को भी कुछ शिकायत है, उसे तो मैं समझ सकता हूं। जो इसमें नोट लिखा है उसमें दुर्भाग्य से जमींदारी का लफ्ज आ गया और मैं यह जानता था कि जहां यह लफ्ज आया उनके कलेजे में एक टीस सी होने लगेगी, तबियत दुखी होगी और बहुत सी ऐसी बातें कही जायंगी जिनको ठंढे दिल से विचार करने पर वह देखेंगे कि इस चीज से असम्बद्ध है, मैं क्या कहूं? उनकी समझ में बात नहीं आती कि अन्दाज से ज्यादा कैसे खर्च हो सकता है? आज जमींदारी हो या न हो लेकिन पहले तो उन्होंने जमींदारी का प्रबन्ध किया ही होगा। हर आदमी को किसी न किसी किस्म का बजट बनाना पड़ता है, घर गृहस्थी के मामले में, शादी विवाह के मामले में, लेकिन आज तक यह कभी नहीं हुआ, चाहे जितनी होशियारी से अन्दाजा करें, कि इतना रुपया आने पाई से खर्च होगा, उतना ही रुपया खर्च हो। किसी मद में हो सकता है कि कम खर्च हो लेकिन किसी न किसी मद में जरूर ज्यादा खर्च हो जायगा यह असम्भव है, चाहे जितनी होशियारी से सोचा जाय।

अभी माननीय नारायणदत्त जी ने यह कहा कि जो स्पष्टीकरण है वह और ज्यादा होना चाहिये। हो सकता है कि इस बात को ध्यान में रखा जा सकता है कि अगर कोई स्पष्टीकरण पर्याप्त न हो, कम शब्दों में हो तो और ज्यादा स्पष्ट कर दिया जाय। लेकिन जहां तक यह मद है, जिस तरह से उन्होंने बजट को पढ़ा उसी से उनके प्रश्न का उत्तर हो गया। जहां तक हमसे मुमकिन हुआ अगर मूल बजट में नहीं तो कम से कम सप्लीमेंटरी बजट को पेश करते वक्त यह कह दिया कि जिलों में इतना खर्चा होगा, फिटर्स पर, इतना खर्चा होगा क्लीनर्स पर। सप्लीमेन्टरी बजट में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन मेंटिनेंस के सिलसिले में कई बातें हो जाती हैं जिनका ठीक-ठीक अन्दाज नहीं हो पाता। हमने समझा हो कि इतनी मोटरें खरीद लेंगे, इतने क्लीनर्स और ड्राइवर्स को रखना होगा, उनकी तनख्वाह हम सोच सकते हैं। लेकिन हमने अन्दाजा लगाया कि दस मोटरें टूट जायंगी, इत्तफाक से दो चार मोटरें टूट गयीं। उसका खर्चा उनकी मरम्मत में लगेगा। उनका ठीक अन्दाज नहीं हो पाता। कितनी सड़कों पर मरम्मत वगैरह का कितना खर्चा होगा यह अन्दाज करना बड़ा मुश्किल है। ५१ जिलों में छोटे से लेकर बड़े अफसर तक इस किस्म के खर्च करते हैं। सारे प्रदेश में जहां इतने छोटे-छोटे खर्च होते हैं उन छोटे-छोटे खर्चों का टोटल जोड़ कर करीब २३ करोड़ के बजट में एक लाख से भी कम हुआ। मैं समझता हूं कि यह इस बात का प्रमाण है कि जहां तक सम्भव होता है पूरी-पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन जो ह्यूमनली इम्पासिबिल होता है उसके करने का हम दावा नहीं करते।

मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है वे स्वयं इसको देखेंगे और अपने विरोध को वापस लेंगे और इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२- कमिश्नर और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९२,१८६ रुपये की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—चिकित्सा

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) को ७,६१,११७ रुपये की धनराशि दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस मांग के अधीन ३ लाख ६१ हजार रुपये की कटौती पेश करता हूं। श्रीमन्, अभी इसकी इजाजत मिल चुकी है कि १ रुपये की कटौती नहीं हो सकती है। बड़ी रक़म की कटौती हो सकती है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ७,६१,११७ रुपये की जो मांग है इसका कारण यह बतलाया है कि चिकित्सालयों और औषधालयों की आकस्मिक मदों तथा कर्मचारियों पर अधिक व्यय होने के कारण हुई है यह वृद्धि। और कारण यह भी बताया गया दूसरा कि गांधी स्मारक और सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ के रखरखाव के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक धनराशि निकाल ली गई थी, जिसे बाद में लौटा दिया गया। इस संबंध में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में काफी विस्तृत रूप से वर्णन भी किया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को ३ लाख ६१ हजार रुपया अनधिकृत रूप से अधिक दे दिया गया है और जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने विवरण दिया गया है उसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ग़लती नहीं है। उनको तो आप जितना रुपया देंगे, वह ले लेंगे। उसमें महालेखा पाल या ट्रेज़री आफिसर की गलती है। किसकी गलती है यह साफ़ नहीं हुआ है। मैं आपकी आज्ञा से पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का वह पोर्शन पढ़ देना चाहता हूं। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के सामने श्री बी० पी० जोशी और श्री एम० सी० वर्मा, डिप्टी डाइरेक्टर, चिकित्सा और स्वास्थ्य उपस्थित हुये थे। बी० पी० जोशी कहते हैं:—

"श्री बी० पी० जोशी—लखनऊ विश्वविद्यालय ने ३,६१,००० रुपये तक की धनराशि गलत तरीके से निकाली।

महालेखापाल—क्या मेरे कार्यालय ने दो अधिकार पत्र जारी किये? यदि ऐसा है तो मैं इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करूंगा।

क्या मेरे अधिकार पत्र के बिना ट्रेज़री आफिसर ने दोबारा रुपया दे दिया? स्थिति यह है कि हम विभागाध्यक्ष के हाथ में सारे अनुदान सौंप देते हैं और वे उसमें से रुपया निकाल सकते हैं। परन्तु वे उस अनुदान की धनराशि से अधिक रुपया नहीं निकाल सकते। हम हर बार अधिकार पत्र जारी नहीं करते। उसके अधिकार में पूर्ण अनुदान रहता है।

श्री बी० पी० जोशी—तब तो ट्रेज़री आफिसर की यह ग़लती है कि पहली बार उसने रुपया देने से मना कर दिया, परन्तु बाद में एक बार तो बिना महालेखापाल के अधिकार पत्र दे दिया और दूसरी बार अधिकार पत्र आ जाने के उपरान्त।

सभापति—हम केवल इस बात का अनुमान कर रहे हैं कि क्या हुआ होता? यह ठीक नहीं है, हमें इस मामले से संबंधित असली बातें समझ लेनी चाहिये और मैं महालेखापाल से यह निवेदन करता हूं कि वे असलियत का पता लगायें।

महालेखा पाल—हम उस व्यक्ति को, जो इसका जिम्मेदार है अगर वह वहां है, नौकरी से निकाल देंगे।"

याने सारी असलियत पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने नहीं आयी। सेक्रेटरी कहते हैं कि ट्रेज़री आफिसर की गलती है। एकाउन्टेन्ट जनरल कहते हैं कि यह तो हमारे आफिस की गलती है। दो अधिकार पत्र जारी हुए, तो यह कहते हैं कि यह भी नहीं है।

पहले सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि विश्वविद्यालय की गलती है। गलती है, यह सब मानते हैं लेकिन जिम्मेदारी किसकी है यह स्पष्ट नहीं है। यह भी इस नोट में स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों के रखरखाव पर कितना खर्चा हुआ और जो गांधी स्मारक अस्पताल है उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ? तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अगर यह कटौती करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि विश्वविद्यालय से उन्हें भी प्रेम है और मुझे भी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी कटौती का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी विभागों ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर क्या किया ? जहां पर पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के चेयरमैन, मेम्बर, सेक्रेट्री आदि सभी एक मत थे कि इस पर हम कड़ी कार्यवाही करेंगे उस पर क्या किया गया, यह भी हम जानने के अधिकारी हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो अभी इस सदन में कहा है वह अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, एकाउण्टेन्ट जनरल , पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी तथा विभागीय पदाधिकारी सब इस तलाश में हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं कि गलती किस की है, परन्तु आज तक जब वह गलती पता नहीं चली तो यह प्रश्न उठा कि माननीय मंत्री महोदय यह बतायें।

मान्यवर , जहां तक मेडिकल कालेज का सवाल है रुपया देने के बारे में , उस पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु यह सूचना माननीय कृषि मंत्री बैठे हैं वह शायद माननीय नियोजन मंत्री को बता सकें कि यह बजट कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि जिसमें बेनिफिट आफ डाउट वह पाना चाहते हैं। वास्तव में श्रीमन्, आज तक माननीय मंत्री महोदय के लिये यह कहना कि वह तलाश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयास करने के उपरान्त भी अभी वह किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंचे, इस तरह का उत्तर संतोषप्रद् नहीं होगा। अतः जहां तक हो सके यह सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है कि इस गलती का पता लगावें और जो भी इसका जिम्मेदार हो उसको यह बताया जाय।

वे अच्छी तरह से समझ जायं जिससे कि आइन्दा कोई ऐसी गलती न हो सके। निकालना या रोजी लेना यह सब कहने के लिये मैं तैयार नहीं हूं, पर यह अवश्य होना चाहिये कि भविष्य में कोई ऐसी गलती न हो।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद हुआ यह सुन कर कि पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के आनरेबिल मेम्बर ने यह तस्लीम किया कि सारी कमेटी एक मत थी कि रुपये की गड़बड़ी थी, लेकिन पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी में नारायणदत्त जी क्या कर रहे थे जब कि वे ही 'ही इज वन आफ दि लर्नेड मेम्बर्स आफ़ दी हाउस' हैं। वे कमेटी में थे उन्होंने चेकिंग नहीं किया। मैं आप के जरिये से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि ३ लाख ६० हजार की कटौती का प्रस्ताव करता हूं तो कुल का प्रस्ताव किया होता तब मैं कहता कि ठीक है। मैं उनका ध्यान पायनियर की तरफ जो कि इतवार का इश्यू है उसकी तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि देश में २० हजार से ऊपर प्रतिवर्ष हमको डाक्टर चाहिये, टीचर्स चाहिये और आये दिन देश में इस कदर बीमारी बढ़ती जा रही है तो अगर उसके लिये रुपया मांगें तो क्या हर्ज है ? इसमें दिया हुआ है कि बिल्डिंग बनाने, हास्पिटल मेन्टेन करने के लिये, यूनीवर्सिटी को ठीक ढंग से चलाने के लिये, आये दिन वहां हड़ताल होती है। जो हमारे वैद्यक के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्होंने भी हड़ताल कर दी कि हमको एम० बी० बी० एस० की ट्रेनिंग दी जाय। यह तो गवर्नमेंट फेर में है कि कहां से रुपया आये और रुपया तो खर्च होता है और जो खर्च हो रहा है यह तो कम है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे सोचें कि देश में बहुत बड़ी मांग है और यह एक्सेस खर्चा तो उनके घर में भी होता है, मेरे यहां भी होता है, कोई परिवार वाला नहीं है कि जो फ़िक्स्ड आंकड़े धर दे कि १६ मन गल्ला लगता है साल भर में और इतने में ही काम चल जायगा। कहा गया कि सब अफसरान गड़बड़ करते हैं। मैं कहता हूं कि एका-एक पंचर

[श्री शिवनारायण]

हो और मोटर फेल हो गई तो वहां तो उनके पास हिसाब नहीं कि हमको इतना ही खर्च करना है। तो मतलब यह है कि मशीनरी है, कागज की मशीनरी है या मोटर की है, गवर्नमेंट एक मशीन है, आप ने भी माना है कि मशीन चल रही है देश में कहीं न कहीं उसको कोयले की जरुरत है, पानी की जरूरत है, ताक़त की जरूरत है। हमारे जितने अफ़सरान हैं सबने तस्लीम किया क्योंकि सब एक मत थे। जितने मेम्बरान वहां बैठते हैं चाहे मिनिस्टर हों, चाहे छोटे से छोटा अफसर हो, हर आदमी तिवारी जी के कहने के बमूजिब एक मत था कि रुपया गलत नहीं खर्च हुआ, कहीं कागज की मिसअंडरस्टेंडिंग है। जैसा कि किसी साहब ने कहा था कि इस जेब से निकल कर दूसरी जेब में है।

हमारे भाई श्री अवधेश प्रताप जी की आंखों में तो कृषि मंत्री जी खटकते हैं, उनको शिकायत उन्हीं से है। तो मैं ठाकुर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनका शिकवा है उसको रफ़ा कर दें तो कृपा होगी। इन शब्दों के साथ मैं एक्सेज ग्रान्ट्स का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय नारायण दत्त जी को जब सारे वाकयात पता चल गये उस पर भी उनको क्यों इस विषय पर आपत्ति करने का इस सदन में मौका पड़ा? उन्हें कदाचित यह पता है कि यह रकम विश्वविद्यालय को किस रूप में और कैसे अदा कर दी गई? मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि विश्व-विद्यालय और इसी प्रकार की और संस्थाओं को जब कोई धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है तो वह साल में कई हिस्सों में दी जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय को भी इसी तरह इन्सटालमेंट में धनराशि दी जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय, जैसा कि माननीय सदस्यों को भलीभांति ज्ञात होगा, काफ़ी कर्जदार विश्वविद्यालय है। कई लाख रुपया उस विश्वविद्यालय को बैंकों का अभी देना है। तो पहली धनराशि, पहला इन्सटालमेंट जो दिया गया वह एकाउन्टेन्ट जनरल की आज्ञा से दिया गया। जब दूसरा इन्स्टालमेंट देने का सवाल आया तो विश्वविद्यालय ने ट्रेजरी आफ़िसर से निवेदन किया कि उसे वह धनराशि अनुदान के रूप में जो दूसरा इंस्टालमेंट है, दे दिया जाय। ट्रेजरी आफिसर ने एतराज किया कि उन्हें फिर से एकाउन्टेन्ट जनरल की आज्ञा लेनी होगी और इस बीच में एकाउन्टेंट जनरल को लिखा भी गया। लेकिन फिर दो-चार रोज के बाद विश्वविद्यालय की तरफ से निवेदन करने पर ट्रेजरी आफिसर ने उन्हें उस इंस्टालमेंट की धनराशि के अनुदान के लेने की आज्ञा प्रदान कर दी और इसके थोड़े ही दिन बाद फिर एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से एक जो अनुदान मांगा गया था उस की मंजूरी आ गयी और उसका भी पेमेंट गलती से हो गया। जब यह अनुदान इस प्रकार से दोहरा विश्वविद्यालय को दे दिया गया और जब साल के आख़ीर में विश्वविद्यालय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया तो विश्वविद्यालय ने जो धनराशि यह दोहरे रूप में ले ली थी, उसको वापस कर दिया। तो हिसाब इत्यादि के मामले जो होते हैं, उनमें इस प्रकार की भूलें हो जाया करती हैं, यह रक़म कहीं गई नहीं। विश्व-विद्यालय को ग़लती से दे दी गई और जब विश्वविद्यालय को इस बात का ज्ञान कराया गया तो उसने दूसरे वर्ष उसको वापस कर दिया। तो मैं नहीं जानता कि इसमें कहां कोई गड़बड़ी हुई, हां ट्रेजरी आफिसर से भूल हुई। जहां तक इस भूल का संबंध है उसको चेतावनी दे दी जायगी और वह चेतावनी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने उपस्थित की जायगी। यदि वह उसे नामंजूर करेगी और उसके लिये वह कोई दूसरे प्रकार की सजा देना चाहेगी और उस पर यदि सरकार कोई कार्यवाही न करे तब तो शिकायत का मौका इस सदन को हो सकता है। लेकिन इस तरह से भूल-चूक की बातें जो इस सदन में होती हैं उनके ऊपर यदि हम टीका-टिप्पणी इस तरह से करने को बैठ जाय तो कोई काम ही नहीं चल सकता है। बैंकों से भूल हुआ करती है, बड़े-बड़े कारखाने जहां बड़े-बड़े हिसाब रखे जाते हैं वहां भूल हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि कोई भूल ऐसी संस्था को रुपया देने में हो गई तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यदि किसी अफसर से कोई भूल

हुई हैं तो अवश्य उसे चेतावनी दी जायगी और सजा भी दी जायगी और वह सजा पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के सामने रखी जायगी। यदि वह कोई दूसरी सजा देने की बात करेगी तो उसके ऊपर भी विचार किया जायगा। इसलिये मैं यह नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपत्ति माननीय नारायण दत्त जी ने अभी इस सदन के समक्ष उपस्थित की है वह निर्मूल है और यह सदन उसके ऊपर कोई विचार न करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह देखते हुये कि यह लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला है और माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन को देखते हुये कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने यह मामला आयेगा और उनको चेतावनी दी जायगी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी अगर फिर चाहेगी कि दूसरी सजा दें, तो वह सजा भी दी जायगी, मैं अपने एतराज को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा के अन्तर्गत ७,६१,११७ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५--विद्युत योजनायें

वित्त मंत्री (श्री हाफिजमुहम्मद इब्राहीम)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च सन् १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिये राज्यपाल को १०,७१,७८५ रुपये की धनराशि दी जाय। यह जो ग्रांटस् पर एक्सप्लनेशंस दिये हुए हैं उनमें यह ग्राण्ट नं० २५ है। वह रुपया कहीं और खर्च नहीं हुआ। यह जो कानपुर एलक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उसमें जो मशीनरी वगैरह है, उसके लिये रुपया डिप्रिसिएशन फंड में रखा जाता है हर साल। तो जितना रुपया उस साल के लिये मंजूर हुआ था उसमें ७ लाख कुछ हजार इतनी जो रकम लिखी है, उससे ज्यादा, वहां के जनरल मैनेजर ने डेप्रिसिएशन फंड में दिया है। मालूम होने पर गवर्नमेंट ने उस ऐक्शन को डिस्अप्रूव कर दिया। बहरहाल वह रुपया तो डेप्रिसिएशन फंड में चला ही गया था, वह उस में शामिल है; इसलिये यह मांग की गयी है कि उस रुपये को जो इस तरीके से ट्रांसफर हो गया दूसरी तरफ, उसके ट्रांसफर को मंजूर किया जाय और इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण मांग के अधीन ७१,७८५ रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आप जो कटौती पेश कर रहे हैं, उस पर मैं एतराज करता हूं। जब यह पेश हो तो इसका मुझको नोटिस होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि नोटिस के लिये तो, चूंकि आज ही यह सदन के सामने आया है, मौका नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव में एक रुपया होना चाहिये या संपूर्ण अनुदान होना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब को याद दिलाऊं और हाउस को याद दिलाऊं कि स्पीकर साहब के सामने सुबह इस मसले के ऊपर बातचीत हुई कि कटमोशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं और उन्होंने यह फरमाया कि कटमोशंस हो सकते हैं लेकिन आज इस में कटमोशंस नहीं होंगे, इसलिये कि उनके लिये वक्त नहीं था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह नहीं कहा। उन्होंने यह कहा कि एक रुपया टोकेन मोशन नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य अपना कटमोशन पेश करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं इस मांग में ७७,७८५ रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। इसका कारण यह है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जब यह प्रश्न आया था, डेप्रिसिएशन वाला, जिसे अभी माननीय मंत्री जी ने अभी हाउस के सामने रखा, तो उस के सामने यह रिपोर्ट दी गई थी कि ९,९४,००० रु० ज्यादा जमा कर दिया गया सरकार की बिना इजाजत के। जनरल मैनेजर ने जो कमेटी के सामने स्पष्टीकरण दिया वह इस प्रकार है :--

> "सरकार ने पुराने माल के दाम पर कुछ पुरानी मशीनें मोल ली थीं। मैंने इस बात का भरसक प्रयत्न किया है कि कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन के राजस्व में से एक अच्छी रक़म मूल्यापकर्ष निधि में जमा हो जाय। उस समय महालेखापाल कानपुर आये थे और उनसे बातचीत करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचे कि ९,९४,००० रुपये की जो वृद्धि हुई है उसको मूल्यापकर्ष निधि में जमा कर दिया जाय।"

तो बड़े आश्चर्य की बात है जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने इस अनुदान के अधीन यह कहा गया कि ९,९४,००० रु० की वृद्धि हुई है, हम इस बजट में देखते हैं कि १०,७१,७८५ रुपये की वृद्धि हुई है और माननीय मंत्री जी ने जो साहित्य बांटा है उसमें यह कहा गया है कि इतने रुपये की वृद्धि हुई और जनरल मैनेजर की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें भी १० लाख है, लेकिन कमेटी के सामने जो स्पष्टीकरण आया उस में ९,९४,००० है। मैं समझता हूं कि हाउस की कमेटी के सामने जो स्पष्टीकरण आया है, वही सही मालूम होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी कहा कि "आपको इन धनराशियों के लिये भी एक पूरक व्यवस्था की मांग करनी चाहिये थी। हर दशा में एक पूरक व्यवस्था की आवश्यक थी।" तो चूंकि ७७,७८५ रुपये का कोई स्पष्टीकरण पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने नहीं दिया गया, इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी कटौती हो जानी चाहिये। इस वृद्धि का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, हमारी फाइलों में भी नहीं है और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने अगर गलत रिपोर्ट दी गई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं बताया गया उस कमेटी को कि १०,७१,००० रुपये की वृद्धि हुई है? या तो माननीय मंत्री जी सही हैं या जनरल मैनेजर, जिन्होंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने रिपोर्ट दी, वे सही हैं। मैं माननीय मंत्री जी की सहूलियत के लिये पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स के पेज ७६५ का हवाला देना चाहता हूं। वह इसे देख लें, उसमें यह सारा जिक्र है। अगर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से कोई बात छिपाई गई है, जिसकी मैं कोई आशा नहीं करता हूं तो यह उसका बड़ा भारी अपमान हुआ है जो कि नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव को चाहूंगा कि यह सदन मंजूर करे, क्योंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने केवल ९,९४,००० रुपये का ही जिक्र इस सम्बन्ध में आया था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहूं मैं इन अपने दोस्त नारायणदत्त साहब को कि मुझे भी झुठला रहे हैं, डिपार्टमेंट को भी झुठला रहे हैं। लेकिन यह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने, बेचारी ने क्या कसूर किया जो उसको झुठला रहे हैं। जो रिपोर्ट में है, वह मैं पढ़े देता हूं। उसमें लिखा है :--

"There was an excess of Rs. 10,71, 785 in the final grant of Rs. 90,81,600."

ये फीगर्स हैं और उसके ऊपर इतना इजाफ़ा हुआ १०,७१,७८५ रुपये का। यह रिपोर्ट है पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की। ये फ़ीगर्स न जाने कहां से मेरे दोस्त ले आये हैं। मैंने तो वही यहां पेश किया जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने पेश किया था और उन्हीं की हिदायत के मुताबिक़ उसको यहां पेश किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया एक रिपोर्ट का जो पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की थी। मेरा कहना यह था कि डेप्रिसिएशन जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है वह केवल ९,९४,००० रु० की रक़म थी। बाद में ७७ हजार रुपये की कैसे वृद्धि हुई, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--आप की किताब गलत है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, मैंने तो अर्ज कर दिया कि उनकी किताब गलत है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं के अन्तर्गत ७७,७८५ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं के अन्तर्गत १०,७१,७८५ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०--परिवहन (ट्रांसपोर्ट)

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ के समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ३०--परिवहन (ट्रांसपोर्ट) के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को १,३०,८६९ रुपये की धनराशि दी जाय।

श्रीमन् वास्तव में यह कोई अधिक व्यय नहीं है, बल्कि एक हमारा सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर में है उससे पार्ट सप्लाई करते हैं ओरीजनल वर्कशाप को। तो उनसे वसूली नहीं हो पाई, उसकी बाबत यह रकम है। यह हिसाब-किताब की बात है, मुझे उम्मीद है कि हाउस इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--परिवहन (ट्रांसपोर्ट) के अन्तर्गत १,३०,८६९ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०--युद्धोत्तर योजना और विकास

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ के समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ४०--युद्धोत्तर योजना और विकास के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को २३,४१३ रुपये धनराशि दी जाय।

यह रकम इस साल में ज्यादा खर्च नहीं हुई है बल्कि १९४९-५० के साल में एकाउन्टेंट जनरल के आफिस में कुछ मिसक्लासीफिकेशन की वजह से रकम इधर की उधर दर्ज हो गई थी जिसकी वजह से यह रकम इधर की उधर हो गई इसलिये इसको मंजूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--युद्धोत्तर योजना और विकास के अन्तर्गत २३,४१३ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१--राजस्व सुरक्षित निधि

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ४१--राजस्व सुरक्षित निधि के अन्तर्गत राज्यपाल को १,९५४ रुपये की धनराशि दी जाय।

सिविल और डिफेंस की जो चीजें गवर्नमेंट बेचती थी तो जो रुपये की वसूली होने की तवक्को रहती थी उसके मुताबिक बजट में रुपया रख लिया जाता था कि इतनी आमदनी इससे होगी। तो इस साल के लिये जो रुपया रखा गया तो १,९५४ रुपये की रकम ज्यादा आई, अंदाज से। जो यह रकम आती थी रिसीट में उसको जो हमारे यहां रवेन्यू रिजर्व फंड था उसमें शामिल कर दिया जाता था। अब इतनी ज्यादा रकम रिजर्व फंड में शामिल की गई। यह सिर्फ ट्रांसफर का सवाल है और कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--राजस्व सुरक्षित निधि के अन्तर्गत १,९५४ रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) को १७,४३,५६८ रुपये की धनराशि दी जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हुकुम सिंह--इसके अन्दर जमींदारी की कोई बात नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--भला माननीय मंत्री जी जहां पर हों वहां कोई अपने को रोक सके यह असंभव मालूम होता है। श्रीमन्, यह गलती क्या है, एक बहुत बड़ी गलती है। यह बात ठीक है कि ओवरसाइट से कोई महत्वपूर्ण गलती हो सकती है। यह कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने अपनी जिन्दगी में कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं की है। टेक्नीकल गलती तो उनसे होती रहती है, जिसका मलाल किसी को नहीं है। किन्तु उनकी दूरदर्शिता को देखते हुये, और उनकी महत्ता को देखते हुये यह १७ लाख क्या अगर वह और भी इससे अधिक मांग करें तो हम उनको देने के लिये तैयार हैं और सदन में किसी को इन्कार नहीं हो सकता है। परन्तु संभवतः यह विभाग उस समय उनके पास नहीं रहा होगा। इस लिये उनके ऊपर कोई आक्षेप करना उचित नहीं मालूम होता है। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वह अपने कर्त्तव्य का पालन यहां पर करते हैं उससे हम सब प्रसन्न रहकर जैसी भी वह मांग करें उसकी पूर्ति करने के लिये तैयार रहते हैं। यह गलती विभाग द्वारा की गयी है और किसी भी सरकार के द्वारा यह हो सकती है। यह हो सकता है कि थोड़ी गलती हो, १ लाख की गलती हो लेकिन यह १७ लाख की गलती अपनी जगह पर कोई मायने नहीं रखती है। यह हो सकता है कि ओवरसाइट से यह हुआ हो, लेकिन ५०-५१ के बाद से आज ५५ तक यह भूल यों ही टलती रही। इसका पता तब चला जब यह भूल डिटेक्ट की गयी, और उस पर रोशनी डाली गयी। उस समय इसको टेक्निकल गलती नहीं समझा गया, जिससे यह सदन के सामने नहीं लायी गयी। यह भूल है और कोई इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उससे गलती या भूल नहीं हो सकती है। यह कहना सरासर गलत है और असत्य है परन्तु भूल का भी समय होता है और जब वह समय किसी मनुष्य द्वारा उल्लंघन कर दिया जाता है तो उस समय वह अनुचित प्रतीत होता है। मेरा यह विश्वास है कि उस समय माननीय मंत्री महोदय उस स्थान पर यदि होते तो वह इस प्रकार की गलती कदापि नहीं करते। लेकिन आज उनकी जिम्मेदारी है। यह गलती उनके सामने आ गयी है। इसको

सुधारने के लिये वह सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको केवल हंस कर टाला जा सकता है। यदि इस पर हमने सीरियस व्यू नहीं लिया तो आइन्दा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यह समझ लेना चाहिये कि इससे बड़ी गलती भी हो सकती है। और मैं तो समझता हूं कि यह विभाग भी लुप्त हो सकता है। अगर १७ लाख की गलती और भूल ५ साल के बाद मालूम हो तो मैं विभाग को क्या कहूं, यह सोचने की बात है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और बहुत सी बातें जो माननीय मंत्री महोदय से सुनने को नहीं मिली हैं वे जवाब में मालूम हो जायंगी और यह सदन प्रसन्न चित्त हो जायगा। माननीय शिवनारायण जी बोलने के लिये बहुत लालायित हैं इसलिये मैं बैठ जाता हूं।

श्री शिवनारायण—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सुन्दर अनुदान ऐग्रीकल्चर का है कि हमारे देश का करोड़ों रुपया जो विदेशों को जाता था उसको ऐग्रीकल्चर और ग्रो मोर फूड कैंपेन ने बचा लिया। एग्रीकल्चर के आफिसरों और स्पेशिलिस्टों ने देश की फूड प्राब्लम को हल कर दिया। इतनी बड़ी प्राब्लम को हल करने में १७ लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ। अवधेशप्रताप सिंह जी को तो इस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये था और गवर्नमेंट को दुआ करना चाहिये था। उन्होंने कहा कि जो मंत्री जी मागेंगे वही वे दे देंगे। एक कहावत है कि "दाना दुश्मन नादान दोस्त से अच्छा होता है।" मैं आपको नादान दोस्त समझता हूं। दाना दुश्मन तो वे हैं जो सही किस्म का क्रिटिसिज्म करते हैं। करोड़ों रुपया जो विदेश जाता था वह बचा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। यह जो रुपया है, वह मामूली गलती है। किन्हीं कागजात की उलट-फेर में रह गया और हमने इस रुपये को ग्रो मोर फूड कैंपेन में खर्च कर दिया, ट्रैक्टर्स खरीदे, नये जानवर खरीदे, फार्म बनवाये, नई प्रकार की ट्रेनिंग दी, कालेज खोले। परसों ही रामनारायण त्रिपाठी जी ने सवाल उठाया कि कांस के उखाड़ने में कितना रुपया खर्च हुआ। विरोधीदल से जो क्रिटिसिज्म होना चाहिये वह एक्चुअल होना चाहिये और फिर यह तो माइनर एक्सपेंसेज हैं इसके लिये तो आपको गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहिये। उसने देश की फूड प्राब्लम को हल कर दिया। अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

†श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है:—

"यह वृद्धि केवल टेक्निकल किस्म की है और मुख्यतः इसका कारण यह है कि भूल से इस अनुदान के अन्तर्गत सम्पूर्ण ७८ लाख रुपये के लिये पूरक अनुदान न लेकर शुद्ध व्यय ४३ लाख के लिये पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था।"

यानी टेक्निकल भूल हो गयी थी। ७८ लाख की मांग नहीं थी, बल्कि ४३ लाख की मांग थी। अब आदरणीय सदन देखे कि इसमें फिर भूल हुई है या नहीं। ७८ लाख मांगना चाहिये था, ४३ लाख मांगा गया। अगर इसको घटाया जाय तो ३५ लाख रुपया होता है। तो अब ३५ लाख रुपया न मांग कर १७ लाख ४३ हजार रुपये की मांग की गयी है। इससे दाल में कुछ काला अवश्य मालूम पड़ता है।

अब यह भूल हुई है या क्या हुआ है, इसको देखने के लिये मैंने पूरक बजट देखा। उसमें ग्रांट नम्बर ४३ में इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। उसमें सारी स्कीम समझाई गयी है। सरकार ने फर्टिलाइजर खरीदे, बाहर से मंगाये, आई० सी० आर० कम्पनी से खाद मंगाया। उसमें लिखा हुआ है कि :—

"चालू वर्ष में ७८ लाख रुपये की धनराशि की पूर्ति करना आवश्यक है, जिसके लिये एक पूरक अनुदान की आवश्यकता है।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

७८ लाख रुपये के अधिक व्यय की तुलना में घटाइये शीर्षक पूंजी के लेखे पर होने वाली प्राप्तियां तथा लौट प्राप्तियां—बीज तथा औजारों को प्रयोग में लाने की योजना के अधीन अतिरिक्त प्राप्तियों की तखमीनी राशि ३५ लाख रुपया है।"

जो इसमें रिसीट्स हैं उनका ३५ लाख रुपये का ब्योरा दिया गया है।

"इस शुद्ध अधिक व्यय की धनराशि ४३ लाख रुपया होती है।"

७८ लाख से ३५ लाख की धनराशि घटा दी गयी तब ४३ लाख रुपया होती है। तो यह भूल कहां है ? अगर आप ने खाद के लोन में दिया तो वह सबसिडी के रूप में दिया गया तो वह आपको वापस मिलेगी। उसके लिये आप ने प्राविजन किया। या तो आप कहिये कि मुफ्त में खाद बांटा, लेकिन आप तो कहते हैं कि भूल हो गई और आपने ७८ लाख की जगह ४३ लाख मांगा। इस तरह से तो यह सब-हेड बेकार है। आप क्यों यह १७ लाख की मांग करते हैं आप को उस हिसाब से भी ३५ लाख की ही करनी चाहिये थी अगर भूल की बात ही आप करते हैं लेकिन आप वह नहीं करते। इससे साबित होता है कि स्पष्टीकरण में ब्लंडर किया गया है कि वह सूचना दी गई है वर्ना जो पूरक अनुदान में रुपया दिखाया गया है वह बदला जाय। आप रिसीट्स या प्राप्तियों को देखें। इसका स्पष्टीकरण पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है, वहां भूल नहीं मानी गई है, बल्कि वहां दूसरा कारण बताया गया है। वहां एग्रीकल्चर विभाग के सेक्रेट्री, श्री ए० एन० झा कहते हैं कि लगभग ३ लाख की व्यय-वृद्धि इसलिये है कि एकाउन्टेंट जनरल ने फर्टिलाइजर्स की सप्लाई संबंधी भारत सरकार की उन मांगों को स्वीकार कर लिया जो उस धनराशि से अधिक की निकलीं, जिनकी कि कृषिसंचालक ने कल्पना की थी। इससे साबित होता है कि इस मांग को करने में इतना गड़बड़घुटाला है कि स्पष्ट हो जाता है कि गड़बड़ हुई है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मांग को बिलकुल फिलहाल स्थगित कर दिया जाय और मंत्री जी अपने रिकर्ड को देखें कि यह टेक्निकल भूल है, या इंडिया गवर्नमेंट की डेबिट की गलती है या क्या बात है। इसलिये मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्सेज डिमांड अनुदान संख्या ४३ के अन्तर्गत १७,४३,५६८ रुपये की की गई है उस के संबंध में मैंने विनियोग लेखा, लेखा परीक्षा की ५०-५१ की रिपोर्ट को देखा तो पृष्ठ ६१ पर देखने से पता लगा कि अनुदान संख्या ४३ के सामने १७,४३,५६८ रखे गये हैं, जैसी कि अनुदान में मांग की गई है, यानी जैसा कि इस एक्सेज डिमांड में है और ऐसी जितनी भी रकमें हैं वह ऐसा लगता है कि इस विनियोग लेखे में जो प्रारम्भ के पृष्ठों में दिया हुआ है, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट सन् ५०-५१ की है उसमें दर्ज है, पृष्ठ ३५८ पर अनुदान संख्या ४३ का विवरण दिया हुआ है। उसके देखने से यह मालूम होता है कि एक्सेज डिमांड ६ लाख १७ हजार ९८७ रुपये की होनी चाहिये थी, यह बड़ा शीर्षक और उप-शीर्षक ७१ के अन्तर्गत है और जो अन्त में योग दिया हुआ है उसमें अन्त में तो वही १७ लाख कुछ रुपया है और दूसरे हिस्से में कमी हो गई है। वहां ११ लाख २१ हजार ५८१ रुपया बचत दिखायी गयी है। इस तरह से अन्त में केवल ६ लाख १७ हजार ९८७ रुपया अधिक व्यय दिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो १७ लाख ४३ हजार ५६८ रुपये हैं यह यहां गलती से पृष्ठ ६१ पर दिखाये गये हैं। और उसी से लेकर यह एक्सेज डिमांड बना दी गयी है, लेकिन शीर्षक ७१ के अन्तर्गत साफ ६ लाख १७ हजार ९८७ रुपये लिखे गये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वह जो ११ लाख २१ हजार ५८१ रुपये की किसी मद में बचत हो गई उसे निकालकर जो अंतिम दिया गया है वही डिमांड एक्सेस होनी चाहिये थी और यह डिमांड १७ लाख की है, वह गलत है। मैं समझता हूं कि अगर यह गलती वास्तविक हो तो यह अधिक रुपये की डिमांड करना मुनासिब नहीं है बल्कि जो अंतिम अधिक व्यय है वही मांगा जाना चाहिये जैसा कि आडिट रिपोर्ट देखने से पता चलता है जो रकम सही है उसको देने में सदन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--आपने विरोध किया या समर्थन?

श्री हुकुमसिंह--कुछ नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तिवारी जी की राय यह है कि १७ लाख नहीं ३५ लाख का डिमांड होना चाहिये उन्होंने सब किताबें पढ़कर बतायीं। हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं ६ लाख होना चाहिये। अब मैं उनकी मानूं या इनकी। मौर्य जी ने हर स्थान पर कहा कि मुझे ऐसा लगता है वह खुद ही डाउटफुल है। जिसका हिसाब खुद पक्का नहीं है उस पर हम कैसे ध्यान दें। जब वह खुद मशकूक है तो उनके हिसाब पर उनके मशविरे पर अपनी डिमांड को कैसे तरमीम कर दूं। यह कहां तक मुनासिब होगा। शक का फायदा मुलजिम को मिलता है इस सिद्धांत को मैं बदलना नहीं चाहता। लिहाजा जो हिसाब था वह ३५ लाख का था कुछ सेविंग हो गई इसलिये १७ लाख रह गई। नारायण दत्त तिवारी जी कहते हैं कि ३५ लाख मांगो। जितने की जरूरत है, उतना मांगते हैं उनसे ज्यादा क्यों मांगें? ३५ लाख मांगने की जरूरत नहीं है। इसके साथ-साथ मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह खर्चा क्यों किया गया। यह गरीब जनता के हित में किया गया। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जितने फर्टिलाइजर्स देने को कहा था उससे अधिक तादाद में दे दिये। हमें उसके लिये पे करना था इसलिये हमारा जो प्राविजन था उससे अधिक की आवश्यकता हुई। उससे ज्यादा खाद लाकर हमने किसानों को बांटा। इतना तो सहायता का कार्य किया। अब उसके लिये ज्यादा रुपया खर्च हुआ तो मांगे किससे? इस सदन से न मांगे तो किससे मांगे? मौर्य जी तो हमेशा कटौती करते हैं १७ के ६ ही करना चाहते हैं, हम तो उधर से ही उम्मीद करते हैं कि हमें देंगे। अब हमारे दोस्त अवधेशप्रताप सिंह जी कहते हैं कि यह डिले क्यों? मैं क्या बताऊं जब माननीय मुख्य मंत्री जी उनको नहीं समझा सके और उनके समझाने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आया तो मैं अब प्रयास करने की जरूरत नहीं समझता।

बजट मैनुअल पढ़कर सुनाया तब भी उनकी समझ में नहीं आया। मेरे पास तो कोई लाल किताब है नहीं जिसे मैं पढ़कर सुना दूं और उनकी समझ में आ जाय। यह बहुत जायज रकम है और मुझे आशा है, सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १७,४३,५६८ रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--८८,

विपक्ष में--१२।)

अनुदान संख्या ४५--नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५१ की समाप्ति पर अनुदान संख्या ४५--नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १२,६७,९१२ रु० की अतिरिक्त धनराशि दी जाय।

(इस समय ३ बजकर ३६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं आशा करता हूं कि इस अनुदान के स्वीकार करने में हमारे विरोधी पक्ष को कोई भी कष्ट नहीं होगा। इसमें हकीकत यह है कि हमारे विभाग ने खर्चा कम किया है। जितना उन्हें खर्च करने का अनुदान मिला हुआ था उसमें किसी में १२ लाख कम खर्च हुआ, किसी में पांच लाख, किसी में एक लाख, ज्यादातर खर्चा कम किया गया है। सिर्फ एक जगह हम लोगों को यह उम्मीद थी कि हमारा सामान २५ लाख का बिक जायगा। बाद में एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से दरियाफ्त किया गया तो मालूम हुआ कि २७ लाख का बिक जायगा, तो दो लाख और बढ़ा लिया कि इतनी बचत हो जायगी। बदकिस्मती से वह पैसा उतना उसमें वसूल नहीं हुआ। उसको बाद फिर जो रकम वसूल हुई वह अगले साल में वसूल हुई और इस साल में

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

वह दर्ज नहीं हो सकी। इसलिये यह १२ लाख और कुछ हजार का फर्क पड़ जाता है जो बिलकुल किताबी जमा खर्च है और जिसमें ज्यादा खर्च करने का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि इस खुलासे के बाद इस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १२,६७,९१२ रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १९५५ को प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १९५५ को उपस्थित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५ को प्रस्तुत करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

जिन रकमों पर अभी यहां बहस हुई वे सब इस विधेयक में लिखी हुई हैं और इस के जरिये से यह चाहा जाता है कि इतनी रकम जिसका टोटल इसमें दिया हुआ है यह कंसालिडेटेड फंड से विदड्रा करने की इजाजत दी जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इजाजत देगा। इसके मुताल्लिक बहुत सी बात चीत हो चुकी है और मैं अपनी तरफ से कुछ और कहना जरूरी नहीं समझता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, जो डिमांड्स यहां पर रखी गई थीं उनको खर्च करने के अधिकार के लिये यह बिल इस सदन के सामने पेश हुआ है। मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है जिस पर काफी प्रकाश मैंने पहले भी डाल दिया था और अच्छा होता कि मैं उससे उसी वक्त कहता लेकिन पहले मैंने कुछ कह दिया है, उसको मैं दोहराना पसन्द नहीं करूंगा, क्योंकि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उस बात को सुन लिया है। लेकिन फिर भी मुझे दुख इस बात का होता है कि कभी-कभी हम कई सदन के माननीय सदस्य अपने अधिकारों की रक्षा करना नहीं चाहते, अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखना चाहते। हमारे जो अधिकार हैं वह क्या हैं उसे समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। इस बात पर मुझे कभी-कभी बड़ा दुख होता कि एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है और उसको इस हाउस के अन्दर इतने लाइटिली लिया गया। मैं अभी माननीय शिवनारायण जी का भाषण सुन रहा था, वैसे उन्हें सब कुछ माफ है, वह चाहे जो कह सकते हैं, लेकिन मैं यह सोचता रहा कि वह क्यों बी० ए० में दो तीन साल फेल हो गये। हिस्ट्री का पेपर होगा और वह एकोनामिक्स लिख रहे होंगे। किस विषय पर बहस हो रही है और क्या वह सोच रहे हैं। अगर इस विषय पर कुछ वे सोचते तो समझते कि मैं जो कुछ कह रहा था वह उन्हीं के अधिकारों की रक्षा के लिये कह रहा था। अगर हमारी बात मान जायेंगे तो उन्हीं के अधिकारों की रक्षा होगी। अगर इस सदन की

मंजूरी लिये बिना रुपये खर्च करने की सारे विभागों की टेंडेंसी हो जायगी और उसे हम रोकने की कोशिश न करेंगे तो सदन की फिर कोई जरूरत ही न पड़ेगी। वे यह समझेंगे कि इस साल सारा रुपया खर्च कर डालो। १९६२ तक एकाउटेन्ट जनरल के एकाउन्ट्स आयेंगे फिर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी फैसला करेगी, उसके बाद देखा जायगा, आज तो सारा रुपया खर्च ही कर डालो। यह जो टेंडेंसी हमारे डिपार्टमेंटों की है, इसको रोकना चाहिये। अगर हम इस प्रश्न पर कुछ गंभीरता पूर्वक इस सदन के अंदर विचार करते तो मैं समझता हूं कि हम अपने प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते थे? आखिर एक्सेज होता क्यों है? हर वक्त, जैसा कि माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि एक्सेस हो गई। पब्लिक के लिये खर्च किया गया है, उन्हीं से रुपया लिया गया है। मैं मानता हूं कि पब्लिक के लिये खर्च हो रहा है और उसी से लिया जा रहा है लेकिन फिर इस बजट की जरूरत क्या है? इस हाउस में खर्च का सारा रुपया मंजूर कराने की क्या जरूरत है?

तो मेरा उद्देश्य इस बिल का विरोध करने का एक है वह यह कि जो टेंडेंसी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की आज हो गई कि रुपया खर्च किया जाय फिर हमारे मिनिस्टर जो हैं, जब मामला हाउस के सामने आयेगा, उसको पास करा लेंगे और हाउस तो आप जानते हैं जिस प्रकार से यहां विचार होता है। मैं यह चाहता था, जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया ऐप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स आडीटर जनरल के यहां से आते हैं तो वह गवर्नर महोदय के पास आते हैं और गवर्नर इसको सदन के सामने पेश करते हैं और इस सदन के सामने जब वह आते हैं तो इस सदन की एक कमेटी जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी कहलाती है आडिट रिपोर्ट जो होती है, उसको भेजती है। तो जितनी यह एक्सेस हैं जिन पर हम आज विचार कर रहे हैं यह सारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आयीं और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने यह फैसला किया, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इसकी सारी डिटेल्स पर विचार करके यह देखा कि यह ऐक्सेसज जायज थीं या नहीं? बहुत सी जगह ऐसा है अगर हमारे रिजोल्यूशन देखे जांय तो हमने बड़ी गम्भीरता से विचार किया और जहां कहीं हमने देखा कि ऐक्सेस होना आवश्यक है, जैसे कि फरवरी, मार्च के महीने में बीमारी फैल जाती है, हैजा हो जाता है उसके लिये रुपये की बड़ी सख्त आवश्यकता हो जाती है उस समय इतनी जल्दी रुपये की जरूरत होती है तो अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल का ख्याल रखे तो उसके लिये सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर ऐसी कोई एमरजेन्सी यहां पर आ जाय जिसको हम लोग देख नहीं सकते थे, तो उसके लिये कंटिंजेन्सी फंड बना हुआ है जिसमें से रुपया ले सकती है। अगर उसमें रुपया कम भी हो जाय मान लीजिये उस फंड में ५ करोड़ रुपया है अगर ६ करोड़ रुपये के खर्च करने की जरूरत पड़े और लेजिस्लेचर मीट न कर सकता हो तो गवर्नर महोदय को यह पावर है कि वह एक आर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और उससे जो हमारा कंटिजेन्सी फंड है उसको इन्क्रीज कर सकते हैं और उसको खर्च कर सकते हैं और जब आर्डिनेंस की मियाद खत्म हो ६ महीने के अन्दर लेजिस्लेचर बुलानी पड़ेगी और उससे सेंक्शन कराना पड़ेगा।

एक्सेसेज का जहां तक प्रश्न है, यहां मैं यह बता दूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के इस जोर देने पर कि यह सारे रेगुलराइज हो जाने चाहिये आज यह हमारे सामने रेगुलराइजेशन के लिये इस सदन के सामने आये। और मैं यह भी कहता हूं जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि कम्पाइलेशन में बड़ी देर लगती है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से ऐसी बात कह रहा हूं। उन्होंने बजट मैनुअल का क्लाज पढ़कर सुना दिया। मैं यह मानता हूं कि कम्पट्रोलर और आडीटर जनरल के यहां देर लग जाती है, कुछ आडिट आबजेक्शन होते हैं, इसीलिये आडीटर नजरल ने यह फैसला किया कि जो उनके रिपोर्ट हो वह पार्ट्स में आवें। आडिट की रिपोर्ट अलग पेश हो और जो एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स होते हैं जिसमें सारी डिटेल्स हमरे बजट की होती है उसके बनाने में जरा देर होती है, वह अभी नहीं आ पायी है सिर्फ आज जैसे हमारी सामने आडिट रिपोर्ट आयी है, वह बाद में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]
के सामने विचारार्थ जायगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स जिस वक्त कन्ट्रौलर जनरल और आडीटर जनरल के यहां से आवें उसके बाद जब लेजिस्लेचर के सामने पेश हों तो लेजिस्लेचर में पेश होने के और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में विचार करने के बीच में कोई आवश्यकता इस बात की नहीं कि पब्लिक एकाउन्ट्स में कमेटी के फैसले के लिये रुका जाय और उस एक्सेस को इस हाउस में मंजूर न कराया जाय क्योंकि वह तो ऐक्सेस हो गई डिपार्टमेंट्स उसको मानते हैं कि हमारी इस ग्रांट के अन्दर एक्सेस हो गई। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को यह अधिकार नहीं कि जो रुपया एक्सेस हो गया उसको हम मन्जूर कर दें। अगर यह अधिकार होता तब तो पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी में भेजने के लिये रुकने का सवाल था, नहीं तो जिस वक्त ऐप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स हाउस के सामने पेश हो जायं उसके बाद कोई देर नहीं लगनी चाहिये। तो मेरा कहना यह है कि तो २३ अगस्त सन् ५३ को इस हाउस के सामने हमारा ऐप्रोप्रियेशन एकाउंट आ गया था। सरकार को मालूम हो गया था। सरकार को तो उसके पहले ही मालूम हो गया था, जून के महीने में सरकार के पास यह रिपोर्ट आ गई थी और अगस्त सन् ५३ में इस हाउस के सामने वह रखी गई। इसके बाद क्यों देर हुई? यह मैं मान भी लूं कि एकाउटेन्ट जनरल और गवर्नमेंट के बीच में बराबर लिखा-पढ़ी रहती है और यह सही है, जब एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां एकाउंट क्लोज हो जाता है उसके बाद ही यह मालूम हो सकता है कि किस ग्रांट के अन्दर ऐक्सेस हो गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को यह मालूम हो जाय, एकाउन्टेन्ट जनरल उसको यह कनविंस कर दे कि यह एक्सेस हो गया है, इसको हम लायेंगे जरूर, अच्छा हो इसका सैंक्शन हाउस से पहले ही ले लिया जाय तो गवर्नमेंट अगर उसी वक्त सैंक्शन ले ले, फिर वह सारा झगड़ा उसी वक्त खत्म हो जाय। जिस वक्त पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इस पर बिचार कर रही थी, उसके पहले ही यह हाउस से मंजूर हो गया होता तो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी भी कहती कि हां, यह ऐक्सेस हो गया था, लेकिन अब हाउस ने रेगुलराइज कर दिया है और अब इस पर और बहस करने की जरुरत नहीं है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने बड़ा सीरियस व्यू उस पर लिया है। उसने यह होल्ड किया है कि यह कांस्टीट्यूशनल ब्रीच है और इसे अवायड करना चाहिये। यह टेंडेंसी रोकनी चाहिए। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी यह चेक न रखे तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स ऐक्सेस खर्च करने लगें। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसको स्वीकार करना चाहिए कि इस टेंडेंसी को रोकने की जरुरत है।

अध्यक्ष महोदय, एक्सेस कैसे होता है, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है हमारा। उसका दस करोड़ का बजट है। सारी ग्रांट दस करोड़ रुपये की है। चीफ इंजीनियर जो उसका हेड है, वह उस ग्रांट को बांट देता है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स में। अगर दस डिवीजन हैं तो एक-एक करोड़ रुपया उसने मान लीजिये दस डिवीजंस को उनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में दे दिया। उनसे उसने कह दिया कि यह तुम्हारी ग्रांट है, इतने तक तुम अपने-अपने डिवीजन में खर्च कर लो। लेकिन इसकी इत्तिला वह ट्रेजरी को नहीं देता। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास एक चेक बुक रहती है। अगर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बजाय एक करोड़ के दो करोड़ रुपया भी निकाल ले तो ट्रेजरी कभी उसको इनकार नहीं करेगी। इस तरह से अगर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एक करोड़ के बजाय डेढ़ करोड़ निकाल ले, दूसरा सवा करोड़ निकाल ले, तो उस वक्त उसका कोई चेक नहीं है। साल के अन्त में जब वह सब एकाउन्ट्स एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां रजिस्टर पर दर्ज होने को जाते हैं तो सारा टोटल ऐक्सेस का मिलता है। हमारे यहां रोडवेज का मुहकमा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। आगरा के एक जेनरल मैनेजर ने आठ लाख रुपये के स्पेयर पार्ट्स बिना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के परमीशन के ले लिये। कारण? उस जनरल मैनेजर के पास भी उसी तरह की एक चेक बुक होती है जैसी कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास रहती है और वह इसलिए रहती है कि जैसे पेट्रोल का खर्चा है, स्पेयर पार्ट्स का खर्चा है, अगर इनमें कोई खर्चा

ज्यादा बढ़ गया तो रोज-रोज तो पैसा लिया नहीं जा सकता । इसीलिये उसको एक चेक बुक दी गई । आगरा डिवीजन के जनरल मैनेजर ने उससे आठ लाख रुपये के स्पेयर पार्ट्स् बगैर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की इजाजत के बगैर बजट एलाटमेंट के मंगा लिये, डेढ़ साल तक उससे पूछताछ होती रही, जबाव पूछा जाता रहा । आखीर में उस जनरल मैनेजर ने यहां से इस्तीफा दिया और वह अब जा करके बम्बई में नौकर हो गया । उसका इस्तीफा क्यों मंजूर किया गया ? उसे डिस्मिस क्यों नहीं किया गया ? तो जब दो तीन साल के बाद हमारे सामने बात आती है तो फिर हम लोग कोई कार्यवाही नहीं कर पाते । तो ऐक्सेस होने का यही कारण है । अगर हम ऐक्सेस रोकने की कोशिश करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बजट ठीक रहे तो यही एक वजह है, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है । इसीलिये सभी ने यह सिफारिश की है कि सेपरेशन आफ एकाउंट फ्राम आडिट हो जाना चाहिये हमारे प्रदेश के अन्दर । आज स्टेट का सारा एकाउंट एकाउंटेन्ट जनरल रखता है, कम्पाइल वही करता है, सारा हिसाब वही रखता है और आडिट भी वही करता है । सब चीज वही है । अगर आज हम पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इंजीनियर से पूछें कि आपने कितना रुपया खर्च कर लिया आज तक, तो वह कहेंगे कि इतने करोड़ से इतने करोड़ के बीच तक खर्च कर रखा है । उनको सही नहीं मालूम । जो खर्च हुआ है वह एकाउटेंट जनरल के रजिस्टर में दर्ज है । यह एक बड़ी अजीब सी बात है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमारी डिमांड यह है कि यहां पर सेपरेशन आफ आडिट फ्राम एकाउन्ट हो जाना चाहिये । एकाउंट्स अलग रहे और आडिट अलग रहे । यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का बड़ा महत्व है और आपके रहते हुए, मैं समझता हूं, हमारा महत्व हो रहा है । डिपार्टमेंट्स उस चीज को समझ रहे हैं और हम लोग भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम यह नहीं कहते कि हम सब समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम देखें कि वह रुपया जो एक दफा हाउस में पास हो गया वह ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम अगर उसके ऊपर अपना पूरा-पूरा कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हम अपने फर्ज को पूरा नहीं करेंगे ।

यूनाइटेड किंगडम में जिस तरह से हमारे अनुदान होते हैं, डिमांडस पर बहस हो जाती है। उसके बाद जैसे ऐप्रोप्रियेशन बिल यहां पर आता है, वहां एक्सचेकर ऐप्रोप्रियेशन ऐक्ट पास होता है । एक एजूकेशन डिपार्टमेंटस को ले लीजिये । वहां यह कायदा है कि जिसको जितनी ग्रांट हो वह इंस्टालमेंट में रुपया बैंक आफ इंगलैन्ड से लेते हैं । जैसे हमारे यहां कंसालिडेशन फंड ट्रेजरी में जमा होता है, इंगलैंड में बैंक आफ इंगलैड में जमा होता है । जो लार्ड आफ दी ट्रेजरी होता है वह कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल को चिट्ठी लिखता है कि आप मेहरबानी करके बैंक आफ इंगलैंड को हिदायत दे दें कि वह हमारे पेमास्टर जनरल को एजूकेशन डिपार्टमेंट में खर्च करने के लिए इतना रुपया दे दे । इसका नतीजा यह होता है कि अगर एक लाख रुपया एजूकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है तो अगर एजूकेशन डिपार्टमेंट एक लाख से आगे, एक लाख एक हजार का भी चेक दे देगा तो उसको बैंक आफ इंगलैंड डिस्ऑनर कर देगा । इस लिए हर डिपार्टमेंट को पता रहता है । हर डिपार्टमेंट के पास एक एक एकाउन्ट्स आफिसर रहता है जो कि हेड होता है, वह सारे एकाउंट्स को अपने सामने रखता है । उसको पता होता है कि कितना रुपया खर्च होता जा रहा है, कितना रुपया बाकी रह गया है और एकाउंट्स रखने वाला एक दूसरा आदमी होता है । इस तरह से मालूम होता रहता है कि कितना रुपया खर्च हो रहा है और बैंक आफ इंगलैंड से ही रुपया कंसालिडेटेड फंड से लेकर ही खर्च किया जा सकता है । पेमास्टर जनरल को तो उतना ही चेक मिलता है जितना कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल देता है । उससे वह एक पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है । तो वहां पर ऐक्सेसज् होते ही नहीं, बहुत कम होते हैं । वह भी इसको बहुत बड़ा सीरियस चीज समझते हैं, डेमोक्रेसी की अवहेलना समझते हैं । तो हाउस के एप्रूवल के बिना खर्च किया जाना एक गलत चीज है ।

मुझ पर सुबह एतराज हुआ था: मान लीजिए एक कोआपरेटिव सोसाइटी है मैं उसका सेक्रेटरी हूं । उसके पास एक लाख रुपया है और मुझको बहैसियत सेक्रेटरी के यह

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अधिकार नहीं है कि मैं उसमें से एक पैसा भी खर्च कर सकूं। यह हो सकता है कि अगर मैं उस रुपये को खर्च कर लूं तो उसके बाद बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स बैठ करके जो रुपया मैंने खर्च किया है उसको पास कर दें। यह हो सकता है, लेकिन अगर मैं बिना बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के अधिकार दिये हुए खर्च कर लूं तो मैं अपने लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं वह मुझे माननीय सदस्य बतायें तो मैं वही कहूं। जब कहीं ऐसा होता है तो सीधा मामला अदालत में चला जाता है लेकिन इस सरकार को किस अदालत में ले जाऊं और कहां इनके खिलाफ मुकदमा करूं ? इस लिये हम देना तो चाहते हैं। जिस तरह से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से मैं पास करवा सकता हूं खर्च को सरकार भी उसी तरह पास कराना चाहती हैं, स्वीकृति लेना चाहती है, हम भी देंगे, लेकिन पहले हमें वह काजेज और सरकमस्टैंसेज बताये जायं तब हम देंगे। सर्कमस्टैन्सेज की बात यह थी कि डिपार्टमेंट ने सर्कमस्टैन्सेज जितने थे वे सब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को समझा दिये। हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन हम यह चाहते अवश्य हैं कि इसको रोका जाय। इसको अगर गवर्नमेंट चेक नहीं करेगी तो यह टेंडेंसी बहुत खराब हो जायगी और इस हाउस में बजट पेश करने का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इंगलैंड में यह होता है कि इस साल का एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट अगले साल आ जाता है। आप यह देखेंगे कि इस हाउस के सामने ५१-५२ की रिपोर्ट आयी है और उस पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने विचार कर लिया है। ५२-५३ की अभी आडिट रिपोर्ट ही आयी है, एप्रोप्रिएशन एकाउंट्स नहीं आये हैं। कम्पाइलेशन होने में अवश्य बहुत देर लगती है, मैं इसे मानता हूं, फिर भी मैं समझता हूं कि हम सब को मिल कर हाउस की मर्यादा को रखनी है। जो कांस्टीट्यूशन बना है उसके मुताबिक हमें काम करना है। कांस्टीट्यूशन बनाने वालों ने इस बात पर गौर किया और गौर करके ही एक्सेस ग्रांट का प्राविजन रखा लेकिन इसको भी एवायड करने के लिये उन्होंने कंटिन्जेन्सी फंड क्रियेट किया। वह कंटिन्जेन्सी फंड ५ करोड़ का इस स्टेट के अन्दर है।

मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी जैसा कहा गया था मैं पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से भी हाउस को यह बताना चाहता हूं कि हम लोग इसको छोड़ते नहीं हैं, हम बड़ी सख्त कार्यवाही करते हैं। अब हम गवर्नमेंट को देखेंगे कि वह क्या करती है। हम फिनैन्स डिपार्टमेंट और माननीय मंत्री जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि ऐसी चीजें बढ़ने न पायें। डेमोक्रेसी जैसे इंग्लैंड के अन्दर और और मुल्कों के अन्दर प्रास्पर कर रही है वैसे ही हमारे देश के अन्दर भी प्रास्पर कर सकती है। लोग कहेंगे कि आपने कन्टिन्जेन्सी फंड से क्यों नहीं लिया। मैं मानता हूं कि अगर कंटिन्जेन्सी मालूम हो गई होती उनको तो वह अवश्य ले लेते लेकिन उनको तो पता ही नहीं लगा। जब सब डिपार्टमेंट्स ने एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां खबर भेजी तब ३-४ महीने के बाद उनको पता लगा। तो मैं यह चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को इतनी लाइटली न डील करें। वे अपने पांव पर तलवार चला रहे हैं। अगर वे एक दफा समझ जायं और गवर्नमेंट एक दफा समझ जाय कि हाउस के सामने यह मामला आयेगा और कोई जबाव उनके पास न होगा तो मैं समझता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक ढंग से चलेगा। इन चन्द शब्दों के साथ जो बिल हमारे माननीय मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

†**श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे बहुत थोड़ी सी बातें कहनी है जिससे कि इस सदन का समय अधिक नष्ट न हो। परन्तु साथ ही साथ जिस तरह से इस विधेयक पर वाद विवाद होता रहा उससे म समझता हूं कि हम लोगों को दुःख ही हुआ। जिस प्रकार से गम्भीरता को ठुकरा कर जबाबों में चीजों को बतलाया है मैं समझता हूं कि यह इस सदन के लिये

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उचित नहीं है। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को बताना चाहूंगा कि यह वास्तविकता है कि कोई भी व्यक्ति, वे तो मुझको बता रहे थे कि उनके पास जमींदारी थी, लिहाजा वे समझते होंगें, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि चाहे जिसका जो पेशा हो, उसके पास कितनी ही कम सम्पत्ति हो, लेकिन बजट का जहां तक प्रश्न है वह तो सभी को भली-भांति मालूम है। कभी-कभी हर घर में जिसकी आमदनी बहुत ही कम है या उन लोगों से जिनकी मासिक आय बहुत ज्यादा है, सब के लिये एक बजट होता है वह इतना स्टैटिक बनायें या इतना निश्चयात्मक बनायें कि एक पाई भी अधिक सर्फ न हो तो यह असम्भव है और फिर किसी भी सरकार के लिये तो यह और भी असंभव है। इसी को देखते हुये इस सदन में और डेमोक्रेसी में सप्लीमेंटरी ग्रांट भी एक विधि है और एक्सेस ग्रांट भी एक ऐसी चीज नहीं है, जिससे हम परेशान हों या ऊबते हों या इस भवन में पहली बार आई हो।

मान्यवर, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी को मुझे इतना ही बताना था कि यह सच है कि एक्सेस ग्रांट भी हो सकती है। बजट स्टैटिक नहीं हो सकता है, निश्चयात्मक रूप से नहीं बनाया जा सकता है, इसमें कमी और बेशी की गुंजायश रहती है। यह सब बातें सर्वसाधारण को भी ज्ञात हैं और उन्होंने मुझे गलत समझा, जिससे उन्होंने मुझे यह उत्तर दिया। एक्सेस ग्रांट के लिये मैंने कोई आपत्ति नहीं उठाई। मैं सिर्फ उन्हें यह बतलाना चाहता था कि चीज यह देखने की है कि जो ग्रांट्स हमसे मांगी जा रही हैं, वह किस परिस्थिति में हैं, आखिर उसका जस्टीफिकेशन क्या है, क्या औचित्य है, यह उसका विषय है। एक्सेस ग्रांट से हम भयभीत नहीं हैं, परन्तु बात यह है कि वह कौन सी परिस्थिति थी या उसके औचित्य पर हम विचार करना चाहते हैं या विलम्ब हुआ है तो किस कारण से, उस कारण को हम देखना चाहते हैं सदन में।

कृषि मंत्री जी को मैं अधिक दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि ....।

श्री अध्यक्ष---अब तो कृषि मंत्री नहीं हैं, वित्त मंत्री सामने हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, अगर वह आ जाते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। अगर नहीं हैं तो कुछ सज्जन उनके कान तक यह बात डाल देंगे, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बजट मैनुअल की दफा १५७.......।

श्री अध्यक्ष---मैंने इशारा कर दिया माननीय सदस्य को कि वह वित्त मंत्री को ही सम्बोधित करें। अब तो बिल पेश हुआ है, पुरानी बातें नहीं आ सकतीं हैं, अब तो विधेयक सामने है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने तजकिरा कर दिया कि बहुत सी चीजें हैं जिनको यदि मैं कहता तो हमारे मंत्री महोदय सम्भवतः फरमाते कि यह तो हवा की बातें कर रहे थे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। उनको याद दिलाने के लिये मैंने तजकिरा कर दिया। अब, श्रीमन्, आपके कहने के अनुसार मैं दुहराने के लिये तैयार नहीं हूं।

अतः आज यह देखते हुये कि जो एक्सेस ग्रांट हमारे सामने आई हैं उनमें बहुतों में ऐसी गुंजायश थी जो सप्लीमेंटरी ग्रांट के रूप में हमारे सामने आ सकती थीं, या यह मानते हुये कि ए० जी० आफिस में या आपके करस्पाडेंस में इतना समय लगता है कि तत्काल नहीं हो सकता है, शीघ्रातिशीघ्र नहीं हो सकता है, लेकिन समय की भी तो एक सीमा है। ५०-५१ की चीज के लिये हम ५५ में स्वीकृति देने के लिये तैयार हो रहे हैं। जैसे कि आपके सामने यही बात एक माननीय सदस्य द्वारा लाई गई थी और वह ठीक भी है कि इसी भवन में हमने कई वर्षों की ग्रांट्स को पूरा किया है और उस पर जो कहना था कहने के बाद वह पास हुई। ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी कि इसमें बहुत सी मदें हैं जो इसमें आ रही हैं, वह सप्लीमेंटरी ग्रांट में क्यों नहीं लाई गईं। श्रीमन्, एक बार फिर

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

आज मुझे हर्ष है जिसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में निश्चय हो गया, नहीं तो सम्भवतः इस विधेयक पर या इन ग्रान्ट्स पर हम अपने विचार प्रकट न कर सकते और उस समय सदन के अधिकारों पर एक बड़ा कुठाराघात होता, जिसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस सम्मानित सदन के अधिकारों के लिये संलग्न रहते हैं कि उनकी रक्षा की जाय। यहां मैं आपको बधाई देता हूं कि इसके कारण हम बहुत सी बातों को सरकार के समक्ष पेश करने में सफल रहे।

श्रीमन्, भूल होती है और गलती भी होती है। मानव समाज में कोई अधिकारपूर्ण यह दावा नहीं कर सकता कि उससे गलती नहीं होती है, लेकिन, श्रीमन्, एक भूल है जिसको पढ़ कर और देख कर सम्भवतः आपको भी आश्चर्य होगा वह है १७ लाख रुपये की भूल। हजार नहीं, सैकड़ा नहीं और एक दो लाख नहीं, यह १७ लाख की भूल है जिसको टेक्निकल एरर कहा जाता ह। अगर यह टेक्निकल एरर है तो वह इसके अधिकार, क्षेत्र में कहां तक पहुंचती है? अगर इसको टेक्निकल एरर कहा जाता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह टेंडेन्सी एक्सेस ग्रान्ट की किसी भी विभाग के लिये हानिकर प्रतीत होती है चाहे वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की हो, चाहे वह सदन की हो, चाहे वह मिनिस्टर कन्सर्न्ड की हो, वह सबके लिये एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना आवश्यक है और इसकी रोकथाम करना आवश्यक है। जो आज यहां पर उपस्थित की गयीं वह तो पास हो गयीं और बहुत चीजें कांस्टीटयूशन की वजह से, हम मानते हैं कि विभाग के सामने नहीं आयीं और एक्सेस ग्रान्ट के बारे में बहुत से प्रोसीजर के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करना पड़ा, और कारेस्पान्डेन्स में आजकल कितना समय लगता है उसके कहने की आवश्यकता नहीं समझता, किन्तु किसका कसूर है और यह किसकी गलती है? यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में यहां पर कहने का आज अवसर नहीं है और उसके सम्बन्ध में आज कहना उचित भी नहीं है, लेकिन किसी डेमोक्रेटिक देश के लिये यह कहना कि वहां का एक जनरल मैनेजर जो रोडवेज का हो वह ८ लाख रुपये की रकम को मनमाने ढंग से स्वयं ही खर्च कर दे, इस आशा में कि सरकार और उसके सम्बन्धित मंत्री या यह माननीय सदन उसको स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देगा, यह कितनी बड़ी भूल है, वह कहीं भी हो उनसे इस्तीफा लेना या न लेना क्या माने रखता है? मैं तो यह समझता हूं कि इस तरह से अगर कोई कर्मचारी करता है चाहे वह किसी भी सरकार का हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो या चाहे कोई छोटी सरकार हो उसके लिये यह मुमकिन नहीं है, सम्भव नहीं है, कि उस चीज को वह सहन कर सके।

सरकार को देखना चाहिये कि एक्सेस ग्रांट्स के कारण क्या हैं। कोई भी मानव यह दावा नहीं कर सकता कि गल्ती उससे नहीं हो सकती। टेक्निकल एरर के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सरकार को देखना चाहिये कि उसकी प्रथा में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से ये गलतियां और देरी हुआ करती हों। कोई चीज स्टेटिक नहीं है, सब डाइनामिक हैं। यह मैंने माना कि हमारी बजट की प्रथा पुरानी है। हमारे पहले शासक विदेशी थे और वह हाउस आफ कामन्स या यूनाइटेड किंग्डम की प्रथा से अधिक वशीभूत थे या उसे वे अधिक समझ भी सकते थे। जब हमारा देश स्वतन्त्र हो चुका है तो हमें देखने की आवश्यकता है कि वे कौन सी चीजें हैं जो हमारी त्रुटियों का निवारण कर सकती हैं, जो इस माननीय सदन को भायेंगी या कैसे हमको सुविधायें मिल सकती हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं विरोधी दल का होने

के कारण कह रहा हूं। हम एक रूढ़िवादिता को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर दूसरी प्रथा ला सकते हैं। मैं इस नीयत से विरोध नहीं कर रहा हूं कि सरकार को एक ऐसी परिस्थिति में डालूं कि जिससे वह निरुत्तर हो जाय या उसके ऊपर कलंक लगे। मेरा तो केवल प्रयोजन इतना है कि सरकार स्पष्ट रूप से यह समझ ले कि जिस प्रकार से भी हो सके बजेटरी उसूलों को मानते हुये अगर डिटेल्स में कोई ऐसी चीज है जो आपके रास्ते में बाधक आवें तो उसे ठीक करना चाहिये। मैं कहता तो गया, लेकिन मुझे अब खयाल आया कि शायद कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मंत्री महोदय की गलती नहीं है, इसलिये मैं सिर्फ इतना और कहना चाहता हूं कि वह हर चीज को अच्छी तरह से सोच-समझ लें। हमारा यह इरादा नहीं है कि हम उनके रास्ते में रोड़े अटकावें। जब हमारा प्रदेश हर बात में आगे है तो बजट के उसूलों और डिटेल्स में भी सब से आगे रहना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, जहां मैं इस प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं वहां इस ओर अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यद्यपि एक्सेस ग्रांट की सम्भावना रहती है और इसलिये उसका हमारे विधान में प्राविजन है और ऐक्सेस ग्रान्ट्स को हर समय सप्लीमेंटरी बजट में प्रस्तुत करना भी शायद हर समय सम्भव न हो, लेकिन उस पद्धति में अवश्य लूपहोल्स हैं जिसके द्वारा ड्राइंग आफीसर्स जितना रुपया उनके डिसपोज़ल पर रखा गया है उससे ज्यादा वह ड्रा कर लें और उनको पता नहीं चले, और जिस ट्रेज़रर की कस्टडी में रुपया है उसे भी पता नहीं चले कि सेंक्शन्ड एलाटमेंट से ज्यादा रुपया ड्रा हो गया है। इस लूपहोल को बन्द करना ही होगा। अगर यह नहीं होता तो अनजाने भी ग्रांट ऐक्सीड हो जाय उसके ऊपर कोई रोक नहीं रहती। हमारे अफसरान यथासम्भव इस बात का प्रयत्न करते होंगे कि सेंक्शन्ड ग्रांट के अन्दर ही खर्च करें और कभी-कभी जो रुपया आने वाला होता है वह नहीं आता तो उसकी वजह से ऐक्सेस की सम्भावना हो सकती है और मिसक्लासीफिकेशन की वजह से भी हो सकती है--जैसे ४०, ४५ नम्बर की ग्रांट्स हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसके ऊपर कोई आलोचना नहीं हो सकती। लेकिन जब एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां तमाम हिसाब कम्पाइल हों तब तक ओवरड्राफ्ट्स का पता ही न चले और सब अंधेरे में रहें तो इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और इस त्रुटि को शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहिये। इतना ही मुझे कहना है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के उपनेता और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन माननीय उपाध्याय जी ने सदन के सामने प्रस्तुत बिल का विरोध करते हुये जो बातें कहीं तत्वतः उसके साथ शायद मैं सहमत होऊं किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो जिस दृष्टि से उन्होंने विधेयक का विरोध किया, ऐसा लगता है कि उस जगह दलगत भावना से अनुप्राणित होकर उन्होंने विरोध किया। सन् ५०-५१ का एप्रोप्रियेशन बिल या जो इसके विशेष अनुदान हैं उनका सन् ५५ में प्रस्तुत किया जाना ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं गलती अवश्य हुई और जो पक्ष या जो विभाग उस अनुदान को सदन के सामने रखता है यह निहित है कि वह यह स्वीकार करता है कि कहीं पर ग़लती हुई। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम इस बात को देखें कि वह ग़लती स्वेच्छा से की गई है या कैसे हुई? अगर स्वेच्छा से नहीं हुई है लेकिन हो चुकी है तो उन विभागों के सामने, वित्त मंत्री जी के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वह उन विशेष अनुदानों को सदन के सामने लावें और उनकी स्वीकृति प्राप्त करें। ऐसी स्थिति में मेरा खयाल है कि सदन के प्रत्येक सदस्य को माननीय वित्त मंत्री अथवा उन विभागों की नीयत पर कोई सन्देह नहीं है तथा वे इस बात से कॅनविन्स्ड हैं कि

[श्री देवदत्त मिश्र]

यह एकाउन्ट जो पेश किया जा रहा है उसमें जो खर्चा हुआ है वह ठीक है, कुछ टैक्नीकल ग़लतियां हुई हैं। अब जहां तक प्रस्तुत विनियोग विधेयक का सम्बन्ध है, इस पर टीका-टिप्पणी ही की जा सकती है। पहले अनुदानों के समय उन्होंने किया वह किसी अंश तक ठीक है, लेकिन एक विनियोग विधेयक का विरोध करना, मेरा ऐसा ख़याल है कि यह वांछनीय नहीं है। हमारे उपाध्याय जी एक व्यावहारिक आदमी हैं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में हमेशा उन्होंने अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिचय दिया, उसी दृष्टि से मेरा उनसे ऐसा अनुरोध है कि वे अपने उस विरोध को टीका-टिप्पणी के साथ वापिस ले लें।

अब माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान में एक ओर आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे कुछ ऐसे विभाग हैं, जैसा उन्होंने छोटी मछली और बड़ी मछली की ओर इशारा किया कि वह बड़ी मछली को भूल गये। कानपुर सेंट्रल वर्कशाप्स का चीफ मेकेनीकल इंजीनियर २५ लाख रुपये के स्पेअर पार्ट्स वग़ैर ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की परमिशन के खरीद कर चला गया और शायद उसके बाद सर्विस से भी चला गया। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बड़े-बड़े आफीसरान जो हजारों रुपया वेतन पाते हैं, वे क्या करते हैं? ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर तथा उसके यहां जो एकाउन्ट शाखा के आदमी हैं वे क्या करते हैं, उनका भी तो कोई काम होना चाहिये। अगर वे चपरासियों और छोटे लोगों को छोड़ दीजिये, बड़े-बड़े लोगों की कारगुजारी को मद्दे नजर नहीं रखते तो फिर इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट्स की क्या आवश्यकता है कि उसे यह भी न मालूम हो कि २५ लाख रुपये का ज्यादा सामान खरीदा गया? और ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को शायद मालूम हुआ भी, और बावजूद इसके कोई स्टेप नहीं लिया गया।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—यह आप कब की बात कह रहे हैं?

श्री देवदत्त मिश्र—मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं मिश्र जी को इससे ही समझ लेना चाहिये। मैंने केवल अधिकारियों की वृत्ति की बात कहीं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की आफीसरों के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर अंकुश होना चाहिये जिससे उनके ऊपर जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा समय देकर निष्ठा के साथ अपने काम को पूरा करने की भावना उनमें हो।

अन्त में मैं फिर माननीय उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं कि उनकी वह टीका-टिप्पणी ही पर्याप्त है, अब वे विनियोग विधेयक के प्रति उनका जो विरोध है उसको वह वापिस ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह विरोध कोई विरोध की भावना से नहीं कर रहा हूं बल्कि इस राज्य की बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए और यह देखते हुए कि इस प्रकार के विधेयकों के द्वारा और इस प्रकार से कंसोलिडेटेड फंड से जो अप्रत्याशित रूप में ५१ लाख रुपये की धनराशि निकालने की जो भावना है, जो वृत्ति है, उसका विरोध कर रहा हूं। आखिर सन् ५०-५१ का बजट आज हमारे सामने नहीं है। उस सन् में किसी दूसरी चुनी गई विधान सभा ने उस बजट को इसी सदन में पास किया होगा और उसी ने पूरक बजट भी पास किया होगा। उस समय विधान के अनुसार जो राज्य की संचित निधि थी, उसी से बजट की धनराशि पूर्णतः निर्धारित की गई थी और वापस लेने और व्यय करने का अधिकार उस समय सरकार को मिला होगा। जहां तक मैं समझता हूं उस वर्ष संतुलित बजट रहा, घाटा नहीं रहा, राज्य सरकार द्वारा उस साल बैलेन्सड बजट रहा, लेकिन आज वह बैलेन्सड बजट नहीं रहा, बल्कि उसमें

५१ लाख का घाटा और बढ़ गया, अगर यह सरप्लस बजट था तो बैलेन्स्ड बजट हो गया और अगर बैलेन्स्ड बजट था तो डेफिसिट बजट हो गया और अगर पहले से डेफिसिट था तो यह ५१ लाख का डेफिसिट और बढ़ गया, इस के इतने अर्थ तो होते ही हैं, क्योंकि इससे राज्य की संचित निधि पर ५१ लाख का भार पड़ जाता है, स्थिति ऐसी पेन्डुलम की तरह लटकती रही कि अब सन् ५५ में जाकर उसका प्रभाव पड़ा और इस तरह से अगर सूबे की वैत्तिक स्थिति पर लाखों रुपये के डेफिसिट का प्रभाव पड़ता रहा तो सूबे की क्या गत होगी? ५१ लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं है, इस तरह के घाटों को पूरा करने के लिये तमाम टैक्स और कर लगाने पड़ते हैं और कभी–कभी तमाम प्रकार की ड्यूटी बढ़ानी पड़ती हैं। क्या हमें इस तरह की महत्व की बात को कि सन् ५०–५१ की गलती से अब सन् ५५ में महालेखापाल के द्वारा बताये गये कारणों से संचित धन से लाखों रुपया देना पड़ रहा है? क्या यह गम्भीरतापूर्वक विचार करने की बात नहीं है? आय के रिसोर्सेज के लिए आज प्लानिंग कमीशन परेशान है और सब कहते हैं कि अब धन को इकट्ठा करने की शक्ति समाप्तप्राय हो रही है। हर प्रकार के रिसो-र्सेज को समेटने की बात हो रही है तो ऐसे समय में ऐसी टेकनिकल भूल करना और कहना कि यह मामूली सी बात है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता यह मैं नहीं मानता। मैं तो इसे राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए निश्चयरूप से ही बड़ा भारी खतरा समझता हूं। यह संचित निधि कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि जब चाहे जितना धन उससे हम ले लें। धन संचय स्टेट में बड़ी मुश्किल से होता है और डेफिसिट पूरा करने की भी सीमा होती है, ज्यादा हम नहीं कर सकते। इसलिये इस ५१ लाख का बहुत महत्व है। अगर आप इन दस मांगों का अनेलेसिस करें तो इनमें ३ प्रकार की मांगें हैं। पहली वे हैं कि जिनमें वास्तव में वृद्धियां हुई हैं और दूसरी वे हैं जो टेकनिकल भूल के कारण आई हैं, तीसरी वे हैं जो एकाउन्टेन्ट जनरल के एडजस्टमेंट करने के कारण से हैं। यह मैं नहीं जानता कि वह किसकी गलती थी, एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां की गलती थी या किस की गलती थी। अगर पिछली एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट देखी जाय तो और सालों में भी ऐसी गलतियां मिलेंगी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि ५०–५१ के लिये तो आपने अतिरिक्त मांग के रूप में ५१ लाख मांग लिये, लेकिन ४९–५० में क्या हुआ? ठीक है, उस समय कांस्टीट्यूशन लागू नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५, लागू था, जिसके आधार पर बजट मैनुअल आज भी रायज है। क्या उस समय वृद्धि नहीं हुई, क्या ४७–४८ में कोई वृद्धि नहीं हुई और यदि हुई तो क्या आपने उसको रेगुलराइज किया है? मैं जानता हूं कि ५०–५१ में व्यय वृद्धि हुई, आपने उसको मांग लिया, लेकिन जैसा कि मुझे पढ़ने से लगता है और भी इसी प्रकार से गलतियां बताई गई हैं। उनको ५०–५१ की इस गलती को रेगुलराइज करने के लिये जो प्रयत्न किया गया है उसके लिये मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और उसके चेयरमैन को बधाई दूंगा। मैं चाहूंगा कि यह सदन उनसे प्रार्थना करे कि वह ४८–४९, ४९–५० और अन्य सालों को देखें कि इनमें कितनी व्यय वृद्धि हुई। हमें मालूम होना चाहिये कि हमारी संचित निधि से कितना व्यय राज्य सरकार ने किया है।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारा बजट मैनुअल बहुत पुराना हो गया है और सरकार इस बात को मानती है और शायद सदन भी इस बात को माने कि इसकी बहुत सी धारायें बहुत पुरानी दकियानूसी हो गई हैं और यह संविधान के अनुसार ठीक नहीं बठतीं, जसे एक्सेस ग्रांट वाली बात को ही लीजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पढ़ा था मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैनुअल में कुछ बात लिखी हुई है और कांस्टीट्यूशन में दूसरी बात है और यह बात बिलकुल निश्चित है कि यह बजट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैनुअल हमारे संविधान के अनुसार बनाया हुआ नहीं है। आप मिसाल के लिये देखिये दो शब्दों का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया है। २०५ की धारा (बी) में कहा गया है :—

"The Governor shall, if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House..."

यानी वित्तीय वर्ष में किसी सरविस के लिये ग्रांट मंजूर है अगर उसमें वृद्धि हो गई तो केवल एक ही बात की गुंजाइश है, लेकिन बजट मैनुअल में दो बातों की गुंजायश है। बजट मैनुअल में कहा गया है :—

"A demand for an excess grant differs from a demand for a supplementary grant in that, while the latter is essentially a demand for a grant, the need for which is foreseen during the currency of a year and is presented in the year to which it relates, a demand for an excess grant is presented after the close of the financial year to which it relates in order to regularize expenditure in excess of the voted grant of that year on a service in that year not covered by the vote of the Assembly."

यानी इसमें दो सरविसेज की गुंजाइश है जो असेम्बली के वोट के बाहर हो गया है जो बजट मैनुअल बिलकुल कांस्टीट्यूशन की मर्यादा के आगे बढ़कर जाता है तो, श्रीमन्, आप अपने अधिकारों से इस बजट मैनुअल को अधिक स्पष्ट कराने की कृपा करें। इस बजट मैनुअल का इन्टरप्रिटेशन कांस्टीट्यूशन से ठीक नहीं बैठ पाता और गलती हो सकती है। इसलिये और भी स्पष्ट करना है। अब प्रश्न यह आता है कि अगर गलती हो गई और विभागों ने खर्च कर लिया, क्योंकि उनको पता नहीं था जो उनको मंजूर करें या न मंजूर करें। माननीय देवदत्त जी ने कहा कि वे सिद्धांततः तो उपाध्याय जी से सहमत हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में नहीं। मैं नहीं जानता कि सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में वे किसी सिद्धांत का किस तरह से प्रयोग करते हैं। अगर उनका मंतव्य सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में प्रयुक्त करने से नहीं है तो मैं सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि सिद्धांतों को मानते हुये उनको व्यावहारिक रूप में परिणित करना पड़ता है। कांस्टीट्यूशन नहीं चाहता कि राज्य की संचित निधि से वह अतिरिक्त खर्चा जो कानून की मर्यादा के विरुद्ध हो, किया जाय। कांस्टीट्यूशन में जो कंसालिडेटेड फंड के संबंध में आर्टिकिल लिखा हुआ है उसमें यह है कि राज्य की संचित निधि से रुपया नहीं लिया जायेगा जब तक इस विधान के अनुसार बनाये गये कानून के अनुसार रुपया न लिया जाय। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि ५१ लाख रुपये खर्च हो गये। कंसालिडेटेड फंड से खर्च हुये जिसका आपको अधिकार नहीं था। कांटिंजेंसी फंड से खर्च आपने नहीं किया और पब्लिक एकाउन्ट्स से खर्च होता नहीं। तीन प्रकार के एकाउन्ट्स होते हैं, कंसालिडेटेड फंड्स उनसे अब आप खर्च करेंगे इसके पास होने के बाद। कांटिंजेंसी फंड उससे आपने खर्च किया नहीं और पब्लिक एकाउन्ट्स से खर्च आप कर नहीं सकते। तो फिर खर्च किया कहां से ?

श्री देवदत्त मिश्र—सरप्लस से।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर कंसालिडेटेड फंड से खर्च किया बिना हाउस की परमिशन लिये तो विधान के खिलाफ काम किया। तो हमें माननीय देवदत्त जी से और सदन से इस बात का समन्वय करना है कि सिद्धांततः विधान के अनुसार जो उसके विरुद्ध है और उससे जो असंगत है उसे व्यावहारिक रूप देना है और सरकार को चेतावनी देनी है कि प्रांत की आर्थिक हालत कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। कल को सरकार बदल जाय तो दूसरी पार्टी की सरकार बन जायगी, दूसरे वित्त मंत्री बन जायं दूसरे मुख्य मंत्री बन जायं तो वे भी ऐसी ही इर्रेगुलेरिटीज करने लगेंगे। राज्य की वित्तीय स्थिति को हमें हमेशा संभालना है और देखना है। इसलिये

मेरे विचार से, सिद्धांत के दृष्टिकोण से, बजट में होने वाले असंतुलन के दृष्टिकोण से कोई ऐसी बात होती है तो उसका इस साल के बजट पर भी असर पड़ने वाला है। माननीय सदस्य और सरकार यह न समझें कि ५१ लाख का अब इस साल के बजट पर असर पड़ने वाला नहीं है। सन् ५५ में खर्च करने का अधिकार दे रहे हैं इसलिये इस साल के बजट पर भी असर पड़ने वाला है, यह कोई छोटी बात नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार इस विधेयक का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और अपनी इस मांग को दोहरा देना चाहता हूं कि इसी प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज, जिनके कारण यह अतिरिक्त अनुदान का विधेयक आया है ५१ लाख का, क्या सन् ४९-५० और ४८-४९ में नहीं हुई होंगी और अगर हुईं तो उनके निराकरण के लिये क्या होने वाला है?

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अध्यक्ष महोदय, जो भाषण इस वक्त इस विधेयक पर हुये मैंने उनको सुना। उनकी बाबत कहने से पहले मैं एक बात और हाउस को बतला देना चाहता हूं कि फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एक राज्य की सारी ही तन्दुरुस्ती निर्भर है। अगर फाइनेन्स खराब हो जाय तो कोई काम उस राज्य का चल नहीं सकता। फाइनेंस डिपार्टमेंट का यह कर्त्तव्य है कि वह बहुत ही जेलसली इस बात को गार्ड करे कि कोई बात किसी तरह से भी ख्वाह गवर्नमेंट के बारे में क्यों न हो ऐसी न हो जिससे फाइनेंस की मशीनरी को, फाइनेंस के उसूलों को, जिन उसूलों पर वह काम करते हैं उनको या उसके कायदों को या खुद उसके फर्ज को नुक्सान पहुंचे। मैं इस बात का कतई तरफदार नहीं हूं कि सरकार का कोई महकमा किसी किस्म की कोई ऐसी खिलाफवरजी करे जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया और मैं उसको सपोर्ट करूं। मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं यह समझूंगा कि हुकूमत का खुद और खुद फाइनेंस मिनिस्टर का फर्ज यही है कि किसी को इस मामले में गलत राह पर नहीं चलने दें और अगर कोई चलता है तो उसको रोकने के लिये जो कुछ भी करना जरूरी है वह करें। मैंने इन रकमों को जो इस वक्त हाउस के सामने हैं इस बिल के अन्दर देखा तो मैं किस नतीजे पर पहुंचा, मैं अभी अर्ज करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ी बात और अर्ज करना चाहता हूं जो यहां भाषणों में कही गयी। एक बात यह दोहरायी गयी कई दफा कि १९५०-५१ की रकमें आज १९५५ में इस हाउस में लायी गयीं। इसके संबंध में मेरे दोस्त हमारे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के प्रेसीडेंट साहब ने भी कहा। उनके कहने पर मुझको जरूर ताज्जुब हुआ। इस वक्त समय तो नहीं है कि मैं इसकी बाबत कुछ लम्बी बात कह सकूं, लेकिन मुझको ताज्जुब यों हुआ कि वह अपनी तकरीर में यह भी शायद कह रहे थे कि जब कि आडिट रिपोर्ट हासिल हो जाय तो उसके बाद फाइनेंस कमेटी में भी ले जाने की क्या जरूरत है। यहां इसी हाउस में ले जाकर के इस मामले को रख दिया जाय। वे कहते हैं कि मैंने नहीं कहा। तो फिर किसी जगह से मैं चैलेंज करता हूं कि इस बात को निकाल करके बतलाया जाय कि फलां जगह इस गवर्नमेंट ने यह गफलत या कमी की, जिसकी वजह से यह जमाना गुजर गया। इस वजह से नहीं गुजरा जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया कि हिसाब तो तैयार करता है एकाउन्टेंट जनरल जिसकी निस्बत सब जानते हैं। यह मुहकमा इस राज्य के मातहत नहीं है। इसके ऊपर हमारा कोई असर नहीं है, वह करता है उसके यहां से हमें यह मिलता है कि फलां मुहकमे के अन्दर, फलां काम के अन्दर इतना रुपया खर्च हुआ है। वह कब मिलता है, उसमें कितनी देर लगती है यह मेरे दोस्त को मालूम है और नहीं है तो मालूम होना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मालूम है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उसके बाद आडिट में जाता है। आडिटर जनरल, कंट्रोलर जनरल कौन-कौन हैं उन हिसाबात की जांच करके रिपोर्ट तैयार करते हैं जो रिपोर्ट यहां पेश होती है। मैं उसकी निस्बत अर्ज करूं एक गैरमामूली बात जो कि आपके सामने है और इसीलिये आडिटर जनरल का मुहकमा वही है जो कि ब्रिटिश सरकार के जमाने में था। आजादी होने के बाद हिन्दुस्तान की १९४७ में वहां पर इस किस्म की बातें होती हैं, मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने तो कुछ तकरीर से उन साहब की, जिन्होंने यहां की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने तकरीर की, कुछ सबक हासिल कर लिया उसको पढ़ कर और मैं यह समझा कि उनके यहां जो देर होती है उस देर की जो वजह बतलायी है कि वह क्यों होती है उससे पता चलता है कि वहां पर जो मुख्तलिफ कामों को नये तौर पर करना पड़ता है उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा वक्त अपनी उन बातों में लगाने के बाद फिर आडिट करने के लिये जाता है। वह वक्त उसमें लगा और उन्होंने वह रिपोर्ट दी। फिर वह रिपोर्ट यहां आयी और यहां आने के बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने रखी। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इस हाउस की कमेटी है। आडिट रिपोर्ट आये और हम पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने न ले जायें और उसको मौका न दें कि वह क्या राय देती है कि यह हाउस उन चीजों को जो चीजें रखी गयी हैं, जो एतराज थे उन ऐतराजों को देख करके वह क्या मशविरा देती है कि यह हाउस क्या करे? इसलिये वह देर लगी, वक्त लगा उसमें। तो जहां तक उस वक्त के लगने का ताल्लुक है वह एक तो यह कि वह एक ऐसा प्रामीनेंट फीचर नहीं है कि जिसको हम यह समझ लें कि अगर १९५०-५१ की रिपोर्ट १९५५ में आई है तो १९५५ की रिपोर्ट १९६१ में आयेगी, यह हर्गिज नहीं। जो आर्डीनरी टाइम उसमें लगना चाहिये और जितना वक्त सर्फ होना चाहिये उतना वक्त सर्फ हो कर वह इस हाउस तक पहुंचेगी और हाउस को उसको देखने का मौका मिलेगा। मैं अपने दोस्त की इत्तला के लिये बतला दूं कि मैंने भी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में मुद्दतों काम किया है और मैं वहां की हालत को जानता हूं।

एक सदस्य--कहां?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने यह अर्ज किया कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में इस प्रदेश की मैंने भी मुद्दतों तक काम किया है और मैं भी वाकिफ हूं कि एकाउन्टेंट जनरल के यहां क्या वक्त लगता है और कितने दिनों में क्या चीज आती है और फिर आडीटर जनरल के यहां कितना वक्त लगता है और उनके यहां से किस चीज का जवाब कितने दिनों में आता है? मैं इसको उस नजर से नहीं देखता कि जैसे एक वह आदमी देखता है कि जो इससे वाकिफ न हो। अब इसको बतला दूं कि जहां एक आदमी को तनहा बदल सकने का मौका है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं लेकिन जहां हम दूसरों पर निर्भर करें वहां हमें उनसे मदद लेनी होगी और अगर वह हमें मिलती नहीं है तो मैं वहां से हटूंगा नहीं जहां था। वह खुद कह गये हैं, खोल गये हैं। हमारे चेयरमैन साहब, पब्लिक सरविस कमीशन, को भी मालूम होगा कि उन्होंने क्या फरमाया है देर होने की बाबत और क्या वजहें उन्होंने बयान की हैं और क्या उन्होंने कहा है? वह सब आपने सुना और लिहाजा मैं इसको उस नजर से नहीं देखता और देखने की जरूरत भी नहीं थी।

हां, एक बात जरा सी प्रिंसिपल की इसमें है वह मैं इसमें अर्ज कर दूं कि हम किस नजर से इसको देखते हैं। मेरे पास तो इसका गाइड है और उसी नजर से इसको हम देखते हैं। यहां मेरे पास ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन मौजूद है इस मसले के ऊपर। अभी उसको पढ़ने का वक्त नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--बता दीजिये, हम पढ़ लेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस का पेज ६९६ है, उसको आप पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि हरगिज पैसा ज्यादा खर्च न होना चाहिये। मैं मानता हूं इस बात को लेकिन उसके साथ ही दुनिया जो है और जिस तरीके से दुनिया घूमती आई है, जिस

तरीके से सितारे निकलते हैं, दिन-रात होते हैं, उसी तरीके से इस बात को मान लेना चाहिये कि वह मौका आ कर रहेगा कि जिस वक्त हमको जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि अनएवायडेबिल सर्कमस्टैंसेज के मातहत ही इस काम को किया जाय। तो उस काम को दूसरी नजर से देखा जाय। वह काम उस नजर से नहीं देखा जायगा कि जिस नजर से उन्होंने देखा है। इसमें एक ग्रांट मौजूद है नं० ४ की। मुझे हैरत हुई कि या अल्लाह मेरे पास अक्ल नहीं रही या मैं समझने से कासिर रहा। दुनिया के समझने से क्या हुआ? ४ नं० की ग्रांट में है कि यह अन्दाजा लगाया गया कि इस कदर बिक्री हो सकती थी। बिक्री होने की दर जो मुकर्रर करेगा ज्यादा से ज्यादा एक बजट बनाने वाला जो कर सकता है वह इतना कर सकता है कि वह तीन वर्ष पहले का औसत निकालता है। जिस साल का बजट बना रहे हैं उस साल के पहले के तीन साल का कि वास्तव में कितनी रकम कायम करें उसको देख कर वह एक रकम रक्खेगा कि यह गालिबन इतना रुपया इसमें खर्च होगा, वह इसमें रक्खा है। वहां १२ लाख की बिक्री होगी और वह न होने पर उसके लिये अगर खर्च किया गया तो ऐसी सूरत में क्या कसूर है उनका? वह तो अनएवायडेबल सर्कमस्टैंसेज में ही आयेंगे।

कहां तक मैं बतलाऊंगा ६,७,८,९,१० जगहें हैं। इनमें से कितनी तो ऐसी हैं जिनमें जो कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी कि नजर कमजोर हो गई हो, बहुत कमजोर हो गई हो, उसको भी वह चीज अपनी रोशनी की वजह से नजर आ जाय। तो उस वक्त मैं यह गवारा नहीं करूंगा कि खामख्वाह किसी मुहकमे के ऊपर इल्जाम लगाऊं कि तुमने यह गलत किया। और जहां कुछ इल्जाम की बात थी मैंने बताया कि जनरल मैनेजर ने कैसा, क्या किया, वह खर्च नहीं हुआ। एक रकम गवर्नमेंट की एक मद से निकल कर दूसरी मद में रख दी गई उसमें जो डेप्रितियेशन फंड होता है उसमें रख दी। "आई डिसएप्रूब्ड हिज दिस ऐक्शन" क्या उसे बरखास्त हो जाना चाहिये था, मैं पूछता हूं कोई मुकदमा उस पर चलना चाहिये था? मैंने उसके इस ऐक्शन को डिसऐप्रूव कर दिया कि क्यों तुमने ऐसा किया। जेब से निकल करके चला नहीं गया। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो इस जेब से निकल कर उस जेब में चला गया, रुपया वहां का वहीं न खोया गया, न कोई बड़ा भारी जुर्म हो गया। तकरीरें जाने क्या-क्या की जा रही हैं! इस स्टेट के अन्दर क्या मुसीबत बरपा हो गई, जिसकी बिना पर यह तकरीरें सुन रहा हूं? मैं एक बात और बता रहा हूं दो मिनट बाकी हैं, वरना मैं कह देता.........।

श्री अध्यक्ष—अभी तो यह पारित भी होना है। मैं आपको चाहूं तो समय ज्यादा दे सकता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं जनाबवाला, अब मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०-५१ की बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

२—उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियां जिनका कुल योग ५१,२१,५९२ रुपया (इक्यावन लाख इक्कीस हजार पांच सौ बानवे रुपया) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९५१, को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त उस वर्ष के लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा काम में लायी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश की १९५०-५१ संचित निधि में ५१,२१,५९२ रुपये का दिया जाना।

विनियोग ३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को दिये और काम में लाये जाने का अधिकार दिया जाता है उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५१, को समाप्त हुये वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

अनुदान	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		४
		रु०	रु०	रु०
४	स्टाम्प ..	२२,१५८		२२,१५८
६	रजिस्ट्रेशन	६,६३०		६,६३०
१२	कमिश्नरों और जिलों के शासन संबंधी परिव्यय	९२,१८६		९२,१८६
१९	चिकित्सा	७,६१,११७		७,६१,११७
२५	विद्युत योजनाओं पर व्यय	१०,७१,७८५		१०,७१,७८५
३०	परिवहन विभाग	१,३०,८६९		१,३०,८६९
४०	युद्धोत्तर नियोजन एवं विकास	२३,४१३		२३,४१३
४१	राजस्व सुरक्षित निधि	१,९५४		१,९५४
४३	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत	१७,४३,५६८		१७,४३,५६८
४५	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत	१२,६७,९१२		१२,६७,९१२
	कुल योग ..	५१,२१,५९२		५१,२१,५९२

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक की अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

(उत्तर प्रदेश विनियोग १६५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १६५५

३१ मार्च, १६५१, को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम। १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १६५५, कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १६५५, को पारित किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे वित्त मंत्री जी हमारे बुजुर्ग हैं जितनी हमारी उम्र हुई होगी उतनी उम्र उनको इस सदन में रहते हुए हो गई होगी। लेकिन फिर भी वे हमको कन्विन्स नहीं कर पाये, क्योंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से तो यह कहा, यह तो कहता हूं कि यह अधिकार वहां जाना ही नहीं चाहिये, मैंने यह नहीं कहा। वहां तो जायगा, लेकिन जब ऐक्सेस एक दफा हो गई उनको तो रेगुलराइज कराना ही है। मैंने कहा कि यह वक्त ही वह हो सकता है और इन दो सवालों का जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। वैसे तो वे बुजुर्ग हैं जो कहें वह मानेंगे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर की सी स्पीच नहीं हुई उनकी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १६५५, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१०१,

विपक्ष में—१३।)

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल द्वारा प्राक्कलन समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि श्री महावीर प्रसाद शुक्ल ने अभी थोड़ी देर पेश्तर प्राक्कलन समिति की सदस्यता से अपना त्याग-पत्र दे दिया और उनका स्थान अब रिक्त हो गया है।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१२ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

सूची

क्रम-संख्या जिलों का नाम		जमींदार का नाम		प्रतिकर की निर्धारित धनराशि
				रु०
१—देहरादून	..	१—श्री राबर्ट कामधर्श	..	१०
		२—श्री जी० डी० लाइमन	..	१८४
		३—श्री आई० सी० कांलेट	..	१४,५०१
२—सहारनपुर	..	१—श्रीमती ए० एल० सेसटन	..	१२,४४२
		२— „ सी० एम० वेल्स	..	६,३६०
		३— „ आर० डी० सेसटन	..	६,३६०
		४— „ बी० सेसटन	..	२३,७०७
		५— „ लिसकन	..	३७७
३—मेरठ	..	१— श्री आर० ए० प्वेश	..	८,६५६
		२— „ एम० ए० प्वेश	..	३२,४७१
		३— „ जी० टी० प्वेश	..	४,१५१
		४—श्रीमती सिन्थया	..	..
		५— „ आई० एस० मैनथन्स	..	२,७७४
		६— „ कांलर आई० ई०	..	२,७७४
		७— „ वैसेरंड	..	..
४—झांसी	..	१—सेंट रोमन कैथोलिक चर्च (महाल बिंद्रावन)	..	३५२
		२—सेंट रोमन कैथोलिक चर्च (महाल राधाबाई)	..	२८
योग	..	१७		१,२१,५०७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

प्रश्न संख्या १३ से सम्बन्धित सूची

सूची व्यक्ति जिनको ग्राम रमोल में तारीख १८ मार्च, ५५ की आग लग जाने से क्षति हुई——

क्रम-संख्या	नाम व्यक्ति		क्षति (रुपयों में)
१	श्री अब्दुल गफ्फार व रमजान पुत्र गुलाम नबी	..	६३४
२	„ श्री अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल वहाब	..	४६६
३	„ शाह मुहम्मद पुत्र बदरुद्दीन	..	१५६
४	„ शकूर पुत्र नूर	..	१,३१०
५	„ घासी पुत्र अब्दुल्ला ..	..	७९४
६	„ बाबू पुत्र रोशन ..	..	१,२८६
७	„ सिराज उद्दीन पुत्र अब्दुल गफूर	..	३१५
८	„ रहीम उद्दीन पुत्र अब्दुल गफूर	..	१४५
९	„ बशीर अहमद पुत्र अब्दुल गफूर	..	१,६२४
१०	„ महंगू पुत्र करीम ..	..	२७२
	योग	..	७,००८

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

सूची

नाम तहसील		हल्का कानूनगो		संख्या गांव
१—खलीलाबाद	..	मेंहदावल	..	१०२
		धनघटा	..	१०२
		हरिहरपुर	..	४६
		योग	..	२५०
२—हरैया	..	विक्रमजोत	..	१४५
		कप्तानगंज	..	३७
		सिकन्दरपुर	..	८
		हरैया	..	५५
		गौर	..	१६
		योग	..	२६१
३—बांसी	..	भासेना	..	४६
		उसका	..	१३४
		चिल्हिया	..	९३
		लोटन	..	३७
		योग	..	३१०
४—डुमरियागंज	..	करही	..	१७
		डुमरियागंज	..	११
		औनिया	..	५३
		खडसूरी	..	१०
		बढ़नी	..	२१
		डरवा	..	१६
		योग	..	१२८
५—बस्ती	..	कुदराहा	..	१२२
		नगर	..	१२३
		सदर	..	२३
		योग	..	२६८

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के विषय में सूचना का विवरण-पत्र—

केन्द्र का नाम	व्यय की गई धनराशि				गर्भाधानों की संख्या					
	१९५२–५३		१९५३–५४		१९५२–५३			१९५३–५४		
	अनावर्त्तक	आवर्त्तक	अनावर्त्तक	आवर्त्तक	गाय	भैंस	योग	गाय	भैंस	योग
१	२		३		४			५		
१—सिविल वेटरनरी अस्पताल मुजफ्फरनगर	..	..	..	यह केन्द्र १९४५, ५५ में आरम्भ						
२—सिविल वेटरनरी अस्पताल, एटा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३—स्टड फार्म, नेहरू नगर, देहरादून	..	..	..	..	६००	..	..	..	..	..
४—की विलेज सेंटर, बैजनाथ, अल्मोड़ा	..	..	४,२००	१,३५७	..	..	..	..	..	..
५—की विलेज सेंटर, अलीपुर पट्टी, मैनपुरी	२,३३४	..	१,३२६	१,१६५	३५	६५	१००	६८	१७७	२४५
६—की विलेज सेंटर, बीकापुर, फैजाबाद	३,३३४	..	२,४३५	७९४	..	..	..	२०	८	२८
७—की विलेज सेंटर, भटाट, गोरखपुर	६,६०४	..	१,९८३	१,५३१	..	..	..	५	२११	२१६
८—की विलेज सेंटर, कसिया, गोरखपुर	..	..	४,८७६	३,१५८	..	..	..	१	६३	६४
९—की विलेज सेंटर, घोसी, आजमगढ़	४,८७८	..	५००	१,८४७	..	..	..	..	४९	४१
१०—की विलेज सेंटर रतनपुरा, बलिया	२,०००	१५०	२,०८७	१,९२८	..	..	..	..	३५	३५
११—की विलेज सेंटर कासिमाबाद, गाजीपुर	..	..	२,९७९	१००	..	..	..	..	३०	३०
१२—की विलेज सेंटर, मांठ, झांसी	..	..	यह केन्द्र अक्टूबर, १९५४ से प्रारम्भ किया गया							..
१३—सिविल वेटेरिनरी अस्पताल, हरद्वार सहारनपुर ..	७२०	८६०	९६०	१,१४०	५६	५२	१०८	४८	५५	१०३
१४—सिविल वेटेरिनरी अस्पताल, मुरादाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१५—सिविल वेटेरिनरी अस्पताल, फतेहपुर	..		..	१,९६७	..	..	..	४५	११९	१६४
१६—सिविल वेटेरिनरी अस्पताल, हरदोई	..	..	यह केन्द्र जून, १९५४ से प्रारम्भ किया गया							..

बधिया किये गये पशुओं की संख्या		टीके लगाये गये		गर्भ ठहरने का प्रतिशत		बांझ पशुओं की संख्या जिनका इलाज किया गया		विवरण
१९५२-५३	१९५३-५४	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५२-५३	१९५३-५४	
६		७		८		९		१०.
किया गया	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	यह केन्द्र ७ मार्च, ५५ को खोला गया था कृत्रिम गर्भाधान के लिये कोई सांड नहीं है इस केन्द्र की स्थापना १६ जून, १९५४ को हुई थी।
७९	१२०	१,२९८	४०,७८३	६० प्रतिशत से अधिक	६० प्रतिशत से अधिक	..	..	..
..	..							
३४	६७८		..		५२.५ प्रतिशत		३	
..	१,०२९	..	४९,८६६	..	४०.८ प्रतिशत	..	३	..
..	७७	..	३,५७६	..	५६ प्रति०	..	..	..
..	२५०	..	३३,६६७	..	२५ प्रति०	..	..	..
..	२४	..	८२६	..	७७.१४२ प्रतिशत	..	..	..
..	१,२५०	..	२७,३६८	..	७० प्रति०	..	९	इस केन्द्र की स्थापना जून, १९५४ के मध्य में हुई।
..	..	..	..	..	..	..	..	..
७६	५९	९८५	६,१४३	६१ प्रतिशत	६२ प्रतिशत	६	११	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	९७	..	१,४४८	..	२१ प्रतिशत गाय		..	..
					६६ प्रतिशत भैंस		..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—७६ यल० ए०—१९५५—७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप, सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले-
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र, सिंह श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाउदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देव दत्त शर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहमद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री

मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूपगुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री

सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

मझोलिया बांध का निर्माण कार्य

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मझरिया बांध (बड़हलगंज के पास जिला गोरखपुर) के निर्माण हेतु सरकार ने कुल कितना रुपया मंजूर किया है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—मझरिया नाम का कोई बांध सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। तहसील बांसगांव में बड़हलगंज से लगभग १० मील की दूरी पर मझोलिया नाम का एक बांध बनाया गया है इस बांध की लागत लगभग ४५,००० रु० है।

*२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गांव के निर्माण में कितना-कितना क्या-क्या काम हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—मझोलिया बांध का निर्माण कार्य समाप्त हो गया है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बात की सूचना है कि इस बांध का निर्माण पहले वहां की ग्राम जनता ने अपने आप शुरू किया ? यदि हां, तो जनता ने जो श्रम किया उसका पारिश्रमिक सरकार का देने का विचार है ?

श्री राममूर्ति—इस समय तो इसकी कोई सूचना है नहीं। अगर आप लिख कर दें तो उसकी जांच करा लेंगे और अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उसके बारे में भी विचार कर लेंगे कि उनको कुछ रुपया देना चाहिये या नहीं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस बाढ़ में उस बांध को कोई क्षति पहुंची है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं, बिल्कुल नहीं।

जिलों में सूचनाधिकारियों की नियुक्तियां

*३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिलों में सूचनाधिकारियों की नियुक्तियां कर रही है? यदि हां, तो कितने पदों पर और किस-किस जिले में?

सूचनामंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)--जी हां। दस पदों पर नियुक्तियां विचाराधीन हैं। किन-किन जिलों में नई नियुक्तियां करना पड़ेगा यह बतलाना अभी सम्भव नहीं है।

*४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस सम्बन्ध में कोई विज्ञापन निकाला गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--जी हां, विज्ञापन छपवाया गया है।

श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलों का चुनाव किस आधार पर होगा?

श्री कमला पति त्रिपाठी--जिलों का चुनाव, बात कुछ समझ में नहीं आयी। ऐसे तो ५१ जिले हैं हमारे यहां और हर जिले में एक-एक सूचना अधिकारी रहेगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कैंडिडेट्स इसमें आयेंगे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन्स क्या होंगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसे तो ग्रेजुएट रखी गयी है और यह भी है कि हिन्दी भी उनका एक सब्जेक्ट हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का आदमी नहीं है लेकिन सूचना अधिकारी के पद के योग्य है, पत्रकार है, बहुत दिनों का उसको अनुभव है तो फिर गवर्नमेंट उस पर विचार कर लेती है। आन मेरिट अगर किसी को एग्जेम्शन देना हो तो दे भी देती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी इस चुनाव में राजनीतिक पीड़ितों को विशेष रूप से लेने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह तो विज्ञापन में लिखा ही हुआ है कि अगर पोलिटिकल सफरर्स हों और अदरवाइज पूरी तरह से क्वालिफाइड हों तो प्रिफ़रेंस उनको मिलता है थोड़ा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनका एप्वाइंमेंट किन लोगों के द्वारा होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसका एक सेलेक्शन बोर्ड बना हुआ है। उसके सामने इंटरव्यू होगा इन लोगों का और तब सेलेक्शन होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि यह पद पोलिटिकल एप्वाइंटमेंट का नहीं रहा तो ऐसी हालत में इनका चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन से क्यों नहीं कराया जाता?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी किसी घोषणा का मुझे स्मरण नहीं है लेकिन यह पोलिटिकल एप्वाइंटमेंट हो या न हो यह सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और यदि पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजना आवश्यक होगा तो उनको भेजा जायगा। अभी तो ये टेम्पोरेरी एप्वाइंमेंटस हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना अधिकारी किस के अधीन काम करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे तो यह सूचना विभाग के अधीन हैं लेकिन जिले में कलेक्टर होता है और अधिकारी होते हैं, उनके साथ काम करना होता है जैसे और विभाग काम करते हैं।

*५—६—**श्री चित्तर सिंह निरंजन** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आंवरा नाला तथा चंवर ताल, जिला आजमगढ़ से पानी के निकास की योजना

*७—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत आंवरा नाला और चंवर ताल से पानी का निकास न होने के कारण प्रति वर्ष सैकड़ों एकड़ फसल बरसात में डूब जाया करती है ?

श्री राममूर्ति—घोसी तहसील के आंवरा नाला तथा चंवर ताल के आसपास की जमीन में पानी का उचित निकास न होने के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है तथा उससे फसल इत्यादि को क्षति पहुंचती है। आंवरा नाला के पानी के निकास में एक निजी तौर पर बनवाये हुए बांध से बाधा पहुंच रही है।

*८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंवरा नाले का पानी निकालने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—पानी के निकास की एक योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

*९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—यदि हां, तो यह योजना कब लागू होगी और इस योजना पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति—इस योजना पर लगभग २२ हजार रुपया खर्च होगा। अब तक करीब ५०० रुपया खर्च हो चुका है। योजना पर काम मई, १९५५ में शुरू हो गया था परन्तु कुछ काश्तकारों ने अपने खेतों से मिट्टी लेने का विरोध किया और इसलिये कार्य में प्रगति न हुई। अब भूमि अधिकरण की कार्यवाही हो रही है और शीघ्र ही काम शुरू हो जायेगा।

चंवर ताल का सर्वे भी हो गया है और योजना बन रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों योजनाओं के पूरे हो जाने पर कितने एकड़ फसल की बचत होगी ?

श्री राममूर्ति—सर्वे की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं आई है। इसके बाद ही मालूम हो सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अधिकरण की कार्यवाही अदालत में हो रही है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि शुरू हो गई है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आंवरा नाले से जो नया नाला निकलने वाला है वह पुराने रास्ते से जायगा या नई भूमि से जायगा ?

श्री राममूर्ति—वह पुरानी से भी जायगा, कुछ नई से भी जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दोनों योजनायें अग्रिम बरसात से पहले समाप्त हो जायंगी ?

श्री राममूर्ति—हां आशा तो है शायद पूरी हो जायंगी।

देवरिया जिले की म्यूनिसिपैल्टियां

*१०—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के अन्तर्गत कितनी म्युनिसिपैल्टियां हैं, और उन म्यूनिसिपैलिटी ने अब तक बजट नहीं पास किया है और इसका क्या कारण है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—देवरिया जिले के अन्तर्गत तीन म्युनिसिपैल्टियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :

देवरिया, पडरौना, और गौरा बरहज। इन तीनों ने अपना बजट पास कर लिया है।

इलाहाबाद जिले में नलकूपों पर व्यय

*११—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने नलकूप बनाये गये हैं और उनमें कितने नलकूप काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—इलाहाबाद जिले में ११ सरकारी नलकूप बने हैं, जिनको चलाने के लिये विद्युत का प्रबन्ध किया जा रहा है। बाकी और नलकूपों की खुदाई का काम जारी है।

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नलकूप बनाने के लिए कितना रुपया रखा गया है और उसमें अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—प्रदेश की विविध नलकूप योजनाओं के लिये बजट में इकट्ठा रुपया रक्खा जाता है, जिलेवार नहीं। इलाहाबाद जिले में प्रस्तावित कुओं पर लगभग अब तक ४,२६३ रुपये व्यय हो चुका है। हंडियां और फूलपुर तहसीलों में करीब ७० कुओं को बनाने का प्रस्ताव है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर बतलायेंगे कि जो कुयें बनाये गये हैं वे किस तहसील में है और किस गांव में हैं ?

श्री राममूर्ति—तहसील हंडिया और फूलपूर में। गांव का इसमें जिकर नहीं है। अगर आप नोटिस दें तो वह भी बतलाया जा सकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिन स्थानों पर नलकूप बनाये गये हैं वहां पर बिजली लाने और उन नल कुओं को चालू करने में कितना समय मिलेगा ?

श्री राममूर्ति—कोशिश जल्द काम करने की है। फिलहाल जो ११ बनाये गये हैं उन पर प्लांट लगाये गये हैं और वह इंजिन से चल रहे हैं।

इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा सरकारी कर्ज की आंशिक अदायगी

*१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका को अब तक सरकार की ओर से कितना कर्ज दिया गया और उसमें से कितना नगरपालिका ने अदा किया ?

श्री कैलाश प्रकाश--सन् १९१६ से अब तक इलाहाबाद नगरपालिका को ७४,३१,९८६ रु० कर्ज मिला है जिसमें से उसने ३२,७०,७८७ रु० ११ आना का भुगतान कर दिया है।

बुलन्दशहर जिले के हिन्डन व जमुना द्वाबे में नलकूप बनाने की योजना

*१४--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वाबा हिन न व जमुना जिला बुलन्दशहर में सिंचाई के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो यों?

श्री राममूर्ति--जी हां, उस क्षेत्र में ९० नलकूप बनाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि द्वाबा हिन्डन व जमुना जिला बुलन्दशहर का भाग है और ९० नलकूप जो बनने हैं वह उसी जिले में हैं?

श्री राममूर्ति--मेरा ख्याल ऐसा है कि माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसी से संबंधित यह जवाब होगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जितने ९० नलकूप बनने हैं उनमें कब से कार्य आरम्भ होने की संभावना है?

श्री राममूर्ति--केंद्रीय सरकार से यह प्रार्थना की गयी है कि वह हमको इस स्कीम के अन्तर्गत बाकी रुपया दे और उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही सहायता मिलेगी।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार को यह सूचना कब भेजी गयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--केंद्रीय सरकार से तीन साल से लिखा पढ़ी हो रही है। अब यह उम्मीद हुई है कि संभवतः यह जो वर्किंग सीजन बरसात के बाद आ रहा है उसमें, हम इस काम को शुरू कर दें।

देवरिया तहसील में नलकूप निर्माण

*१५--श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला के देवरिया तहसील में कुल कितने ट्यूबवेल लग गये हैं और कितने लगाने की योजना है?

श्री राममूर्ति--देवरिया जिले की देवरिया तहसील में ७० नलकूप लग गये हैं और १० और नलकूप पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगाने की योजना है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर बतलायेंगे कि जो १० नलकूप अगली पंचवर्षीय योजना में है उनके लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है?

श्री राममूर्ति--अभी स्थान का चुनाव नहीं हुआ है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है देवरिया तहसील के जनप्रतिनिधियों ने उनके पास इस तरह का सुझाव भेजा है कि कुछ खास स्थानों पर जहां पर सिंचाई की योजना नहीं है नलकूप लगाये जायं तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है?

श्री राममूर्ति--चीफ इंजीनियर से इस प्रकार की कोई खतकिताबत हुई होगी यहां पर इस वक्त मेरे पास कोई मालूमात नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने नलकूप लगाये गये हैं उनमें कितने काम कर रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं?

श्री राममूर्ति--७० नलकूप जैसा कि मैंने जवाब में अर्ज किया कि सन् १९५४ से काम कर रहे हैं। बाकी जो रह गये हैं उन पर काम खत्म हो चुका है पर अभी प्लांट नहीं लगा है इसलिये उनका काम अभी नहीं चल रहा है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो नलकूप बनाये जाने के बाद चालू नहीं हैं उनमें से अधिकतर इस कारण से चालू नहीं है कि उनकी गूल बनाने के लिये जमीन नहीं दी जा रही है?

श्री राममूर्ति--एक कारण यह भी है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या यह सही है कि अभी तक जो जमीन नलकूप बनाने के लिये ली गई है और जो चल रहे हैं उसका मुआविजा नहीं दिया गया तो दूसरे नलकूपों के लिये लोग जमीन नहीं दे रहे हैं वह इसी कारण से नहीं दे रहे हैं?

श्री राममूर्ति--इस सदन में यह बता दिया गया है कि इसके लिये ५ स्पेशल आफीसर्स मुकर्रर कर दिये गये हैं ताकि जिनको मुआविजा अभी तक नहीं मिला है उनको जल्द से जल्द मिल सके।

अल्मोड़ा जिले में क्वीतड गूल निर्माण की योजना

*१६--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा जिले में क्वीतड गूल निर्माण करके सिंचाई का आयोजन करने का वह विचार रखती है?

श्री राममूर्ति--अल्मोड़ा जिले में क्वीतड़ गूल निर्माण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है और जांच (Survay) के पश्चात् निर्णय किया जायगा।

*१७--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस इलाके में यह गूल बनेगी वह अन्नाभाव ग्रसित इलाका है? यदि हां, तो क्या सरकार यह गूल टेस्ट वर्क के द्वारा बनाने पर विचार करेगी?

श्री राममूर्ति--जिस क्षेत्र में क्वीतड गूल का निर्माण विचाराधीन है वह अन्नाभाव ग्रसित है। परन्तु उक्त गूल का निर्माण टेस्ट वर्क द्वारा संभव नहीं है क्योंकि गूल लगभग ६ मील लम्बी होगी और वह जिस क्षेत्र से गुजरेगी वहां बहुत सख्त चट्टानें हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस गूल का सर्वे कब तक हो जायगा?

श्री राममूर्ति--बरसात के बाद जब वर्किंग सेशन आरम्भ होगा तब शुरू किया जाकर मार्च ५६ तक खत्म हो जाने की आशा है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि गूल के अंतिम भाग में बिजली मिलने की योजना भी कार्यान्वित हो सकती है?

श्री राममूर्ति--यह तो बड़ी खुशी की बात है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--जिन हिस्सों में चट्टानें नहीं हैं उनमें टेस्ट वर्क या श्रमदान से मंत्री महोदय काम कराने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति--बगैर पैसे के काम बन जाय तो बड़ी अच्छी बात है, सरकार को इस बात से बड़ी खुशी होगी।

देवहला जिला बस्ती की बानगंगा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिये मुआवजा

*१८--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शोहरतगढ़ के पार बानगंगा नदी में बांध के बनने के कारण जो नदी का पानी रो ा गया उससे ग्राम देवहला थाना उसका जिला बस्ती के आस-पास करीब ६०० बीघा फसल रबी बाढ़ आने से बरबाद हो गई ?

श्री राममूर्ति--बानगंगा नहर के हेडवर्क्स के स्थान पर बानगंगा नदी की तली में कुछ कार्य बनने के हेत नदी का पानी घुमाकर जामु ार नदी में बहाया गया, जिसके कारण कुछ काश्तकारों की रबी की फसल जो कि जामुवार नदी की घाटी में वर्षा के बाद बोई गई थी, नष्ट हो गई। इस प्रकार २५२ एकड़ भूमि में कृषि को क्षति पहुंची।

*१६--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार इस घटना से हुई क्षति का मुआवजा किसानों को देगी ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

श्री राममूर्ति--सरकार ने इस घटना से हुई क्षति का मुआवजा, जो कि ६१७८ रु० ८ आ० निर्धारित किया गया है, संबंधित कृषकों को वितरित कर दिया है।

मुआवजे की दर निम्नलिखित बातों में निर्भर हैं:

१--फसलों की दशा जिस समय उपरोक्त क्षति हुई

२--फसलों की किस्में, और

३--मजदूरी तथा गल्ले बाजार भाव आदि

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या केवल एक साल ही यह क्षति हुई जब कि गंगा के पानी को जमुहार नाले में डाला गया अथवा हर साल हुआ करेगी ?

श्री राममूर्ति--यह तो हेडवर्क बनाया जा रहा था उसी के लिये उसकी जरूरत थी, अब कोई ऐसी जरूरत न होगी।

बिजनौर जिले में सिंचाई की विभिन्न दरें

*२०--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में पिछले वर्ष बढ़ी हुई दर से सिंचाई की रकम ली गई थी या नहीं ?

श्री राममूर्ति--बिजनौर जिले में सिंचाई के तीन साधन हैं:

१--राजकीय नलकूल

२--रामगंगा नहर

३--बिजनौर नहर

राजकीय नलकूल और रामगंगा नहर की सिंचाई की दर दिनांक १ अप्रैल १९५३ से बढ़ाई गई परन्तु बिजनौर नहर की सिंचाई की दरों मे कोई वृद्धि नहीं की गई।

*२१--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--बिजनौर नहर में पानी की मात्रा अनिश्चित होने के कारण कोई वृद्धि नहीं की गई।

*२२--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या यह अपवाद केवल बिजनौर जिले के लिये किया गया था या किसी और जिले लिये के भी ?

श्री राममूर्ति--बिजनौर नहर को छोड़कर अन्य सभी नहरों पर बढ़ी हुई दर लगाई गई।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बिजनौर नहर किस-किस जिले को पानी देती है?

श्री राममूर्ति--बिजनौर जिले के थोड़े से हिस्से को।

उन्नाव में अल्पवर्ग आवास की योजना

*२३--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव नगर को वह नगर विकास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने पर विचार कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश--नगर विकास की कोई विशिष्ट योजना अलग से नहीं है इसलिये उसके अन्तर्गत उन्नाव को सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता। इस समय कुछ नगरों में जल-कल तथा ड्रेनेज की योजनायें चल रहीं हैं किन्तु उन्नाव उन नगरों में नहीं है। अल्पवर्ग आवास की योजना अवश्य अन्य नगरों की भांति उन्नाव में भी लागू है।

*२४--श्री देवदत्त मिश्र--क्या इस संबंध में उन्नाव म्युनिसिपल बोर्ड से कोई सुझाव सरकार के पास आये हैं? यदि हां, तो वे सुझाव क्या है?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां। नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपनी जल-कल की पुर्नव्यवस्था योजना तथा विस्तृत ड्रेनेज योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये प्रार्थना की थी। इसके उत्तर में नगरपालिका से कहा गया है कि वह पहले अपनी उक्त योजनाओं के (detailed projects) चीफ इंजीनियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तैयार करवा ले तभी उनके संबंध में आगे विचार किया जा सकेगा।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय ने यह प्रार्थना सरकार के पास कब भेजी थी?

श्री कैलाश प्रकाश--ठीक तीथि तो मेरे पास नहीं है लेकिन पिछले एक साल में ही आयी है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अध्यक्ष की प्रार्थना का उत्तर सरकार ने कब दिया?

श्री कैलाश प्रकाश--तारीख इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में उन्नाव नगरपालिका से कोई योजना सरकार को प्राप्त हुयी है?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं कोई योजना प्राप्त नहीं हुयी, यह योजना चीफ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा देखी जाती है और उसके लिये कुछ फीस देना होती है, जब वह फीस आ जायगी तब यह चीफ इंजीनियरिंग विभाग डिटेल्ड योजना बनायेगा।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री महोदय अल्प वर्ग आवास योजना का स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश--यह एक योजना है जो केन्द्रीय सरकार की ओर से चली है जिसके द्वारा जिन व्यक्तियों की आय ६,००० रुपया वार्षिक से कम है उनको सरकार की ओर से रुपया कर्ज दिया जाता है, उस कर्ज की शर्त यह है कि जिसको मकान बनाना हो वह २० प्रतिशत अपने पास से दे और बाकी कर्जा उसको मिल सकता है और अब यह कर्जा कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा मिल रहा है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना उन्नाव जिले के नोटिफाइड एरिया और टाउन एरियाज में भी लागू होगी।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—कोई तीन चार दिन हुए इसके मुताल्लिक एक कांफ्रेंस हुयी थी और उस में यह तय हुआ है कि जहां-जहां वह जरूरी शर्तें पूरी कर सकें वहां टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में भी वह लागू कर दी जाय।

स्वशासन विभाग के अन्तर्गत कानपुर डिवीजन के इंजीनियरिंग विभाग में ओवरसियरों की मुअत्तली

*२५—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि स्वशासन विभाग के अन्तर्गत इंजीनियरिंग विभाग के कानपुर डिवीजन में सन् ५२ से अब तक कितने ओवरसियर मुअत्तल हुये हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—केवल दो अस्थायी ओवरसियर सर्वश्री के० एन० पांडे और आर० सी० वर्मा।

*२६—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि उनमें से कितने अब तक विभाग द्वारा या अदालतों द्वारा पुनः बहाल किये गये हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—कोई नहीं। श्री वर्मा का मामला दो बार अदालत के सामने जा चुका है। इसमें से पहिली बार अदालत ने यह फैसला दिया कि श्री वर्मा के विरुद्ध फिर से अनुशासन की कार्यवाही की जाय। उसके अनुसार जब श्री वर्मा को दुबारा डिसमिस किया गया तो वे फिर मामले को रिटपिटीशन द्वारा अदालत के सामने ले गये। इस बार अदालत ने डिसमिसल के हुक्म को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियोग अस्पष्ट थे।

*२७—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कोई ओवरसियर अपनी मुअत्तली के खिलाफ दोबारा हाई कोर्ट से रिटपिटीशन द्वारा जीत गये हैं फिर भी काम पर लिये नहीं गये हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, श्री आर० सी० वर्मा को जो हाई कोर्ट से बहाल हो गये हैं, फिर मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ फिर से कारवाई की जा रही है। हाल ही में फिर मामला हाई कोर्ट के सामने पेश होने वाला है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री आर० सी० वर्मा कितने दिनों से काम कर रहे थे?

श्री कैलाश प्रकाश—अप्रैल, सन् १९४९ से ये ट्रक मैनेजर की हैसियत से विभाग में आये थे।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली बार जब वे मुअत्तल किये गये थे तब उनपर क्या आरोप थे?

श्री अध्यक्ष—यह वैयक्तिक प्रश्न है। जब कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो इसके सम्बन्ध में वैयक्तिक प्रश्न अधिक नहीं हो सकते।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न के अंतिम पैरा का जो उत्तर दिया गया है कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है उसका क्या मतलब है?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा ज्ञात हुआ है श्री वर्मा ने हाई कोर्ट से यह शिकायत की है कि चीफ इंजीनियर, एल० एस० जी० द्वारा इन्क्वायरी न की जाय क्योंकि उनका उनसे वैयक्तिक वैमनस्य है। यह पेटीशन हाई कोर्ट के सामने पेश है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी जिस उच्चाधिकारी की भूलों के कारण हाई कोर्ट में दो बार नाकामयाबी हुयी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री कैलाश प्रकाश--जब यह मामला अंतिम रूप से तय हो जायगा तब इस बात पर भी विचार किया जायगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि श्री वर्मा का मामला किसी दूसरे अधिकारी द्वारा या स्वयं जांच करके कोई फैसला उस पर करवा दें ?

श्री कैलाश प्रकाश--जैसा मैंने निवेदन किया हाई कोर्ट के सामने मामला पेश है जैसा फैसला होगा उसी तरीके से किया जायगा ।

लखनऊ नगर में रिक्शा चालकों पर प्रतिबन्ध

*२८--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार लखनऊ नगर के रिक्शा चलाने वालों की पूरी संख्या बताने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--लखनऊ नगरपालिका ने वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में ५७९४ रिक्शा चलाने वालों को लाइसेंस दिये हैं ।

*२९--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार अपने इस नगर में पैर से चलाये जाने वाले रिक्शों को वर्जित करके मोटर रिक्शा चलाये जाने की ओर कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां , तो कब तक ?

श्री कैलाश प्रकाश--ऐसी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । (२) प्रश्न नहीं उठता।

*३०--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार प्रदेश में १८ वर्ष से कम अवस्था वाले बालकों को रिक्शा चलाने से रोकने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या और कब ?

श्री कैलाश प्रकाश--(१)नगरपालिकाओं में रिक्शों के विनियमन तथा नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा बनाये गये आदर्श उपविधियों (Bylaws) में यह व्यवस्था है कि १८ वर्ष से कम उम्र वालों को रिक्शा चलाने का लाइसेंस न दिया जाये ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार रिक्शा चलाने वालों के गिरते हुये स्वास्थ्य को देखकर पैर से रिक्शा चलाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--कोई यह नहीं कहता कि कोई पैर से रिक्शा चलाये ही लेकिन अगर कोई अपनी रोजी कमाने के लिये चलाते हैं तो अभी इस मसले पर गौर नहीं किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को इस काम के करने से रोका जाय ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लाइसेंस तो १८ वर्ष के ऊपर वाले ले लेते हैं लेकिन १/४ रिक्शे वाले १८ वर्ष से कम उम्र वाले भी होते हैं ।

श्री कैलाश प्रकाश--ऐसा तो ज्ञात नहीं है और अगर ऐसा है तो किसी बने हुये बाई ला का खंडन है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि रिक्शा चलाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

श्री सैयद अली जहीर--ख्याल जरूर है कि बाजों की तन्दुरुस्ती पर असर जरूर बुरा पड़ता है ।

श्री अब्दुल मोईज खां (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि तांगे और इक्के चलाने वाले मुख्तलिफ तरीकों से इसका आंदोलन करते रहे हैं कि रिक्शा चलाने वालों का काम बन्द कर दिया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश--कहीं-कहीं ऐसी कोशिश की है इक्का और तांगा चलाने वालों ने।

सात वर्ष से चुनाव न होने वाली नगरपालिकायें

*३१--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में कितनी नगर पालिकाओं का चुनाव ७ वर्ष से नहीं हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश--इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, आगरा, लखनऊ तथा अलीगढ़ इन छः नगरपालिकाओं का।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--इसका उत्तर मेरे पास नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष--यह आपने कहा कहां। आप तो उठते-उठते बैठ गये। आपने उत्तर सुन लिया है और उस पर कुछ पूरक प्रश्न यदि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लिखित उत्तर आपके पास बाद में पहुंच जायगा।

सई तथा गोमती आदि नदियों की बाढ़ पर नियंत्रण करने की योजना

*३२--**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने सई और गोमती नदी की बाढ़ को नियंत्रण में लाने के लिये क्या योजना बनायी है ?

श्री राममूर्ति--सई नदी का प्रारम्भिक भूमीक्षण किया जा रहा है कि उसमें कहां तक बाढ़ आयी तथा हानि हुई और यदि आवश्यकता प्रतीत हुयी तो इसका पूर्ण भूमीक्षण १९५५ की वर्षा के उपरान्त किया जायगा।

*३३--**श्री नागेश्वर द्विवेदी**--क्या सरकार ने सई नदी के पानी को सिंचाई के लिये उपयोग करने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये कोई आदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिया है ?

श्री राममूर्ति--सई नदी के जल को सिंचाई के उपयोग में लाने की योजना बनाने का आदेश दिया गया था। जांच से विदित हुआ कि इस योजना पर अत्यधिक व्यय होगा। जिस क्षेत्र का सई नदी के पानी से सींचने का विचार था वह क्षेत्र जौनपुर शाखा विस्तार की नई योजना में ले लिया गया है। अतः सई नदी जल योजना को स्थगित कर दिया गया।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राममूर्ति--मैंने निवेदन किया प्रलिमिनरी सर्वे किया जा रहा है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी की बाढ़ को नियंत्रण में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गोमती ही नहीं सब नदियों की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये बड़ी भारी योजना बन रही है। गोमती नदी से जौनपुर शहर को जो कष्ट होता है उसके सम्बन्ध में भी योजना बन रही है।

*३४--**श्री रामसुभग वर्मा**--[हटा दिया गया।]

आगरा तहसील की नहरों में पानी की कमी के कारण नलकूप बनाने का सुझाव

*३५--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सिंचाई मंत्री को यह शिकायतें मिली हैं कि आगरा तहसील में महीने में एक सप्ताह भी नहरें नहीं चलती हैं और उस से किसानों में बड़ा असंतोष है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की है?

श्री राममूर्ति--आगरा तहसील में गर्मियों के दिनों में पानी की ज्यादा कमी हो जाती है और इस समय राजवहे मुश्किल से महीने में एक सप्ताह ही चल पाते हैं। इस पानी को कमी को दूर करने के लिये आगरा नहर का पुर्ननिर्माण हो रहा है।

*३६--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सिंचाई मंत्री इस तहसील में कोई (Exploratory) या (State Lavel) पर ट्यूबवेल बनवाने का विचार कर रहे हैं?

श्री राममूर्ति--आगरा तहसील में एक्सप्लोरेटरी या स्टेट ट्यूबवेल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या आगरा में सिंचाई के साधनों की कमी को देखते हुये और यह देखते हुये कि आगरा में जो अभी प्रयोग हुये हैं सफल हुये हैं क्या माननीय मंत्री जी ट्यूबवेलस् के सम्बन्ध में कोई योजना बनाने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति--ताज के पास एक कुआं बनाया गया था। लेकिन उस का पानी कुछ ब्रैकिश निकला। तो इस बात की जांच की जा रही है कि खेती बारी के लिये उसकी कुछ उपयोगिता हो सकती है या नहीं। जांच के बाद अगर यही मालूम हुआ कि इससे खेती को फायदा पहुंच सकता है तो अवश्य इस बात की कोशिश करेंगे कि और ज्यादा कुयें बनवायें।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि आगरा नहर के पुर्ननिर्माण के साथ-साथ ग्रामों में आगरा जिले को पानी मिल सके ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष--पीने के पानी के लिये आप पूंछ रहे हैं?

श्री रामहेत सिंह--सिंचाई के लिये कह रहा हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कई योजनायें विचाराधीन हैं।

हरदोई जिले में नलकूपों की आवश्यकता

*३७--श्रीमती सावित्री देवी (जिला सुल्तानपुर)--क्या ८ मार्च, १९४९ के प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में सरकार यह बतायेगी कि इस क्षेत्र से नहर निकालने की योजना के सम्बन्ध में गत ६ वर्षों में कितनी प्रगति हुयी और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री राममूर्ति--भूमि निरीक्षण के बाद यह ज्ञात हुआ कि तहसील बिलग्राम जिला हरदोई की भूमि ऊंची होने के कारण वर्तमान नहर के अधिकृत क्षेत्र में नहीं ली जा सकती। अतः वर्तमान नहर से नई नहर के निर्माण की योजना कार्यान्वित नहीं की गयी।

*३८--श्रीमती सावित्री देवी--क्या सरकार को मालूम है कि इस क्षेत्र से होती हुयी बिजली की नयी लाइन निकाली गयी है और नहर के स्थान पर ट्यूब वेल बनाने का आयोजन किया गया है? यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर ट्यूबवेल लगेंगे और यदि नहीं, तो सिंचाई के लिये सरकार क्या प्रबंध कर रही है?

श्री राममूर्ति—बिजली की एक लाईन हरदोई से सांडी तक बन चुकी है। यह लाइन उक्त क्षेत्र से होती हुयी जाती है। इस क्षेत्र में बिजली के कुयें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। उन कुओं की संख्या तथा उनके स्थान की सूचना उक्त क्षेत्र का निरीक्षण सर्वे (कार्य) समाप्त होने पर ही दी जा सकती है।

मिर्जापुर दीवानी अदालत में अधिवासियों के विरुद्ध मुकदमें

*३९—**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)—क्या न्याय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर में दीवानी अदालत के सम्मुख कितने मुकदमें वहां के अधिवासियों के विरुद्ध चल रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—१६९

*४०—**श्री रामस्वरूप**—क्या न्याय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि अब तक कुल कितने मामलों का निर्णय हो गया और कितने अभी अनिर्णित चल रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—५३ मुकद्दमों का फैसला हो गया है और १६९ अभी बाकी हैं।

*४१—**श्री रामस्वरूप**—क्या न्याय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि कितने मुकदमे ऐसे हैं जो एक साल से अधिक समय से चल रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—करीब ४०।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि कितने ऐसे मामले हैं जो दो वर्ष से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। इसको जब आप पूछेंगे तो हम इसको भी बतायेंगे।

गोंडा जिले के बाजारों तथा मेलों से ग्राम सभाओं की आय

*४२—**श्रीमती सज्जन देवी महनोत** (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गोंडा जिला के बाजार भगवतीगंज तथा तुलसीपुर, देवीपाटन मेला, पसिका मेला की आमदनी सरकार ने गांव सभा को दे दी है?

श्री कैलाश प्रकाश—सरकार ने बाजार भगवतीगंज और तुलसीपुर तथा पसिका मेले का प्रबन्ध संबंधित ग्राम सभाओं में निहित कर दिया है, और देवी पाटन मेले का प्रबन्ध केवल दो प्लाट्स के अतिरिक्त देवी पाटन मन्दिर कमेटी को वापस कर दिया है क्योंकि पूरे मेले पर सरकार का अधिकार नहीं था। देवी पाटन में केवल दो प्लाट जो सरकार के थे उन पर होने वाला मेला जिला बोर्ड, गोंडा, में निहित कर दिया गया है।

*४३—**श्रीमती सज्जन देवी महनोत**—इस कारण गोंडा जिला बोर्ड की आमदनी जितनी कम हो गई है ..., क्या उसकी पूर्ति करने का सरकार विचार रखती है जिससे बोर्ड को स्कूल आदि चलाने में कठिनाई न हो?

श्री कैलाश प्रकाश—मेलों का प्रबन्ध जिला बोर्ड को अस्थायी रूप से इस शर्त पर दिया गया था कि उसे प्रबंधात्मक व्यय वहन करने के लिये कुल आय का १५ प्रतिशत मिलेगा। अतः इन मेलों के बोर्ड से वापस लेने के कारण बोर्ड की आय से कमी होने का और सरकार द्वारा उसकी पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता?

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सभा की होने वाली आमदनी से भगवतीगंज की आमदनी बहुत ज्यादा है?

श्री कैलाश प्रकाश—आमदनी के आंकड़े तो मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार यह इंतजाम जिला बोर्ड को वापस देने के लिये तैयार है?

श्री कैलाश प्रकाश--मेलों का इंतजाम देने के लिये एक साधारण प्रणाली बनाई गई थी कि जो मेले २,००० रु० से अधिक के फायदे के हैं और १ साल में दो बार से अधिक नहीं होते हैं वह रेले तो जिला बोर्ड को दिये जायं, बाकी जो मेले अक्सर लगते हैं या दो हजार से कम की उनमें आय होती है उन मेलों का प्रबन्ध गांव समाज के द्वारा अच्छा हो सकता है । चूंकि यह मेला जिसका कि प्रबन्ध दूसरी बात से संबंधित है इसलिये वह गांव समाज को दिया गया है और वहीं उसको रखना उचित मालूम होता है ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार को यह पता है कि भगवतीगंज की आमदनी करीब ५ या ६ हजार सालाना की है ?

श्री कैलाश प्रकाश--मैं निवेदन कर चुका हूं कि आमदनी के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन मेलों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार कोई विधेयक इस हाउस में प्रस्तुत करने जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--कोई विधेयक लाने का विचार तो इस सदन के सामने सरकार का है नहीं ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार उक्त मेले की जो आमदनी हुई है उसकी जांच करके उसकी कापी मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--अगर आंकड़े उस के मंगवाने है तो उनको मंगवाया जायगा और उन्हें अगर कोई माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि देवी पाटन मेले की वार्षिक आय क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश--आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि देवीपाटन का मेला एक प्रदेशीय ख्याति का मेला है और उसे किसी व्यक्ति विशेष को देने में हानि हो सकती है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां । मेला महत्व का है । किन्तु किसी व्यक्ति विशेष को देने का सवाल नहीं है । हाईकोर्ट में वहां एक देवी है उन्होंने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया और हाईकोर्ट में उनके पक्ष में फैसला दिया । इसलिये मेले का जो अधिकांश हिस्सा है वह उन देवी के प्रबन्धक के हाथ में है ।

सरजू तथा झिंगुरी नदियों पर पुल निर्माण का आयोजन

*४४--श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच-बहराम घाट रोड पर सरजू तथा झिंगुरी नदियों पर का अस्थायी पुलों को पक्का बनवाने का निश्चय किया गया है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)-- जी हां ।

*४५--श्री सियाराम चौधरी--यदि हां, तो इनका बनना कब से आरम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--झिंगुरी नदी का पुल निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायगा । सरजू नदी पर पुल का डिजाइन बनाया जा रहा है तथा बन जाने पर आगणन तैयार किया जायगा । भारत सरकार द्वारा आगणन की स्वीकृति मिलने पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो जायगा ।

श्री सियाराम चौधरी--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि झिंगुरी पुल के लिये कुल कितना रुपया सरकार ने मन्जूर किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--बहराइच-बहरामघाट के लिये ११ और १७ मील के पुनर्निर्माण के लिये ६ लाख ४२ हजार रुपये का आगणन स्वीकार हुआ है और इसके १६ वें मील पर पुल का आयोजन है।

श्री सियाराम चौधरी--क्या सरकार बतायेगी कि झिंगुरी पुल में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उस का डिजाइन तैयार हो गया है तथा टेन्डर्स मांग लिये गये हैं।

श्री सियाराम चौधरी--क्या सरकार को ज्ञात है कि सरजू नदी पर जो अस्थायी पुल बना हुआ था उसके पीपे कहीं दूसरे जगह भेज दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पुलों को पक्का बनाने का फ़ैसला सरकार ने कब किया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मई, १९५४ में झिंगुरी पुल का और सरजू का तो अभी विचार चल ही रहा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--जब सन् १९५४ में सरकार ने इस पुल के बनाने का फ़ैसला कर लिया था तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १९५५ तक अभी तक उस पर कुछ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष--कार्यवाही तो उन्होंने बता दी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार बतायेगी कि इस पुल के बनाने के लिये कोई टेंडर्स काल कर लिये गये हैं या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो मैंने बताया था श्रीमन्।

जिला देवरिया की ग्राम सभा सेमराहर्दी के सभापति श्री कामता प्रसाद के अपमान की शिकायत

*४६--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार बतलायेगी कि जिला देवरिया तहसील पडरौना के ग्राम सभा सेमरा हर्दी के सभापति श्री कामता प्रसाद को बांध कर गांव भर घुमाया गया और अपमानित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं।

*४७--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार के पास सभापति के अपमानित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, एक शिकायत आयी थी जिसकी जांच की गई, परन्तु वह सत्य नहीं पाई गई।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गई।

श्री कैलाश प्रकाश--जिला अधिकारियों के द्वारा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि वह अधिकारी मौके पर जांच करने के लिये नहीं गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो उन्होंने आवश्यक समझा होगा इन्क्वायरी करने के लिये वह किया होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को पता है कि जिस रोज की यह घटना बतलायी जाती है उस रोज नायब-तहसीलदार गांव में मौजूद था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं। यह तो पता नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कामता प्रसाद से भी मौके पर शहादत और बयान लिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, उसने जो आवश्यकता समझा वह किया। उस रिपोर्ट का पूरा-पूरा ब्योरा कि किस-किस का बयान लिया गया, मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय न्याय मंत्री जी इसको आवश्यक समझ करके कि शिकायत करने वाले का बयान लिया जाय, फिर इसकी जानकारी करने की कृपा करेंगे कि उसका बयान लिया गया या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसका भी पता लगा लिया जायगा या उसकी रिपोर्ट के अनुसार सारी बातों की जानकारी करने के बाद यह बात नहीं है कि वहां उनका कोई इस तरीके का अपमान किया गया हो।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आयी है ?

श्री अध्यक्ष—अपमान करने की शिकायत है, यह तो स्पष्ट ही है।

*४८-४९—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फतेहपुर जिले में अदालतें बढ़ाने की आवश्यकता

*५०—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में कितनी सिविल क्रिमिनल अपीलें एवं कितने सिविल, क्रिमिनल मुकदमात सिविल एवं सेशन्स जज की अदालत में अनिर्णीत पड़े हैं।

श्री सैयद अली जहीर—इस सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना नत्थी में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४७ पर)

*५१—श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या सरकार अनिर्णीत अपीलों और मुकदमात को देखते हुए सिविल एवं सेशन्स जज की अदालत की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

श्री सैयद अली जहीर—फतेहपुर में एक सिविल व सेशन्स जज की स्थायी अदालत के अलावा एक अस्थायी अदालत १ अगस्त, १९५५ तक थी। हाईकोर्ट उस अदालत को फिर से स्थापित करने के विषय में विचार कर रहा है।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या माननीय न्याय मंत्री जी फतेहपुर में काम की ज्यादती को देखते हुये टेम्पोरेरी सिविल और सेशन्स जज की कोर्ट के बजाय परमानेंट सिविल और सेशन्स जज की कोर्ट कायम करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--यह मामला तो ऐसा है कि जिस पर हाई कोर्ट गौर करके सरकार को अपनी राय भेजती है। अगर हाई कोर्ट जरूरत समझेगी तो परमानेन्ट भी हो जायगी वरना अमूमन तो टेम्पोरेरी कोर्ट्स जब कहीं काम बढ़ जाता है तो वहां भेज दी जाती हैं और जब काम कम हो जाता है तो वहां से हटा कर और जगह जहां काम ज्यादा होता है वहां भेज दी जाती हैं।

छाता से गोवर्धन तक सड़क की आवश्यकता

*५२--श्री रामहेत सिंह--क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि नोंझील शेरगढ़ सड़क जो कि अभी शेरगढ़ से छाता तक ही बन पायी है गोवर्द्धन तक कब तक बन जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--छाता से गोवर्धन को मिलाने के लिये किसी सीधी सड़क के निर्माण की योजना नहीं है।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि हर महीने की पूर्णमासी और अमावस्या को इस रास्ते से हजारों आदमी गोवर्धन की परिक्रमा को जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां। इस रास्ते से भी जाते हैं और दूसरे रास्तों से भी जाते हैं।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण रास्ते को जो बहुत से बीच के क्षेत्रों को मिलाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में लेने की कृपा करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--छाता से कोसी और नन्दगांव बरसाना होकर गोवर्धन के लिये मार्ग है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे किसी मार्ग की तो आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

पांच से दस हजार की अपीलों के सम्बन्ध में अवध के कानून में भी आगरा की भांति संशोधन करने का सुझाव

*५३--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वान्चू कमेटी को सिफारिश पर न्याय प्रणाली में जो सुधार किये गये हैं, उनके अधीन पांच हजार से दस हजार तक के दीवानी के सब मुकदमों की अपीलें आगरा में हाई कोर्ट के बजाय, डिस्ट्रिक्ट जज सुनते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी-हां।

*५४--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--यदि हां, तो यह प्रणाली अवध के जिलों में किन परिस्थितियों में लागू नहीं की गयी ?

श्री सैयद अली जहीर--उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४, द्वारा यह सुधार आगरा के लिये किया गया था। उस समय अवध में लागू कानून में यह संशोधन नहीं किया जा सका। अब अवध के कानून में भी ऐसा संशोधन किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो उत्तर की कापी दी गयी है उसमें प्रश्न ५३ में "जी नहीं" लिखा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--मेरी प्रति में "जी हां" लिखा हुआ है। तो आप "जी हां" पढ़िये। मेरे पास तो "जी हां" लिखा हुआ है और मेरे सचिव के पास "जी नहीं" लिखा हुआ है। किसी को "जी हां" उत्तर दिया है, किसी को "जी नहीं" दिया है। इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी देंगे कि सही कौन है ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी दो जवाब हैं, एक में "जी हां" लिखा है, एक में "जी नहीं"।

श्रीअध्यक्ष—तो सही कौन है ?

श्री सैयद अली जहीर—असली जवाब "जी हां" है।

श्री अध्यक्ष—तो "जी हां" सही जवाब रहेगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह ठीक है कि सरकार को यह गल्ती उस समय तक नहीं मालूम हुयी जबतक हाई कोर्ट ने उसका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया ?

श्री सैयद अली जहीर—मुमकिन है यही सही हो।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी उस पत्र को पढ़ने की कृपा करेंगे जिसके द्वारा ऐसी व्यवस्था करने के लिये ध्यान आकर्षित कराया गया ?

श्री अध्यक्ष—पत्र क्या छोटा मोटा है या बड़ा भारी है ? अगर छोटा सा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दो चार सफों का हो तो न पढ़ें। उसको माननीय सदस्य देख लें।

श्री सैयद अली जहीर—वह पत्र इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या माननीय न्याय मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट को यह हिदायत देंगे कि "जी नहीं" या "जी हां" एक ही जवाब दिया करें ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो वे दे चुके हैं ?

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ सुधार तथा संशोधन अधिनियम में इसका समावेश नहीं किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—समझा यह गया था कि जब अवध और आगरा एक हो गया तो एक ही दोनों जगह कानून लागू हो जायगा और एक ही जगह तरमीम करने से दोनों जगह तरमीम हो जायगा, लेकिन मालूम हुआ कि अवध का जो कानून है वह अभी तक पुराना है, इसलिये फिर से करना पड़ रहा है।

*५५–५६—श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र—[सदस्य ने त्याग-पत्र दे दिया अतः हटा दिये गये।]

बनारस नगरपालिका पर चुंगी वापसी का बकाया

*५७—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनारस नगरपालिका पर चुंगी वापसी का कितना रुपया बाकी है और किस-किस सन् का बाकी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—बनारस नगरपालिका को पिछले वर्षों की चुंगी की निम्नांकित रकम जो ३१ जुलाई, १९५५ तक वाजिब थी वापस देनी है ;

अगस्त, १९५२ से मार्च, १९५३	१५,२००
अप्रैल, १९५३ से मार्च, १९५४	२५,९००
अप्रैल, १९५४ से मार्च, १९५५	३४,६००
अप्रैल, १९५५ से जुलाई, १९५५	६८,९८९
कुल	१,४४,६८९

उक्त रुपया उस माल के सम्बन्ध में है जो नगरपालिका से निर्यात (export) किया गया।

नोट—तारांकित प्रश्न ५७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह कृपा करके बतलायेंगे कि चुंगी का रुपया वापिस करने में नगरपालिका के लोग इतनी देर क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो माननीय सदस्य नगरपालिका से पूछ सकते हैं, लेकिन मंत्री जी से जो पूछना हो वह पूछें ।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी नगरपालिका को आज्ञा देंगे कि वह जल्दी से जल्दी रुपया दे दिया करें ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, नगरपालिका का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है, लेकिन इस रुपये के न दिये जाने का एक कारण यह है कि जो व्यापारी सामान ले जाते हैं वह छोटी छोटी रकम को वापस लेना नहीं चाहते हैं । जब उनका रुपया इकट्ठा हो जाता है तब इकट्ठा करके लेते हैं, इसलिये कुछ रुपया पड़ा रह जाता है ।

सूचना विभाग द्वारा जिलों को दिया गया सिनेमा का सामान

*५८—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में सूचना विभाग द्वारा सिनेमा के सामान कब से दिये गये हैं और उनसे कब से काम लिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सिनेमा सेट्स इलाहाबाद को १९४८ में, आगरा, अलीगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, गोंडा, हरदोई, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर को १९४९ में, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर को १९५० में, बांदा, बनारस, प्रतापगढ़, सीतापुर को १९५१ में, बरेली, देहरादून, जौनपुर, कानपुर, मैनपुरी मेरठ, रायबरेली, रामपुर, सुल्तानपुर को १९५३ में, अलमोड़ा, बस्ती, हमीरपुर, जालौन, खीरी, मिर्जापुर, नैनीताल, पीलीभीत, टेहरी-गढ़वाल तथा उन्नाव को १९५४ में तथा एटा और गढ़वाल को १९५५ में दिये गये हैं ।

देहरादून का सिनेमा सेट १९५४ में चोरी हो गया है । शाहजहांपुर का सिनेमा सेट यहां मंगवा लिया गया था । अभी वहां गाड़ी ठीक न होने के कारण सेट वापस नहीं भेजा गया है । और सभी जिलों में जब से ये सिनेमा यंत्र हैं तब से कार्य कर रहे हैं ।

जिला पंचायत अधिकारी बहराइच के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*५९—श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत अधिकारी बहराइच के कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत उनके पास आयी हैं ? यदि हां, तो कितने दिन से शिकायत की जांच हो रही है और कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, जिला पंचायत अधिकारी बहराइच के विरुद्ध भ्रष्टाचार की एक शिकायत दिसम्बर, १९५४, के अन्त में प्राप्त हुयी थी । इसकी जांच जनवरी सन १९५५, में प्रारम्भ की गयी थी और अब उसके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की आशा है।

*६०—श्री देवकी नन्दन विभव—[१९ सितम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मैनपुरी जिले में घिरोर-कुरावली तथा कुरावली-अलूपुरा सड़कों को पक्की बनाने की आवश्यकता

*६१—श्री गणेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में घिरोर से कुरावली तक और कुरावली से अलूपुरा घाट तक पुख्ता सड़क बनाने पर वह विचार कर रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—जी नहीं। जिला नियोजन समिति तथा स्थानीय जनता ने इस सड़क को चौथी प्राथमिकता दी है और इस कारण पहिली तीन सड़कों के निर्माण के बाद सरकार इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर विचार करेगी।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जालौन की एटा-कोंच तथा कोंच-उरई सड़कें बनाने में असमर्थता

*६२—श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या उसके पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जालौन द्वारा यह मांग की गयी है कि एटा-कोंच तथा कोंच-उरई सड़कें बनवाने में बोर्ड असमर्थ है अतः उनको P.W. विभाग ले ले ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*६३—श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार ने इन सड़कों को P.W. विभाग में लिये जाने की आज्ञा प्रदान कर दी है? यदि नहीं, तो इन सड़कों को P.W.D. में वह कब कब तक ले लेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—बोर्ड का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि ये सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा ले ली ही जायंगी, या कब तक ऐसा हो सकेगा।

आबपाशी की दरों में कमी

*६४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आबपाशी की दरें प्रत्येक जिन्स पर क्या-क्या कम की गयी हैं और किस फसल से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार ने १ अप्रैल, १९५८, से की गयी बढ़ौती में ५० प्रतिशत की छूट दे दी है यह छूट जो प्रचलित सिंचाई दरों का १/६ अंश है और लगभग ३ आना प्रति रुपया होती है, रबी १९५४-५५ से लागू है और भविष्य में तब तक बराबर जारी रहेगी जब तक कोई दूसरा नया आदेश नहीं दिया जाता।

*६५-६६—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—[हटा दिये गये।]

कसया-तमकुही राज सड़क

*६७—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कसया से तमकुही राज जाने वाली सड़क कब पक्की बनायी गयी थी, उसकी चौड़ाई पहिले क्या थी और पक्की बनने पर कितनी चौड़ाई बढ़ाई गयी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—कसिया से तमकुही जाने वाली सड़क जिला परिषद्, देवरिया, द्वारा पक्की करायी गयी थी। सन् १९४७ ई० में यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपी गयी और तब से यह सड़क विभाग के अधीन है। इसकी चौड़ाई ८० फीट है। जब से इस विभाग के अधीन यह सड़क है इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ाई गयी।

*६८—श्री राम सुभग वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि सड़क में निकली हुई जमीनों का मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—१९४७ ई० से अब तक इस सड़क के लिये कोई अतिरिक्त भूमि नहीं प्राप्त की गयी है। अतएव मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता।

*६९—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि सड़क में निकली हुई जमीनों का लगान किसानों के खाते से कम नहीं किया गया है और किसान उसको बराबर अदा करता है? क्या सरकार उस लगान को खाते से अलग करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—[११ अक्तूबर, १९५५, के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

राज्य की प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाएं तथा उनकी आय

२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल बोर्ड कौन-कौन हैं और उनकी वार्षिक आय क्या-क्या है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—एक विवरण-पत्र जिसमें मांगी हुयी सूचना दी हुयी है, सदन के मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४८ पर)

३-४—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—[११ अक्तूबर, १९५५, के लिये स्थगित किये गये ।]

माताटीला बांध से सीमरधा बांध तक नहर का अभाव

५—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह माताटीला बांध से अठोदना बांध होती हुयी सीमरधा बांध तक कोई नहर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । उक्त दो बंधों के बीच कई नाले हैं और सिंचाई के योग्य भूमि भी अधिक नहीं है । अतः नहर की योजना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होती ।

भुजेरा व हस्त्रार, जिला झांसी, में तालाब की आवश्यकता

६—श्री गज्जू राम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम भुजेरा, ग्राम हस्त्रार, तहसील ललितपुर, जिला झांसी, में तालाब बनाने का वह विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई ऐसी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

तालबेहट के मानसरोवर तालाब की मरम्मत की आवश्यकता

७—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तालबेहट के मानसरोवर तालाब की मरम्मत कराने का वह विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

बनारस की नाव दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, पिछले ४ सितम्बर को नाव की जो दुर्घटनायें बनारस में हुईं, उनमें सब मिला के २६ व्यक्ति डूब गये। पहली दुर्घटना तो लगभग १० बजे सवेरे सिंधिया घाट पर हुई । आज कल चूंकि इस साल दो भादों लगे हैं इस वजह से पंचकोशी का मेला लग रहा है और नगर की परिक्रमा करने में लोगों को कुछ रास्ता पानी में नाव पर पार करना पड़ता है। कुछ यात्रियों से लदी हुई एक नाव जा रही थी। ऐसा मालूम होता है कि सिंधिया घाट के सामने वह किसी भंवर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

फंस गई, क्योंकि देखते देखते एकाएक नाव डूब गयी। आमतौर से मल्लाह नहीं डूबा करते हैं लेकिन इसमें वे भी डूब गये, नाव तक का भी आज तक पता नहीं लगा, हालांकि कई जाल डाले गये, कई-कई मील तक जाल डाल कर उसे ढूंढा गया लेकिन कोई पता नहीं चला। इन सब बातों से अन्दाज होता है कि वह नाव भंवर में फंस गयी। उस नाव पर २५ व्यक्ति थे जिनमें से कुल जमा दो बुढ़िया औरतें बच गईं और किसी का पता नहीं लगा। इतना ही मालूम हो सका कि वे लोग मिर्जापुर के थे।

उसके थोड़ी देर के बाद पंचगंगा घाट के सामने दूसरी दुर्घटना हुई। उसमें ऐसा हुआ कि जो नाव पर पाल था उस का बांस यकायक टूट गया। हवा बड़े जोर से चल रही थी जिसकी वजह से वह बांस टूट गया और मल्लाह लोग नाव सम्हाल नहीं सके। नाव डूब गयी। उसके बाद २६ स्त्रियां, एक छोटा सा बच्चा और एक १३-१४ वर्ष का लड़का, इतने आदमी बचाए जा सके। तीन व्यक्ति उस नाव में से डूब गये। डूबने वालों को बचाने में जिन लोगों ने परिश्रम किया उनमें से खास तारीफ उस १३-१४ साल के लड़के की है। उसका नाम शोभनाथ सिंह है। बनारस के देहात का रहने वाला है। उसने अपने आप को डूबने से बचाया और कई स्त्रियों को डूबने से बचाया। इस प्रकार दोनों नावों को मिला कर २६ व्यक्तियों के प्राण गये। जहां तक पहली दुर्घटना की बात है उसमें तो किसी की लापरवाही जान पड़ती नहीं है लेकिन दूसरी नाव का मामला ऐसा मालूम पड़ता है कि मल्लाहों से कुछ लापरवाही जरूर हुई और उसका एक प्रमाण यह भी है कि जैसे ही नाव डूबी मल्लाहों ने अपने को बचाया और दूसरों को बचाने की कोशिश करना तो दूर रहा वे भाग गये और अभी तक वे कहीं भागे हुये हैं। इसके माने यह हैं कि नाव उन्होंने जरूरत से ज्यादा लाद दी थी। बहरहाल, जांच पड़ताल हुई है और मुकदमा भी उनके ऊपर चलने वाला है। अब आयन्दा इस तरह की दुर्घटना न हो इसके लिये छोटी नावें जिनमें ३० आदमियों से कम बैठ सकते हों और तीन मल्लाहों से कम लगते हों उनको जब तक पुरुषोत्तम का महीना है रोक दिया गया है। इसके अलावा कुछ पुलिस वाले भी खासतौर से इस काम के लिये तैनात कर दिये गये हैं घाटों पर यह देखने के लिये कि जितने आदमी बैठ सकते हैं उससे अधिक आदमी न बैठाये जायं।

*उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन बतलाया था कि जहां तक डिसक्वालिफिकेशन्स का सवाल है, यह सरकार एक के बाद दूसरा विधेयक लाकर इस सम्बन्ध में प्रजातंत्र पर कुठाराघात कर रही है। एक तरफ तो सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करती है और दूसरी तरफ हर मौके पर ऐसे विधेयक लाने में जिनमें सरकारी हस्तक्षेप हो सके, सरकारी दल के लोगों का प्रभाव हो, वह चूकती नहीं है। यह तीसरा विधेयक है। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एम्पलाईज इंश्योरेन्स ऐक्ट है, उसके मातहत जो कारपोरेशन का संगठन होता है, या स्टैंडिंग कमेटी का संगठन होता है, उसमें किसी विधायक की आवश्यकता नहीं है न तो कारपोरेशन में और न स्टैंडिंग कमेटी में ही। ऐसी हालत में अनर्हता विधेयक द्वारा यह अधिकार प्राप्त किये जायें कि विधान सभा के मेम्बर इसमें रखे जायें, मैं समझता हूं कि सरकार के लिये यह मुनासिब नहीं है।

---

* १९ अगस्त, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें यानी कारपोरेशन में और स्टैंडिंग कमेटी के कार्य के लिये जो फंड है उस में कितने व्यापक अधिकार हैं। कारपोरेशन के मेम्बर और स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बरों द्वारा और मजदूरों के जिन्दगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचता, जिससे इस समय इस फंड का इस्तेमाल न होता हो बावजूद इसके कि वहां लड़ाकू संगठन हिन्द मजदूर सभा आदि हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन संस्था है जो सरकारपरस्त संस्था है और फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि अभी ८० दिन तक कानपुर में सारे मजदूरों की हड़ताल हुई थी उस समय यही संस्था थी जो हड़ताल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। शुगर मिल के कर्मचारियों में भी इस संस्था का नगण्य हाथ रहा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस विधेयक द्वारा सरकारी कर्मचारियों को और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को इस क़िस्म के अधिकार देकर सरकार राजनैतिक लाभ उठाना चाहती है और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा मजदूरों पर विशेष प्रभाव डालकर कांग्रेस पार्टी के घटते हुये प्रभाव को कायम रख सके, इसलिये ऐसा सरकार कर रही है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करना चाहता हूं। मजदूरों को अपने संगठन करने में आजादी होनी चाहिये। इस किस्म के विधेयक द्वारा मजदूरों पर गलत तरीके से दबाव डालना मुनासिब नहीं है।

मेरी राय में सरकार एक राजनैतिक लाभ उठाने के लिये और सरकारी दल का प्रभाव डालने के लिये मजदूरों पर यह विधेयक ला रही है। यह ऐक्ट धीरे धीरे सारे प्रदेश में लागू होता जा रहा है। यह एक ही रास्ता था जिससे वह मजदूरों पर अपना प्रभाव डाले और राजनैतिक लाभ उठाये और अगले चुनाव में या जब ज़रूरत पड़े तो इसका लाभ उठाया जाय। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने इसका विरोध करते हुये यह कहा कि सरकार इस विधेयक को इसलिये ला रही है कि मजदूरों पर इसका प्रभाव बढ़े या वह मजदूरों को अपने हित में ला सके। यह बात तो मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। लेकिन मुझे दुख है कि कई कारणों से मैं इस विधेयक का समर्थन कर पाने में अपने को विवश पा रहा हूं। अभी तक इस सदन में अनर्हता निवारण के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं उनकी संख्या लगभग ५ है, ऐक्ट १९५१, ऐक्ट १९५२, ऐक्ट १३, १९५२, ऐक्ट १९५३..... .

श्री अध्यक्ष--क्या आप विरोध कर रहे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैंने कहा कि मैं इसका समर्थन करने से अपने को असमर्थ पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आपने 'विवश' शब्द का प्रयोग किया था।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--'विवश' को सुधार कर 'असमर्थ' कर दिया जाय।

तो मैंने जैसा निवेदन किया, ये ५ ऐक्ट जो बने हैं वे भिन्न भिन्न अवसरों पर जब आवश्यकता हुई तो इस प्रकार के विधेयक उपस्थित किये गये। सन् १९५१ में तो तीन बातें ध्यान करके विधेयक उपस्थित किया गया। स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देने के निमित्त आनरेरी अफसर को किसी खास ड्यूटी के लिये, खास अफसर को, चेयरमैन या मेम्बर के स्थान के लिये, दूसरा नम्बरदार को, प्रदान संग्रह या मालगुजारी के लिये यह अनर्हता निवारण विधेयक लाया गया। १३वां ऐक्ट उपमंत्री पद या मंत्री पद के लिये, प्रतिकर भत्ते के लिये या कम्पेन्सेटरी अलाउन्स के लिये यह विधेयक पेश किया गया। फिर इसके बाद ऐक्ट २० टैरिटोरियल आर्मी या नेशनल कैडट कोर में भरती होने के लिये कानून बना और सन् ५४ में नेशनल लोन सर्टिफिकेट और नेशनल प्लान सर्टिफिकेट

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

के एजेन्ट बनने के लिये जो कमीशन आदि होता है उसके लिये यह विधेयक पास किया गया। ये जो तमाम विधेयक उपस्थित किये गये उनमें एक खास बात तवज्जह करने की है। उसके अन्तर्गत इस सदन के माननीय सदस्य बहुत से, अगर यह विधेयक पास न किये जाते, तो चुनाव में खड़े होने के लायक नहीं हो सकते थे, क्योंकि प्राफिट की डैफिनिशन में वह बातें आ जातीं इसलिये कम्पैन्सेटरी अलाउन्स के बारे में मेम्बरों के ऊपर अयोग्यता का प्रश्न था तो वह इस विधेयक में लागू होता था लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वर्तमान विधेयक के खिलाफ कोई अयोग्यता का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य यदि यह विधेयक पास न हो तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि अभी भी इस स्टेट इम्पलाईज इन्श्योरेन्स ऐक्ट के मातहत जो सदस्य होते हैं वह इस समय भी इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं। उसमें तीन तरह के सदस्य होने की बात है। कारपोरेशन का एक सदस्य ए० बी० सी० स्टेट का एक नुमायन्दा हो, स्टैंडिंग कमेटी का एक सदस्य, तीन ऐसे स्टेट के नुमायन्दे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किये गये हों और बेनिफिट कौंसिल का सदस्य। तो उसका क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। अभी कोई सदस्य इस स्टेट इम्पलाइज इन्श्योरेन्स की कमेटी में नहीं है। स्टेट इम्पलाईज इन्श्योरेन्स ऐक्ट के मातहत जो कानून बनाया गया उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? भविष्य में कोई डिस्क्वालिफाई होने वाला हो तो उसके लिये कोई कानून नहीं बन सकता है। भविष्य में अगर कोई होने वाला हो तब भी एक या दो सदस्यों को वहां पर नामजद नहीं कर सकते हैं इसलिये भी कानून बनाना अनुचित है। बहुत सी स्टेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सरकार नामजद कर सकती है उन कमेटी के लिये जो स्टेट इम्पलाईज इन्श्योरेन्स ऐक्ट के मातहत बनेगी। यह भी निश्चित नहीं है कि विधान सभा के सदस्य होने वाले हैं। यह बात दूसरी है कि अगर सरकार इसको जानती हो कि वह किसी विशेष सदस्य को नामजद करेगी तो उसके लिये जब नामजदगी हो जाय तब ही कानून आना ठीक है कि हमारा एक सदस्य डिस्क्वालिफाई हो जायगा। अब तो कोई डिस्क्वालिफाई नहीं हो रहा है। भविष्य में अन्देशा है इसके लिये भी कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिये। साथ ही हमारे यहां परिपाटी यह रही है कि हमारे पुराने कानून प्रतिकर भत्ता, मोटर अलाउन्स, मकान का किराया, अलाउन्स देना इसके लिये बनते रहे हैं आज इस विधेयक से नई परिपाटी स्थापित की जा रही है कि शुल्क भी डिस्क्वालिफीकेशन से बरी किया जाय। यह उचित प्रतीत नहीं होता है। डियरनैस एलाउन्स तो जायज चीज है। शुल्क के कानून की व्यापकता है और न इससे कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई होता है। मैं नहीं जानता हूं कि क्यों यह विधेयक लाया गया है। इसलिये यदि यह विधेयक वापस ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ हूं। ऐसा बिल जिसमें हमारे माननीय सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन दूर हो जाय और भी दो एक हमारे सामने आये। उस समय हमने गौर किया था कि जहां हमारी विधान सभा के सदस्यों का होना बहुत ही आवश्यक हो वहां हमने उसकी राय दी। हमारे अवस्थी जी ने यहां जो भाषण दिया उससे मैंने यह समझा कि लेबर के कार्य कर्ताओं को शायद इनशोरेंस कारपोरेशन में रखने के लिये बिल लाया गया है। हमारे अवस्थी जी जो बहुत बड़े नेता हैं उन्हें सोचना चाहिये कि अव्वल तो ऐसी चीज नहीं है और यदि है तो हमारे जो लेबर में छोटे छोटे काम करने वाले हैं उन्हें भी अवसर मिलना चाहिये। अवस्थी जी तो बाहर से भी काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह जनता और हम सदस्यों के हित में नहीं है कि हम यह दिखलावें कि हर चीज में हम ही घुसना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसा और सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, सरकार इस बिल को वापस ले।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मौर्य जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मरीज बीमार हो तब इलाज करना चाहिये न कि जब

वह मर चुका हो। मौर्य जी का सुझाव बिलकुल यही है कि जब किसी को डिसक्वालिफाई कर दिया जाय तब माननीय मंत्री जी यहां एक बिल लावें और उस के बाद मातम मनाया जाय। वक्त जरूरत पर सरकार ने यह बिल रखा है कि मेम्बरों को वहां जाने का मौक़ा मिले। भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये खड़ा हो। एक आदमी का इस लड़ाई में करीब लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च होता है और इतना ही सरकार का होता है। मैं मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी आफत क्यों लाई जाय। हमने संशोधन में रखा है कि अगर मेम्बर ग़लत काम करें तो उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया जाय। इन्स्योरेन्स का काम जनता का ही यानी ग़रीबों का ही है। हम लोग पब्लिक के ही चुने हुये हैं। यहां अंग्रेज या पूंजीवादी कोई नहीं है। मौर्य जी, मदनमोहन जी और राजा साहेब जी उसके मेम्बर हो सकते हैं, क्योंकि जनता ने उनके अन्दर विश्वास दिखाया है और उन्हें यहां भेजा है। डैमोक्रेसी में डैमाक्रेटिक सरकार के मेम्बरों के लिये गवर्नमेंट ने एक छोटी सी क़िस्म का अमेंडमेंट पेश किया है। अगर गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी तो इंडियन गवर्नमेंट से प्रार्थना करेगी कि डिसक्वालिफ़िकेशन अमेंड कर दे। अभी हाल में मिसेज कृपलानी जी के खिलाफ़ इलेक्शन पैटीशन चल रहा था और वह बाल बाल ही बची थीं। अगर उनका एलेक्शन डिस्क्वालिफाई कर दिया गया होता तो इधर से आवाज उठायी जाती। मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि यह बिल पास होना चाहिये।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाज़त से इस बिल का विरोध करना चाहता हूं। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा समय आ गया है कि जिस वक्त यह सोचना चाहिये कि एक आदमी को एक से ज्यादा रोज़ी न मिल सके। बहुत सी रोज़ियां हों और एक आदमी को एक से ज्यादा रोज़ियां मिलें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस देश में इतने अधिक आदमी हों कि उनको रोज़ी देने का प्रश्न सरकार के सामने एक जटिल समस्या पैदा कर दे, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो, चाहे सूबे की, वहां हर सरकार का यह फर्ज है कि वह अपने मुल्क के बेरोजगार लोगों को रोज़ी दे। हमें यह नहीं मानना चाहिये कि जो ४३० माननीय सदस्य यहां बैठते हैं केवल वही सारे कामधन्धों में सिद्धहस्त हैं।

श्री शिवनारायण——प्वाइंट आफ आर्डर सर,। ४३० मेम्बर नहीं हैं, ४३१ हैं। इसलिये वह ४३० को वापस लें।

श्री गेंदा सिंह——मैं अपने को दुरुस्त किये लेता हूं और माननीय शिवनारायण जी को धन्यवाद देता हूं।

सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम हर मनुष्य को रोज़ी दें। मैं मानता हूं कि यहां के माननीय सदस्यों में शायद बाहर वालों से ज्यादा काबलियत अधिक कामधंधों को करने की हो। हमारे सदस्य बहुत ही अच्छी योग्यता रखते हैं और अगर यह कहा जाय कि वह सिद्धहस्त हैं तो ठीक है। लेकिन अगर यह कहा जाय कि कोई दूसरा आदमी सिद्ध-हस्त है ही नहीं जो बाहर का है, तो इसे मानने को मैं तैयार नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी आंख ४३१ सदस्यों को छोड़ कर इस सूबे की ६३२ लाख आबादी की ओर डालें। इन ६३२ लाख मनुष्यों में से काफ़ी ऐसे मिलेंगे जो इस कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं यद्यपि इस बात का मैं क़ायल हूं कि हमारे माननीय सदस्य अधिक सिद्धहस्त साबित होंगे। लेकिन दूसरों को भी तो काम देना है और इसका उन्हें मौक़ा देना चाहिये। यह मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है। मैं माननीय मौर्य जी की दलील से इत्तफाक नहीं करता हूं। माननीय मौर्य जी को सिर्फ इतनी ही शिकायत है कि पहले यह मालूम हो जाय कि कौन आदमी जा रहा है फिर उसके बाद ऐसे विधेयक को लाने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

आवश्यकता होगी। मैं तो ऐसा समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों में से कोई भी जाय और उसके लिये मुसीबत हो जाय और इस बात से वह डिसक्वालिफाई हो जाय, यह ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वह इस तरह से डिसक्वालिफाई हो जाय चाहे वह कोई भी सदस्य हो। माननीय मौर्य जी के कहने का मतलब यह है कि वे किसी व्यक्ति को जानने के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय और इस विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में राय दी जाय। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वे फिर अपनी इस बात पर गौर करें और बजाय इस बात के कि किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में राय कायम करें, वे उसके मेरिट पर ही राय कायम करें और वह मेरिट कान्सिडरेशन्स ही होना चाहिये। लेकिन इसके साथ मैं माननीय न्याय मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे सामने जो बेरोजगारी और बेकारी का बड़ा भारी ईश्यू है, उससे भी इन्कार नहीं करना चाहिये। उस बेकारी के इश्यू को सामने रखते हुये २-४ आदमियों को इस बहाने से ही रोजी मिल जायगी, इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिये वे उस को वापस ले लें।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब स्पीकर साहब, इस विधेयक पर मैंने लीडर आफ दी अपोजीशन की तक़रीर सुनी और मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ जब मैंने यह देखा कि वह भी इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे हाउस के एजेन्डे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इसके अलावा हर मामले को बहुत समझ बूझकर रखते हैं, लेकिन मेरी यह बात बिलकुल समझ में नहीं आयी कि आखिर इस बिल की मुखालिफ़त करने की क्या वजह है। यह पहला मौक़ा नहीं है जब इस सदन के अन्दर इस किस्म का बिल आया हो। इसके पहले भी इसके अन्दर ऐसे बिल आये हैं और डिस्क्वालिफिकेशन दूर करने का सवाल हमारे सामने आया है। आफिस आफ प्राफिट के सिलसिले में इस बात को साफ करने की पूरी कोशिश की गयी कि कौन कौन सी जगहें आफिस आफ प्राफिट हो सकती हैं। उस वक्त इसी सदन के सामने यह सवाल आया था कि मुख्तलिफ कमेटियों में जो मेम्बरान काम करते हैं और उनमें काम करने पर जो डी० ए०, टी० ए० या रेम्युनरेशन मिलता है वह आफिस आफ प्राफिट में आता है या नहीं और हमने सदन के सामने बैठकर यह फैसला दिया था कि यह आफिस आफ प्राफ़िट में नहीं आता है। आज इसी किस्म का दूसरा बिल हमारे सामने है और यह बिल उससे बहुत ही कम अहमियत रखता है। आफिस आफ प्राफिट वाले बिल में हम यह तय कर आये हैं कि कमेटियों में जो लोग जाते हैं और उनको वहां जाने से किसी किस्म की सहायता मिलती है, अलाउन्स या रेम्युनरेशन की सूरत में, तो वह डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी। यही इसकी बुनियाद है और इस सूरत से यह कमतर किस्म का बिल है और उसी किस्म की रियायत इसके जरिये से दी जा रही है। जो लोग इन्श्योरेन्स कमेटी में काम करेंगे वे डिस्क्वालिफाई नहीं होने चाहिये। मुझे ताज्जुब हुआ जब माननीय गेंदा सिंह जी ने फरमाया कि इस बिल को पास करने के बाद एम्पलायमेंट के मसले पर बुरा असर पड़ेगा और असेम्बली के मेम्बरान इंश्योरेन्स कमेटी में जाकर अपनी जेबें ज्यादा भर लेंगे। इस सदन में जो लोग आते हैं उनको कौन सी उम्दा रकम मिलती है? सिर्फ दो सौ रुपया माहवार और डी० ए०, टी० ए० मिलता है। वह जिम्मेदारी के और भी काम कर सकें इसलिये कांस्टीट्यूशन में यह जगह रक्खी गयी है। जब ये यहां आते हैं तो बीसियों मेहमान उनके यहां खाना खाते हैं, उनको उनकी खातिर करनी पड़ती है। यह दो सौ रुपये में करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिये दो सौ रुपया बहुत कम है और अगर अपने इखराजात को पूरा करने के लिये हाउस के बाहर रहकर भी कुछ ईमानदारी से पैदा कर लेते हैं तो आप लोगों को ग्रज नहीं करना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसके मानी यह होंगे कि आप उन लोगों के लिये दरवाजा बन्द कर देंगे कि जो पब्लिक वर्क के लिये यहां आते हैं, वे अपनी निजी जरूरतों को भी पूरा कर सकें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां भी रहें, आवें जावें और सब कुछ करें। ऐसी हालत में हम अगर उनकी किसी जायज आमदनी को रोकते हैं तो उस के मानी यह हैं कि हम उसी जमाने के लोगों के लिये जिनके हाथ में पहले से पालिटिक्स थी, यानी बड़े लोगों के हाथ में पालिटिक्स देना चाहते हैं। कौन ऐसा आदमी होगा कि जो ८००० रुपया मेम्बरी में खर्च करे चुनाव के वक्त और मेम्बर बनने के बाद २०० रुपये में यहां भी रहे, कांस्टीटुएन्सी में भी बार बार आवें और जावें, यहां की कमेटियों में भी हिस्सा लें और जो मेहमान वगैरह आते रहते हैं उनकी खातिर मदारात करें? यह सब बहुत मुश्किल है। अलबत्ता इससे यह जरूर होगा कि जो पब्लिक वर्कर हैं और जिनको कौम और मुल्क की खिदमत का शौक है वह यहां आने से रुक जायंगे और पहले जिस तरह से जमींदार ताल्लुकेदार यहां आते थे और अब जब कि वह तबका खत्म हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट्स आवेंगे जो बड़े लोग हैं वही आवेंगे और यह किसी तरह से भी डेमोक्रेटिक उसूलों के मुताबिक न होगा और न उस उसूल के मुताबिक़ होगा जिस उसूल को माननीय गेंदा सिंह बना रहे हैं। मैं उनसे अदब के साथ और बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वह अपने फैसले को दोहरावें और समझें कि असेम्बली के मेम्बर के पास इससे कोई सरमाया नहीं बढ़ जायगा। जो पब्लिक वर्कर है वह अपनी आमदनी को सप्लीमेंट करने के लिये हाउस से बाहर अगर कोई थोड़ा सा बिजनेस करता है तो उसे तो हमें वेलकम करना चाहिये..

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि इस बिल में कोई इन्श्योरेन्स एजेंट का काम रोका जा रहा है, यहां ऐसी बात नहीं है, वह दूसरी चीज है।

श्री सुल्तान आलम खां--वह मैं समझ रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि बिल का क्या मन्शा है। मैं यह कह रहा था कि अगर मेम्बर्स कोई काम असेम्बली के बाहर करते हैं जिससे उनकी आमदनी पर असर पड़ता है और हाउस के काम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो इसमें क्या हर्ज है; जब कि हम पहले ही इस बिल के बुनियादी उसूल को मान चुके हैं तब तो और भी हमें इसको मानना चाहिये और इसे पास करना चाहिये। अगर हम इस तरह से छोटी-छोटी बातों पर मेम्बर्स को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो जो अच्छे वर्कर्स की कमी है, अच्छे वर्कर्स नहीं मिलते हैं उनके मिलने में बहुत दिक्कत होगी और जब हमें अच्छे वर्कर्स न मिल सकेंगे तो हमें यहां के काम को ठीक तरह से चलाने में दिक्कत और दुश्वारी होगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को मंजूर करें और पास करें। इससे किसी तरह से न तो एम्पलायमेंट या अनएम्प्लायमेंट पर असर पड़ता है और न यह कोई बड़ा भारी मसला है, यह तो एक सीधासाधा सा बिल है और हाउस को उसे मंजूर करना चाहिये।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जनाब अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जो तकरीरें यहां इस बिल के मुताल्लिक़ हुई हैं चाहे वह हमारे साथियों की तरफ से हुई हैं या विरोधी दल की तरफ से, उसमें कुछ थोड़ी सी गलतफहमी हैं जिनकी वजह से इस तरह की तक़रीरें हुईं। एक बात जो मुझे अर्ज करना है वह यह है कि जिस दफा में यह लिखा गया है कि कोई शख्स जो लेजिस्लेचर का मेम्बर हो वह आफिस आफ प्राफिट नहीं होल्ड कर सकता तो उसी के साथ-साथ उसमें यह भी लिखा गया है कि लेजिस्लेचर को अख्तियार है कि वह इस तरह की डिसक्वालिफिकेशन से मुस्तस्ना कर सकता है। दफा १९१ की क्लाज (a) जो है वह यह है कि--

"A Person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State.

(a) If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder."

[श्री सैयद अली जहीर]

तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जब दफ़ा खुद कह रही है कि जितने ऐसे आफिसेज को लेजिस्लेचर डिक्लेयर कर दे कि वह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो उसके ऊपर यह दफा लागू नहीं होगी। जब क़ानून इस तरह का है तो जाहिर है कि वक्तन फवक्तन इसकी जरूरत पड़ सकती है कि ऐसे कानून लाये जायं। इंग्लिस्तान में जिस वक्त कि इस मसले पर बहुत तफसीली बहस यहां हुई थी मैंने उस वक्त यह पेश किया था कि वहां पर जब कभी भी कोई नई पोस्ट क्रियेट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त एक बिल महज उसी पोस्ट के लिये आता है वह पास हो जाता है और इस तरह से दर्जनों बिल पार्लियामेंट में और असेम्बलीज में लाये जाते हैं। कानून इस तरह का है कि माननीय सदस्य किसी आफिस आफ प्राफिट को उसी वक्त ग्रहण कर सकते हैं जब उसको मुस्तसना कर दिया जाय। तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कानून बराबर आते हैं और आयेंगे जैसे जैसे गवर्नमेंट की ऐक्टीविटीज बढ़ती जायंगी वैसे वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम थोड़ी देर के लिये यह सोचें कि यह उसूल कब से शुरू हुआ तो आप यह देखें कि इसकी असली बुनियाद तो कब की जायज हो चुकी, लेकिन यह दस्तूर चला आता है कि आफिस आफ प्राफिट जो शख्स होल्ड करे वह लेजिस्लेचर का मेम्बर नहीं होगा। इस दस्तूर को कांस्टीट्यूशन के अन्दर भी शामिल किया गया। वाकया यह है कि इसकी कोई खास अहमियत बाक़ी नहीं रह गई है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे कि जिस वक्त पार्लियामेंट में और बादशाह में इंगलैन्ड में जंग होती थी तो बादशाह यह चाहता था कि पार्लियामेंट में सब मेम्बर ऐसे आ जायं जो उसकी हां में हां मिलाने वाले हों और जनता की सही नुमाइन्दगी करने वाले न हों और इसलिये वह लोगों को जगह जगह ओहदों पर नियुक्त कर के मेम्बर नियुक्त करता था। इसको रोकने के लिये इस किस्म के कानून की ज़रूरत पड़ी। लिहाजा एक मुद्दत वहां की पोलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी मिलेगी जब इसके ऊपर मुखालिफत चलती रही और कानून बदलते रहे कि कहां तक इसको रोक सकते हैं और कहां तक नहीं। लेकिन जब डिमोक्रेसी हो गई और पूरी हुकूमत चुनी जाती है जनता की तरफ से तो यह कहना कि माननीय सदस्य किसी ओहदे को नहीं ले सकते इसके कोई मानी नहीं रह गये, क्योंकि गवर्नमेंट जो मुकर्रर करने वाली है वह भी वही है जो जनता से चुने जाते हैं। कोई बादशाह नहीं है न कोई फासिस्ट हुकूमत है जो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जो मेम्बर हैं उनको फायदा पहुंचाकर अपने साथ कर लें। उनको भी और मेम्बरों को भी जनता के सामने जाना है। तो जो असली वजह थी वह बाक़ी नहीं है। इस वजह से इसके ऊपर सख्ती नहीं होती। जैसे जैसे पोस्ट कायम होती हैं उस के लिये हाउस में बिल लाकर इजाजत दे दी जाती है। यह इंग्लिस्तान में भी होता है और हम भी आज उसी पर अमल कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि अव्वल तो इसमें यह गलतफहमी है कि आज अगर कानून पास कर देंगे तो कारपोरेशन के जितने मेम्बर हैं वह सब लेजिस्लेचर के मेम्बर हो जायेंगे। अभी तो यह भी यकीन नहीं है कि अगर कानून पास भी हो जायगा तो भी कोई माननीय सदस्य किसी कारपोरेशन के मेम्बर होंगे या नहीं। लेकिन असली बात है वह यह है कि कोई सिर्फ लेजिस्लेचर का मेम्बर होने की वजह से जो अनर्हता उसके लिये रखी है उसको हम निकालें या न निकालें, उसका निवारण हो या न हो और अगर यह अनर्हता हम निवारण नहीं करते हैं तो फिर हमारे माननीय सदस्य कारपोरेशन की सेवा और जनता की सेवा नहीं कर सकेंगे या इंश्योरेंस वगैरह की जो थोड़ी सी लेबर है वह नहीं कर सकेंगे, सिर्फ यह बहस है। केबिनेट यह समझती है और हम लोग यह समझते हैं कि इसकी कोई वजह नहीं है कि महज लेजिस्लेचर का मेम्बर हो जाने की वजह से किसी शख्श में कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाय। अगर जरूरत हो तो वह इसके अन्दर भी हो सकती है। इस कानून की सिर्फ इतनी गरज है। न रोजी दिलाना मकसूद है और न रोजी बढ़ाना मकसूद है। न रोजी छीनने का मकसद है कि किसी को रोजी मिल जायगी और माननीय सदस्य उसे ले लेना चाहते हैं। इसका कोई खयाल नहीं है। गालिबन दो एक मेम्बर चाहे किसी

पार्टी के हों जो इन बातों से वाकिफ होंगे उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया चाहेगी तो नामजद कर देगी। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं यह ऐक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया का है, हमारे यहां का ऐक्ट नहीं है, गालिबन वे लोग नामजद करेंगे और इसमें यह इजाजत ले ली जा रही है कि किसी वक्त जरूरत समझी जाय और कोई माननीय सदस्य नामजद किया जाने लगे तो कोई रुकावट बाकी न रहे और यह डिस्क्वालिफिकेशन हटा दी जाय, क्योंकि वे इस तरह का काम करते हैं, नुमाइन्दे हैं, अच्छी तरह से काम अन्जाम दे सकते हैं, जिम्मेदार लोग हैं और इस तरह का काम उनके सुपुर्द किया जाता है तो वे काम अन्जाम दे सकें। इसलिये यह कानून लाया गया है। चाहे जिस तरफ के लोग हों उन्हें अब इस पर कोई एतराज करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इम्प्लाइज़ स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज़ स्टेट इंश्योरेंस के अथवा उक्त ऐक्ट के अधीन तथा अनुसार संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा। अनर्हता निवारण।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा सदस्य केवल प्रतिकर भत्ता का ही (शुल्क का नहीं) अधिकारी होगा।"

अध्यक्ष महोदय, जिस खंड २ में मैं यह प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं वह इस प्रकार है--

"एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इम्पलाइज़ स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन के अथवा उक्त ऐक्ट के अधीन तथा अनुसार संगठित किसी बोर्ड कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति को उत्तर प्रदेशन विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा।" इसके आगे मैं यह चाहता हूं कि यह जोड़ दिया जाय कि ऐसा सदस्य केवल प्रतिकर भत्ता का ही (शुल्क का नहीं) अधिकारी होगा। अध्यक्ष महोदय, अब तक इस सदन में जितने विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत हुये केवल प्रतिकर भत्ता से ही उनका सम्बन्ध रहता था, लेकिन इस बार सरकार ने इसमें शुल्क की व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि शुल्क की सीमा क्या होगी। वह १ हजार रु० महीने होगी, ७०० रु० महीने होगी या ५०० रु० महीने होगी, कोई इंडिकेशन इस बिल में नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आपका जो संशोधन है इसमें वह चस्पां नहीं हो सकता है। आप यह कह सकते हैं "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से मुक्ति तभी होगी जब वह केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो और शुल्क न पाता हो।" लेकिन आप मूल अधिनियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते और आप संशोधन द्वारा उसका परिवर्तन कर रहे हैं। यह अधिकार आपको नहीं होगा। वह शुल्क देना चाहते हैं तो आप कौन हैं कहने वाले कि शुल्क न दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने ठीक बतला दिया।

श्री अध्यक्ष--ऐसा कुछ संशोधन में रखिये कि ऐसे सदस्य के लिये अनर्हता नहीं होगी यदि वह केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो और शुल्क न पाता हो ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा वह तो पुराने जमाने में इंगलैन्ड के बादशाहों के जमाने की बात है जब कि वहां के बादशाह यह चाहते थे कि पार्लियामेंट के मेम्बर उनकी हां में हां मिलाने वाले हो जायं और विरोधी दल के सदस्य जो उनके खिलाफ रहते थे उन पर वे हावी हो सकें । अगर्चे हमारे प्रदेश में आज मंत्री, उपमंत्री और सभा सचिवों की संख्या २६ है जो कि कभी १२ थी । उसके बावजूद भी कितने ही सदस्य उनसे भी काबिल कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं और रोज इस बात पर नाराजगी प्रदर्शित करते रहते हैं कि उनको कैबिनेट में नहीं लिया गया । तो क्या यह तरीका अच्छा नहीं होगा कि साढ़े सात सौ रुपया किसी को देकर जो कि एक सभासचिव या उपमंत्री को मिलता है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जाय और इस तरह से सरकार अपनी टूटती फूटती पार्टी को जोड़ने के लिये दुरुपयोग इस विधेयक में नहीं ला सकती और इसीलिये विधान में यह रखा गया है, विधान के बनाने वालों को यह मालूम था कि यहां इंग्लैंड की कोई बादशाहत नहीं है, १५ अगस्त, १९४७ को हम आजाद हो गये । लेकिन हमेशा इस बात की सम्भावना रहती है कि सरकारी पार्टी विरोधियों को तोड़ने के लिये और अपने ही दल के लोगों को संतुष्ट करने के लिये ऐसे ऐसे पद बनाती रहती हैं, जिससे वह संतुष्ट हो जायं और आपस में विद्रोह पैदा न हो । इसीलिये शुल्क की विशेष बात रखी गयी है । ऐसे भी केसेज होते हैं जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया, ऐसे विरोधी लोग भी हैं, मुझे ऐसे लोगों के नाम मालूम हैं जो कि खुले आम सरकार का विरोध करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया । वह चुप हो गये और उनके विरोधी सदस्य होने से जो लाभ होता था वह नहीं हो सका । ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि अगर सरकार यह जरूरी समझे ही और सरकार का सचमुच इरादा यह हो कि हम लोग ज्यादा क्वालिफाइड हैं और हम मजदूरों की ज्यादा सेवा कर सकते हैं तो ऐसी हालत में फिर धन का लालच उसमें न रखा जाय। जैसे और डिस्क्वालिफिकेशन के दूर करने में विधेयकों या अधिनियमों में व्यवस्था की गयी थी कि यात्रा का भत्ता या दैनिक भत्ता तक दे दिया जाय, वह वाजिब है क्योंकि कोई सदस्य ऐसा नहीं हो सकता है कि दो सौ रुपये में सारा खर्चा बरदाश्त कर ले । वहां तक मैं मानने को तैयार हूं । हम तो चाहते हैं कि विधेयक न पास हो । लेकिन उसके बावजूद भी यह पास होगा ही क्योंकि उनका बहुमत है । लेकिन अगर सचमुच सरकार की नेकनीयती है और वह चाहती है कि किसी को पद दे कर उसका मुंह न बन्द किया जाय तो शुल्क वाला हिस्सा निकाल दिया जाय । तो मैं समझूंगा कि विधान के असर को जाया करने के लिये ही नहीं, बल्कि मजदूरों की सेवा करने के लिये यह विधेयक उपस्थित किया है । मैं समझता हूं ऐसी हालत में माननीय न्याय मंत्री को शुल्क का हिस्सा निकाल देने में कोई एतराज नहीं होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं वैसे तो माननीय मंत्री जी ने हमें काफी समझाने की कोशिश की, हम पहले ही समझे हुये थे इस बात को जो उनकी मंशा है । अध्यक्ष महोदय, जब हम इस पर बहस कर रहे थे तो हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने चूंकि हम विरोध कर रहे थे, यह कहा कि मदनमोहन जी ने इस प्रस्ताव का विरोध करके इस सदन की प्रतिष्ठा को खराब कर डाला । इस सदन की प्रतिष्ठा पर उन्होंने आघात कर डाला । अध्यक्ष महोदय, अगर हम जो बिल आज यहां पर पेश हुआ है उसे स्वीकार कर लें और अगर उसमें यह संशोधन जो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसको स्वीकार न करें तो हाउस के अन्दर आज जितने सदस्य दिखायी दे रहे हैं वह भी नहीं दिखायी देंगे । अध्यक्ष महोदय, ४३१ सदस्य हैं । प्रतिष्ठा मैं बिगाड़ रहा हूं या वह बिगाड़ रहे हैं जो सदस्य हाउस के अन्दर नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, कोई वकालत करता है, कोई हाईकोर्ट में है, कोई ला कालेज में है, कोई प्रोफेसर है और जिस जनता ने हमको यहां भेज रखा है कि हम यहां कानून बनायें, गवर्नमेंट से बात करें और पब्लिक के दुख सुख सदन

के सामने कहें। लेकिन यहां हाउस ब्लैन्क पड़ा हुआ है और बाहर के आदमी कहते हैं कि ४३१ में केवल सौ दो सौ आदमी ही दिखायी दे रहे हैं। अगर इस तरह से नये नये बिल ला कर हमने आफिस आफ प्राफिट की डिस्क्वालिफिकेशन को हटाया तो हाउस खाली मालूम होगा। मैं तो हाउस की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की रात दिन कोशिश कर रहा हूं और जहां तनख्वाह वाला मामला चला दिया आपने कि तनख्वाहें दे दो, फिर वहां चले जाओ। फिर अवस्थी जी तो यहां पर दिखेंगे नहीं दो महीने के बाद। आजकल आते तो हैं, लेबर की बात तो सुनते हैं। हमारे काटजू साहब ने कहा कि उपाध्याय जी ने हाउस की इज्जत बेइज्जत कर दी। वह तो इलाहाबाद से सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं...

श्री शिवनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर। जो माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद नहीं हैं उनके ऊपर अटैक करना कहां तक उचित है ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मेरे लिये कहा था इसीलिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--व्यक्तिगत नहीं होना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--इस सदन की प्रतिष्ठा हम सब को बढ़ानी चाहिये और मैं इसीलिये इसका विरोध कर रहा हूं। इसलिये कि बाहर की जनता यह न समझे कि एम० एल० एज० कानून बनाते हैं और जहां हम सेवा कर सकते हैं वहां पर भी यही लोग जाना चाहते हैं। मजबूरी की बात दूसरी है लेकिन हम क्यों अपनी प्रतिष्ठा बिगाड़ें ? आप सुबह से बैठे रहते हैं। आप तो एक घंटे की छुट्टी भी लेते हैं, सवा तीन बजे आते हैं लेकिन हम तो बैठे ही रहते हैं सुबह से शाम तक। हमारे माननीय सुल्तान आलम जी ने कहा कि हमने जिस सिद्धांत को मान लिया है उसके ऊपर हम फिर वापस कैसे जा सकते हैं ? जब टेरिटोरियल आर्मी का बिल आया था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि देश को इस समय इसकी जरूरत है। अगर किसी दूसरे देश की फौज आ गयी, तो इसलिये यहां के मेम्बर उसमें जा सकते हैं और इसीलिये वह बिल उस समय आया था। बहुत सी ऐसी कमेटियां हैं कि जिनका अभी तक हम को पता नहीं था, अभी हाल में पता लगा। बहुत से ऐसे मेम्बर लोग आफिस आफ प्राफिट होल्ड करते हैं कि जब नामिनेशन पेपर फाइल करने गये तो यहां से इस्तीफा देकर गये। हमारे माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि क्या अभी कोई फैसला हो रहा है ? मान लीजिये कि होगा कोई फैसला, तो हम उम्मीद लगाये तो बैठे हैं। हमारे मल्ल साहब कहते हैं कि हम भी लेबर में काम करते हैं, शायद हमारा भी काम बन जाय। दिल्ली से अगर चुनाव होता तो हम लोग रखे जा सकते थे, लेकिन यहां से तो अवस्थीजी ही जायेंगे। आप मल्ल साहब को या अवस्थी जी को ४ हजार रुपया दे दें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें बदनाम न किया जाय। हम धारा सभा के लोग यह फैसला करें कि इधर-उधर से बटोरो, तो मैं समझता हूं कि यह भावना हम में नहीं आनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य रुपये के लालच से किसी कमेटी में जाना चाहता है, लेकिन बाहर की जनता क्या कहती है ? बाहर के जो कुछ कहते हैं उस तरफ भी हमें देखना है। जिन्होंने हमें छांट कर भेजा है उनकी बात भी हमें सुननी है। हमारे यहां लोग पूछते हैं कि ४३१ मेम्बरों में कोरम कितना होता है ? हमने उनको बताया कि ४५, ४६ होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या ४७ भी हाजिर नहीं होते हैं ? यह सुनकर दुःख होता है। उसमें भी शरीक हूं। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हटनी चाहिये। अगर हमें जाना है तो हम उसमें सेवा भाव से जायं बिना तनख्वाह के। हमारी पार्टी की मीटिंग होती है तो अपनी पार्टी की तरक्की के लिये जाते हैं और अपनी पाकेट से खर्च करते हैं, क्योंकि हमारे दिल के अन्दर एक भावना होती है कि हम उस काम को करें। जो हमारे कारपोरेशन की कमेटी बननी है, अगर उसमें हमारी यह भावना है कि हम अपने मजदूरों की और अपने देश की सेवा करें तो हमारा फर्ज है कि हम अपने काम का हर्जा करके भी उनकी सेवा करें। अगर उनको भत्ता मिले तो ठीक है, खूराक मिल जानी चाहिये, लेकिन यह शुल्क की बात ठीक नहीं है। इसलिये माननीय रामनारायण जी ने जो शुल्क की बात रखी है उसका मैं

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

समर्थन करता हूं और मैं माननीय न्याय मंत्री जी से फिर कहूंगा कि अभी वक्त है, इसको वह वापस ले लें ताकि प्रदेश के लोग यह न कहें कि एम० एल० ए० जो चाहते हैं, वह कानून बना लेते हैं। इन शब्दों के साथ मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां--जनाब स्पीकर साहब, इस अमेंडमेंट के ऊपर जो तकरीर हमारे उपाध्याय जी ने की मैंने उसे बड़े गौर से सुना और जो कुछ उन्होंने फर्माया है वह अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन अगर इस किस्म का बिल इस भवन के अन्दर पास हो भी जाय तब भी अगर भवन के अन्दर का कोई ऐसा माननीय सदस्य है जो इससे नफा नहीं उठाना चाहता वह न उठाये। कहीं इस बिल के पास हो जाने के बाद यह बात लाजिमी नहीं हो जाती है कि हर माननीय सदस्य इसका नफा उठाये और इसके मातहत वह काम करे। यह ठीक है बहुत से लोग इसको पसन्द करेंगे, वैलकम करेंगे और बहुत से लोग इसको पसन्द नहीं करेंगे। बहरहाल अगर यह कानून पास हो जाता है और यह बिल ऐक्ट बन जाता है उस वक्त भी हरएक को यह हक होगा कि वह इसको आइन्दा भी डिसक्वालिफिकेशन समझता रहे और उससे फायदा न उठाये। लेकिन जो ऐसे हों इस बात को सोचते हैं कि अगर उनकी खिदमत की जरूरत है और उनकी खिदमत इसी सूरत में की जा सकती है कि इस हाउस के मेम्बर बने रहें और दूसरों की खिदमत हो तो हम क्यों रुकावट डालें? तो मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है और वह अपना अमेंडमेंट वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष--(श्री अवधेश प्रताप सिंह को संबोधित करते हुये) थोड़ा ही समय लीजियेगा क्योंकि समय बहुत कम है।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--जी हां, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। अभी सरकार को इस दिशा में या इस स्टेज पर बदनीयत कहना या यह समझना कि लोगों को वह रोजगार दिलाना चाहती है, उचित प्रतीत नहीं होता और श्रीमन्, टूटी फूटी पार्टी का जहां तक सम्बन्ध है यह चीज किसी दूसरी जगह चस्पां हो सकती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यदि थोड़ी सी तकलीफ फर्मायें, सुन लें तो अच्छा ही होगा। इस हाउस का एक कनवेंशन सा हो चुका है, मुझे तस्लीम है कि आफिस आफ प्राफिट की जो हिस्ट्री उन्होंने बयान की उससे मुझे कोई इन्कार नहीं। यह हाउस आफ कामन्स की वजह से इसकी बुनियाद आयी और यह कनवेंशन चलता रहा है। मैं उसे स्वीकार करता हूं मैं इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन साथ साथ ही आपके जरिये मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह इस पर जरा गौर करें और सोचें कि अगर वही कनवेंशन इस हाउस का जो है वह मान लें जो कि एक संशोधन आया है वह उससे असंगत नहीं है, उसमें विरोधाभास नहीं है, बल्कि उसी के अनुसार वह संशोधन है। तो मैं समझता हूं यह अधिक कल्याणकारी प्रतीत होगा।

*श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र उपाध्याय जी ने जो कुछ कहा उसके उत्तर देने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर वह यह न कहें तो सदन सूना मालूम पड़ेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जिनको मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। यह केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ है इसमें यह है कि फीस या अलाउन्स। तो जहां तक इस कमेटी के मेम्बरों का सम्बन्ध है उसमें केन्द्र का लेबर मिनिस्टर उसका चेयरमैन है, केन्द्र का हेल्थ मिनिस्टर वाइस-चेयरमैन, हर प्रान्त से एक एक अफसर गवर्नमेंट उसमें नौमीनेट करेगी तमाम हिन्दुस्तान भर से ५,५ एम्प्लायर्स और लेबर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कोई यह जरूरी नहीं कि हमारे यहां का कोई हो या न हो। जैसा मैंने बताया था अब उपाध्याय जी राजाराम जी से नाराज हों, वह एम० पी० हो गये, यह दूसरी बात है। तो यह कोई निश्चय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं कि हमारे प्रांत से कोई आदमी जाय ही। लेकिन अगर दुर्भाग्य से पहुंच जाय और यह भी दुर्भाग्य हो कि किसी हाउस का सदस्य हो तो वह तो जो वहां बिड़ला साहब या सर श्रीराम आवें तो उनको तो वह सब मिले जो गवर्नमेंट निर्धारित कर चुकी हो, लेकिन आपका आदमी अगर जाय तो उससे आप कहें कि तुम केवल रेल का किराया भर लो और कुछ मत लो। तो एक तो आपका यह नारा है और दूसरा नारा यह है कि बिड़ला को या और बड़े-बड़े लोगों को तो यह अधिकार है कि वह बड़े बड़े मिलों की मैनेजिंग एजेंसियां लें, सब जगह पहुंचे मगर हम उनकी बराबरी के नहीं हैं, हम उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हमको यह अधिकार प्राप्त हो रहा है तो आप यह कहते हैं कि तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। केन्द्रीय सरकार का यह बिल है। आप अपना बिल जब लायें तो उसमें इस तरीके की चीज रखें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। ऐसी दशा में इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे। केन्द्रीय सरकार का जो रवैया है उसे देखते हुये पहले तो इसकी आशा ही बहुत कम है, क्योंकि जितनी कमेटियां उन्होंने बनायी हैं उनमें आपके प्रान्त को कोई स्थान नहीं है और वह क्यों नहीं है, इन्हीं कारणों से नहीं है। आवश्यकता इस बात की थी कि हमें इसके लिये फाइट करना चाहिये था कि हमारे प्रान्त को स्थान मिलना चाहिये, लेकिन उसके स्थान पर हम यहां यह फाइट कर रहे हैं कि नहीं हमारे यहां का कोई आदमी न जाय और अगर जाय तो वहां जो और हों उनके बराबर सहूलियत पाने का अधिकारी न हो।

*श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस संशोधन के समर्थन और विरोध का है। इसके विरोध में माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने और माननीय अवस्थी जी ने कुछ कहा। उसी पर कन्फाइन हो करके मैं उनसे कुछ दरख्वास्त करना चाहूंगा और सुल्तान आलम खां साहब से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने व्यक्ति के ऊपर, उसके आदर्श और उसके विचार के ऊपर छोड़ दिया कि कानून में तो हम गुंजाइश कर दें कि वह चाहे तो ऐसे ओहदे अख्तियार करे, लेकिन ओहदे को अख्तियार करते हुये उससे जो फायदा उठाना है वह उसके विचार पर उन्होंने छोड़ने का विचार रखा है कि वह चाहे तो उससे फायदा उठाये और चाहे तो न उठाये। मैं उन्हीं व्यक्तियों के एक समूह से कहना चाहता हूं कि यह सदन उन्हीं व्यक्तियों का एक समूह है। सदन इस विचार का अगर हो कि हम इस तरह के फायदे को न उठायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी इस व्यक्ति से सदन की प्रतिष्ठा बढ़े, यह मैं समझता हूं कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब की या किसी की भी ऐसी इच्छा अवश्य होगी।

माननीय अवस्थी जी की दलीलों को मैंने सुना। माननीय अवस्थी जी की दलील जिस वक्त इस विधेयक पर बहस हो रही थी, उस वक्त के लिये उपयुक्त थी। माननीय रामनारायण जी के संशोधन के विरोध के लिये माननीय अवस्थी जी की दलील कत्तई कोई ताल्लुक नहीं रखती। यहां तो अब यह बात हो गयी कि इस हाउस का कोई सदस्य उसमें हो सकता है, यह सरकार उसे रखना चाहे तो रख सकती है। अब तो सिर्फ संशोधन यह है कि उस माननीय सदस्य को शुल्क नहीं मिलेगा, भत्ता मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि इस पर माननीय अवस्थी जी ने विचार नहीं किया और माननीय अवस्थी जी से इतना कहकर मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह इस विधेयक के सिलसिले में या पहले जो भाषण इस सिलसिले में हुये उनके लिये ठीक हो सकता है और वह इस पर फिर विचार करें और विचार करके अपने विरोध को वापस ले लें। माननीय न्याय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि माननीय रामनारायण जी का संशोधन बिलकुल हार्मलेस संशोधन है और इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे फिर इस बात को कहना पड़ता है कि शायद हमारे उपाध्याय जी ने इस बिल के स्कोप को और इसके जो शरायत हैं उनको अच्छी तरह से समझा नहीं। वरना शायद यह जो संशोधन पेश हुआ उसकी वह ताईद न करते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

पहली बात तो यह है कि यह सैलरी नहीं है, सैलरी का कोई प्राविजन या तनख्वाह का या वेतन का प्राविजन यह जो इम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट है उसमें नहीं है। इसके मुताल्लिक दफा १५ है। जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट है, उसमें लिखा है --

"Members of the corporation, the standing committee and the Medical Benefit Council shall receive such fees and allowances as may, from time to time be prescribed........"

तो जो उनको मिलेगा वह फीस और अलावेंसेज होंगे, इसके मानी यह हैं कि पांच या दस रुपया मिल जायेंगे, जो एक ऐसी रकम होगी जो अटेंड करने के लिये मिलेगी, या मुमकिन है कुछ ज्यादा हो, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी होगी और वह तय करेगी गवर्नमेंट आफ इंडिया हम तो इस वास्ते यह कर रहे हैं कि हमारा जो सदन है, इसमें जो यहां का कोई सदस्य नामजद किया जाय तो वह महज इस वजह से कि वह यहां का सदस्य है, डिस्क्वालिफाई नहीं होगा। हम यह कैसे शर्त कर सकते हैं कि नामजद तो हो जाय, लेकिन वहां जाय तो दफा १५ के मुताबिक जो फीस मिलने वाली हो उसका मुस्तहक न हो, मैं समझता हूं कि यह तो एक बड़ी बेवुकी सी या बेमतलब सी बात होगी। तो जो यह तरमीम पेश की गयी है वह इस तरह की गयी है कि इसका पूरे तौर से स्कोप क्या है और गरज क्या है कुछ समझा नहीं गया है।

जहां तक आफिस आफ प्राफिट का ताल्लुक है, इसके ऊपर कई दफा बहस हो चुकी है और यह बात बराबर दोहराई गयी है कि आफिस आफ प्राफिट के ऊपर उस डिस्क्वालिफिकेशन का होना या न होना मबनी नहीं होता है कि वह डिस्क्वालिफिकेशन जो है उससे कुछ रुपया मिलेगा। वह तो जो ओहदा है वह खुद डिस्क्वालिफाई करता है बहुत से ऐसे ओहदे हैं कि वहां के ऊपर एक रुपया भी मुआविजा मिले लेकिन चूंकि वह एक ओहदा है, उसकी वजह से एक स्टेटस और पोजीशन आदमी की बनती है, और आदमी उसको मंजूर कर ले तो वह मेम्बर नहीं हो सकता इस सदन का और हिन्दोस्तान में यही कानून है कि उसके लिये मुआविजा कितना मिलेगा या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके ऊपर आफिस आफ प्राफिट डिपेंड नहीं करता। यह ओहदे के ऊपर मबनी है। एक तरफ ओहदे को तो मंजूर कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो अलावेंसेज और फीज कोई मुकर्रर हों तो अलावेंसज तो ले लें, फीज नहीं लेंगे, यह मैं समझता हूं कि एक ऐसी चीज है जिनके मानी यह हैं कि आप समझते हैं कि हमारे मेम्बर अगर ओहदे पर चले जायं तो कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन और रुपया मिल गया तो बेईमानी न करें इसलिये यहां के मेम्बर न रह सकें। मेरे ख्याल में यह गलतफहमी पर मबनी है और इसका जो असल मंशा है वह कैरी-आउट नहीं होता। तो यह तरमीम इसमें बिलकुल उपयुक्त नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की एक बात सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्हें खुद ही इल्म नहीं है कि स्कोप क्या होगा, फीस क्या होगी और माननीय मंत्री बिना इल्म हुए अगर ऐसा विधेयक सदन में उपस्थित न करें तो ज्यादा शोभा की बात होगी। हमारा प्रतिकर भत्ता या डेली अलाउन्सेज बंधे हुये हैं। उसके अलावा अगर फीस का प्रश्न पड़ेगा इन एडिशन, तो हम विशेषज्ञ समझे जायेंगे। हो सकता है कि अगर माननीय मंत्री उसमें चुन लिये जायं तो कह सकते हैं कि मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और डेढ़ हजार रुपया लूंगा तो वह भी फीस हो सकती है। ऐसे भी लायर्स हैं जिनकी फीस इतनी हो सकती है। तो विधान सभा का मेम्बर भी हो और वहां भी हो जब कि बताया जा चुका है कि हमारे देश की हालत नाजुक है और भी लोग हैं जो कि ज्यादा सेवा की भावना रखते हैं, उनको यह मौका मिलना चाहिये। इस चीज से सहमत होते हुये माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार नहीं करते। उन्होंने उसके पक्ष में कोई दलील नहीं दी। अगर कोई केस हो गया है और किसी को फील देना चाहते हैं तो उसको माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहिये कि उसके लिये ला रहे हैं और विचाराधीन फाइल चल रही है। तब तो सहानुभूति उनके साथ कर सकते थे। इसलिये जहां तक नियत बदनीयती का सवाल है, हम यह मान कर चलते हैं कि कोई सरकार बदनीयत नहीं है, लेकिन यह ध्रुव सत्य

है कि राजनीति में शुरू से आखिर तक जब तक राजनीति चलती रहेगी अपना-अपना पक्ष मजबूत करने के लिए हर प्रकार का प्रभाव चाहे वह सत्य सुप्रभाव हो या कुप्रभाव हों, राजनीतिक दल डालते रहते हैं। सरकार को बदनीयत समझना बुरी बात है।

महात्मा गांधी के शब्दों को मैं नहीं दोहराना चाहता जो राजनीति और राजनीतिज्ञों के बारे में वे कहा करते थे। वह तो सब लोग जानते हैं लेकिन जहां तक प्रभाव का सवाल है वह तो डाला जाता रहा है और डाला जाता रहेगा। तो ऐसी हालत में जब कि कम्पेन्सेटरी या डेली एलाउन्स है उस हालत में एक फ़ीस को जिसकी सीमा का कोई पता नहीं है अगर निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इस सदन के सदस्य जो उस हालत में काम करेंगे वह सेवा भावना का द्योतक होगा और जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, वह इस सदन के मान को ऊंचा उठायेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष--माननीय न्याय मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

श्री सैयद अली जहीर--मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त सदस्य का अनर्हता निवारण तभी हो सकेगा जब कि वह शुल्क नहीं, केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८

विपक्ष में--१०३)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

यह घोषित करने के लिये कि एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा ;

विधेयक

यह घोषित करना आवश्यक है कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह न करेगा ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष---मुझे एक घोषणा यह करनी है कि प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये ५ नाम स्वीकृत हुये हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं :---

१---डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी
२---श्री श्रीनाथ भार्गव
३---श्री धर्म दत्त वैद्य
४---श्री हबीबुर्रहमान
५---श्री सालिगराम जायसवाल

*उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भान्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के समान ही एक विधेयक सन् १९४७ में इस सदन ने पास किया था और वह अधिनियम ३१ दिसम्बर, १९५४ तक लागू रहा। १९४७ में हमारे प्रदेश में अन्न का अभाव बहुत अधिक था। उस समय इस बात की आवश्यकता थी कि बाहर से जो गल्ला सरकार मंगाती थी उसको गोदामों में रखने की व्यवस्था की जाय क्योंकि उस समय हमारे प्रदेश के नागरिक क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में और पूर्वी जिलों में जैसा अन्नाभाव था वहां उसके लिये अन्न की व्यवस्था करनी थी। उस समय सरकार ने गोदामों को लेने के लिये यह अधिनियम बनाया था लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही हमारे प्रदेश में अन्न की अवस्था सुधरती गयी उसी तरह से सरकार ने भी नियन्त्रण को ढीला करने की नीति निर्धारित की और सन् १९५४ के सितम्बर में हमारे यहां जो स्टाक था, उसका भी कंट्रोल खत्म करने के बाद निस्तारण करना शुरू कर दिया। यह निश्चय किया गया कि जो स्टाक हमारे पास है उस को डिस्पोज आफ कर दिया जाय। केन्द्रीय सरकार का जो स्टाक गेहूं का हमारे पास जमा था वह भी केन्द्रीय सरकार ने उठा लिया और वह स्टाक केन्द्रीय सरकार ले गयी। इसके बाद धीरे-धीरे जो आवश्यक स्टाक प्रदेशीय सरकार के पास था उसको भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह से इस बात की आवश्यकता नहीं हुई कि वह अधिनियम, जो सन १९४७ में पारित किया गया था, उस को और आगे लागू रक्खा जाय। इस तरह से ३१ दिसम्बर, १९५४ को वह अधिनियम लैप्स हो गया। उसके बाद गत रबी की फसल जैसे ही

*१९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

तैयार हुई और बाजारों में जैसे ही अन्न का आना आरम्भ हुआ, धीरे धीरे अन्न के भाव गिरने लगे। इससे हमारे प्रदेश के किसानों में कुछ बेचैनी पैदा हुई। यह चीज केन्द्रीय सरकार के सामने पहुंची। उसने इस पर विचार किया और इसके बाद यह निश्चय किया कि मूल्य संरक्षण की योजना तैयार की जाय। उस योजना के मातहत प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के आदेश से गल्ले की खरीद जारी कर दी। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ रुपया भी दिया। इस प्रदेश में जहां जहां रेलवे स्टेशनों के नजदीक मंडियां थीं वहां वहां १० रुपया प्रति मन के हिसाब से खरीद शुरू की गयी। जब इस तरह से खरीद आरम्भ हुई तो हमें फिर भंडारों की आवश्यकता हुई। उस गल्ले के लिये बड़े बड़े भंडारों और गोदामों को ले लेना आवश्यक प्रतीत हुआ। लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार को यह भी समझ में आया कि ऐसा मौका भी हो सकता है जब कि गोदामों के मालिक अधिक किराया लें। इसलिये हमारे प्रदेश की सरकार ने इस किराये की बढ़ती को रोकने के लिये यह जरूरी समझा की राज्यपाल महोदय से सिफारिश की जाय कि वे एक अध्यादेश निकालें। उन्होंने राष्ट्रपति की अनुमति से ७ जुलाई, १९५५ को एक अध्यादेश निकाला। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम उस अध्यादेश को अधिनियम के रूप में परिणत कर दें। इसलिये यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि यह एक छोटा सा विधेयक है और जो सन् ४७ में स्वीकार किया जा चुका है, उसी के अनुरूप यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है आशा है कि हमारा यह आदरणीय सदन इस विधेयक को जल्द ही स्वीकार करेगा।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण के सारांश से ऐसा दिखलायी देता है और यह प्रतीत होता है कि मूल्यों के संरक्षण के लिये, अनाजों के रखने के लिये, खत्तियों और मालगोदामों की आवश्यकता हुई है, क्योंकि इस समय यह सरकार ने उचित समझा है कि किसानों को संरक्षण दिया जाय। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि इसमें जो त्रुटियां हैं और जो त्रुटियों की संभावनाएं हैं उनकी ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और इस सदन का ध्यान आकर्षित करूं।

सब से पहले जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह विधेयक १९४७ में प्रस्तुत किया गया था। बाद को सन् ५१, ५२ और ५३ में उसमें संशोधन उपस्थित किये गये और सन् ५४ में जा कर वह समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि जो विधेयक सन् १९४७ में प्रस्तुत किया गया था, हूबहू उसकी कापी, उसकी नकल ही विधेयक के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान १९४७ की देश की स्थिति की तरफ और आज जो देश की स्थिति है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सन् ४७ का जमाना वह जमाना था जब कि अपने देश में अन्न की बड़ी भारी कमी थी। हम विदेश के अनाज पर ही निर्भर करते थे। उस समय बाहर से आये हुये अनाज और अपने देश में जो अनाज था उसको स्टोर करने के लिये गोदामों की आवश्यकता थी। अब हम देखते हैं कि उस समय सरकार ने जो अनाज स्टोर किया था वह लोगों की जीवन रक्षा के लिये किया था, लेकिन आज १९५५ में परिस्थिति यह है जिसको हम हमारी सरकार दोनों ही मानते हैं कि आज हम आत्मनिर्भर हैं। इसलिये इस युग में यह विधेयक जो क्राइसिस के जमाने में रखा गया था, हूबहू वैसा ही रख देना, मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि विधेयक प्रस्तुत करने के साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को आवश्यक था कि उसकी खास बातों से सदन को अवगत कराते। वह यह बताते कि वह अपने प्रान्त में कितना अन्न स्टोर करना चाहते हैं ? क्योंकि उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि वे किसानों से ज्वार और गेहूं खरीदना चाहते हैं और उसको स्टोर करना चाहते हैं तो जरूरी था कि माननीय मंत्री जी बतलाते कि कितना अनाज वह स्टोर करना चाहते हैं और कितने स्टोर की जरूरत की सम्भावना है, कितनी खत्तियां उनके पास हैं और कहां है, कहां नहीं हैं और इसके साथ ही साथ उनको यह भी बतलाना चाहिये था कि स्टोर प्राप्त करने की उनकी क्या विधि होगी,

[श्री रामेश्वर लाल]

वह कहां प्राप्त हो सकते हैं। जो आंकड़े माननीय मंत्री जी के विभाग द्वारा हमें प्राप्त हुये हैं उनसे में आपका ध्यान गेहूं की पैदावार की तरफ दिलाऊंगा जो इस प्रदेश में होती है। सन् १९५३-५४ में इस प्रान्त में जो गेहूं उत्पन्न हुआ उसकी संख्या २९ लाख ४८ हजार टन है और ज्वार जिसको माननीय मंत्री जी खरीदना चाहते हैं वह भी ५३० हजार टन यहां उसी सन् में पैदा हुआ। तो इन दोनों अनाजों की कुल मिकदार मिला कर हुई ३४ लाख ३८ हजार टन। अब सन् १९५५-५६ में मेरे ख्याल से ज्यादा उनकी पैदावार न होगी, लेकिन इनके साथ साथ यहां जो दूसरे और अनाज पैदा होते हैं जैसे मक्का है, धान है, बाजरा है उनकी तादाद यहां उसी सन में १ करोड़ ७८ लाख टन की है। अगर माननीय मंत्री जी का उद्देश्य इस बिल को लाने का केवल मूल्य संरक्षण देने का है तो केवल गेहूं और ज्वार खरीदने से ही मूल्य संरक्षण सम्भव नहीं है जब कि १ करोड़ ७८ लाख टन यहां दूसरे गल्ले भी पैदा होते हैं जिसमें धान, मक्का, बाजरा वगैरह हैं। इस बिल के उद्देश्य में इन अनाजों को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि गेहूं और ज्वार के साथ साथ गुड़, धान, बाजरा भी जोड़ दिया जाय। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट करें कि क्यों केवल ज्वार और गेहूं की ही व्यवस्था रखी गयी है। गेहूं, ज्वार के अलावा जो १ करोड़ ७८ लाख टन अन्य पैदावार है उस सब को सम्मिलित कर लिया जाय और सवा छः करोड़ आबादी के लिये हम एक सेर फी आदमी के हिसाब से भोजन व्यय रख लें तो ४६ हजार टन अनाज साल में बच जायगा। बहुत से लोग उपवास करते हैं और हर एक के घर अनाज नहीं होता और बीज की जो २ करोड़ मन की आवश्यकता है इस सब का हिसाब लगा कर अगर माननीय मंत्री जी देखें तो ४६ हजार टन से अधिक अनाज इस साल हमारे पास नहीं बचेगा। इन आंकड़ों के अनुसार हम खत्तियों में स्टोर करने के लिये इससे अधिक अनाज प्राप्त न कर सकेंगे यह साफ है। अगर हम १० फरवरी, ५४ की मंत्री जी की सरकारी रिपोर्ट को देखें तो मालूम होगा कि उस समय हमारी खत्तियों में केवल ९ हजार टन अनाज था। सन् ५३ में ५०,००० टन था, जब कि बाहर का अनाज भी आया था। तो मैं समझता हूं कि यह चीज इसमें बिलकुल साफ़ होनी चाहिये। मंत्री जी रसद विभाग के मंत्री हैं और बहुत से विभाग भी उनके पास हैं तो उनको साफ रखना चाहिये था कि हम कौन-कौन अनाज स्टोर करना चाहते हैं और कौन भली भांति स्टोर हो सकते हैं और कितने स्टोर्स की आवश्यकता है? केवल ज्वार, गेहूं के लिये ही नहीं बल्कि अन्य जो गुड़, धान, बाजरे आदि की फसलें हैं उनके लिये भी। मैं समझता हूं कि भाव न गिरने देने के लिये इन चीजों का भी स्टोर करना आवश्यक है। मैं आपके द्वारा इस बिल की खास खामियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। श्रीमन्, इस विधेयक में यह व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी आदमी के पास एक ही मकान है और वह उसमें रहता है तो उसका मकान न लिया जाय। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह तीन दिन के अन्दर किसी मकान को रिक्वीजीशन कर ले। अब अगर वह उसी मकान को स्टोर के लिये उचित समझता है और उस मकान को रिक्वीजीशन करता है जिसमें उसका मालिक रहता है और उसके पास वही एक मकान है तो फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार इस विधेयक में नहीं है कि उसके रहने के लिये दूसरे मकान की व्यवस्था करे। इसमें यह भी है कि न देने पर २ सौ रुपया जुर्माना और एक महीने की सजा होगी तो उसके रहने के लिये रिक्वीजीशन हो जाने के बाद व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये और साथ ही यह जो तीन दिन का समय इसमें है उसको और अधिक बढ़ा देना चाहिये। हाउस रिक्वीजीशन ऐक्ट में वह १५ दिन का समय है तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और जो तीन दिन का समय है वह कम है उसको वह अधिक करेंगे।

दूसरी बात, अगर कोई आदमी अप्राप्य है तो सरकारी गजट में प्रख्यापित कराकर उसके घर को रिक्वीजीशन किया जा सकता है। इसमें मैं एक व्यवस्था की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। मान लीजिये कि कोई आदमी अप्राप्य है

और उसको गजट में प्रख्यापित कराके सरकार उसके मकान पर कब्जा कर लेती है, लेकिन अगर उस घर में उसका कुछ सामान है तो उसका क्या होगा? क्या उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार लेती है? इसकी भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। यह गुंजायश होनी चाहिये कि यदि किसी का मकान सरकार लेती है तो उसके अन्दर के सामान की जिम्मेदारी भी सरकार पर ही होगी।

तीसरी बात, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि जिस भी घर को चाहे वह स्टोर के लिये ले सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी आदमी के पास एक ही घर हो तो कम से कम इस विधेयक में ऐसी गुंजायश होनी चाहिये कि उस का घर न लिया जाय। जिन लोगों के पास एक से अधिक घर है, लखनऊ ऐसे शहर में तो मुहल्ले के मुहल्ले एक आदमी के पास है तो ऐसे लोगों ही के घर लिये जायं। श्रीमन्, इस तरह से तो ज्यादती भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी आदमी के मकान को जिसके पास एक ही घर है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टोर के लिये उचित समझता है और कोई सिफारिश करता है कि ले लिया जाय तो वह ले लिया जाय। वह किसी भी हालत में नहीं लिया जाना चाहिये। श्रीमन्, यहां पर मैं एक सुझाव और दूंगा कि हमारे यहां जो अन्न के उत्पादन की स्थिति है उसमें तो हमारा काम सिनेमाहालों से भी चल जायगा। ये इस समय बड़ा खुराफात प्रचार कर रहे हैं। आज कोई भी आदमी नहीं मिलेगा जो यह कहे कि सिनेमा के व्यवसाय से हिन्दुस्तान के ९० प्रतिशत जनता को कोई लाभ हुआ है। अधिकतर ऐसे चलचित्रों का निर्माण होता है जो व्यावसायिक दृष्टि से लाभकर हों। तो यदि स्टोर के लिये जरूरत हो तो सिनेमाघरों को स्टोर बनावें। इससे बहुत से लोगों के साथ जो ज्यादती होने वाली होगी वह भी कम हो जावेगी और देश में जो चलचित्रों द्वारा कुरीतियां और बुराइयां फैलाई जाती हैं वह भी कुछ समय के लिये बच जावेंगी।

मैं इन अपने छोटे से विचारों को रखता हुआ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ उस मेम्बर की स्पीच सुन कर जो बाढ़ के इलाके में बसता है, जो आये दिन इस गवर्नमेंट को कोसता है कि मुझे अन्न नहीं मिलता, मेरे लिये चारा, दाना नहीं भिजवाया जाता, लेकिन जब उसका प्रबंध यह आदरणीय गवर्नमेंट करने जा रही है और सरकार यह चाहती है कि वह प्राइस कंट्रोल करे, दाने-दाने को इकट्ठा करके अपने अधिकार में रक्खे और जिस दिन देवरिया में हाहाकार मचे उस दिन गुप्ता जी का वह खजाना वहां के लिये खोला जाय--यह तो हमारे फूड मिनिस्टर करने जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब तकरीर फरमा रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इतना निकम्मा और नालायक है जिसने एक मकान वाले का मकान ले लिया हो। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं कि किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बतला दिया जाय, जिसने किसी एक मकान वाले का मकान ले लिया हो। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक घर वाले का मकान ले लिया। आपने सजेस्ट किया कि सिनेमा हाउस सरकार ले ले फूड स्टोर करने के लिये और स्वयं कहा कि जब सरकार किसी का मकान ले तो उसका दाना-पानी, उसका कपड़ा, उसके बर्तन सबकी जिम्मेदारी सरकार ओढ़ ले और जब सिनेमा हाउस गवर्नमेंट ले लेगी तो फिर कितना मुआविजा देगी उनके इस आर्गूमेंट पर उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने २ सेर के बजाय ४ सेर यानी १० रुपये मन के हिसाब से गेहूं खरीदा और पानी ज्योंही बरसा झट से बनियों ने बाजार बढ़ा दिया और तीन सेर का गेहूं कर दिया जबकि सरकार ने ४ सेर का खरीद कर रक्खा और अगर देवरिया में जरूरत हो तो फौरन सरकार उस भाव पर वहां पहुंचा देगी। तो उसने ठीक किया या गलत कि वह किसी को भूखा नहीं मरने देगी। बंगाल फेमीन की मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं जब मार्च सन् ४७ में क्या गुजरा। कुत्ते की मौत आदमी मरे और ६ महीने में ५० लाख आदमी मर गये। रामेश्वर लाल जी को मालूम होना चाहिये कि ३,४ वर्ष से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आती हैं, सूखा पड़ता है, अन्न के लिये कोहराम मच जाता है और फूड मिनिस्टर कहीं चना, कहीं चरी और गेहूं

[श्री शिवनारायण]

देते हैं तो कहा जाता है कि गुड़ क्यों नहीं खरीदा, धान क्यों नहीं खरीदा ? इसके मानी आप एग्रीड हैं कि गवर्नमेंट खरीद कर रक्खे। आप विरोध करते हैं कि गवर्नमेंट ने दो चीजें खरीदीं, कुल चीजें गवर्नमेंट खरीदे। तो जब आप एग्रीड हैं तो फिर विरोध किस बात का ? किस नालेज से आप बात करते हैं ? उधर से हमारे भाई कहते हैं कि शिवनारायण बी० ए० फेल हो गये, लेकिन जो बी० ए० पास है, एल० एल० बी० हैं वे उल्टी बातें करते हैं। कहते हैं यह गवर्नमेंट कुल अनाज खरीदे। सरकार ने जब दो अनाज खरीदने की बात इसमें रक्खी है लेकिन जो पास हैं वे फेल वाली सी बात करते हैं। जो फेल हैं वह तो फेल हैं ही, लेकिन जो पास हैं वे अगर फेल वालों सी बात करें तो फिर क्या इलाज है ? गवर्नमेंट ने, उपाध्यक्ष महोदय, जुर्माना २,००० रक्खा है, कायदे से रक्खा है। सिर्फ जानोमाल की हिफाजत के लिये हमने जिम्मेदारी ओढ़ी है। गवर्नमेंट पब्लिक की है, इतना ही नहीं मैं भाई रामेश्वर लाल जी को बतला देना चाहता हूं कि सन् ३७ से लेकर आज ५५ चल रहा है। इस बीच में दुनियां का नक्शा उठा कर देखें कि कौन कहां से कहां बदला। हिटलर बदला, ईजिप्ट की गवर्नमेंट बदली और न जाने क्या क्या बदला, लेकिन हिन्दुस्थान में नेहरू गवर्नमेंट ही चल रही है, हमारे प्रदेश में सम्पूर्णानन्द गवर्नमेंट चल रही है। आप अपने गिरहबान में हाथ डाल कर देखें कि हम कितने पानी में हैं और आप कितने पानी में हैं। गुप्ता जी ने ब्लेक मार्केट बन्द करने का इन्तजाम किया, ४ सेर का गल्ला खरीद कर गरीबों को खिलाने का इन्तजाम करते हैं, लेकिन यहां आकर आप उनका विरोध करते हैं। यह कोई आर्गूमेंट है ? वह चीज कहिये जो माननीय हो, समझ में आये और गवर्नमेंट भी माने, हमने बहुत से अमेंडमेंट उधर से आये, जिनको माना, गवर्नमेंट ने माना, हमने माना, हाउस ने माना। कभी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज नहीं किया जो सही बातें उधर से कही गयीं। तो मैं रामेश्वर लाल जी से कहना चाहता हूं की दुखिया की गति दुखिया जाने और न जाने कोई। आप भी पूर्वी जिले में रहते हैं मैं भी पूर्वी जिले में रहता हूं। आप भी बाढ़ग्रस्त हैं मैं भी बाढ़ग्रस्त हूं। ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। सही मानों में हमें गवर्नमेंट का अहसानमन्द होना चाहिये। आज पूर्वी जिले बाढ़ग्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, अगर गवर्नमेंट स्टोरेज खोल रही है और एक आधा मकान ले ले तो कौन सा पाप कर रही है ?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—कौन सा बिल चल रहा है ?

श्री शिवनारायण—यह बिल स्टोरेज का है, मकानों का है। यह न समझिये कि मैं बदहोश हूं, आप ही बेहोश रहते हैं। रामेश्वर लाल जी कहते हैं कि सिनेमा हाउस ले लो। मैं कहता हूं कि सिनेमा हाउस बन्द हो जायेंगे तो आप नाटक कहां करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि जो यह रखा गया है स्टोरेज बिल यह गवर्नमेंट ने बिलकुल ठीक किया है। हम लोगों ने एक नारा लगाया था। गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। हम उसी कदम पर चल रहे हैं। पीछे नहीं हैं पों पों करते हैं, सामने हैं और इस गवर्नमेंट को सही मानी में चला रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या बिल है उसका नाम तो कहिये ?

श्री शिवनारायण—बिल आपके सामने है। आप ही तो पढ़िये जो बी० ए० पास साहब हमारे सामने बैठे हैं। आपको भी दो चार सेर चरी भेजवा दी जायगी। आप भी चिल्लाते हैं की हमारे पहाड़ को यह नहीं मिलता वह नहीं मिलता। जो स्टोरेज का बिल रखा गया है, वह कल का इंतजाम किया गया है। यह अनुचित नहीं है बल्कि जनता की भलाई के लिये और विशेषकर इससे ब्लैकमार्केटिंग को रोका है। 'आपत्ति काल परखिये चारी, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी'। हम धीरे-धीरे चल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आज यह सरकार दस दिन बाद की बात सोचती है कि यह बात होने वाली है। तो इसलिये स्टोरेज करती है। अपने हाथ में अनाज रखती है। जब जरूरत होगी गेंदा सिंह के यहां गेहूं और जौ बटवा देंगे। इसलिये मैं रामेश्वर लाल जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो विरोध किया उसको वापस लेना चाहिये और मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, मेरे विरोध से कुछ लोग चकित हुये। परन्तु आपके द्वारा मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि केवल वह मुझे सुनने का कष्ट करें तदुपरान्त जो कुछ भी राय वह कायम करना चाहें उनको करने का पूरा हक है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखा जाय, तो उससे यह टपकता है, स्पष्ट होता है कि यह बिल टेम्पोरेरी स्टोरेज रिक्विजिशन ऐक्ट, १९४७ जो कि ३१ दिसम्बर, १९५४ को लैप्स होने दिया गया यदि वह न हुआ होता तो सम्भवतः इस विधेयक को लाने की आवश्यकता न पड़ती। यदि यह कहा जाय कि नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं है तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि किस कारण से यू० पी० टेम्पोरेरी स्टोरेज रिक्विजीशन ऐक्ट का हवाला दिया गया और यही नहीं मुझे तो आज भी यह शक है कि यह विधेयक जो आज पेश है और कल एक अधिनियम का रूप धारण करेगा यह भी सिर्फ जून, १९५६ तक के लिये है। जिस उद्देश्य से और जिस कारण से आप यह विधेयक इस सम्मानित सदन के सामने ला रहे हैं उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है। उससे मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन जिस रूप में यह विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है उससे मुझे विरोध है और घोर विरोध है।

मान्यवर, यही नहीं, १९५४ में भी माननीय मंत्री महोदय को इस बात का ज्ञान था कि यह समस्या इस प्रदेश में उठने वाली है। गल्ले की कीमतें इतनी नहीं घटाई जा सकती है, उनकी रोकथाम के लिये सरकार को कोई कदम उठाना अवश्यमेव था और उसी नीति के अनुसार वह चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्वयं करें, परन्तु यह निश्चित था कि एक न एक दिन आपको वह कदम उठाना था। अगर यह कदम आप न उठाते तो इस प्रदेश की इकोनामी की जो बैकबोन थी वह टूटती और यह प्रदेश कभी सफलीभूत नहीं रह सकता था, सुखी नहीं रह सकता था। आज जब यह सब को स्वीकार है कि यह कृषि प्रधान देश है और यहां की इकोनामी कृषि पर ही अवलंबित है तो ऐसी परिस्थिति में गल्ले के भाव एक सीमा से अधिक गिर जायं यह बात अत्यन्त ही भयानक प्रतीत होगी। मान्यवर, उसी नीति के आधार पर आपने इस विधेयक को हमारे सम्मुख उपस्थित किया। मुझे इसके विरोध में जो कहना पड़ा वह महज इस बिल के ढांचे के कारण। जिस नीति से प्रेरित हो कर आप यह कदम उठा रहे हैं उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है और उसके सम्बन्ध में कहीं भी दो रायें नहीं हो सकती हैं। मान्यवर, यही नहीं, बल्कि इस प्रदेश में बराबर ....

एक सदस्य--जरा साफ-साफ कहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मान्यवर, उनको समझने में अगर कुछ कठिनाई हो रही है तो वह थोड़ा सा धैर्य रखें और मैं समझता हूं कि उसके बाद उनके सामने सारी बातें भली भांति आ जायंगी। यह केवल थोड़े धैर्य का सवाल है और माननीय शास्त्री जी जो बुद्धिमान हैं, सुलझे हुये और दुनियां देखे हुये हैं, दुनियां की जितनी करवटें आदमी खा सकता है वह खाये हुये हैं, उसके बाद भी उनका यह पूछना कि इसके क्या माने हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। माने समझने में मैं स्वयं परेशान हो जाता हूं। आपको माननीय गुप्ता जी, भगवान भी नहीं समझ सकते, मैं आपको कहां तक समझ पाऊंगा।

मान्यवर, जो मुझे इससे विरोध है वह यह है कि जिस रूप से आप जिलाधीशों को अधिकार प्रदान कर रहे हैं उसमें एक कठिनाई यह है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। यही नहीं, बल्कि आपने बहुत सी जगह उनको वह अधिकार दे दिये हैं जो कि आपके पास होने चाहिये थे। अब यह कि कोई मकान स्टोरेज के योग्य है या नहीं है इसका निर्णय करने वाला इस ऐक्ट के अनुसार जिलाधीश माना गया है और उसकी राय अंतिम राय होगी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह अधिकार वह अपने पास रखें तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

यह मैंने माना है कि इस अधिकार की आड़ में इसका दुरुपयोग हो सकता है। यह ठीक है कि आज इस आलोचना को सुनकर सम्भवतः बहुत से माननीय सदस्य मुझ से परेशान हो जायं, परन्तु जब इसका दुरुपयोग होगा तो संभवतः उनकी भी वही फीलिंग होगी जो कि आज मेरी है। मान्यवर, वह मकान जिसमें कि स्टोरेज रहे या जो कि स्टोरेज के काम में आते रहें, उनका रिक्वीजिशन करना उचित है और यह कहा जाय सरकार से कि आप एक नीति का पालन करें और सरकार को उसके साधन न पर्याप्त हों तो यह असम्भव होगा, यह नितांत सफलीभूत नहीं हो सकता। परन्तु साथ ही साथ उस कलेक्टर को जिसको आप दिन प्रति दिन अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। तो श्रीमन्, मैं यह समझूं कि यह डेमोक्रेसी है या व्यूरोक्रेसी है। यह आज सब को अच्छा लगता है, आज रूलिंग पार्टी में रहते हुये आप जिलाधीश महोदय से जो कुछ चाहें अपना काम करा सकते हैं परन्तु इस डेमोक्रेसी में कब आप बहुमत में हैं और कब अल्पमत में यह नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों को आप इतने अधिकार दें जो आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो जायं यह कभी उचित नहीं प्रतीत होता और यह आपके लिये कल्याणकारी नहीं होगा। यह नीति भयंकर प्रतीत होगी आपके लिये और आगे चलकर आप स्वयं पछतायेंगे और फिर पीछे कदम हटाना आपके लिये असम्भव हो जायगा। मुझे किसी जिलाधीश महोदय से शिकायत नहीं और इस नीति को हम सहन कर लेते कि आप जिलाधीश महोदय को यह अधिकार दे रहे हैं, लेकिन आप किसी भी अथारिटी को यह अधिकार देने को तैयार हैं, वह कौन सी अथारिटी होगी इसका इस बिल से पता नहीं चलता है और यह कहने से एक बौछार मेरे ऊपर आ सकती है, लेकिन मैं यह बता दूं कि अगर मंदिर और मस्जिद को वह समझे कि इसमें गल्ला रखने के योग्य है तो आपके बिल में कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आप उसको रोक सकें। मैंने माना कि वह अधिकार सरकार के पास है जो स्टोरेज के लिये है, जिलाधीश महोदय जो चाहे कर सकते हैं लेकिन जब उनको कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि स्टोरेज के काम में आज तक न आयी हो उसके लिये उनको सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी, जिस पर मैं समझता हूं कुछ माननीय सदस्य इसका इशारा कर रहे थे, यह ठीक है। लेकिन जहां बिल को आप देखेंगे तो उसमें यह है कि अंतिम निर्णय जो है वह जिलाधीश का है। श्रीमन्, यह मैं कहूं आज इस माननीय भवन से, या भवन के मंत्री महोदय से कि ऐसा अधिकार आप अपने तक रखें तो मैं समझता हूं इसमें कोई गलती नहीं। मान्यवर, इसी अधिनियम में, मैं आपके द्वारा यदि मंत्री महोदय का कुछ ध्यान आकर्षित कर सकूं तो मैं समझता हूं मैं अपने को बधाई दूंगा, और अगर दूसरों से वह मशगूल रहें इस सदन में और ऐसे लोगों से जिनको मैं समझता हूं हाउस के मेम्बर भी न हों, तो ऐसी हालत में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मान्यवर, इसी विधेयक में आपने यह भी रखा है कि जब कम्पेंसेशन के निर्णय में कोई कठिनाई हो, पार्टीज और कलेक्टर में कोई चीज न सुलझती नजर आवे तो वैसी हालत में आप मुन्सिफ या सिविल जज के पास रिफरेंस कर सकते हैं यह ठीक है कि कम्पेंसेशन के डिसीजन के लिये आपने एक अधिकार दिया कि जुडिशियरी के पास जाय और मुंसिफ या सिविल जज अपना निर्णय दे। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप हाईकोर्ट को कैसे भूल सकते हैं? मैंने माना कि अपील की पावर आप उसमें नहीं रखते हैं परन्तु भारतीय संविधान के रहते हुये, आर्टिकल २२६ के रहते हुये एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर्स जो हाईकोर्ट की हैं वह कैसे आप रोक सकते हैं। कैसे आप रोक सकते हैं किसी एक व्यक्ति को वह हाईकोर्ट न पहुंच सके? मैंने यह समझा कि आप यह चाहते हैं कि लिटिगेशन कम हो, इसी भावना से आप चल रहे हैं। पर यह क्यों भूल जाते हैं कि कोई भी ऐक्ट कांसटीट्यूशन को ओवर राइड नहीं कर सकता। यह ठीक है कि आप इस वक्त न मानेंगे लेकिन जिस वक्त वह सूरत आयेगी उस वक्त आप समझ सकेंगे और उस वक्त शायद आप मंजूर भी करें क्योंकि आप हाईकोर्ट के जूरिस्डिक्शन के बाहर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो २२६ के अधीन एक्स्ट्रा आर्डिनरी सर्कमस्टान्सेज में कोई-कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट में जा सकता है उसके अधीन वह हाईकोर्ट में जा सकेगा।

श्रीमन्, एक चीज आपने इस विधेयक में और भी रखी है जिससे यह मैं मानता हूं कि जहां तक आपकी जिम्मेदारी का सवाल है, जब जितने दिन आपको जरूरत है आपने घर रखा, उसके बाद आप पजेशन डेलिवर कर देंगे, यदि किसी व्यक्ति का मुख्तार न हो या स्वयं उस व्यक्ति का पता न हो वैसी परिस्थिति में आप उसको नोटीफाइड कर देंगे और उस दिन से आपकी जिम्मेदारी जो है वह खत्म हो जायगी। लेकिन बहुत से केसेज ऐसे होंगे जिनके कि पजेसन के सिलसिले में या टाइटिल के सम्बन्ध में झगड़ा हो, उनके लिये आपने रखा है, आपका यह कहना है कि कलेक्टर मामूली एक समरी इन्क्वायरी के बाद जिसके कब्जे में चाहे मकान छोड़ सकता है। श्रीमन्, यह एक टाइटिल का प्रश्न है जिसमें आप समरी इनक्वायरी कराना चाहते हैं। जिस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी हटा ली जबकि मालिक मकान न मिले या उसका मुख्तार कोई न हो, तो वैसी परिस्थिति में आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं लेकिन जहां पर विवाद हो स्वत्व के, राइट के मुताल्लिक वहां आप यह कहते हैं कि कलेक्टर समरी इन्क्वायरी करके जिसके हक में चाहे वह मकान दे दे और साथ ही साथ इसके लिये आपको बधाई है कि आप उसको सिविल कोर्ट में जाने से डिबार नहीं करते हैं। सिविल कोर्ट से वह पजेशन ले सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह कि जितने दिन आपके कलेक्टर की गलतफहमी से, जो उसने समरी ट्रायल किया और उसमें अगर वह किसी गलत नतीजे पर पहुंचा, तो उतने दिन तो कोई दूसरा जो मकान पर काबिज रहा और सही मकान मालिक जिसका कि मकान था, उसको वह मकान नहीं मिल पाया तो वह डेमेजेज अगर क्लेम करता है तो आपने दूसरी जगह यह भी रख दिया है कि कोई भी चीज यदि इस ऐक्ट के अधीन की गयी हो तो उसके लिये कोई लिटिगेशन या मुकदमेबाजी नहीं हो सकती। तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आपने तो छोड़ दिया। तो क्या आफत आ गयी है कि आप कलेक्टर से समरी ट्रायल करा रहे हैं और कहते हैं कि समरी ट्रायल के बाद वह जिसके हक में उचित समझे उसको उसका पजेशन दे दे। मैं यह कहता हूं कि यह ठीक है कि उसमें टाइटिल के सम्बन्ध में विवाद है, तो आप उसको उसी तरह सिविल कोर्ट में जाने दीजिये, वहां से जिसके हक में डेसीजन होगा वह मकान लेगा और आपकी जिम्मेदारी उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आपने उसे छोड़ दिया। और जो कि आप उस सम्बन्ध में कीजियेगा जिसका कि मकान मालिक या उसका मुख्तार न मिल सके, वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको कौन सी आपत्ति है? यह कलेक्टर को आप जुडिशियरी का भी काम सौंप रहे हैं, टाइटिल का भी सौंप रहे हैं कि दो चार से इन्क्वायरी कर ले और समरी तरीके से जांच करके किसी के हक में फैसला दे दे। तो यह आप क्यों करने जा रहे हैं? इसमें आपको क्या बेचैनी है कि अगर विवाद है तो जितने भी उसके लिये क्लेम करने वाले हों, दो हों, चार हों, दस हों, सबको सिविल कोर्ट में जाने दीजिये और सिविल कोर्ट से जिसके हक में डेसीजन हो जाय वह मकान पर काबिज हो जाय।

एक प्रश्न मेरे माननीय दोस्त ने उठाया कि इतने दिनों तक उस पर काबिज कौन रहेगा? उसके जवाब में मुझे यह कहना है कि जब कोई मालिक मकान नहीं मिलता है या उसका मुख्तार नहीं मिलता है तो वैसी हालत में जो आप नोटीफाइ करके छोड़ने वाले हैं वैसे ही आप इसमें भी छोड़ दें या रूल्स में कोई प्राविजन करना चाहें तो कर दें। मैं यह किसी तरह भी मुनासिब नहीं समझता जो आप कलेक्टर को यह पावर देने जा रहे हैं कि वह टाइटिल के सम्बन्ध में एक डेसीजन दे और उसमें आपको क्या परेशानी है? आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जिस वक्त आपने रिक्वीजीशन करके छोड़ दिया, पजेशन दिलाते हैं या नोटीफाईड करते हैं कि अब हमारे परपज के लिये नहीं है, हम उसको रिलीज करते हैं, तो आपसे न कोई कम्पेंसेशन ले सकता है, न आप से कोई डेमेजेज क्लेम कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैंने जो विरोध करने का साहस किया वह इस कारण से कि यह बिल आपकी नीति से नहीं मिलता है। जिस उद्देश्य और कारण से यह आ रहा है वह ठीक है, उसमें आप और हम एक मत हैं और दो रायें नहीं हैं, लेकिन जो तरीका है वह गलत है और अमेंडमेंट्स के जरिये आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं और खराबियां दूर कर सकते हैं। यह अमेंडमेंट चाहे आपकी तरफ से हों, इस तरफ से आयें या उस तरफ से, लेकिन यह ऐसी कठिनाइयां थीं जिनके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मैंने कोई विरोध की भावना से विरोध नहीं किया कारण यह है कि अगर इस तरह

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

से रहा तो अधिकारों का दुरुपयोग होगा और आपके सामने बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। हर एक ऐक्ट में एक ऐसी टेंडेंसी, एक रवैया हो गया है कि आप हमेशा हर आगे के कदम को रोकना चाहते हैं। आपके कमिश्नर जो हैं उनके पास कोई इतना अधिक काम नहीं है कि वह इसमें हाथ न बटा सकें। जहां आप कलेक्टर को अंतिम निर्णायक बनाते हैं, अगर कमिश्नर को बना देते तो इसमें कोई आपत्ति आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिये। अगर आपके रेंट कंट्रोल ऐक्ट में जबकि कमिश्नर को अधिकार है और आपने उस पर काफी जिम्मेदारी सौंपी है, रिवीजन में आ जा सकते हैं, तो इसके सम्बन्ध में भी कमिश्नर को फाइनल अथारिटी होने दीजिये। तो यह ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप कुछ कर सकें तो सुधार कर सकते हैं। इतना ही मुझे कहना है, और कुछ नहीं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो बिल प्रस्तुत है इसकी आवश्यकता तो सभी महसूस करते हैं। सन् १९४७ के बिल की यह बिलकुल प्रतिलिपि है। मुझे इस संबंध में यह कहना है कि उस वक्त से आज की परिस्थिति भिन्न है, इसलिये जितने अधिकार उस बिल में रखे गये थे उतने इस बिल में लेना बहुत जरूरी नहीं मालूम होता। वह आवश्यकता से अधिक मालूम होता है। उस समय हमारे सामने देश में भूख की समस्या थी और हम बाहर से गल्ला मंगा रहे थे। उस के स्टोरेज के लिये हमको जगह की जरूरत थी। वह गल्ला बाहर से, विदेशों से आ रहा था और वह खराब न होने पाये इसके लिये हमें जल्दी से जल्दी मकान उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था करनी थी। लेकिन आज समस्या हमारे सामने मूल्य के स्थिरीकरण (प्राइस स्टेबिलाइजेशन) की है। इनमें ऐसी विषम स्थिति एकाएक नहीं उत्पन्न हो सकती, जिसको सरकार पहले से न देख सके। आखिर हमारे पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग आफिसर्स हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि मूल्यों की प्रवृति किस ओर जा रही है और गवर्नमेंट को इसका अनुमान रहता है कि कब उसको हस्तक्षेप करना है। तो मैं कोई ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकता कि जिसमें एक दम सरकार को यह जरूरत पड़ जाय कि ३ रोज के अन्दर किसी आवास को खाली करवाया जाय। मैं जानता हूं कि साधारणतया यह होगा भी नहीं कि ३ रोज का ही समय दिया जाय, लेकिन फिर कानून में ही हम उस चीज को क्यों रखें? मान लीजिये कि सरकार को एक बड़ा भारी गोदाम लेना है। वह किसी व्यक्ति के हाथ में है, जो स्वयं तिजारत कर रहा है। मैं पहले उस केस को ले रहा हूं जिसमें निर्दिष्ट स्थान अभी तक गल्ला रखने के लिये काम में आता है। ऐसी जगह ऐसा बड़ा गोदाम किसी ऐसे ही आदमी के पास होगा जो काफ़ी बड़ा व्यापार करता हो। अब उसको अगर तीन दिन का नोटिस दिया जाता है कि तुम इसको खाली कर दो तो हजारों बोरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक समस्या हो जायगी। इसमें काफी समय भी लगता है और काफी पैसा भी लगता है। और गवर्नमेंट के लिये सम्भव हो भी सकता है कि वह एक दो दिन में कहीं किसी न किसी तरह से अपने गल्ले को रखने के लिये प्रबन्ध कर भी ले, लेकिन तीन रोज के अन्दर किसी व्यापारी को यह प्रबन्ध कर लेना कि दस हजार या पांच हजार बोरे एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिये जगह मिल जायगी यह शायद हर जगह सम्भव न हो। तो जहां उस का व्यक्तिगत नुकसान हुआ यह तो एक बात हुई लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी सम्भव है कि गल्ले का भी नुक्सान हो, बीसों चीजें हैं जो कि बाहर नहीं रखी जा सकती हैं। हवा और वर्षा से उनको नुक्सान पहुंच सकता है, जिससे एक तरह से हमारी नेशनल वेल्थ की क्षति होगी। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इसमें जो तीन दिन की अवधि रखी गयी है यह तो बहुत बड़ा अधिकार आप ले रहे हैं और इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें एक ऐसी भी परिस्थिति के बारे में विचार किया गया है कि मान लीजिये कि जो आवास का मालिक है या जो अध्यासी है वह मिलता ही नहीं तो महज हम वहां पर एक नोटिस चिपका कर उसको ले लेते हैं। आखिर कौन आदमी इस सबका प्रबन्ध करेगा जब उसके ऊपर तामील तक नहीं हुई है क्योंकि वह वहां था ही नहीं। सरकार तो यह मान कर चली है कि

शायद वह आदमी केवल अपने को नोटिस की तामील से बचाने के लिये ही वहां से गायब हो गया है। पर परिस्थिति तो दूसरी है। अगर एक आदमी कार्यवश बाहर गया है और उस पर तामील नहीं होती है तो उसका परिणाम यह होता है कि आपने नोटिस लगा दिया और ३, ४, १० रोज़ में आप चाहते हैं कि मकान खाली हो जाय। कौन खाली करेगा? इसलिये अगर यह मियाद बढ़ा दी जाय और १५ दिन रख दिया जाय तो अच्छा होगा वरना इसका दुरुपयोग होने की संभावना है।

इसी प्रकार अभी अवधेश प्रताप जी ने धारा १० की तरफ संकेत किया मैं भी उसमें इतना तो समझता हूं कि कलेक्टर को बिलकुल यह डिस्क्रीशन तो नहीं होना चाहिये कि वह चाहे जिसे मकान को वापस दे दे। वह वारिस या वारिसों में से एक होने ही चाहिये। अगर उत्तराधिकार डिस्प्यूटेड हो तो उस व्यक्ति का कम से कम कुछ टाइटिल तो होना चाहिये जिसके संरक्षण में वह दिया जाय, बाद में सिविल सूट के बाद दूसरा ले सकता है। लेकिन इसमें किसी तरह का प्रतिबन्ध न होने से यह सम्भावना है कि मकान किसी ऐसे, आदमी को दे दिया जाय जिसका उस पर कोई भी हक न हो और वह उसका उपभोग करे जब तक २–३ साल तक सिविल कोर्ट का फैसला न हो जाय और इस तरह से जो उसका हक़दार है उसके हितों में हानि हो तो ये त्रुटियां अगर ठीक कर दी जायं तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है उसमें भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और इसमें जो अधिकार लिये गये हैं उनका दुरुपयोग होने की भी सम्भावना कम हो जायगी।

जो इसकी अन्य धारायें हैं वे जब ली जायंगी तब उस सम्बन्ध में जो संशोधन हैं वे प्रस्तुत किये जावेंगे, लेकिन अन्य बात जो इस विधेयक को पढ़ने से प्रतीत होती है वह यह है कि आवश्यकता से अधिक अधिकार इसमें लिये गये हैं लेकिन इसके उस उद्देश्य की पूर्ति इतने अधिकारों के बिना लिये हुये भी बहुत सहज में हो सकती है। इस- लिये इन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य से यह बिल हमारे सामने आया है वह बहुत ही अच्छा है और इसलिये है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो हमारे फूड स्टफ हैं, उनकी जो कीमतें जरूरत से ज्यादा गिरती जा रही थीं, उन पर चेक करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है और इसको चेक करने में इस प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह न चाहता हो कि हमारे प्रदेश के इस तरह से किसान अन्न वगैरह पैदा करते हैं, उनकी क़ीमत इस तरह से गिर जाय और कोई चेक न कर सके और उनके सम्बन्ध में कोई सहायता देने की आवश्यकता पड़े तो हर कोई इस सदन का माननीय सदस्य उसके साथ होगा, लेकिन जैसा कि माननीय रामेश्वर लाल जी ने कहा कि फूड प्राइसेज़ के कंट्रोल करने के अलावा और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे किसानों का हित है। जैसे हमारे लाखों किसान गुड़ बनाते हैं, उनकी फसल आ रही है, उसका सीजन आ रहा है। उसकी क़ीमत घटने की बात हो तो उसकी प्राइसेज़ के कंट्रोल करने की सरकार की नीयत आज नहीं कल हो सकती है और उसके लिये मकानों की आवश्यकता हो तो हमें देने में कोई एतराज किसी को भी नहीं होना चाहिये।

इसलिये माननीय रामेश्वर लाल जी ने इस बिल का समर्थन किया और जहां तक माननीय शिवनारायण जी की बात है तो वह तो अपनी आदत से मजबूर हैं। उन्होंने समर्थन किया या विरोध किया, इसका उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने अपनी समझ से समर्थन किया लेकिन विरोध किया। उन्हें तो बोलना है तो वह बोलेंगे। प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि जिस समस्या को माननीय मंत्री जी हल करना चाहते हैं उसमें हम उनके साथ हैं। लेकिन जो खामी उसमें रह जाती है उसको बताना हमारा फर्ज है और हम समझते हैं कि मंत्री जी उसको स्वीकार करने की बात करेंगे।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जब कोई कानून जिसमें कलेक्टर वगैरा को कुछ अधिकार देने की बात आ जाती है तो हम डिसेंट्रेलाइजेशन को यानी विकेन्द्रीकरण को चाहते हैं, इसलिये हम चाहते हैं कि कलेक्टर को पूरे अधिकार न दिये जायं। ऐसे अधिकार न दिये जायं जिनका दुरुपयोग हो सके। इसके बाद दिक्कत यह है कि अगर किसी चीज का दुरुपयोग हो तो उसकी शिकायत किससे करें माननीय मंत्री जी से, लेकिन आज एक और शिकायत है कि अगर किसी चीज का दुरुपयोग हो जाय तो मन्त्री जी से मिलना मुश्किल हो गया है। उनके पास बहुत से डिपार्टमेंट्स हो गये हैं, फूड उनके पास है, पब्लिक हेल्थ उनके पास है, इंडस्ट्रीज उनके पास है और प्लानिंग उनके पास है, कभी उनसे मिला जाय तो मुलाकत नहीं हो सकती है। अगर उनसे न मिलें तो फिर उनके डिपार्टमेंट वालों से मिलें तो वह शिकायत कर सकते हैं कि हम उनसे क्यों बात करते हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कोई समय हमें बतला दें कि जब हमको शिकायत हो तो हम उनसे कह सकें। छोटे मोटे दुरुपयोग हो जायं तो हम उनसे कह सकें। मैं नहीं कहता कि वह मिलते नहीं हैं बल्कि उनको फुर्सत नहीं है। अक्सर मीटिंग वगैरह होती रहती हैं, कम से कम इन कामों में हमें समय दें। इलेक्शन में तो हम उनको तकलीफ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें ही फुर्सत नहीं रहेगी। आज जब ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो हमारी मुसीबतों को सुनने का मौका देना चाहिये। यदि दुरुपयोग हो जाय किसी चीज का तो किस से शिकायत की जायगी। शिवनारायण जी से शिकायत थोड़े ही की जायगी। शिकायत तो मंत्री जी से ही की जायगी। अब श्री शिवनारायण जी बहुत बोलने लगे अब तो उनका कुछ ख्याल होना चाहिये, कहते-कहते बेचारे थक गये, जो समझते नहीं हैं उसकी भी ताईद करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी विधेयक पर बहस होती है तो हम गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं, हंसी तो थोड़ी देर तक चल सकती है। रोज एक सब्जेक्ट आ जाता है और हमारे शिवनारायण जी दुनिया भर की बात कह देते हैं, जो कहना होता है उन्हें वह कह देते हैं? कौन सी ब्लेक मार्केटिंग कर रहे हैं। गेंदा सिंह जी के यहां बोरे भेजने के लिये तो इस बिल में कोई चीज नहीं है। सवाल यह है कि सरकार को गल्ला रखना है तो उसके लिये सरकार को कुछ निवासस्थान की जरूरत है। उस स्थान का इन्तजाम करने के लिये सरकार को अधिकार दिया जाय। हमारा कहना यह है कि सरकार को अवश्य यह अधिकार दिया जाय क्योंकि इससे देश का भला होगा और प्राइस रुकी रहेंगी। लेकिन इस अधिकार को देने के साथ ही मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग न हो। जो कमी है उस को दूर करने की कोशिश की जाय। माननीय मंत्री जी काफी तजुर्बा रखते हैं। जहां राजनीति के अखाड़े का सवाल है हम तो उनका मुकाबिला कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यह जानते हैं कि इसका दुरुपयोग हमारे और लोग कर सकते हैं। जो इसमें कमी हो उस को दूर करने को कोशिश होनी चाहिये। दफा ३ के अन्दर यह कहा गया है कि किसी मकान को अगर लिया जायगा तो उसी को लिया जायगा जिसके लेने का प्राविजन इस बिल के अन्दर है। जो मकान कभी पहले गोदाम के अलावा और किसी चीज के लिये इस्तेमाल होता आया है तो उसको नहीं लिया जायगा और जो भी दूसरे मकान लिये जायंगे वह स्टेट गवर्नमेंट की इजाजत के बिना नहीं लिये जायंगे। जब मैं दफा ४ को पढ़ता हूं तो उसमें यह है कि कोई मकान गोदाम रखने के लायक हो या नहीं इसका निर्णय कलेक्टर साहब करेंगे और वही इस मसले में फाइनल अथारिटी होंगे। जब आप अधिकार कलेक्टर साहब को दे देते हैं इस बात का कि कलेक्टर का ही आखिरी निर्णय होगा और उसकी अपील नहीं हो सकेगी तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इसलिये हमारा कहना यह है कि जिसके पास एक मकान हो तो उसके रहने के लिये भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ-साथ मान लीजिये कि एक आदमी के पास एक मकान है और उससे ३ दिन के अन्दर खाली करने के लिये कहा जाता

हैं तो उसके लिये तो बहुत मुश्किल हो जायगी। कलेक्टर साहब ने अगर हुकुम दे दिया कि ३ दिन के अन्दर खाली कर दो तो फिर यह थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है।

इसके बाद एक और बात है वह यह है कि जिस मकान को जैसी हालत में लिया जाय उसको उसी हालत में वापस किया जाय। इसके लिये इस बिल में कोई प्राविजन नहीं है। अगर आपने किसी कोठी को लिया जिसके बढ़िया कमरे हैं अगर आपने उसमें गुड़ भर दिया तो वह कोठी तो नष्ट हो जायगी। आप कहते हैं कि उसको कम्पेन्सेशन दिया जायगा और उसको किराया दिया जायगा, लेकिन सरकार ने इस बिल के अन्दर इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं रखा है कि अगर किसी वक्त कोई बिल्डिंग खराब हो जायगी तो क्या होगा। जिस हालत में आपने उस बिल्डिंग को लिया उसी हालत में उसको वापस करना चाहिये। पिछले जमाने में ऐसा हुआ कि सरकार ने बिल्डिंग तो लिया, लेकिन सरकार ने जब उनको वापस किया तो उनकी हालत बहुत खराब थी। तो कुछ प्राविजन ऐसा हो कि अगर किसी बिल्डिंग की हालत खराब हो जाय तो उसकी पूर्ति होनी चाहिये। जिस हालत में सरकार ले उसी हालत में वह पास होना चाहिये। एक और बात यह है कि मुझे तो खतरा इस बात का है कि सरकार की जिलों में खत्तियां पड़ी हुई हैं, सरकार की कोठियां पड़ी हुई हैं जिनको गल्ला रखने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कलेक्टर साहब की यह इच्छा है कि इनको इस्तेमाल न करें और फलां आदमी की फलां बिल्डिंग को ले लें तो ऐसी हालत में मैं यह चाहता हूं कि जब तक जरूरत न हो और आपके पास मकान न हो तो मजबूरी की हालत में ही किसी मकान को रिक्वीजीशन किया जाय और उसके अन्दर कोई आदमी भी न रहता हो अगर आप ऐसा करें तो हम आप के साथ हैं। हम न तो सरकार के रास्ते में रोड़ा ही अटकाना चाहते हैं और न इस कानून का दुरुपयोग ही चाहते हैं। जहां तक कीमतों के कंट्रोल करने का प्रश्न है हम उसमें पूरी पूरी सहायता सरकार की करने को उद्यत हैं। लेकिन हम खराबियों को भी दूर कराने की कोशिश करेंगे। वह क्लाज जिसके बारे में शम्भूनाथ जी ने भी कहा है, मान लीजिये कि हमारी कोठी कलेक्टर साहब ने ले ली और उसके बाद अगर कोई दुर्भाग्य ऐसा हो जाय कि हम न रहें तो हमारी कोठी कलेक्टर साहब चाहे जिसको दे देंगे। आखिर यह बात रखी क्यों गयी है? जिसका मकान हो उसके भाई या रिश्तेदारों को छोड़ दीजिये। आप किसी दूसरे का हवाला दे कर उसे उस कोठी में ला कर क्यों बैठा देते हैं। तो कुछ तो यह कंट्रेडिक्टरी है और कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन यह सब होते हुये भी और खामियों को दूर करने की कोशिश करते हुये हम इस बिल का स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होने पावेगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने सचमुच विरोधी पक्ष का कार्य आज किया है उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये हैं। हम आशा करते हैं कि विरोधी पक्ष सदैव ऐसा ही करता रहेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी कहीं गयीं जिनसे कुछ शंका उत्पन्न हो सकती है। माननीय रामेश्वर लाल जी ने कहा कि जिसके पास एक ही मकान हो तो उसे लेने का कलेक्टर को अधिकार नहीं होना चाहिये। यह बात एक प्रकार से उचित भी मालूम होती है लेकिन उनकी यह शंका इस विधेयक के पढ़ने से निर्मूल हो जाती है। क्या जिलाधीश बिलकुल ही बुद्धिहीन होगा कि वह उस व्यक्ति का जिसके पास केवल एक ही मकान होगा उसे वह ले लेगा, यह प्रश्न तो उठता ही नहीं। माननीय अवधेश प्रतापसिंह जी ने कहा कि वे इस बिल का विरोध करते हैं। अन्त में उन्होंने इसका एक प्रकार से समर्थन ही किया। कुछ सुझाव उन्होंने दिये और यह कहा कि जिलाधीश को जो अधिकार दिया जा रहा है वह लोकतंत्र के विरुद्ध है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतना तो ख़याल करें कि यह अधिनियम कितना अच्छा है, कितना छोटा सा है और कितना आवश्यक है और कितने दिनों के लिये है। वे यह बातें भूल गये। यदि सरकार को अन्तिम निर्णय करने का अधिकार दिया जाय तो उसके पास काग़ज़ पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसे भी वे भूल जाते हैं।

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

माननीय चतुर्वेदी जी ने एतराज़ किया कि इसके मुताबिक़ जिलाधीश केवल ३ दिन की नोटिस दे कर मकान ले सकता है, यह समय कम है। यदि वह धारा ३ को पढ़ते तो उन्हें मालूम हो जाता कि इसमें लिखा है कि अवधि ३ दिन से कम न होगी, अर्थात् अधिक हो सकती है। ३ दिन तो मिनिमम समय रखा है, न कि मैक्सिमम। जिलाधीश उसे बढ़ा सकता है। वह घटा नहीं सकता। इसलिये अवधि तो इसमें बढ़ी हुई है ही। उपाध्याय जी ने धारा ३ के प्रतिबन्ध का उल्लेख किया है। उसे भी देख लिया जाय। इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भाण्डार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा। इससे मैं समझता हूं कि माननीय मदनमोहन जी ने जो शंका प्रकट की है उसका कोई प्रश्न नहीं रह जाता है क्योंकि उसका प्रयोग बिना प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से नहीं लिया जा सकता है। उपाध्याय जी यहां मौजूद नहीं हैं। शायद उनका यह ख्याल रहा हो कि उनकी बहुत बड़ी कोठी का जो रानीखेत में होमफार्म के नाम से है जिलाधीश ले लेगा। उनको यह ख्याल नहीं रहा कि वह फार्म शहर से इतनी दूर है कि कलेक्टर उसे लेना उचित नहीं समझेगा। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण पढ़ने से प्रतीत होता है कि यह बहुत आवश्यक है और चन्द दिनों के लिये बनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक जो सबको पसन्द है जल्दी से जल्दी पास हो जावेगा।

श्री शिवनारायण--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--यह बिल बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के सामने होकर यहां आया है, जिसने डेढ़ दिन इसके लिये निश्चित किया है और उसे सदन ने एक मत से स्वीकार कर लिया है। जिसको सदन ने एक मत से स्वीकार कर लिया हो अब उस पर क्लोजर होना शोभा नहीं देता। यह मामला बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के सामने गया, उसने इस सुझाव को मंजूर किया। और यह कनवेंशन स्पीकर महोदय ने हाउस के सामने बता दिया था तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उस कनवेंशन की इज्जत की जाय तथा माननीय शिवनारायण जी क्लोजर को मूव न करें।

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी ने जो बात कही मैं उस से सहमत नहीं हूं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि भूल से किसी विधेयक के लिये ज्यादा समय रख दिया जाय जिसमें समय लगना ही नहीं चाहिये। मैंने जब यह सुना कि इस विधेयक पर डेढ़ दिन लगने वाला है तो मुझे ताज्जुब हुआ। क्योंकि यह एक ऐसा विधेयक था कि जिसमें किसी को कोई एतराज करने की गुंजाइश न थी। यदि कोई संशोधन शाब्दिक होते भी तो उन पर बहस करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन अगर यह सदन चाहता है कि अनावश्यक चीज पर डेढ़ दिन लगाया जाय तो ऐसा करने का उस को अधिकार है। लेकिन जहां तक कमेटी का ताल्लुक है, जिसका जिक्र अभी किया गया कि अगर किसी काम के लिये डेढ़ दिन का समय आवश्यक हो या न हो लेकिन डेढ़ दिन तक उस पर बहस करते रहें, मैं इस बात को सही नहीं समझता। मैं आप से निवेदन करूंगा कि अनावश्यक बहस को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है तो इस सदन को इस बात पर विचार कर लेना चाहिये। इसलिये अगर हम थोड़े समय में विचार करके फैसला दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि यह डेढ़ दिन तक चलता रहे। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर निर्णय कर दें, अथवा सदन के ऊपर छोड़ दें कि बहस को यह डेढ़ दिन तक बढ़ाना चाहता है।

श्री शिवनारायण--मैं यह कहूंगा कि मैं कनवेंशन की इज्जत करता हूं। लेकिन मैं श्रीमन् से यह कहना चाहता हूं कि इसमें डेढ़ दिन का समय है और इसके अन्दर १० खंड हैं। इसलिये अगर जनरल बहस पर अभी क्लोजर नहीं होगा तो बाद को गिलोटिन से इसको हमें पास करना होगा। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रस्ताव को मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं तिवारी जी को बोलने का पूरा मौक़ा देना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--शायद माननीय गुप्ता जी को वह सारी सूचना नहीं है जो उनको आमतौर से होनी चाहिये थी। बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के सुझाव इस सदन के सामने रक्खे जाते हैं और उनको सदन का एक मेम्बर प्रस्ताव की शकल में हाउस के सामने रखता है। उसके बाद विधान सभा उसको स्वीकार करती है। इस विधेयक के सम्बन्ध में डेढ़ दिन का समय विधान सभा के सदस्य, एक प्रस्ताव के रूप में एकमत से स्वीकार कर चुके हैं। अब यह सदन जो फैसला कर चुका है, गुप्ता जी अगर उस को बदलना चाहते हैं तो वह एक मोशन दें कि कम समय लगाया जाय। जो कुछ भी सदन का फैसला होगा वह बिजनेस कमेटी के समक्ष जायगा और तब तक इस बिल पर विचार स्थगित करना होगा। यह बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के नियम हैं। उसके अनुसार जितनी बहस हमको करना चाहिये उतनी नहीं कर पायेंगे। इसलिये बजाय इसके कि हम नियमों के अनुसार न चलें, यह उचित होगा कि सदन ने जो फैसला कर लिया है, हम उस पर चलें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन ने यह निर्णय किया है कि डेढ़ दिन तक इस पर बहस हो सकती है, तो उसके हरगिज़ भी यह माने नहीं हैं कि यदि सदन बहस को कम वक्त में खत्म करना चाहे तो उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः जो बात माननीय नारायण दत्त जी ने कही है उसमें मुझे कुछ आपत्ति है। वह यह है कि चूंकि डेढ़ दिन का समय नियत हो चुका है उसमें क्लोज़र मूव नहीं हो सकता, यह तो एक अजीब सी बात हो जायगी क्योंकि अभी वह स्थिति आ चुकी है जब कि यहां काउ प्रोटेक्शन विधेयक चल रहा था। उसमें अगर पहले से, कुछ समय पहले से क्लोजर मूव कर दिया गया होता तो वह नौबत न आती कि बाद में तमाम धाराओं को गिलोटीन करना पड़ा। सदन को हर समय अपने विवेक को रेगुलेट करने का अधिकार है। वह समय विभाजन कर सकता है कि कब जनरल डिसकशन खत्म हो और कब सेकिण्ड रीडिंग प्रारम्भ हो। सदन का यह भी अधिकार है कि वह क्लोज़र के प्रस्ताव को स्वीकार करे या न करे इसलिये क्लोजर किसी वक्त भी मूव हो सकता है, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह तो ठीक ही है कि बिजिनेस कमेटी ने समय निर्धारित कर दिया है और हाउस ने उस प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया है लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि हम पूरा डेढ़ दिन इसमें लगा ही दें। हाउस चाहे तो कम से कम समय में भी निश्चय कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि बार-बार क्लोजर मूव किए जायं। मैं सदन के माननीय सदस्यों की समझदारी पर पूरा भरोसा रखता हूं और वह बिल के महत्व को देखते हुये उस पर कम समय भी लगा सकते हैं। यह अधिकार तो मुझे भी है कि किसी विषय पर वाद विवाद चलता हो तो उसको मैं रोक सकता हूं या चलने दे सकता हूं और चूंकि पहले से कुछ सदस्य बोलना चाहते थे उन को अभी मैं समय और दूंगा, लेकिन सदन कम से कम समय में यदि वाद विवाद समाप्त कर सकता है तो कर दे ऐसी आशा मुझे है और मुझे यह आशा नहीं है कि वह पूरा डेढ़ दिन लगा दे।

*श्री देवेन्द्रदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने प्रस्तुत विधेयक पर विरोधी पक्ष और हमारे वाम पक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि माननीय मिश्र जी ने कहा, इस बिल पर विरोधी पक्ष का जो रुख है वह बहुत तर्कयुक्त रहा किन्तु एक बात के ऊपर हमेशा हम देखते हैं कि लोकतंत्र का नाम लेकर अधिकारों के सदुपयोग और दुरुपयोग के ऊपर एक लेक्चर सदन में दिया जाता है। लोकतंत्र में यह एक मानी हुयी प्रथा है, कनवेन्शन है कि वह अधिकार जो कार्य में लाने के लिये होते हैं, उन अधिकारों को सदन की स्वीकृति से किसी प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को दिया जाता है। ऐसी अवस्था में कहीं कहीं अपवाद भी हो जाते हैं यानी कहीं-कहीं अधिकारों का दुरुपयोग भी हो जाता है लेकिन उसी को एक जनरल व्यवस्था मान कर उसी पर तमाम बहस करना कहां तक न्यायसंगत हो सकता है कि लोकतंत्र के समर्थक इस तरह से विचार करें? ऐसी अवस्था में यदि हम लोकतंत्र की बात कह कर तमाम अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका से पीछे ही पैर खींचते जायं तब तो हम कभी भी एक प्रगतिशील समाज के निर्माण का कार्य कर ही नहीं सकते। कलेक्टर के सम्बन्ध में माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि उसको अधिकार दिये गये हैं, यह अधिकार अगर सरकार को होते तो उन्हें आपत्ति नहीं होती। आखिर कलेक्टर है क्या, यह समझने की बात है, वह जिले में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात् वह गवर्नमेंट परसोनिफाइड है। ऐसी अवस्था में गवर्नमेंट अपने अधिकारों को अपने विभिन्न अधिकारियों के द्वारा कार्य रूप में परिणत कराती है। जिसको हम कभी भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कहते हैं ठीक उसी प्रकार इस बिल में जो अधिकार है वह कलेक्टर को दिये गये हैं। कलेक्टर को गवर्नमेंट यह अधिकार इसलिये समझकर देती है कि वह समझती है कि वह उसका उस जिले में गवर्नमेंट का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है। तो यदि वह दुरुपयोग कर सकता है तो फि टु अर इज ह्यमन के सिद्धांत के अनुसार कोई मिनिस्टर भी गलती कर सकता है इसलिये यह तर्क अधिकारों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कुछ समझ में नहीं आती। वैसे तो जहां तक बिल के और बातों का सम्बन्ध है कोई खास विरोध सदन में दीख नहीं पड़ता, लेकिन मैं लोकतंत्र के नाम पर अधिकारों के दुरुपयोग का जो राग अलापा जाता है वह लोकतंत्र के सर्वथा विपरीत है और प्रगतिशील समाज के निर्माण में बाधक है। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री बनारसी सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को इस सदन में लाने के लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एकमात्र उद्देश्य इस बिल का जो सदन के सामने आ रहा है वह कीमतों को स्टैबिलाइज करना ही है। वह उद्देश्य बहुत अच्छा है और उसकी भी हमारे देश के लिये बड़ी आवश्यकता है किंतु मैं यह समझता हूं कि यह बिल इस काम के लिये बहुत पर्याप्त नहीं है। आपने जब देखा कि कीमतें घट रही हैं उस वक्त आपने कुछ माल खरीद लिया तो जहां तक मेरी जानकारी है इस माल के खरीदने के सम्बन्ध में जैसा अवसर गवर्नमेंट ने पिछले दिनों मंडियों में किया है उसको नाकाफी और अपर्याप्त समझता हूं। मैंने यह देखा कि मुजफ्फरनगर में गवर्नमेंट ने कोआपरेटिव के जरिये गुड़ खरीदने का सिलसिला शुरू किया था किन्तु वह बिलकुल नाकाफी रहा और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां गुड़ के भाव गिरते चले गये और उनके गिरने से किसानों का कितना नुकसान हुआ यह गवर्नमेंट भी और जो किसानों से सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं वह सभी जानते हैं। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि इस खाद्यान्न भंडार के मसले को वह जरा विस्तार से देखें और इस बात को सोचें कि खाद्यान्न के मामले में जैसे दूसरे देशों में वहां के कृषकों का और वहां के उत्पादन कर्ताओं का जीवन निर्भर होता है उसी प्रकार हमारे देश में भी होना आवश्यक है। अमेरिका की गवर्नमेंट कृषकों के लिये और दूसरे वर्ग के उत्पादन कर्ताओं के लिये खाद्यान्न भांडारों का प्रबंध करती है और वह कोआपरेटिव के तरीके पर उनके माल को खरीद कर स्टोर हाउसेज में रखती है मगर हम यह समझते हैं कि यह किराये पर लिये हुये मकान जो हम इस समय स्टोर हाउसेज के तरीके पर बरतेंगे वे हमारे काम को पूरा कर सकते हैं यह ठीक नहीं है। एक इमरजेंसी के लिये अच्छा हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है मगर आपको अपनी गवर्नमेंट की पालिसी को ऐसे विस्तार से बनाना पड़ेगा जिससे अपने देश से, अपने प्रदेश से यह समस्या हमेशा के लिये ठीक हो जावे। मैं इस बात को जानता हूं कि अगर आप इस तरह से मकान ले कर गल्ला रखते हैं तो उसमें जो सामान आप रखते हैं बहुत नुकसान होता है। इसलिये मेरा गवर्नमेंट को यह सुझाव है कि एमर्जेन्सी के लिये वक्त ज़रूरत पर तो आप इस तरह से मकान ले लें, लेकिन आपको अपनी एक लांग पालिसी बनानी होगी और वह पालिसी जैसा कि सभी सिविलाइज्ड देशों में है गवर्नमेंट अपने निजी स्टोर हाउसेज रखती है या कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से स्टोर हाउसेज़ बनाती है। इस तरह की पालिसी गवर्नमेंट को अपनानी होगी और मैं तो गवर्नमेंट को सुझाव दूंगा कि हर एक हजार एकड़ पर वह ऐसे स्टोर हाउसेज़ चाहे अपने जरिये या कोआपरेटिव के जरिये से बनवाये जहां पर कि कम से कम १० हजार मन गल्ला या १० हजार मन दूसरा सामान स्टोर हो सके। जहां आप "ग्रो मोर फूड" कर रहे हैं वहां आप को "सेव मोर फूड" भी करना होगा और आपको अपना खाद्यान्न ऐसे अच्छे स्टोर हाउसेज में रखना होगा जहां पर बहुत कम नुकसान होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहां १० फीसदी तक नुकसान होता है हमारे गल्ले का या दूसरे सामान का, क्योंकि अभी तक जो मकान हमारे यहां हैं उनमें न तो हम ऐसी औषधियां डाल सकते हैं, न चूने से बचा सकते हैं। जहां कच्चे मकान हैं या बाढ़ आती है वहां तो इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है कि गवर्नमेंट अपने स्टोर हाउसेज़ बना कर रक्खे। मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट बाढ़ के एरियाज़ में ऐसे स्टोर हाउसेज़ बना कर रक्खे जिनके अन्दर किसान के पास जो सरप्लस पैदावार हो उनको वह अपने स्टोर हाउसेज़ में रख ले और सिविलाइज्ड देशों की तरह उन्हें उनकी पैदावार के दाम भाव के अनुपात से दे दिये जायं और जिस वक्त पैदावार अच्छी हो या एमर्जेन्सी हो तो वह उन्हें निकाल कर दे दे या बेच दे तो किसान का इससे बड़ा उपकार होगा। किसान बड़ा परेशान रहता है कभी उसकी पैदावार बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। मैं मुजफ्फरनगर मंडी की एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। पिछले दिनों जब इस बात की घोषणा की गयी कि गवर्नमेंट कोआपरेटिव के जरिये से गुड़ खरीदेगी तो वहां के व्यापारियों ने यह चाल चली कि रेलवे से फीस देकर एक हफ्ते भर के लिये माल के डिब्बे ले लिये, मगर उसमें माल भरना बन्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि माल का दाम या गुड़ का दाम कई रुपये मन के हिसाब से गिर गया और जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बात की बहुत आवश्यकता है कि गवर्नमेंट के पास स्टोर हाउसेज़ होने चाहिये। मेरा फिर भी कहना है कि इस प्रकार के जो स्टोर हाउसेज़ हैं जिनको सरकार रिक्वीजीशन करती है वे हमारी एमर्जेन्सी को तो पूरा कर सकते हैं लेकिन हमारी उस लांग पालिसी को, हमारी उस समस्या को जिसे सुलझाने के लिये यह सब काम किया गया है उस समस्या को यह दूर करने वाले नहीं हैं। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारी केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिये १८ करोड़ रुपये दे रही है कि हम जगह-जगह पर स्टोर हाउसेज़ बनायें। हमारे यहां बीज गोदाम बन रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं गवर्नमेंट से यह भी प्रार्थना करूंगा कि जहां आप बीज गोदाम बनाते हैं वहां आप देहातों में गल्ला वगैरह रखने के लिये भी और गोदाम बनायें जिससे आपके किसान को भी लाभ पहुंचेगा और आपकी गवर्नमेंट को भी लाभ पहुंचेगा और आपके किसान समृद्धिशाली होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारण से सहमत होते हुए माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं या जो इस विधेयक में कमियां हैं उन्हें बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का भाषण हमने सुना कहा भी गया कि ३१ दिसम्बर, १९५४ को इस बिल का वक्त खत्म हो गया और इसलिए अध्यादेश जारी करना पड़ा गवर्नर महोदय को। मैं आपके द्वारा, निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की बराबर अध्यादेश जारी करने की जो परिपाटी है वह खत्म होनी चाहिए। जब कि दिसम्बर महीने में ही यह सदन चालू था और ३१ दिसम्बर को इस विधेयक की

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

अवधि खत्म होने वाली थी तो दिसम्बर महीने में ही विधेयक लाकर आर्डिनेंस को रोकना चाहिए था। लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर सकी इसका मुझे हार्दिक दुख है। श्रीमन्, मूल्य स्थिरीकरण योजना के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार इसमें भी बहुत नाकामयाब हुई है और दुख होता है कि बार-बार नियोजन मंत्री ने सदन में यह दोहराया है कि हम मूल्यों का स्थिरीकरण चाहते हैं। श्रीमन्, आपको याद होगा जब कि गुड़ के संबंध में श्री गेंदा सिंह जी के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गुड़ का भाव स्थिर रहने के लिए फलां-फलां स्थानों में, मंडियों में गुड़ खरीदने की योजना चलने जा रही है। उसी तरह से गेहूं और ज्वार के सम्बन्ध में भी आश्वासन दिया गया। लेकिन अफसोस है कि जो यह योजना चालू की गई वह शायद कुछ ही जिलों में चालू की गयी। हमारे जिले के आसपास के जिलों में, बलिया, आजमगढ़, बनारस, देवरिया में जहां तक मुझे जानकारी है गुड़ और गल्ले के संबंध में जो स्थिरीकरण की योजना चालू नहीं हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि गेहूं या गल्ले की जो कीमत रही वह बेतहाशा अस्थिर रही और उसका नतीजा मैं आपको बताऊं। जौ की कीमत चैत के महीने में मेरे यहां साढ़े पांच रूपये मन थी, स्वयं माननीय मंत्री जी ने कबूल किया था वही आज साढ़े नौ रुपया मन बिक रहा है और उसी बाजार में बिक रहा है। यह कह देना कि हमने अध्यादेश जारी करके और भांडारों को अपने कब्जे में करके मूल्यों का स्थिरीकरण कर दिया है बिलकुल गलत है। हमारे प्रदेश में एक तरह का हंगामा मचा हुआ है। किसानों में न उम्मीदी पाई जाती है। श्रीमन्, आज बाजारों की गल्ले की कीमत को देखते हुए और जो कारखाने का सामान पैदा होता है उसकी कीमत को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो कारखाने के सामान की कीमत है और जो गल्ले की कीमत है अगर दोनों का मुकाबला किया जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सात साल तक बराबर किसान गल्ला पैदा करे और कारखानों के सामानों की कीमतों को अदा करता रहे तब भी वह अदा नहीं कर सकता। गल्ले की कीमत घटती जा रही है, बाजार अर्थात् कारखाने के सामानों की कीमत ज्यों की त्यों है, मालगुजारी तथा टैक्स ज्यों की त्यों है, मैं समझता हूं कि सरकार बहुत नाकामयाब हुई है और यदि सरकार चाहती है कि मूल्य का सही मानों में स्थिरीकरण करे तो बहुत बड़ी तादाद में उसे भंडारों का प्रबन्ध करना पड़ेगा और सारे प्रदेश में जो गल्ला है, जो गल्ला बाजारों में एक कीमत पर नहीं बिकता, जिसको सरकार समझती है कि गल्ले की कीमत बहुत कम है सरकार को ऐसे सभी प्रकार के गल्लों को खरीदना चाहिए और भांडारों में एकत्रित करना चाहिए। मैं श्री बलवन्त सिंह जी के सुझाव का समर्थन करता हूं कि देहातों में भी भांडार सरकार की ओर से लिए जाने चाहिए और बनने चाहिए। शहरों में तो भांडार लिये जाते हैं और बनते हैं लेकिन देहातों में ऐसा नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि देहात का गल्ला सस्ता बिकता है और शहर का गल्ला महंगा बिकता है। इसलिए देहात का रहने वाला किसान मरता है। इस सम्बन्ध में दो एक बातें और हैं जिनको आज समय के अनुसार तब्दील कर देना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि कल जब यह विधेयक पर सदन में विचार जारी हो तो शायद माननीय मंत्री जी इसको संशोधित करके उपस्थित करेंगे।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि धारा २ के (घ) में साफ कहा गया है कि सरकार कलेक्टर के जिम्मे इस काम को सुपुर्द करेगी या विज्ञप्ति करके किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। मैं समझता हूं कि इसे भी सरकार को साफ करना चाहिए कि वह किस व्यक्ति को नियुक्त करेगी। मैं जानता हूं कि आज कल की जो परिपाटी है उसके हिसाब से सप्लाई अफसर इस काम को किया करता है, कृषि अफसर भी इस काम को कर सकता है, लेकिन सरकार को इसमें साफ कदम उठाना चाहिये। इसके आगे आप श्रीमन् देखेंगे कि धारा ३ के (१) में कहा गया है कि......"किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका

कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय, इसमें सिर्फ तीन दिन की अवधि दी गई है। माननीय व्रजविहारी मिश्र जी ने माननीय उपाध्यक्ष जी की बात का विरोध किया। यह बात सही है कि कम से कम तीन दिन की अवधि है, लेकिन जरा मिश्र जी को ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त का यह विधेयक बना हुआ है उस जमाने में और आज के जमाने में कितना फर्क है। आज सारे प्रदेश में गल्ले की इतनी कमी नहीं है जितनी कि सात साल पहले था। मैं समझता हूं कि यह तीन दिन का अधिकार देना भी कलेक्टर के हाथ को बेलगाम कर देना है। मैं समझता हूं कि इसमें तीन दिन की नहीं बल्कि कम से कम एक महीने की अवधि होनी चाहिए। ऐसा कोई वक्त नहीं है और ऐसा कोई जमाना नहीं है कि जिसमें कलेक्टर को तीन दिन का अधिकार रहे। श्रीमन्, माननीय मिश्र जी ने आक्षेप किया था कि उपाध्याय जी का जो भवन है वह नहीं लिया जायगा। यह बात सही है कि उपाध्याय जी का भवन नहीं लिया जायगा तो पंडित जी का ही कहां लिया जायगा? वह भी ऐसा नहीं है कि जिस पर कलेक्टर कब्जा कर लेगा। बंगला तो है लेकिन कलेक्टर को कब्जा करने में जरा मुश्किलात होंगी और पंडित जी शायद उसकी मंजूरी भी न दें। श्रीमन्, यह शायद दूसरा मौका है कि जब पंडित जी की ओर से धन्यवाद दिया गया है और यह कहा गया है कि विरोधी दल से हम लोग उम्मीद भी यही करते हैं।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से और मिश्र जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के ऐसे लोग नहीं हैं कि जो यह महसूस करते हों कि विरोध करना ही हमारा काम है। जब हम स्वस्थ विरोधी दल बनाने की बात का फैसला किये बैठे हैं तो विरोधी दल का यह काम है कि जो अच्छी बात हो उसका समर्थन करें, जो सही मानें में विरोध करने लायक बात हो, उसका विरोध करें। यह तो श्रीमन्, उधर के बैठने वाले सदस्यों का काम है कि चाहे बिल उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो उसका समर्थन वह करेंगे। इधर के बैठने वालों का यह काम है कि जो बात सही मानों में समर्थन करने लायक हो उसका समर्थन करें और जो विरोध करने लायक हो उसका विरोध करें। मैं इसका कोई आभारी नहीं हूं और न धन्यवाद लेना चाहता हूं। यह तो हमारा कर्त्तव्य है और हम उसका पालन कर रहे हैं। कहा गया है कि कलेक्टर को इतने अधिकार देना लोकतंत्र का कोई हत्या नहीं है पंडित देवदत्त मिश्र जी ने काफी दलीलें दीं। श्रीमन्, यदि मैं भूलता नहीं हूं तो खास कर देवदत्त मिश्र जी को और उधर के बैठने वाले सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने आजादी मिलने के पहिले ही कहा था कि कलेक्टर हमारे देश का छोटा वाइसराय है। कलेक्टर के हाथ में इतनी शक्ति नहीं जानी चाहिये। आज जब कि देश आजाद हो चुका है और यह फैसला हो चुका है कि शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये तो मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं माननीय देवदत्त मिश्र जी से, उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि कलेक्टर की ईमानदारी पर बहुत विश्वास किया करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर, इस प्रदेश में ऐसे नहीं हैं जो माननीय सदस्यों को अपमानित करते हों और माननीय गेंदा सिंह जी के साथ जो ज्यादती हुई थी बाहर और जो कोर्ट इंस्पेक्टर सदन में ला करके कटघरे में खड़ा किया गया। श्रीमन्, आप जानते होंगे कि उसमें केवल उस कोर्ट इंस्पेक्टर का ही हाथ नहीं था, कलेक्टर का भी था। कलेक्टर को या किसी अधिकारी को यह समझ लेना कि बहुत ईमानदार है और सारी शक्ति उसके हाथ में दे देना मैं समझता हूं कि लोक तंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र में शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि सारी शक्ति कलेक्टर के हाथ में दे दी जाय। कलेक्टर जो करे उसको सदन मन्जूरी दे दे। श्रीमन्, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि पं० ब्रज विहारी मिश्र ने कहा कि प्रतिबन्ध है—

"फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा" अपवाद तो उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन धारा ३ की उपधारा २ है जिसमें लिखा हुआ है—

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

"(२) कोई भवन भांडार के लिये प्रयुक्त है या नहीं, इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम और निश्चयात्मक होगा।"

एक तरफ तो यह दूसरा प्रतिबन्ध है और तीसरे अंतिम निर्णय जो होगा वह कलेक्टर का होगा, तो यह कैसे कहा जाय कि कलेक्टर ने सही किया, गलत किया। तो सरकार उसका निराकरण करेगी। यह विधेयक ऐसा है कि कलेक्टर का ही समर्थन करता है और श्रीमन्, आप देखेंगे, संशोधनों को हमने देखा तो कई जगह ऐसा ऐसा है कि कलेक्टर जिस मकान को लेता है और मकान लेने के बाद मकान का जो मालिक है उससे यह फैसला उसके अनुसार नहीं कर पाता है कि मकान का किराया कितना होना चाहिये। श्रीमन्, हम लोग विधायक निवास में रहते हैं, उसका किराया निश्चित है। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं है कि जो मकान भांडार के निमित्त लिया जायगा उसका किराया कितना होगा। और यह भी होना चाहिये कि जो भांडार जिस व्यक्ति का है अगर उसके पास एक ही मकान है तो उसके लिये कोई छूट है या नहीं, यह भी इस विधेयक में नहीं कि जो मकान सरकार ने लिया भांडार अधिग्रहण के निमित्त वह मकान जिस अवस्था में लिया खराब हो गया है और इतना खराब हुआ है कि जो सरकार की ओर से किराया मिला है उससे कई गुना नुकसान हो गया तो सरकार को इसका भी प्रबन्ध करना चाहिये कि उसका इतना प्रतिकर देगी कि मकान बन सके। इन शब्दों के साथ में नियोजन मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि इन सुझावों को इस विधेयक में लायेंगे।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में माननीय सदस्यों के भाषण इस विधेयक पर सुने और मुझे यह प्रसन्नता है कि हमारे माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की जरूरत को समझने की पूरी पूरी कोशिश की। यह विधेयक हमारी सरकार की दूर दर्शिता का परिचायक है और भविष्य में जो इमरजेंसी हो सकती है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने कार्य-भार को सुचारु रूप से संचालित करने का प्रयास है और हमारी इस स्टेट के अन्दर जितने भी क्लासेज के लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास है, जहां तक सरकार उनको सुरक्षित कर सकती है, जरूरत है इस प्रदेश में कि हमारे यहां के किसानों की दशा को सुधारने के लिये सरकार को अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिये। जब कि उनकी पैदा की हुई चीज के दाम गिरने की अधिक सम्भावना हो जाती है तो यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उनकी पैदावार की कीमत को स्टेब्लाइज करने के लिए जितने भी और जो कोई भी कदम उठा सकती है उसको उठाने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिये। मैंने देखा है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश स्टेट के अन्दर बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो कि परमानेंटली डेफिसिट एरियाज कहलाये जाते हैं जहां कि हर साल अनाज की और खाद्यान पदार्थों की कमी हुआ करती है, दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहा कि हर समय बाढ़ों के होने का अंदेशा रहता है, खास कर उन इलाकों और क्षेत्रों के लिए जहां कि अनाज की कमी होती है और होने की सम्भावना है किसी भी दुर्भिक्ष के कारण, मैं सरकार से निहायत अदब के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि वहां अनाज को स्टोर करने के लिए सरकार को मकान की व्यवस्था अवश्य कर देनी चाहिये और इसके लिये जो कुछ भी पूंजी सरकार को जरूरत होती है, उसकी मांग जल्दी से जल्दी होनी चाहिये क्योंकि जिन इलाकों में अधिक अनाज पैदा होता है और जिन इलाकों में डेफिसिट है। डेफिसिट जिलों में अनाज नजदीक के जिलों से पहुंचाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तो सरकार के गोडाउन इतने अच्छे ढंग के होने चाहिये जिसमें कम से कम नुकसान गवर्नमेन्ट ग्रेन का हो। इसके बादमें जो पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिये गये हैं, उनपर बहुत से माननीय सदस्यों का मतभेद है, उनके मुताल्लिक में सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि कलेक्टर को अगर पूरा अख्तियार दिया जाय तो बहुत से मामलों में बेइंसाफी होने का अधिक अंदेशा है, उसके लिए मैं एक बीच का रास्ता

सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं कि उस इलाके के लोकल पीपुल की एक छोटी सी कमेटी होनी चाहिए जो कि मकान को रिक्वीजीशन करने के लिए ऐसे मकानों की एक लिस्ट तैयार करे जिनको बिना किसी बड़ी भारी दिक्कत के लिया जा सकता हो और उस लिस्ट में से इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि जिन मकानों को वह उचित समझता है उनको वह सरकार के काम के लिए ले। इससे हमारा यह फायदा होगा कि जनता के वह मकान जिनके मालिकों को बड़ी से बड़ी तकलीफ होने का अन्देशा है वह मकान उस लिस्ट में न जायेंगे और दूसरे मकानों को सुभीते से लिया जा सकता है। केवल ऐसे ही मकानों की लिस्ट वह कमेटी तैयार करेगी। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि बीच का अगर कोई रास्ता सरकार निकाल सकती है तो उस रास्ते को अवश्य ढूंढ़ना चाहिए। दूसरे जो सुझाव माननीय बलवन्त सिंह ने इस सदन में पेश किये हैं वह भी गौर करने के काबिल हैं और उसके लिए जो कोई भी व्यवस्था हमारी सरकार इस बिल के अन्दर कर सकती है वह व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। जहां तक कि उन सुझावों को एक प्रैक्टिकल रूप दिया जा सकता है, उसमें सरकार को कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात जो कि इस तरह से मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मकान जहां तक कि देहात के इलाके हैं गरीब लोगों के पास कोई इतने अच्छे और बड़े मकान आमतौर से होते नहीं, जिनको कि सरकार के ग्रेन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत कम ऐसे मकान वहां होंगे और उन मकानों के रहने वालों के लिए दूसरे मकान की आम तौर से व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे इलाकों में जहां और सुपरफ्लुअस मकान नहीं है, जहां कि ऐसे मकानों की व्यवस्था नहीं, जिनको किराये पर दिया जा सकता है या दूसरे कामों के लिए, या पब्लिक परपेजेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वहां अनिवार्यतः सरकार को सरकारी ग्रेन के स्टोर करने के लिए अपने खब से मकानों की व्यवस्था करनी नितान्त आवश्यक है।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को लाकर हमारे किसान भाइयों की, खासकर, इमदाद की है, जिनको भाव गिर जाने से अधिक नुकसान होने का अन्देशा हो गया था।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। इस समर्थन का मुख्य दृष्टिकोण यह है कि प्राइस कंट्रोल के संबंध में अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर अगर सरकार को कहीं मकानों की आवश्यकता हो तो अन्य किसी कानून के इस प्रसंग में न होने के कारण ऐसा अधिकार देने वाले कानून को स्टैट्यूट बुक में रहना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने और उनकी ओर से इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय ने जो अपना भाषण दिया, उसको मैं एक अधूरा भाषण कह सकता हूं कहा यह गया कि सन् ४७ वाला विधेयक पिछले साल दिसम्बर के मास में लैप्स हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन इस सदन को यह बतलाया नहीं गया कि जिस समय वह विधेयक लैप्स हुआ उस समय सरकार के हाथ में उस विधान के अनुसार कितने गोदाम, कितनी खत्तियां ऐसी थीं कि जो अक्वायर की गयी थीं, जो ली गयीं थीं। क्योंकि सात साल तक यह अधिनियम चलता रहा और इसके अधीन सारे प्रान्त में कार्यवाहियां की गयीं, गोदाम और खत्तियां ली गयीं और यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि उन खत्तियों में से आज भी सरकार के पास कितनी हैं। अगर माननीय मंत्री जी कुछ आंकड़े इस सदन के सामने प्रस्तुत करते कि हम प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में कितना गेहूं और ज्वार खरीदने वाले हैं तो ज्यादा उचित होता। जून सन् १९५६ तक वह इस विधेयक को समाप्त करना चाहते हैं, वह बतलाते कि जून सन् ५६ तक उनको इतना गेहूं और ज्वार खरीदना है, इतना रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है और इतना खरीदना है, उनके पास इतने गोदाम सरकारी मौजूद हैं और इतनों की आवश्यकता है और वह समझौते द्वारा और सामान्य तरीकों द्वारा नहीं मिल पा रहे हैं। अगर वह सब आंकड़े सदन के सामने रखते तो हमें ज्यादा आसानी होती कि हम इस विधेयक पर ज्यादा बहस न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करते । हमारे पास जो अब तक आंकड़े उपलब्ध हैं वह सन् १९५३ में १६ दिसम्बर को विधान सभा के अन्दर माननीय बनारसी दास ने दिये थे कि गवर्नमेंट के पास जो अपने गोडउन हैं, जो इस समय यू० पी० में बनाये हैं उनकी संख्या ४९ खत्तियां और १,२७१ गोडाउंस हैं और उनकी १९,६८३ टन की ऐकमोडेशन है । तो इतने की व्यवस्था तो हमेशा सरकार कर सकती है, जो कि १९५३ में भी थे और आज भी हैं और समझौते के द्वारा सरकार के पास इस समय १,०३१ खत्तियां और ३,१८७ गाडाउन्स हैं, जिनमें ३,९९,१८२ टन अनाज रखा जा सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि कोई सवा चार लाख टन अनाज रखने लायक खत्तियां और गोदाम सरकार के पास बिना इस ऐक्ट को लागू किये भी सन् १९५३ में थ । अब सवाल यह है कि सरकार कितनी खरीद करने जा रही है, उसने कितनी खरीद अब तक की है। जो अब तक आंकड़े मिले हैं, जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुये हैं. उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने अभी इतनी ज्यादा खरीद नहीं की है कि उसे और गोदामों की जरूरत पड़े । अब सरकार आगे क्या खरीद रही है मैं नहीं जानता । मैं तो यह चाहता था कि जुगलकिशोर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट, जो इस विधेयक के प्रयोजनों में थी उसको माननीय मंत्री जी कम से कम आज इस विधेयक में तो लागू करते । उसमें कुछ सिद्धान्त स्वीकार किये गये थे और माननीय गुप्ता जी को ही व रिपोर्ट समर्पित भी की गयी थी। उसमें यह कहा था कि एक्वीजीशन की व्यवस्था जहां तक हो सके नहीं करनी चाहिये । सरकार को ही अपने गोदाम बनाने चाहिये. क्योंकि एक लम्बे समय के दृष्टिकोण से वह बात एकोनामिकल रहेगी और शायद इसीलिये जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने १८ करोड़ की योजना इस सम्बन्ध में बनाई है । मैं नहीं जानता कि यू० पी० की सरकार को उस १८ करोड़ में से कितना मिलने वाला है या सरकार की अपने गोदाम बनाने की योजना क्या है ? जून, १९५६ तक यह विधेयक लागू किया जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जून, ५६ के पहले ही सरकार फिर एक संशोधन विधेयक लायेगी कि एक साल के लिये इसे और बढ़ा दिया जाय । यह ज्यादा उचित नहीं मालूम होता है । इसलिए अच्छा तो यह था कि जुगल किशोर इन्क्वायरी कमेटी के अनुसार सरकार इस विधेयक में समझौते के ही प्रतिवेदन को लेती कि अगर कोई ओनर या आक्यूपायर समझते को नहीं मानता, उस समय उस पर क्या कार्यवाही होगी। जुगलकिशोर इन्क्वायरी कमेटी की जो सिफारिश थी उसको मान्यता देना आवश्यक था। आपको याद होगा श्रीमन्, इसी सदन में माननीय बनारसी दास जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि सन् ५२ में केवल ९ मकान रेक्वीजीशन किये गये, क्योंकि आवश्यकता ही कम पड़ी। तो अगर केवल स्टेट्यूट बुक की शोभा बढ़ाने का उद्देश्य माननीय मंत्री जी का है तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को विधान की धाराओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये । सन् ४७ में हिन्दुस्तान का विधान लागू नहीं था, लेकिन आज तो हिन्दुस्तान का विधान लागू है और हम उस विधान के आर्टिकिल ३१ के अनुसार ही किसी व्यक्ति से उसकी जायदाद ले सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं । श्रीमन्, मैं आप का ध्यान विधान की धारा ३१ की उपधारा १ और २ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें है कि किसी व्यक्ति की जायदाद ली नहीं जायगी, सिर्फ कानून के ही द्वारा ली जा सकती है । दूसरी यह है कि किसी भी जायदाद को एक्वायर नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उस कानून में किसी मुआविजे के लिये प्रबन्ध नहीं किया जाता और वह कानून या तो मुआविजे की रकम निश्चित करता हो या उन सिद्धान्तों का उल्लेख करता हो कि जिनके आधार पर मुआविजा दिया जायगा और किस प्रकार यह मुआविजा दिया जायगा ।

श्रीमन् यह विधेयक जिस प्रकार आज प्रस्तुत किया गया है यह संविधान के इस सब आर्टिकिल का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें यह साफ नहीं बताया गया है कि किस सिद्धान्त के आधार पर मुआविजा तय किया जायगा और इस मामले में तो विधेयक बिलकुल चुप है कि किस प्रकार यह मुआविजा दिया जायगा। आप यह देखेंगे कि इस विधेयक

में केवल यह लिखा हुआ है कि पहले कलेक्टर तीन दिन का नोटिस देकर मकान को ले सकते हैं अपने प्रयोजन के लिये। उसके बाद कलेक्टर एक एग्रीमेंट करने की चेष्टा करेंगे और अगर एग्रीमेंट होगा तो पेमेंट उसी आधार पर होगा और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कलेक्टर कोर्ट के पास मामला भेज देगा और कोर्ट तय करेगी कि मुआवजा क्या होगा। अब इसमें आगे देखें कि एक अधूरा सा हवाला दिया गया है लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३, २४ का। जहां तक सिद्धान्त का संबंध है तो एक रिफ्रेन्स है कि कोर्ट जिस समय मुआविजे के बारे में कोई निर्धारण करेगी तो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ (ए) और २४ के अनुसार वह मुआविजे को ध्यान में रख रखेगी। लेकिन यह सिद्धान्त अधूरे हैं। मिसाल के लिये यह स्पष्ट नहीं है, अगर एक से अधिक ओनर्स हैं तो एमाउंट किस प्रकार बांटा जायगा। यह भी निश्चित नहीं है कि पेमेंट का तरीका क्या होगा। मेरे पास लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट मौजूद है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसके अध्याय ५ की धारा ३१, ३२, ३३ और ३४ की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह धारायें पूरी की पूरी पेमेंट के सिलसिले में हैं। मान लिया जाय कि पेमेंट लेने वाला मौजूद नहीं है या उसकी मृत्यु हो गई है या वह लेना नहीं चाहता है तो पेमेंट कोर्ट में जमा किया जायगा और कोर्ट देगी।

अब मंत्री जी कह सकते हैं कि इस संबंध में हम नियम बनायेंगे, मैंने वह देखे नहीं हैं। लेकिन मेरा मतलब यह है कि इसकी व्यवस्था विधान के अनुसार विधेयक में होनी चाहिये थी और लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो सिद्धान्त पेमेंट के बारे में रखा गया है या मुआवजे के संबंध में रखा गया है उनका समावेश इस विधेयक में होना चाहिये था और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यह विधेयक विधान की धारा ३१ (२) का उल्लंघन हो जाता है और इसकी तुलना में यह विधेयक अधूरा हो जाता है।

इसके साथ साथ आप यह देखेंगे कि इसमें एक निश्चितता कर दी गई है कि जो न्यायालय फैसला कर देगा वह अंतिम होगा। न्यायालय की परिभाषा है मुंसिफ या सिविल जज की कोर्ट और उसके बाद अपील नहीं है। १९४७ में यह सवाल उठा था इसी सदन में, इसकी अपील क्यों नहीं है और विरोधी दल की ओर से यह मांग हुई थी कि एक अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होनी चाहिये। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी अपील करने की गुंजाइश हो क्योंकि कलेक्टर देखे कि कोर्ट ने जो मुआविजा तय कर दिया है वह ज्यादा है या मालिक मकान को जरूरत हो सकती है, इसलिये एक अपील का देना आवश्यक था और इसके बाद स्वयं गुप्ता जी ने इस सिद्धान्त को स्वीकार भी किया था १९४७ में कि अपील का अधिकार होना चाहिए और वह इस संशोधन को मान लेते यदि कौंसिल होती। केवल इसीलिये स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि लेजिस्लेटिव कौंसिल से वह बिल पास हो चुका था और अगर उस समय वह किया जाता तो उसको लेजिस्लेटिव कौंसिल में भेजना पड़ता और कौंसिल को बुलाना पड़ता। इस संबंध में मैं आपकी आज्ञा से गुप्ता जी का कोटेशन पढ़ना चाहता हूं जो ६ जून, १९४७ की कार्यवाही में १९४ पृष्ठ पर है।

"मुझे दुख है कि मैं मुहम्मद इसहाक साहब के संशोधन को कबूल नहीं कर सकता। जो बातें उन्होंने कहीं, मैं उनसे किसी हद तक इत्तिफाक करता हूं, लेकिन आज सरकार के सामने एक प्रैक्टीकल डिफीकल्टी (वास्तविक कठिनाई) है। अगर हम कोई संशोधन इस दर्जे पर मंजूर कर लें तो नतीजा यह होगा कि यह बिल फिर लेजिस्लेटिव कौंसिल में जाय और वहां की बैठक स्थगित कर दी गई है तो जिस मंशा से यह बिल आपके सामने पेश हो रहा है, वह पूरा नहीं हो सकेगा। लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक जल्दी होने वाली नहीं है, इसलिये मैं अपने दोस्त इसहाक साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस स्टेज (मौके) पर संशोधन को यहां पर पेश न करें और जिस रूप में यह पास होकर कौंसिल से आया है, उसी सूरत में पास हो जाने दें।"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वह संशोधन किसी हद तक इस बात की पूर्ति करता था, लेकिन उसको केवल आपने इसलिये स्वीकार नहीं किया कि कौंसिल में उसको दोबारा भेजना पड़ता। तो आज तो सामने कोई रुकावट नहीं है। यह न देखते हुये कि विधान में क्या लिखा हुआ है यह न देखते हुये कि हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है, यह न देखते हुये कि जुगुल किशोर कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है और यह न देखते हुये कि हमारे विचार क्या थे मैं नहीं समझता कि यह विधेयक कोई परिष्कृत रूप में, कोई शुद्ध वास्तविक रूप में और आवश्यकता की पूर्ति करने के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक की महत्ता को देखते हुये हमने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात को यहां पर नहीं उठाया। हमने स्वयं इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुये यह बात नहीं कही। तो जहां तक इसके सिद्धान्त की बात है वह स्पष्ट है। जो बातें और दूसरे माननीय सदस्यों ने कही है मैं उनको दोहरा कर इस सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। विधेयक के अन्दर जो कमी है उनको आपके सम्मुख उपस्थित कर दिया है उन पर ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संशोधनों को माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे ऐसी मुझे आशा है। माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट बतलायेंगे कि स्टोर की आवश्यकता किस लिये है? सरकार के पास कितने गोदाम हैं? कितनी खत्तियां हैं? और उनको कितनी और आवश्यकता है? और वह कितना और स्टाक खरीदना चाहते हैं? जब वह उत्तर देंगे तो इन बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि एक ऐसे विधेयक से जिससे करीब-करीब जितने सदस्य अभी तक बोले हैं सभी सहमत हैं उसके विषय में इतनी टीका टिप्पणी और आलोचना की जावे। मैं समझ नहीं पाता हूं, मेरी धारणा ऐसी थी कि यह विधेयक तो इस सदन में थोड़े ही समय में पास हो जायगा, क्योंकि यह विधेयक, उस अधिनियम की पूरी-पूरी रूपरेखा है जो इस प्रदेश में ६, ७ वर्ष तक लागू रहा और जिसके विषय में कोई अधिक टीका टिप्पणी इस सदन में सुनने को नहीं मिली। तो ऐसा विधेयक सदन में ऐसे समय में उपस्थित किया जावे जब उसकी आवश्यकता हो और फिर भी उस पर टीका टिप्पणी की जाय तो मैं इसको अनावश्यक समझता हूं और सदन का समय बेकार होता हुआ समझता हूं।

इस समय दो चार बातें इस सम्बन्ध में कही गयी हैं उनके विषय में निवेदन कर देना चाहता हूं। यह विधेयक जो सदन के विचारार्थ इस समय पेश किया गया वह किन हालत में पेश किया जा रहा है उसकी चर्चा तो जब आर्य जी ने इस विधेयक को सदन के विचारार्थ पेश किया था सदन को बता दी थी। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। यह विधेयक एक जरूरत की हालत में सदन के विचारार्थ पेश किया जा रहा है और वह हालत उस परिस्थिति से पैदा हुई है जिसमें केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्न के विषय में प्राइस सपोर्ट की पालिसी को अपनाया। प्राइस सपोर्ट की नीति के पीछे क्या भावना अपनाई हुई थी यह इस भावना से था कि किसानों की खाद्यान्न की कीमत उत्तरोत्तर गिरती जा रही है, वह इस प्रकार से सन्तुलित की जाय, जिससे किसानों को अधिक नुकसान न उठाना पड़े। वह २ प्रकार से ही किया जा सकता था। एक तो नियंत्रण की नीति को पूरे तौर से हम फिर से चालू करें और दूसरे प्राइस सपोर्ट की नीति को अपनाकर बाजार में भाव ऊंचा रखें, ताकि किसानों को उतना नुकसानदेह न हो जितना उत्तरोत्तर होता जा रहा था। ऐसे समय में हमारे लिये यह आवश्यक था कि जिन खाद्यान्नों को हम खरीदें उन्हें कहां रखें। कभी-कभी गल्ला खरीदने के स्थान पर सरकारी कोई गोदाम नहीं होता और दूर गोदाम में भेजने से गल्ले की कीमत ट्रांसपोर्ट के कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ती हैं। तो गोदाम को लेने का सरकार को अधिकार देने के लिये यह विधेयक लाया गया है। आंकड़ों के बारे में माननीय नारायणदत्त जी ने कहा है। कदाचित कई बार इस सदन में वह सरकार से आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जब कभी ऐसेंशल सप्लाइज़ ऐक्ट हमारे सदन में आया या रेंट कंट्रोल या रिक्वीज़ीशन ऐक्ट यहां आये, उन आंकड़ों की जानकारी जिनका अभी उन्होंने स्वयं पढ़कर जिक्र किया, स्वयं उनको है। आज वह फिर मुझसे आंकड़े चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमने आर्डिनेंस निकाला, लेकिन उसके तहत में हमने कभी एक गोदाम भी रिक्वीज़ीशन नहीं किया। यह तो एक परमिसिव विधेयक है कि जहां हमें आवश्यकता पड़े वहां हम ऐसे स्थान को ले सकें जो कि पहले गोदाम के रूप में इस्तेमाल होता रहा हो। यहां किसी कोठी पर कब्जा करने की नीयत नहीं है। धारा ३ में दिया है कि केवल वही स्थान गोदाम के लिये लिये जावेंगे, जो गोदाम में इस्तेमाल होते रहे हैं और यदि कोई और स्थान लेने की चेष्टा की जायगी तो प्रदेशीय सरकार से उसकी आज्ञा ली जायगी।

उपाध्याय जी को बड़ी परेशानी थी कि कहीं उनकी कोठी न ले ली जाय। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार उनकी कोठी नहीं लेगी और कलेक्टर को तो ऐसी हिम्मत भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे प्रदेशीय सरकार से आज्ञा मांगनी होगी। उनकी कोठी तो पहले से ही सरकारी कामों में इस्तेमाल होती ही है और इस सदन के माननीय सदस्य उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कलेक्टर और सरकार कोई भी उसे लेने की ग़ाती नहीं कर सकती है। इमेजीनरी बातें करके अनावश्यक बातों को छोड़ देना सदन के समय का ठीक प्रयोग नहीं है। साथ में बहुत सी किताबों का हवाला सदन के सामने उपस्थित करना, यह भी मैं सदस्यों को बता दूं कि वही चीज़ सदन के सामने विचारार्थ रखनी चाहिये, जिसके द्वारा कोई लाभ हो या जिसकी आवश्यकता हो कितने हमारे पास सन् १९५३ में गोदाम थे और कितने नहीं थे और कितने १९५४ के शुरू में थे, यह आज बताने की ज़रूरत नहीं है और न सदन के सामने उनको रखने की आवश्यता है। आज तो आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें जालौन की एक मंडी में कोई गल्ला खरीदना है तो उस गल्ले को खरीद कर रखने के लिये हमें उसी स्थान प किसी गोदाम की आवश्यकता होगी, जिसका हमें अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिये। रकार के गोदाम किस मात्रा में हैं इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है। अगर सरकार गल्ले को जालौन में खरीदती है तो उसको वहीं पर गोदाम लेना होगा। क्योंकि यह सदन जानता है कि आज कल ट्रांसपोर्ट की कितनी परेशानी है, आज वैगन्स न मिलने के कारण से कितनी परेशानी होती है। सरकार को देखना यह है कि अनावश्यक ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था में ऐसी हालत पैदा नहीं करनी चाहिये, जिससे जो आज हम उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं, तरह-तरह की चीजें बनती जा रही हैं, उनको इधर-उधर ले जाने में कोई दिक्कत पैदा न हो। अगर आज सरकार के गोदाम उस संख्या में भी हों तो इससे भी मतलब सिद्ध नहीं होता। जो गल्ला आज हम खरीद रहे हैं वह उसी स्थान पर हम बेचेंगे और उस समय बेचा जायगा जब कि गल्ले की कीमतें बढ़ जायेंगी और उचित मात्रा में हम उस गल्ले की कीमत को पा सकेंगे। इसलिये सरकारी गोदामों के आंकड़ें प्राप्त करने से, इस बहस पर जो हम इस विधेयक के सिलसिले में कर रहे हैं कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन तब भी हमारे माननीय नारायण दत्त जी का आग्रह है कि हम इन आंकड़ों को रखें। यद्यपि आर्डिनेंस को पास हुए दो ढाई-महीने हो गये, लेकिन सरकार ने कोई गोदाम इसके तहत लिया नहीं।

इसके अतिरिक्त प्राइस सपोर्ट की पालिसी के तहत में कितना गल्ला खरीदा जायगा इसकी जानकारी भी सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि हम उस वक्त गल्ला खरीदना बन्द कर देंगे जब १० रुपया मन से अधिक कीमत किसानों को अपने-अपने स्थान पर मिलने लगेगी। अगर हमारी नीति का साइकोलोजीकल इफेक्ट हो जाता है और गल्ले की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम गल्ला खरीदना बन्द कर

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

देंगे। इसलिये इस बात की मांग करना कि हम कितना गल्ला खरीदेंगे, सदन का समय व्यर्थ करने की बात है। आज हमारी जो प्राइस सपोर्ट की पालिसी है, उसके अनुसार जिस स्थान पर हम इस विधेयक का उपयोग करेंगे और कितने गोदामों को हस्तगत करेंगे, मैं इस बेकार बहस के उत्तर में जाने की धृष्टता सदन के सामने नहीं कर सकता। प्राइस सपोर्ट के तहत में जो गल्ला खरीदा गया उसके आंकड़े इस प्रकार हैं—गेहूं ५२,७०४ टन, ज्वार १४,९९६ टन, चना ८३ टन। केन्द्रीय सरकार ने, जैसा कि सदन को विदित होगा चावलों के सिलसिले में भी प्राइस सपोर्ट की नीति को अपनाया है। खरीद में कीमत की क्य हालत होगी, जब वह हमारे सामने आयेगा तब ही चावल को खरीदने के सम्बन्ध में निर्णय दे सकेंगे। तो यह जो हमारा विधेयक सदन के सम्मुख है वह करीब-करीब सारे गल्लों से सम्बन्ध रखता है, केवल ज्वार या गेहूं से ही इसका सम्बन्ध नहीं है, इसमें मेज या पीज आदि सब आ सकते हैं, यह तो एक नीति है, जिसके तहत में हम किसानों के गल्ले की कीमतों को नियंत्रित करना चाहते हैं। हमने गुड़ भी पिछले साल खरीदा था, लेकिन हमने उसे फूड एण्ड सिविल सप्लाईज़ के तहत में नहीं खरीदा था, वह कोआपरेटिव सोसाइटी की तहत में खरीदा गया था और हमने उसकी बिक्री भी की थी। इस सम्बन्ध में जो गोदाम हमारे पास थे उन्हीं का प्रयोग किया गया था और उसके सम्बन्ध में भी अगर हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे। लेकिन साथ ही मैं सदन को यह विश्वास दिला देना आवश्यक समझता हूं कि अनावश्यक ढंग से न तो इस अधिनियम को लागू किया जायगा और न खामख्वाह किसी के मकान या जमींन पर कब्जा सरकार करेगी। पिछले ७ साल में या इससे पहले जो अधिनियम था उसके तहत में कोई नहीं कह सकता कि इस तरह की कोई बेउनमानी की गई हो या लोगों को खामख्वाह परेशान किया गया हो।

यहां जिलाधीश के सम्बन्ध में और इनको अधिक अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश जब कभी इस तरह की कोई कार्यवाही करता है तो वह आंख मींच कर नहीं करता, बल्कि वह देखता है कि जनता के हित में कौन सी चीज ठीक है या नहीं है, इन तमाम बातों को देखकर वह फैसला करता है। आज के युग में वह ऐसा काम करने लगे तो क्या यह सम्भव हो सकता है और कोई समझ सकता है कि वह ऐसी चीज करता रहे, मैं समझता हूं कि ऐसा कहना केवल हवा में बात करना है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा खयाल करना कोई उचित बात नहीं है और न वह ऐसी बात है जो कभी पिछले ७—८ साल में हमारे सामने आई हो। मैं यह भी यहां कह देना चाहता हूं कि इस अधिनियम का इस्तेमाल उसी हालत में होगा जब हमें खरीदारी की आवश्यकता पड़ेगी और वह बढ़ेगी और वह भी ऐसे स्थानों के लिए जहां पर पहले से गल्ला रखने की जगह नहीं है। मैं उस तमाम लम्बी बहस में तो न जाऊंगा जो यहां की गई। जहां तक इस आलोचना का सम्बन्ध है के सन् ५४ में सरकार ने वेयरहाउसेज बनाने की बात कही थी या जुगल किशोर कमेटी के सुझावों पर इस सम्बन्ध में क्यों अमल नहीं किया गया। मैं इस समय उसके ब्योरे में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना में जो कुछ हम कर रहे थे उसमें कोई वेयरहाउसेज का प्राविजन नहीं था, लेकिन अब हम केन्द्रीय सरकार के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वेयरहाउसेज का निर्माण करने की बात सोच रहे हैं और आशा है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के तत्वावधान में निर्मित हो जायंगे। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में हमने क्या किया और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में हम क्या करने जा रहे हैं यह मैं इस समय नहीं कहूंगा और इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के विषय में सदन में विवाद होने वाला है इसलिये उस पर मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सुझाव और आलोचनायें इसके सम्बन्ध में उपस्थित की

गईं, लेकिन जैसा कि मैंने प्रारम्भ में भी कहा था और फिर दोहराया भी था मैं समझता हूं उनका उत्तर देने की अब अधिक आवश्यकता है नहीं। यह बिल एक खास मतलब से और कुछ खास परिस्थितियों में सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और आशा है कि सदन इसकी आवश्यकता की गम्भीरता को देखते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। कोई संशोधन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में करने के लिये उपस्थित किये हैं, जहां तक कोई आवश्यकीय संशोधन है सरकार उसको मानने के लिये तैयार है, लेकिन अनावश्यक संशोधनों, जिनकी बुनियाद सिर्फ एक हवाई दुखड़े पर है, मैं उनके लिये सदन से निवेदन करूंगा कि उनको यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। इन विचारों को सदन के सामने उपस्थित करता हुआ मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इन बातों पर विचार करते हुए अपनी स्वीकृति इस विधेयक के लिये प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषाएं २---विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में--

(क) "न्यायालय" से तात्पर्य है अधिक्षेत्र (jurisdiction) रखने वाले मुंसिफ या सिविल जज का न्यायालय,

(ख) "स्वामी" के अन्तर्गत भोग बन्ध की (mortgagee in possession) भी हैं,

(ग) "भांडारिक आवास" (storage accommodation) से तात्पर्य है भांडार के निमित्त प्रयुक्त अथवा उपयुक्त कोई भवन और इसके अन्तर्गत खत्ती भी है,

(घ) "कलेक्टर" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यों को सम्पादित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी (authority) भी है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ का शब्द "कोई" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह शाब्दिक संशोधन है। इस शब्द के हटा देने से भी उसका अर्थ आ जाता है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेरा शाब्दिक संशोधन यह है कि "कोई" के स्थान पर "किसी" रख दिया जाय।

श्री बलदेव सिंह आर्य---श्री रतनलाल जी जैन का जो संशोधन है वह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ का शब्द "कोई" निकाल दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

अधिग्रहण का अधिकार।

३—(१) यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भांडार में रखने (storing) के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण (requisition) आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय।

फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।

(२) कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के शब्द "खाद्यान्नों" के पश्चात् शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन् अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो उसका रूप इस प्रकार होगा:—

"यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों एवं खाद्य सामग्रियों को भांडार में रखने के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है।"

श्रीमन्, अभी जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह अन्य अन्न भी खरीदेंगे और उसके लिये भी स्टोर की व्यवस्था करेंगे। तो फिर इस पर बहुत ज्यादा तर्क उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है और मुझे उम्मीद है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य— जी हां, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के शब्द "खाद्यान्नों" के पश्चात् शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ के शब्द "होता हो" के बाद शब्द "अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो" बढ़ा दिये जायं। फिर मेरा जो यह प्रतिबन्धात्मक वाक्य है वह इस प्रकार हो जायगा "फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।"

मेरी मंशा इसके रखने से सिर्फ यह है कि यदि कोई भांडार रिक्वीजीशन करना आवश्यक हो लेकिन सार्वजनिक कार्य के लिये उपयोग में आता हो तो ऐसे भांडार को अधिगृहीत नहीं किया जायगा। इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह संशोधन स्वीकार नहीं है। सरकार जो भी कार्य करेगी सोच समझ कर करेगी और सही कार्य होगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मंत्री जी ने इस निर्दोष संशोधन को भी अस्वीकृत कर दिया। इसमें प्रतिबन्ध इस प्रकार है "प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।" अंग्रेजी में जो इसका अर्थ लगाया गया है क्योंकि लीगल लैंगुवेज अंग्रेजी मानी गई है उसको देखते हुए अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। कोई रहने का स्थान है या दूकान है और खत्ती के लिये प्रयुक्त न होती हो यह अर्थ निकलता है "साधारणतया भांडार के लिये प्रयुक्त न होता हो" से। "सार्वजनिक कार्य" का अर्थ "पब्लिक पर्पज" से है। पब्लिक पर्पज वह नहीं है जो सरकार माने। बल्कि जैसे धर्मशाला है या ऐसी सम्पत्ति हो जो मन्दिर या धार्मिक स्थान से सम्बन्ध रखती हो और कोई अन्य ऐसा स्थान हो जो सार्वजनिक कार्य के लिये प्रयुक्त होता हो, वह खाली पड़ा हो तो कलेक्टर महोदय या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को यह मालूम पड़े कि हमें उसे लेना है और वह पब्लिक इंस्टीटच्यूशन उसका विरोध करे तो इस मानी में यह आवश्यक है कि यह मामला सरकार के सामने आना चाहिये। तो केवल एक स्पष्टीकरण के लिये यह संशोधन रक्खा गया है और इसीलिये और अधिक निर्दोष यह संशोधन रक्खा गया है। इस भूमिका में माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुःख है कि माननीय आर्य जी के कहने पर भी.......

श्री अध्यक्ष—अभी रामेश्वर लाल जी को उत्तर देना है। बाद में आप जवाब देंगे।

श्री रामेश्वर लाल—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन सरकार को कुछ बल दे रहा था। इसमें साफ है "अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।" मैं यह चाहता था अपने संशोधन द्वारा कि कोई ऐसा गृह है जो सार्वजनिक कार्य में उपयोग होता हो उस गृह को वहां के स्थानीय प्राधिकारी या कलेक्टर अपने अधिकार में भांडार के लिये लेना चाहते हों तो उस घर के लिये जब तक सरकार की स्वीकृति न प्राप्त कर लें तब तक उसे वे अधिगृहीत न कर सकें। इस संशोधन से यही मेरी मंशा थी। मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी इस पर क्या विचार रक्खेंगे लेकिन जैसा आर्य जी ने अपने विचार व्यक्त किये उन्हें सुनकर मुझे क्लेश हुआ। श्रीमन्, इस अपने संशोधन के पक्ष में जब आम बहस इस विधेयक पर चल रही थी तो बहुत से सम्मानित सदस्यों ने सदन में अपने अपने विचार प्रकट करते समय यह व्यक्त किया था कि कलेक्टर के हाथ में अधिक से अधिक अधिकारों का सौंपना लोकतन्त्र की हत्या करना है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के अन्त में जवाब देते वक्त यह तर्क उपस्थित किया था कि इस तरह की माननीय सदस्यों ने कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की कि इस विधेयक के प्रचलित होने पर कोई शिकायत प्रस्तुत करने का मौका हुआ हो। जानबूझकर श्रीमन्, ऐसा नहीं किया गया था। क्योंकि इसकी मंशा के साथ सहमत होते हुए यह आवश्यक नहीं था कि माननीय मंत्री जी को यह कहा जाय कि किसी जिले में या किसी स्थान में क्या, और किस तरह की धांधली हुई। लेकिन यह कहा जा सकता है और इसके दो एक प्रमाण हैं कि जिलाधीश या अधिकारी ऐसा करने से कभी कभी पक्षपात कर जाते हैं। श्रीमन्, ऐसा देखा गया है कि एक ही शहर में दो मकान हैं। कलेक्टर दोनों को समझता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

है कि यह दोनों भांडार के लिये उपयुक्त हैं लेकिन दोनों में दो पार्टियां अवश्य होंगी। एक पार्टी यदि वहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में या स्थानीय रहने वाले लोगों में ज्यादा प्रभावशाली है तो वह सिफारिश या अपने आप पहुंचकर वह कलेक्टर के कान में इस बात को रख देती है कि यह घर काम के लायक नहीं है, यह भांडार के लायक नहीं है और जो दूसरी पार्टी कमजोर होती है उसका घर ले लिया जाता है। श्रीमन्, इसलिए मैं यह चाहता था कि यदि सार्वजनिक हित का कोई जैसे पुस्तकालय है या ऐसा घर हो, जिसमें मनोरंजन वगैरह के काम होते हों या मंदिर या मस्जिद हो, सिनेमा हो, इस तरह के भी कोई घर हों जो सार्वजनिक काम के लिये इस्तेमाल होते हों या कोई डिस्पेंसरी हो, जिससे लोगों का भला होता हो और वह इस काम के लिये लेना चाहते हों, तो उसमें सरकार की पूर्व स्वीकृति ले लेना आवश्यक है। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके औचित्य को देखते हुए इसको कबूल करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि जो संशोधन माननीय सदस्य की ओर से उपस्थित किया गया है मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस संशोधन को वह रख रहे हैं वह एक हालत में बिलकुल बेमानी हो जाता है। अगर वह यह कहते हैं कि किसी हालत में किसी भी सार्वजनिक इमारत को जो कि सार्वजनिक कामों में इस्तेमाल होती है, कलेक्टर को लेना ही नहीं चाहिए तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक की तहत में ऐसी बात नहीं की जा सकती है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यदि कोई लाइब्रेरी या धर्मशाला हो और उसके अधिकृत करने से वहां गल्ला रखा जा सकेगा और लोगों की जानें बचायी जा सकेंगी तो सरकार सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए यह आदेश देगी कि यह सार्वजनिक कार्यों में लगी हुई संस्थाओं को अधिकृत किया जाय और इसलिए इस प्रकार का संशोधन इस सम्बन्ध में उपस्थित करके कोई बात सिद्ध नहीं होती है। जब सरकार के पास सारा मसला आयेगा तो सरकार सारी परिस्थिति पर विचार करके निर्णय देगी। उसमें सार्वजनिक संस्थाओं का भी सवाल हो सकता है, और प्रकार की इमारतों का भी सवाल हो सकता है, सब पर विचार करके सरकार निर्णय देगी। तो इसमें इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा देने से कोई मानी नहीं है। यह बात बिलकुल निरर्थक है। आवश्यकता पड़ने पर हर इमारत ली जा सकती है, जिसके सम्बन्ध में सरकार हर पहलू से विचार करेगी और तब निर्णय करेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है। सरकार को इस बात का अधिकार रहना चाहिए कि वह सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए, जो इमारतें सम्बन्ध रखती हों सार्वजनिक संस्थाओं से या किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध रखती हों सब पर विचार करके न्यायपूर्वक और आवश्यकता के अनुसार वह निर्णय करेगी। इन कारणों से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१३ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८ पर)

नत्थी

सिविल व सेशन्स जज, फतेहपुर की अदालदत में ८ अगस्त, १९५५ तक अनिर्णीत पड़े मुकदमों व अपीलों का व्यौरा—

सिविल मुकदमें और अपीलें

१—नियमित व्यवहार वाद (Regular Civil Suits) ..	२९
२—लघु वाद न्यायालय सम्बन्धी वाद (Small Cause Court Suits)	३६
३—सिविल अपीलें	४१६
४—माल (Revenue) अपीलें	१६
५—सिविल विविध (Miscellaneous) अपीलें ..	१७

क्रिमिनल मुकदमे और अपीलें

१—सेशन मुकदमे (Trials)	६७
२—क्रिमिनल अपीलें	८०
३—क्रिमिनल पुनरीक्षण (Criminal Revisions) ..	१८

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

राज्य के प्रथम श्रेणी के म्युनिसिपल बोर्डों की सूची तथा उनकी वार्षिक आय (१९५४-५५)

म्युनिसिपल बोर्डों के नाम	प्रारम्भिक अवशेष के अतिरिक्त वास्तविक आय, १९५४-५५ में
	रु०
१--देहरादून	२१,८५,३७७
२--मसूरी	२९,१५,८९१
३--सहारनपुर	२०,१६,७२४
४--हरद्वार यूनियन	१७,०८,०७८
५--मेरठ	२४,६४,४१५
६--अलीगढ़	१५,०२,८४०
७--मथुरा	१३,७७,४४२
८--आगरा	५६,४५,५६१
९--बरेली	३४,७७,२६०
१०--मुरादाबाद	१४,३४,०७७
११--शाहजहांपुर	१०,२८,३९७
१२--इलाहाबाद	६०,३७,८३५
१३--कानपुर	९५,०४,६७६
१४--झांसी	११,२५,७३८
१५--बनारस	७५,७६,७४६
१६--गोरखपुर	२२,०१,१८४
१७--नैनीताल	१२,००,११६
१८--लखनऊ	१,२६,२४,८५९
१९--फैजाबाद	१२,४१,९६७
२०--रामपुर	१०,०३,३१७

पी० एस० यू० पी०-ए० पी०--७७ एल० ए०--१९५५-७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह , श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेंद्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण , श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरबयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य के विभिन्न स्थानों में आग से क्षति

**१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में आग लगने से प्रदेश भर में कितनी क्षति हुई है और कितनी दुर्घटनाए घटी हैं? इसकी कोई सूची राज्य के कार्यालय में है? यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है?

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—प्रदेश भर में सन् १९५४ ई० में आग लगने के कारण जो क्षति हुई तथा दुर्घटनाएं घटीं वह इस प्रकार हैं:—

दुर्घटनाएं	२,६८९
सरकारी संपत्ति को हानि	२५,५७० रु०
गैर सरकारी संपत्ति को हानि	१,०५,८३,९०६ रु०

व्योरेवार सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

१९५२ व ५३ की सूची कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है।

**२—श्री गेंदा सिंह—क्या कोई योजना आग लगने से बचाने के लिए अथवा आग लगने पर रक्षा करने की शिक्षा देने के लिए सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**३—श्री गेंदा सिंह—क्या कोई संस्था इस प्रकार की खुलने जा रही है जो केंद्रीय और प्रांतीय सरकार दोनो के सम्मिलित व्यय से चलेगी। यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रामपुर में आग का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय संस्था खोलने का विचार केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है। यह संस्था अभी खुली नहीं है। इसलिये सरकार अधिक विवरण देने में असमर्थ है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय माल मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आंकड़े दिये गये हैं, जो क्षति का अनुमान लगाया गया है उसके संबंध में कम बतलाने और कुछ घटनाओं को न लिखने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है और जहां तक हो सकता है वहां तक सही सही रिपोर्ट आती है। लेकिन हां, ऐसा होता है कि शहरों की और कुछ दूसरी जगहों की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती है। यह देहातों की रिपोर्ट होती है जो पटवारी के जरिये से आती हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मामले में रिपोर्ट न होती हो। लेकिन जो रिपोर्ट आती है उनमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि जानबूझ कर कुछ दूसरे आंकड़े दिये जायं।

श्री गेंदा सिंह—जो २,६८९ दुर्घटनाएं बतलाई गयी हैं उनमें कितनी जानें गयीं और कैसी दूसरी घटनाएं हैं, उस पर रोशनी डालने की क्या माल मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी व्योरेवार देने के लिए। जो बातें आपने पूछी हैं वह मेरे पास इसमें नहीं हैं।

श्री गेंदा सिंह—यह रामपुर में जो संस्था खोली जा रही है, क्या उस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट की केंद्रीय सरकार से कोई लिखा-पढ़ी हुई है? यदि हुई है, तो क्या?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, हुई है और उसमें राज्य सरकार से कहा गया है कि उसको भी इसके खर्च की बाबत १२,००० रुपया सालना देना होगा।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो नान-आफिशियल नुकसान हुआ है आग लग जाने से १ करोड़ के करीब, उसमें क्या खलिहान के जलने का भी नुकसान शामिल है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, होगा शामिल।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को आग लगने के कारण नुकसान होता है उनको किसी प्रकार की सहायता सरकार से मिलती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें जो मकान वगैरह जल जाते हैं तो उनको कुछ मदद दी जाती है लकड़ी वगैरह देकर, लेकिन और जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो ग्रेट्यूट्स रिलीफ दी जाती है वह सहायता के रूप में होती है, नुकसान देने के रूप में नहीं होती।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ रिपोर्ट आजतक क्यों नहीं प्राप्त हो सकी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें तो कोई खास बात नहीं मालूम होती। उसके पेपर्स उस वक्त नहीं होंगे। मेरे पास १९५२-५३ की रिपोर्ट ही है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो २,६८९ दुर्घटनाएं आग लगने की हुई हैं उनमें कितनी शहरों में हुई हैं और कितनी गांव में?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मैंने पहले ही बतलाया कि नहीं बतला सकता, क्योंकि शहरों की रिपोर्टें जनरली नहीं आती हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि इन आग लगने की दुर्घटनाओं में कितनी दुर्घटनाएं ऐसी हैं कि जिनमें किन्हीं के जरिये लगाने से आग लगी है और यह बतलायेंगे कि उनमें कितनों के खिलाफ केस चला है?

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न है। जो सूचना यहां सचिवालय में मौजूद है उसी के बारे में आप पूछिये।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार इतनी बड़ी रकम की प्रति वर्ष क्षति के देखते हुये कोई ऐसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी जिससे इस तरह की ज्यादा दुर्घटनाएं आग से लगने की न हों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जो सेंटर की तरफ से स्कूल खुल रहा है उसमें इस पर विचार किया जायगा कि किस तरह से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जाय।

श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि जिन खलिहानों में आग लग जाती है उसमें ग्रेटुइट्स रिलीफ या मालगुजारी की माफी या तकावी, किस रूप में उनको सहायता दी जाती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अभी अर्ज किया कि ऐक्सीडेंट की कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती लेकिन लोगों की और जो सहायता हो सकती है, बैल वगैरह की तकावी, बीज की तकावी, वह दी जाती है और उनको ज्यादा ख्याल किया जाता है जिनके ऊपर इस तरह की कोई कैलेमिटी हो जाती है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अग्नि दुर्घटनाओं के फलस्वरूप खड़ी फसल को हुई क्षति के संबंध में लगान की माफी सरकार की तरफ से की जाती है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लगान माफी के नियम बने हुए हैं। उनमें अगर कोई आ जाता है तो माफी मिलेगी और अगर नहीं आता है तो नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शहरी दुर्घटनाओं की सूचना जो नहीं होती है उसका क्या कारण है और अगर होती हैं तो किस विभाग में होती है माल विभाग को छोड़कर ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कारण यह है, जैसा मैंने अर्ज किया कि जहां ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं वहां लोग भूख से न मरे इसका ख्याल किया जाता है। यह ग्रैटुइटस रिलीफ दी जाती है, खाने पीने का प्रबन्ध किया जाता है। तो शहर में तो लोग मालदार होते हैं अगर कहीं ऐसा हो भी जाता है तो वहां के लोग मदद कर देते होंगे, वहां भूख से मरने की आशंका कम है। लेकिन देहात में मदद मिलना कम होता है। आपके पुलिस डिपार्टमेंट यानी होम डिपार्टमेंट में आती होगी।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[८ सितम्बर, १९५५ को प्रश्न २१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बुन्देलखंड की मन्डियों में लाल गेहूं की खरीद की मांग

*२—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि गेहूं की गिरती हुई कीमतों को रोकने के लिए बुन्देलखंड की किन-किन मंडियों में गेहूं खरीदने की व्यवस्था सरकार ने की है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—मंडियों के नामों की सूची संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१८ पर)

*३—श्री तेज प्रताप सिंह—क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस खरीद से बुन्देलखंड के गेहूं को किन्हीं कारणों वश कम अच्छा समझ कर न खरीदने का निश्चय किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके समस्त कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी और बुन्देलखंड में अनाज की गिरती हुई कीमतों से उत्पन्न भयंकर स्थिति को सम्भालने की अपनी नीति को स्पष्ट करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं। ऐसी बात नहीं है। परन्तु राज्य सरकार ने केवल सफेद गेहूं खरीदने की ही व्यवस्था की है, क्योंकि उसे केन्द्रीय सरकार का ऐसा ही आदेश था और यह व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ही हुई है।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि बुन्देलखंड में करीब ९० फसदी लाल गेहूं पैदा होता है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--हां, यह सत्य है।

श्री तेज प्रताप सिंह--तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा था कि बुन्देलखंड में लाल गेहूं पैदा होता है इसलिए इसकी कीमत को स्थिर करने के लिए यह इजाजत दी जाय कि वहां लाल गेहूं खरीदा जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, प्रदेशीय सरकार ने कई मर्तबा केन्द्रीय सरकार से इस बात का आग्रह किया कि लाल गेहूं के खरीदने में उसी प्रकार की योजना केन्द्रीय सरकार मंजूर करे जिस तरह की सफेद गेहूं के खरीदने में है।

श्री तेज प्रताप सिंह--इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या उत्तर दिया ? इजाजत दी या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--केन्द्रीय सरकार ने उसे नामन्जूर किया।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने सफेद गेहूं में कुछ परसेंटेज लाल गेहूं का यदि हो तब भी खरीदने की इजाजत दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं, ऐसी बात नहीं थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड में कितनी मंडियों में गेहूं खरीदने की व्यवस्था की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मंडियों की सूचना तो अभी आपको दे दी गई जो अभी उत्तर दिया गया उसमें।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि राठ जिला हमीरपुर में एक बड़ी मंडी है जिस क्षेत्र में कि बहुत ज्यादा गेहूं पैदा होता है और वहां पर कोई खरीद नहीं की गई ? ऐसा क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब मुझे इस बात की इस वक्त सूचना नहीं है। मैं पूछ कर बतला सकता हूं क्योंकि बहुत सी प्रदेश की मंडियां हैं जहां नहीं हुई है। जो मंडियां निर्धारित की गई हैं वह केन्द्रीय सरकार की सलाह से ही निर्धारित की गयी हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लाल गेहूं की खरीद की व्यवस्था न होने के कारण लाल गेहूं बहुत सस्ते दाम पर बिका ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, इस प्रकार की सूचना सरकार को है।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या सरकार बतलायेगी कि जो मंडियां खोली गयीं यह राज्य सरकार की सिफारिश पर खोली गयीं अथवा केन्द्रीय सरकार से सीधे यह आज्ञा आयी थी कि फलां-फलां जगह खरीद की जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं। प्रदेशीय सरकार ने भी इसमें सलाह दी थी और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने फिर उनके ऊपर विचार करके स्वीकृति प्रदान की।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या सरकार भविष्य में इस बात का ख्याल रखेगी कि राठ में भी खरीद होने के वक्त इस केन्द्र को स्थापित किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं जरूर इस बात को देखने का प्रयत्न करूंगा कि क्यों राठ में खरीददारी नहीं हुई और वहां राठ में खरीददारी बराबर होनी चाहिए।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि यह मंडियां कब खोली गयीं और कब खरीद शुरू की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--तारीखें तो इस वक्त मुझे सब की याद नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मई के बाद सब मंडियां खुली हैं। कुछ मई में भी खुली हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह मंडियां या ये केन्द्र जो खुले, इनके बहुत देर में खोले जाने के कारण किसान अधिकतर अपना गल्ला बेच चुका था व्यापारियों के हाथ और इस कारण उसको बहुत हानि हुई? क्या भविष्य में इसको ध्यान मे रखते हुए यदि ऐसी परिस्थिति हुई....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या सरकार भविष्य में इन केन्द्रों को शीघ्र खोलने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, सरकार की तो हमेशा यह चेष्टा रहती है कि किसान को कम से कम किसी चीज में नुकसान हो और उसके नुकसान को बचाने की वह चेष्टा करती है। यदि किसी स्थान पर कुछ देर में केन्द्र खुला तो उसके कुछ कारण रहे होंगे वरना सरकार की चेष्टा यह थी कि शीघ्र ही मंडियों में खरीददारी का कार्य प्रारम्भ किया जावे।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड की जिन मंडियो में यह खरीददारी सरकार द्वारा शुरू हुई उनमें भावों पर कोई असर पड़ा? यदि हां, तो कितना?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां-जहां खरीददारी सरकार ने प्रारम्भ की, उसके थोड़े ही समय के बाद भावों में अन्तर पड़ा और गल्ले की कीमतें बढ़ने लगीं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यदि भविष्य में कहीं खरीददारी की व्यवस्था हुई तो लाल गेहूं को खरीदने की भी वह व्यवस्था करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमारी तो बराबर यह चेष्टा है और हम केन्द्रीय सरकार से बराबर इसका आग्रह करते रहते हैं और जब फिर दुबारा खरीददारी की जायगी तो फिर सरकार केन्द्रीय सरकार से आग्रह करेगी कि लाल गेहूं को भी वह अपनी उस योजना में सम्मिलित करे।

राज्य में खनिज पदार्थों की खोज

*४--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कोयला, लाइमस्टोन, हीरा, तांबा, लोहा, सोना और तेल की कुछ खानें हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--सिंगरौली-कोटा क्षेत्र, जिला मिर्जापुर में कोयला और गढ़वाल जिले में तांबा की खानें पाई जाने की संभावना है। लाइमस्टोन जिला मिर्जापुर और देहरादून में पाया जाता है। हीरा, लोहा, सोना और तेल की खानों के पाये जाने के विषय में सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट या सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*५--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या इन खानों का सर्वे प्रादेशिक सरकार सन् १९५५ के अन्त तक समाप्त कर लेगी?

श्री बनारसी दास---ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट जिला मिर्जापुर व देहरादून के लाइमस्टोन पर मौजूद है। इस विषय में और सर्वे की आवश्यकता नहीं है। कोयले तथा तांबा के सर्वे का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि यह सर्वे १९५५ के अन्त तक समाप्त हो जायगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहा, सोना और तांबे के विषय में जो सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उसको प्राप्त करने के विषय में कोई साधन उपयोग में लावेंगे? यदि हां, तो क्या?

श्री बनारसी दास---अभी प्रदेशीय सरकार ने एक डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकल सर्वे यहां पर कायम किया है। जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होता है वह उसको सप्लीमेंट करेगा और उसमें आशा की जाती है कि उससे सहायता मिलेगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक सरकार ने इस सर्वे के सिलसिले में कोई अलग विभाग स्थापित किया है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही प्रारंभ हो गयी?

श्री बनारसी दास---वह तो उत्तर में दिया जा चुका है। मैंने अभी निवेदन किया कि जो डायरेक्टोरेट इसका अलग मुकर्रर किया गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होता है उसको पूरा करेगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मिर्जापुर के अगौरी परगने में लोहा पाया जाता है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि लोहा पाया जाता है तो जो डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकल सर्वे हमने बनाया है उसके तहत में इन बातों की खोज होगी और फिर सरकार के पास वह सूचना देगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने कहा है कि गढ़वाल में तांबे वगैरह की खाने कहां मिली हैं तो वह कहाँ पर स्थित है और आगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इन सब कार्यों के लिये और अनुसंधानों के लिए डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकल सर्वे ने अपना कार्य प्रारम्भ किया है। अभी दो महीने पूर्व कार्य प्रारम्भ हुआ है, अभी उसकी रिपोर्ट आयी नहीं। वह ६-६ महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा, तब हम इस सदन को बता सकेंगे कि किस चीज की उन्होंने खोज की और कौन सी चीज किस के बाद प्राप्त हुई। अनुसंधान का कार्य इतना आसान नहीं है कि महीने दो महीने में उसकी रिपोर्ट हमको मिल जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह हाल ही में स्थापित डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकल सर्वे कब स्थापित हुआ और उसके डायरेक्टर महोदय कौन हैं और उसने अब तक क्या कार्य किया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह मैंने बताया कि दो महीने पहले स्थापित हुआ है। इसके आनरेरी डायरेक्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योलाजी के प्रोफेसर राव हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि लाढांग में, गढ़वाल जिले और बिजनौर जिले के पास, जो कोयले की खान मिलने की खबर थी जिसकी केन्द्रीय सरकार जांच कर रही थी, उसका क्या हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो मेरे पास इस विषय की कोई सूचना नहीं है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि पहाड़ी क्षेत्र में उस स्थान पर लाइमस्टोन और अबरक की खानें मिलने की संभावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी बातचीत से जानकारी प्राप्त हुई है। वहां ऐसे बहुत से मिनरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, इसीलिए इस ज्योलाजिकल सर्वे की स्थापना हुई है।

जिला प्लानिंग कमेटियों के व्यय का निरीक्षण

*६—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्लानिंग कमेटियों द्वारा जो रुपया विभिन्न कार्यों के लिये दिया जाता है उन कार्यों के निरीक्षण की कोई व्यवस्था है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*७—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—अगर है, तो कौन अधिकारी की जिम्मेदारी उक्त कार्यों के देखने की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वास्तविक उत्तरदायित्व जिला नियोजन अधिकारी तथा जिलाधीश का है।

राज्य फाइनेन्शियल कार्पोरेशन द्वारा ऋण का वितरण

*८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य फाइनेन्शियल कार्पोरेशन में अब तक कुल कितने ऋण दिये गये हैं, और उनमें से कितने नये उद्योगों के लिए और कितने पुरानों को दिये गये है तथा वह कौन-कौन से उद्योग-धन्धे हैं ?

श्री बनारसी दास—अब तक कुल सात आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये हैं जिनमें से दो को ऋण वितरित कर दिया गया है, शेष के सम्बन्ध में रजिस्ट्री आदि की कार्यवाही हो रही है। ये ऋण चालू औद्योगिक कारखानों को दिये गये हैं। उद्योगों का विवरण जिन के लिये ऋण स्वीकृत हुआ है, इस प्रकार हैं—

(१) बाइसिकिल के भाग,

(२) कृषि सम्बन्धी औजार,

(३) बल्ब होल्डर्स,

(४) मोटर के पिस्टन तथा सिलिन्डर लाइनर,

(५) ताले, हथकड़ी, बेड़ियां, डाक के तराजू आदि,

(६) ऐग्रीकल्चरल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, और

(७) कोल्ड स्टोरेज।

इनमें से बाइसिकिल के भाग, बल्ब होल्डर्स और मोटर के पिस्टन व सिलिन्डर बनाने के उद्योग नये हैं। शेष इस प्रदेश के पुराने उद्योग हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फाइनेन्शियल कार्पोरेशन जो ऋण देता है वह किस आधार पर देता है ?

श्री बनारसी दास--ऐसा है कि ग्रांट एण्ड लोन कमेटी व्यक्तियों को १० हजार तक लोन देती है, कोआपरेटिव्ज को १५ हजार तक और इसके ऊपर जो लोग लोन मांगते हैं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक कानून है जिसके अन्तर्गत इंडस्ट्रीज का नियंत्रण और विकास होता है। उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे यहां माल बनता है, या उसका संरक्षण होता है या उसके विकास के लिये. जो इसके अधीन दरख्वास्तें आती हैं उनको यह कार्पोरेशन १५ हजार से ज्यादा लोन देता है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस फिनेन्शल कार्पोरेशन के पास ऋण के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और उनमें से कितने अस्वीकार किये गये और क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऋण की दरख्वास्तें तो ५०-६० से अधिक थीं लेकिन जो कायदे इस कार्पोरेशन ने धन देने के लिये बना रखे हैं उनमें से बहुत कम दरख्वास्तें उनके तहत में आती थीं, इसलिये काफी दरख्वास्तें खारिज कर दी गयीं।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फिनैन्शल कार्पोरेशन देहाती क्षेत्रों को भी ऋण देने की व्यवस्था करता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रत्येक क्षेत्र में जहां कि कोई उद्योग-धंधा लगाया जाने वाला है उसके लिये चाहे वह देहात में हो चाहे शहर में हो, हर एक के लिये वह ऋण देने की व्यवस्था करता है।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फिनेन्शल कार्पोरेशन का कितना कैपिटल इस वक्त है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो उसका ५० लाख कैपिटल है लेकिन सरकार उसको बढ़ाने की योजना बना रही है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक कुल कितना धन कर्जे में दिया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी मात्रा तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं यह सदन को बता देना चाहता हूं कि वह धन अभी बहुत अधिक नहीं है और जितना भी ऋण इन कार्यों के लिये दिया गया है वह कुछ संतोषजनक नहीं है। सरकार ने इस विषय में फिनैन्शल कार्पोरेशन को कुछ आदेश दिये हैं कि वह अधिक मात्रा में लोगों को और खास कर जो लोग नये उद्योग-धंधे लगाना चाहते हैं उनको ऋण देने की व्यवस्था करें और यदि उसको अपने नियमों में कुछ परिवर्तन भी करना पड़े तो उस पर विचार करे।

आजमगढ़ जिले के बाजार गोसाईं स्थान पर एलोपैथिक अस्पताल खोलने के लिए आवेदन-पत्र

*९--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के बाजार गोसाईं नामक स्थान पर एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने के लिए कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--लगभग ७ आवेदन पत्र आये हैं। इस प्रार्थना पर जिला परामर्शदात्री समिति की राय तथा अन्य आवश्यक विस्तृत सूचना मांगी गई थी। जिला परामर्शदात्री समिति यहां पर अस्पताल खोलने के पक्ष में नहीं है।

नोट--तारांकित प्रश्न ९ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा।

*१०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये तारांकित प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सोडा ऐश बनाने के काम में सरकार को घाटा

*११—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने सोडा ऐश बनाने का जो काम हाथ में लिया था उसमें उसे कुल कितने का घाटा हुआ ?

श्री बनारसी दास—२९,३३४ रुपया १३ आना ३ पाई का घाटा हुआ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि एकाउन्टेन्ट जनरल ने घाटे की रकम ४३,३३९ रु० ७ आ० ९ पा० दिखायी है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक्सपर्ट्स थे सोडा एश बनाने में, जिन्होंने एस्टीमेट दिया था खर्चे का, वह ऐक्चुअल एस्टीमेट क्या था और ऐक्चुअल खर्चा क्या पड़ा बनाने का ?

श्री बनारसी दास—इसके अन्दर कुल खर्चा ४१,७८३ रु० ११ आ० ९ पा० का हुआ। शुरू में उसके अन्दर ज्यादा खर्चा करने का था लेकिन उस पर इतना ही खर्चा हुआ है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सोडा ऐश बनाने में पर क्वार्टर क्या खर्चा होने का ऐस्टीमेट किया गया था और ऐक्चुअल खर्चा क्या पड़ा था ?

श्री बनारसी दास—ऐक्चुअल खर्चा ४८ रुपये पर हन्ड्रेडवेट पड़ गया, लेकिन २०/२२ रुपये पड़ने का अनुमान था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोडा ऐश फैक्टरी खोलने से सरकार को नुकसान किन कारणों से हुआ ?

श्री बनारसीदास—कोई फैक्टरी नहीं खोली। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसका इम्पोर्ट कम कर दिया था और कोटा निर्धारित कर दिया था इसलिये निर्धारित कीमत से ज्यादा पर सोडाऐश मिलता था। इसलिये यू० पी० गवर्नमेंट ने इसके सम्बन्ध में जांच करने के लिये सोचा और इसके विकास करने तथा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये सोचा गया और तीन स्थानों पर यह बनाना शुरू हुआ और इसकी खोज भी की गई। फिर इसी दौरान में देखा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपनी पालिसी बदल दी और यह फ्रीली मिलने लगा और इसकी कीमतें बहुत नीची चली गईं। इसलिये इसका मैन्यूफेक्चर बन्द करना पड़ा, इसलिये सरकार को हानि हुई।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि सरकार को सोडा ऐश फैक्टरी के सिलसिले में छै महीने में ४३,००० रुपये के करीब नुकसान हो गया ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह ६ जून, १९४८ को शुरू किया गया था और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कुछ दिनों बाद अपनी पालिसी को लिबरल कर दिया और जो पहले कीमतें ८०/१०० रुपये पर हन्ड्रेडवेट चढ़ गई थीं वह फिर से २० रुपये पर आ गयीं, इसलिये यह लाभदायक नहीं रहा और इसका मैन्युफैक्चर बन्द करना पड़ा और इससे हानि हुई।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—जो घाटा आडीटर जनरल ने बतलाया है वह सही है या जो माननीय मंत्री जी ने बतलाया है वह सही है ?

श्री बनारसी दास—दोनों सही हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कुल खर्चा ४१ हजार के करीब बतलाया गया है और आडीटर जनरल ने ४३,००० का घाटा बतलाया है तो जितना खर्चा नहीं है उससे ज्यादा घाटा कैसे हुआ ?

श्री बनारसी दास—वास्तव में बात यह है कि रिसर्च के लिये, ट्रेनिंग के लिये और प्रोडक्शन के लिये काफी खर्चा होता है और जो मैंने घाटा बतलाया है वह केवल उत्पादन पर और आडीटर जनरल ने उसमें सब आइटम्स शरीक कर लिये हैं—जैसे फिनिश गुड्स पर नुक्सान है, मिसलेनियस ऐक्सपेंडीचर है, इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा, एलाउंसेज और लास इन रा मेटीरियल, डेप्रीशियेशन आन इम्प्लीमेंट्स, इन सब को मिलाकर ४३,३३९ रु० का घाटा आडीटर जनरल ने बताया है। इसके दो कारण थे विकास और उत्पादन और ट्रेनिंग। हमने जो नुकसान बतलाया है वह उत्पादन पर बतलाया है और उन्होंने सब को शरीक कर लिया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोडा ऐश बनाने में पर क्वार्टर जो ऐस्टीमेट दिया था वह इतना कम दिया था कि जिसकी वजह से सरकार ने प्राइसेज अपने हाथ में लीं ?

श्री बनारसी दास—नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई भी उद्योग कायम होता है तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट रखना पड़ता है और बिल्डिंग वगैरा लेनी पड़ती है और जब उत्पादन चलने लगता है तो खर्चा कम हो जाता है। इसमें सोचा गया था कि बहुत से जिलों में रेह पाई जाती है, इसलिये उन जिलों का सर्वे किया गया और उसमें काफी खर्चा हुआ और बाद में तय किया गया कि कानपुर, लखनऊ और आजमगढ़ में शुरू किया जाय। पहले नहीं चाहते थे कि कानपुर में शुरू किया जाय और आजमगढ़ में शुरू किया गया। वहां पर रेह मिलने में बहुत दिक्कत होती थी और बहुत दूर से रेह लानी पड़ती थी। उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा हुआ, यह सब ऐक्सपेंडीचर हुये जिनको शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से इतना घाटा हुआ।

*१२—१३—श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[१२ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४—श्री राम चन्द्र विकल—[हटा दिया गया।]

*१५—१६—श्री रामचन्द्र विकल—[३० सितम्बर, १९५५ के लिये तारांकित प्रश्न ८—९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कपड़ा बेचने पर लाइसेंस-फीस

*१७—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह कपड़ा बेचने की लाइसेंस-फीस को हटाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अब जब कि कपड़ा इफरात में मिलता है उसके बेचने की लाइसेंस-फीस को लगाने के नियंत्रण की क्या आवश्यकता है ?

श्री बनारसी दास—एक तो ऐसा है कि सरकार चाहती है कि आगे जो हमारी प्लानिंग हो उसके लिये सही आंकड़े मिल सकें। इसके अतिरिक्त आगे जो स्थिति होगी उसके लिये चाहते हैं कि मिल का ज्यादा उत्पादन न हो। हैन्डलूम और खादी उद्योग के जरिये से जो हमारे प्रदेश और देश में कपड़े की कमी है उसको पूरा किया जाय। नहीं कह सकते कि आगे चल कर कपड़े की स्थिति क्या होगी, इसलिये नियंत्रण को इन्फोर्स रखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सही आंकड़े, कि कितना कपड़ा मिल का हमारे यहां से निर्यात होता है, कितना आयात होता है और कितना कन्ज्यूम होता है, मिल सकें, इसलिये आवश्यकता मालूम होती है कि लाइसेंस का नियंत्रण जारी रखा जाय और अन्य किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या यह सही है कि अब दूकानदारों से रिटर्न नहीं मांगा जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार ने कदाचित पिछले वर्ष यह घोषित किया था कि जहां तक इस लाइसेंस की पद्धति का सम्बन्ध है यह लाइसेंस की पद्धति ३० सितम्बर को खत्म कर देगी परन्तु जब केन्द्रीय सरकार ने इस बात की सूचना सरकार को दी कि वह मिल के सेक्टर में कितना कपड़ा तैयार होता है, और हैंन्डलूम के सेक्टर में कितना कपड़ा तैयार होता है इसकी जानकारी रखे तो इसके लिये नियंत्रण की आवश्यकता हुई। तो अब प्रदेशीय सरकार ने यह निर्णय किया कि इस बात की जानकारी रखने के लिये कि कितना मिल का कपड़ा प्रदेश में आया, कितना व्यय हुआ इस बात के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेशीय सरकार इन तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करती रहे। जब इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने की जिम्मेदारी रही जो प्रदशीय सरकार ने यह सोचा कि इसमें हमको कुछ खर्च करना पड़ेगा उस खर्च की बचत करने के लिये उसमें यह निर्णय किया गया कि हम लाइसेंस का सिस्टम जारी रखें, बजाय इसके कि अभी हम इस सिस्टम को बन्द कर दें और पंचवर्षीय योजना दूसरी जब हम चालू करें तब फिर इसको जारी करें। दूरदर्शिता इस बात की समझी गयी कि इसको जारी रखें। जो रिटर्न नहीं मांगे जाते हैं तो जब आगे हैंडलूम सेक्टर का कपड़ा निर्धारित किया जायगा तब अवश्य मांगे जायेंगे और उनकी आवश्यकता अवश्य समझी जायगी। इसलिये यदि व्योरेवार आंकड़े नहीं मांगे जाते हैं तो आगे वह अवश्य मांगे जायेंगे।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह लाइसेंस की फीस रखना जायज है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, जायज है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हम इसको रखें या नहीं। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि बजाय इसके कि लाइसेंस की प्रथा रखी जाय गवर्नमेंट के एक आदेश के द्वारा दुकानदारों से रिटर्न मांग लिये जायं? क्या वह इसको जारी करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि किसी व्यक्ति के लाइसेंस के तहत में कोई पेनाल्टी न रखें तो वह बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह आंकड़े हमको दे। इसलिये लाइसेंस की पद्धति को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें पेनाल्टी का क्लाज होता है। कोई दूकानदार अगर समय के अन्दर आंकड़े नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर पेनाल्टी पड़ेगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या कृपा कर माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस लाइसेंस की प्रथा को चालू करने में कुछ स्टाफ भी बढ़ाया जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तो स्टाफ को बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है, जो छटा छटा स्टाफ बाकी है वही उस कार्य को कर रहा है।

श्री बेचनराम गुप्त---क्या सरकार कृपा कर लाइसेंस की फीस को घटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---लाइसेंस के प्राप्त करने में कुछ असुविधा जब तक थी सरकार ने उन असुविधाओं को दूर करने के लिये आदेश जारी कर दिये थे। जहां तक लाइसेंस की फीस घटाने का प्रश्न है उसमें सरकार ने यह निर्णय किया है कि अभी तो यह घटायी नहीं जा सकती है लेकिन आइन्दा घटाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस पर अगले वर्ष विचार कर लेंगे या बीच में बजट बनाते समय उस पर विचार कर लिया जायगा।

सामान्य विज्ञान की शिक्षा के लिए सहायता पाने वाले जूनियर हाई स्कूल

*१८---श्री रामसुन्दर पांडेय---३० मार्च, सन् ५५ के प्रश्न ११---१२ के पूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइंस के लिये रुपया प्रदान किया गया है ?

श्री बनारसी दास---उत्तर प्रदेश शिक्षा कोष से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा निम्नलिखित १० जूनियर हाई स्कूलों को जनरल साइंस के लिए रुपया प्रदान किया गया :---

(१) मेहनाजपुर ।
(२) देवगांव
(३) मोहमदाबाद ।
(४) अहियापुर ।
(५) घोसी ।
(६) फतेहपुर टालरतोई ।
(७) मऊहुल ।
(८) कोयल्सा ।
(९) जीयनपुर ।
(१०) निजामाबाद ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या इस विभाग के लिये इन स्कूलों के अलावा कुछ और स्कूलों को भी सहायता प्रदान की गयी है ?

श्री बनारसी दास---जिनको दी गई है उसकी सूची माननीय सदस्य को दे दी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि जिन स्कूलों को यह सहायता दी गई है उनमें जनरल साइंस का सामान नहीं है और अध्यापक भी नहीं रखे गये हैं ?

श्री बनारसी दास---शिक्षा विभाग की ओर से इसका प्रबन्ध किया जायगा और इसके लिये आदेश भी दे दिये गये हैं। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है हमारे विभाग के पास कि वहां सामान नहीं पहुंचा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इन स्कूलों में से प्रत्येक को कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री बनारसी दास---७०० रुपया रेकरिंग ग्रांट और १,५०० रुपया नान रेकरिंग ग्रांट हरएक को दी गई है।

शुगर, सूती तथा जूट मिल्स स्थापित करने के लिए पर्यवेक्षण

*१६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों की सर्वे, शुगर, सूती तथा जूट मिलों को स्थापित करने के लिये की जा चुकी है?

श्री बनारसी दास---शुगर मिलों को स्थापित करने के लिये अब तक नैनीताल मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मैनपुरी, लखीमपुर-खेरी, आजमगढ़, बहराइच, पीलीभीत, तथा गाजीपुर जिलों की सर्वे की जा चुकी है। सूती तथा जूट मिलों को स्थापित करने के लिये कोई सर्वे नहीं की गई है।

*२०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वे का क्या परिणाम निकला है?

श्री बनारसी दास---उपरोक्त १० जिले शुगर मिल स्थापित करने के लिये उपयुक्त पाये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इन १० जिलों में से सब से पहले किस जिले में शुगर मिल खोलने का विचार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पहले तराई के क्षेत्र में किच्छा इत्यादि में खोलने का विचार है।

श्री गेंदा सिंह---कितने मिल पब्लिक सेक्टर से और कितने कोआपरेटिव बेसिस पर खोले जायेंगे, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रदेशीय सरकार का निर्णय यह है कि २ कोआपरेटिव मिलें हम पंचवर्षीय योजना में किच्छा इत्यादि में खोलें। चार कोआपरेटिव मिलें बनाने की योजना हमने रखी है और अन्य मिलें प्राइवेट सेक्टर के तहत में होंगी।

श्री रामचन्द्र विकल---बुलन्दशहर जिले में शुगर मिल खोलने का क्या कोई स्मृतिपत्र विधायकों द्वारा माननीय मंत्री जी को दिया गया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वहां एक मिल खुल गई है और थोड़े दिन हुए खुर्जा के एक धनपति महोदय मुझसे मिले थे वहां एक मिल खोलने के बारे में, लेकिन अधिक धन उनके पास नहीं था। मैंने उनसे कहा कि अगर कोआपरेटिव मिल खोलने की व्यवस्था वह करा सकें तो उस पर विचार करें। विधायकों के किसी स्मृतिपत्र की मुझे सूचना नहीं है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या माननीय मंत्री जी गाजीपुर जिले में कोई शुगर मिल खोलने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसी कि सूचना दी गई है गाजीपुर भी उन जिलों में है जहां मिल खुलने वाली हैं, लेकिन प्रदेशीय सरकार ने गाजीपुर के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया है। प्राइवेट सेक्टर को अवश्य सरकार उचित सहायता देने को तैयार रहेगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---तराई एरिया में जो मिलें खुलने वाली हैं क्या सरकार भी उसमें कुछ शेयर खरीदेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वहां सरकार एक बहुत बड़ी ग्रोअर है और मिल में सब से बड़ा हिस्सा सरकार का ही होगा?

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार ने नई मिलें खोलने का इरादा वहां किया है जहां गन्ने की समस्या बहुत मुश्किल है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, गन्ने के विषय में सरकार के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। उन्हीं के निवारणार्थ वह उन स्थानों को प्राथमिकता दे रही है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--यदि कोई प्राइवेट कम्पनी मिल खोलना चाहे तो सरकार उसे क्या सहायता देगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने घोषित किया है कि २५ फीसदी बिजली के रेट में कमी होगी और जमीन इत्यादि के दिलवाने में सरकार सहायता देगी। ऐसी घोषणा सरकार ने नई मिलें और नये व्यवसाय लगाने वालों के लिये की है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या अलीगढ़ जिले में भी कोई मिल खोलने के लिये सरकार ने या मंत्री जी ने आश्वासन दिया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक शुगर मिल के खोलने के आश्वासन का सम्बन्ध है मेरा आश्वासन प्रदेश के प्रत्येक स्थान के लिये है जहां प्राइवेट सेक्टर मिल लगा सकता है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं कि जो लोग अपनी पुरानी मिलों को नहीं चला सकते हैं उनको कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार इस पर विचार कर सकती है कि जो मिलें ठीक-तौर से नहीं चल रही हैं, जिनके लिये कंट्रोलर की नियुक्ति होती है, यदि कोआपरेटिव संस्थाएं उन्हें चलाना चाहें तो सरकार इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार कर सकती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मुख्य उद्योग-धंधे

*२१--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी key industries प्रदेश में खुलीं?

श्री बनारसी दास--कोई नहीं।

*२२--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सहायता मांगी गई और उन्हें कोई योजना भेजी गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री बनारसी दास--जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा--ऐसा क्या कारण है जिसके होने से सरकार ने इन्डस्ट्री खोलने की योजना नहीं बनाई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार का ध्यान खेती और उससे लगे हुए उद्योगों की ओर गया और उन्हीं के लिये उसने प्राथमिकता प्रदान की।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार ने कोई योजना इस समय बनाई है? यदि व बनाई है, तो क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यदि की इन्डस्ट्री के माननीय सदस्य का मतलब इन्डस्ट्री से है तो बेसिक इन्डस्ट्रीज का सम्बन्ध तो स्वयं केन्द्रीय सरकार से है। केन्द्रीय सरकार पब्लिक सेक्टर में कुछ इंडस्ट्रीज लगाने वाली है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है उसमें केन्द्रीय सरकार ने २,५०० करोड़ रुपया रेलों के लिये तथा बड़ी और छोटी इन्डस्ट्रीज के लिये रखा है। उसके तहत में प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह किया है कि इस प्रदेश में जो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे सरकार द्वारा लगाये जाने वाले हैं उनके लिये कुछ हिस्सा मिले।

जहां तक ऐसी इंडस्ट्रीज का संबंध है प्रदेश की सरकार ने ऐसे उद्योगपतियों को ऋण के द्वारा मदद देने तथा बिजली की दर में कमी करके सहायता देने का वचन दिया है। ५-७ उद्योगों के विषय में उद्योगपतियों से बातचीत हो चुकी है, कदाचित वे इसी वर्ष या अगले वर्ष तक कुछ उद्योगों को लगा देंगे। उन उद्योगों में मुख्य ये हैं--सोडा ऐश, पेपर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री एलमोनियम फैक्टरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री तथा फेन फैक्ट्री। इसके अतिरिक्त जहां तक शुगर इंडस्ट्री, का संबंध है, उसका वर्णन मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कर दिया है।

प्रतापगढ़ जिले की बाघराय कुन्डा तहसील में एलोपैथिक अस्पताल खोलने का विचार

*२३--श्री रामनरेश शुक्ल--क्या सरकार को पता है कि जिला डिस्पेन्सरी एडवाइजरी कमेटी ने बाघराय कुन्डा तहसील, जिला प्रतापगढ़ में एक एलोपैथिक अस्पताल बनाने की सलाह सरकार को दी है

श्री बनारसी दास--जी हां।

*२४--श्री रामनरेश शुक्ल--यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कर रही है?

श्री बनारसी दास--प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री राम नरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस पर अंतिम निर्णय सरकार कब तक करेगी?

श्री बनारसी दास--अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्णय किया जायगा।

श्री राम नरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि इस स्थान पर एक औषधालय खोलने के लिये सन् ५० में सरकार ने निर्णय किया था?

श्री बनारसी दास--जी हां, यह सही है। जब प्रांत में १०४ डिस्पेंसरीज़ बनने जा रही थीं, उस समय यह निर्णय लिया गया था परन्तु अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की वजह से प्रगति को धीमा करना पड़ा। बाद को जिला परामर्शदात्री समिति ने उस स्थान को बदल कर दूसरे स्थान की सलाह दी। अब फिर जिला परामर्शदात्री समिति ने इस स्थान के लिये सिफारिश की है। यह सिफारिश जून के महीने में सरकार के पास आयी और सरकार ने उसको संचालक महोदय के पास भेज दिया है। अगले साल सरकार उस पर विचार करेगी।

महिला डाक्टरों को सिविल सर्जन के पदों पर नियुक्त करने की मांग

*२५--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अस्पतालों में लिये जाने वाले डाक्टरों की योग्यता पुरुष तथा महिलाओं के लिये समान नहीं है?

श्री बनारसी दास--समान हैं।

*२६--श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या आवश्यक योग्यता एवं क्षमता रखने वाली महिलाओं को सिविल सर्जन अथवा डाइरेक्टर आदि पदों पर पदोन्नति के लिये समान रूप से उनके नाम पर भी विचार किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास--सिविल सर्जन का पद महिला डाक्टरों के लिये अभी नहीं खुला है। उप-संचालक, अतिरिक्त संचालक तथा संचालक के पदों पर नियुक्ति चुनाव (selection) द्वारा होती है और ऐसे अवसर पर राज्य में काम करने वाले सब ही पदाधिकारी, महिला तथा पुरुष का विचार किया जाता है।

एक दृष्टिकोण यह है कि सिविल सर्जन का कार्य महिलाओं को करने में कठिनाई होगी परन्तु सरकार ने अभी अंतिम निर्णय नहीं किया है और यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि किसी स्त्री डाक्टर ने शिक्षा बराबर पायी हो, सर्विस भी बराबर हो तो फिर उनको संचालक और उप-संचालक का पद क्यों नहीं दिया जाता?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है कि स्त्रियों को संचालक या उपसंचालक नहीं नियुक्त किया जायगा।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिले में जितने महिला अस्पताल हैं, जो सिविल सर्जन के अधिकार में हैं, उन महिला अस्पतालों को जिला अस्पताल की लेडी सर्जन को देने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि उत्तर में बताया गया है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिये स्त्रियां अधिक उपयुक्त नहीं हों और वे काम सिविल सर्जन के कामों में हैं। जैसे पोस्ट मार्टम और अदालतों में गवाही देने का काम। रोज-रोज अदालतों में गवाही देना उनके लिये ऐसा समझा जाता है कि वह ठीक न होगा। इसलिये सिविल सर्जन के सारे कामों की जिम्मेदारी स्त्रियों के सुपुर्द नहीं की गयी।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--क्या सरकार ने किसी स्त्री को कभी सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त किया, जिससे वे इस नतीजे पर पहुंचे कि महिला सिविल सर्जन इस काम को नहीं कर सकती?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त तो नहीं किया है लेकिन महिलाओं के कार्यों को सरकार ने गौर से देखा है, और उसे देखकर ही अपनी यह राय बनायी है कि कदाचित स्त्रियों को इस प्रकार के कार्यों के संबंध में कठिनाई हो। सरकार ने अभी उनको सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त नहीं किया है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि स्त्रियों और पुरुषों की डाक्टरी शिक्षा में कुछ भेद है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक शिक्षा प्राप्त करने का संबंध है उस में कोई भेद नहीं होता लेकिन जो शिक्षा दी जाती है उसके बाद उन को जो कार्य करना पड़ता है उसमें जरूर भेद होता है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी माननीया प्रकाशवती सूद के सुझाव पर कुछ अस्पतालों में स्त्रियों को भी सिविल सर्जन बनाने की सुविधा देंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने दो-तीन वर्ष पहले इस विषय पर विचार किया था, और कभी यह निर्णय नहीं हुआ कि वह सिविल सर्जन नहीं बन सकेंगी लेकिन अभी स्थिति को देखते हुये और जैसा काम अब तक होता रहा है उस को देखते हुये अभी उन को नहीं बनाया जाता है, लेकिन जब और अधिक आवश्यकता महसूस होगी तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम--क्या सरकार को मालूम है कि स्त्री समाज सरकार की इस नीति को गलत समझता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब तक तो सरकार के पास ऐसा कोई आवेदन-पत्र नहीं आया है कि स्त्री समाज ने इस चीज को हिकारत की नजर से देखा है, कभी-कभी एक दो स्त्रियों ने जो कन्सर्न होती हैं जरूर आवेदन-पत्र दिये लेकिन स्त्री समाज की ओर से ऐसा कभी नहीं लिखा गया ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सलेक्शन बोर्ड में कोई महिला भी सदस्य होती है जो सिविल सर्जनों का चुनाव करता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो जो सलेक्शन बोर्ड होता है उसमें डायरेक्टर और सेक्रेटरी मेडिकल विभाग बैठते है, और अभी तक डायरेक्टर कोई महिला नहीं है इसलिये उनके बैठने का सवाल नहीं उठता लेकिन अगर डायरेक्टर आफ हेल्थ गैर हाजिर रहें तो उनकी उप-संचालिका जो महिला हैं वह बैठ सकती हैं और सेक्रेटरी के साथ उस निर्णय में भाग ले सकती हैं जो सलेक्शन के विषय में वह बोर्ड करता है ।

विकास विभाग द्वारा गुरसराय-बघैरा मौठ सड़क का निर्माण-कार्य

*२७--श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विकास विभाग द्वारा Community Project Centre: गुरसराय का कितना रुपया गुरसराय-बघैरा मौठ सड़क बनाने को जमा किया गया है और किस माह में ?

श्री बनारसीदास--१,७५,००० रुपया फरवरी, १९५५ में ।

*२८--श्री रामसहाय शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह सड़क अभी तक पूरी क्यों नहीं बन सकी है ?

श्री बनारसीदास--इस सड़क पर काम हो रहा है और २,५०,००० रुपया खर्च हो चुका है । जनता का चन्दा (कंट्रीब्यूशन) अभी नहीं मिल सका है ।

*२९--श्री रामसहाय शर्मा--क्या सरकार इस कार्य को ३१ मार्च, ५६ तक पूरा करने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री बनारसीदास--जी हां ।

श्री रामसहाय शर्मा--क्या सरकार को इस बात की सूचना नहीं दी गई है कि कसबा गुरसराय, अड़जरा तथा ग्राम पुरैनियां में सैकड़ों नरनारियों ने इस सड़क पर श्रमदान का सराहनीय कार्य किया है ?

श्री बनारसीदास--इस बात की सूचना तो सरकार के पास नहीं है । यह तो डिटेल की चीज है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस क्षेत्र में कार्य हो रहा है उसमें जनता का कंट्रीब्यूशन होना चाहिये ।

श्री रामसहाय शर्मा--क्या यह सही है कि पी० डबलू डी० के एक उच्चाधिकारी के यहां से समय पर आज्ञा न पहुंचने के कारण इस सड़क का काम ८ महीने से बिलकुल बन्द है ?

श्री बनारसीदास--नहीं, यह नहीं है । वहां अवश्य पी० डब्लू० डी० के द्वारा इस सड़क का निर्माण होना है, क्योंकि अभी तक जनता का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इसलिये आदेश जारी करने में देर हुई है ।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह सड़क कितने मील लम्बी है ?

श्री बनारसी दास--इसकी तो मेरे पास इस वक्त सूचना नहीं है। लेकिन यह अनुमान है कि तमाम सड़क पर ८ लाख रुपये के करीब खर्च होगा।

झांसी में अमेरिकन मिशनरियों द्वारा बटर आयल का वितरण

*३०--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार को पता है कि झांसी में अमरीकन मिशनरियों द्वारा खाना आदि पकाने के लिये Butter oil नामक एक liquid पदार्थ दस सेर प्रति रुपया के हिसाब से जनता को दिया जा रहा है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--संयुक्त राज्य अमेरिका से Relief Supplies Agreement के अन्तर्गत प्राप्त कुछ Butter oil झांसी के बिशप के पास बिना मूल्य लिये वितरित करने के लिये भेजा गया था। प्रारम्भ में कुछ स्थानों पर पादरियों ने ढुलाई इत्यादि का व्यय निकालने के लिये दो आना प्रति टीन मूल्य लिया था। परन्तु बाद में बिशप की आज्ञा से यह बन्द कर दिया गया।

*३१--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार अन्वेषण करा कर यह बताने की कृपा करेगी कि वह किन पदार्थों का बना है तथा उससे लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जन-स्वास्थ्य अधिकारी झांसी की रिपोर्ट है कि यह Butter oil खाने में अच्छा है एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पादरी लोग उक्त आयल बांटने के पहले लोगों से ईसाई धर्म का गाना गवाते हैं और इस तरह से अपने धर्म का प्रचार करते हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी नहीं। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि ऐसा है और आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--यदि माननीय सदस्य कोई लिखित देंगे तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जायगी और जानकारी की जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार को पता है कि लखनऊ में भी कल से यह आयल मुफ्त बांटा जा रहा है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी नहीं।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि धर्म का प्रचार करना अमेरिकन मिशनरियों के लिये प्रतिबन्धात्मक है?

श्री अध्यक्ष--यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं।

श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या माननीय मंत्री जी उक्त आयल का अनुसंधान कराकर यह जानने की कृपा करेंगे कि उसका स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--उत्तर में बताया जा चुका है कि वहां के स्वास्थ्य अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि इस तेल से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

*३२-३३--**श्री मुश्ताक अली खां** (जिला बदायूं)--[१२ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

नोट--तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३४-३६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[५ सितम्बर, १९५५ के लिये तारांकित प्रश्न ४५-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

असिस्टेंट डेवलपमेंट अफसरों के चुनाव में हरिजन

*३७--श्री जोरावर वर्मा--क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि हाल में जो असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसरों का चुनाव हुआ है उसमें हरिजनों की क्या संख्या है तथा कुल कितने प्रार्थना-पत्र इन स्थानों के लिये आये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--६ हरिजन हैं कुल २१९ प्रार्थना पत्र आये थे।

*३८--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यह चुनाव किस प्रकार किस तिथि को किया गया और चुनाव का प्रतिफल कब घोषित किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चुनाव कमेटी द्वारा हुआ था। प्राथमिक छंटनी के लिये कमेटियां बनाई गई थीं और मुख्य कमेटी साक्षात्कार के लिये अलग बनाई गयी थी। चुनाव ११ अप्रैल से १६ अप्रैल, १९५५ तक किया गया चुनाव का प्रतिफल मई, १९५५ में घोषित किया गया था।

*३९--श्री विश्राम राय--[१२ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०--श्री लक्ष्मणराव कदम--[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये तारांकित प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी जिले के अन्तर्गत कुओं की सब्सिडी

*४१--श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला झांसी में तीन सालों के अन्दर कितने कुओं की सब्सिडी मंजूर की गयी और उनमें से कितने रुपयों का भुगतान हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सम्बन्ध में अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर कुछ समय बाद आपको दी जा सकेगी।

जालौन जिले के अन्तर्गत ग्राम गोपालपुर तथा सलैया बुजुर्ग के कुओं से पानी का निरन्तर बहना

*४२--श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को विदित है कि जिला जालौन के अन्तर्गत ग्राम गोपालपुर, परगना जालौन में एक कुआं और ग्राम सलैयाबुजुर्ग में दो कुयें ऐसे हैं जिनसे वर्षों से निरन्तर पर्याप्त मात्रा में पानी बहता रहता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*४३--श्री चित्तरसिंह निरंजन--यदि हां, तो सरकार उन कुओं के जल को सदुपयोग में लाने के लिए कोई सिंचाई की योजना बनाने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इन कुओं का जल निष्काशन वेग, इतना मन्द है कि वे सिंचाई कार्य हेतु पूर्णतयाः अनुपयुक्त हैं।

कानपुर जिले में नलकूप निर्माण

*४४--श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में कितने नलकूप बने हैं और उनका निर्माण सफल है या असफल ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में ६ सरकारी नलकूप बनाये गये जिनमें से ४ सफल हुये तथा शेष २ उचित भू-स्तर न मिलने के कारण असफल हुये। इसके अतिरिक्त इस जिले में ४ निजी तथा सहकारी नलकूप भी बनाये गये जिनमें से केवल २ पूर्ण रूप से सफल हुए।

बहराइच जिले के चफरिया बाजार सुजौली-सेमरी क्षेत्र में पम्पिंग सेट लगवाने की आवश्यकता

*४५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में निशानगाड़ा और बिछिया स्टेशन के पास के चफरिया बाजार सुजौली-सेमरी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिये पम्पिंग सेट लगवाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न ६ व ७ को स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—यह प्रश्न संख्या ६ व ७ जो अनन्तस्वरूप सिंह के हैं, इस सम्बन्ध में यह प्रार्थना है कि ये दूसरी बार के लिये स्थगित कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—नियम के अनुसार तो अब यह समझा जायगा कि उनका उत्तर मिल गया। अनन्तस्वरूप सिंह जी का कोई पत्र होता कि ये स्थगित कर दिये जायं तो संभव था कि वैसा कर दिया जाता लेकिन वे आज उपस्थित नहीं थे और उनका नाम पुकारते ही यदि यह बात कही गई होती तो भी संभव था कि वे स्थगित कर दिये जाते।

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये, श्री मलखान सिंह द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये, १ सदस्य निर्वाचित करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये श्री मलखान सिंह द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये १ सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इस प्रस्ताव के अनुसार जो कार्यक्रम मैंने निश्चित किया है वह यह है—नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि .२० सितम्बर, १९५५—नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि का समय .२१ सितम्बर, १९५५ को ४ बजे सायंकाल सचिव विधान सभा के कमरे में—नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय २७ सितम्बर, १९५५ को सायंकाल ४ बजे तक।

यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये तिथि तथा समय की सूचना बाद में दी जायगी।

†उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

*खण्ड ३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ पर विचार जारी रहेगा। कल श्री रामेश्वरलाल जी के इस संशोधन पर विवाद हो चुका है अब उस पर राय ली जायगी।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ के शब्द "होता हो" के बाद शब्द "अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धक वाक्य के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी।"

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन उस स्थिति के लिये है जब कि कोई आवास गृह गोदाम के रूप में अब तक उपयोग में न लिया जाता रहा हो और उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेना चाहे तो उसके लिये उसको सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती है तो सरकार अपना निर्णय इस संशोधन के द्वारा तभी देगी जब कि वह उसके स्वामी या अध्यासी को यह अवसर दे कि जो कुछ भी उसको कहना है या जो कुछ आपत्ति हो वह सरकार के सामने प्रस्तुत करे। इतना ही इसका उद्देश्य है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—यों तो जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत है उसमें स्वतः काफी दोष हैं। मगर उनके तमाम मौलिक दोषों में परिमार्जन कुछ शम्भूनाथ चतुर्वेदी के संशोधन से होता है। इसलिये मैं इस संशोधन के पक्ष में ही बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, तीसरा जो खंड है उसका प्रतिबन्धात्मक जो वाक्य है, "फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।" यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे आवासों को प्राप्त कर सकता है।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का विषय है मैं यह बता दूं कि सरकार इसको मंजूर करने जा रही है। अगर भाषणों की आवश्यकता हो तो करें।

श्री अध्यक्ष (श्री राजनारायण से)—आपके कहने से वह मंजूर कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—अगर माननीय मंत्री जी इसको मान रहे हैं तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं तो उन्हीं के सुभीते के लिए कह रहा था।

**श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—सरकार ने जो इस संशोधन को मान लेने का निश्चय किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात दिलाना चाहता हूं कि जहां पर भवन के इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा लिये जाने का प्रश्न है, वहां सरकार सुनने का अवसर

---

†१९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

*१३ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही से क्रमागत।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दे रही है लेकिन जहां कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया है वहां सुनने का अधिकार नहीं दे रही है। यह बड़ी असंगति रह जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा पर विचार करने के बाद कलेक्टर की भी दफा पर विचार करेंगे और अध्यासी को अवसर देंगे। राज्य सरकार की दफा में तो सुनने की व्यवस्था है लेकिन कलेक्टर पहले पास करता है उसके द्वारा सुने जाने की कोई व्यवस्था न हो तो वहां बड़ी असंगति हो जाती है।

श्री अध्यक्ष--कलेक्टर कहां है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसी में है। खंड ३ का उपखंड (१) है। प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में लिखा है, "कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भंडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।" तो इसके पहले कलेक्टर भी पिक्चर में आता है। पहले कलेक्टर निश्चय करेगा, फिर सरकार को लिखेगा। तो मैं यह मुनासिब समझता हूं कि अगर कलेक्टर की दफा भी आकूपायर को सुनने का मौका मिले तो नौबत ही न आयेगी कि राज्य सरकार के पास जाय।

श्री राजनारायण--तीसरे खंड का जो दूसरा क्लाज आ रहा है उसमें यह आयेगा नारायणदत्त जी का संशोधन। उसमें हम अपना संशोधन फिर रखेंगे। उसी तरह से एक संशोधन को माननीय मंत्री जी ने मान लिया इसके लिये मुबारकबाद दी जा रही है। जिस बात को आप कह रहे हैं वह सब क्लाज (२) में आ रही है। उसमें आप संशोधन फिर कर दीजिये।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय शम्भूनाथ जी ने पेश किया है, उसमें मैं एक शाब्दिक संशोधन करना चाहता हूं। माननीय शम्भूनाथ जी का संशोधन यह है, "राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।" मैं चाहता हूं कि "राज्य सरकार" और "कोई" के बीच में "द्वारा" बढ़ा दिया जाय। "राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।" यह वाक्य सीधा भी हो जाता है और मतलब भी साफ हो जाता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अध्यक्ष महोदय, मैंने उसको ठीक कर दिया था। "दी जायगी" के स्थान पर "देगी" मैंने पढ़ा था। वह गलती से छप गया है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं इस प्वाइंट को साफ करना चाहता था, यह जो प्वाइंट उठाया है।

श्री अध्यक्ष--वह प्वाइंट उसमें नहीं आता। उन्होंने कोई संशोधन नहीं दिया है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति, माननीय नारायणदत्त जी ने उठाई है, मैं समझता हूं कि वह यहां पर लागू नहीं होती है क्योंकि जब तक कोई आवास अब तक स्टोरेज के लिये नहीं उपयोग किया जा रहा है उसको वह तब तक रिक्यूजीशन नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से न ले ली जाय। तो मेरा संशोधन यह है कि स्वीकृति बिना उसको सुनने का अवसर दिये नहीं दी जायगी...

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन जरा पढ़ दीजिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी।"

इसमें 'दी जायगी' ग़लत छप गया है उसके स्थान पर 'देगी' होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा निवेदन यह था कि चूंकि पहले कलेक्टर इस बात का निश्चय करेगा.....

श्री अध्यक्ष—इसकी तो मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मैं समझता था कि आप भाषा सम्बन्धी कोई सुझाव दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—भाषा तो ठीक करनी ही पड़ेगी। "राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिकृत नहीं किया जायगा।" जहां पूर्व स्वीकृति लिखा है तो पूर्व स्वीकृति और आज्ञा में फर्क होता है और इस वजह से भाषा ठीक करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी जरा इसको स्पष्ट कर दें।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जो संशोधन हमने स्वीकार किया है वह इस प्रकार है :—

"राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी।" यह ठीक ही है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धक वाक्य के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैं इसमें एक संशोधन देना चाहता हूं कि जिस तरह से कि "राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी" माना गया है उसी भाव को हम यहां कलेक्टर के लिये भी रखना चाहते हैं, जो यह दूसरा। है इसमें कि "कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा।" मेरा संशोधन यह है कि इसके बाद यह शब्द जोड़ दिये जायं। "ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का समुचित अवसर देने के बाद ही कलेक्टर निर्णय देगा।"

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्,मैं प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह जो खंड ३ का उपखंड (२) है इसमें लिखा है :—

(२) "कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा।"

अब आप यह देखेंगे कि अगर हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो उपखंड (१) और (२) में विरोधाभास हो जाता है क्योंकि "जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो अगर यह कलेक्टर ने फैसला कर दिया तो फिर राज्य सरकार के पास कोई स्वीकृति का सवाल ही नहीं जायगा क्योंकि कलेक्टर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सामने आता है। कलेक्टर यह फैसला कर देगा कि यह भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं। अब अगर किसी स्वामी को यह शिकायत है कि हमने कभी स्टोर नहीं रखा है इस आवास में जिसको आप ले रहे हैं, और कलेक्टर कह दे कि नहीं साहब इसमें तो भांडार रखा जा सकता है और रखा जायगा तो स्वामी वंचित हो जाता है जो श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी का संशोधन सरकार ने स्वीकार किया है है उपखंड (१) में उसको लागू करवा सकने के लिये। इसलिये यह बड़ी भारी असंगति रह जाती है और अगर माननीय शम्भूनाथ जी के संशोधन को वास्तव में लागू करना है तो बिना इस उपखंड (२) में या तो निश्चायक और अंतिम निर्णय जो है इसको न माने, मंत्री जी सारे उपखंड को समाप्त कर दें, और अगर समाप्त नहीं करते हैं तो फिर यह अवश्य कलेक्टर के सामने स्वामी को अधिकार दिया जाना चाहिये अन्यथा उप-खंड (२) सारे का सारा निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी ने जो दो शब्द इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें 'भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो' और इसमें है "उपयुक्त है या नहीं" तो इसमें दोनों में फर्क है। इनमें कोई विरोध नहीं है। कलेक्टर यह निश्चय कर सकता है और उसका निर्णय निश्चायक होगा कि वह उपयुक्त है या नहीं। लेकिन "प्रयुक्त न होता हो" यानी जो अभी तक प्रयोग में न लाया गया हो उसका अधिग्रहण बिना सरकार की आज्ञा के नहीं किया जायेगा। इसलिये इनमें कोई विरोधाभास नहीं । तो मेरा संशोधन स्वीकार होने के बाद यदि उप-खंड (२) इसी तरह बना रहे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसकी आवश्यकता को आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं। यदि इस विधेयक का क्लाज ३ पढ़ा जाय तो उसमें यह स्पष्ट लिखा है:--

"३--(१) यदि कलेक्टर की राय खाद्यानों को भंडार में रखने (storing) के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण (requisition) आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है। और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी) जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय।"

श्रीमन्, आप स्वतः देखेंगे कि कितना बड़ा अधिकार, अनियंत्रित अधिकार कलेक्टर के हाथ में जा रहा है। सरकार की ओर से यह तर्क प्रस्तुत होता रहता है। बारबार उद्देश्य को अच्छे शब्दों में रख कर और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो तानाशाही और केन्द्रीयकरण की नीति सरकार अख्तियार करती है, उससे उस उद्देश्य की आत्मा ही मर जाती है। उसी को श्रीमन्, कुछ राहत मिले, कुछ सहूलियत पैदा हो और कुछ उसका जस्टीफिकेशन भी हो और जिसके आवास को लिया जाय वह बेचारा कुछ कह भी सके जिलाधीश के सामने जाकर, कि यदि यह हमारा आवास लिया जायगा तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी, कृपया आप इसको न लें या उसके समानान्तर कोई दूसरा स्थान या आलटरनेटिव सजेशन (सलाह) भी दे सकें कि आप इसको न लें करके दूसरा ले लें ज्यादा अच्छा है। मगर जिस तरह से यह विधेयक प्रस्तुत है इसमें तनिक भी गुंजाइश नहीं। हां जो संशोधन सरकार की ओर से माना गया है श्रीमन्, उसमें इतनी बात जरूर कर दी कि ऐसा आवास जो भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, उसको राज्य सरकार की आज्ञा जिलाधीश को लेना आवश्यक पड़ जायगा। जिलाधीश ऐसे आवासों को नहीं ले सकता बिना राज्य सरकार की पहले आज्ञा प्राप्त किये हुये। मगर ऐसे आवासों के लिए जो आवास की आज व्यक्ति विशेष भांडार के लिए प्रयुक्त कर सकता है, और उसके लिए उसकी आवश्यकता

हूं या उसको किसी दूसरे सामाजिक कार्य में वह आदमी लगा रहा है तो उसको लेने के लिए जिलाधीश के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जिलाधीश जब चाहे तब उसको ले सकता है और किस तरीके से ले सकता है इसके बारे में भी जिलाधीश को ही अन्तिम निर्णय देने का अधिकार दिया जाता है। तो मैं जब हर नुक्ते नजर से इस चीज को देखता हूं, तो यह संशोधन बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि जिलाधीश के लिए कम से कम इतना तो प्रतिबन्ध रहे कि वह जिसके आवास को ले उसको समुचित अवसर प्रदान करे सुनने के लिए। उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकतायें हैं, और उस आवास को वह स्वेच्छा से सरकार को क्यों नहीं समर्पित करना चाहता, इन तमाम बातों को वह उसके सामने कह सके, यही इस संशोधन का तात्पर्य है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसे निर्दोष संशोधन को मानने में भी सरकार को क्या आपत्ति हो रही है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को अवश्य मानें और यदि वह इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो बड़ी ज्यादती हो सकती है, बड़ा जोर जुल्म हो सकता है, और इसमें व्यक्ति विशेष के प्रति कलेक्टर का, जिलाधीश का रुझान और राग द्वेश भी कभी-कभी काम में आता रहेगा। इन तमाम बातों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये यह एक छोटा सा संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है कि जिस वक्त आवास लिया जाय उसको सुनने का मौका जरूर दिया जाना चाहिये। और आप श्रीमन्, अगर दुनिया की तमाम पद्धतियों को देखेंगे तो हर व्यक्ति को जिसकी कोई चीज अगर आप लेते हैं तो उसको सुनने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार यह नहीं मानती तो यह माना जायगा कि यह सरकार हठवादिता पर तुली हुई है, और अपने कर्मचारियों के हाथ अनियंत्रित शक्ति देकर अपने आदमियों को सेटिस्फाई करना चाहती है जो जनता के हित के विरुद्ध है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--अध्यक्ष महोदय, माननीय शम्भूनाथ जी ने जो विचार इस अमेंडमेंट के सिलसिले में पेश किये हैं वह उचित ही हैं। यह जो संशोधन माननीय राजनारायण जी ने रखा है और जो उन्होंने यह आपत्ति की है कि उसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि पहले संशोधन में तो अध्यासी को और जो मालिक हैं उस भांडार का उसको सुने बिना कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा, किन्तु इससे कोई सम्बन्ध मालूम नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपके इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का समुचित अवसर देने के बाद ही कलेक्टर निर्णय देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--अधिग्रहण आज्ञा की तामील भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) पर यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) अविलम्ब प्राप्य (readiley traceable) न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त (in dispute) हो तो, सरकारी गजट में आज्ञा के प्रकाशन द्वारा, की जायगी। तामील

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--मैं इस संशोधन को कुछ परिवर्तित रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, वह इस प्रकार है--

खंड ४ की पंक्ति ५ में शब्द "तो" और शब्द "सरकारी गजट" के बीच में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"भांडार आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर तथा।"

श्री अध्यक्ष--यह साफ नहीं हुआ। आप मेरे पास भेज दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--मैं अभी लिख कर भेज दूंगा। इस संशोधन का मतलब यह है, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, उसमें यह है कि अगर कोई अध्यासी या स्वामी उस भांडार का नहीं मिले, तो विधेयक में यह लिखा हुआ है कि सरकारी गजट में विज्ञप्ति तामील के लिये पर्याप्त समझ ली जायगी। उस दिनांक से ३ दिन के अन्दर उसको अधिग्रहण किया जावेगा। लेकिन इसमें मैं यह बढ़ाना चाहता हूं कि जो भांडार आवास लिया जाने वाला है उस पर भी एक नोटिस चिपकवा दिया जाय और तब वह ग्रहण किया जाय। इतना ही संशोधन है।

श्री अध्यक्ष--इसको आप फिर से पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--खंड ४ की पंक्ति ५ में शब्द "तो" और "सरकारी गजट" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें--

"भांडार आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर तथा।"

जैसा मैंने निवेदन किया अध्यक्ष महोदय, सरकारी गजट के गांव में तो कहीं दर्शन ही नहीं होते और शहर में भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो पढ़ते हैं। अगर सरकारी गजट में सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकलवा कर किसी स्टोरेज के लिए जगह रिक्वीजीशन होने लगी तो इसमें लोगों को बड़ी भारी असुविधा होगी और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब नोटिफिकेशन हुआ। एक दम सरकारी अधिकारी जायेंगे और उसे निकाल बाहर करेंगे। इसलिए अगर इसमें यह डाल दिया जाय कि नोटिस चिपकाये जायेंगे, तो कम से कम उसको, उसके परिवार वालों को, उसके मित्रों को यह पता चल जायगा कि यह आवास गृह अब अधिग्रहण किया जाने वाला है, इसलिये वह उसका प्रबन्ध कर सकता है। जैसा कि बिल में है, उस तरह से तो ऐसी सूचना की संभावना ही नहीं रहती बिना पता लगाये कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से निकाल दिया जा सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, केवल मेरा शाब्दिक संशोधन यह है कि जहां पर शब्द "प्रमुख" स्थान किया गया है उसकी जगह "उपयुक्त" होना चाहिये।

श्री बलदेव सिंह आर्य--अगर इसमें कोई शाब्दिक हेर-फेर है तब तो दूसरी बात है, लेकिन मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--पहले वह अपना संशोधन रख रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इसमें जो यह है, "भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर" तो प्रमुख शब्द की जगह "उपयुक्त" होना चाहिये। प्रमुख स्थान तो अन्दर भी हो सकता है जहां बैठक है। तो बिल्डिंग का उपयुक्त स्थान ठीक जंचे, वहीं नोटिस चिपकाना चाहिये। इसलिए कानूनी दृष्टि से यह ज्यादा सुन्दर है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने जो संशोधन छपा हुआ है, सम्भवतः उसमें भी कुछ संशोधन अपने संशोधन में किया है।

श्री अध्यक्ष--यह उन्होंने परिवर्तित रूप में पेश किया है। वह यह है कि सिर्फ आखिर में संशोधन में "भांडार आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर तथा" यह शब्द जोड़ देना चाहते हैं।

श्री राजनारायण--उनका, श्रीमन्, जो तात्पर्य है वह यह है कि जो आदमी उस जगह न हों, जिनके आवास हैं तो केवल सरकारी गजट में ही निकल जाय यह काफी नहीं है, बल्कि ऐसे स्थान पर नोटिस होना चाहिये जो आसानी से देखा जा सके, पढ़ा जा सके और जिसको वह समझ सके कि हमारा यह भांडार लिया जा रहा है। इस संशोधन में भी, श्रीमन्, मैं एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह संशोधन हमारा यह है कि उसके अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे स्वामी अथवा अध्यासी के भांडार पर जो अविलम्ब प्राप्य न हो १५ दिन तक नोटिस चिपका रहने के बाद ही कब्जा किया जायगा।"

श्री अब्दुलमुईज खां (जिला बस्ती)--प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी का जो संशोधन था उसका समर्थन करते हुये माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उसमें एक शाब्दिक संशोधन पेश किया। अब माननीय राजनारायण जी उस संशोधन से संबंधित, यानी जो माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने उपस्थित किया है और जो सदन के सामने इस समय है और इसमें एक संशोधन माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया है वह सदन के सामने है, लेकिन माननीय राजनारायण जी एक दूसरा संशोधन उपस्थित कर रहे हैं। तो क्या ऐसा करना मुनासिब है ?

श्री अध्यक्ष--जो माननीय शम्भूनाथ जी ने संशोधन दिया है उसी में संशोधन उन्होंने थोड़ा सा किया है और चूंकि वह परिवर्तित रूप में किया है उन्होंने और इसके लिये कोई नोटिस उन्होंने नहीं दिया तो सदन ने अगर उनके संबंध में नोटिस की परवाह नहीं की तो राजनारायण जी के लिए भी नोटिस की परवाह नहीं होना चाहिए, और मैं उनको इजाजत देना उचित समझता हूं। तो ऐसी हालत में मैंने उनको इजाजत दे दी।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है उससे हमारा केवल यही मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो वहां पर है नहीं उसको कम से कम दूसरे लोग भी जो कि वह चिपका हुआ नोटिस रहेगा उसे पढ़ेंगे और अगर कोई कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है या दूसरे स्थान पर है तो उसको एक चिट्ठी डाल कर सूचना दे सकते हैं कि तुम्हारा यह भांडार लिया जा रहा है, और यदि १५ दिन का समय दे दिया जायगा तो उसको पत्र व्यवहार करने और पत्र को पाकर आने का एक समुचित मौका मिल जायगा। इसलिये मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया कि ऐसा व्यक्ति जो वहां है नहीं, जो ट्रेसेबिल नहीं है उसको दूसरे व्यक्ति की बनिस्बत अधिक समय दिया जाना चाहिये। इस संशोधन के विरोध में सरकारी पक्ष के लोग दलील दे सकते हैं मगर मैं एक ही वाक्य कह कर उनकी तमाम दलीलों का उत्तर दे देना चाहता हूं, कि यदि सरकारी पक्ष की ओर से यह दलील आती है कि तब तो हमारा सारा अन्न ही खराब हो जायेगा तो सरकार को यह समझना चाहिये कि सन् ४६ से और एक बार तो, श्रीमन्, उन्होंने जबर्दस्ती गल्ला वसूली की थी, तब से उनको भांडार की आवश्यकता पड़ती चली जा रही है। और यह कह देना कि अब तो हम डिकंट्रोल करते जा रहे हैं इसलिये हमने पुराने ऐक्ट को आवश्यक नहीं समझा इसीलिये एक दूसरा विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, यह बहुत ही नाकाफी है। सरकार को बार-बार आगे आने वाली परिस्थिति की जानकारी होनी चाहिये, और सरकार को यह समझना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब कि अन्न का एकत्रित करना आवश्यक हो......

श्री अध्यक्ष--आप विधेयक पर बोलने लगे हैं। संशोधन पर ही बोलिये।

श्री राजनारायण--उसी पर मैं आ रहा हूं। तो मैं यह कह रहा हूं कि इस तर्क को सामने रख कर.......।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि क्लाज ३ जो कि हम पास कर चुके हैं, उसमें अवधि ३ दिन की है और अब राजनारायण जी जो १५ दिन की नोटिस कह रहे हैं यह कैसे इससे संगत हो सकता है, इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह तो आज्ञा देने पर तामील की बात है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, क्लाज ३ में बिलकुल स्पष्ट है कि तीन ही दिन के अन्दर उसे खाली कर देना होगा, तो यह कैसे उसमें फिट इन होगा ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसको अवैध नहीं समझता हूं, आपकी आपत्ति ठीक नहीं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने जो खास-खास बातें थीं, अपने संशोधन के पक्ष में थोड़ा समय लेकर निवेदन करने की कोशिश की है और मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से इसकी गम्भीरता और गुरुता पर ध्यान दिया जायगा, और माननीय मंत्री जी अपनी हठवादिता की नीति पर अमल नहीं करेंगे बल्कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर हमारा संशोधन मानेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मान्यवर, मैं माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी के संशोधन के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है कि वह स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन मैं इस संबंध में दो लफ्ज कहना चाहता हूं कि जो माननीय नारायणदत्त जी तिवारी चाहते हैं कि "प्रमुख" के स्थान पर "उपयुक्त" रख दिया जाय। अगर यह हो जायगा तो फिर उसके डिस्क्रीशन पर होगा कि वह चाहे तो घर के पिछवाड़े नोटिस लगा दे और वह इसको उपयुक्त स्थान समझ सकता है और प्रमुख स्थान तो सहन या दर्वाजा वगैरह ही कोई स्थान हो सकता है और घर के अन्दर का कोई हिस्सा नहीं हो सकता है। इससे भविष्य में लीगली कठिनाई हो सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने रखा है उसमें मैं यह शब्द "डुग्गी पिटवाकर" बढ़ा देना चाहता हूं।

श्रीमन्, इसलिये मैं चाहता हूं कि गजट सब लोग पढ़ते नहीं हैं। इसलिये कहा गया है कि नोटिस चिपकायी जाती, लेकिन, श्रीमन्, मैं जानता हूं कि नोटिस भी नहीं चिपकाया जाता है, और बिना चिपकाये ही कहा जा सकता है कि नोटिस चिपकायी गयी थी। इसलिये इसको साफ करने के लिये और लोगों को जानकारी हो जाय, इसका उपाय है कि डुग्गी पिटवा दी जाय। मेरा खयाल है कि इसके बाद स्वामी, अध्यासी या शहर के किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा कि वह कह सके कि जानकारी नहीं हुई। इसलिये इन शब्दों को बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आपका कहना है कि नोटिस चिपका कर, डुग्गी पिटवा कर तथा सरकारी गजट में आज्ञा के प्रकाशन द्वारा, यह तीनों चीजें रहें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जी हां।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। वैसा ही एक संशोधन मैंने

दिया था जो आगे दिया हुआ है । इसमें तीन बातें तीन सदस्यों ने कही हैं । एक बात कही गई है कि प्रमुख के स्थान पर उपयुक्त रख दिया जाय । यह बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि प्रमुख स्थान के माने यह हैं कि मकान का दरवाजा मुख्य स्थान हो सकता है और उपयुक्त में संशय है, इसलिये प्रमुख स्थान ही ठीक है । दूसरा संशोधन माननीय राजनारायण जी ने दिया है कि १५ दिन बाद, तो यह भी असंगत है । दूसरी बात यह है कि जब सरकार को मकान की या आवास की आवश्यकता है तो जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही समय देंगे । अगर आवश्यकता बहुत अधिक है तो थोड़ा समय देंगे । विधेयक में दिया है कि कम से कम तीन दिन हो तो उनको अधिकार है कि वह ५-७ दिन या महीना भर दे सकते हैं । यह तो कलेक्टर के सुभीते और डिस्क्रीशन के ऊपर होगा । साथ में यह भी है कि गजट में प्रकाशित होगा तो इसमें तो काफी समय लगता है और इसमें वह ज्यादा समय देंगे । इसलिये जो आपका संशोधन आया है उसकी आवश्यकता नहीं रहती है । इस लिये मेरे खयाल में वह बिलकुल ठीक नहीं है । तीसरा संशोधन श्री रामसुन्दर पांडेय ने दिया है कि डुग्गी पीटकर इसको प्रकाशित किया जाय । यह स्थान अधिकतर शहर में होंगे । यह गांवों में कम मौका पड़ेगा। ऐसी सूरत में इसकी आवश्यकता नहीं है । जब उसमें नोटिस चिपका दिया गया और गजट में प्रकाशित हो गया तो फिर इतनी ज्यादा और एहतियात की आवश्यकता नहीं है । इसलिये और जितने संशोधन यहां पर आये हैं उनका विरोध करता हूं और श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अब्दुलमुईज खां--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो आपत्ति उठायी थी, उसको सुनने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि माननीय राजनारायण ने लिखित रूप में अपने संशोधन को न देकर हमको एक तरह से गड़बड़ में डाल दिया वरना उनके संशोधन का तात्पर्य जो होगा वह असल में तो जो शब्दावली खंड ३ में है वहां पर रिक्वीजिशन का आर्डर होगा; उस आर्डर के तीन दिन के भीतर या कोई अवधि जो अधिकारी मुकर्रर करे उसके अन्दर कब्जा ले सकता है । यह बात वहां पर कही गयी है लेकिन आपने जो संशोधन रखा है उसमें १५ दिन की लिमिट रक्खी गयी है । वह इसके विरुद्ध पड़ती है । ४ दिन के अन्दर वह पजेशन ले लेता है १५ दिन तो बहुत रहता है । उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है । वह चीज चिपकी रहे उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है । जब वहां पर तीन दिन का समय दे दिया गया है और ४,५ दिन में वह पजेशन ले सकता है तो १५ दिन की बात एक ऐबसर्ड सी हो जाती है । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ;

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन चतुर्वेदी जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अंतिम शब्द उस संशोधन में यह है कि यदि किसी मालिक के मकान की आवश्यकता हो तो केवल यही नहीं कि गजट कर दिया जाय और अगर वह न मिले या उसको छोड़ दिया जाय, बल्कि उसके लिये यह परमावश्यक है कि उसके निवास स्थान के दरवाजे पर एक नोटिस चिपका दी जाय । उससे यह लाभ होगा कि मान लीजिये किसी कारण से यह मनुष्य नहीं मिलता है । कहीं गया है या कुछ पता नहीं देता। तो अब चपरासी ऐसा करते हैं वह लिखवा देते हैं कि हाजिर नहीं मिला। उस पर दो आदमियों के दस्तखत करा लेते हैं तो वह बात उसके विरुद्ध पड़ गयी । परन्तु यह आवश्यक है कि यदि वह नहीं मिलता है तो उसके दरवाजे पर, उनके मकान के दरवाजे पर नोटिस चस्पां होनी चाहिये । और यह बात भी अगर खयाल में आती है तो उसके साथ जब रूल्स बनेंगे तब यह ठीक किया जा सकता है । वह नोटिस चस्पां होगा । चस्पां करने के पश्चात् भी गलती हो सकती है परन्तु देखने में यह आता है कि चपरासी ने नोटिस चस्पां कर दिया परन्तु कोई वास्तविक सूचना नहीं दी । एक फर्जी दिखाने के लिये अपने कागज में उसने लिख दिया कि नोटिस चस्पां कर दी और वास्तव में उसने नहीं किया। तो इसका उपचार यह हो सकता है कि वह दो आदमी जिनके हस्ताक्षर चस्पां करने के सबूत में

[श्री श्रीचन्द्र]

कराता है वह इनके अतिरिक्त गांव के प्रधान अथवा सरपंच के हस्ताक्षर भी उसमें होने चाहिये, और उनके हस्ताक्षर की भी उस पर आवश्यकता है। जिस समय चस्पां किया जाय तो इनके हस्ताक्षर भी कराये जायं। मैं आशा करता हूं कि यही अंतिम रूप में संशोधन है और जैसा संशोधन जैन साहब का है, मेरा है और चतुर्वेदी जी का है उसको स्वीकार करने की कृपा की जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, कल भी मैंने इस पर प्रश्न उठाया था। कल भी क्लोजर आया था। आप यहां पर उपस्थित नहीं थे। इस संबंध में दोनों बार विवाद हुआ था। हमने यह स्पष्ट किया था कि ऐडवाइजरी कमेटी के अनुसार इसके लिये डेढ़ घंटे का समय निश्चित किया गया है तो बीच में क्लोजर आना शोभा नहीं देता। इनको कन्वेंशन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसको स्पष्ट किये देता हूं। क्लोजर के बारे में माननीय सदस्यों को अधिकार रहेगा चाहे वह उसको मूव करें या न करें। यह हो सकता है कि २,४ व्यक्ति एक संशोधन के ऊपर कुछ समय ले लें या कुछ महत्व के संशोधनों पर समय ले लें। उनके ऊपर विवाद करके मत परिवर्तन अगर माननीय मंत्री करना चाहते हैं, और उस संशोधन को स्वीकार करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में अध्यक्ष ही इस बात का निर्णय करेगा कि यदि कोई प्रस्ताव, क्लोजर का मोशन आवे कि प्रश्न उपस्थित किया जाय तो उस पर वाजिब तौर पर बहस हुई है या नहीं इस का निश्चय करे। और अगर वाजिब तौर पर काफी बहस नहीं हुई है तो वह उस क्लोजर को स्वीकार नहीं करेंगे जैसा कि कल माननीय उपाध्यक्ष ने उसको मंजूर नहीं किया। वह इसलिये नहीं किया क्योंकि वह समझते थे कि इस पर और बहस करने की आवश्यकता है। लेकिन पहले दो तीन संशोधनों के ऊपर ही सब लोग बोलना शुरू कर दें और १००-१५० संशोधन हों जिन पर विचार ही न होने पाये तो इस प्रकार से इतनी संख्या में संशोधनों पर पूरा विचार ही न हो सकेगा। इसलिये इस समय निर्धारण का यह मतलब नहीं है कि क्लोजर का प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता, लेकिन निर्णय देते समय इस बात पर विचार कर लिया जायगा कि काफी भाषण हुये हैं या नहीं। अगर काफी बहस किसी संशोधन पर हो चुकी हो तो क्लोजर की मंजूरी अध्यक्ष देंगे अन्यथा नहीं देंगे।

(इसके बाद श्री अध्यक्ष ने श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी का नाम पुकारा।)

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप खड़े ही नहीं हुये थे। इसलिये मुझे उनका नाम लेना पड़ा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया है इसलिये अब मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--श्री शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने जो संशोधन पेश किया है उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह मुझे स्वीकार है। नारायणदत्त तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया था उसका जवाब अवधेशप्रताप सिंह जी ने दे दिया कि 'उपयुक्त' गोलमाल शब्द है और उसके स्थान पर 'प्रमुख' शब्द ठीक है। इसलिये चतुर्वेदी जी के संशोधन में जो संशोधन तिवारी जी ने पेश किया था वह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी संशोधन उस संशोधन में पेश किये गये। श्री राजनारायण जी ने जो धारा ३ पास हो चुकी है उसके विरोध में संशोधन दिया था।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने इस पर व्यवस्था दे दी तो उनका फिर कहना ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--वे उसका बहस में जिक्र कर सकते हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--मैं यह कह रहा था कि धारा ३ जब स्वीकृत हो चुकी थी और तीन दिन का समय निश्चित कर दिया गया था तो अगला संशोधन उसके विपरीत नहीं आ सकता। श्री पांडे जी ने भी एक संशोधन इस आशय का पेश किया कि ढोंढी से सूचना दी जाय। आमतौर से जो आवास लिये जायेंगे वे शहर में होंगे जिनके लिये ढोंढी पिटवाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये अन्त में मैं शम्भूनाथ जी का संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, यह कहा गया कि "उपयुक्त" शब्द "प्रमुख" शब्द के मुकाबले में उपयुक्त नहीं है। मैं आपका ध्यान लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं उसमें लिखा हुआ है कि--

"the Collector shall then cause public notice to be given at convenient places on or near the land to be taken"

इसमें "कनवीनियंट प्लेस" शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अनुवाद "उपयुक्त स्थान" होता है। अगर "प्रमुख स्थान" होता तो "प्रामीनेंट प्लेस" होता।

श्री अध्यक्ष--लेकिन उसका कारण यह है कि बहुत से स्थानों के संबंध में "कनवीनियंट स्थानों" शब्द का उपयोग हो सकता है परन्तु एक ही मकान में जब प्रश्न हो तो प्रामीनेंट जगह कहने से उचित प्रकाशन होता है। इसलिये प्रामीनेंट शब्द का प्रयोग किया गया है।

(कुछ ठहर कर)

इसमें कई संशोधन आ गये हैं इसलिये सब को एक-एक करके लेता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय जी का संशोधन यह है कि "भांडारिक आवास के प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर, डुग्गी पिटवा कर तथा" ये शब्द रख दिये जायं। यानी शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी के संशोधन में "डुग्गी पिटवाकर" शब्द और जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति ५ के शब्द "तो" तथा शब्द "सरकारी" के बीच में शब्द "भांडार आवास के प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवाकर तथा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--इसमें इतना और कह देना चाहता हूं कि "उपयुक्त" के बारे में मैं अलग से राय ले लेता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं श्री राजनारायणजी का प्रतिबन्ध रखना चाहता हूं जो इस प्रकार है--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे स्वामी अथवा अध्यासी के भांडार पर जो अविलम्ब प्राप्य न हो, १५ दिन तक नोटिस चिपका रहने के बाद ही कब्जा किया जायगा।"

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ के अन्त में यह प्रतिबन्ध, जो मैंने पढ़ा, जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

भांडारिक आवास के प्रयोग का अधिकार।

५--यदि कलेक्टर ने धारा ३ के अधीन कोई भांडारिक आवास अधिकृत कर लिया हो तो वह उसे ऐसी रीति से प्रयुक्त अथवा व्यवहृत (deal with) करेगा जो उसे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त इष्टकर प्रतीत हो।

श्री रामेश्वर लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन कल की तरह से है। मैं चाहता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ३ के शब्द "खाद्यान्नों" के बाद शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिया जाय।

श्री बलदेवसिंह आर्य--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ३ के शब्द "खाद्यान्नों" के बाद शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार।

६--कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि (premises) में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त प्रयुक्त किये जा सकते हैं अथवा नहीं।

श्री रामेश्वरलाल--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की पंक्ति २ के शब्द "में" तथा शब्द "यह" के बीच में शब्द "सूचना देकर" रख दिये जायं। इसके बाद यह खंड ६ इस प्रकार हो जायगा। "कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि में सूचना देकर यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हैं, अथवा नहीं।"

मैं अपने इस सूक्ष्म संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि यदि जिलाधीश या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी आवास को यह देखने के लिये कि वह खाद्यान्नों के लिये उपयुक्त है या नहीं तो वह उस व्यक्ति को उचित सूचना देकर उसके घर में जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक अपने प्रांत के बहुसंख्यक लोगों की भलाई के लिये बनाया जा रहा है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने माना है और यह बड़ा शुभकार्य है क्योंकि इस विधेयक के द्वारा हम मूल्य संरक्षण की भावना रखते हुये देश में अन्न के भावों को रोकना चाहते हैं। कौन ऐसा इस प्रांत में होगा जो यह चाहता होगा कि यहां के लोगों का नुकसान हो और अनाजों के भाव इस तरह से गिरें जिससे बहुसंख्यक लोगों को घाटा हो ? मैं चाहता हूं कि इसमें सबकी सद्भावना रहेगी यदि ऐसे घर के मालिक से मेहरबानी करके पूछ लिया जाय और उसको सूचना दे करके उसके घर में जाया जाय। इससे सरकार के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो दफा ३९५ और ३०२ के मुलजिमों को यह सुविधा है कि उनके घरों की सर्च के निमित्त अगर कोई अधिकारी जाय तो कुछ व्यक्तियों को साथ ले कर अनिवार्यतः जाय और सूचना देकर उनके घर में घुसे और कायदा तो यहां तक है कि अपनी तलाशी देकर तब उनके घर में घुसे जब क्रिमिनल केसेज में यह सुविधा दी जाती है तब यह तो बड़ी सद्भावना की बात है, यह बड़ा शुभकार्य है इसमें यदि आप किसी के घर में जाते हैं तो सूचना दे कर जायं। इस पर दलील ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आज वह इस मूड में हैं कि इसको स्वीकार कर लें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, मैं श्री रामेश्वरलाल के संशोधन के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि सरकार को इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह बात क्रिमिनल मामलात में भी मालिक या अध्यासी को है कि वह छिपकर भाग न जाय तब भी ऐसी सुविधा है लेकिन इसमें जब कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत सरकार को नहीं है तब यह क्यों न माना जाय? श्रीमन्, यह साधारण सभ्यता की बात है। मकान तो किसी का उठा नहीं जा रहा है केवल उसको सूचना दी जाय कि कोई अधिकारी या कलेक्टर उस मकान को इस नियत से देखता है कि वह भांडार के काम के लिये उपयुक्त है या नहीं तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। यदि ऐसी मांग भी हमारे माननीय मंत्री महोदय मानने से घबड़ाते हैं तो मैं क्या कहूं! इसमें कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई भी नहीं है। इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री रतनलाल जैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी संशोधन दिया गया है मैं उसको आवश्यक नहीं समझता। कारण यह है कि जब कलेक्टर या उनके आदेश से कोई भी अधिकारी मकान को या आवास को देखने जायगा तो यह तो साधारण सी बात है कि वह सूचना देगा, उनकी बुद्धि पर हमको यकीन करना चाहिये। मान लिया कि उसके मकान में ताला लगा हुआ है तो लाजमी कहेगा कि ताला खोल दो और ताला खुला हुआ है और कोई उसमें रहता है तो साधारण बात है वह कहेगा कि हम मकान देखना चाहते हैं। मान लीजिये उसमें किसी की फेमली रहती है तो सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार कहा जायगा कि वहां से हट जाय। लिहाजा यह शब्द बिल्कुल अनावश्यक है। हमको कलेक्टर की बुद्धि पर एतबार करना चाहिये जिसको कि हम सारे अधिकार देने जा रहे हैं कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो फिजूल, व्यर्थ और आक्षेप करने वाला हो। ऐसी बात वह कभी नहीं करना चाहेगा। हमें उसकी बुद्धि और डिस्क्रीशन पर यकीन करना चाहिये और सूचना देने का जो शब्द है उसकी यहां आवश्यकता नहीं है। इस कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह—जो इस संशोधन को न मानने के खिलाफ आक्षेप या प्रश्न उठाये गये हैं उसमें मेरा खयाल यह है कि कुछ गलतफहमी है। एक बात तो यह समझ ही लेनी चाहिये कि इसमें मकान लेने का कोई सवाल ही नहीं है। यह अधिनियम जो बन रहा है इसमें केवल गोदाम या खत्ती लेने का सवाल है। गोदाम या खत्ती ऐसी चीज होती है जिसमें लोग रहते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कलेक्टर यह देखने जायगा कि यह खत्ती या गोदाम खाली है या नहीं है और आया इसे लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। मानलिया एक रोज कलेक्टर शहर में निकला कि देखें कितने गोदाम खाली हैं, कितनों की आवश्यकता है और कितने लिये जा सकते हैं। अब कलेक्टर जायगा तो खत्ती वाले या गोदाम वाले को सूचना दे देगा। उसका ताला बन्द है तो उसे खुलवायेगा। तो यह तो इतनी सूचना हो जायगी। लेकिन अगर कानून में यह रखते हैं कि सूचना देना आवश्यक है तो यह रखना होगा कि किस प्रकार रक्खी जायगी और कै रोज पूर्व सूचना दी जाय। सूचना के लिये फिर चाहे १ घंटा रक्खे, या १ दिन रक्खे लेकिन कुछ रखना अवश्य पड़ेगा। अगर रखते हैं और वह सूचना नहीं लेता है और कहीं चला जाता है तो बिना सूचना के कलेक्टर उसके अन्दर जा कर देख नहीं सकता है तो यह एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत देर होगी। फिर कलेक्टर एक बहुत व्यस्त अधिकारी है। वह एक रोज गया १०, १२ खत्तियां देख आया लेकिन अगर सूचना देना आवश्यक होगा तो इसमें देर लगेगी। मैं समझता था कि कोई माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डालेंगे कि अगर सूचना नहीं दी जाती है तो आखिर इससे क्या नुक्सान होगा? अगर खत्ती को देखने से पूर्व जिलाधीश पूर्व सूचना नहीं देता है तो इससे मकान मालिक को क्या नुक्सान पहुंचता है इसपर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। कलेक्टर जिस वक्त जाता है देख लेता है और उपयुक्त समझता है तो ले लेता है और नहीं उपयुक्त समझता है तो नहीं लेता है। सूचना देने के कारण दिक्कतें हो सकती हैं इसी एक कारण से यह संशोधन माना नहीं जा सकता है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि आखिर क्या ऐसी कठिनाई है और क्या शिकायत हो सकती है जिस पर किसी सदस्य ने कोई रोशनी नहीं डाली। मैं उनकी सेवा में वही बातें रखना चाहता हूं जो छठा खंड है वह स्पष्ट है और इस प्रकार है "कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त प्रयुक्त किये जा सकते हैं अथवा नहीं।"

यदि इसमें केवल निरीक्षण शब्द रहता और प्रवेश न रहता तो मैं समझता हूं कि पूर्व सूचना देने की बात रामेश्वर लाल जी की न मानी जाती तो कोई हर्ज नहीं था।

श्री हरगोविन्द सिंह—बिना प्रवेश के भी निरीक्षण हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—बिना प्रवेश के भी निरीक्षण हो सकता है। बाहर से देख लिया। मैं यही निवेदन कर रहा हूं। लेकिन इसमें तो प्रवेश भी है और प्रवेश के मानी यह हुए कि ताला भी तोड़ा जा सकता है। एक आदमी अपने घर के ऊपर ताला लगाये हुए है, बन्द किये हुए है, उसमें कुछ ऐसा सामान भी है जो वह हर आदमी को दिखाना नहीं चाहता। कोई अफसर चाहता है तो इस प्राविजन के मुताबिक उस अफसर को कोई रोक नहीं है कि वह ताला न तोड़े। वह ताले को तोड़ सकता है और ताला तोड़ कर उसके घर की गोपनीयता को नहीं रहने दे सकता है। गोपनीयता की आवश्यकता होती है और मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति को अपने घर को गोपनीय रखने में रोका नहीं जा सकता। इसमें बड़ा स्पष्ट है कि कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि इसका तो मतलब होता है भूगृहादि में वह प्रवेश कर सकता है और अगर प्रवेश कर सकता है तो उसकी गोपनीयता को खतम कर सकता है। इसलिये माननीय रामेश्वरलाल जी का इतना कहना है कि वह सूचना दे दें और अगर वह गोपनीयता रखना चाहता है तो उसकी गोपनीयता को कायम रखने के सिलसिले में इजाजत ले सकता है कि हमें दो एक घंटे का वक्त दे दिया जाय। हमने कुछ ऐसे सामान भी रखे हैं जो हम आपको और दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहते। मैं यह नहीं चाहता हूं कि अगर कलेक्टर कोई ऐसी चीज देखना ही चाहता है, अपराध की चीजें छिपा रखी हों उन्हें वह भले ही देख ले, लेकिन ऐसी चीज नहीं है तो उसकी गोपनीयता भी आवश्यक है। एक तरफ तो मेरी दिक्कत यह है दूसरी तरफ दिक्कत सरकार की है। सरकार की सूचना देने की क्या प्रक्रिया होगी इसको नियमों में स्पष्ट कर सकती है जिसमें कोई बहुत ज्यादा देर तक टालने वाली बात न आये और नियमों में इसको ज्यादा स्पष्ट कर दिया जाय कि कितनी देर की सूचना पर्याप्त समझी जायगी और सूचना लेने में अगर कोई घपला या ऐसी चीज करता है जिससे वह बचना चाहता है तो उसमें नियमों में स्पष्ट कर दिया जाय। फिर इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से यह कठिनाई बच जाती है और दूसरी तरफ सरकार को स्पष्ट काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस रोशनी में भी माननीय मंत्री जी विचार करें।

*श्री अब्दुलमुईज खां—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को बड़े गौर से सुनने की कोशिश की और खास तौर से इस वजह से कि माननीय मंत्री जी के उस तरफ ध्यान दिलाने पर ध्यान हुआ कि वह बात जो छूट गयी है वही कही जाय। मैं जो समझ सका उन्होंने दो बातें कहने की कोशिश की हैं। एक तो यह कि इस विधेयक का जो खंड है उसमें निरीक्षण के साथ-साथ प्रवेश करने का जो शब्द है उससे उनको यह डर मालूम होता है कि कहीं अगर बिला किसी सूचना के दिये हुए प्रवेश करने का अधिकार कलेक्टर को मिल जाता है तो किसी के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घर ही में न घुस जायं। तो यह बात इस सदन में कई संशोधनों के सिलसिले में कही जा चुकी है कि स्टोरेज के लिए ऐसी ही बिल्डिंग्ज जो साधारणतया आमतौर पर स्टोरेज के काम में इस्तेमाल होती हैं वही ली जा सकती हैं। तो फिर ऐसी सूरत में किसी के मकान में प्रवेश करने पर कौन आपत्ति हो सकती है ? लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि निरीक्षण ही से काम चल जायगा तो मैं यह कहूंगा कि उसका जो असली मकसद है उसके बिल्कुल विरुद्ध निरीक्षण होगा। बाहर से आपने देख लिया लेकिन स्टोरेज के लिए तो अन्दर की चीज देखनी है, मकान में कितनी जगह है, सीलन है या नहीं, वेंटिलेशन का क्या हाल है, छत कैसी है, यह सब बातें देखने की हैं जो बिला प्रवेश किये हुए नहीं हो सकतीं। बाहर से देखने के बाद वापस आने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरी बात जो आपने कही वह सीक्रेसी की बात है। वह भी उसी आधार पर है कि अगर कोई किसी के मकान के अन्दर चला जाय बिला सूचना दिये तो यह बात सीक्रेसी के खिलाफ पड़ती है, गोपनीयता के खिलाफ पड़ती है। लेकिन अगर माननीय सदस्य ज्यादा सोचें तो इस बात से सहमत ोंगे कि स्टोर्स में कोई ज्यादा सीक्रेसी की बात नहीं होती और अगर किसी के स्टोरेज में कोई सीक्रेसी की बात है तो कलेक्टर को पूरा अधिकार भी होना चाहिये कि क्या ऐसी सीक्रेट चीज उस स्टोर के अन्दर है इसको वह देखे और पिछले वर्षों में जो सरकार के सामने कठिनाइयां आती रही हैं उनको देखते हुए नेता विरोधी दल को इसको मान लेना चाहिये कि ऐसे मौके पर सीक्रेसी का बिल्कुल ही खयाल नहीं करना चाहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—इसके माने घर कभी नहीं लिये जायंगे।

श्री अब्दुल मुईज खां—ऐसा नहीं है कि किसी का घर लिया जायगा। साधारणतया जो स्टोरेज के काम में प्रयुक्त होता है उसको अगर आप घर कहें तो बात दूसरी है नहीं तो वह इस डेफिनीशन में नहीं आता है।

श्री शिवनारायण—जो अमेंडमेंट उधर से आया है मैं उसका विरोध करता हूं। कोई कलेक्टर भी मोटी बुद्धि वाला आदमी नहीं है। इस संशोधन के माने यह है कि मुंह से चलो, आंख से बोलो और कान से देखो, तो इतनी मोटी बुद्धि किसी कलेक्टर के पास नहीं है और अगर मोटी सी बात देखते कि जिसका स्टोर खाली होगा वह सूचना मिलने पर ही २५ बोरा गेहूं उसमें खरीद कर रखवा देगा और अगर कलेक्टर ने कहा कि परसों हम आयेंगे......

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण बाद में जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में इस अमेंडमेंट का विरोध करते हुए यह कह रहा था कि कुछ लोगों का विचार है कि नोटिस शब्द जो दिया है, सरकार नोटिस दे, सूचना का अर्थ यह है कि कानूनी तौर पर गवर्नमेंट नोटिस देगी उसमें कम से कम एक महीना लग जायगा, १५ दिन लग जायेंगे, कोई लिमिट नहीं है और गवर्नमेंट बाउन्ड होगी, कलेक्टर बाउन्ड होगा कि उसका पालन करे और वह आदमी जिसके नाम हम नोटिस इजरा करेंगे तो वह आदमी भाग भी सकता है। उसके लिये गवर्नमेंट को पता लगाना पड़ेगा और यह प्रश्न इमरजेंसी का है। आज हमारे पास खत्तियों की कमी है। तो १५ दिन लग जायेंगे और उसके बाद हमने दूसरे खंड में मंजूर किया है। कुछ लोगों को शिकायत है कि मकान सरकार ले लेगी। दूसरे में दिया हुआ है कि भांडारिक आवास (storage accommodation) का तात्पर्य

[श्री शिवनारायण]

है भांडार के निमित्त प्रयुक्त या उपयुक्त कोई भवन, और इसके अन्तर्गत खत्तियां भी हैं, उनको सरकार लेगी। जहां खत्ती होगी वही लेगी यह नहीं कि किसी के मकान, बंगले को खाली करा लेगी सरकार। सिर्फ जिसमें खत्ती होगी वह लेगी। लेकिन हमारे मित्र उधर से यह चाहते हैं, जैसा मैंने उस वक्त कहा था कि इसमें लिख दिया जाय कि आंख से देखें, पैर से चलें, मुंह से खायें और अक्ल से काम लें। हमारे कोई मजिस्ट्रेट जिनके जिम्मे यह काम है वह कामनसेंस रखते हैं, यह तो कामनसेंस की बात है, कानून बनता है ढंग से यह नहीं कि हमारी दाढ़ी की आड़ में कोई छुप जाय और घर में न दिखाई दे। तो मैं विरोधियों से कहना चाहता हूं और खास कर श्री अवधेशप्रताप सिंह जी से कि वह चीज कही जाय। यहां पर, और आपको (श्री अवधेश प्रताप सिंह) घबराहट इसलिये है कि आपके पास मकानात हैं। लेकिन आपके मकान सरकार नहीं लेगी। अगर आपने किसी मकान में स्टोरेज का काम किया होगा सन् १९४७ से और जिनका खाली है गवर्नमेंट उसी को लेगी। मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऐश्योरेंस दिलाता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे मित्र जिन्होंने यह अमेंडमेंट दिया है उनको वापस लेना चाहिये, उससे कोई बाधा नहीं पड़ती है और सरकार का नुकसान होगा उनके अमेंडमेंट से और वक्त जरूरत पर कोई स्टोरेज मिल नहीं सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वे इसे वापस कर लें।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रामेश्वर लाल जी ने पेश किया है मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं। रामेश्वर लाल जी ने काफी सफाई कर दी थी मगर खाद्य मंत्री की अनुपस्थिति में इनकी वंशी की रागिनी बन कर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रेमिसेज़ का एक अपना और ही अर्थ कर दिया। अगर सही माने में प्रेमिसेज का वही अर्थ हो जो कि शिक्षा मंत्री जी मानते हैं तो मुझे इसमें तनिक शक नहीं है कि माननीय खाद्य मंत्री जी और हमारे बुजुर्ग हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम जो बैठे हुए हैं वे शिक्षा मंत्री जी से इस बात में मेल नहीं करेंगे कि प्रेमिसेज का अर्थ वही होता है जिसको कि खाद्यान्न भांडार कहते हैं। कोई भी चाहे वह लीगल टर्म हो, चाहे वह आक्सफोर्ड और चेम्बर्स डिक्शनरी देखें, सब में उनको मिलेगा कि प्रेमिसेज़ का मतलब भी बिल्डिंग से होता है और उसमें जो ऐडजंक्ट्स (विशेषण) होते हैं सब उस प्रेमिसेज़ में आते हैं। तो अपने मन से अर्थ करके उसे अनर्थ के रूप में परिवर्तित करना और अनावश्यक तर्क इस सदन में प्रस्तुत करना और साधु संशोधन का विरोध करना किसी भी मंत्री या सदन के सम्मानित सदस्य के लिये शोभा की बात नहीं है।

श्रीमन्, विधेयक की धारा आपके सामने है। छठां क्लाज़ आप देखें, इसमें लिखा हुआ है--"कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि (Premises) में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हैं, अथवा नहीं।" यदि इसी विधेयक की पिछली धाराओं को पढ़ा जाय, श्रीमन्, तो उसमें यह बात साफ दी गई है जैसे तीसरा क्लाज़ आप देख लें --"यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भाण्डार में रखने के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम होगी) जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय :"

तो, श्रीमन्, यह भांडारिक आवास को भी सरकार ने दो भागों में विभाजित किया है। एक तो उनका भांडारिक आवास जो कि वहां पर मिल जाता है और एक उनका भांडारिक आवास जो कि इज़िली रेडिली ट्रेसेबुल नहीं है यानी जो अविलम्ब प्राप्त

नहीं है। तो उनका भांडारिक आवास जो अविलम्ब प्राप्त नहीं है, एक बात हुई और उनका भांडारिक आवास जो कि तत्काल प्राप्त हो जाता है, दूसरी बात हुई। फिर यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी या सरकारी पक्ष के वे लोग जो कि प्रेमिसेज़ का अर्थ केवल खाद्य भांडार समझते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि फिर खाद्य-भांडार शब्द जब कि दूसरे खंडों में प्रयुक्त हुआ है तो उसी शब्द को यहां पर क्यों नहीं रख दिया जाता। फिर प्रेमिसेज़ क्यों रखा जाता है, भूगृहादि क्यों रखा जाता है? इसमें अब कोई दो रायें नहीं होनी चाहिए कि इन दोनों शब्दों में बड़ा भेद है। खाद्य भांडार में प्रयुक्त होने वाले आवास का दूसरा अर्थ होता है और भूगृहादि का दूसरा अर्थ होता है, जिसमें उन स्थानों को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें लोग निवास करते हैं। श्रीमन्, कई वक्ता केवल इसी तर्क को जो कि इस विधेयक की किसी धारा में, किसी लाइन में नहीं है, लेकर बोलते रहे कि माननीय गेंदासिह जी को या माननीय रामेश्वर लाल जी को या और जो इस संशोधन के पक्ष में बोल रहे हैं, क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी अहाते में प्रवेश करने में या निरीक्षण करने में जिसमें कि गोदाम हो, माल रखा जाता हो। माल का भी बड़ा व्यापक अर्थ होता है और वह भी, श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं वर्ना मैं उनसे निवेदन करता कि सौन्दर्य के पदार्थ अक्सर गोप्य रखे जाते हैं, मगर मैं उस तर्क पर नहीं जाना चाहता। मैं उस तर्क को यदि इस सदन में शिक्षा मंत्री जी विद्यमान होते तो और मजबूती के साथ और व्यापकता के साथ उपस्थित करता। इस समय तो मैं जो इसका लीगल अर्थ है, जो इसकी कानूनी परिभाषा है, बताना चाहूंगा। हमारे मित्र मुईज़ खां भी सामने बैठे हुए हैं, चेहरे पर मुस्कराहट भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि प्रेमिसेज़ के क्या अर्थ होते हैं और क्या किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी शब्दकोष में, किसी भी कानून की भाषा में प्रेमिसेज का अर्थ माना गया है केवल गोदाम या वह भांडार, वा रहने का स्थान जिसमें कि गल्ला रहता हो।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत होंगे कि प्रेमिसेज़ एक व्यापक टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस व्यापक शब्द से संकुचित अर्थ निकालने की प्रणाली तो जो माननीय मंत्री जी ने सर्वदा के लिए कायम कर रखी है उनसे मैं निवेदन करूंगा और ट्रेजरी बेंच के और सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शब्दों के साथ खेल न किया करें। शब्दों के साथ खेल करके बहुत अनर्थ किया जा चुका है और आज तक होता रहा है। ऐसे शब्द का प्रयोग वहां पर न किया जाय जो कई अर्थों में प्रयुक्त होता हो और अगर हम दिल व दिमाग को साफ करके यहां पर कहें कि भूगृहादि में रहने का स्थान आता है या नहीं तो सफाई के साथ माननीय मंत्री जी को इस शब्द को परिवर्तित कर देना चाहिये। जैसी कि खंड ३ की शब्दावली है, "भांडारिक आवास" खाद्यान्नों को भांडार में रखने के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। खंड ४ में है, "अधि-ग्रहण आज्ञा की तामील, भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी पर, यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी अविलम्ब प्राप्त न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त हो, तो सरकारी गजट में आज्ञा के प्रकाशन द्वारा की जायगी"। जो शब्द पहले मिल चुके हैं, वही प्रयोग में आने चाहिये। मुझे संसद सदन में इस बात को फिर कहना पड़ रहा है कि बड़े-बड़े सम्मानित मित्र ट्रेजरी बेन्चेज में जो आज बैठे हुए हैं वह शब्द के साथ खेला करते हैं और शब्द की परिधि को लांघ कर अपनी बुद्धि के साथ भी खेल करने लगते हैं और एक साधारण सी लोकोक्ति के अनुसार "सूझि जुवारिहि आपन दाऊं", जुवारी को अपना दांव ही सूझता है, जो सरकार की इच्छा हो, सरकार का मकसद हो उसको कानून के रूप में मूर्तिमान करना चाहिये चाहे जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाय। मैं समझता हूं कि वह सरकार के लिये अच्छा नहीं है और न सदन के उन सदस्यों के लिए है जो सरकार के शब्द जाल में अपने को बौद्धिक परतंत्रता में ले जाने के आदी हो चुके हैं। श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ आपके द्वारा माननीय मंत्री से और

[श्री राजनारायण]

माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अब इतनी सफाई हो चुकी है तो इसके बाद वह सरकार पर इस सदन में अपनी आवाज बुलन्द करके इस बात का आग्रह करें कि वह भूगृहादि को बदल कर उसकी जगह "भांडारिक आवास" रख दें। अगर ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय तो शिक्षा मंत्री और उनसे मेल खाने वाले जो लोग हों वह उस अर्थ को लेकर कह सकते हैं कि इस मकान में प्रवेश करने में क्या आपत्ति है जिसमें गल्ला भरा हुआ है, जिसमें खाद्य की सामग्रियां भरी हुई हैं। उसमें कोई ऐसी चीज छिपाने की नहीं है, गोपनीय चीज नहीं है जिसमें कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी चला जायगा तो गोपनीयता भंग हो जायगी या किसी की सुन्दरता पर अनियंत्रित या अवांछनीय ढंग पर कुठाराघात हो जायगा, अतिक्रमण हो जायगा और सरकारी कर्मचारियों की किसी न किसी तरह से कुदृष्टि पड़ जायगी। खाद्य सामग्री रखी हुई है, कोई सरकारी कर्मचारी वहां ताला तोड़ कर चला जायगा तो क्या सरकारी कर्मचारी उसको बिगाड़ देगा? यह माननीय शिक्षा मंत्री तभी कह सकते हैं जब कि इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाय। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब मुस्करा रहे हैं; मैं समझता हूं कि वह हमारे तर्क से सहमत हैं और वह इसकी गम्भीरता और गुरुता से परिचित हो गये हैं और शायद वह भूगृहादि को बदल कर खाद्य भांडार के रूप में रखने की कृपा करेंगे। तब शायद रामेश्वरलाल जी भी अपने संशोधन पर विचार करके पुनः सोच सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज रखी हुई है जिस पर माननीय गेंदासिंह जी को आपत्ति है? माननीय गेंदासिंह जी को आपत्ति तो तब मालूम हुई है जब भूगृहादि और खाद्य भांडार के लिए जो आवास है उसमें अन्तर नहीं किया, वरना माननीय गेंदा सिंह जी को कोई आपत्ति नहीं रही होगी। कभी-कभी जो लोग नाजायज काम करने के आदी होते हैं, अपने खाद्य भांडार के आवासों में भी कुछ नाजायज सामग्रियों को वहां पर छिपा दिया करते हैं, उनके लिये दिक्कत हो सकती है। तो हम इस सदन में गैर-सामाजिक कार्यों की हिफ़ाजत के लिये नहीं हैं हम तो इस सदन में जो जनहित के कार्य हैं उनकी रक्षा के लिये हैं। तो यदि कोई उस दृष्टिकोण को सामने रख कर उस भवन में प्रवेश करने न देना चाहता हो तो हम उसके साथ नहीं हैं।

मैं अपनी ओर से यह सफाई दे देना चाहता हूं मगर हां, उसी के साथ-साथ में इस बात की भी सफाई दे देना चाहता हूं कि किसी के निवास स्थान के अन्दर बिना समुचित सूचना दिये हुये नहीं जाना चाहिये चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या उसके द्वारा प्रयुक्त कोई अधिकारी हो। फिर, श्रीमन्, आपको ज्यादा जानकारी हमसे भी होगी कि यहां पर जो कानून की भाषा होती है इस सदन के सम्मानित सदस्य उस भाषा का जो अर्थ करते हैं यह कोर्ट्स नहीं लगाया करती हैं। जो कचहरियां, वकील और दूसरी अदालतें हैं वे कानूनी भाषा का जो अर्थ कानून के रूप में होता है उसी को लिया करते हैं। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी कहें या सरकारी पक्ष की ओर से यह दलील दी जाय कि हम भूगृहादि रखेंगे मगर हम साफ कह रहे हैं कि किसी के निवास स्थान पर कब्जा नहीं होगा यह बात सदन को नहीं माननी चाहिये क्योंकि यहां पर उनका यह दिया हुआ आश्वासन बिल्कुल बेकार सा है। श्रीमन्, मैं स्वतः भुक्तभोगी हूं। इसी सदन में जब माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और माननीय चरण सिंह जी मंत्री थे उस समय अदलपुरा मिर्जापुर के बारे में एक क्वेश्चन (प्रश्न) का जवाब बताया गया। कोर्ट्स कहती हैं, मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि वहां के आश्वासन देने से हमारे ऊपर क्या बाईंडिंग (बन्धन) है। हम तो जो कानून के दौरान में हमारे सामने बात आयेगी उसको देखेंगे चाहे असेम्बली में सरकार के मंत्री लोग आपको जो भी आश्वासन देते

रहते हों। कई बार यहां आश्वासन दिये जा चुके हैं। अभी हाई कोर्ट ने स्पेशल पावर्स ऐक्ट को नाजायज करार दे दिया लेकिन आज तक उस नाजायज कानून के जरिये से जो जुर्माना वसूल किया गया था वापस नहीं किया गया। आज बेदखली का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य बहुत दूर चले जा रहे हैं।

श्री राजनारायण--इसी पर आ रहा हूं। तो मैं उदाहरण के लिये माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उसमें भी एक 'अक्षम' शब्द है। लोग कहते थे कि अक्षम के माने क्या होते हैं, लूला हो, लंगड़ा हो, कोई अंगहीन हो। मगर अब तो डाक्टर का सार्टिफिकेट देकर कि ४० वर्ष की अवस्था है बेदखली हो रही है और कचेहरी की तरफ से मैजिस्ट्रेट यह फैसला दे रहे हैं कि जब हमको सिविल सर्जन कह रहा है कि यह ४० वर्ष का व्यक्ति अक्षम है, इसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी खेती की निगरानी कर सके इसलिये बेदखल कर रहे हैं। तो अक्षम के अन्दर बेदखल करने की गुंजायश है। तो इस तरह से आज कानून की जो मंशा यहां पर व्यक्त की जाती है उस मंशा के विरुद्ध आज सारे प्रान्त में हाहाकार मचा हुआ है। मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह बड़ा व्यापक अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में आप दे रहे हैं और उस अधिकार को लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस तरह से कदम उठायेंगे उसमें बहुत अनर्थ भी हो सकता है। फिर किसी कांग्रेसी मंत्री या एम० एल० ए० का किसी व्यक्ति विशेष से राग द्वेष हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके इशारे पर नाच सकता है, उसके निवास स्थान को अपने कब्जे में कर सकता है। भू-गृहादि के अन्दर रहने के मकान भी आते हैं। आज तक कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं बताई जा सकती जिसमें भूगृहादि के अन्दर मकान न आते हों। श्रीमन्, मैं इसलिये कहूंगा कि अगर सरकार का दिमाग साफ है तो भूगृहादि शब्द को हटा कर उसकी जगह पर भांडार आवास या खाद्यान्न की जो जगह हैं उनके निरीक्षण या प्रवेश की बात रखें तब तो शिक्षा मंत्री जी के उठाये हुये तर्क या सरकारी पक्ष की ओर से बोलने वाले लोगों के तर्क में कुछ बल है। लेकिन भूगृहादि, इतने बड़े व्यापक अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देने के लिये एक मिनट को भी हम अपने को तैयार नहीं पाते हैं।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री राजनारायण जी ने बहुत जोरदार शब्दों में इस बात की शिकायत की कि ट्रेजरी बेंच के लोग शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हैं और बुद्धि के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ। वह अपनी शिकायत दूसरे के सर पर थोपने की अनुचित चेष्टा कर रहे हैं। उन्होंने अगर उसे गम्भीरतापूर्वक पढ़ा होता और उसे समझने की कोशिश की होती तो यह प्रेमिसेज का अंग्रेजी का शब्द जो ब्रैकिट में दे दिया गया है, उसका तात्पर्य किस तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि राजनारायण जी को इतना बुद्धि के संबंध में व्यायाम करने का कोई कारण नहीं रह जाता। शायद राजनारायण जी को वह स्थान जिन में अनाज रखा जाता है, ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है कि अनाज ऐसी जगह पर भी रखा जा सकता है जो किसी अहाते के अन्दर हो और जैसा कि उन्होंने कहा कि कोर्ट में बाल की खाल निकाली जाती है, अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इसी भावना से इसे देखें कि अगर इसमें प्रेमिसेज का जिक्र न हो तो ऐसी जगह भांडार हो सकता है जहां आस-पास अहाते हों और ऐसे स्थान हों जिनमें अन्न रखने की आवश्यकता समझी जा सकती है तो अगर इनको देखने के लिये कलेक्टर को अधिकार न हो या उनके द्वारा अधिकृत किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार न हो तो यह कार्य अधूरा ही रह जाता है। इस धारा में इतना ही संशोधन था कि सूचना देकर या बगैर सूचना दिये हुये जा सकते हैं। मैं समझता था कि यदि राजनारायण जी इस बात पर जोर देते कि सूचना देकर ही जाया जाय तब तक तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन इसके बाद आगे पीछे उनकी उलाहना देने की बात ज्यादा मौजूं नहीं मालूम पड़ रही थी।

[श्री काली चरण टण्डन]

मैं फिर रामेश्वरलाल जी से अनुरोध करूंगा कि अगर प्रेमिसेज शब्द न रखा जाय तो वह अधिकारी जिनके जरिये कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उन स्थानों में जो अन्न भांडार के लिये उपयुक्त हैं या नहीं, उसको देखने में बाधा पड़ सकती है और हमारे व्यापारीगण और बड़े बड़े मालिक मकान इन सब चीजों का बाल की खाल निकालकर बेजा इस्तेमाल करना अपने हित के लिये आवश्यक समझा करते हैं। यह शब्दावली जहां पर रखी गई है वह ट्रेजरी बेंच के मेम्बरों की कोशिश से नहीं बल्कि कानून के बनाने वाले विशेषज्ञों की राय से और अनुभव के बाद रखी गयी है। मुझे विश्वास है कि इन शब्दों को जो विधेयक में प्रयुक्त किये जा रहे हैं, उन्हें रामेश्वर लाल जी ठीक मान कर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मैं साथी श्री रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह इतना सीधासाधा संशोधन है कि इसके ऊपर उधर के बैठने वाले ५ माननीय सदस्यों ने विरोध प्रगट किया है और विरोध इसलिये मालूम होता है कि जितने माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है उन्होंने धारा ६ को पढ़ा नहीं है। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि धारा ६ को पढ़ा जाय। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि "कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त प्रयुक्त किये जा सकते हैं अथवा नहीं" यही नहीं, मुईज साहब ने दलील दी उसको सुनकर मुझे हंसी आयी। उन्होंने कहा कि वही घर लिये जायंगे जिसको पहले इस्तेमाल किया गया हो। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी ऐसी दलील दी कि दूसरे घरों को अर्थात् जिसमें निवास किया जाता है नहीं लिया जा सकता है इसको सुनकर मैं चकित रह गया। क्या इस प्रदेश के शहर और कस्बों में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास वही केवल घर हो, जिसके पास वही केवल अपना घर हो जिसमें वह रहता हो? उसके लिये कोई दलील मुईज साहब ने पेश नहीं की और न उसके लिये कोई बचाव इस विधेयक में हैं और न शिक्षा मंत्री जी ने ही कोई दलील दी। जिस व्यक्ति के पास उसका निजी वही घर हो, निजी घर परिवार के लोगों के रहने के लिये हो उसके संबंध में इस विधेयक की यह धारा कोई हल नहीं देती है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति के पास अगर वही आवास गृह हो उसके लिये कोई संशोधन होना चाहिये। उसी की पूर्ति के लिये साथी रामेश्वरलाल जी का संशोधन है। उसके लिये काफी दलील दी गयी, श्री जैन साहब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, शिवनारायण जी के लिये तो कुछ कहना नहीं है वह तो विधेयक को पढ़ते नहीं हैं और सदन की बहस को सुनना ही पसन्द नहीं करते हैं। आंख मूंद कर जो सरकार की ओर से आता है उसको हूबहू समर्थन करते हैं और यही वह अपना फर्ज समझते हैं। श्रीमन्, यह कहा गया कि किसी की बुद्धि पर यकीन करना चाहिये। यह जैन साहब का तर्क है और श्री शिवनारायण जी का भी तर्क यही है। अगर सब की बुद्धि पर यकीन करते हैं तो इस विधेयक की क्या जरूरत है? हम मानते हैं कि सब ईमानदार हैं तो ऐसे राज्य की कल्पना महात्मा गांधी और दूसरे विचारक यूरोप के अनार्किस्ट राज्य की करते थे। अगर अनार्किस्ट राज्य हो जाय तो सब कानूनों एवं नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किन्तु अभी देश या प्रदेश की जनता इतनी समझदार या ईमानदार नहीं हुई है। अभी तो उसके लिये कानून होना चाहिये और जब कानून की आवश्यकता है तो हर एक कानून पर सदन में विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बड़ी उलझन की बात होगी कि अगर जिसके पास एक ही आवास गृह है उससे भांडार का काम लेते हैं। उसी में वह रहता है तो उसके लिये कोई धारा में पाबन्दी नहीं है। अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो एक स्पष्ट बात हो जाती है कि ऐसा घर जिसमें वह रहता हो अगर उसमें सामान रखता है या जो भी सामान रखा हो उसके लिये नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस कितने दिनों की हो और कैसे दिया जाय यह तो माननीय नियोजन मंत्री नियम में दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि नोटिस एक महीने का हो या ६ महीने का हो। नोटिस चाहिये। नोटिस

इने से कोई काम भी ज्यादा नहीं बढ़ जायगा। हां, एक बात जरूर हो सकती है कि आप अपने मन के अनुकूल जिस घर को लेना चाहते हैं उसमें कुछ रुकावट पड़ जाय। मेरा ख्याल यह है कि इस कानून से यह मतलब नहीं है कि ऐसा घर ले लिया जाय बल्कि ऐसे घर लिये जायं जिनमें कोई आवास न करता हो। जब ऐसे घर लिये जायंगे तो फिर आपको नोटिस देने में हिचकिचाहट क्या है ? तो क्या इसमें आपको परेशानी होती है। जब इसमें ईमानदारी की बात है और आप यह भी कबूल करते हैं कि आप ऐसे घर को नहीं लेंगे, ऐसी खत्ती को नहीं लेंगे जो भांडार के लायक न हो। लेकिन हमें शुबह होता है जब आप इस संशोधन पर एतराज करते हैं। अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया होता तब तो कोई बात नहीं थी।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि मैजिस्ट्रेटस बहुत ईमानदार हैं। मैजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी कितने ईमानदार होते हैं, सदन में कल मैं इसको बता चुका हूं और ईमानदारी का प्रमाण-पत्र तो यही है कि सरकार उनकी कार्यकुशलता की बड़ाई करती है लेकिन सब लोग जानते हैं कि शहरों और कस्बों में मैजिस्ट्रेट लोग क्या करते हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि वे बहुत से कानून और नियमों का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद सरकार उनकी सिफारिश करती है और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने में निकम्मी साबित हुई है और यह चीज लोकतंत्र के लिये घातक सिद्ध होगी। सरकार के लिये यह शोभा नहीं देता कि वह कायदे और कानून के उल्लंघन करने वाले मैजिस्ट्रेटों की तारीफ करे। मैं बहुत अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि एक बहुत समझदार हाकिम ने मुझसे कहा कि यह बड़े ताज्जुब की बात है कि इस देश की कोई भी सरकार आज तक ऐसी नहीं हुई जो इस सरकार का मुकाबला करे। यह सबसे पहली सरकार है जो मैजिस्ट्रेट और अपने अधिकारियों की तारीफ करती है। वह बड़ा उच्च अधिकारी है जब अधिकारी खुद उनकी तारीफ करते हैं तो बड़े असमंजस की बात है। श्रीमन् कानून इसलिए बनता है कि सब लोग उस रास्ते पर चलें लेकिन यहाँ तो ईमानदारी को ताक पर रख दिया जाता है इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तब तो लोगों को कुछ आसानी हो सकती है। जिन लोगों के पास एक ही घर है और खत्ती भी उसी में है तो उसके लिए इस विधेयक में कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इतना सीधा-साधा संशोधन जो रामेश्वर लाल जी ने दिया है उसको स्वीकार कर लें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन पर विरोधी पक्ष के लोगों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। विधेयक में साफ़ तौर पर यह लिखा हुआ है कि ......

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या श्री रामेश्वर लाल जी को बोलने का अधिकार अब नहीं रहा ?

श्री उपाध्यक्ष—उनको बोलने का अवसर मिलेगा, घबराइये नहीं।

श्री बलदेवसिंह आर्य—माननीय विरोधी दल के माननीय सदस्यों का ख़याल यह है कि जितने भी भांडारिक आवास होंगे वे बिना प्रेमीसेज के होंगे। अगर कोई बहुत बड़ा बाड़ा है और उस में मालिक आबाद भी है और अगर उसके लिए उसनें यह शब्द रख दिये जाते हैं कि बिना सूचना के उचित नहीं होगा। तो जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उसमें सूचना देने का अभिप्राय यह हो जायगा कि जिसका वह आवास है वह उस चीज़ को अवौइड करेगा और सरकार जिस उद्देश्य से उस आवास को लेना चाहती है, उस में विलम्ब हो जायगा। तो ऐसी स्थिति में आपके संशोधन में जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसको सरकार ठीक नहीं समझती, क्योंकि जिस पवित्र लक्ष्य को लेकर सरकार इस काम को करना

[श्रीबलदेव सिंह आर्य]

चाहती है आप के संशोधन से उसमें रुकावट आती है। रेजीडेंशियल हाउसेज़ के एक धारा पास की जा चुकी है और उसमें प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि अगर रेजीडेंशियल हाउस हो तो उसको कलेक्टर वगैरह राज्य सरकार की अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकता। जब यह हो गया तो यह सवाल अब यहां पैदा नहीं होता। जो दलील माननीय राजनारायण जी ने तथा दूसरे सदस्यों ने दी है वह यहां उपयुक्त और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सूक्ष्म संशोधन बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने और जिन सदस्यों ने हमारे इस संशोधन में अपने विचार प्रकट किए मैं उनको अपना धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। मैं अपने से संशोधन का महत्व इतना नहीं समझता था कि इतने बड़े-बड़े महारथी माननीय विन्द सिंह जी, शिक्षा मंत्री, विरोधीदल के नेता माननीय गेंदासिंह जी तथा राजनारायण जी उस पर भाषण करेंगे। इससे मैंने समझा कि इस संशोधन में कुछ बात अवश्य है। इस संशोधन के विरुद्ध उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो प्रकट किये हैं वह मैं समझता हूं कि इस संशोधन से युक्तिसंगत नहीं है। इस छोटे से पर जो कलेक्टर की न्यायप्रियता, कलेक्टर के बेईमान होने या ईमानदार होने की बातें कही गई हैं, उधर के लोगों द्वारा, उसको सुनने के बाद मैं समझता हूं कि वह केवल छींटा डाल दिया गया है यह सुनने के लिये कि अपोजीशन की तरफ़ से कोई विरोध कही जायं उनके सम्बन्ध में वर्ना इस संशोधन से कलेक्टर की ईमानदारी या बेई पर कोई भी प्रकाश डालने की कोई मन्शा हमारी नहीं थी। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री अब्दुल मुईज खां और शिवनारायण जी ने जो भाषण किए हैं उनसे मैं इस नतीजे पर हूं कि शायद इस बिल को माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। मुझे सबसे आश्चर्य तब हुआ जब शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि इसकी मंशा भांडार को लेने की है, को लेने की नहीं है। मैं आपका ध्यान खंड २ के उपखंड (ग) की तरफ़ ले जाना चाहता हूं जिसमें भांडारिक आवास की परिभाषा दी गई है। उसमें लिखा है कि "भांडारिक आवास से तात्पर्य है भांडार के निमित्त प्रयुक्त अथवा उपयुक्त कोई भवन और इसके अन्तर्गत भी है।" तो जब इसमें है कि भवन और उसके साथ खत्ती भी है, तो मैं श्रीमन् आपके माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह बिल को पढ़ने के बाद अपना देते तो अच्छा होता। मैं इस संशोधन द्वारा कोई बड़ी चीज लाने को नहीं कह रहा स्वयं समझता हूं कि यह आवश्यक है। मूल्य संरक्षण किए जायं और उस के लिये मकान जायं, कलेक्टर को अधिकार हो, यह सब ठीक है, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अनाधिकार चेष्टा हो और कोई गैरकानूनी काम इस अधिकार द्वारा होता हो इस सदन को इस समय इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। इस संशोधन के रखने प्रेरणा क्यों हमें मिली। श्रीमन्, हम यह कहने को तैयार नहीं हैं कि जितने भी सरकारी अधि कारी हैं वह सब के सब ईमानदार हैं या सब के सब बेईमान हैं। सरकार अपने अहलकारों को एकदम ईमानदार समझ लें तब भी काम नहीं चलता और एक दम बेईमान समझ ले तब भी काम नहीं चलता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों की बेईमानी और ईमानदारी के प्रश्न पर अगर सारे प्रदेश की राय ली जाय तो यह स्पष्ट साबित होगा कि आज इस प्रान्त का बहुमत चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि जो ज्यादती होती है वह सरकारी अधिकारियों द्वारा ही होती है और उनके पास पहुंचने वाले लोगों द्वारा ही होती है। हम अपने अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई भी घर हो....

श्री रामनरेश शुक्ल--कोई नई बात कहिये। आप जवाब दे रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल—माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शुक्ल जी को घबड़ाहट है, जब अपोजीशन की तरफ से कटु बातें सुनने को मिलती हैं तो शुक्ल जी घबड़ा जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि भांडारिक आवास के अन्दर आवास और खत्ती दोनों हैं और यदि उस घर में कोई रहता है और उसका यदि उपयोग भांडार के लिये किया जाता है, तो क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि उसे सूचना दी जाय कि घर में जाकर खत्ती के लिये जगह देखना है। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी हमारे इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो आगे बहुत सा विवाद खड़ा होगा। मैंने तो श्रीमन्, इसमें 'सूचना देकर' शब्द रखा है और 'सूचित करके' रखते तो दूसरा अर्थ होता। सूचना देने का अर्थ, माननीय शिवनारायण जी ने नोटिस लगाया है और इससे कानूनी अड़चन हो जायगी, उनका यह विचार है। मैंने तो आर्डिनरी कोर्स में सूचना देने की बात कहता हूं कि सूचना देने के बाद उस मकान में घुसें न कि जबरदस्ती घुस जायं और ताला तोड़ दें, जिससे कानून का और दरवाजा खुल जाय। श्रीमन्, मुझे दुख है कि इस छोटे से संशोधन को मानने में आपत्ति है जब मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि इसको मान लेने से कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी।

श्री बलदेवसिंह आर्य—माननीय रामेश्वर लाल जी को यह डर है कि अगर उनका संशोधन स्वीकार न किया गया, तो किसी के साथ ज्यादती हो सकती है। उनका यह भ्रम मैं सर्वथा गलत समझता हूं, क्योंकि इसमें पहले ही हम धारा ४ स्वीकृत कर चुके हैं। उस में नोटिस की बात कही गयी है कि भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपका दी जायगी तो उससे जो उस आवास का मालिक है उससे उस को सूचना मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि यह नया विधेयक नहीं है और सन् ४७ में पहली बार पारित हुआ था। उस समय से अब तक सात-आठ वर्ष होने को आये हैं, लेकिन माननीय रामेश्वर लाल जी ने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं पेश किया कि इस धारा से किसी को कोई नुक्सान पहुंचा हो। तो वह कोई उदाहरण तो पेश नहीं कर सकते हैं। यहां पर खामखा के लिये एक ऐसी बात पैदा करना चाहते हैं, जिससे सरकार को या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उस आवास को लेने में कोई दिक्कत पड़े। आप का यह भी कहना है कि किसी के मकान में बिना सूचना के घुस जायंगे तो मकान से मतलब अगर आप का खत्ती से है और उस भवन से है, जिसमें ग़ल्ला रखा रहता है तो मैं समझता हूं कि यह ठीक है लेकिन अगर उसका कोई दूसरा अर्थ लगाते हैं तो हम उसको सही नहीं मानते। इसलिये मैं समझता हूं कि जो दलील माननीय रामेश्वर लाल जी ने दी है वह सही नहीं है। इसलिये मैं उनके इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति २ के शब्द "में" तथा शब्द "यह" के बीच में शब्द "सूचना देकर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७

विपक्ष में—७३।)

श्री उपाध्यक्ष—मुझे एक और संशोधन की सूचना मिली है। वह इस प्रकार है कि खंड ६ की पंक्ति ४ में "खाद्यान्नों" के बाद शब्द "एवं खाद्य सामग्री" रख दिये जायं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—अब कोई संशोधन इसमें बाक़ी है ही नहीं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इस क्लाज़ में नहीं हुआ है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—मैं तो इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य क्या इसको पेश करते हैं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं पेश करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ६ की पंक्ति ४ के शब्द "खाद्यान्नों" के बाद "एवं खाद्य सामग्री" बढ़ा दिया जाय। चूंकि यह और क्लाजों में हो चुका है और यहां पर नहीं रहेगा तो बड़ा असंगत-सा मालूम होता है, इसलिये मैं समझता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री बलदेवसिंह आर्य--मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं जरा इनफारमेशन के लिये--अभी पांच मिनट पहले और आप के सेक्रेटरी ने, मैं समझता हूं कि लिखा भी होगा।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, हां कहा या न कहा, उससे निश्चित किया जा सकता है। वह अपना भाषण दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अस्वीकार है।

श्री राजनारायण--आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं आपसे एक निवेदन के द्वारा जानना चाहता हूं सही बात। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें वाद विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण--आपके सेक्रेटरी ने नोट किया है कि "मैं स्वीकार करता हूं"।

श्री उपाध्यक्ष--मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि जब तक कोई संशोधन पेश न हो उसकी बाबत राय कैसे हो सकती है ? इसलिये माननीय सदस्य को मौका दिया कि वह पेश करें। उन्होंने पेश किया और माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं।

श्री बलदेवसिंह आर्य--कभी स्वीकार नहीं किया, उसको पहले।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह जो आपके पास संशोधन बाद में गया उसकी कापी यद्यपि हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं उसकी मंशा समझता हूं। क्योंकि यह पहले भी आ चुका है। खाद्यान्नों का जहां भांडार है उन खाद्यान्नों की जगह खाद्य सामग्री, वह चाहते हैं, रख दिया जाय, उसके बाद खाद्यान्न सामग्री रख दिया जाय।

इसके पूर्व मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि जो खाद्यान्न या खाद्य सामग्री सरकार की ओर से मान ली गयी आखिर उसमें क्या तर्क था ? माननीय मंत्री जी ने उस समय तो खाद्यान्न के आगे खाद्य सामग्री के लगाने की बात सरलता के साथ मान ली। लेकिन अब मैं यह समझने में असमर्थ हो रहा हूं कि अब उसी का ऐसा कौन सा अर्थ निकलेगा, जिसको माननीय मंत्री जी यहां मानने को तैयार नहीं हैं। माननीय मंत्री जी की यह जो गतिविधि है यह आपस में संगत नहीं है, जहां इंटरनल कंट्रेडिक्शन होता है, श्रीमन्, वहां इस तरह की बातें होती रहती हैं। एक ही बात आध घंटे पहले, एक घंटे पहले, दो घंटे पहले स्वीकार करना और फिर उसी बात को आगे चलकर अस्वीकार करना, नेवर कंप्रोमाइजिंग प्रिंसिपिल्स (कभी न होने वाला समझौता वाले सिद्धांत) में इस सिद्धांत का तहेदिल से पक्षपाती हूं। अगर कोई उसूल की बात है तो आदमी को अपने उसूल को लेकर परिस्थिति विशेष में अकेले खड़ा रहने के लिये तैयार रहना चाहिये। इसी सदन के अन्दर और आज ही एक ही तिथि में एक तरफ यह तर्क होता है कि खाद्यान्नों के अतिरिक्त भी खाद्य सामग्रियां होती हैं, इसलिये "एवं खाद्य सामग्रियों" को जोड़ा जाना आवश्यक है

और फिर इस सदन में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं, खाद्यान्नों के आगे खाद्य सामग्रियों का जोड़ा जाना उचित नहीं है। इसका कोई तर्क नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं और इस प्रकार सरकार की ओर से यह एक प्रकार की अनावश्यक हठवादिता का परिचय दिया जाता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा पुनः माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह स्वतः विचार करें और चाहें तो इस पर डिस्कशन (वादविवाद) हो जाय, क्योंकि उनकी गतिविधि में काफी कंट्राडिक्शन (मतभेद) है, क्योंकि एक जगह खाद्यान्नों एवं खाद्य सामग्रियों के लिये भांडारिक आवास को अधिकृत करेंगे, लेकिन फिर जब उसमें रखने की बात होती है तो इन शब्दों को नहीं जोड़ा जाता है। तो श्रीमन्, इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने दोनों तर्कों को हमको समझायें कि एक जगह वह क्यों खाद्य सामग्री का जोड़ा जाना आवश्यक समझते हैं और दूसरी जगह क्यों वही अनावश्यक समझते हैं। अगर हम इस बात को तर्कों द्वारा समझ जायंगे तो मैं समझता हूं कि संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी और यदि केवल वह हठवादिता का परिचय देना चाहेंगे कि चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो जब मन में आयेगा तो जोड़ देंगे और जब मन में आया तो हटा देंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन का एक तरह से अपमान होता है। इसलिये मैं आपके द्वारा निहायत अदब के साथ, नम्रता के साथ मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने आचरणों में जो असंगति हो रही है उस पर विचार करें और उसके बाद इस संशोधन को स्वीकार करें।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--श्रीमन्, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन का विरोध किया तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार के वैधानिक कार्यक्रम में कोई दुर्घटना घटित हो गयी है, क्योंकि रामेश्वर लाल जी के इसी प्रकार के दो संशोधन पहले स्वीकार कर लिये गये हैं और खंड ३ के उपखंड (१) में अगर माननीय मंत्री जी देखेंगे यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भंडार में रखने के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण आवश्यक है "तो इसमें खाद्यान्नों के साथ-साथ सामग्रियों को जोड़ दिया गया है। इसके बाद आज भी एजेन्डा के कार्यक्रम को देखें इसके नवें आइटम में एक रामेश्वर लाल जी का संशोधन था कि खंड ५ की पंक्ति ३ के शब्द "खाद्यान्नों" के बाद शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिया जाय और इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो दरअसल जहां-जहां खाद्यान्नों आया है उसमें "एवं खाद्य सामग्रियों" अपने आप जुड़ जाता है। तो जब यह शब्द खंड ३ में और खंड ५ में जुड़ गये तो कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि खंड ६ में जो कि खंड ३ और खंड ५ के संदर्भ में ही है उसमें क्यों न खाद्यान्नों के साथ खाद्य पदार्थ रख दिये जायं। यह क्यों नहीं रखे जाते? मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी की स्वभाववश विरोधी दल का विरोध करने की एक आदत सी पड़ गयी है और उन्होंने देखा कि चूंकि यह संशोधन विरोधी दल ने मूव किया है इसलिये इसका विरोध होना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर आप इसको मंजूर भी कर दें तो कल आपको फिर दुबारा इसको ठीक करना पड़ेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह उदात्त मनोवृत्ति से प्रेरित होकर इस पर विचार करें। यह कोई बहुत महत्व का संशोधन नहीं है और अब यह एक शाब्दिक संशोधन हो गया है और इसलिये इसको जरूर मंजूर होना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो इस पर विचार अभी स्थगित कर दिया जाय और फिर बाद में सोच-समझ कर आप इसको स्वीकार करें।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के संमुख जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खाद्यान्नों से जो अर्थ है वह केवल इतना है कि खाद्य के सम्बन्ध में जो अन्न है। उसके स्टोर करने के लिये उन्हें जो गोदाम दिया जाय तो वह सीमित है लेकिन खाद्यान्नों के बाद एवं खाद्य सामग्री को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

जब हम और जोड़ देंगे तो वह बहुत विस्तीर्ण हो जाता है। उसमें सारी चीजें आ सकती हैं, कोई भी चीज न छूटे। किसी भी चीज को कह सकते हैं खाद्य के सम्बन्ध में यह सामग्री तैयार हो सकती है। तो मैं समझता हूं सरकार यह चाहती है, मुझे यह नहीं मालूम हुआ कि क्यों मेरे माननीय मित्र उसके विस्तार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसका कि तात्पर्य बहुत वसीह शक्ल में लिया जाय और कोई भी चीज जो है वह उसमें शामिल कर दी जाय, क्योंकि सामग्री में आ जाय और उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिये इस आधार पर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि अभी कुछ देर के लिये इसको स्थगित कर दिया जाय और कुछ समय मंत्री जी को दे दिया जाय कि वह समझ लें।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन इस वक्त इस सदन में बहस में आ रहा है उसकी बाबत मैं सुनता रहा और मैंने अपने साथी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब से भी बात की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति ४ में 'खाद्यान्नों' के बाद 'एवं खाद्य सामग्रियों' बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

अनुबंध (agreement) द्वारा प्रतिकर।

७--कलेक्टर अपने द्वारा अधिगृहीत भांडारिक आवास के स्वामी को ऐसा प्रतिकर जो एकमुश्त धनराशि अथवा मासिक अथवा नियतकालिक भुगतानों के रूप में हों, जो अपने और स्वामी के बीच लिखित रूप में तय हो जाय, देगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

न्यायालय का अभिदेश (reference)।

८--(१) यदि धारा ७ में निर्दिष्ट अनुबन्ध (agreement) न हो सके तो कलेक्टर उस विषय को निर्णयार्थ न्यायालय को भेज देगा।

(२) अभिदेश (reference) का निर्णय करने में न्यायालय लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के उपबन्धों का जहां तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द व अंक 'की उपधारा (१)' निकाल दिये जायं। श्रीमन्, तात्पर्य यह होगा कि अभिदेश (reference) का निर्णय करने में न्यायालय लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ तथा धारा २४ के उपबन्धों का, जहां तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उपधारा (१) अगर निकाल दी जायगी तो सारी धारा २३ और २४ दोनों का ध्यान रखेगा। यह उपधारा (१) के रख देने से इस अधिनियम के अनुसार एक प्रकार की सीमा हो गई थी कि उपधारा (२) जो धारा २३ की थी उस पर विचार नहीं किया जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि धारा २३ की उपधारा (२) पर भी विचार हो और न्यायालय के सामने जब किराए के बारे में बहस हो क्योंकि मुआवजा किराये के रूप में होगा और एकमुश्त भी दिया जा सकेगा, इन्सटालमेंटस में भी दिया जा सकेगा और किसी भी प्रकार से इंस्टालमेंट में दिया जा सकेगा। तो क्योंकि यह कम्पलसरी ऐक्वीजीशन है इसलिये लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि इसके कम्पलसरी नेचर को देखते हुये मार्केट रेट का १५ परसेंट एक एक्स्ट्रा अवार्ड उसको मिलना चाहिये यानी किराये में १/१५ उसको वृद्धि के रूप में मिलना चाहिये क्योंकि यह बिला नोटिस के या बहुत कम नोटिस पर यह आवास या मकान ले लिया जाता है। मैं आपकी आज्ञा से लैन्ड ऐक्वीजीशन की धारा २३ की उपधारा (२) को पढ़ देना चाहता हूं—

"23. (2) In addition to the market value of the land as above provided, the Court shall in every case award a sum of fifteen per centum on such market value, in consideration of the compulsory nature of the acquisition."

यानी भूमि का जो उस समय बाजार भाव है उसके आधार पर अगर यह रखें तो १५ परसेंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा अवार्ड दिया जाना चाहिये क्योंकि जो यह आवास है या जो भूमि है वह एक अधिकृत रूप से और एक कम्पलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से लिया गया है। यह लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (२) में है। तो जब माननीय मंत्री जी ने लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के सभी सिद्धांतों को इसमें मंजूर किया है तो कोई कारण नहीं दिखायी देता कि धारा २३ की उपधारा (२) को क्यों न माना जाय और उसको स्वीकार न किया जाय।

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने पेश किया है मैं उसको स्वीकार नहीं करता। उनका कथन यह है कि यह न्यायालय के पास नहीं जाना चाहिये। अगर यह उस न्यायालय के सामने नहीं जाता है तो जो किराये का झगड़ा होगा वह तय नहीं हो सकता है। तो आप यह चाहते हैं कि यह जो न्यायालय के सामने यह मामला भेजा जाता है वह वहां नहीं पहुंचना चाहिये, क्योंकि आपको यह शक है कि न्यायालय उसमें कोई उचित निर्धारण नहीं करेगा और उससे जो आवास का मालिक है, या उसका एजेंट है उसको उचित किराया नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं यह जो आपका भ्रम है यह सही नहीं मालूम होता। इसलिये मैं आपके इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (१) में वह सब बातें दी गयी हैं कि जिसके अनुसार प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर तय करेगा। उसमें उन सब बातों का विचार किया जायगा जो कि प्रतिकर देने के सम्बन्ध में जरूरी हैं। उस आवास की मार्केट वैल्यू क्या है, उसमें डैमेज क्या होगा, उस व्यक्ति को जिसकी जमीन ली जायगी उसको और जगह जाना पड़ेगा, क्या कठिनाइयां होंगी, वह करीब-करीब ६ शर्तें हैं उसमें जिनका विचार करके प्रतिकर निर्धारित किया जायगा, धारा २३ की उपधारा (२) में यह बात दी गयी है कि जितना प्रतिकर धारा २३ की उपधारा (२) में किया जायगा, उसमें १५ प्रतिशत और जोड़ दिया जायगा। तो माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जो धारा २३ की उपधारा (२) है वह भी जोड़ दी जाय यानी जब प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारित करे तो १५ प्रतिशत और जितना २३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रतिकर हुआ, उसमें जोड़ दे। मुझे ठीक खयाल तो नहीं आता है, लेकिन लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट का एक अमेंडमेंट हुआ है, शायद उस अमेंडमेंट में वह १५ परसेंट निकाल दिया गया है। लेकिन मुझे ठीक याद नहीं है, शायद ऐसा हुआ है। बहरहाल इस कार्य के लिये जो सरकार एक जनहित के लिये करे उसमें जितना धारा २३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रतिकर होता है उतना दिया जाता है, तो कोई अनुचित नहीं है। १५ परसेंट जोड़ दिया जाय, यह चीज कहां तक उचित है। वह १५ परसेंट जोड़ना

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि किस काम के लिये लिया जा रहा है तो वह बहुत दिन के लिये लिया भी नहीं जा रहा है। यदि सरकार सदा के लिये कोई भूमि अक्वायर कर लेती है और वह उससे वंचित हो जाते तो १५ परसेंट जोड़ा जाता, लेकिन वह तो थोड़े काल के लिये लिया जा रहा है आवश्यकतानुसार तो उस अनोलाजी को लाना और धारा २३ की उपधारा (२) को जोड़ना मुनासिब नहीं है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अस्वीकार होना चाहिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जो माननीय नारायण दत्त जी का संशोधन है, यह सही है कि उसने माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य को एक मौका दिया कम्पेन्सेशन के शब्द बढ़ाने की बात को विरोधी पक्ष की ओर से रखे जाने का विरोध करने का। श्रीमन्, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि जहां तक कम्पेंसेशन का सवाल है, मैं सिद्धांत के रूप में कम्पेंसेशन देने को नियमतः मान लिया जाय, इसका विरोधी हूं। इसीलिये श्रीमन्, जब और बड़े-बड़े प्रश्नों पर कम्पेंसेशन देने की बात सरकारी पक्ष की ओर से रखी जाती रही है तब हम अपनी ओर से रिहैबिलिटेशन ग्रांट की बात करते रहे हैं और हम बराबर इस बात को चाहते रहे हैं और अब भी चाहते हैं कि वही पुनःवास अनुदान ही सिद्धांत रूप में माना जाना चाहिये कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसके जीवन निर्वाह का साधन नहीं है और उसके उत्पादन के वह साधन ले लिये जाते हैं तो उसके जीवन निर्वाह की समुचित व्यवस्था सब इस सरकार को करनी चाहिये। मगर क्या माननीय मौर्य जी इस सदन में आज तक जितने विधेयक प्रस्तुत हुये कि कहीं से इस बात को साबित कर सकते हैं कि यह सरकार कम्पेंसेशन देने के विरोध में है। फिर यहां पर एक मौके की तलाश करके माननीय मौर्य जी मौलिक सिद्धांत को सामने न रखें तो ज्यादा अच्छा है। हां, एक बात वह जरूर कहते हैं और वह सही है कि यदि माननीय नारायणदत्त जी का संशोधन मान लिया जायगा तो जो कम्पेंसेशन का रेट बनेगा उसमें १५ प्रतिशत की वृद्धि तो होगी, उसको देना पड़ेगा मगर यह सिद्धांत जो रखा गया है यहां पर स्वतः और बाध्य इन दोनों चीजों को दृष्टि में रखकर बना है। एक तो बात यह है कि कोई स्वतः अपनी बात को देखते हों, या किसी को समुचित अवसर प्राप्त करा के सारी परिस्थिति को उसकी बुद्धि में समझाकर किसी की चीज ली जाती है, और किसी से जबरदस्ती, बिना अवसर के बिना किसी मौके के बिना सफाई के अगर उसका धन ले लिया जाता है तो क्या इन दोनों परिस्थितियों में मौर्य जी कोई फर्क करते हैं या नहीं? जहां तक लैन्ड एक्वीजीशन की धारा २३ के प्रथम और द्वितीय उपखंडों की बात है वह उन्होंने कही है। उस समय के कानून निर्माताओं ने अपने सामने इन दोनों बातों को रखा कि हम जब कम्पलसरी कहते हैं। किसी पर दबाव देकर के बिना उसको मौका दिये हुये कि वह अपनी बातको कह सके, हम उसके सामान को ले लेते हैं, उसके भांडारिक आवास को ले लेते हैं और जो फैसला मैजिस्ट्रेट देता है वह अंतिम होता है तब वहां पर कुछ ऐसी बात आती है कि उसके साथ कहीं अन्याय न हो जाता हो, कहीं जबर्दस्ती न हो जाती हो, उसके हक को नाहक में न बदल दिया जाता हो। यह बात, श्रीमन्, जरूर सामने आती है। तो मैं यह साफ कह दूं कि मैं न तो नारायणदत्त जी के संशोधन के पक्ष में हूं और न तो जिस तरह से सरकार का विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ है उसके पक्ष में हूं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन भी हमको मन्तव्य स्थान पर नहीं ले जाता और जिस तरह का यह विधेयक प्रस्तुत है वह भी हमको अपने उद्देश्य की ओर, अगर हमारा वही उद्देश्य है यानी समाज की रक्षा करना, जिसमें शोषण के प्रभुत्व का खात्मा होगा, नहीं ले जाता। ऐसी हालत में कोई न कोई व्यवस्था यहां पर होनी चाहिये थी, जिससे जिसका भांडारिक आवास लिया जाय वह अपने हक को पेश कर सके, जिस रूप में वह अपना न्याय समझता हो उस न्याय को रख सके, किसी कोर्ट के सामने। मगर वह चीज यहां पर नहीं है और जब वह चीज यहां पर नहीं है तो बड़ी परेशानी हो जाती है हमारे ऐसे लोगों के लिये।

तो मैं इस विधेयक को अधूरा समझते हुये और उस अधूरेपन को दूर करने की जो माननीय नारायणदत्त जी ने कोशिश की वह मंशा तो बहुत ठीक है, यह मैं आपसे साफ कह दूं कि वह समझते हैं कि अगर किसी के साथ जबर्दस्ती होगी, कम्पलसरी (आवश्यक) तरीके पर उसके आवास

को ले लिया जायगा तो उसके साथ ज्यादती होगा, उसको कुछ न कुछ मौका मिलना चाहिये, ताकि जो उसके साथ ज्यादती हुयी हो उसको वह कम्पेंसेट कर सके। मगर जो तरीका है, जो ढंग है १८९४ के कानून का, उसके साथ जो नाहक का काम हुआ है, जो जबर्दस्ती और जोर जुल्म हुआ है वह पूरा नहीं हो पायेगा। इसमें ट्रेजरी बेंच को काफी मौका मिलेगा इस संशोधन को सामने रख कर कि विरोधी पक्ष के लोग तो ज्यादा कम्पेंसेशन दिलवाना चाहते हैं। १८९४ में जब बृटिश साम्राज्यशाही नंगा नृत्य कर रही थी उस समय का जो बना हुआ कानून है उस कानून के मुताबिक ये पैसा बड़े लोगों को दिलवाने के पक्ष में हैं, क्योंकि श्रीमन्, भांडारिक आवास साधारण व्यक्तियों के पास नहीं होंगे। वे तो उन्हीं के पास होंगे जिनके पास भांडार में रखने के लिये कोई चीज हो। उन छोटे-छोटे किसानों के पास, उन छोटे-छोटे कारबार करने वालों के पास कहां से भांडारिक आवास होंगे। खाने-पीने से जिनके पास बचता है वे ही भांडार बना सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे बड़े-बड़े लोग जो बड़ी-बड़ी जमीन के मालिक हैं, जिनके पास काफी अन्न बचता होगा और जो उसे रखने के लिये भांडार बनाते होंगे, उन्हीं के लिये यह इलाज हितकर हो जायगा। इसमें गरीब की कोई भलाई नहीं होगी, क्योंकि उसके पास भांडारिक आवास नहीं हैं। हमारे प्रदेश में करीब ७५, ८० फीसदी मकान ऐसे हैं कि उसी मकान में हम रहते हैं, उसी में रिश्तेदार आकर रहते हैं और एक कोने में किसी बर्तन में थोड़ा सा गल्ला चावल, गेहूं पड़ा हुआ है, जिसको हम खाकर गुजर बसर करते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि वह संशोधन के पक्ष में नहीं हैं और उनका रिहैबिलिटेशन पर कोई संशोधन नहीं है तो फिर सारी बहस रिहैबिलिटेशन के बारे में क्यों की जा रही है ?

(श्री उपाध्यक्ष के इशारा करने पर श्री राजनारायण ने अपना भाषण जारी रखा।)

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। यह सही है कि द्वारका प्रसाद मौर्य जी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रह चुके हैं और कहां प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जाता है यह उनको समझना चाहिये। आपने अच्छा किया जो इसको प्वाइंट आफ आर्डर नहीं माना।

मैं अर्ज कर रहा था जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होने जा रहा है उसे न्याय कैसे मिल पायगा, मैं यह सुझाव देने जा रहा था और मैं माननीय मौर्य जी को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। श्रीमन्, यह खंड ८ है, इसके उपखंड (२) को देखने की कृपा करें। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय बैठे हैं। अगर विधेयक की कापी उनके सामने न हो तो उनको दे दी जाय, क्योंकि इसमें कम्पेंसेशन वगैरह के सवाल हैं और मैं यह मानता हूं कि वह समझते हैं चाहे कर न पायें। श्रीमन्, खंड ८ है उसमें यह लिखा हुआ है कि इसके निर्णय करने में न्यायालय लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के धारा २३ की उपधारा (१) को ध्यान में रखें। श्रीमन्, धारा २३ (१) क्या है ? श्रीमन्, हमारे पास अंग्रेजी में ऐक्ट है। इसलिये मैं इसको अंग्रेजी में जल्दी-जल्दी पढ़ दूंगा। वह इस प्रकार है कि --

"23. (1) In determining the amount of compensation to be awarded for land acquired under this Act, the Court shall take into consideration.

first, the market-value of the land at the date of the publications of the notification under section 4, sub-section (1) ;

secondly, the damage sustained by the person interested, by reason of the taking of any standing crops or trees which may be on the land at the time of the Collector's taking possession thereof ;

thirdly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of serving such land from his other land;

[श्री राजनारायण]

fourthly, the damage (if any) sustained by the person interested at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, moveable or immoveable, in any other manner, or his earnings;

fifthly, if, in consequence of the acquisition of the land by the Collector, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change; and

sixthly, the damage (if any) bona fide resulting from diminution of the profits of the land between the time of the publication of the declaration under section 6 and the time of the Collector's taking possession of the land."

श्रीमन्, इसका सेकेंड पैरा छोड़ दिया है। जो अधिकार किसी की जमीन के लेने के बारे में या भांडारिक आवास लेने के बारे में और क्योंकि यह विधेयक भांडारिक आवास लेने के सम्बन्ध में है तो उनसे यदि भांडारिक आवास लिये जायेंगे तो उनको मुआवजा किस तरीके से दिया जायगा, इसकी विधि बतलायी गयी है। जब इसको बतलाते हुये लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट जो १८९४ का बना हुआ है। उसकी धारा २३ की पहली उपधारा उसमें ६।१ बातें रखी गयी हैं जो मार्केट वैल्यू है यानी इस समय बाजार में उसकी दर क्या है उसको दृष्टिकोण में रखते हुये वह किसी भांडार आवास की कीमत को तय करेंगे। इसके बाद जो उससे हानि होगी यानी किसी भांडारिक आवास को कलेक्टर सरकार ले लेती है तो उस आवास को लेने में जो क्षति होती है तो उस व्यक्ति विशेष की क्षतिपूर्ति करने की इसमें गुंजाइश है।

तीसरी बात जो हम देखते हैं कि इस जमीन को लेने से जो उसके साथ में लगी हुयी जमीन है यानी उस बिल्डिंग को लेने से उसके किसी दूसरे आवास पर जो आघात पड़ता है और जो क्षति होती है उसकी बात भी यहां पर है।

चौथी बात यह कि वह व्यक्ति जिसके भांडारिक आवास को सरकार लेती है तो उस भांडारिक आवास के लेने से उसके सामान का तो नुकसान नहीं होता है। जैसे मान लीजिये कि मुख्य मंत्री जी का कोई भांडारिक आवास है और उसके अन्दर काफी गल्ला जमा किया हुआ है। यह सरकार जबरदस्ती चाहे तो उस भांडारिक आवास को ले तो जो उसके अन्दर मुख्य मंत्री जी सामान रखा हुआ है, गल्ला रखा हुआ है वह कहां जायगा। वह तो सड़ जायगा। उसके रखने के लिये भी कोई जगह चाहिये। तो उस दृष्टिकोण को सामने रखकर इस क्षति का अनुमान लगाना पड़ता है और उसके बाद ५ वीं बात यह है कि यह देखा जायगा कि उसके अपने आवास में उसके पास रहने से उसको कितना मुनाफा हो सकता था। इस चीज को भी देखा जायगा। तो यह चीजें इसके अन्दर दी हुयी हैं।

(इस समय ३ बजकर ४७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, इस विधेयक पर जो लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ की उपधारा (२) है मैं इस समय उसके संशोधन पर बोल रहा था जो इस विधेयक की धारा ८ में है। इसमें यह है कि धारा २४ के उपबन्धों का जहां तक वे लागू हो सकते हैं, ध्यान रखेगा। इसी सम्बन्ध में मैं इस समय भाषण कर रहा हूं। उस लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट १८९४ को सामने रखकर मैं देखता हूं कि इसमें इतनी चीजों की गुंजाइश है कि भांडारिक आवास के लेने से जो क्षति, जो मुनाफे की क्षति और दूसरी इतनी बातें हैं कि जो कुछ भी अधिक से अधिक उसको देने की बात हो सकती है उसकी गुंजाइश इसके अन्दर है। सवाल यह है कि जो १५ परसेंट का संशोधन बढ़ाने की बात कही जाती है उसको मैं समझ नहीं पाता हूं। मैं उसके विरोध में हूं। मैं १५ परसेंट के बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। इसलिये आपके द्वारा मैं श्री मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि जो उनका दृष्टिकोण है वह हमारा दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। हमारा जो दृष्टिकोण है वह उनके दृष्टिकोण से भिन्न है। सरकारी पक्ष के लोगों की धारणा यह बनी हुयी है कि विरोधी

पक्ष के लोगों से जो संशोधन आता है उसके विरोध में २,४ बातें कहकर रास्ता निकालने की नीति सरकारी पक्ष के सदस्यों की नीति है। वह हमारी नीति नहीं है। हम यह जानते हैं कि जो १८९४ का ऐक्ट है उसकी धारा २३ की जो पहली उपधारा है उसमें कुछ बातें कही गयी हैं। जो कारण वह देना चाहें वह उस व्यक्ति विशेष को बताना होगा। अगर मौर्य जी कम्पेंसेशन देने के विरोध में हैं तो उनको इसका विरोध करना चाहिये क्योंकि सारी बातें तो इस उपधारा में आगयी हैं। अब वह नारायणदत्त की बात को लेकर १५ परसेंट और बढ़ाना चाहते हैं फिर वह मौलिकता नहीं है। हम रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देना चाहते हैं मगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाये कि मीन्स आफ प्रोडक्शन और मीन्स आफ जाईवलीहुड को देखे और आवश्यकता के मुताबिक पुनर्वास का अनुदान दे। मैं इस विधेयक और संशोधन दोनों का विरोध करता हूं। मैंने कहा था कि सात वर्ष से इस सरकार के सामने भांडारिक आवास बनाने का अवसर था मगर सरकार ने पूरी लापरवाही दिखायी। हमारे पहले २,३ संशोधन फेल हो चुके हैं जो अच्छे थे.......

श्री अध्यक्ष--अब आप विधेयक पर आजावें। समय खत्म होने वाला है।

श्री राजनारायण--धारा २४ को आप देखें और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने भी देखी होगी। अगर सरकारी पक्ष के लोग सदन का ज्यादा समय नष्ट करें तो करें मगर हम इसका ख्याल रखते हैं। मैं यही सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक में स्वतः इस प्रकार से संशोधन रखे ताकि जिस व्यक्ति का भांडारिक आवास लिया जाय वह व्यक्ति समुचित मौका पावे अपने हक को रखने का। यदि किसी व्यक्ति के साथ नाहक हो रहा हो तो वह उसे हक में और अन्याय को न्याय में बदल सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने बड़े ध्यानपूर्वक माननीय मंत्री जी और माननीय द्वारकाप्रसाद जी द्वारा दिये गये तर्कों को सुना। कम्पैन्सेशन का शब्द इसमें एक प्रकार से भ्रमात्मक है। शायद एक्वायर करने की बात होने के कारण यह शब्द रखा गया है, वरना किराये की बात होती। मुआवजा शब्द यहां उस रूप में नहीं है जिसमें जमींदारी या किसी बड़ी फ़ैक्टरी को समाप्त करने में होता है। मेरे संशोधन का पर्याय यही था कि जब हम विधान के अनुसार सिद्धांतों को निश्चित करने जा रहे हैं जिनके अनुसार हम मकान-मालिक को मुआवजा देंगे तो मेरा यह प्रस्ताव था कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं वह माने जावें। सभी सिद्धांत मानने चाहियें। लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारायें २३ और २४ परस्पर पूरक हैं। माननीय मंत्री जी ने खंड २४, को जो निषेधात्मक है, पूरा माना है, अर्थात् नहीं होंगे तो सब रख लिये हैं और होंगे को आप ने आधा काट लिया है। इसलिये धारा २३ को भी पूरा मानना चाहिये।

श्री बलदेवसिंह आर्य--अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन पर जो वक्तव्य माननीय राजनारायण जी ने दिया है मैं उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें इस संशोधन के साथ जोड़ दी हैं जिससे उनका आशय मैं नहीं जान सका। यह धारा बिलकुल साफ है कि १८९४ के लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ के अनुसार जब कोर्ट में यह मामला जायगा वह तय करेगी कि कितना उस आवास के मालिक का नुक़सान हुआ है और उसे किस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिये। उसके साथ १५ प्रतिशत उसे अधिक मिलेगा। मैं समझता हूं कि नारायणदत्त जी की दलील उचित नहीं है और उनका अभिप्राय कुछ और ही मालूम पड़ता है। मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द व अंक "की उपधारा (१)" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "तथा" निकाल दिया जाय और शब्द व अंक "धारा २४" के बाद शब्द व अंक "धारा २५, धारा २७ तथा धारा २८" रख दिये जांय। संक्षेप में इसका मंशा यह है कि यह खंड सिद्धांतों को निश्चित करता है कि किस प्रकार से मुआवज़ा दिया जायगा। लेकिन यह सिद्धांत अधूरे हैं। इनमें यह लिखा है कि कोर्ट किस प्रकार से मुआवज़ा देगी। कलेक्टर ने जितना मुआवज़ा दिया है अगर कोर्ट उससे ज्यादा निश्चित करती है तो उस पर सवा छः परसेंट ब्याज भी होगा और वकीलों की फीस के बारे में भी प्राविज़न है। मैं चाहता था कि यह तीनों शर्तें जो लैंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट में लिखी हुई हैं उनकी ओर भी न्यायालय ध्यान रक्खे। यह पढ़ने की बातें हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। यह तो ठीक है, न्यायालय इन बातों पर विचार करेगा और जरूर इन बातों पर ध्यान देगा और यह इसमें लिखा हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि वह कहां पर लिखा हुआ है। इसमें यह कहां पर लिखा हुआ है कि न्यायालय २५, २७ और २८ धारा का भी ध्यान रखेंगे।

श्री बलदेवसिंह आर्य—अगर आप धारा ८ की उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति को देखें तो आप को पता चल जायगा कि उसमें यह लिखा हुआ है कि वह धारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के उपबन्धों का ध्यान रखेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं तो धारा २७, २८ और २५ के बारे में कह रहा हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल अनावश्यक है। सारा प्रोसीजर लैंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट के अनुसार ही होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द 'तथा' निकाल दिया जाय और शब्द व अंक 'धारा २४' के बाद शब्द व अंक 'धारा २५, धारा २७ तथा धारा २८' रख दिये जायें।

(**प्रश्न** उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं समझता हूं कि समय बहुत कम रह गया है तो जो संशोधन मैं पेश करूं और यदि माननीय सदस्य खड़े हो जायं, तो उसी संशोधन को पढ़ दिया जायगा और राय ले ली जायगी बाक़ी पेश नहीं किये गये, ऐसा समझा जायगा।

प्रश्न यह है कि खंड ८ के अन्त में नये उपखंड (३) तथा (४) निम्नप्रकार बढ़ा दिये जायें—

"(३) धारा (७) व धारा (८) उपधारा (२) के अधीन निश्चित प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में कलेक्टर लैंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ३०, धारा ३१ व धारा ३४ के उपबन्धों का जहां तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा।

(४) अभिदेश का निर्णय करने में न्यायालय भुगतान के सम्बन्ध में लैंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २९, धारा ३२ व धारा ३३ के उपबन्धों का, जहां तक वे लागू हों सकते हों, ध्यान रखेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

९--समय विशेष पर प्रचलित किसी भी विधायन (enactment) में कोई विपरीत बात होने पर भी, धारा ८ के अधीन न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) न हो सकेगा।

न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण न हो सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं एक मिनट में केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा यह संशोधन दूसरी अपील के सम्बन्ध में है और माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त ने सन् ४७ में इसको मान लिया था और केवल कौंसिल में जाने की बात रह गयी थी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे। मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ९ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिये जायं :--

"पर प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय की अनुमति से जिला जज के न्यायालय में अपील व पुनरीक्षण हो सकेगा।"

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक जोड़ दिया जाय :--

"पर प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय की अनुमति से जिला जज के न्यायालय में अपील व पुनरीक्षण हो सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

१०--(१) जब कोई भांडारिक आवास छोड़ा (release) जाना हो तो कलेक्टर उसे उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ देगा जिससे वह अधिगृहीत किया गया था। यदि भांडारिक आवास अधिग्रहण के दिनांक पर बंधक (subject to mortgage) था तथा उसके पश्चात् वह बन्धक से मुक्त (redeemed) हो चुका है, अथवा यदि वह व्यक्ति जिससे वह अधिगृहीत किया गया था, मर गया है, तो कलेक्टर ऐसे जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा, जिसे उसका कब्जा दिया जायगा। फिर भी कलेक्टर का निर्णय उस पक्ष द्वारा जो उसकी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा स्थापित करने में बाधक न होगा।

अधिग्रहण से छोड़ा जाना।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे भांडारिक आवास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर अदा कर देने पर राज्य सरकार अथवा कलेक्टर ऐसे आवास के सम्बन्ध में समस्त दावों के दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे।

(३) यदि वह व्यक्ति, जिसे भांडारिक आवास का कब्जा दिया जाना हो, न मिल सके तथा उसकी ओर से कब्जा लेने के लिये कोई अभिकर्ता (एजेन्ट) अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चिपकवा कर यह प्रख्यापित करेगा कि भांडारिक आवास अधिग्रहण से छोड़ दिया गया है।

(४) जब उपधारा (३) में अभिदिष्ट नोटिस उसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार चिपका दिया गया हो, तो नोटिस में निर्दिष्ट भांडारिक आवास नोटिस के चिपकाये जाने के दिनांक पर, तथा उस दिनांक से, अधिग्रहण के अधीन न रह जायगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दिया गया है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था तथा राज्य सरकार अथवा कलेक्टर उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये भांडारिक आवास के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर अथवा अन्य दावे के देनदार न होंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (१) की पंक्ति ६ के शब्द "गया है" तथा शब्द "तो" के बीच में शब्द "अथवा उसने हस्तान्तरित कर दिया है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (३) की पंक्ति ३ के शब्द "ना" के स्थान पर शब्द "न" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (३) की पंक्ति ४ के शब्द "चिपकवा कर" के बाद और शब्द "यह" के पहले शब्द "तथा गजट में विज्ञप्ति द्वारा" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (४) की पंक्ति २ के शब्द "गया हो" के बाद शब्द "और गजट में विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (४) की पंक्ति ४ के शब्द "समझ" के स्थान पर शब्द "समझा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११--यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर को किसी भांडारिक आवास को कब्जा नहीं देता, अथवा इस अधिनियम के अधीन उस पर कब्जा लिये जाने का विरोध करता है, अथवा उसमें बाधा डालता है, तो

वह ऐसी अवधि के लिये जो एक मास तक की हो सकती है, कारावास के दंड का अथवा अर्थ दंड का, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों का भागी होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

१२--समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन अथवा ऐसे विलेख (instrument) में, जिसका विधि का सा प्रभाव हो (having the force of law) किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावकर होंगे (shall have effect)।

उन उपबन्धों का प्रभाव जो अन्य विधायनों से असंगत हों।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ की पंक्ति २ में शब्द "का सा" के स्थान पर शब्द "जैसा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३-१६

१३--किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार सद्भाव से किया हो या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तियों की सुरक्षा।

१४--उस दशा को छोड़ कर जिसकी इस अधिनियम में व्यवस्था की गयी है, किसी भी आज्ञा पर, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उस के अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में ला कर दी गई हों, किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

किसी न्यायालय में आज्ञाओं पर आक्षेप न किया जा सकना।

१५--(१) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०८ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त कोई विधायन हो।

निरसन (repeal)।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते हुये, एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के अधीन दी गयी कोई आज्ञा अथवा की गयी कोई नियुक्ति, किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे तथा उपधारा (१) के अधीन जारी रखे गये उक्त नियम अथवा आज्ञा के उपबन्धों के अधीन दी गयी, की गयी, किया गया अथवा प्रयुक्त समझे जायेंगे।

१६--राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है।

नियम बनाने का अधिकार।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३, १४, १५ तथा १६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्ष नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा अवधि।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ७ जुलाई, १९५५ को, और से प्रचलित समझा जायगा।

(४) इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्वकृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) बातों को छोड़ कर, यह अधिनियम ३० जून, १९५६ की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायगा और इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ उसी प्रकार लागू होगी मानो वह उस समय उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) को निम्नरूप में रख दिया जाय।

१--(३) यह ७ जुलाई, १९५५ ई० से प्रचलित समझा जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड (१) के उपखंड (३) की पंक्ति १ के शब्द "को, और" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ और ४ के शब्द "न रह जायगा" के स्थान पर शब्द "नहीं रहेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने यह संशोधन भेजा है कि जहां जहां पर इस विधेयक में शब्द "खाद्यान्न" आया है वहां वहां शब्द "एवम् खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं। रसद मन्त्री जी, क्या आप को स्वीकार है?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जहां जहां आवश्यक था यह शब्द बढ़ा दिये गये हैं उपयुक्त स्थानों पर स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस विधेयक के सभी आवश्यक स्थानों पर शब्द "खाद्यान्नों" के आगे शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ खाद्यान्नों को भांडारो में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से राज्यपाल द्वारा प्रचारित किया गया था;

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सम्बन्धी अन्य पारिणामिक और आनुषंगिक विषयों के नियंत्रण और विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं एजेंडा के सम्बन्ध में एक बात पूछना चाहता हूं। आप स्वयं देखेंगे कि कल के एजेंडा में यह प्रस्ताव नहीं था और आज अकस्मात इसने एजेंडा में स्थान ग्रहण कर लिया है । इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई साहित्य भी नहीं है । पहले भी संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के सम्बन्ध में कुछ लिट्रेचर दिया जाता था जैसे विधान का संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव हो । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या स्टेट का यूनियन गवर्नमेंट के साथ कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--यह दूसरा सवाल है । यह दूसरा सवाल जब आ जाता है जब माननीय मंत्री जी इसको पेश कर दें, तब कागज वगैरह आप मांग सकते हैं, जहां तक पहले सवाल का सम्बन्ध है कि यह एजेंडा पर क्यों आया इसका जवाब मैं दिये देता हूं ।

मेरे पास सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इसको आज चालू विधेयक के बाद आ जाना चाहिये क्योंकि यह विषय अभी संसद में उपस्थित हो रहा है और हमारी विधान सभा का भी इसके सम्बन्ध में जो निर्णय हो उसको उनके पास भेज देना चाहिये । इस बीच में यह न हो कि इसकी वजह से कोई अटकाव हो । ऐसी अवस्था में मैंने यह इजाजत दे दी कि क्रम बदल दिया जाय, नियमों के अनुसार सरकार को अधिकार है सरकारी कामों के बारे में तरतीब तै करने को यह बात भी ठीक है कि सदन चाहे उस क्रम को बदलवाना तो सरकार से बदलवा सकती है लेकिन वैसे पेश करने के लिये तो सरकार स्वयं निश्चय करती है । मैंने उस निश्चय

[श्री अध्यक्ष]

को ठीक समझा और मैंने इस बात की इजाजत दी कि इस क्रम को बदल दिया जाय और जो विधेयक चालू था उसके विचार के बाद इसको उपस्थित किया जाय। यह तो इस विषय में हुआ। अब दूसरा प्रश्न तब उठ सकता है जब माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दें विचार के लिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मुझे भी कुछ निवेदन करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यदि इसे आज न पेश करके कल करें तो अच्छा होगा। इसमें कोई विशेष आपत्ति न होनी चाहिए। क्योंकि चन्द घंटों का प्रश्न है और उस समय हमें अवकाश मिल जायगा कि हम इस पर पूरी तरह से विचार कर सकें। ऐसी अवस्था में मैं केवल अनुरोध कर सकता हूं और आशा करता हूं कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा प्रस्ताव इस सम्बन्ध में यह है कि आज माननीय मुख्य मंत्री अपने विचार प्रकट कर दें और जो कुछ साहित्य इस सम्बन्ध में उपलब्ध हो सकता है वह भी हमें उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें ताकि कल हम इस पर विवाद करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**--मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस प्रस्ताव के पेश हो जाने के बाद सभी सदस्यों का यह ख्याल होगा कि इस पर न कोई साहित्य है, न कोई साहित्य हो सकता है और न किसी साहित्य की आवश्यकता है। आपकी इजाजत से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह "विधान सभा यह संकल्प करती है कि यह वांछनीय है कि पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सम्बन्धी अन्य पारिणामिक और आनुषंगिक विषयों का, जहां तक वे ऐसे विषय हों जिनके सम्बन्ध में संसद को राज्यों के लिये विधि बनाने का अधिकार प्राप्त न हो, नियंत्रण तथा विनियमन संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अनुसार हो।"

थोड़े में इसका तात्पर्य यह है प्राइज पजिल्स और क्रासवर्ड पजिल्स इस सम्बन्ध में अखबारों में बहुत ज्यादा दीख पड़ता है कि एक एक पजिल के लिये एक एक लाख रुपया इनाम में दिया जाता है और इस प्रकार यह एक भयंकर जुआ हो रहा है। यह कोई नहीं जानता कि जो इन पजिल्स को चलाते हैं वे खुद कितना रुपया कमाते हैं कभी कभी पहेलियां अखबारों में छपती हैं और यह लिख देते हैं कि इसका वही उत्तर असली माना जायगा जो हमारे दफ्तर में सुरक्षित है और पहेलियां ऐसी होती हैं कि एक एक पहेली के १५, १५ और २०,२० उत्तर हो सकते हैं। और उसके एक उत्तर में एक रुपया, दो रुपया या जो कुछ भी रहे, भेजना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि उनके साथ लड़ कर, कागजों से, जितने उत्तर बन सकते हैं बनाये जाते हैं और नतीजा यह होता है कि एक पहेली एक व्यक्ति दस उत्तर भी अगर भेजे तो बीस पचीस रुपये भेजता है। कितना रुपया जमा होता है कोई नहीं जानता। कितना इनाम जाता है रकम तो सामने रहती है लेकिन ऐसा कहा जाता है, यद्यपि सही बात क्या है कोई नहीं कह सकता, कि अक्सर दफ्तर के आदमी ही होते हैं जिनके नाम होते हैं, उन्हीं के नाम होते हैं कि फलां आदमी को इतना रुपया दिया गया। यह जुआ बड़े जोर के साथ फैल गया है। यह सोचा गया कि इसका कोई न कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये। जहां तक पजिल वगैरह की बात है इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार तो स्टेट्स का है। लेकिन जैसा कि संविधान में है अगर कुछ स्टेट्स चाहें तो पार्लियामेन्ट से इस बात के लिये प्रार्थना कर सकती है कि इसके विषय में कानून सेंटर से बने। हम खुद ऐसा कर चुके हैं। जैसा कि स्टेट ड्यूटी की बाबत हमने कानून नहीं बनाया। हमने यह समझा कि सब जगह एक-सा ही कानून होना चाहिये। तो इसके लिये सेंटर से प्रार्थना की कई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्टेट्स ने कि इसके लिये पार्लियामेंट कानून बना दे। इसके लिये अगर अलग अलग स्टेट्स अलग अलग कानून बनायें तो कानूनों का एक ही तरह होने की सम्भावना है नहीं और जिस स्टेट का कानून कुछ ढीला होगा उसी स्टेट में वह अपना काम चलाना शुरू कर देंगे और वह काम ज्यों का त्यों जारी रहेगा। ऐसी दरख्वास्त आने के बाद सेंटर ने उचित समझा कि कोई कानून बनायें। लेकिन होगा यह कि अगर सेंटर कानून बना दे और सेंटर ने कोई कानून पास भी किया है और किसी स्टेट की तरफ से इस किस्म की दरख्वास्त न पहुंची हो तो वह कानून उस स्टेट के ऊपर उस वक्त तक लागू नहीं होगा जब तक दरख्वास्त वहां न पहुंच जाय। बम्बई ने कानून बना लिया है। उन्होंने हमसे खास तौर से प्रार्थना की, अभी मैं दिल्ली गया था। वहां केन्द्र के होम मिनिस्टर से बातचीत हुई और बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यू० पी० जैसी बड़ी स्टेट्स हैं जिसने अपने यहां यह कानून नहीं बनाया है और डर इस बात का है कि जितने जुए वाले हैं वे सब अपना अड्डा जाकर यू० पी० में जमायेंगे और यू० पी० जुआ का अखाड़ा बन जायगा वह यहां से काम चलाते रहेंगे। इसलिये जरूरत है कि केन्द्र में कानून बने और जल्दी से हम इस बात की प्रार्थना कर दें कि संसद में कानून बन जाय और एक ही कानून सारे देश में लग जाय और जो किसी एक स्टेट्स में जो जुआ खेलने वाले हों उनको जुआ खेलने का मौका न मिले। इस सम्बन्ध में कोई साहित्य हो नहीं सकता। जो अखबार पढ़ने वाले हैं सब जानते हैं, और जिन लोगों को अनुभव है वे जानते हैं कि किस तरह से लोगों को इसके द्वारा तबाह किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मेरे कुछ मित्रों को आश्चर्य हुआ कि मैंने विरोध शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो यह सिद्ध होगा कि हमारा विरोध विरोध के लिये नहीं है। बल्कि कुछ सिद्धांतों के आधार पर है। पहली बात तो यह है कि आज आप इस प्रस्ताव के द्वारा हमारे सदन के इतिहास में पहली बार अपने राज्य के अधिकारों को अपने सदन के अधिकारों को केन्द्र को देने जा रहे हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके पहले भी हम कर चुके हैं। स्टेट डियुटीज ऐक्ट के मामले में।

श्री नारायणदत्त तिवारी—खैर, दूसरी बार सही। लेकिन बार बार दोहराना इस प्रकार की गल्तियों को मैं ज्यादा उचित नहीं समझता। तो प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हमारे पास साहित्य न इस पर है न कोई होना ही चाहिये और अभी स्वयं श्रीमन्, आपने बताया कि सरकार के द्वारा अभी सूचना दी गयी है कि संसद में इस सम्बन्ध में कोई अधिनियम पेश हो चुका है। इस सदन में हम, संसद में जो कार्यवाहियां हो रही हैं उनकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते, लेकिन समाचार पत्रों से हमको विदित हुआ अभी चार, पांच दिन पहले की वहां पर इस सम्बन्ध में कोई बिल पेश हुआ है। मैं नहीं जानता कि उसमें क्या प्राविजन्स हैं, उसमें क्या शर्तें हैं और क्या विधान है और न हमारे सामने वह सारा बिल आया है और न आ सकता है। इस सदन के सदस्य यह जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रकार का विधान जो बनाया जायगा वह उस प्रदेश में कहां तक लागू हो सकता है, कहां तक लागू होना चाहिये, कहां तक उसकी अनिवार्यता है और कहां तक उसकी अनिवार्यता नहीं है। जहां तक यह प्रश्न है कि जुआ नहीं होना चाहिये, क्रासवर्ड कंपिटीशंस होते हैं वह नहीं होने चाहिये, जुए के रूप में नहीं होने चाहिये, यह सिद्धांत तो तभी को मानना पड़ेगा और हम भी इसको मानते हैं। हम यह नहीं चाहते कि क्रासवर्ड के जरिये लाखों रुपये के नाम पर बहुत बड़ी जनता के एक बहुत बड़े हिस्से का शोषण किया जाय या एक कंपिटीशन के नाम पर उनका शोषण किया जाय। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है हम माननीय मुख्य मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

से अवश्य सहमत हैं। लेकिन अगर हमारे राज्य में इस प्रकार की आवश्यकता है तो हम स्वयं उनके बारे में कानून क्यों न बनायें। कई ऐसे कानून हैं कि जो कांकरेंट लिस्ट में हैं, विधान की कांकरेंट लिस्ट में हैं। उसमें पार्लियामेंट ने भी कानून बनाया है और हमने भी बनाया है। हम इस क्रासवर्ड कंपिटीशन के विषय पर अपना कानून बनायें, हमारे राज्य में जो हालत है, जो बाहर से आने वाले पीरिया डिकल्स हैं उन पर हम एक बैन लगायें, ताकि इस प्रकार के कंपिटीशन न हों। अगर इस सब से कोई परिणाम न निकले तब तो हम सोच सकते हैं कि इस प्रकार का असाधारण कदम उठाना आवश्यक है लेकिन अपना कानून बनाने की शक्ति का हम प्रयोग न करें और दूसरे राज्यों की देखा देखी हम भी यहां पर एक प्रस्ताव पास करने की चेष्टा करें, यह मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त बात नहीं है।

अब श्रीमन्, मैं आपके सामने विधान की वह धारा पढ़ना चाहता हूं कि जिसके आधार पर यह कानून आया है। यह धारा २५२ (१) है। इसमें लिखा है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह आवश्यक प्रतीत हो कि वह किसी ऐसे मामले में जिस पर कि पार्लियामेंट विधान नहीं बना सकती, अगर वह पार्लियामेंट को इस प्रकार का विधान बनाने के लिये इजाजत देना चाहते हैं, एक अधिकार देना चाहते हैं कानून के द्वारा और अगर इस प्रकार का प्रस्ताव वहां के राज्य मंडलों के द्वारा पास हुआ है तो पार्लियामेंट के लिये यह कानूनी होगा कि वह उस मामले में कानून बना सकें। और फिर उसमें आगे लिखा है कि :

"Any Act so passed shall apply to such states and to any other state by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses by each of the Houses of the legislature of that State."

और यह कानून पार्लियामेंट से पास हो जाने के बाद उन राज्यों पर भी लागू हो जायगा जो कि बाद में प्रस्ताव द्वारा पास करती है कि यह कानून हमारे यहां लागू किया जाय। तो मैं समझता हूं कि यह जो दूसरा कोर्स यहां रखा गया है उस पर विचार नहीं हुआ है। यदि हम स्वयं विधान बनाना नहीं चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट कानून बनाये तो हमें इंतजार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि पार्लियामेंट कैसे कानून बनाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बहुत से राज्यों ने प्रस्ताव पास किया है। मैं नहीं जानता कि किन किन राज्यों ने प्रस्ताव पास किया है, लेकिन बहुत राज्यों का अर्थ यह है कि २ से अधिक राज्यों ने प्रस्ताव पास कर लिया होगा। उन्होंने "पल्यूरल" शब्द का प्रयोग किया तो इससे पता चलता है कि कम से कम दो राज्यों ने तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है और अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जब पार्लियामेंट में कानून बन जायगा तब हम उस पर विचार करेंगे कि हम उसको मानें या न मानें। यह हो सकता है कि पब्लिक ओपीनियन के लिये वह बिल रेफर किया जाय या पार्लियामेंट यह निश्चय कर सकती है कि यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये जाय और उस समय यह हमारे सामने भी आ सकता है। तो उस समय हमको यह मौका मिल सकता है कि उस बिल पर कुछ सुझाव दे सकें। आज अगर इस वक्त सीधे पास कर देते हैं तो क्या चारा हमारे पास रह जाता है अगर कोई बात हम जोड़ना चाहें अपने प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये तो उस विधेयक में कुछ नहीं जोड़ सकते। इसलिये मेरे विचार से अगर हमको उस कानून को अपने यहां लागू करवाना भी है तो विधान की धारा २५२ (१) के द्वितीय अंश को हमें मानना चाहिये। किसी प्रकार भी हमको ऐसा नहीं करना चाहिये अपने राज्य में जो राज्य विधान सम्बन्धी अधिकार हैं उनको अनावश्यक और शीघ्रतापूर्वक देने की चेष्टा करें। आप यह देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में आइटम ३४ है बेटिंग और गैम्बलिंग जो कि विधान की धारा २४६ (३) के अनुसार केवल हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा ही कानून बन सकता है। तो मैं समझता हूं इच्छा होते हुये भी, माननीय मुख्य मंत्री के आशय से सहमत होते हुये भी हम केवल इसलिये कि हम जहां तक हो सके अपने अधिकारों को पार्लियामेंट को देना नहीं चाहते।

यह नहीं कि हमें पालियामेंट से झगड़ा मोल लेना है, अगर आवश्यकता पड़े तो हम और भी अधिक पावर देना चाहते हैं। लेकिन आज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुये हमें कानून बनाना है। यह भी हमको देखना है और अपने सुझाव भी हमें देने हैं, जैसा मैंने इशारा किया कि पब्लिक ओपीनियन के लिये रिफर होने पर हम भी सुझाव दे सकें। इसी आशा पर मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी विधान की धारा २५२ के द्वितीय अंश को लागू करें, प्रथम को नहीं। और इसीलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--मान्यवर, जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जिस उद्देश्य और सिद्धान्त को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीने यह संकल्प रखा है इस सम्मानित सदन के सम्मुख उसके सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकती हैं। परन्तु यह शिकायत इस सम्बन्ध में हो सकती है और वह यह है कि आज तक जिसकी जिम्मेदारी हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री पर नहीं है कि यह चीज हमारे इस सदन में बहुत पहले से ही आनी थी। बम्बई में जब एक कानून बन चुका था तो यह सोचना कि उत्तर प्रदेश इस माने में पीछे रहे, मैं इसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकता और न मैं इसको समझ सकता हूं कि इसके लिये कोई ऐसी गुंजाइश थी। श्रीमन्, जो शिकायत है वह तो यह है, लेकिन यह शिकायत मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें आये हुये अभी थोड़े दिन हुये हैं, ऐसी कोई बात कहना उचित नहीं होगा कि इसका यही एक रूप नहीं है इसके अनेकानेक रूप हैं। इस प्रदेश में जिस तरह बेटिंग और इस तरह के पजल्स से जो धन आप समझते हैं उसका दुरुपयोग होता है या वह गलत हाथों में जाता है या उसमें धांधली होती है, मैं यह कहता हूं कि आज यह फैशन माना गया है कि आप बहुत से क्लबों में देखेंगे छोटे से छोटे कि ताश जो मामूली सी चीज है उस पर भी बैटिंग चलती रहती है। तो इसके सम्बन्ध में यह देखना कि हमारी नीति क्या होगी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल यह कहना कि अधिकार हम केन्द्र को दे देना चाहते हैं, पालियामेंट को दे देना चाहते हैं और वह जो और स्टेट्स के सम्बन्ध में उनकी जरूरियात को देखते हुये कानून बनावे वह हमको भी स्वीकार हो, वह हम भी ग्रहण करें, मैं इससे कदापि सहमत नहीं, इस कारण से कि इस प्रदेश में हम यह नहीं समझते हैं कि हम इस तरह से असमर्थ हैं, हम परिस्थितियों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, जिस प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय डा० सम्पूर्णानन्द जी हों और जो प्रदेश एक मुल्क इतना बड़ा हो, उसके लिये यह कहना कदापि शोभा नहीं देता है कि हम संसद को इसको दे देते हैं। ड्यूटी के सम्बन्ध में आपने दे दिया मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक चीज जो आपके सामने है, मैं माननीय नारायणदत्त जी से भी सहमत नहीं हूं, इसमें कि आप पहले यह देख लीजिये कि सेंटर जो कानून बनाता है वह यदि आपको पसन्द हो तो आप २५२ (१), (२) के मुताबिक स्वीकार कीजिये और आपके प्रदेश में वह लागू हो। मैं आज यह समझ सकता था कि कोई ऐसा अन्देशा है कि जिसके लिये आज हमको अपने इस अधिकार को संसद को दे देना है एक्स्ट्रा आर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज होते, एक विशेष परिस्थिति होती तो मैं समझता कि कांकरेंट लिस्ट के जो आइटम हैं वह संसद के सिपुर्द किये जायं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वह कौन सी अवस्था है, आखिर उसके पीछे सिद्धांत क्या है जो कि यह संकल्प इस सदन से पारित हो करके सेंटर को भेजा जा रहा है। मैं यह कहता हूं कि इसमें उनका जो यह तर्क है कि यदि ऐसा न किया गया तो सम्भवतः यह उत्तर प्रदेश जुआड़ियों का एक अखाड़ा हो जायगा, मैं यह कहता हूं कि यह आप देख सकते हैं और उसी तर्क के उत्तर में मेरा यह कहना है कि आप उस कानून को देख सकते हैं और उस कानून से भी सख्त कानून आप उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं। तब वह कौन सी गुंजाइश बाकी रहेगी, जिससे यह कहा जाय कि लोग जुए का अखाड़ा उत्तर प्रदेश को बना सकेंगे। इस तर्क से मैं सहमत नहीं और यह कहना कि जुए के लिये यह सबमें प्रमुख स्थान हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह]

जायगा यह कोई मानी इसके नहीं। वह जो तर्क माननीय मुख्य मंत्री जी देते हैं, मैं यह कहता हूं कि केन्द्र जो कुछ भी नियम बनाये, वह जो कुछ भी कानून बनाये, वह कानून, वह नियम आपको सम्भवतः पसन्द न आवें और हो सकता है आप यह समझते हों कि उससे भी सख्त कानून होना चाहिये या उसमें थोड़ी सी और सुविधायें देनी हैं, तो वह अधिकार आपके पास नहीं रहता, आप फिर कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते, जिससे कि संसद का अपमान हो। श्रीमन्, यही नहीं यह जहां तक जुए का सम्बन्ध है इससे जो अनर्थ और अहित हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। यही नहीं कि महाभारत तक इसी के कारण हुआ, उसके अलावा भी आज इस देश का बहुत सा द्रव्य नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है, यह शिकायत जो माननीय मुख्य मंत्री जी आज कहते हैं कि सुनाई यह पड़ता है, यद्यपि वह अधिकारपूर्ण तरीके से नहीं कह सकते कि यह क्रासवर्ड पजिल्स जो रनर्स हैं या जो इनके मैनेजर्स हैं या जिनकी वजह से यह क्रासवर्ड्स या पजिल्स हमारे भारतवर्ष में विद्यमान हैं उनके द्वारा बड़ी धांधली की जाती है, तो जब उनको यह स्वीकार है कि धांधली थी या नहीं थी, इसको वह अधिकारपूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन यह शिकायतें तो हैं, तो मैं यह समझना चाहता हूं उनसे आपके द्वारा यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि आखिर इस चीज पर आज तक क्यों परदा डाला गया। अगर यह सच है तो इस प्रदेश में तो कम, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि और भी प्रदेशों में बाम्बे में, मद्रास में जनता का बड़ा रुपया इस मद में गया है और उसी से ऊब कर बाम्बे सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। यू० पी० में अगर मंत्री महोदय यह कहते कि हमने इसकी इस हद तक जरूरत नहीं समझी कि फौरन हम कोई कदम उठायें, कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगावें जो न हो सके तो उस तर्क में कुछ सार हो सकता है, लेकिन यह कहना कि उत्तर प्रदेश का अधिक रुपया इस ओर नहीं जा रहा है, जिससे एक गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो, यह मैं स्वीकार करता हूं कि रुपया इस कदर नहीं जा रहा है और यह कहना है कि यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुका है, हमारे प्रदेश का इतना रुपया बरबाद हो रहा है और लोग अपने सही मार्ग से विचलित होकर एक ऐसे मार्ग पर पदार्पण कर रहे हैं जो भयानक प्रतीत हो, ऐसी परिस्थिति नहीं है, यह मैं स्वीकार करता हूं और अगर इस आधार पर नहीं लाया गया तो मैं समझता हूं कि सरकार क्षम्य है, परन्तु आज इस कांस्टीट्यूशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मुझे संसद से कोई ऐसा विरोध नहीं और सेंटर से कभी ऐसा होना भी न चाहिये कि अधिकारों की सुरक्षा न हो और उन अधिकारों का सदुपयोग किया जाता है। एक साहब पूछते हैं कि मैं विरोध कर रहा हूं या समर्थन कर रहा हूं। पूरी रामायण हो गयी और सीता राम कौन हैं, यह मालूम नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जो उसकी खराबियां हैं वह इस सम्मानित सदन के सामने रख रहा हूं। इसमें कोई प्रश्न ही पूछने का नहीं उठता।

मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि होना यह चाहिये था कि अपने अधिकार हम जितने हों, कांकरेंट लिस्ट में उनको जब तक एक विशेष परिस्थिति न हो, उन पर हमें खुद ही लेजिस्लेट करना चाहिये। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी मौके में निन्दनीय हो या इसके ऊपर उंगली उठायी जा सके। श्रीमन्, यही नहीं, अमरीका में और हर जगह जहां कांस्टीट्यूशन है वहां आटोनामी स्टेट की रखी जाती है। सिर्फ कांस्टीट्यूशन में रख देने से काफी नहीं है। हमको स्पष्टतया दिखलाना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री के रहते हुये यह होना उचित नहीं है। कोई दूसरा प्रदेश होता जहां लोग एक तरह सेल्फ कंडेम्नेशन पर उतारू होते और समझते कि हम इसके योग्य नहीं हैं, तो मैं मान लेता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये यह कहां तक शोभनीय है कि जुआरियों से भयभीत हो कर आप केन्द्रीय सरकार की शरण लें। मैं कहता हूं कि हम संसद को अधिकार तभी दें जबकि एक्सट्रा आर्डिनरी पीरियड हो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर भारत पर दूसरे देश का आक्रमण होता हो या ऐसी परिस्थिति हो जो इस स्टेट के लिये आउट आफ कंट्रोल हो या क्लोज कोआपरेशन की दूसरे देश से आवश्यकता हो, तभी उस समय सेंटर के पास जाने की आवश्यकता हो सकती है। परन्तु एक साधारण सी बात, जुआरियों से हमारे मंत्री महोदय

इतने भयभीत होकर हाथ पांव रख दें, यह मैं उचित नहीं समझता। स्टेट्स ड्यूटी के लिये आपने सेंटर को सुपुर्द किया ठीक हो सकता है, क्योंकि स्टेट ड्यूटी एक नयी चीज थी। यह ठीक है कि यूनाइटेड किंगडम में लोग समझते थे, लेकिन आपको परेशानी हो सकती थी। लेकिन जहां तक बेटिंग को रोकने का प्रश्न है और कामनसेंस कासवर्ड पज़िल्स का सवाल है उसके लिये हम संसद के पास जायं, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचें। यदि उनको समय हो और कोई उनको ऐडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई न हो और कोई ऐसी बात न हो, जिसको इस सदन में कहना उचित न हो तो इसको जरूर करना चाहिये।

*श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के भाषण को बड़े गौर से सुनने और समझने की कोशिश की, लेकिन जब वह खड़े हुये और उन्होंने कहा कि मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं, लेकिन बाद में उन्होंने जो भाषण दिया तो उस कांटेक्स्ट में मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने समर्थन किया है या विरोध किया है। हो सकता है कि भूल से उन्होंने कह दिया हो कि मैं इस संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं, लेकिन उनका तात्पर्य यह हो कि मैं नारायणदत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय नारायण दत्त जी ने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल २५२ और स्टेट लिस्ट वगैरह का हवाला देकर जो कहने की कोशिश की तो मैं यह समझता था कि शायद कोई बड़ी बारीक बात सदन में रखेंगे, लेकिन उन्होंने वही तीसरा रास्ता बताया। तीन ही रास्ते हैं। एक तो यह कि स्टेट लिस्ट के बारे में चूंकि इसी राज्य के लेजिस्लेचर को अधिकार है कोई कानून बनाने का तो या तो वह राज्य एक कानून अपना बना दे, उसमें जो समय लगता, जो रुपया खर्च होता उस पर ख्याल आप करें। दूसरी सूरत यह हो सकती थी कि यहां कोई अपना कानून न बना कर एक संकल्प द्वारा यह अधिकार संसद को हम दे देते जैसा इस वक्त किया जा रहा है। तीसरा तरीका यह था कि हम पहले से कोई अधिकार न देते और वहां जो कानून बन रहा है उसके बनने के बाद हम अपने यहां एक संकल्प द्वारा उसको लागू कर देते। तो इस तीसरे रास्ते को माननीय नारायण दत्त जी ने बेहतर समझा। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि अगर वह तीसरा रास्ता हमने अपनाया होता तो यकीनन पहला या दूसरा रास्ता वह बेहतर समझते। इसलिये कि सरकार की ओर से एक संकल्प आया है, उसमें कोई खास बात तो नहीं मालूम होती, पहले से हम अधिकार संसद को दे दें या वहां कानून बनने के बाद हम अपने यहां लागू करें, हमको कोई अधिकार उसमें नहीं होगा, उसमें अगर एक लफ्ज की तरमीम हम करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि २५२ के क्लाज को अगर वह देखेंगे तो उसमें यह भी है कि आइन्दा कोई संशोधन का विधेयक भी हम नहीं ला सकते। हां, मैं यह समझता हूं कि सिद्धांततः जैसा कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने भी कहा कि सिद्धांततः कोई विरोध नहीं हो सकता और माननीय नारायणदत्त जी भी सिद्धांततः कोई विरोध नहीं कर सकते थे, यह उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिये उन्होंने एक वैधानिक प्रश्न उठा कर उसकी आड़ लेने की कोशिश की। ऐसी हालत में उसमें कोई तत्व नहीं है। इसलिये जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी का जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। वास्तव में यह संकल्प आज से बहुत पहले आना चाहिये था। लेकिन आज भी जो यह आया है तो उसके सम्बन्ध में वैधानिक या कांस्टीट्यूशन का हवाला देकर जो विरोध सिद्धांत के आधार पर किया गया है वह इस सदन के भीतर और इस सदन के बाहर भी लोगों को आश्चर्य में डालेगा। यह संकल्प कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल २५२ (१) के अनुसार बिल्कुल ठीक उसके अनुरूप में है। स्टेट लिस्ट में गैम्बलिंग और बेटिंग पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन स्टेट की सीमा जो निर्धारित है उसके भीतर यदि गैम्बलिंग और बेटिंग का कानून बनाना हो तब तो लागू हो सकता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

यह जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है वह उन गैम्बलिंग और बेटिंग संस्थाओं से सम्बन्ध रखता है जो स्टेट के बाहर हैं। वास्तव में संकल्प में जिन बातों की कल्पना की गयी है वह क्रासवर्ड पजिल्स है। आज हमारे देश में लोग इससे बरबाद होते हैं और यह लोग लोगों को प्रभावित करते हैं और इसके अन्तर्गत गैम्बलिंग होता है और यह गैम्बलिंग उस गैम्बलिंग से अधिक हानिकर है जो छोटे छोटे मेलों में होती है। इसमें इंटेलीजेंशिया क्लास प्रभावित होकर बरबाद होती है।

मैं समझता हूं कि यह संकल्प जो उपस्थित हो रहा है, इसका न केवल स्वागत होना चाहिये, न केवल इसका समर्थन होना चाहिये, बल्कि जितना अधिक से अधिक इसके पक्ष में कर सके वह करना चाहिये प्रचार के रूप में। आर्टिकल २५२ (१) में कहा गया है कि जब कभी किसी स्टेट को इस सम्बन्ध में कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो संसद से प्रस्ताव द्वारा निवेदन करें और वह कानून बनाये तो यह कानून बन रहा है।

जहां तक इस तरह की क्रासवर्ड पजिल्स का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना है कि आज से नहीं, बल्कि वर्षों से हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इस प्रकार के जुए में ऐसे फंसे हुये हैं कि वह चाहते हुये भी इसमें से निकल नहीं पाते हैं। एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण मेरे जीवन में आये हैं और अच्छे-अच्छे वकील, प्रोफेसर्स और डाक्टर्स इसमें फंस जाते हैं और यह जानते हुये कि इस तरह का चांस शायद ही कभी उनके जीवन में आवे, लेकिन एक बार जब इसमें फंस जाते हैं तो मुक्ति नहीं पाते और सैकड़ों रुपये उनके बरबाद होते हैं। मैंने देखा कि लोग कर्जा लेकर इस तरह के जुओं की कम्पनी खोलते हैं और लोगों को फंसाते हैं और उनकी तमाम जिन्दगी बरबाद हो जाती है। मैं एक आदमी को जानता हूं कि वह आगाओं से जो बहुत ज्यादा सूद पर रुपया देते हैं, उनसे रुपया लेकर उसने अपनी जिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा बरबाद किया है, लेकिन मिला कभी कुछ नहीं सिवाय इसके कि कभी छोटी सी फाउन्टेन पेन मिल गयी, कभी छोटी सी घड़ी मिल गयी। रात दिन इसमें लोग रहते हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं और १२-१२ घंटे इस काम में लगे रहते हैं। इसकी कम्पनियां बन जाती हैं और उन का काम होता है कि वह लोगों को फंसायें और ऐसा भी होता है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनका एक ग्रुप होता है जो कभी कभी अखबारों में छाप देता है कि फलां आदमी को इनाम मिला। वह इसीलिये कि इससे प्रचार हो और नये नये लोग इसमें आकर फंसे। यह तो इंटेलीजेंसिया क्लास को फंसाने का साधन है।

इसके अतिरिक्त यदि लोग अपने दिमागों को दूसरी ओर लगायें तो न केवल उनका बल्कि देश का कल्याण हो सकता है, भला हो सकता है, क्योंकि उसमें जो रिडिल्स साल्व करने को आती हैं उसमें बड़े अच्छे मस्तक की जरूरत है इसीलिये अगर यह लोग अपने मस्तक को इधर से हटाकर दूसरी ओर लगायें तो निज का कल्याण हो सकता है और हमारे समाज का भी कल्याण हो सकता है इस तरह की जुआखोरी हमारे प्रदेश को बरबाद कर रही है और हमारे यहां के लोगों का पतन कर रही है। इसमें एक दफा फंसकर लोग लालची बन जाते हैं और इससे मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिये मैं समझता हूं कि आज जो संकल्प उपस्थित हुआ है सदन में, वह पहले से आना चाहिये था और यदि आज आया है तो समय से आया है और इसका स्वागत होना चाहिये।

एक बात मैं इस सदन में और कहना पसन्द करूंगा कि इस संकल्प के देने के पश्चात् हमारे प्रदेश में एक अनुकूल प्रचार का साधन भी तैयार होना चाहिये। यह संकल्प पास होने के बाद पार्लियामेंट तब इस प्रश्न को अपने हाथ में लेगी और तब इस प्रकार का जो इसके विपरीत वातावरण उत्पन्न हुआ उससे लोगों की रक्षा हो सकेगी। इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इसको पास किया जाय।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के विरोध में जो तर्क किये गये हैं उसको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है

कि जब हम पार्लियामेंट से किसी विधेयक को बनाने की बात कहते हैं तो जैसी कि हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो। इस तरह की बातें यहां पर माननीय नारायण दत्त और माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा। मैं समझता हूं कि यह दृष्टि तो बहुत ही गलत है। यह तो वेस्टेड इन्टरेस्ट सा क्रियेट हो रहा है। हमारी प्रतिष्ठा जो जनहित है उससे भी ज्यादा ऊंची हो गयी। किसलिये हम इस संकल्प को पार्लियामेंट के पास भेज रहे हैं उस के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह इसलिये आवश्यक है कि इसमें यूनिफार्मिटी होनी चाहिये। अगर कहीं पर इसके ऊपर प्रतिबन्ध जरा भी ढीला हो तो वहीं इन क्रासवर्ड पजिल के आफिसेज का अड्डा बनेगा। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुये अगर हम पहले से ही अपने संकल्प को वहां पर भेज देते हैं तो पार्लियामेंट सब प्रदेश और सारे देश की आवश्यकता को सामने रख कर और उस पर विचार करके एक ऐसा विधेयक बनाये जिससे कि सब का समाधान हो जाय। अगर संविधान की धारा में दी हुई दूसरी सूरत अख्तियार की जाती है कि विधेयक पहले वहां पास हो जाय तब हम उसको अपनावें फिर भी हमको संशोधन करने का अख्तयार नहीं रह जाता और यह तर्क बेमानी सा हो जाता है। लेकिन अगर हम संशोधित रूप में उसी बिल को स्वयं पास करते हैं तब वह केन्द्र के बिल से भिन्न हो जायगी और जो बात हम चाहते हैं कि सारे देश में एक तरह का कानून लागू हो, वह चीज नहीं हो पायेगी। इसलिये हमको जनहित को ध्यान में रख कर अपनी छोटी प्रतिष्ठा से कुछ ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिये। जो देश के कल्याण की बात हो चाहे वह यहां पास हो या पार्लियामेंट में पास हो दोनों प्रकार उचित ही है। मैं समझता हूं कि हमारी जरूरत के अनुसार कानन बनना चाहिये, इससे जो अधिकार इस सदन के हैं और जो हमारी प्रतिष्ठा है उस में जरा भी ठेस नहीं पहुंचती है। अगर हम संविधान के अपने अधिकारों को पार्लियामेंट के सिपुर्द करते हैं तो इस दृष्टि से करते हैं कि जल्द से जल्द हम एक दोषपूर्ण चीज पर, जो देश के लिये अहितकर है, प्रतिबन्ध लगा सकें।

श्री रामसिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की राय से सहमत नहीं हूं। उनके प्रस्ताव से हमारी विधान सभा के अधिकारों का थोड़ा सा अपहरण होता है। मैं समझता हूं कि उनकी बातों के पीछे उद्देश्य बहुत ऊंचा है। पहेली पुरस्कार योग्यता के सम्बन्ध में मैं उनके मत को पसन्द करता हूं। और सदस्यों ने जो राय प्रकट की हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसे कानून की जरूरत है। सम्भवतः दूसरे राज्यों ने इस प्रकार का कानून बनाने की प्रार्थना केन्द्रीय सरकार से की भी है जिनमें शायद आन्ध्र या इस प्रकार के एक या दो और प्रदेश हैं। उनकी इच्छा के मुताबिक और केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का कानून बनाती है तो मुझे उनसे कोई शिकायत करने की तो बात नहीं है लेकिन अपने उत्तर प्रदेश की विधान सभा से मैं यह जरूर कहूंगा कि यह विधान सभा अपने को पूरी तरह से कम्पीटेंन्ट समझती है कि वह इस प्रकार का कानून बनाये और दूसरी स्टेट्स को भी इसके लिये प्रोत्साहित करे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१४ सितम्बर, १९५५।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

बुन्देलखंड की मंडियों के नाम

क्रम-संख्या		मंडियों के नाम
१	..	कालपी
२	..	उरई
३	..	ललितपुर
४	..	मऊरानीपुर
५	..	बांदा
६	..	मौदहा
७	..	झांसी
८	..	चिरगांव
९	..	कोंच
१०	..	महोबा
११	..	अतर्रा
१२	..	करवी
१३	..	बरवासुमेरपुर
१४	..	कबरई

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८० एल० ए०—१९५५—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुल हक, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री

रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

जेलों में डिप्टी जेलर्स के पदों को तोड़ने का प्रश्न

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आज़मगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जेलों में डिप्टी जेलर्स के पद को तोड़ देने के प्रश्न पर अथवा डिप्टी जेलर्स और असिस्टेंट जेलर्स के पदों के वेतन को बराबर करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—इस समय ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दोहरीघाट को मऊ पावर हाउस से बिजली देने का प्रश्न

*२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि दोहरीघाट के नागरिकों की ओर से जो प्रार्थना-पत्र इस आशय का उसके पास आया था कि वहां के नागरिकों को तथा टाउन एरिया को मऊ पावर हाउस से बिजली सप्लाई की जाय उसके विषय में उसने क्या निर्णय किया ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—आवेदन-पत्र का यह जवाब दे दिया गया है कि दोहरीघाट को बिजली देने के प्रश्न पर १९५६ के मध्य तक विचार किया जाएगा, जब कि वहां मऊ पावर स्टीम स्टेशन में एडीशनल प्लान्ट (Additional Plant) लग जायेगा।

*३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[२९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

मोटरों के भत्ते की दरों में परिवर्तन की आवश्यकता

*४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि मोटरों के भत्ते की दरें इस प्रकार निर्धारित की जायं कि भत्ता किसी भी दशा में रेल के सेकेंड क्लास के किराये से अधिक न हो ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को यह मालूम है कि मोटर का जो भत्ता सरकार देती है वह रेलवे के सेकेंड क्लास के किराये के भत्ते से कितना अधिक होता है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, अधिक होता ही है और होना भी चाहिये।

सब्जी और फूलों के बीज पर बिक्रीकर

*५— श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सब्जी और फूलों के बीज पर सेल्स-टैक्स लगाने का कोई आदेश जारी हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न १-२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री धर्मसिंह--उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट की धारा ३ के अधीन उन सब चीजों पर, जिन्हें उक्त ऐक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से कर से मुक्त न किया गया हो, बिक्री कर लिया जाता है। फूल के बीज इस प्रकार कर से मुक्त नहीं किये गये हैं। इसलिये हर बिक्री पर ३ पाई प्रति रुपये के हिसाब से उन पर बिक्री कर लिया जाता है। उक्त ऐक्ट की धारा ४ के अधीन तरकारी के बीज बिक्री कर से मुक्त हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार फूलों के बीजों को भी बिक्री कर से मुक्त करने का विचार करती है?

श्री धर्मसिंह--इस तरह का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा बिजली कम्पनियों के लाइसेन्स लेने की मांग

*६--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कुल कितनी नगरपालिकाओं ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि उनके नगरों में बिजली की कम्पनियों को उन्हें दे दिया जाय?

श्री धर्मसिंह--९ नगरपालिकाओं ने।

*७--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--यदि हां, तो वह कौन कौन सी नगरपालिकायें हैं और सरकार ने उनकी प्रार्थनाओं पर क्या कार्यवाही की?

श्री धर्म सिंह--गाजीपुर, गाजियाबाद, हाथरस, लखनऊ, मथुरा, पीलीभीत, सीतापुर, सोरों और सिकन्द्राराऊ की नगरपालिकाओं ने सरकार से यह प्रार्थना की थी। गाजीपुर, हाथरस, लखनऊ, गाजियाबाद, सोरों, सिकन्द्राराऊ तथा मथुरा नगरपालिका के क्षेत्र में पहले से ही कोई न कोई बिजली कम्पनी कार्य करती है इसलिये इन कम्पनियों के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक नगरपालिका को ये कम्पनी नहीं दिलाई जा सकती। सीतापुर के बिजलीघर को श्री सेन तथा सानियाल चला रहे थे इसलिये नगरपालिका को देना संभव न था। पीलीभीत नगरपालिका की प्रार्थना पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर, सीतापुर और पीलीभीत की कम्पनियों के विरुद्ध सरकार के पास बहुत सी शिकायतें आयी हैं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--गाजीपुर की आयी हैं, बाकी के लिये भी मुमकिन है आयी हों।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन बिजली कम्पनियों की बिजली सप्लाई बहुत खराब है, उनसे लाइसेंस लेकर सरकार नगरपालिकाओं को दिलाने की कृपा करेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जब तक वे शिकायतें उस हद तक कानूनन नहीं पहुंचतीं जो हद की शर्तों में रखी गयी है तब तक कानूनन किसी का लाइसेंस वापिस नहीं लिया जा सकता। मैं इस नजरिये से गाजीपुर के मामले को देख रहा हूं। जिस किसी का लाइसेंस अगर गवर्नमेंट ने वापिस लिया और उसको हटाया तब यह बात सोची जा सकती है कि किसी म्यूनिसिपैलिटी को लाइसेंस दिया जाय बशर्ते कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करे कि उसको लाइसेंस दिया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह सीतापुर की कम्पनी को जो सेन सान्याल से ली गई है वहां की म्युनिसिपैलिटी को देने का विचार करती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अब तो वह सरकार के कब्जे में बराएरास्त है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या तिलहर म्युनिसिपैलिटी ने भी दरख्वास्त दी है कि वहां की बिजली कम्पनी उसको दे दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--नाम तो उन्होंने बता दिये, उनमें तिलहर नहीं है तो जबरदस्ती कैसे मिला सकते हैं ?

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा बिजली कम्पनी की कुव्यवस्था को देखते हुए वह यह मेहरबानी करेंगे कि ठेके की अवधि के बीच में उसे खत्म कर दिया जाय और नगरपालिका को उसका लाइसेंस दे दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उनकी तरफ से जो बात थी वह अब तो ठीक हो चुकी और अभी वह इस हद तक नहीं पहुंची कि जिससे कानूनन लाइसेंस जब्त किया जा सकता हो।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बिजली कम्पनियों की आये दिन की शिकायतों को देखते हुए कम्पनियों का प्रादेशीकरण करने का विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब हो चुका।

व्यापारियों द्वारा अन्तर्राजकीय बिक्रीकर के विरुद्ध आवेदन-पत्र

*८--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास प्रदेश के बाहर के व्यापारियों ने (Inter provincial Sales tax) इन्टर प्राविंशियल सेल्स टैक्स के विरुद्ध आवेदन-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या विचार हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह--सरकार को इस प्रदेश के बाहर के व्यापारियों और उनके संघों से अन्तर्राजकीय बिक्री कर (इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स) के विरुद्ध कई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इसलिये जब तक माननीय सदस्य किसी खास आवेदन-पत्र का विशेष रूप से हवाला नहीं देते, सरकार के लिये अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है।

*९-११--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[अगले वृहस्पतिवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--[११ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१३--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[२९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में डकैतियां तथा चोरियां

*१४--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में सन् १९५४-५५ में कुल कितनी डकैतियां अथवा चोरियां हुईं ?

नोट--तारांकित प्रश्न ८ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--सन् १९५४ में ३९ डकैतियां और ६४३ चोरियां हुईं। सन् १९५५ में अगस्त २६ तक २९ डकैतियां और ४४४ चोरियां हुईं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन डकैतियों के करने वाले और चोरियों के करने वालों में से कितने जेल में हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह पूरी तादाद तो मेरे पास इस समय नहीं है।

*१५--श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--[१९ सितम्बर, १९५५ के लिए प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

भ्रष्टाचार विरोधी समिति, अलीगढ़ द्वारा जिले एवं कचहरियों में भ्रष्टाचार संबंधी प्रस्ताव

*१६--श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ तथा १९५५ में भ्रष्टाचार विरोधी समिति, अलीगढ़ ने क्या-क्या प्रस्ताव जिले में फैले हुये भ्रष्टाचार तथा कचहरियों में रिश्वत खोरी के सम्बन्ध में पास किये तथा क्या-क्या सुझाव कमेटी में आये और उन पर क्या अमल हुआ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ २८४-२८५ पर)

राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ योजना

*१७--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार ने राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने की कोई नई योजना बनाई है? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं। वर्तमान योजना का वर्णन हाल में ही सदन में एक प्रस्ताव पर वाद-विवाद के सिलसिले में आ चुका है।

पेशावर गोलीकांड के निष्कासित कर्मचारियों को राजनीतिक पीड़ित मानने से सम्बन्धित आवेदन-पत्र

*१८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास पेशावर गोलीकांड से सम्बन्धित निष्कासित कर्मचारियों का कोई आवेदन-पत्र आया है कि उन्हें भी राजनीतिक पीड़ित माना जाये? अगर हां, तो सरकार ने उस आवेदन पर क्या कार्यवाही की है?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार पेशावर गोली कांड के सिपाहियों को भी राजनैतिक पीड़ित मानती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, उनको मान लिया गया है

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन पेशावर गोलीकांड के कितने सिपाहियों को पेंशन दी जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पेंशन की दरख्वास्त उनमें से किसी ने नहीं दी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि चन्द्र सिंह गढ़वाली जो उसके नेता थे उनको १५ रुपया माहवार केवल पेंशन के मिल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनकी दरख्वास्त यह आई थी कि हमारे लड़कों के पढ़ाने का प्रबन्ध कर दिया जाय और आर्थिक हालत खराब है, कुछ थोड़ी सी मदद की जाय और उनकी उस आर्थिक हालत के सम्बन्ध में ५०० रु० मंजूर किया गया था, वह पेंशन के नहीं थे बल्कि चूंकि हम चाहते थे कि यह इस बात का प्रमाण हो जाय कि हम गढ़वाली लोगों को भी पोलिटिकल सफरर मानते हैं इसलिए वह दिए थे, हमने उनके लिये १४ रुपया सहायता स्वीकार की थी क्योंकि १६ रुपया उन्हें गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलते थे, इस तरह से ३० रुपये हो जाते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार भविष्य में इन गढ़वाली सिपाहियों की या इन पेशावर कांड के सिपाहियों की दरख्वास्त आने पर उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब हमने उनको पोलिटिकल सफरर मान लिया है तो जितनी सहानुभूति और लोगों के साथ की जायगी उतनी उनके साथ भी अवश्य की जायगी ।

एटा जिले के मैजिस्ट्रेट द्वारा जानवर को जेल

*१६---**श्री भगवान सहाय**---क्या सरकार को इस बात का पता है कि एटा जिले के एक मैजिस्ट्रेट ने एक जानवर को जेल में भेजा और जिसको जेल वालों ने लेने से इन्कार किया ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां ।

*२०---**श्री भगवानसहाय**---क्या सरकार ने इस विषय में कोई गश्ती चिट्ठी जारी की है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां । सरकारी पत्र की एक प्रति प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ २८६ पर)

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मुर्रा बुल नं० १२१ का क्या कसूर था जो उसको जेल भेजा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---उसके मुकदमे की फाइल मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो आदेश दिया गया था उसका सारांश क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन---वह जेल भेज दिया गया था कि जब तक उसका मालिक लेने आवे तब तक वह जेल में रहे और जब आ जाय तो उससे वह रकम ले करके उसको वापस कर दिया जावे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह जानवर किस दफा में जेल भेजा गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आवारागर्दी में (हंसी) ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन जानवरों के लिये अलग जेल खोला गया है या आदमियों के साथ रहते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जानवर के खिलाफ कोई फैसला सुनाया गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन--वह छोड़ दिया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गश्ती चिट्ठी पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यदि बहुत बड़ी न हो तो उसका मुख्तसरन हवाला दे सकते हैं ।

श्री मुजफ्फर हसन--अब मना कर दिया गया है कि इस तरह से जेल न भेजा जाय ।

हाईकोर्ट के अन्तर्गत अदालतों में उर्दू भाषा में आवेदन-पत्र देने के आदेश का प्रश्न

*२१--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने हाई कोर्ट को इस बात की हिदायत भेजी है कि अब उनकी मातहत अदालतों में उर्दू जबान में भी दरख्वास्तें दी जा सकती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं ।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या यह सही है कि अभी हाल अंजुमने तरक्किये उर्दू का एक डेपुटेशन माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और उनसे यह कहा था कि अदालत में उर्दू की दरख्वास्तें नहीं ली जाती हैं और उस डेपुटेशन ने उनसे यह भी इस्तदुआ की थी कि हाईकोर्ट के मातहत अदालतों को यह हिदायत जारी कर दी जावे कि ऐसी दरख्वास्तें ले ली जाया करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, एक डेपुटेशन मुझसे मिला था । मैंने उनसे कहा था कि इस चीज की जरूरत नहीं मालूम होती, क्योंकि इस चीज की कोई शिकायत नहीं आयी है कि कहीं भी उर्दू की दरख्वास्तें दी गई है और ली नहीं गई हैं । मैंने उनसे पूछा कि उनके पास कोई सबूत हो तो उसको वह भेज दें, तो हाईकोर्ट को तवज्जह दिलाने की कोशिश कर सकता हूं ।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या यह सही है कि उस डेपुटेशन ने मुख्य मंत्री जी से जब कि वह मिला था, यह कहा था कि अदालत मुंसिफी बांसी ने एक फैसले के ओरीजिनल डाकूमेंट को जो उर्दू में था, लेने से इन्कार किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, मैंने उनसे कहा था कि उस फैसले की नकल भेज दीजिये या कम से कम हवाला दीजिये कि कौन सा फैसला है तो मैं देखूं ।

*२२--श्री रामचन्द्र विकल--[वापस लिया गया ।]

पश्चिमी वृत्त रामनगर डिवीजन में नियुक्त फारेस्ट गार्डों में हरिजन

*२३--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग के पच्छिमी वृत्त रामनगर डिवीजन में कुल कितने फारेस्ट गार्ड तैनात हैं और इनमें कितने हरिजन (शिल्पकार) वर्ग के हैं ?

वन उपमन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--पच्छिमी वृत्त के रामनगर फारेस्ट डिवीजन में कुल ५६ फारेस्ट गार्ड तैनात हैं और उनमें ८ फारेस्ट गार्ड हरिजन वर्ग के हैं ।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो फारेस्ट गार्डस् रामनगर डिवीजन में नियुक्त हुये हैं वह कहां-कहां पर हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो एक डिवीजन का नाम बताया गया है। रामनगर डिवीजन अलग-अलग बीट हैं और उनका यहां पर नक्शा खींच कर बताना सम्भव नहीं है ।

रामनगर डिवीज़न में फारेस्ट गार्डों की मुअत्तली

*२४---श्री खुशीराम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामनगर डिवीजन में १ जनवरी सन् ५५ से अब तक कितने फारेस्ट गार्ड मुअत्तिल रहे व कितनों को अलग किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---रामनगर फारेस्ट डिवीजन में १ जनवरी, १९५५ से अब तक २ फारेस्ट गार्ड मुअत्तिल किये गये हैं। इन दोनों के मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री खुशीराम---ये जो दो फारेस्ट गार्डस मुअत्तल किये गये हैं, ये किस अपराध पर किये गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इनमें से एक तो नाजायज काम चोरी के सिलसिले में मुअत्तल है और वह अपनी नौकरी से अनुपस्थित भी रहता था। दूसरा भी इसी अनुपस्थिति के कारण मुअत्तल किया गया है ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नाजायज चोरी पर मुअत्तली होती है तो जायज चोरी पर क्या सजा दी जाती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*२५-२६---श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---[४ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२७---श्री भगवान सहाय---[२७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२८---श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---[२९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९-३१---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---[हटा दिये गये।]

प्रत्येक जिले की एंटी करप्शन कमेटी से सम्बद्ध एक-एक पुलिस इन्स्पेक्टर की नियुक्ति का प्रश्न

*३२---श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)---क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार हर जिले की एण्टीकरप्शन कमेटी (Anti corruption Committee) से सम्बन्धित एक-एक पुलिस इंस्पेक्टर मुकर्रर करने जा रही है ? यदि हां, तो उनका काम क्या होगा और उनकी नियुक्ति पुराने staff में से होगी या नई भरती द्वारा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एंटीकरप्शन कमेटीज से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कोई दूसरा डेजिगनेशन का पुलिस आफिसर मुकर्रर होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं ।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एंटीकरप्शन कमेटीज अगर कोई केस पुलिस में भेजना चाहें तो किस अधिकारी के पास भेजेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनका कांस्टिट्यूशन जैसा कि जिलों में भेजा जा चुका है उसके अनुसार एक मैजिस्ट्रेट वहां रहेगा । वह सेक्रेटरी का काम करेगा और सभी सरकारी महकमों की पुलिस और जितने महकमें हैं उन सबके साथ लाइजन आफिसर का काम भी वही करेगा ।

मैनपुरी जिले की टाउन एरिया कुरावली की जनता को सब-स्टेशन से बिजली देने का प्रश्न

*३३---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में टाउन एरिया कुरावली में जो बिजली घर तैयार हो रहा है उससे ट्यूबवेलों के अतिरिक्त टाउन एरिया कुरावली की जनता को भी बिजली प्राप्त हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह---मैनपुरी जिले के कुरावली कस्बे में इस विभाग का कोई बिजली घर नहीं बन रहा है, लेकिन एक सब स्टेशन बन रहा है जिससे ट्यूबवेलों को बिजली दी जावेगी । कुरावली कस्बे को इस सबस्टेशन में बिजली देने का अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गढ़वाल में जो सबस्टेशन बिजली का बन रहा है उससे गढ़वाल टाउन एरिया को बिजली न देने का क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---किसी सब-स्टेशन से कोई बिजली कहीं नहीं दी जाती । बिजली दी जाती है पावर हाउस से । सब-स्टेशन का काम और होता है । तो जिस पावर हाउस से बिजली दी जाने वाली है उस सब-स्टेशन के पास ट्यूबवेल्स के लिये इतनी बिजली नहीं है कि और बिजली दी जा सके ।

उन्नाव के देहाती क्षेत्र में बिजली पहुंचाने की योजना

*३४---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव के देहाती क्षेत्र में कब तक बिजली पहुंचाने की योजना कार्यान्वित होगी ?

श्री धर्मसिंह---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्नाव जिले के कुछ कस्बों तथा गांवों को बिजली पहुंचाने का विचार है ।

*३५---श्री देवदत्त मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव बिजली घर के विस्तार की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह---इस समय उन्नाव बिजली घर के विस्तार का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कानपुर से उन्नाव बिजली घर को बल्क सप्लाई देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी उन गांवों और कस्बों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---अब तक इस तरह के कोई गांव व कस्बे नहीं है जिनको बिजली दी जा सके । यह तो बाद में निर्णय होगा ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुरवा तहसील और उसके अन्तर्गत दक्षिण पुरवा निर्वाचन क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित होगा ?

श्री धर्मसिंह--यह तो नहीं कहा जा सकता कि कोई सम्मिलित होगा या नहीं होगा। जब मेरे पास आयेंगे तब उस पर फैसला किया जायगा कि कहां-कहां किया जाय ।

पुलिस विभाग के घुड़सवार पुलिस के अतिरिक्त सब-इन्सपेक्टर तथा एस० पी० को घोड़े की सब्सिडी तथा मासिक भत्ता

*३६--श्री श्रीचन्द्र--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर, डी० एस० पी० तथा एस० पी० को किस-किस कीमत का घोड़ा दिया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--घुड़सवार पुलिस के अलावा किसी पुलिस अफसर को सरकार की तरफ से घोड़ा नहीं दिया जाता है ।

*३७--श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डी० एस० पी० को घोड़े का मासिक व्यय क्या दिया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--किसी डी० एस० पी० को घोड़े का मासिक व्यय नहीं दिया जाता है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से क्या कोई आदेश सब-इन्स्पेक्टर और एस० पी० के लिये ऐसा है कि घोड़े खरीदें ? यदि हैं, तो घोड़े खरीदने के लिये एस० पी० और सब-इन्स्पेक्टर्स को कितना रुपया दिया जाता है और घोड़ा रखने का भत्ता क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सरकार की तरफ से आदेश यह है कि एस०पी० और देहात के सब-इन्स्पेकटर्स घोड़ा रखें । इसका जवाब तो आगे के सवालों में है जो इसके आगे सवाल किये गये हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एस० पी० को आठ सौ रुपये की सब्सिडी दी जाती है घोड़ा खरीदने के लिये और सब-इन्स्पेक्टर को तीन सौ रुपये सब्सिडी दी जाती है। एस० पी० को ६० रुपया माहवार और सब-इन्सपेक्टर को ४५ रुपया माहवार दिया जाता है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घोड़े की कीमत खरीद और मासिक भत्ते में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--एस० पी० से यह उम्मीद की जाती है कि वह ज्यादा बढ़िया किस्म का घोड़ा रखेगा और शहर में घोड़ा रखने में खर्चा भी ज्यादा होता है । और सब-इंस्पेक्टर जो देहात में होते हैं, उनसे उतनी ऊंची किस्म का घोड़ा रखने की उम्मीद नहीं की जाती है और देहात में शहर के मुकाबिले में खर्चा भी कम होता है ।

फारेस्ट रेन्जर प्रतियोगिता परीक्षा में परिगणित जातियों के लिए सुरक्षित स्थान

*३८--श्री तुलाराम (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछली अक्टूबर में जो फारेस्ट रेंजर की प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसमें कितने स्थान परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित किये गये थे ? कितने परिगणित जातीय उम्मीदवार उस परीक्षा में पास हुये तथा कितने उनमें से ट्रेनिंग के लिये भेजे जा चुके हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--पिछले अक्टूबर की फारेस्ट रेंजरों की परीक्षा में दो स्थान परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित किये गये थे। ४ परिगणित जातियों के उम्मीदवार उसमें पास हुये और उनमें से ट्रेनिंग के लिये केवल एक ही भेजा जा सका।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो दो लिये गये थे उनमें से एक ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजा जा सका, उसका क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--चूंकि समय पर उनको इत्तिला नहीं दी जा सकी और जनरल सीट का जो आदमी था वह अवेलेबुल था नैनीताल में तो चीफ कंजरवेटर ने उसे ही भेज दिया, अन्यथा वह सीट छिन जाती।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाकी तीन उम्मीदवारों में से दूसरे उम्मीदवार को ट्रेनिंग में भेजने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अब तो इस साल का कोर्स चल पड़ा है। मगर पब्लिक सर्विस कमीशन से लिखापढ़ी चल रही है कि अगले साल पब्लिक सर्विस कमीशन सहमति दे देगा तो भेज दिया जायगा।

श्री शिवनारायण--क्या यह सही है कि जिस उम्मीदवार को सरकार सूचना न दे सकी वह विदेश चला गया था?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नहीं, वह तो यहीं है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार ने तार या वायरलेस द्वारा उसको सूचना देने की कृपा की थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नहीं, यह नहीं किया जा सका। अफसोस है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कैंडीडेट को सूचना नहीं मिल सकी, इसका जिम्मेदार कौन था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने कह दिया कि अफसोस की बात है। वक्त कम होने से चीफ कंजरवेटर सूचना नहीं दे पाये और इसके लिये सरकार की ओर से लिखा पढ़ी पब्लिक सर्विस कमीशन से की जा रही है कि अगले वर्ष उसको योंही लिया जा सके तो बड़ी अच्छी बात होगी।

एस० पी० तथा थानेदारों के घोड़ा भत्ता में अन्तर

*३९--श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थानेदारों को घोड़े का एलाउन्स ४५ रु० माहवार और एस० पी० को ६५ रु० माहवार दिया जाता है? यदि हां, तो ऐसा अन्तर क्यों है?

श्री जगनप्रसाद रावत--जिले के एस०पी० इंचार्ज को ६० रु० और देहात के थानों पर तैनात गिये गये थानेदारों को ४५ रु० घोड़ा भत्ता दिया जाता है। अन्तर का कारण यह है कि एस० पी० को थानेदारों के घोड़ों की अपेक्षा ज्यादा उत्तम और अच्छी स्थिति के घोड़े रखने पड़ते हैं जिन पर खर्च ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा एस० पी० को शहर में घोड़ा रखना पड़ता है जहां ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा भूसा-घास तथा चना ज्यादा महंगा मिलता है।

प्रत्येक थाने में जीपकार का प्रबन्ध करने का प्रश्न

*४०--श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह हर थाने में एक जीपकार का प्रबन्ध करने पर बिचार कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद--चूंकि थानेदार को घोड़े पर अधिक यात्रा करनी पड़ती है तो सरकार का विचार है कि थानेदार का भी एलाउन्स बढ़ा कर एस० पी० के बराबर कर दिया जाय?

श्री जगनप्रसाद रावत--दोनों के जो एलाउंस हैं उनमें इतना अन्तर नहीं है कि उसमें सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता हो।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस विज्ञान के युग में घोड़े की जगह किसी दूसरी सवारी को मुहइया करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत--बात यह है कि देहात में तो इस समय घोड़ा ही काम कर सकता है। हां, हेलीकाप्टर अगर ले सकेंगे तो जरूर कोशिश करेंगे।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एस० पी० को जो आठ सौ रुपया घोड़ा खरीदने के लिये दिया जाता है और इंस्पेक्टर को तीन सौ रुपया दिया जाता है, तो दोनों घोड़ों में क्या फर्क है जिससे मालूम हो कि यह अच्छा घोड़ा है या बुरा घोड़ा है?

श्री अध्यक्ष--यह राय का सवाल है। माननीय सदस्य स्वयं राय कायम कर सकते ह, और घोड़ा पहचान सकते हैं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर गौर करेंगे कि देहात में रहने वाले थानेदार और एस० पी० को जो घोड़े की कीमत दी जाती है, उन दोनों को अच्छे घोड़े की कीमत दी जाय?

श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसा तो कोई विचार करने का इरादा नहीं है।

श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि सब-इन्स्पेक्टर को जो घोड़ा खरीदने के लिये एलाउंस मिलता है उसमें कोई नाप निर्धारित है कि इससे कम की नाप का घोड़ा नहीं खरीद सकते हैं, वह नाप कम से कम क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत--नाप की इस समय तो कोई तफसील नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस तफसील का पता लगा दूंगा। लेकिन साधारण तौर से दोनों घोड़ों में काफी अन्तर होता है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो देहातों में रहने वाले सब-इन्स्पेटर हैं उनके लिये घोड़ा रखना अनिवार्य है?

श्री जगनप्रसाद रावत--नहीं। परन्तु उनको काफी दौरा करना पड़ता है और घोड़े पर ही दौरा करने में सहूलियत होती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कप्तान पुलिस के पास घोड़े के अलावा और दूसरी सवारी रहती है और थानेदार के पास कोई दूसरी सवारी नहीं रहती?

श्री जगनप्रसाद रावत--हां। कप्तान पुलिस के पास मोटर वेहिकिल्स भी रहती है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी शहर में रहने वाले थानेदारों को उतना ही भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे जितना कि कप्तान पुलिस को मिलता है?

श्री जगनप्रसाद रावत--शहरों में सब-इन्स्पेक्टर आम तौर पर घोड़ा रखते नहीं हैं, इसलिये यह सवाल नहीं उठता।

प्रदेश में थानेदारों के पास घोड़े तथा प्रत्येक थानेदार को वर्दी का भत्ता

*४१--श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस प्रदेश में कितने थानेदारों के पास घोड़े हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस प्रदेश में कुल ८३५ थानेदारों के पास घोड़े हैं।

*४२-श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हर पुलिस सब-इन्स्पेक्टर को वर्दी (Dress) के लिये वह क्या allowance देती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--केवल एक बार सिविल पुलिस के हर सब-इन्स्पेक्टर को १५० रु० तथा आर्म्ड, माउंटेड व मिलिटरी पुलिस के हर सब-इन्स्पेक्टर को १०० रु० उनकी पूरी नौकरी में दिया जाता है ।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस वक्त उनके पास या उनकी सरकार के पास थानेदारों की तरफ से दरख्वास्तें आई हुई हैं घोड़े के वास्ते और उनको रुपया नहीं मिल रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है ।

श्री बलवन्तसिंह--देहातों में जो सब-इन्स्पेक्टर रहते हैं उनके लिये घोड़ा रखना सरकार की तरफ से अनिवार्य है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--अनिवार्य नहीं है ?

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में थानेदारों की कुल संख्या क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस समय ठीक आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या लगभग २,००० के ऊपर है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो संख्या बताई गई है थानेदारों की जिनके पास घोड़े हैं, उनमें से कितने शहरों के अन्दर रहते हैं और कितने देहातों में ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसके लिये तो अगर आप दूसरा प्रश्न करें तो मैं पता लगा कर आपको बता सकता हूं ।

बनस्पति घी पर बिक्री कर हटा लेने का प्रश्न

*४३-श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि सरकार ने बनस्पति घी पर बिक्री-कर हटा लिया है, यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं ।

*४४-श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि प्रति रुपया (बनस्पति घी पर) क्या बिक्री-कर देना पड़ता था ?

श्री धर्मसिंह--पहिली अगस्त, १९५५ ई० से पहिले बनस्पति पर ६ पाई प्रति रुपये के हिसाब से एक स्थानीय बिक्री-कर लिया जाता था । अब ९ पाई प्रति रुपये के हिसाब से एक स्थानीय बिक्री-कर लिया जाता है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मूंगफली के तेल पर भी पहले कुछ बिक्री-कर लगता था उसे हटा लिया गया है ।

श्री धर्मसिंह--जी हां, लगता था ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिक्री-कर कितना लगता था और हटाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपने सिर्फ बनस्पति घी के बारे में पूछा है । मूंगफली के करों के बारे में अधिक नहीं पूछ सकते ।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वेजिटेबिल घी को डिसकरेज करने के लिये उसके ऊपर और सेल्स टैक्स लगाने का विचार रखते हैं ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं। जैसा उत्तर में दिया गया है कि अन्य वस्तुओं के मुकाबिले में इस पर ज्यादा टैक्स अब भी है।

जेल उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिए उद्योग डाइरेक्टोरेट द्वारा सहयोग

*४५--श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जेल के उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिये उद्योग डाइरेक्टोरेट कार्य करती है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां, आवश्यकता पड़ने पर उद्योग डाइरेक्टोरेट भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग देती है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार जेल उद्योग और प्रदेश के उद्योगों की डायरेक्टोरेट को एक करने पर विचार कर रही है। यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री मुजफ्फर हसन--अभी तो मैंने अर्ज किया कि कमेटी की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायगा। जब वह आ जायगी तो यह सवाल भी देख लिया जायगा।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या यह सही है कि जेलों में बना हुआ सामान बाजार की चीजों से कुछ महंगा मिलता है, यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सही है कि जेल का सामान किन्हीं मानों में कुछ महंगा होता है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले भी कई बार कमेटियां बैठ चुकी हैं और उनके सामने यह सवाल था कि जेलों के सामान की कीमत कम रखी जाय। लेकिन आम तौर पर कमेटी ने यह राय दी कि जेल का समान कुछ थोड़ा महंगा रखा जाय। वह इसलिये कि जेलों में गवर्नमेंट के पास कैदी मुफ्त के होते हैं, इसलिये अगर दाम बाजार की चीजों से कम रखे जायेंगे तो बाहर का जो सामान होगा उस पर काफी असर पड़ेगा। यह ठीक है कि जेल का सामान मजबूत और अच्छी क्वालिटी का होता है इसलिये अगर जो लोग महंगे दाम देकर अच्छा सामान खरीदना चाहें तो वह जेल का सामान लें, नहीं तो बाजार जायें।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कमेटी कब बनी थी और उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--तकरीबन ४,५ महीने हुये और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ जायगी।

श्री हरदयालसिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जेलों में औद्योगिक काम करने वाले जेलियों को क्या प्रति दिन मिलता है ?

श्री मुजफ्फर हसन--आपका मतलब क्या कैदियों को उजरत देने से है ?

श्री हरदयालसिंह पिपल--जी हां।

श्री मुजफ्फर हसन--तो अभी तक तो कुछ यहां पर माडल जेल में कुछ कैदियों को अपना काम स्वतंत्र रूप में चलाने का मौका दिया गया है। उससे वह फायदा उठाते हैं और काम की पूरी उजरत उनको दी जाती है जिसमें से उनके खाने और कपड़े की उजरत काट ली जाती है।

हैण्डी क्रैफ्ट इम्पोरियम तथा जेल डिपो के बिक्री-केन्द्र को एक करने का प्रश्न

*४६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार हैन्डी क्रैफ्ट इम्पोरियम और जेल डिपो दोनों का बिक्री केंद्र एक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री मुजफ्फर हसन--अभी सरकार ने इस संबंध में कोई विचार निश्चय नहीं किया है। सरकार द्वारा नियुक्त की गई जेल इन्डस्ट्रीज इन्क्वाइरी कमेटी यू० पी० जेल डिपो के संचालन में आवश्यक सुधारों पर विचार कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश में जेल के सामान के बिक्री डिपो तथा उनकी वार्षिक आय

*४७--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने जेल सामान के बिक्री के डिपो हैं? उनकी वार्षिक आय और बचत क्या है?

श्री मुजफ्फर हसन--उत्तर प्रदेश में ऐसा केवल एक ही डिपो है। वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में इस डिपो की आय ७२,४१९ रु० थी बचत ११,०४० रु० थी।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जेलों में बनी हुई वस्तुओं का सेल डिपो राज्य के बाहर भी है?

श्री मुजफ्फर हसन--मैं इसका जवाब दे चुका हूं केवल एक दूकान है लखनऊ में।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जेल डिपो की आय और व्यय का जो विवरण दिया गया है तो खर्च में क्या कैदियों की मजदूरी भी शामिल है?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह कमेटी बैठी हुई है उसमें कितने सदस्य हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--मेरा खयाल है बारह या तेरह सदस्य हैं।

*४८--श्री लक्ष्मणराव कदम--[अगले वृहस्पतिवार के लिये स्थगित किया गया।]

पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सम्बन्धी अन्य पारिणामिक और आनुषंगिक विषयों के नियन्त्रण और विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष--अब माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर विवाद जारी रहेगा।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि जो कुछ भी माननीय नारायणदत्त जी ने उस प्रस्ताव के विरोध में कहा था उसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की भावनाओं से हम सहमत नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की जो भावना पुरस्कार पहेली प्रतियोगता के सम्बन्ध में पाबन्दी लगाने की है, उसको तो हम भी मुनासिब समझते हैं कि वह लगनी चाहिये, परन्तु हमारा कहना यह है कि हमें इस प्रकार का कोई कानून स्वयं ही बनाना चाहिये, यानी हमारी विधान सभा ही बना सकती है और विधान सभा जिस कार्य को करने के लिये क्षम्य है तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि उस काम को हम पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ें। हमारा ऐसा तजुर्बा है कि पार्लियामेंट के ऊपर, केन्द्रीय सरकार के ऊपर, जो हमने काम छोड़ा है उसमें हमारी इच्छाओं का उन्होंने पूरा-पूरा ध्यान नहीं रखा है और यह कोई शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि मैं तो बहुत असंतुष्ट हो करके यह बात कह रहा हूं कि जब कभी भी ऐसा मौका आया है तो उन्होंने जो कुछ भी हमारे अधिकार कभी भी ले लिये या जो हमने अपने अधिकार कभी भी उनको दे दिये उसमें जो हमारी अपेक्षा थी, जो हम आशा करते थे कि इस तरह से हमारे साथ इंसाफ होगा, उसमें इंसाफ नहीं हुआ। मैं उदाहरण के तौर पर अपने यहां के चीनी के उद्योग को सामने

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखता हूं। चीनी हमारे प्रदेश का ऐसा उद्योग है जिसके बनने बिगड़ने पर हमारे सूबे की इकानामी बन बिगड़ सकती है। उन्होंने हमारे काफी अख्तियारात लेजिस्लेचर के ले लिये, लेकिन उनको लेने के बाद उन्होंने यू० पी० की शुगर इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिये क्या किया, यह मुख्य मंत्री हमें कभी बतायें या विधान सभा को बतायें, तो हम अपना बड़ा भाग्य समझेंगे।

हम जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री की सिफारिश और उनकी दौड़-धूप के बाद भी हिन्दुस्तान की सरकार ने सुनने में कोताही की है और जब कभी ऐसी जरूरत आई हमको और हमने उनसे सिफारिश की, तो बजाय इसके कि हमारी बात सुनकर इंसाफ किया जाय, उन्होंने कुछ ऐसा कानून बनाया जिसके जरिये हमारा नुकसान हुआ। यह तो साधारण सी बात है कि गन्ने की कीमत तय करना हमारे हाथ में है और यू० पी० सरकार और बिहार की सरकार मिल करके तय करती, लेकिन वह उन्होंने ले लिया और उसको लेने के बाद उन्होंने जो हमारे साथ अन्याय किया उसका दाग और दर्द हमारे दिल में है। जब हमने कभी इसके लिए आवाज उठाई तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, बल्कि यह किया कि हमारे आन्दोलन का लाभ उन्होंने उठाया और यह किया कि पिछले वर्ष जब किसानों को कीमत दिलाने की चर्चा थी उसके लिये आन्दोलन था तो उन्होंने शुगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर केन्द्रीय सरकार के खजाने को बढ़ाया। तो अध्यक्ष महोदय, यह तो हुआ ज्वलंत उदाहरण उनके अन्याय करने का हमारे साथ। इसी प्रकार दो एक चीजें और उदाहरण के तौर पर—तफसील में नहीं—बाढ़ के सिलसिले में कहना चाहूंगा हूं कि उन्होंने अगली पंचवर्षीय योजना में केवल ३५ करोड़ रुपये की योजना रखी है कि इतने में सूबे भर की बाढ़ की सारी कार्यवाही कर डालेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि दामोदर घाटी या कोसी प्रोजेक्ट जैसी स्कीम जो एक एक अरब से ऊपर की स्कीमें हैं वे उत्तर प्रदेश के लिये क्यों नहीं सोचते और क्यों नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी उन्हें राजी कर पाते। माननीय मुख्य मंत्री जी अपना दबाव इस विधान सभा के ऊपर डाल सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार को जो हमारे अधिकार हैं उन्हें भी दे डालो, लेकिन केन्द्रीय सरकार से लेने में वे कितने सफल रहे हैं यह भी बतायें। और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं, लेकिन कम से कम इन दो-तीन बातों की तरफ इशारा करके हम अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहते हैं। हम केन्द्रीय सरकार को एक रत्ती भर भी अख्तियार देना नहीं चाहते।

अलावा इसके में एक तरफ और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं कि संविधान के आर्टिकिल २५२ का जिक्र किया गया कि उसी आर्टिकिल के अनुसार हम केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह कानून बना दे कि पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में वह कानून बनाये। लेकिन इससे जो मंशा माननीय मुख्य मंत्री जी की है वह कैसे पूरी होगी? यह बात सही है कि हम चूंकि यह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे इसलिये जो कोई भी कानून पार्लियामेंट बनायेगी इस सम्बन्ध में, वह आटोमेटीकिली हमारे ऊपर लागू होगी, लेकिन परेशानी यह है कि चाहे माननीय पद्मनाथ सिंह जी हों या और जिन माननीय सदस्यों ने इस पर कहा उन्होंने यह कहा कि यह एक ऐसा विषय है जिसको कि हम केवल एक सूबे से सारे सूबों को रेगुलेट नहीं कर सकते। इसलिये हम चाहते हैं कि ऐसा कानून पार्लियामेंट बना दें। लेकिन, श्रीमन्, अगर आप आर्टिकिल २५२ को देखें तो पार्लियामेंट के कानून बना देने के बाद भी, उसमें यह स्पष्ट है कि जो सूबा उसके पक्ष में प्रस्ताव नहीं करेगा वहां पर वह कानून लागू नहीं हो पायेगा। तो फिर तो बात यह होगी कि मान लीजिये एक छोटा सा सूबा है जो जुए से एक आध करोड़ रुपये आमदनी करता है और वह प्रस्ताव उसके पक्ष में नहीं पास करता है तो वह कानून वहां नहीं लागू होगा या दूसरे शब्दों में उत्तर प्रदेश, पेप्सू, आन्ध्र, बम्बई सब कहते हैं कि ऐसा कानून बनाना चाहिये और वह कानून बन गया और इन सूबों में लागू हो गया, लेकिन उदाहरण के लिये मान लीजिये, मैसूर नहीं चाहता है कि वह कानून उसके यहां लागू हो, तो फिर

[श्री गेंदासिह]

कौन सा उपाय है मैसूर में भी वह लागू हो। तो ऐसे प्रस्ताव के पास होने के बाद भी कोई ताकत पार्लियामेंट को हम नहीं दे रहे हैं जिनकी बुनियाद पर वह उन सूबों में भी लागू करा सके, जो नहीं लागू करना चाहते हैं। हां, एक बात हो सकती है कि २४९ आर्टिकिल के अनुसार कौंसिल आफ स्टेट अगर इस तरह का कानून पास करे तो वह केवल दो वर्षों के लिये सारे सूबे पर इस तरह का कानून लागू करा सकती है और वह भी दो किस्तों में, एक किस्त में एक वर्ष के लिये और दूसरी किस्त में दूसरे वर्ष के लिये। लेकिन वह हमेशा के लिये नहीं हो सकता। अब यह बात कही जा सकती है कि हम पब्लिक ओपीनियन को एजिटेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने अख्तियार को पार्लियामेंट को न देकर भी यह काम कराया जा सकता है। पब्लिक ओपीनियन को अगर केवल एजिटेट करना हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि कोई इस प्रकार का विधेयक लाया जाय और वह विधेयक हमारी विधान सभा पारित करे और पारित करने के बाद सारे सूबे में अगर पब्लिक ओपीनियन जाग्रत हो पाये तो दूसरे सूबे भी इसी प्रकार कानून बनायें, यह सब से अच्छा तरीका है। मैं अनुरोध करूंगा कि हम इस तरह से अपने अधिकार पार्लियामेंट को देने के विरोधी हैं और इसी भावना को लेकर हम मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध करते हैं और जो कुछ भी उनकी भावना पाबन्दी लगाने की हो, उसका विरोध करने का हमारा मतलब नहीं है। इसमें हम बिलकुल उनके साथ हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय क्योंकि बहुत विवाद हो चुका है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अभी काफी बहस नहीं हुई है। अभी बहुत लोग बोलना चाहते हैं, ऐसा मालूम होता है तो अभी एक दो लोग और बोल लें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। इसके विरोध में जो बातें श्री गेंदासिह और नारायणदत्त जी ने कही हैं उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि हमारे दोनों साथी, जहां तक उसूल का संबंध है तथा इस प्रस्ताव के पीछे जो सिद्धान्त है, उससे सहमत हैं। वह इस बात को मानते हैं, इस प्रकार की जो जुआखोरी की आदत क्रासवर्ड पजिल्स की तथा अन्य गेम आफ स्किल की आड़ में हमारे प्रदेश में लोगों की पड़ती जा रही है उसको हमें कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहिये और उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। परन्तु उनको आपत्ति यह है कि जो अधिकार इस सदन का था उसको स्वयं इस्तेमाल न करके पार्लियामेंट को क्यों दिया जाय।

मैं समझता हूं कि इसमें कोई अधिकार छीनने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो कहा नहीं कि हमें तुम अपना यह अधिकार दे दो। स्पष्ट है कि यह अधिकार तो हम स्वयं अपनी खुशी से दे रहे हैं यह समझ कर कि सहूलियत और आसानी के साथ देश के तमाम प्रदेशों के लिये एक सा कानून बन जाय। इस संबंध में शायद उनको याद होगा कि बम्बई ने अपने यहां इस सम्बन्ध में एक कानून बनाया था और उन्होंने यह कोशिश की थी कि इस किस्म की चीजों पर एक किस्म का लायसेंस दिया जाय तो उसका परिणाम यह हुआ कि इस काम के करने वालों ने बम्बई से हट कर दूसरे प्रांतों में अपना अड्डा जमा लिया। इसलिये या तो यह हो कि जितने हमारे यहां प्रांत हैं सभी अपने यहां यह कानून बनायें तब यह काम हो सकता है और इसमें भी यह कठिनाई रह सकती है कि कहीं कोई कानून बनेगा और कहीं कोई, और उनमें किसी किस्म की यूनीफार मिटी नहीं होगी और यह भी अंदेशा हो सकता है कि किसी तरह का कोई लूपहोल रह जाय, जिससे एक प्रदेश में कानून बने और दूसरे प्रदेश में कोई कमी हो, जिसके कारण सारा मकसद ही कामयाब नहीं हो सकता है फिर समय भी अधिक लगेगा।

दूसरे मैं यह समझ नहीं पाया कि पार्लियामेंट से कानून बनवाने में क्या आपत्ति हो सकती है। वह हमारे देश की सुप्रीम रिप्रेजेन्टेटिव बाडी है और वह कानून बनाती ही है। जिस तरह हमारे प्रदेश में चुने हुये नुमाइन्दे यहां आते हैं उसी तरह से वहां पर भी चुने हुये नुमायन्दे जाते हैं। हम यदि उनको अधिकार दे दें कि वह एक ऐसा कानून बनादें जो हमारे प्रदेश में भी लागू हो, तब मैं नहीं समझ पाया कि इसमें क्या आपत्ति की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा होता कि हम अपने प्रदेश की स्थिति को देख कर कानून बनाते। इस तरह से उन्होंने जो बातों की बात कही वह मेरी समझ में नहीं आयी कि वह कहीं फिट बैठती है या नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि पार्लियामेंट बहुत से ऐसे कानून बनाती है जिनमें प्रदेश की स्थिति को ध्यान में नहीं रखती है। लेकिन जहां तक श्रीमन्, इसका ताल्लुक है इसमें कहीं की स्थिति या परिस्थिति की भिन्नता का सवाल नहीं है, हर जगह एक जैसी है। हम समझते हैं कि सब जगह गेम आफ स्किल्स क नाम से खेल हुआ करते हैं, जिसमें हजारों के प्राइजेज होते हैं। क्रासवर्ड पजिल में भी फर्स्ट प्राइज ५०,००० रु० तक का होता है। हमारे पढ़े-लिखे लोगों से कहो कि जुआ खेलते हो, तो कहेंगे कि नहीं खेलते, लेकिन एक एक आदमी २५०-३०० रुपये तक कि एंटरीज भेजता है। इस तरह से इस में पढ़े लिखे लोग ज्यादा शामिल होते हैं। इसमें किसी प्रदेश की विशेष परिस्थिति की कोई बात नहीं हैं।

हम सिर्फ यह चाहते हैं कि यह जो जुये के खेलने का क्रासवर्ड पजिल का इन्डाइरेक्ट तरीका है इससे जुये की भावना बढ़ती है, उसमें पैसे की बरबादी होती है। शोषण भी होता है और कुछ निम्न स्तर के अखबारों का सरकुलेशन भी बढ़ जाता है इसको रोका जाये। प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट निकली है उसमें भी इस बात पर प्रकाश डाला गया है और उन्होंने भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और बहुत सी सिफारिशें भी की हैं। मैं उसकी इस समय डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने इस बात के लिये कहा है कि बहुत से अखबारों का चीप जर्नलिज्म होने के बावजूद भी इन प्रतियोगिताओं की वजह से सरकुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि उसको खरीदना लाजिमी-सा हो जाता है। तो असल में मन्शा तो यह है और उस सिद्धान्त से गेंदासिंह जी भी सहमत हैं कि यह जो इस तरह का क्रासवर्ड पजिल कम्पीटिशन है उसमें इनाम देने की कोई सीमा नहीं है, वह हजारों का भी होता है, लाख का भी और दो लाख का भी होता है। इसके लिये प्रतिबन्ध लगाया जाय और इस पर नियंत्रण होना चाहिये। इसके लिये एक बिल पार्लियामेंट के सामने पेश है और हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इस संकल्प को यहां पर इसी लिये पेश किया है। कुछ भाइयों ने कहा कि अच्छा होता कि यदि यह संकल्प इससे पहले यहां पर आया होता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब वहां पर बिल पेश हो गया है तो वर्तमान प्रस्ताव यहां पर भी पेश हो गया है और इससे पहले आने के कोई मायने नहीं होते। पहले वहां पर बिल पेश हो गया और उसके बाद यहां पर प्रस्ताव आ गया। तो मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत ही सामयिक है। जब इसके सिद्धान्त से मतभेद नहीं है तो सिर्फ इस बात को कहना कि हम अपना अधिकार पार्लियामेंट को क्यों दे दें, हालांकि मैं इस भवन के अधिकार को पार्लियामेंट को देने में कोई आपत्ति नहीं समझता, क्योंकि यह कोई प्रेस्टीज का मामला नहीं है, उचित नहीं मालूम होता है। मुझे आशा है कि श्री गेंदासिंह जी बड़ी गम्भीरता के साथ जब इस सिद्धान्त को मान गये तो वह इस प्रस्ताव का भी समर्थन करेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जुआ और किसी भी रूप में जुआ हो, उससे मुझे व्यक्तिगत रूप में घोर आपत्ति है और मैं उसका विरोधी हूं। यह होते हुये भी मेरी यह लाचारी है और इस लाचारी के लिये मुझे दुख है कि प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन नहीं कर पा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, बात तो कोई बहुत लम्बी नहीं है। यह

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

क्रासवर्ड पजिल को जो बात है या इसी प्रकार के और पुरस्कार के लिये जो प्रतियोगिता होती है उनके लिये आज हम प्रस्तुत संकल्प के द्वारा अपना अधिकार छोड़ कर संसद को देने के लिये तैयार हो रहे हैं। सुनने में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखायी देती, किन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री के सामने यह विचार प्रकट करूंगा कि यदि हम इसके लिये इतनी जल्दी तैयार हैं तो अपने अधिकार को छोड़ना एक प्रकार से प्रिसीडेंट सेट अप करना होगा। सम्भवतः इस समय कोई बुरा परिणाम न मालूम पड़े, हालांकि मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कुछ हद तक हमारे ऊपर बुरा परिणाम पड़ता है, किन्तु भविष्य के लिये यह बुरी बात है। मैं इसके लिये स्पष्ट उदाहरण देने के लिये तैयार हूं। यूनिफार्मिटी की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि जहां तक हो सके पूरे भारत के लिये एक समान कानून हो और विशेष कर ऐसे सामाजिक विषय के सम्बन्ध में एक प्रकार से कानून होना उचित है। मैं समझता हूं कि यदि यह प्रिन्सिपिल एक बार स्वीकार कर लिया जायगा तो इसका नतीजा यह अवश्य होगा कि जो हमारा आज सेल्स टैक्स है वह कभी न कभी सेन्ट्रल लेजिस्लेशन बन जायेगा। अभी बीच में सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में कितनी उलझन पैदा हो गयी थी, यह मुख्य मंत्री महोदय को भली-भांति मालूम है और यह कहना कि इस उलझन के कारण हमारे मुख्य मंत्री इस विषय को, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश को इतनी आमदनी होती है उसको वह सेन्टर के हाथ में दे देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि गलत चीज होगी। किन्तु जो यहां पर बहस की गयी है कि यूनि-फार्मिटी का सिद्धान्त रहे और जहां तक हो सके हर एक विषय के सम्बन्ध में हर एक प्रांत में एक ही समान कानून हो, यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है, मैं समझता हूं कि कभी न कभी यह सेल्स टैक्स का विषय भी हमारे हाथ से चला जायगा। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, यूनिफार्मिटी से व्यक्तिगत रूप से मैं घबराता हूं वैसे तो पौपी कल्टीवेशन को आज इन्टरनेशनली कायम किया जा रहा है। टेहरी गढ़वाल के एक छोटे से अंश में पौपी कल्टीवेशन की जाती है। इन्टरनेशनल यूनीफार्मिटी हो तो वैसे अच्छी बात है, लेकिन पौपी उनके खाने का पदार्थ है और वह वहां बैन कर दिया गया है। हमने यहां और केन्द्र में इस सम्बन्ध में चर्चा की। यह यूनीफार्मिटी बड़ा भयानक शब्द है और इससे हमको बच कर ही रहना चाहिये। आखिर प्राविंशियल आटोनामी का भी कुछ मतलब है। यदि बम्बई की सरकार एक बात को माने और मैसूर की सरकार न माने, तो केन्द्र यदि यह कहे कि लाओ हम आर्बिट्रेशन करें या प्रदेशों के पूरे भाग्य का निर्माण करें, तो यह उचित नहीं होगा। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान का रवैया अपनाया जायगा कि पूरा भारत भी एक यूनिट बनाया जाय। हमारे मुख्य मंत्री इस प्रस्तुत विषय पर चाहे जितना नियंत्रण करें और चाहें बन्द भी कर दें, तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। परन्तु यह उचित नहीं है कि आप एक ब्लैंक चैक अपने हाथ से छोड़ दें। जहां तक डेलीगेशन का सम्बन्ध है, तो मैं एक दूसरे विचार का भी हूं कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा, जुआ चाहे किसी प्रकार का हो, मैं उसके खिलाफ हूं। फिर भी मैं समझता हूं कि समय समय पर किसी प्रकार का आउट लैट होना आवश्यक है। किसी चीज की बुराइयां दूर करना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिये। मैं केवल उदाहरण रखने के लिये कहता हूं कि आइरिश स्वीप स्टेक जो कि केवल आयरलैन्ड की ही नहीं है बल्कि पूरी दुनियां में फैली हुई है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां इन चीजों का लाभ एक ही व्यक्ति को या चन्द व्यक्तियों को ही जाता है। आइरिश स्वीप स्टेट का लाभ अधिकांश चैरिटी में जाता है।

कुछ समय पहले वर्तमान हैदराबाद स्टेट में एक अस्पताल बनाने के लिये एक लाटरी चलाई गई थी, जिसके द्वारा वह अस्पताल पूरा बना। मैं समझता हूं कि प्लानिंग के लिये और स्माल सेविंग के लिये चाहे सरकार कितना ही ड्राइव क्यों न करे, फिर भी ऐसी चीजों के लिये जनता दुगना रुपया देने के लिये तैयार हो जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। स्वयं माननीय मंत्री मंडल स्पोर्ट् स के पक्ष में है किन्तु जब पैसे का सवाल आता है तो प्रीफ्रेंस दूसरी चीजों को मिलता है। यदि कल ही हम एक प्रकार की लाटरी नियम से चलाकर रुपया जमा करना चाहें

तो मैं समझता हूं कि कबाल टाउन्स में एक पूरा पूरा स्टैंडिक्स तैयार हो सकता है इसमें मैं समझता हूं मुख्य मंत्री महोदय को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यदि इस संकल्प के पारित होने के बाद हम मंत्री महोदय से इस बात की सिफारिश करें तो उसके बाद उनके हाथ बंध जावेंगे और यदि हम केन्द्रीय सरकार से चाहे तो मुझे शंका है कि इस प्रकार की इजाजत मिल सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, प्रेक्टिकल विजडम, मैं समझता हूं कि छोड़ना उचित नहीं है। चीज की बुराई को दूर करना चाहिये। यदि मंत्री महोदय यह समझते हैं कि वह भारतीय सरकार और प्रदेश के बीच की उलझनों का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी बात है। किन्तु मैं विश्वास करता हूं कि हमारे विद्वान् और योग्य मुख्य मंत्री यह कभी भी नहीं मानेंगे। जहां तक इस सदन के अधिकारों की बात है, मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी किसी भी सदस्य से पीछे नहीं होंगे कि इस विधान सभा के अधिकार किसी भी तरह से कम न किये जावें।

अन्त में माननीय मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर ध्यान दें और यदि इस संकल्प को पारित करना अत्यावश्यक है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उसके लिये मैं एक संशोधन स्वयं उपस्थित करता, लेकिन मेरे प्रस्तुत करने से तो उसका विरोध सरकार की ओर से होगा। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वही इसमें एक प्रोवाइजो डाल दें कि यदि इस संकल्प के आधार पर केन्द्रीय सरकार कोई कानून बना देती है तो उसका एक बार इस सदन के सामने आना आवश्यक है ताकि हम उसकी गहराई पर पूर्ण रूप से विचार कर सकें।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, कल मध्यान्ह से इस संकल्प पर विवाद चल रहा है और मैंने दोनों ही दलों के तर्क-वितर्क पूरे तौर से सुने हैं। सबसे पहले मैं इसके लिये मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने जनता के हित का यह उपाय सोचा है। मैं इसका समर्थन करती हूं जहां तक मेरा अनुमान है विरोधी दल के भाइयों ने विरोध की प्रेरणा से ही इसका विरोध किया है, यद्यपि सिद्धांतः और भावना से इससे वे सहमत हैं। मतभेद केवल इतना रह जाता है कि वह दूसरा रास्ता बताते हैं और मैं अपने हर्ष को किस तरह से व्यक्त करूं कि कम से कम एक बात पर तो सिद्धांतः और भावना से वे हमारे साथ हैं। रास्ते का भेद भी निकट भविष्य में दूर हो जायगा, ऐसी मुझे आशा है। उनके तर्क को मैं स्वार्थ की भावना कह सकती हूं। उनका कहना है कि अगर केंद्रीय सरकार को यह अधिकार गया तो हम सब अधिकारों से वंचित रह जावेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा बिल पेश हो चुका है तो यह डर क्यों लगता है कि जो हमारी भावना है या अधिकार, वह छोड़ दिया जायगा, वहां भी तो आखिर हमारी ही तरह से प्रतिनिधि चुने हुए हैं और वे भी इसी गरीब जनता के द्वारा चुने गये हैं और उनको भी जनता द्वारा पूर्ण अधिकार दिये गये हैं तो फिर आप यह कैसे सोचते हैं कि वे हमारे और जनता के हित के लिये सोचना छोड़ देंगे। दूसरे गेंदासिंह जी ने गन्ने का जिक्र किया। वह प्रश्न तो आपका पुराना पहले से ही है जो दुर्भाग्यवश अभी तक सुलझ नहीं सका है, किन्तु सदा के लिये यह मान लिया जाय कि सदा ही ऐसा होगा जिसमें कि हमारे लिये सोचने की शक्ति में केंद्रीय सरकार द्वारा कमी कर दी जायगी, वह मैं सर्वथा निर्मूल समझती हूं। मैं इस विषय पर तर्क-वितर्क की भावना से या उनके जवाब में अधिक न जाकर असली विषय को लेकर ही सदन के सामने अपने विचार रखती हूं।

यह पुरस्कार प्रतियोगिता की जो व्यवस्था हमारे सारे भारत में है उससे मैं सोचती हूं कि कोई घर ऐसा खाली नहीं होगा जो इस रोग से पीड़ित न हो, यहां तक कि बच्चे, युवक, बढ़े और महिलायें सभी इससे ग्रस्त हैं। इस रोग को असाध्य रोग समझ कर, प्रलोभवश अपने कमाने का धंधा समझकर या इस आशा में अपने समय और दिमाग को बर्बाद कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी देर किसी कार्य के लिये प्रतीक्षा करनी पड़े तो उसमें उसके स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति पर कितनी हानि पहुंचती है, लेकिन जो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं वे महीनों

[श्रीमती चन्द्रवती]
इन्तजार करते हैं जिससे मैं सोचती हूं कि उनके शरीर पर अवश्य ही हानि पहुंचती होगी, हालांकि उसका निरीक्षण हम नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव जरूर इसको बता सकता है कि उसका असर स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ता है।

दूसरा एक और प्रश्न भी आता है और वह यह कि इसमें धन का अपव्यवहार होता है। उनमें ऐसे प्रलोभन दिये जाते हैं जैसे कई फार्म भर कर भेजने से रियायत मिल जाती है। लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फार्म भर कर भेजे जायं। एक फार्म भेज कर तो वे कुछ धन प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ से हलों में सब हल बेकार हो जाते हैं और अधिक फार्म भर कर भेजना धन का अपव्यय करना होता है। जो एक फार्म में आपका हल शुद्ध हो सकता है वह भी व्यर्थ हो जाता है। मैं इस अपराध को छोटा अपराध नहीं समझती। यह उतना ही बड़ा और घृणित अपराध है जैसा कि शराब पीना या जुआ खेलना या कत्ल करना है। इसके लिये यह सोचना कि यह अपराध भव्य भवन में बैठकर सभ्यता को पोशाक पहना कर उसकी ओट में खेला जाता है, इसलिये अपराध को भावना कम हो जाती है, यह सर्वथा निर्मूल है।

अपराध चाहे झोपड़ी में हुआ हो या भव्य भवन में, कानून के सामने अपराध अपराध है। इसके लिये यदि किसी को कोई छूट दी जाय तो यह अन्याय के रास्ते पर कम अपराध नहीं समझा जा सकता। सदन के समक्ष मेरी यह निश्चित राय है कि यह संकल्प बहुत ही उपयुक्त और अच्छा है और जितनी ही जल्दी हम इस को सदन द्वारा पारित कर के केंद्रीय सरकार के हाथ मजबूत करें उतना ही अच्छा है, ताकि वह शीघ्रता से पास हो कर देश में लागू हो सके। इसलिये मैं चाहती हूं कि इसे स्वीकार किया जाय। इस के संबंध में बहुत से भाइयों ने सुझाव दिये, मेरा अपना एक छोटा सा सुझाव है जिसको यदि माननीय मंत्री जी कार्य रूप में परिणित कर सकें तो मैं उसकी ओर अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वह कृपा करके सूचना और आकाश वाणी के मंत्री को इसके लिये लिखें कि इसके लिये भी चलचित्र बनाये जायं और उनका प्रदर्शन सिनेमा आदि में अनिवार्य रूप से कर दिया जाय, जिस तरह से कि शराबखोरी या और जुआ आदि के लिये किया जाता है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिये भी जरूरी है कि इस तरह के चलचित्र आदि बनाये जायं और मैं समझती हूं इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, क्योंकि जहां वह विभाग और चलचित्र सुधार के बनाते हैं वहां इस तरह के भी बना सकते हैं, उससे हमारी प्रादेशिक सरकार का कोई वास्ता नहीं है केवल लिखने मात्र से काम चल सकता है। अन्त में अधिक कुछ न कह कर, अपने भाइयों से इस बात के लिये अपील करती हूं कि वे इसमें एक ही रास्ता अपनावें और जल्द से जल्द इसको पारित करके सदन के समय का सदुपयोग करें।

श्री रामनरेश शुक्ल----अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई। इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई।)

श्री अध्यक्ष--मेरा खयाल यह है कि सदन के माननीय सदस्य माननीय राजनारायण जी की कुछ थोड़ी सी परीक्षा भी लेना चाहते हैं कि उनको बोलने का मौका न मिले तो उनकी कैसी भावना होगी।

श्री राजनारायण--मेरे बोलने या न बोलने का मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, बल्कि वह एक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है कि उस के क्या विचार हैं जिनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में १३८,

विपक्ष में १६।)

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का विरोध करते समय जिन माननीय सदस्यों के भाषण हुये उनमें एक बात तो सभी लोगों ने कही कि इस प्रस्ताव के आधार स्वरूप जो मौलिक चीज है कि इस प्रकार के जुये को रोकना सभी लोग चाहते हैं और इसकी बाबत मुझे संदेह भी नहीं, क्योंकि मैं एक क्षण के लिये भी नहीं समझता था कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य या कोई भी दल इस प्रकार के जुये को जारी रखने का समर्थक होगा।

दूसरी बात जिस पर जोर दिया गया वह यह है कि हमको अपना अधिकार संसद को नहीं सौंपना चाहिये। यह बात कुछ ठीक तौर पर मेरी समझ में नहीं आयी। एक हमारा संविधान है। इस संविधान ने हमको कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया है और उसी संविधान ने हमको यह भी अधिकार दिया है कि यदि हम चाहें तो उसमें से कि[illegible] पर कानून बनाने के लिये संसद से कह दें कि हमारी तरफ से तुम कानून बना [illegible] ही अधिकार हमें संविधान से मिले हैं। जब तक हम अपनी इच्छा से का[illegible] चाहे एक अधिकार से काम लेकर कानून बनावें और चाहे दूसरे से काम लेक[illegible] दें कि तुम हमारी तरफ से इस विषय में कानून बनाओ। दोनों अधिकारों में से [illegible] हम प्रयोग करें तो कोई शिकायत की बात नहीं मालूम होती। अतः यह कहना कि हम[illegible] में कुछ भी कमी होती है तब मैं यह कहता हूं कि जब किसी किस्म का दबाव होता है त[illegible] की बात हो सकती है लेकिन वह नहीं है। हम अपनी इच्छा से काम करते हैं और इसमें [illegible] कोई खास शिकायत की बात तो प्रतीत होती नहीं है। हो सकत[illegible] जिससे एक राज्य के हित से दूसरे राज्य के हित से टक्कर होत[illegible] मामले में राज्य सरकार का और केंद्रीय सरकार का हित टकराता[illegible] सी बात है कि हममें से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरफ का हो, अप[illegible] में नहीं हो सकता और कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो चाहेग[illegible] अधिकार उसको मिला है उससे वह काम न ले, लेकिन यहां कोई ऐ[illegible] हित के टकराने की बात नहीं है। अगर बात है तो यह कि हम लोग [illegible] चीज को अच्छा समझते हैं कि इसको रोका जाय। अब जहां तक क्राइम [illegible] की बात है, वह बुरी बात है, उसको सब बुरा समझते हैं। जहां तक यूनीफार्मिटी [illegible] कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर बात है कि चोरी का कानून सारे प्रदेशों में [illegible] पंजाब में, बम्बई में, सब जगह एक सा कानून है तो आज इसी प्रका[illegible] यूनिफार्मिटी के साथ एक कानून बने तो उसमें कोई खराबी नहीं मालूम होती [illegible] है उसकी कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है और न उसके पीछे पागल ह[illegible] जरूरत है और न यूनिफार्मिटी शब्द कोई भड़कने की चीज है कि हम यूनिफार्मिटी को [illegible] सोचें, उससे नाराज हो जाय और न होने दें यह बात मेरी समझ में नहीं आती। क्राइम के मामल[illegible] में जरूर यूनिफार्मिटी होनी चाहिये नहीं तो जो क्रिमिनल होगा उसको मौका मिलेगा एक जगह से दूसरी जगह बचने का, जो कि नहीं होना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस किस्म का कानून और पहले बन गया होता। बन गया होता तो अच्छा ही होता, लेकिन वजह क्या थी। क्यों कानून बनाने की तरफ हमारा ध्यान पहले नहीं गया।' यह संभव है कि गौर करके कोई शख्स बैठे कि कितने प्रकार के अपरा[illegible] हो सकते हैं और सोचकर सब संभव अपराधों के लिये कानन बना दिये जायं। लेकिन इ[illegible]

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तौर से होता यह है कि जब कोई अपराध ज्यादा फैल जाता है, तो उसके लिये कानून बनाया जाता है। यह अपराध पहले हमारे यहां नहीं था। पहले यह बम्बई, कलकत्ता और मदरास से इन जगहों में आया। अंग्रेजियत इन शहरों में ज्यादा है। वहां अंग्रेजी के बहुत बड़े बड़े अखबार हैं। उनके रहन-सहन के तरीकों में भी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा ज्यादा अंग्रेजीपन है। इन प्रदेशों के अंग्रेजी अखबार आप देखें और हमारे प्रदेश के अंग्रेजी अखबार आप देखें तो बड़ा फर्क मिलेगा। पजिल्स वहीं के अखबारों में ज्यादा मिलेंगी। हमारे यहां की जनता और ख्यालात की है। समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहां यह चीज जोरों से फैली और उनकी सरकारों का ध्यान पहले जाना चाहिये था बनिस्बत हमारे। हमारे यहां हिन्दी अखबारों ने कुछ कुछ शुरू किया, लेकिन इतना ज्यादा वह नहीं फैला कि रोकथाम की जरूरत पड़ती। जरूरत इसलिये हुई कि जो लोग इन बड़े बड़े शहरों में जुर्म कर रहे हैं उनको जब अपना अड्डा वहां से हटाना पड़ेगा तो इस प्रदेश में वे न आ जायं, क्योंकि ऐसा कानून यहां नहीं है। इसलिये जरूरत पड़ गई कि उन्हें कहीं जगह न मिल सके और इस कारण सब जगह एक सा कानून बन जांय ताकि एक जगह से उठ कर दूसरे जगह वे जुर्म न कर सकें। इसलिये इस बात की जरूरत पड़ी। अब मान लीजिये थोड़ी देर के लिये नारायणदत्त जी ने जो सुझाव दिया उस पर अमल किया जाय कि हम कानून यहां न बनायें, पहले केंद्रीय सरकार को बनाने दें और केंद्रीय सरकार के कानून के बनाने के बाद क्या होगा? दो तीन सूरतें हो सकती हैं। वह कानून जो हमारे सामने बन चुका है उस पर हम विचार करने बैठें और एक एक दफा पर विचार करना शुरू करें। इसमें अच्छा खासा समय लगेगा। इस सदन में विचार विनिमय होने पर मुमकिन है सेलेक्ट कमेटी में भेजने को कहा जाय, यह भी मांग की जाय कि पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय। तो आप सोचें कि इन चीजों में महीने लग सकते हैं तो तब तक जिस रोग को हम बन्द करना चाहते हैं वह बन्द नहीं होगा। इसके काम करने वालों ने भी सोच रक्खा होगा कि मौका मिलेगा तो क्या करेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा वे उत्तर प्रदेश में आ जायेंगे और कहीं गलत सलत या नकली अखबार निकाल कर एक बार में लाखों का वारा न्यारा कर लेंगे। कई अखबार तो केवल इसी के बल पर चल रहे हैं। इसलिये यह जरूरी है कि कानून बनाया जाय। एक बात कही गई कि हमारे यहां जुये की जो प्रथा है उस तरफ भी ध्यान दिया जाय। हस्तिनापुर इसी उत्तर प्रदेश में है और युधिष्ठिर ने जुआ खेल कर अपने को चौपट किया और सारे भारतवर्ष को चौपट किया। हमारा इतिहास जुये का बहुत पुराना है, लेकिन जुआ कोई पवित्र परम्परा नहीं है जिसकी रक्षा की ओर ध्यान दिया जाय। जुआ तो जुआ है, बुरी चीज तो बुरी चीज है। इसलिये हर जगह एक ही प्रकार का कानून बनाना चाहिये। मैं लिस्ट नहीं बतला सकता कि किन किन राज्यों ने यह प्रस्ताव पास कर लिया है, लेकिन यह चीज ठीक है कि जून या जुलाई से यह प्रस्ताव पास होना शुरू हो गया है। जहां जहां इस बीच में विधान सभाओं की बैठकें हुई हैं, उन सबने इस किस्म का प्रस्ताव पास कर लिया। अभी दिल्ली में बातचीत हुई थी और जहां पर अभी तक पास नहीं हुआ है वहां सितम्बर के अन्त तक या अक्तूबर के शुरू में सब जगहों में यह प्रस्ताव पास हो जायगा। हम अकेले नहीं रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस बहुत ही निर्दोष प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं एक बात की जानकारी हासिल करना चाहता हूं। यू० पी० में हार्स रेसिंग और बेटिंग वगैरह होती है और सरकार टैक्स भी लेती है। इस सिलसिले में सरकार कुछ करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्नों के समय पूछिये। इस वक्त इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसका संबंध है इससे।

श्री अध्यक्ष--इससे कोई संबंध नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा यह संकल्प करती है कि यह वांछनीय है कि पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्संबन्धी अन्य पारिमाणिक और आनुषंगिक विषयों का, जहां तक वे ऐसे विषय हों जिनके संबंध में संसद को राज्यों के लिये विधि बनाने का अधिकार प्राप्त न हो, नियंत्रण तथा विनियमन संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अनुसार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक में कोई नयी बात नहीं है और इस विधेयक को यहां लाने का कारण यह हुआ कि टांडा के टाउन एरिया के चेयरमैन के विषय में एक रिट पेटीशन हाईकोर्ट में दाखिल हुआ। माननीय हाईकोर्ट ने उस विषय में यह फैसला दिया कि जो एलेक्शन के पेटीशंस के बारे में नियम बनाये गये हैं,उन नियमों को बनाने का अधिकार प्रदेशीय सरकार को नहीं था, क्योंकि अपने संशोधन अधिनियम ३३ के अनुसार उन्होंने धारा ३९ में परिवर्तन कर दिया है। श्रीमन्, इस सदन ने १९५३ में टाउन एरिया अधिनियम में जो संशोधन किया उसके अनुसार धारा ३९ की उपधारा (एफ) को हटा दिया। उपधारा (एफ) के अनुसार सरकार को अधिकार था कि चुनाव और पेटीशंस के लिये वह नियम बनाये। लेकिन साथ ही एक दूसरी धारा ९(बी) अधिनियम में रख दी गयी। उस ९(बी) धारा के द्वारा सरकार ने यह अधिकार लिया कि किसी टाउन एरिया के चुनाव के सिलसिले में वार्ड बनाने का, चुनाव के नियम बनाने का और इसी तरीके से जो और कार्यवाही चुनाव के सिलसिले में हो, उन सब के विषय में जो नियम भी म्युनिसिपैलिटीज के अधिनियम के द्वारा बनाये जायं, वे टाउन एरियाज में भी लागू किये जा सकते हैं। माननीय हाईकोर्ट का यह निर्णय हुआ कि इस संशोधन के पश्चात् प्रदेशीय सरकार को यह अधिकार नहीं था कि जो पेटीशंस के प्रस्तुत करने के नियम बने हुये थे, वे वैध हैं। इसके साथ-साथ फर्रुखाबाद के जिले में टाउन एरियाज के चेयरमैन के विरुद्ध एक वाद उपस्थित किया गया, सिविल कोर्ट में कि प्रदेशीय सरकार को संशोधन के पश्चात् चेयरमैन के विषय में चुनाव क नियम बनाने का भी अधिकार नहीं था। वहां से भी अदालत का यही निर्णय हुआ कि यह जो नियम चुनाव के बनाये गये हैं और जिनके द्वारा चुनाव हुआ है वे वैध नहीं हैं और सरकार उनको बना नहीं सकती थी। इसलिये जो टाउन एरिया के चेयरमैन चुने गये हैं उनको कार्य करने का अधिकार नहीं है और इस सिलसिले में उन्होंने इंजक्शन आर्डर इश्यू किया। श्रीमन्, परिस्थिति यह उत्पन्न हो गयी इस निर्णय के पश्चात्, वह चेयरमैन तो कार्य कर नहीं सकते थे और कोई विधान नहीं था इसलिये सरकार को इस बात की आवश्यकता पड़ी कि वह अध्यादेश जारी करे, जिसके द्वारा वह नियम बनाने का अधिकार उसका फिर से वैध हो जाय और प्राप्त हो जाय।

मैं यह निवेदन कर देना उचित समझता हूं कि अब भी जो सरकार के कानूनी सलाहकार हैं उनका यह मत है कि जो नियम पेटीशन के बनाये गये वह बनाने का प्रदेशीय सरकार को अधिकार था और विचार यह था कि इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाय, जिसके लिय तैयारी की जा रही है। किन्तु जब तक उस अपील का फैसला होगा तब तक जो माननीय हाईकोर्ट ने अथवा फर्रुखाबाद की अदालत ने फैसला दिया है उसके अनुसार कार्य होगा। तो यह आवश्यकता दिखाई दी कि आपके सामने इस विधेयक को लाकर उपस्थित हों, जैसा कि उद्देश्य में भी लिखा गया है और इस विधेयक की समस्त धाराओं से स्पष्ट है। इसमें धारा ३९ में कुछ क्लाजेज रखे गये हैं, जिनके द्वारा यह अधिकार लिया गया है कि चेयरमैन के चुनाव के

* १९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री कैलाशप्रकाश]

विषय में, पेटीशन के विषय में प्रदेशीय सरकार नियम बना सकती है। ६ एच जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया उसको भी स्पष्ट करने के लिये इसमें लिख दिया गया है कि जहां ६ एच में एलेक्शन की चर्चा है वहाँ एलेक्शन का मंशा मेम्बर के एलेक्शन से है। श्रीमन्, इसकी आवश्यकता इसलिये और भी हो जाती है कि टाउन एरिया अधिनियम के अनुसार चेयरमैन का चुनाव सीधा होता है, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज अधिनियम में जो संशोधन किये गये हैं उन संशोधनों के अनुसार चेयरमैन इन्डाइरेक्ट तौर पर सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। इसलिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि चेयरमैन के चुनाव के नियम टाउन एरिया में और हों और नगरपालिका में और हों और ६ एच के द्वारा हम उन नियमों को चेयरमैन के चुनाव के लिये नहीं बना सकते हैं इसलिये यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ६ एच के द्वारा जो नियम बनाये जायेंगे वह मेम्बर के चुनाव के विषय में होंगे और जो ३९ (१) धारा के अनुसार नियम बनाये जायेंगे वह चेयरमैन के और जो उसमें चर्चा है क्लाजेज की उनके द्वारा होंगे।

मैं आशा करता हूं कि यह सदन पहले ही इन सब बातों को स्वीकार कर चुका है। यह केवल एक निर्णय हो जाने के कारण इस चीज के आने की आवश्यकता हुई है और इसलिये माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे और इस विधेयक को पास करने की कृपा करेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मुझे दुःख है कि मैं प्रस्तुत विधेयक का पूर्णतया समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

जो आज यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है माननीय मंत्री जी के कथनानुसार उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हाईकोर्ट के फैसले ने जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है उसका सुधार करने के लिये और टाउन एरिया में जो चेयरमैन आज कार्य कर रहे हैं या जिनका एलेक्शन पेटीशन चल रहा है, जिसमें एक निर्णय दिया जा चुका है वह निर्णय भी वैध रहे। इस मंशा से यह विधेयक लाया गया है।

देखने की बात यह है कि आखिर इस प्रकार की शिकायतें क्यों होती हैं? क्यों बार बार हाईकोर्ट को या दूसरी अदालतों को इस प्रकार का निर्णय करना पड़ता है जिससे कि कोर्ट में भी असुविधा होती है और हमें भी यहां बार बार इस प्रकार के विधेयकों पर विचार करना पड़ता है। श्रीमन्, अगर आप पुराने रेकर्ड को उठा कर देखें तो उससे यह मालूम होगा कि हम लोगों ने टाउन एरिया ऐक्ट के बनने के अवसर पर ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह विधेयक जल्दी में लाया जा रहा है, इसमें बहुत सी असंगतियां हैं और वह तो स्वयं अभी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी कि हमारे यू० पी० में म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के चुनाव का तरीका दूसरा है और टाउन एरिया के चेयरमैन के चुनाव का तरीका दूसरा है। उनका एक प्रकार से विधान हुआ और इस प्रकार परस्पर कुछ विरोध सी उत्पन्न करने वाली परिस्थिति हो गई है। वैसे प्रश्न तो बिल्कुल अलग भी है, लेकिन यह प्रश्न बहुत अहम है। आखिर स्वायत्त शासन संस्थाओं का वास्तव में विधान क्या होना चाहिये और उनके नियम, संगठन एक-रूपेण होने चाहिये या नहीं। क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज, म्युनिसिपल बोर्ड इन सबके अधिकारियों के, मेम्बरों के, चेयरमैन के चुनाव के नियम और उनके विधान एक से होने चाहिये या नहीं? यह तो बड़ा विषय है, उसमें जाने का अवसर इस समय नहीं, लेकिन फिर भी यह प्रस्तुत विधेयक सरकार की स्वायत्त शासन की नीति के लिये एक चेतावनी है। आप यह देखेंगे श्रीमन्, कि टाउन एरिया के चेयरमैन के चुनाव की पद्धति, उसके नियम बिल्कुल अलग हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, उनके नियम बिल्कुल अलग हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पद्धति अलग है। अभी तक पता नहीं कि उसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुनाव की पद्धति क्या होने जा रही है। सन् १९५२ में चुनाव होने वाले थे, आज तक नहीं हो रहे हैं। तो यह तो एक इशारा सरकार की स्वायत्त शासन नीति की ओर यह विधेयक करता है।

एक दूसरा प्रश्न यहां पर यह उठता है कि हाईकोर्ट जब कोई फैसला कर रहा है और उस पर आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है तो ट्रान्जीशनल पीरियड के लिये, एक अस्थायी काल के लिये विधेयक आप ला रहे हैं। आप श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारणों को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है :--

"साधारणतया यह अध्यादेश विधान परिषद् के अधिवेशन प्रारम्भ होने के ६ सप्ताह पश्चात् समाप्त हो जायगा और क्योंकि यह सम्भव है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय न दे सके, अतएव यह आवश्यक है कि अध्यादेश के उपबन्धों को विधान मंडल के अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किया जाय।"

यानी केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का यह विधेयक है, इसके उद्देश्य और कारण से यह विदित होता है। अब मैं नहीं जानता और न साहस करता हूं कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अधिक्रमण करना चाहती है या उसको पहले समझे ले रही है, कि फैसला क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन यह बिल अगर केवल इस उद्देश्य से लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस बीच कोई निर्णय न दे सके तो अधिकारों का अधिक्रमण है। या तो यह कहा जाय स्पष्टतः कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चाहे जो कुछ हो, हमें अपने नियम में स्पष्ट करना है या हाईकोर्ट ने कोई बात कह दी कि ऐसा आपने नियमों में साफ साफ नहीं लिखा था, चेयरमैन की पेटीशन के बारे में नियम नहीं दिया था। आप टाउन एरियाज़ ऐक्ट की धारा ३९ को देखेंगे जिसमें नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक दूसरे नियम हैं, इस प्रकार की ताकत सरकार ने ली है कि वह आनुषंगिक नियम बना सकती है। वह चीज़ इस विधेयक में लापता है और इसीलिये हर विधेयक पर बराबर हम मांग करते रहे कि कोई भी नियम बने सदन के सामने अवश्य आये। सरकार करती क्या है कि नियम बनाने की ताकत अपने हाथ में ले लेती है और सदन के सामने नहीं रखना चाहती। तो हम यह चाहते थे कि सरकार के नियम सदन के सामने आयें। लेकिन सरकार की उस भूल को हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आप यह देखेंगे कि अब जो नियम हैं उनमें---

"(f-1) the conduct of election to the office of Chairman,

(f-2) the decision of doubts and disputes relating to election to the office of Chairman,

(f-3) the removal of disqualifications for election to the office of Chairman,"

सब आफ़िस आफ चेयरमैन के लिये सारी बातें संशोधन के द्वारा बढ़ायी जा रही हैं। अभी मेम्बर्स के लिये नहीं बढ़ायी जा रही हैं। मुमकिन है कल दूसरी रिट हो, तो एक नया संशोधन हमारे सामने आये, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो। अगर आपको अवसर मिला था टाउन एरियाज़ ऐक्ट में तो उसका पूर्णतः इस्तेमाल करते। श्रीमन्, क्या बताऊं असंगत हो जाता हूं, नहीं तो आज भी टाउन एरियाज़ ऐक्ट में कई संशोधन करने की आवश्यकता है, माननीय मंत्री जी स्वयं बता सकते हैं। तो उनको मौका मिला था उसका फ़ायदा उठाते, जो गलतियां टाउन एरियाज़ ऐक्ट के विधान में हैं उनसे लाभ उठाते और केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस बिल के लाने का उनका उद्देश्य है, तो मैं समझता हूं हाईकोर्ट भी इसमें क्या कहेगा कि केवल हमारे जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट में अपील के फैसला होने तक के लिये यह विधेयक लाया गया। यह एक बड़ी अस्वाभाविक बात होगी और फिर मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि कोई ऐसी धारा इस विधेयक में नहीं है कि यह कब तक लागू रहेगा। प्रचलित हुआ

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

समझा जायगा, यह तो लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली तो रिपील होगा या क्या होगा। यह कुछ स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं तो चाहता था कि सरकार हमको मौका देती हाई कोर्ट के उस जजमेंट को देखने का, लेकिन मुझसे नियमों के अनुसार उस समय थोड़ी भूल हुई और समय की कमी के कारण इतना मौका नहीं रहा कि हम उसको मांग सकते। अगर वह हमको देखने को मिलता तो उससे हम और भी स्पष्टतया जरा उन बातों को देख सकते कि आया यह जो विधेयक आया है इसके आने की भी आवश्यकता थी या नहीं, क्योंकि इस विधेयक के द्वारा सरकार और भी अधिकार लेने जा रही है। आप यह देखेंगे, सिद्धान्त की बात हैं, कि सन् १९५२ में टाउन एरिया ऐक्ट को हमने संशोधित किया। उसके पहले जो पुराना टाउन एरिया ऐक्ट था उसके अनुसार कुछ नियम बने हुए थे। सरकार ने सन् ५२ के ऐक्ट के अनुसार नियम नहीं बनाये। वही जो पुराने नियम बने हुए थे, उन्हीं को उसने मान लिया। अगर वह सन् ५२ के संशोधित ऐक्ट के अनुसार नियम बनाती तो शायद हाईकोर्ट उसको गैर कानूनी घोषित न करती। लेकिन हुआ क्या कि ऐक्ट संशोधित हो गया, उसकी वह धारा भी संशोधित हो गई, लेकिन नियम संशोधित नहीं हुए और जो पुराने नियम चले आ रहे थे उन्हें सही मान लिया गया और नोटीफाई नहीं किया गया। तो नतीजा यह हुआ कि उसी गलती पर हाई कोर्ट ने वह फैसला दे दिया और आज यह नया सिद्धान्त इस सदन के सामने रखा जा रहा है।

चेयरमैन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित रहा हो, उपर्युक्त संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे परिवर्तनों, परिवर्द्धनों अथवा परिष्कारों को वाधित न करते हुए, जो बाद में मूल अधिनियम की धारा ३९ के अधीन उसमें किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा। तो एक ऐसा कार्य हमसे कराने की चेष्टा माननीय मंत्री जी कर रहे हैं जो कि सिद्धान्ततः ठीक नहीं है। वैसे हमको अधिकार तो है ही।

यदि आप यह कहें कि सन् १८६० के नियम जो हैं वे अब तक लागू समझे जायेंगे और आगे भी लागू रहेंगे, तो वह कर तो सकते ही हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि यह न्यायसंगत है या नहीं। तो मैं यह माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रकार के अन्यायसंगत तर्कों को इस सदन में उपस्थित करने की कृपा न करें और कम से कम हमसे ऐसी धृष्टता न करवायें कि हम ऐसे सिद्धान्तहीन विधेयक को पास करने की चेष्टा करें। आप देखें कि जो खंड ५ है इस विधेयक का उसका जो पहले का उपखंड (१) है वह तो इसी मनोवृत्ति का परिचायक है। वैसे जो इसका उद्देश्य है कि इस बीच में चेयरमैन काम करना बन्द कर देंगे या जो पेटीशंस हैं वह बेकार हो जायंगी, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर केवल इतना ही होता कि किसी तरह इस बीच में काम चले तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। लेकिन जो सरकार ने गलतियां की हैं, जिस प्रकार उसने संशोधन करने की चेष्टा की है और जिस प्रकार से उन्होंने इसे इतने अस्पष्ट रूप में रखा है कि जिससे यह मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उन्हीं सबके आधार पर मैं इस विधेयक का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय नारायणदत्त जी के भाषण को सुनता रहा और पहली दुहाई जो दी गई वह यह कहा गया कि सिद्धान्त के विरुद्ध आज यह सरकार पदार्पण कर रही है, मैं आपके द्वारा उनसे यह जानना चाहूंगा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें उल्लन वह कौन सी खराबी आ गई, सिद्धान्ततः वह कौन सा ग़लत क़दम है? क्या उनकी मंशा यह थी कि टाउन एरिया एलेक्शन के सम्बन्ध में यदि कोई पार्टी अग्रीव्ड हो उसकी शिकायत हो, तो क्या वह एलेक्शन पेटीशन न दायर कर सके? एलेक्शन पेटीशन को किसी ऐक्ट में प्रोवाइड करना या एलेक्शन के सम्बन्ध में जो करप्ट प्रैक्टिसेज़ हों उनकी रोकथाम के लिए या उनकी सज़ा के लिए कोई नियम बनाना यह सिद्धान्ततः गलत है? श्रीमन्, यह तो एक ऐसी बात उन्होंने कही जो मैं समझता हूं कि इस सदन में बहुत आगे नहीं जा सकती है। सिद्धान्ततः तो यह गलत होगा कि यदि आज चेयरमैन के खिलाफ कोई जाना चाहे तो एलेक्शन पेटीशन के लिए कोई साधन, मार्ग या उपाय न रक्खे और यह कहना कि आज जैसे कि माननीय उपमंत्री महोदय ने बताया कि एक जिले में एक हाईकोर्ट की रूलिंग के कारण स्टेलमेंट हो गया, डेडलाक हो गया, काम आगे बढ़ नहीं सकता। या तो सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ होकर बैठे या भविष्य के लिए कोई रास्ता न सोचे, जिससे उस टाउन एरिया का कोई काम आगे न चल सके, अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो अपने स्थान पर ऐसा सोच सकते हैं। पर यह न्यायसंगत नहीं हो सकता। आखिर उस टाउन एरिया का काम तो चलना ही है और किसी न किसी प्रकार उसके लिए सरकार को कोई रास्ता निकालना ही है।

मान्यवर, यह ठीक है कि सामान्यतः हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया। उसका विरोध करने का न मैं दुस्साहस कर सकता हूं, न मेरे लिए कहना उचित है, परन्तु जो कानूनी मशीरकार सरकारी पक्ष की ओर से कह रहे हैं उसमें भी मैं कोई त्रुटि नहीं देखता। व्यक्तिगत मेरी यह राय है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के सिलसिले में जो नियम बनाये गये थे, अगर टाउन एरियाज़ में लागू किये जायं तो कोई ऐसी बात अनुचित नहीं हो सकती है, न्यायसंगत है और उसमें यह सोचना कि कोई ऐसा नियम वह बना लेंगे जो कि म्युनिसिपैलिटीज़ से अलग हो, तो मैं समझता हूं कि एक मर्तबा चाहे वह सरकार बनाये, चाहे वह सदन के सामने आये, उन नियमों में आप कोई अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह कहना कि सरकार की तरफ से म्युनिसिपैलिटीज़ के कुछ नियम हैं, जहां तक चेयरमैन के चुनाव का सम्बन्ध है, टाउन एरियाज़ में कुछ दूसरे हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कुछ दूसरे हो, जिनके सम्बन्ध में कोई नहीं जानता है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि जहां तक उस विषय का प्रश्न था, मैं भी उसमें सहमत था कि एलेक्शन जो चेयरमैन का हो वह डायरेक्ट न हो, बल्कि इंडाइरेक्ट हो, लेकिन यह कहना कि सरकार ने जब यह नीति बदली, यह मैंने माना कि वह गलत थी, लेकिन जब सरकार ने इस मौके से फायदा उठाना चाहा, एक तजुर्बे और अनुभव के उपरान्त कि कहीं, डायरेक्ट एलेक्शन चेयरमैन का लाभकर नहीं है और वैसी परिस्थिति में म्युनिसिपैलिटीज़ में अमेंडमेंट किया और उसी के आधार पर जैसा कि माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा है, उसी सिद्धान्त के अनुसार वह टाउन एरियाज़ में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में यह कहना कि हम नहीं जानते हैं, यह ठीक है, बिल्कुल सच है और यह कोई लाजमी भी नहीं कि जिस वक्त मालूम हो वह उसमें संशोधन लाना चाहें, तो ग़लत है। हां, यह शिकायत हो सकती है और इसमें मैं भी उनके साथ होता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एलेक्शन शीघ्रातिशीघ्र हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रश्न तो उठता ही नहीं। मान्यवर, यह सोचना किसी भी सरकार के लिए या किसी भी माननीय विधान सभा के लिए कि किसी रूलिंग के आगे हम पदरोपण न करें, उसके सम्बन्ध में सोचें न, तो असंभव हो जायगा। कोई मशीनरी कहीं ठप्प नहीं की जा सकती। यह मैंने माना कि सुप्रीमकोर्ट में अपील है और जैसा कि सरकार यह समझती है वह उसी के पक्ष में निर्णय हो या विपक्ष में हो। हमें तो यह सोचना है, जैसा कि उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि सम्भवतः ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सरकार के पक्ष में हुआ तो वैसी परिस्थिति में इस विधेयक का क्या हश्र होगा। श्रीमन्, उसके सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि यह विधेयक किसी लिमिटेड पीरियड

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

के लिये नहीं आया है। कानून का अगर स्पष्टीकरण हो रहा है या उसमें संशोधन करके कोई शक व शुबहा दूर किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सी आपत्ति आ गयी। एक कानून था, उसकी जगह पर एक संशोधन आया, अगर फ़ैसला गवर्नमेंट के माफिक भी होता है तब भी यह कानून अपनी जगह पर रहेगा और उससे उसी मंशा की पूर्ति होगी जो यह सरकार चाहती है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गवर्नमेंट के माफिक होता है तो भी अच्छा और यदि नहीं होता है तो उसके लिये एक चीज़ यह रखी गयी थी और उस परिस्थिति में यह चीज़ आयेगी कि बहुत से टाउन एरियाज़ में जहां काम रुक सकता है वहां काम आगे चालू किया जाय। जब हमने एक सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है तो नियम तो केवल सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिये बनाये जाते हैं। जब सिद्धान्त स्वीकार है कि टाउन एरियाज़ के चेयरमैनों का एलेक्शन हमको कराना है तो दूसरा कदम हमको जो उठाना है वह यह है कि यदि एलेक्शन समुचित रूप से नहीं हुये या उनमें किसी प्रकार की धांधली की गयी है तो उसकी रोकथाम के लिये कौन सा रास्ता है और उसी के लिये हर डेमोक्रेटिक सेट-अप में एलेक्शन पेटीशन के लिये प्रवन्ध किया जाता है। यह कोई नयी चीज़ नहीं है। यह हो सकता है कि उन नियमों में आप थोड़ा सा हेर-फेर कर सकते हों, परन्तु यह देखते हुये कि म्युनिसिपैलिटीज़ में जो बात लागू है वही टाउन एरियाज़ में अगर लागू कर दी जाय तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है कि कोई बुराई समझी जाय। यह दूसरी बात है कि किसी को शिकायत हो और उनमें से मैं भी हूं जिनको कि हमेशा से शिकायत थी कि एलेक्शन डायरेक्ट नहीं होने चाहिये, लेकिन जब हमने म्युनिसिपैलिटीज़ में मान लिया है कि इनडायरेक्ट एलेक्शन होगा तो टाउन एरियाज़ के लिये भी हमको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह तो महज़ डेडलाक को रोकने के लिये किया गया है और वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर हमको ज्यादा परेशानी हो। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मैंने थोड़ा सा कह दिया ताकि इसमें कुछ भ्रम न हो और माननीय मंत्री महोदय को दोहराना भी न पड़े और मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई तर्क भी इस सम्बन्ध में हो नहीं सकता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जो यह विधेयक उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) प्रस्तुत है उसके उद्देश्य और कारण को अच्छी तरह से हमने देखा और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इसके उद्देश्य और कारण में क्या लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से समझें। इसका श्रीमन्, अगर अन्तिम पैरा देखा जाय तो उसमें साफ लिखा हुआ है :—

"साधारणतया यह अध्यादेश विधान परिषद् का अधिवेशन प्रारम्भ होने के ६ सप्ताह पश्चात् समाप्त हो जायगा और क्योंकि यह सम्भव है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय न दे सके, अतएव यह आवश्यक है कि अध्यादेश के उपबन्धों को विधान मंडल के अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किया जाय।"

सरकार की ओर से माननीय उपमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कम से कम एक ग़लती को तो स्वीकार किया और वह गलती यह है कि जिस धारा में उन्हें नियम बनाने चाहिये थे सरकार ने उसको पेश न करके पुराना जो कानून था उसके मुताबिक जनरल क्लाजेज़ का कानून बना दिया और उन्होंने लिखा है कि यू० पी० जनरल क्लाज़ेज ऐक्ट, ६०४ की धारा २४ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये, पुराने नियम ही जारी रखे गये। यह उद्देश्य और कारण है और यह दिक्कत होती है कि उद्देश्य और कारण सामने रहते हैं और मंत्रीगण पढ़ते नहीं रहते हैं। इसलिये मैं श्रीमन्, फिर से पढ़ देना चाहता हूं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि "यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १६१६ को १६५३ में विशेषतः टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों और चेयरमैन के निर्वाचन से

सम्बद्ध उपबन्धों के सिलसिले में संशोधित किया गया था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप सदस्यों और चेयरमैन के निर्वाचन के सम्बन्ध में नये नियम बनाये गये, किन्तु जहां तक चेयर मैन के पद के लिये सफल उम्मीदवारों के विरुद्ध निर्वाचन याचिकायें (इलेक्शन पेटीशन्स) प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है, यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २४ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये, पुराने नियम ही जारी रखे गये।" इसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि सफल चेयरमैन है और उसके विरुद्ध पेटीशन दाखिल की जाय तो किस तरह से चालू होगी और किस तरह से कार्यवाही होगी। यह जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २५ के उपबन्धों के अधीन पुराने नियम ही जारी किये गये, क्यों जारी किये?

अभी फैज़ाबाद जिले में अकबरपुर टाउन एरिया है उसके चेयरमैन के विरुद्ध एक याचिका दायर हुई और इसके सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल ने कोर्ट में साफ कह दिया कि ये नियम गलत हैं, इसके अनुसार कोई पेटीशन नहीं आ सकती है, क्योंकि जब १९५३ में टाउन एरिया ऐक्ट में संशोधन हुआ कि उसमें नियम बनाये जायं, लेकिन नहीं बने और जब अमेंडेड ऐक्ट आ चुका है तो उसके अनुसार नियम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो पुराने ऐक्ट के अनुसार आप पुराने नियम चालू कर दें तो यह ठीक नहीं है। साफ बात है श्रीमन्, और १९५३ में जब सदन में इस पर वादविवाद हुआ था तो नारायण दत्त जी ने संकेत भी किया था कि इसका ध्यान दिया जाय और माननीय मंत्री जी ध्यान दें तो मालूम होगा कि उस समय भी कई शंकायें हमारे दल की ओर से पेश की गई थीं और सरकार जैसी कि परम्परा चलाना चाहती है उसको और भी संकेत किया गया था कि यह परम्परा साफ नहीं है। यह सही है कि यहां पर आपका विशाल बहुमत है और रात को दिन, दिन को रात, चांद को सूरज, सूरज को चांद सरकार के पक्ष के लोग कह सकते हैं, कलैंपिंग कर सकते हैं और आनन्द विभोर हो सकते हैं और जनतंत्र के वृक्ष की शीतल छाया को विस्तारित कर सकते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि आपको इतना बहुमत प्राप्त हो गया है। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और देखें कि आज दिक्कत क्या हो रही है? हमने अकबरपुर के चेयरमैन के बारे में बतलाया। मिर्जापुर में अहरौरा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया। साफ लिखा हुआ है कि मेजारिटी, इसके क्या माने हैं, यदि १३ सदस्य हैं तो १३ का आधा हुआ साढ़े छै तो वह पूरे ७ मेम्बर माने जायं? वहां तो क्लीयर मेजारिटी ८ की होनी चाहिये। श्रीमन्, इतना विवादास्पद प्रश्न यह है कि आप ध्यान दें कि सेशन जज, मिर्जापुर अहरौरा टाउन एरिया में गये और जाकर जिस मीटिंग में अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस मीटिंग को प्रिसाईड किया, उसमें विचार हुआ और विचार होने के बाद ७ वोट आये। उस अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में। बड़ी परेशानी हुई कि यह जो ७ वोट आये हैं अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में इसको क्लीयर मेजारिटी माना जाय या नहीं। वहां उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। बिना फैसला दिये वह उठ कर चले गये और आज तक उस अहरौरा टाउन एरिया के वही पुराने चेयरमैन हैं। उस टाउन एरिया में वही पुराने चेयरमैन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। वह इस बात को सोच रहे हैं कि जब तक ८ की संख्या न हो, वह क्लीयर मेजारिटी नहीं हो सकती है। दूसरे पक्ष ने इन तमाम टैक्नीकल बातों को लेकर हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दिया है। तो इतनी परेशानी आज सारे प्रान्त में पैदा हो गयी है कि मैं आपसे क्या बताऊं? श्रीमन्, समय थोड़ा है। इसके लिये आध घंटा समय दिया गया है। वह कमेटी बनायी गयी है। हमको तो पहले ही आशंका थी कि वह समय पर पाबन्दी लगायेगी, वही दिक्कत हमको इस समय भुगतनी पड़ रही है।

श्रीमन्, हालत यह है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी का सदस्य चेयरमैन नहीं चुना गया, वहां पर तो दूसरा तरीका इस्तेमाल होगा और जहां कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन

[श्री राजनारायण]

चुना गया है वहां पर दूसरा तरीका इस्तेमाल होगा। एक ऐसी डामाडोल नीति चल रही है कि उस नीति के फलस्वरूप सारे प्रान्त में जितनी स्वशासन की संस्थायें हैं वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गयी हैं। वह वहां की पेटीशन को लेकर सरकार के सामने चली आ रही हैं। जहां पर कांग्रेस की मेजारिटी नहीं है वहां पर यह चेयरमैन को रिमूव कराने को कहते हैं और कहीं पर दूसरी तरह से किया जाता है। तो मैं यह चीज कहना चाहता हूं कि यह जो नियम हैं इन नियमों की ओर सरकार का ध्यान बहुत पहले समुचित रूप से जाना चाहिये था। इतनी समय की बरबादी हुई कि आपने अध्यादेश निकाला और फिर सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज सदन का समय भी जो इस काम के लिये लिया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? यह बहुत से सदस्य समझते होंगे कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। लेकिन जब माननीय मंत्री जी कोई बात कहते हैं, वह दुरुस्त बात ही कहते हैं और उसको दुरुस्त ही मानते हैं। दुरुस्त मान कर ही अध्यादेश निकाला गया था और आज भी इस विधेयक को वह दुरुस्त बात समझ कर ही लाये हैं। इसमें दिक्कत है और वह दिक्कत इतनी बताई जाती है कि जो याचिका एलेक्शन के विरुद्ध दायर की गयी है उसके सम्बन्ध में फैसला नहीं हो रहा है। जो पुराने चेयरमैन हैं वही अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं। काम चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। जब से यह टाउन एरिया का चुनाव हुआ है उसको करीब अब डेढ़ साल पूरा हो गया है। टाउन एरिया का करीब आधा समय अब बीत रहा है। अब आधे समय के बाद आप चाहते हैं कि एलेक्शन की पेटीशन हो और एलेक्शन पेटीशन के सारे प्रान्त के आंकड़े हिसाब लगाकर देख लिये जायं तो एलेक्शन पेटीशन उसी के विरुद्ध होगी जो नानकांग्रेस के हैं, क्योंकि हर दृष्टिकोण से आज सरकार यह चाहती है कि सारी पावर को अपने हाथ में ले लें। चाहे वह टाउन एरिया के रूप में हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रूप में हो, चाहे म्युनिसिपैल्टी के रूप में हो, चाहे वह नोटीफाईड एरिया के रूप में हो, इतनी दूर तक केन्द्रीयकरण की मनोवृत्ति इस सरकार को होती चली जा रही है कि जहां कहीं सरकार की समझ में यह आया कि जो भी शक्ति दूसरे के हाथ में जा रही है उससे सरकार का पर्दाफाश होने का अन्देशा है तो वहीं वह अंकुश लगा देती है। सरकार की ओर से जो उद्देश्य और कारण प्रस्तुत किये गये हैं उसमें यह बताया गया है कि क्यों यह विधेयक हमारे सामने रक्खा गया है, उस पर माननीय मंत्री जी ने अच्छी तरह से प्रकाश डाला और प्रकाश डाल कर उसके अन्दर जितनी त्रुटियां, खामियां और दोष थे उन सबको क्यों नहीं दूर किया गया और क्यों नहीं उसको प्रजातांत्रिक मूल रूप में उसका समावेश किया गया। अगर पहले ही इन खामियों को दूर कर उसको जनतांत्रिक मूल रूप में समावेश किया गया होता तो आज यह विधेयक उपस्थित करने की नौबत न आती। जब सन् ५३ में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो हमने डेमोक्रैटिक सुझाव चुनाव के बारे में भी दिये थे, मेम्बरों का चुनाव कैसे हो, चेयरमैन का चुनाव कैसे हो, चेयरमैन को रिमूव कैसे किया जाय। चेयरमैन का विरोध यदि हो, एलेक्शन पिटीशन यदि हो, तो वह किस रूप में हो, एलेक्शन पिटीशन के बाद चेयरमैन का चुनाव फिर कैसे हो, ये सब हमने बिल्कुल व्यापक दृष्टिकोण से रखा था, हमने सुझाव दिये थे, यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय जो बिल के प्रवर्त्तक थे और सदन में उस नुक्तेनजर को रखते हुए संशोधन कराना चाहते थे—माननीय मोहनलाल जी गौतम, उनके बारे में अब माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि हम तो नये आदमी हैं, हमारे ऊपर नयी जिम्मेदारी आयी है और हमारे रास्ते में जो दिक्कतें और रुकावटें आयीं उनको हमने नये तरीके से हल करने का प्रयत्न किया। इन्डीविजुअल रूप में तो मैं उनकी यह बात किसी हद तक मान सकता हूं लेकिन केबीनेट

की ज्वाइन्ट रेस्पोन्सीबिलटी होती है तो उस केबीनेट के एक सदस्य होने के नाते वह यह बात नहीं कह सकते कि फलां मेम्बर के समय में यह बात आयी थी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, क्या कोई माननीय सदस्य यह पहले से ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह क्या कहेगा और उस पर तर्क कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो वे कह सकते हैं, लेकिन वे जो भाषण इस समय दे रहे हैं वह कुछ असंगत सा अवश्य है।

श्री राजनारायण—जो संशोधन बताया जा रहा है उसमें यह बात निहित है। माननीय रामनरेश जी चौथे क्लाज को देखें। उद्देश्य और कारणों को बता कर केवल यह कह दिया गया है कि निर्वाचन याचिका में जो दोष रह गये हैं उन्हीं के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसके अन्दर तो और बहुत सी बातें हैं। मैं माननीय रामनरेश जी से कहूंगा कि ये प्वाइंट आफ आर्डर उठा कर अपना और सदन का समय बरबाद करते हैं। अगर वे धारा ४ को देखें कि मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) (एफ) जो निकाल दी गयी है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं वह बहुत ही छोटा सा विधेयक है और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि चेयरमैन के निर्वाचन से संबंधित उपबन्धों में जो दिक्कत पैदा हो गयी है उसको दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक, जो पहले आर्डिनेंस के रूप में जारी किया गया था, इस सदन में लाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इस विधेयक के द्वारा सरकार कई बातों में अधिकार अपने हाथ में ले रही है। विधेयक एक दो पन्ने में हो या उसका बड़ा रूप हो, लेकिन वह क्या प्रभाव रखता है या उसका क्या असर होता है इस पर हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिये और अच्छी तरह से ध्यान करने के बाद ही उस पर अपनी सम्मत्ति व्यक्त करनी चाहिये। अब इस विधेयक के द्वारा, अगर चौथे खंड को देखेंगे जिसमें मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) में खंड (एफ) (जो निकाल दिया गया है) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (एफ १) से (एफ ६) तक सदैव रक्खे गये समझे जायं। यानी यह सरकार जो बिल प्रस्तुत कर रही है उसके द्वारा सरकार चाहती है कि चेयरमैन का एलेक्शन इस तरह से कन्डक्ट किया जाय। जो मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा १ व २ है वह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये पढ़ देना चाहता हूं।

"(1) The State Government may make rules applicable to all or any town areas for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-sec ion (1) of this section, such rules may relate to all or any of the following matters or be for all or any of the following purposes:"

यानी सरकार नियम बनाने का अधिकार अपने हाथ में लेती है उन बातों के लिये जिनका अधिकार अब तक सरकार के हाथ में नहीं था या यदि कोई अधिकार था तो इनडायरेक्टली था तो उसको सरकार सीमित समझती थी। सन् ५२ में इसमें जो संशोधन हुआ अगर आप उसको पढ़ें तो संशोधन का जो १६वां खंड है उसमें लिखा है कि—

"In section 39 of the original Act the clauses (c) and (d) shall be deleted."

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाईंट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जेनरल डिबेट है और माननीय सदस्य यह पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--वह हवाला दे रहे हैं। माननीय सदस्य अपनी बातों को जारी रखें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह जो विधेयक आया है वह जिस चीज के लिये संशोधन है, मैं उसी ऐक्ट की धाराओं को पढ़ना चाहता हूं। माननीय शिवनारायण जी को समझना चाहिये कि हम १९३९ के ऐक्ट में इस विधेयक के द्वारा संशोधन करने जा रहे ह। सी० डी० एफ० को सन् १९५२ के संशोधन के द्वारा हमने निकाल दिया था अब उसके विपरीत यह एक न एक प्रकार से जिस बात को उस समय जनतांत्रिक प्रणाली का हवाला देते हुये हटा दिया गया था आज पुनः इसके द्वारा अपने हाथ में लिया जा रहा है। श्रीमन्, इस विधेयक का प्रथम पृष्ठ देखे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जहां सी० डी० एफ० निकाल दिया गया था अब उसके बाद एफ (१) से एफ (६) तक सदैव रूप से समझ लिया जाय। यानी इसका मतलब यह होगा "the conduct of election to the office of Chairman" चेयरमैन के आफिस का एलेक्शन किस तरह से कंडक्ट किया जाय और इस सम्बन्ध में सरकार रूल्स बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले रही है और यह समझ रही है कि वह इस सदन के सम्मानित सदस्यों से अपनी तमाम पुरानी बातों पर मुहर लगवा लेगी मानो यह अधिकार जो आज इस विधेयक के द्वारा सरकार के हाथ में जा रहे हैं यह सदैव से ही सरकार के हाथ में थे। चेयरमैन का जो पद है उसके एलेक्शन को कंडेक्ट करने के बारे में सरकार नियम बनावे और यह अधिकार भी उसको पहले से है ऐसा समझ लिया जावे, यह सरकार चाहती है। श्रीमन्, एफ (२) को पढ़ा जाय तो सरकार कितना बड़ा अधिकार इस छोटे से विधेयक के द्वारा सदन से लेने जा रही है इस पर अच्छी तरह से रोशनी पड़ती है। "the decision to doubts and disputes relating to election to the office of Chairman" चेयरमैन के पद के लिये चुनाव के सम्बन्ध में जो झगड़े हों और उसमें जो शंकायें हों, उनका फैसला किस ढंग पर हो, इस सम्बन्ध में सत्य को असत्य कर देने का नियम आज सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है और सरकार हमसे यह चाहती है कि हम इस बात को मान लें कि सरकार के हाथ में यह अधिकार पहले ही से सन्निहित थे।

तीसरी बात "the removal of disqualifications for election to the office of Chair- man," चेयरमैन का जो पद है उसके लिये क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं आपको समझ लेना होगा कि जब सन् १९५२ में इस सदन में वादविवाद हो रहा था तो चेयरमैन के सम्बन्ध में क्या क्या बातें डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में समझी जा सकती हैं काफी विषद व्याख्या हुयी। अब मैं यह समझने में असमर्थ हो रहा हूं कि सरकार आज इस विधेयक के जरिये यह अधिकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है। सरकार क्यों चाहती है कि वह चेयरमैन के पद के सम्बन्ध में जिन बातों को हम डिस्क्वालिफिकेशन समझते थे अब उनको भी नियम और उपनियम बना कर अपने हाथ में सारी शक्ति ले।

श्रीमन्, अगर हम तीन वर्ष के जीवन काल को देखें तो अब यह कहने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिये कि दिन प्रतिदिन सरकार की भावना सार्वजनिक शक्ति को अपने हाथ में केन्द्रित करने की होती जा रही है। आज से तीन वर्ष, दो वर्ष पहले सरकार जो अधिकार सामान्य और साधारण नागरिक के हाथ में रहने देने की बात कह चुकी थी और जो इस सम्बन्ध में नियम और उपनियम बनाये जाने की बात स्वीकार कर चुकी थी, उसको भी सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। अगर हम एफ (४) देखें तो उसमें लिखा है "to electoral offences and corrupt practices relating to election to the Office of Chairman"

चेयरमैन के पद के लिये कौन-कौन सी बातें करप्ट प्रेक्टिस मानी जायंगी और चुनाव संबंधी अपराध क्या-क्या समझे जायेंगे, अब उसके सम्बन्ध में भी सरकार नियम बनाने का अधिकार अपने हाथ में इस विधेयक के द्वारा लेने जा रही है। सरकार यह चाहती है कि यह सदन यह समझ ले कि सरकार के हाथ में पहले से भी यह ताकत थी। श्रीमन्, अगर आप एफ (५) देखें तो इसमें यह लिखा है "by-elections to the Office of Chairman" यानी चेयरमैन का पद

रिक्त हो उस स्थान पर पुनः चुनाव हो। वह पुनः चुनाव कैसे होगा, किस प्रकार से होगा इसके बारे में भी नियम बनाने का अधिकार यह सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। यह सरकार चाहती है कि उसके हाथ में सर्वदा से यह ताकत है। और अब वह इस बात को कानूनी स्वरूप देना चाहती है। एफ (६) में लिखा है "generally on all matters relating to conduct of elections to the Office of Chairman."

श्रीमन्, मेरे सम्मानित मित्र डिप्टी मिनिस्टर साहब जब इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहे थे तो बड़े सीधे सादे स्वभाव से, सुन्दर शब्दों में जो कुछ दिक्कत और कठिनाई चेयरमैन के सम्बन्ध में इलेक्शन पिटीशन के बारे में उन्होंने इस सदन में रक्खी थी, मगर इतने बड़े व्यापक अधिकार जो सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है उसकी ओर हमारे सम्मानित मित्र ने काफी प्रकाश नहीं डाला। यदि श्रीमन्, इतनी ही बात होती कि जो चेयरमैन नाजायज तरीके से चुना गया है, चेयरमैन का चुनाव अनुचित है, उसमें बड़ी गड़बड़ियां हैं, बड़ी धांधली है, बड़ा अन्याय है तो वह चेयरमैन अपने स्थान पर क्यों रहे, सरकार की ओर से यह दलील दी जा सकती है। यदि यह विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं होगा चूंकि रिटर्निंग आफिसर्स अब इलेक्शन पिटीशन को मेनटेन नहीं कर रहे हैं; और वे यह कह रहे हैं चूंकि नियम पुराने कानून के मातहत हैं और जो संशोधित ऐक्ट है उसके मातहत नियम नहीं बनाये गये हैं, इसलिये नियमानुसार अब इलेक्शन पिटीशंस ठीक नहीं है, वह नहीं लिया जा सकता। सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग या अन्य विरोधी पक्ष के लोग चाहते हैं कि ऐसा चेयरमैन जो अनुचित तरीके से चुना गया है वह अपनी जगह पर बरकरार रहे और वह अपने पद का दुरुपयोग करता रहे। मैं, इस बारे में श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार को और सदन के सम्मानित सदस्यों को अपनी ओर से सफाई दे देना चाहता हूं कि हमारी तनिक भी इच्छा नहीं है कि ऐसे चेयरमैन जो भ्रष्ट हैं, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, सही मानी में, मान्य जन-तांत्रिक प्रणालियों का उन्मूलन और विरोध करते हुये जिनका चुनाव हुआ हो वह अपनी जगह पर बने रहें। हमारी ऐसी तनिक भी इच्छा नहीं है। मगर जहां हम सरकार की कुछ दिक्कतों को महसूस करने, अनुभव करने और अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो वहीं पर हम देखते हैं......

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, मुझे कोरम नहीं मालूम होता।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री राजनारायण--श्रीमन् मैं इस विधेयक पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक समझा जा रहा है, जो वादविवाद हो रहा है उस वादविवाद के पुनः जारी करने के पूर्व आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, आप अक्सर यह देखते हैं कि तीसरे पहर की जब बैठक होती है तो सरकारी पक्ष के सम्मानित सदस्य सदन में उपस्थित नहीं होते। और हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है, यह नानआफिशल डे नहीं है, वी आर रेस्पांसिबिल फार दैट डे। श्रीमन्, सरकार चाहती है कि यह विधेयक जल्दी में पास हो। आधा दिन इसके लिये मुकर्रर किया गया है और सरकारी बेंच के लोग कोरम भी कम्प्लीट करने के लिये यहां पर नहीं उपस्थित हैं, और समाचारपत्रों में बराबर में पढ़ रहा हूं कि सरकारी पक्ष के लोग असेम्बली के मेम्बरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये सचेष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष--विधेयक पर आइये। कोरम की बात तो हो चुकी।

श्री शिवनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर सर। यह अनावश्यक बात यहां कही जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने कह दिया है। रूलिंग दे चुका हूं।

श्री राजनारायण--तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को परिवर्तित स्वरूप में सदन में उपस्थित करें और केवल इतनी बात रखें कि चूंकि इलेक्शन पेटीशन, जो चेयरमैन अनुचित तरीके से चुने गये हैं, या जिस चेयरमैन के चुनाव में अवैधानिकता अपनायी गयी है उनके विरुद्ध

[श्री राजनारायण]

नहीं होने जा रहा है । केवल हम उतने ही को चाहते हैं कि इसमें ठीक कर दिया जाय। तो मैं समझता हूं कि बहुत से इस सदन के सम्मानित सदस्यों को इस पर विशेष ऐतराज नहीं होगा। ऐतराज की बात उसमें भी है। लेकिन विशेष ऐतराज नहीं होगा। मगर जब सरकार यह पावर लेना चाहती है उसी के साथ-साथ जब १९५२ में सदन में वाद विवाद हो रहा था तो जितने जनतान्त्रिक प्रणाली को प्रस्तुत करने के लिये सुझाव हमारी ओर से दिये गये उन तमाम सुझावों को इस समय भी दृष्टिगोचर नहीं कर रही है, तो हमें बड़ी आपत्ति होती है । और मैं अपना विरोध और जबरदस्त विरोध आपके द्वारा प्रदर्शित करना चाहता हूं कि सरकार के हाथ में इतना बड़ा अधिकार नहीं जाना चाहिये। क्यों नहीं सरकार यहां पर बैठ कर विचार करे ? क्यों नहीं वह सदन के सामने इन तमाम बातों को रखती क्योंकि किसी टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन का पद एक महत्वपूर्ण स्थान है। चेयरमैन का पद साधारण बात नहीं है । हम डिमोक्रेसी में यकीन करते हैं, जनतंत्र में यकीन करते हैं। जनतंत्र का बुनियादी उसूल है डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर । शक्ति को केन्द्रित करना और फिर जनतंत्र की बात करना यह दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, असंगत हैं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुये हैं। सरकार जो नियम बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले रही है वह क्या नियम बनायेगी ? वह इनके जरिए जिस तरह से चाहेगी चेयरमैन की डिस्क्वालीफिकेशन रिमूव करेगी, जिस तरह से चाहेगी चेयरमैन का इलेक्शन कंडक्ट करायेगी और इसी तरह से जो चाहेगी करेगी। तो जब सदन बैठा हुआ है तो उसके सदस्यों के सामने यह सारी बातें तमाम ब्योरेवार आनी चाहिये कि सरकार किन किन बातों को चेयरमैन के पद के लिये डिस्क्वालिफिकेशन मानती है, सरकार किस-किस पद का चुनाव किस तरह से कराना चाहती है । इसके अलावा है बाई इलेक्शन आफ दि आफिस आफ चेयरमैन । हमको इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बाई इलेक्शन सरकार कराना चाहेगी वह नागरिकों द्वारा नहीं होगा, बल्कि सरकार चाहेगी कि जो टाउन एरिया में मेम्बर हैं वही चेयरमैन का चुनाव कर लें जैसा कि अभी म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन के चुनाव के लिये नियम बनाया गया है । तो जब एक चेयरमैन हटे तो क्यों नहीं एक सामान्य वोटर को अधिकार दिया जाय कि वह चुनाव करके अपना नया चेयरमैन चुने ? पहले का जो अधिनियम है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है । उसमें अगर चेयरमैन हटता है तो चेयरमैन का चुनाव कौन करेगा ? क्या उस टाउन एरिया के अन्दर रहने वाले तमाम बालिग लोग करेंगे जो पहले के वोटर थे या उस कमेटी के ८,१०,१२ या ११ मेम्बरान करेंगे ? पहले के ऐक्ट के मुताबिक जहां तक मैं समझता हूं कि यह इलेक्शन तमाम वोटरों को करना चाहिये था, मगर अब सरकार की इच्छा है कि वह एक तरफ तो तमाम चेयरमैनों को हटाये और दूसरी तरफ जो थोड़े से लोग बैठे हुये हैं वहां, उनके जरिये चेयरमैन के पद पर दूसरे लोगों को आसीन कराये। इन तमाम बातों को सदन में प्रस्तुत करना चाहिये।

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक के द्वारा असीम अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, जो कि निरंकुश और अनियंत्रित होंगे और जनतांत्रिक प्रणाली में बाधक होंगे। तो इस प्रकार का अगर कोई भी विधेयक हमारे सदन में प्रस्तुत होता है तो एक सच्चा जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाला हर प्रकार से इसका विरोध करेगा । इसलिये श्रीमन्, मैं इन तमाम बातों को समझते हुये, और सरकार की दिक्कत को समझते हुये विरोध इस सदन में कर रहा हूं और चाहता हूं कि सरकार अपने हाथ में इतने अधिकार न ले । सरकार अपने हाथ इस तरह से मजबूत न करे कि वह जनता की इच्छाओं को जब चाहे कुचल दे, जब चाहे उनका दमन कर दे । जो सरकार सही मानों में जनतांत्रिक प्रणाली पर चलती है वह सदा अपनी इच्छा से ऐसा कानून बनायेगी जिसमें शक्ति विकेन्द्रित होगी, सामान्य जनता के पास शक्ति जायेगी, न कि वह सरकार के पास रहेगी और अगर इन तमाम उसूलों को सामने रख कर इस विधेयक की धाराओं पर विचार करते हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि पहले जो अधिकार सरकार के पास नहीं थे वह अधिकार भी आज सरकार अपने हाथ में इस विधेयक के जरिये लेने

जा रही है। इन शब्दों के साथ में सरकार की इस इच्छा और इस सर्वग्रासी मनोवृत्ति का घोर विरोध करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, टाउन एरिया अमेंडमेंट बिल पर जो तकरीरें अभी १ घंटे के अन्दर हुई मैंने उन्हें बहुत गौर से सुना, खासतौर पर मुझ से पहले जो मेरे दोस्त राजनारायण सिंह जी ने तकरीर की है उसको भी मैंने सुना। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इस छोटे से बिल पर जो बिलकुल एक इन्नोसेंट और मासूम सूरत रखता है इतनी लम्बी चौड़ी बहस की क्या जरूरत थी। उन्होंने अपनी तकरीर में बार-बार डेमोक्रेसी की दुहाई दी है और यह कहा है कि इस जमाने में जब कि हर एक चीज में डसेंन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिये सरकार हर कुव्वत और ताकत अपने हाथ में लेना चाहती है। यह अल्फाज और यह एक्सप्रेशन पहला मौका नहीं जो मैंने यह सुने बल्कि यह ऐक्सप्रेशन वह बार बार इस हाउस के अन्दर दोहराते आये हैं और जब कभी कोई बिल पास हुआ या कानून हमारे सामने आये तो यह बात बराबर हमें सुनने को मिलती रही। बात क्या है? बात यह है कि टाउन एरिया अमेंडमेंट ऐक्ट जो १९५३ में अमेंड हुआ था उसके मातहत इलेक्शन हुये और उन इलेक्शन के बाद एक दिक्कत यह महसूस हुयी कि जो कवायद इलेक्शन पेटीशन के मातहत थे, उस ऐक्ट के अन्दर उनको तब्दील नहीं किया गया और इस ख्याल से रखे गये कि दफा २४ जनरल क्लाजेज ऐक्ट की जो है उसके मातहत उन्हें हक हासिल है। लेकिन मामला जब हाईकोर्ट के सामने गया तो हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया जिससे कि सबके लिये एक दुश्वार सूरत पैदा हो गयी। गवर्नमेंट ने उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की है लेकिन यह पता नहीं कि उसका कब फैसला होगा और क्या होगा। इसलिये इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इस वक्त जो दिक्कत हर जगह पैदा हो गयी है उसे दूर करने के लिये एक तरमीमी बिल लाये और इसलिये यह तरमीमी बिल लाया गया है। अभी जैसा कि यह कहा गया कि इसके जरिये से सरकार तमाम अख्तियारात को अपने हाथ में लेना चाहती है और शायद वह इसका मिसयूज करे। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जो रूल्स बन रहे हैं या जो रूल्स आइन्दा बनेंगे वे किसी एक पार्टी के मुताल्लिक नहीं हो सकते, उन रूल्स का ऐप्लीकेशन सब की सब पार्टियों पर होगा और कोई चेयरमैन हो या मेम्बर जो किसी टाउन एरिया के अन्दर हो ख्वाह किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। वह सब उसके अन्दर आ जायेंगे। फिर यह बात कैसे समझ सकते हैं कि अगर ऐसे रूल्स बन गये तो इससे चेयरमैनों या मेम्बरों की पोजीशन कमजोर हो जायगी। जनाबवाला, यह बात भी कही गयी कि इस किस्म के रूल्स बनने में और दिक्कतें पैदा हो जायेंगी और तमाम लोगों के अन्दर इससे एक परेशानी पैदा हो जायगी। मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आयी इसलिये कि यह सही है कि आज इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद, मुझे खुद जाती तौर पर इसका इल्म है कि मुख्तलिफ जो टाउन एरिया हैं उनके अन्दर यह एक बड़ा पेचीदा मसला पैदा हो गया है कि इसको किस तरीके पर हल किया जाय और कैसे ऐसी सूरत पैदा की जाय कि हाईकोर्ट के इस फैसले की रोशनी में इस काम को उस वक्त तक के लिये जब तक अपील मंजूर नहीं होती इस काम को चलाया जाय। मेरा ख्याल यह है कि जिस किस्म का तरमीमी बिल हमारे सामने आया है इसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं थी। माननीय राजनारायण जी ने अपनी तकरीर में कहा कि इस तरमीम में दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, अख्तियारात गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है। लेकिन उन्होंने एक लब्ज भी इस बात के मुताल्लिक नहीं कहा कि वह इसके लिये कोई आलटरनेटिव प्रोपोजल देना चाहते हैं, और यदि देना चाहते हैं तो वह क्या है। अगर कोई ऐसा प्रोपोजल किसी की तरफ से हमारे सामने आता तो यह सदन जरूर उस पर गौर करने के लिये तैयार होता और देखता कि वह कहां तक मुनासिब है और अगर वह मुनासिब होता तो उसे मंजूर करने में इस सदन को कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी।

एक बात यह भी कही गयी कि शायद इन रूल्स से यह झलक मालूम होती है कि आइन्दा जो इंतखाब चेयरमैन का हो वह इन्डायरेक्ट हो। यह सही है कि जो इंतखाब हुये वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

डायरेक्ट हुये। हरएक शख्स ने उसमें वोट दिया और इस सूरत से चेयरमैन मुन्तखिब हुये, लेकिन इस मौके पर इस बात की बहस में पड़ने का कोई मौका नहीं है। अगर थोड़ी देर को यह मान भी लिया जाय कि आइन्दा से जो इंतखाबात होंगे वह ऐसे होंगे जो इंडायरेक्ट होंगे, जिसमें मेम्बरान चेयरमैन के लिये वोट देंगे, तब भी मैं यही अर्ज करूंगा कि इससे किसी मखसूस पार्टी पर कोई असर पैदा नहीं होता इसलिये कि चाहे ऐक्ट हो या रूल्स हों, वह सबको बराबर एप्लाई करेंगे। यदि चेयरमैन डाइरेक्ट एलेक्ट होने वाले हैं, तब भी वह हर किस्म के चेयरमैन के लिये वह रूल्स एप्लाई करेंगे और अगर इन्डायरेक्ट तौर पर चेयरमैन का इन्तखाब होगा तब भी वह रूल्स ही एप्लाई होंगे। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ी लम्बी चौड़ी बहस इस हाउस के अन्दर पेश कर देना, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। उन्होंने शायद यह भी फरमाया था कि इस बिल के आने से इस हाउस का वक्त खराब हुआ। मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि इस बिल के आने या न आने से वक्त खराब हुआ हो या न खराब हुआ हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही लम्बी चौड़ी तकरीर इस हाउस में कर दी, जिस दौरान में कि पांच या छः मेम्बर बोल सकते थे और वह चाहते तो कम वक्त ले सकते थे। तो मैं अर्ज करूंगा कि यह चीज ज्यादा गौर करने के काबिल नहीं है। विधेयक में तो यह है कि जो पोजीशन पैदा हो गयी है उसको दूर करने के लिये क्या सूरत मुमकिन हो सकती थी। उसको दूर करने के लिये एक अमेंडमेंट बिल हमारे सामने है और हम उस पर गौर कर रहे हैं। अगर किसी धारा के मुताल्लिक कोई आलटर्नेट प्रोपोजल हो तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उस पर गौर करने और उसकी जांच पड़ताल करने के लिये तैयार होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यह एक बहुत छोटा सा बिल है, एक तरमीमी बिल है और इसको जल्दी से जल्दी पास हो जाना चाहिये क्योंकि यह आर्डिनेंस की शक्ल में पहले १६ जून को पेश हुआ था और कौन्सिल में पहले गया, इसलिये उसके ६ हफ्ते के अन्दर उसको पास कर देना चाहिये। यह पब्लिक का काम है और हम सबका काम है, इसलिये इसमें हमको पूरा पूरा सहयोग देना चाहिये जिससे कि यह आर्डिनेंस की मियाद के अन्दर ही पास हो जाय। इन मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का विरोध किया गया। विरोध की ओर से जो बातें कही गयी उनमें मैं कुछ तथ्य नहीं पाता हूं। किसी भी विधेयक का विरोध करने के लिये तीन आधार हो सकते हैं। एक आधार तो यह हो सकता है कि जो उद्देश्य बतलाया गया है वह उद्देश्य अभीष्ट न हो। दूसरा आधार यह हो सकता है कि उद्देश्य तो अभीष्ट हो लेकिन विधेयक लाना उसकी पूर्ति के लिये अनावश्यक हो। यानी वह विधेयक न लाया जाय तब भी उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। तीसरा आधार यह हो सकता है कि जिस उद्देश्य की चर्चा की गयी है उस उद्देश्य की पूर्ति उस विधेयक द्वारा नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि इन दोनों आधारों के अलावा कोई और आधार नहीं हो सकता है जिन पर किसी विधेयक का विरोध किया जा सके। मैं जब विचार करता हूं तो विरोधी पक्ष से कही हुयी बातों में इन तीनों में से एक भी नहीं पाता हूं। हमें एक एक पर गौर करना होगा, विचार करना होगा। इसके उद्देश्य में जो कुछ लिखा गया है उससे स्पष्ट है कि हाईकोर्ट की ओर से जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय का तात्पर्य होता है कि वर्तमान अधिनियम में एक गैप है, एक कमी है और वह कमी यह है कि उस वर्तमान अधिनियम के अनुसार किसी चेयरमैन के चुनाव के खिलाफ कोई याचिका नहीं प्रस्तुत की जा सकती, उसके निर्णय का कोई नियम नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इस गैप को दूर करना आवश्यक है। जब तक यह गैप दूर नहीं किया जाता है तब तक जो टाउन एरिया अधिनियम है उसके कुछ उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस गैप को दूर करने के लिये कोई न कोई विधेयक लाना आवश्यक है। अब हमें यह देखना होगा कि दूसरा जो बतलाया गया कि क्या इस विधेयक के बिना भी कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि वह गैप दूर हो सके। तो जैसा कि यह सरकार विचार करती है, वह समझती है कि जो पहले की स्थिति है उसके अनुसार भी पहले के पुराने नियम हैं उनसे काम लिया जा सकता है, किन्तु सरकार के विचार से ही काम नहीं चलेगा। यदि अदालत निर्णय करती है कि पुराने नियम लागू नहीं हो सकते जैसा कि उच्च

न्यायालय ने कर दिया है, अब तो केवल सर्वोच्च न्यायालय बाकी रह जाता है। अगर वह भी निर्णय कर दे तो ऐसी स्थिति में पुराने नियम व्यर्थ हो जाते हैं और दूसरे नियम बनाने आवश्यक हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पहले ही यह विचार करके जो नियम पहले बनाये गये थे यदि उनमें कोई बहुत बड़ा दोष न हो, तो हमें इस अधिनियम के अनुसार अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिये कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने खिलाफ फैसला दे दिया तो हम इस अधिनियम के द्वारा उस गैप को दूर कर सकेंगे जो निर्णय के द्वारा पैदा हो सकता है। अब यह देखना है कि क्या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी पूर्ति हो जाती है या नहीं? मैं जहां तक समझता हूं माननीय नारायणदत्त या राजनारायण सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे यह पता चले कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक पेश किया गया है उसकी पूर्ति नहीं होती, इसलिये उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। हां, माननीय राजनारायण सिंह ने एक प्रश्न उपस्थित किया था। उन्होंने यह बतलाया था कि चूंकि यह चुनाव याचिका के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया गया था उसी के सम्बन्ध में यह विधेयक पेश किया गया है इसलिये यदि इसकी चौथी धारा में जो चुनाव याचिका से संबंधित है, यदि अधिकार लेते तो जायज था। उससे संबंधित नियम के अलावा उसमें एफ १ से एफ ६ तक सरकार अधिकार ले रही है, यह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके उत्तर में मैं माननीय राजनारायण सिंह को यह बताना चाहता हूं कि याचिका के सम्बन्ध में निर्णय करते समय अदालत को इन सब नियमों का ध्यान करना पड़ता है जो एफ १ से लेकर एफ ६ तक दिये हुये हैं और उसी से सम्बन्ध में रखते हैं। इसलिये चुनाव याचिका के लिये जितने नियम होंगे उनके बनाने का अधिकार भी सरकार को ले लेना चाहिये। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि जितने लोग इसका विरोध करें वह उन आधारों पर जो मैंने बतलाये, कोई तथ्य की बात कहें तो कुछ विचार किया जा सकता है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह कै बजे तक चलेगा?

श्री उपाध्यक्ष--साढ़े तीन बजे समाप्त हो जाता है।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस इंतजार में था कि कोई ऐसी बात इस बिल के मुताल्लिक कही जाय जिसके कि वाकई जवाब देने की जरूरत होती, मगर मालूम यह हुआ कि यही नहीं कि कोई बात इसके खिलाफ नहीं कही गयी बल्कि बहुत सी बातें जो कही गयीं या तो किसी गलत असम्पशन के ऊपर कही गयी कि यह हुआ होगा और यह कहा गया और उसका जवाब दिया गया जोकि इसका असली मकसद है उससे दूर हट कर लोगों ने एतराज किये। यह हर शख्स जानता है कि जब कोई लेजिस्लेटिव बाडी होती है और वह कोई विधेयक पास करती है तो वह किसी खास गरज के लिये पास करती है और जब वह पारित हो जाता है तो अदालतों में जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उसका असली मकसद होता है उसके माफिक अदालतों का फैसला नहीं होता है बल्कि उसके खिलाफ हो जाता है। ऐसी सूरतों में हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है कि कानून में कोई न कोई तरमीम की जाय ताकि उसका मकसद पूरा हो। अबकी दफा ऐसा हुआ कि टाउन एरियाज ऐक्ट जो पहले से लागू था उसमें सन् ५३ में कुछ तरमीमात की गयी और उन तरमीमात के जरिये से जो पुरानी दफा ३९ की दफा (२) थी उसके क्लाज (c) (d) और (f) को निकाल दिया गया। लेकिन दफा ३९ का जो पहला क्लाज था वह बदस्तूर अपनी जगह पर बाकी रहा। उस क्लाज के अन्दर यह था :

"The State Government may make rules applicable to all or any Town Areas for carrying out the purposes of this Act."

यानी गवर्नमेंट को यह अख्तियार होगा कि इसके मकसद को पूरा करने के लिये रूल्स बनाये और उनको जारी करे। लेकिन जो उसका पार्ट (२) था उसमें था "In particular and without prejudice to generality"

[श्री सैयद अली जहीर]

यानी इन कायदों के लिये सरकार को हक होगा कि वह रूल्स बना कर जारी करे। लेकिन इसके बाद जो यह था--

"As to methods of settling disputes or questions arising from election."

यानी ऐसे मामलात के मुताल्लिक वह रूल्स बना सकती है इसको यहां से निकाल दिया गया और इसकी जगह एक दूसरी दफा 6 (h) शामिल की गयी जिसमें यह लिखा था कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार होगा कि जो म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, सन् १६१६ में एलेक्शन के मुताल्लिक दफात या रूल्स हैं उनको इस ऐक्ट में लागू करे और उसमें सब बातें लिख दी गयीं कि फलां-फलां बातों के लिये वे रूल्स लागू हो जायेंगे। इसके बाद जब यह तरमीम हो गयी तो यह समझा जाता था कि इसकी वजह से जो एलेक्शन्स के रूल्स होंगे जो इस कानून में पहले से बने हुये थे वे दफा ३६ (१) के जरिये से और दफा 6 (h) जो इसमें तरमीम करके बढ़ाई गयी थी उसके जरिये से लागू हो सकेंगे। मगर जब अकबरपुर टाउन एरिया जो फैजाबाद जिले में है, उसका मामला हाई कोर्ट में गया तो एक बेन्च ने यह फैसला किया कि चूंकि क्लाज २ और क्लाज (f) निकाल दिये हैं इसलिये अब जो एलेक्शन्स के मुताल्लिक रूल्स टाउन एरियाज ऐक्ट के मातहत बने हुये थे वे लागू नहीं किये जा सकते। इस मामले के बाद जाहिर है कि नतीजा यह हुआ कि अगर कोई एलेक्शन किसी चेयरमैन का नाजायज भी है तो उसके लिये कोई कायदा कानून नहीं रह गया, न कोई एलेक्शन पेटीशन हो सकती है और न उसका कोई फैसला हो सकता है। यह एक ऐसी सूरत पैदा हो गयी जिसके मुताल्लिक जाहिर है कि गवर्नमेंट को फौरन कोई न कोई ऐक्शन लेना था। यह खुली हुयी बात है कि इस सदन का यह कभी मकसद नहीं था कि ऐसी सूरत पैदा हो जाय कि कोई चेयरमैन चुन लिया जाय चाहे वह सही तरीके से चुना जाय या गलत तरीके से चुना जाय और उसको चैलेन्ज करने का हक किसी को बाकी न रह जाय। कई टाउन एरियाज में इसी किस्म की सूरतें पेश थीं। चुनान्चे फर्रुखाबाद के जिले में कई टाउन एरियाज में यह सवाल उठा, बल्कि वहाँ तो अदालतें उस फैसले से भी आगे बढ़ गयी और उन्होंने कहा कि एलेक्शन्स के जितने रूल्स हैं वे सब खिलाफ कानून हैं। चुनान्चे इसकी जरूरत हुई और हम फौरन एक आर्डिनेंस लायें और इस सूरत को रफा करें। इसमें न कोई गैर कानूनी बात है और न कोई ऐसी चीज है, जो सदन की मंसा के खिलाफ हो, एक शक्ल फैसले की वजह से पैदा हुई, उसका हल निकालना था और उसका हल निकालने के लिये वह पहले आर्डिनेंस आया और उसके बेसिस पर आपके सामने यह विधेयक पेश किया गया है।

जहां तक इसकी दफात का ताल्लुक है, इसमें ६ दफात हैं और ऐसी जरूरी तरमीमात कर दी गयी हैं, जिसकी वजह से यह बात पैदा हो गयी है, इसको रफा कर दी जाय। एक माननीय सदस्य जिन्होंने अभी तकरीर खत्म की थी, उन्होंने यह भी कहा कि इसके जरिये से सरकार अपने हाथ में ज्यादा अख्तियारात ले रही है। जाहिर है कि अख्तियारात सरकार को लेना पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं इलेक्शन वगैरह के लिये और पहले कानून बना हुआ था। उसमें कानून कायदे सरकार ने बनाये थे उनका अमल दरामद होता था, वह किसी एक पार्टी के लिये नहीं होते हैं, एक जमाअत के लिये नहीं होते हैं बल्कि सबके लिये होते हैं और हर शख्श उस पर अमल करता है। अगर चेयरमैन कांग्रेस का हो जाय तो नान कांग्रेस कैन्डीडेटस को अख्तियार होता है कि वह इलेक्शन पेटीशन दाखिल करे और अगर चेयरमैन नान कांग्रेस पार्टी का होता है तो कांग्रेस कैन्डीडेट्स को अख्तियार होता है कि वह उसके खिलाफ पेटीशन दाखिल करे। इस तरह से जितने रूल्स होते हैं वह सबके लिये बराबर होते हैं। यह हमारे कांस्टीट्यूशन में है इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी सूरत में यह इल्जाम लगाना कि सरकार ने इसलिये यह किया कि कांग्रेस के चेयरमैन नहीं होते थे और उनके खिलाफ पेटीशन होती हैं। मेरे ख्याल में यह गलत और बे बुनियाद इल्जाम है, जो जेबा नहीं देती किसी समझदार आदमी को कि वह ऐसी आवाज उठायें।

सरकार जिन रूल्स के मातहत काम करती है वह इसलिये नहीं बनाये जाते कि किसी खास चुनाव के लिये या किसी खास इलेक्शन के लिये बल्कि वह तो आम कायदे कानून होते हैं और जो पहले से कायदे कानून रायज हैं उनके ऊपर बनते हैं और उन पर अमल होता है तो इस वजह से जाहिर है कि ऐसी किसी बात की कोई बुनियाद नहीं और यह तो महज अपनी तकरीर में जोर पैदा करने के लिये बाज मेम्बरान ने इस किस्म की बात उठायी है। दफा ४ में जो जो बातें रखी गयी हैं वह वही हैं, जो चेयरमैन के इलेक्शन के सिलसिले में उठती है और जिनके मुताल्लिक रूल्स बने हुये हैं, उनके मुताल्लिक कहा गया है कि यह समझा जायगा कि वह हमेशा से बने हुये थे और आयन्दा भी लागू रहेंगे, चुनांचे उसके अल्फाज यह हैं कि:

"In sub-section (2) of section 39 of the Principal Act, after clause (*f*) (since deleted) the following new clauses (*f*-1) to (*f*-6) shall be deemed always to have been inserted:—

(*f*-1) the conduct of election to the office of the Chairman,

(*f*-2) the decision of doubts and disputes relating to election to the office of Chairman,

(*f*-3) the removal of disqualifications for election to the office of Chairman,

(*f*-4) the electoral offences and corrupt practices relating to the office of Chairman,

(*f*-5) bye-elections to the office of Chairman; and

(*f*-6) generally on all matters relating to conduct of election to the office of Chairman."

इसके माने यह हैं कि दफा ३९ में जो अख्तियारात कानून के बनाने के हैं वह सरकार को अख्तियारात होंगे कि वह इन बातों की बाबत कानून बनायें। जाहिर है कि जिस तरह से कानून बनेगा वह हर एक के लिये बराबर लागू होगा और उसमें न तो किसी किस्म की तरफदारी हो सकती है और न पक्षपात हो सकता है। उसके साथ साथ दफा ५ में जो एक शक पैदा हो गया था हाईकोर्ट के फैसले की वजह से कि यह जो पुराने रूल्स लागू थे वह कहां तक लागू रहेंगे, उसको साफ किया गया है। यह जैसा कि उप मंत्री जी ने अपनी शुरू की तकरीर में आपको बतलाया कि जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ है, उसको हमने सही तस्लीम नहीं किया है। लेकिन जाहिर है कि वह फैसला जब तक अपनी जगह पर है, हमें सही मानकर उस पर अमल करना है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो लेकिन हम नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मुआफिक होता है तो इसका नतीजा वही होगा जो कि इस कानून से हम करना चाहते हैं यानी यह कि जो रूल्स अभी तक इस हाईकोर्ट के फैसले की वजह से नाजायज हो गये हैं, वह फिर से जायज करार पायेंगे और उनके ऊपर फिर अमल दरामद होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हमारे खिलाफ होता है तब भी यह कानून अगर यह सदन पास कर देता है तो इससे वही असर होगा जो कि हाईकोर्ट के फैसले के पहले था। जो रूल्स हाई कोर्ट के फैसले की वजह से लागू नहीं रहे थे वे फिर से लागू हो जायेंगे। ऐसी सूरत में यह खुली हुयी बात है कि हम कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहे हैं, जो कि गैरकानूनी हो या खिलाफ कायदे हो या किसी गलत अख्तियार को हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। यह तो खुली हुयी सीधी सादी बात है। ऐसी शकल पैदा हो गयी है कि कानून का दूसरा मतलब लगाया गया है। हमारा मतलब दूसरा था।

जहां तक कानूनी मामले हैं आये दिन इस तरह से होता रहता है। यहां ही नहीं बल्कि और मुल्कों में भी जहां पर बहुत ही मंजे हुये लोग और निहायत तजुर्बेकार लोग कानून बनाते हैं वहां पर भी यह हुआ करता है। एक मतलब से कानून बनाया जाता है कि इससे यह मकसद हम हासिल करना चाहते हैं लेकिन जब वह कानून अदालत में जाता है तो उसके मतलब उन अल्फाज के दूसरे लगाये जाते हैं और उससे कुछ फर्क पड़ जाता है। उसके बाद जो लेजिस्लेचर होता है, जैसी उसको जरूरत पड़ती है, लेजिस्लेचर फिर अपने मकसद को वाजह करता है और जिस तरह से वह चाहते हैं कि कानून लागू हो उसी तरह से मुखतलिफ तरीके से वह जाहिर करते

[श्री सैयद अली जहीर]

हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इन बातों को सामने रखते हुये यह यकीन किया जाय कि जो बात हम इसके जरिये से करना चाहते हैं वह कोई नयी बात हम नहीं कर रहे हैं बल्कि जो गलतफहमी पैदा हो गयी थी और जो शक्ल इस हाउस की मंशा के खिलाफ फैसले की वजह से पैदा हो गयी थी उस शक्ल को हम दूर करना चाहते हैं। यह हमारी गर्ज है और यह चीज इसमें लिख दी गयी है और उसके ऊपर ही अमल होना चाहिये।

इसके बाद मुझे यह भी अर्ज करना है कि जो तरीका चेयरमैन के एलेक्शन का था उसको भी इसके जरिये से बदल दिया गया है। अब कानून का जहां तक ताल्लुक है उसमें दफः ८ अपनी जगह पर कायम है। बहरहाल कानून में जो इस वक्त है उसमें कोई तरमीम इसके जरिये से हम नहीं कर रहे हैं, जो कि नई कही जा सके। जो सन् १९५३ में कानून पास हुआ था उसमें यह लिख दिया गया है। जहां तक एलेक्शन के रूल्स का सवाल है जो म्युनिसिपैलिटी के होंगे वही रूल्स टाउन एरिया के लिये भी लागू होंगे। यह चीज हुयी है और पहले ही सन् १९३९ में हो चुकी है। कोई नयी बात हम नहीं पेश कर रहे हैं। मगर म्युनिसिपैलिटी का कानून बदल गया है तो जाहिर है कि टाउन एरिया का भी उसी तरह से होगा जैसे कि म्युनिसिपैलिटी का जनरल एलेक्शन होता है। अब मेम्बरों के जरिये से होता है। जिस तरीके से म्युनिसिपैलिटी में होता है वैसा इसके लिये भी लागू होगा। तो फिर यह कहना कि इस अमेंडिंग ऐक्ट में कोई नई बात की गयी है यह सही नहीं होगा। मैंने इसी वजह से अर्ज किया कि जो यह तरमीमी बिल है, जो हाउस के सामने पेश है, इसमें कोई नयी बात नहीं है। पुराने कानून पर एक फैसले की वजह से ऐसा असर पड़ गया। उस असर को हटाने के लिये ही यह कानून बनाया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी क्या दशा होगी ?

श्री सैयद अली जहीर--अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही रहता है जो हाईकोर्ट का रहा है तो हमारा यह नया वाला कानून लागू रहेगा लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुआ तो हमारा यह कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ही हो जायगा और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, नियम ९६ के अनुसार मैंने हाईकोर्ट का फैसला देखने के लिये मांगा था। उसको देखने के बाद में कुछ संशोधन देना चाहता हूं। हाईकोर्ट का फैसला अभी मुझे देखने को नहीं मिला है। अभी १५ मिनट बचे हैं, यह बिल बाद को ले लिया जाय। अगर कोई संशोधन आवश्यक हुआ तो बाद में दे दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं माननीय सदस्य का अधिकार पेपर्स मांगने का है। अगर माननीय मंत्री महोदय दे सकते हों तो जरूर दे दें।

श्री सैयद अली जहीर--माननीय सदस्य का अधिकार तो है मांगने का, लेकिन यह नहीं कि बहस खत्म हो जाय तब मांगा जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, वक्त तो यही है। नियमों में यह लिखा हुआ है कि--

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on wich the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन पोस्टपोनमेंट के लिये कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अभी तो १५ मिनट बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—परन्तु बात यह है कि यह बिल सदन के सामने बहुत दिनों से है। माननीय सदस्य अपना संशोधन उस समय में दे सकते थे। जान बूझ कर जो नहीं दिया गया है उसके लिये समय देना मुनासिब मालूम नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नियम ९६ के अनुसार मुझे अधिकार, विचार का प्रस्ताव हो जाने के बाद उनसे कागजात आपकी इजाजत से मांगने का तो है ही। मैं समझता हूं आप मुझे इस अधिकार से वंचित नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप ख्वाहिश जाहिर कर दें, अगर वे दे सकते होंगे तो दे देंगे।

श्री शिवनारायण—अभी तो मांगा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने लिखकर दे दिया है। और वह माननीय मंत्री जी के पास है।

श्री सैयद अली जहीर—हाईकोर्ट के जजमेंट होने के बाद उसी की बुनियाद पर इस कानून को लाया गया है। यह जाहिर है कि हाईकोर्ट का फैसला, उपाध्यक्ष महोदय, कंफीडेंशल डाकूमेंट नहीं होता। यह फैसला अप्रैल, १९५५ में हुआ था। माननीय सदस्य अगर चाहते तो अलग से उसे हासिल कर सकते थे। बहरहाल मुझसे साढ़े बारह बजे उसकी कापी पहले पहल मांगी गयी, दफ्तर से मेरे पास अभी आयी है। वे इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं लेकिन इसकी वजह से काम नहीं रुक सकता है। उसके ऊपर वे तरमीम भी नहीं दे सकते। कानून तो पास हो ही जायगा। आप उसको रोक नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष—वह माननीय सदस्य को कृपया दे दें।

श्री व्रजविहारी मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ९६ का जो हवाला दिया गया है उस में यह लिखा है कि :

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

इसमें मांगने का या किसी माननीय सदस्य को देने का प्रश्न कहीं नहीं आया है, इसमें केवल यह है कि वह मेज पर रखी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—मेज पर रखने के माने यही हैं कि माननीय सदस्य पा लें और अब जबकि वह उनको दिया जा चुका है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से वह मुझे मिल तो गया है, लेकिन वह जरा लम्बा है और संशोधन देने की भी आवश्यकता है और कोई आवश्यक बात न रह जाय, इसलिये हमें थोड़ा सा समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य जानते हैं कि नियम ११२ जो संशोधन के बारे में है, उस में जो प्राविजन दिये हुये हैं उनमें से किसी में भी यह नहीं आता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसमें है कि "अनलेस दि स्पीकर एलाउज.....

श्री उपाध्यक्ष—अब स्थिति ऐसी है कि इस की सब को इत्तिला होना माना जा सकता है। यह एजेंडे पर इतने दिन से है, उस पर कोई संशोधन नहीं आया, इससे

[श्री उपाध्यक्ष]

जाहिर है कि इस पर कोई खास संशोधन लाने की जरूरत नहीं थी और जो माननीय सदस्य की ख्वाहिश भी अब पूरी कर दी गयी है, इसलिये मैं चाहता तो यह था कि सब को एक साथ ही सदन के सामने पेश करता, लेकिन अब मैं एक एक खंड को ठहरता हुआ पेश करता जाऊंगा तो वह इस फैसले का शायद उपयोग चाहें तो कर सकेंगे, यह उनकी योग्यता पर निर्भर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--नियमों के अनुसार पहले से हम उसको नहीं मांग सकते थे, वह तो पहली रीडिंग के बाद ही मांग सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो आप पहले भी कह चुके हैं, मैंने सुन लिया है।

श्री शिवनारायण--क्या हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई संशोधन कर सकता है?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं इसको विचार के लिये एक एक खंड कर के पेश करता हूं।

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ६ एच का संशोधन।

२--यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की (जिसे यहां पर आगे चलकर "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा 6-H में शब्द "apply to an election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रख गये समझे जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

यू० पी० ऐक्ट २,१९१४ की धारा ६ आई का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा 6-I की उपधारा (२) में शब्द "election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रक्खे गये समझे जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

यू० पी० ऐक्ट, २,१९१४ की धारा ३९ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) में खंड (*f*) (जो निकाल दिया गया है) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (*f-1*) से (*f-6*) तक सदैव रक्खे गये समझे जायं:

(*f*-1) the conduct of election to the office of Chairman,

(*f*-2) the decision of doubts and disputes relating to election to the office of Chairman,

(*f*-3) the removal of disqualifications for election to the office of Chairman,

(*f*-4) the electoral offences and corrupt practices relating to election to the office of Chairman,

(*f*-5) bye-elections to the office of Chairman, and

(*f*-6) generally on all matters relating to conduct of elections to the office of Chairman."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५—संदेहों के निवारणार्थ, एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि:— वैधीकरण (Validation)

(१) चेयरमैन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित रहा हो, उपर्युक्त संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी ऐसे परिवर्तनों, परिवर्द्धनों अथवा परिष्कारों (alterations, additions or modifications) को बाधित न करते हुये जो बाद में मूल अधिनियम की धारा ३९ के अधीन उस में किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा।

(२) कृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) कोई कार्य अथवा बात जिसमें मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्मित कोई नियम अथवा नियम का संशोधन भी सम्मिलित है, जो वैध रूप से तथा उपयुक्त रूप से मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के अधीन कृत अथवा अकृत अथवा निर्मित हुआ होता अथवा हुई होती, यदि मूल अधिनियम की धारा (*6-H, 6-I*) तथा 39 (२) वैसी होती जैसी इस अधिनियम द्वारा व्यवस्थित की गयी है, तदन्तर्गत वैधरूप से तथा उपयुक्त रूप से किया गया अथवा बनाया गया समझा जायगा।

(३) उपधारा (१) तथा (२) में अभिदिष्ट नियमों में उल्लिखित अधिकारों के अधीन, प्रतीत होने वाले प्रयोग के अन्तर्गत इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व चेयरमैन के निर्वाचन पर प्रश्न उठाने वाली किसी भी निर्वाचन याचिका (election petition) पर प्रत्येक निर्णय अथवा आज्ञा जो विधिपूर्ण होता या होती यदि इस अधिनियम की धारा २, ३ तथा ४ याचिका के प्रस्तुतीकरण (presentation) तथा विचार अथवा निर्णय अथवा आज्ञा के प्रख्यापन (pronouncement) के अवसर पर प्रचलित हो गयी होती (come into operation) तथा ऐसे निर्णय अथवा आज्ञा के अनुसार की गयी कोई बात विधिपूर्ण दिये गये अथवा की गयी समझी जायगी यदि ऐसा निर्णय अथवा ऐसी आज्ञा उक्त आरम्भ से पूर्व ही रद्द (set aside) न कर दिया गया हो अथवा न कर दी गई हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६—उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ एतद् द्वारा निवर्तित (Repeal) किया जाता है तथा उस पर यू० पी० जेनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त (apply) होंगे मानों यह किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा निवर्तित विधायन हो। निवर्तन (Repeal)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४। उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १९५५
कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट १९१४ को संशोधित करने के हेतु राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया था;

और यह आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान मंडल के विधायन द्वारा अनुस्थापित (replace) किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्ष-नाम तथा प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह १८ जून, १९५५ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाश प्रकाश—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

*स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि एक योजना इस प्रदेश में श्रमिकों के आवास के लिये बनायी गयी है। जहां जहां बड़े उद्योग धंधे हैं वहां मजदूरों को रहने की तकलीफ थी। उसको रफा करने के लिये सरकार की ओर से घर निर्माण करने की व्यवस्था की गई। श्रीमन्, इस व्यवस्था के चार खंड हैं। पहले खंड के अनुसार इस प्रदेश में २७७६ घर बनाये जाने वाले थे और मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि २७७६ मकान बनाये जा चुके हैं और आज उनमें मजदूर रह भी रहे हैं। दूसरे के अनुसार ३७५०

† ३ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मकान बनाने की योजना थी, जिसमें से ३३७६ मकान बन कर तैयार हो गये हैं, शेष बन रहे हैं, कुछ छत तक पहुंच चुके हैं, कुछ उससे अभी कम हैं। तीसरे खंड के अनुसार ७ हजार चार सौ मकान बनने वाले हैं, जिनमें ५८२ बन कर पूरे हो चुके हैं। ५८४८ छत तक पहुंच चुके हैं और जो और बाक़ी हैं वह उस से कम हैं। एक चौथा खंड है जिसके अनुसार ३९७८ मकान बनने हैं। श्रीमन्, यह कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। यह इतने सारे मकान बन गये हैं। वहां मजदूरों को यह दिये जायेंगे। इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि जब यह मकान दिये जायं, इनका किराया वसूल करने का, इसमें और सुविधायें देने का और इनकी व्यवस्था करने का प्रबन्ध होना चाहिये। इन्हीं को करने के लिये श्रीमन्, यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि एक हाउसिंग कमिश्नर और उसके सहकारी नियुक्त किये जायं। इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उनको सलाह देने के लिये एक समिति बनायी जाय जो कि उन विषयों पर उनको सलाह देगी, जिन पर आवश्यकता हो। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि हर एक मजदूर को इनमें से मकान एलाट किये जायं और एलाट करने के बाद उनसे किराया वसूल किया जाय, यह भी व्यवस्था की गई है कि महीने की एक नियत तिथि तक यह किराया वसूल कर लिया जाय। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि एलाट होने के बाद यदि कोई रहने वाला किराया न दे सके, न देने को तैयार हो, किसी दूसरे को मकान उठा दे और वह मकान का उपयोग न कर सकता हो या वह स्वयं रह न रहा हो तो उसको उस घर का इस्तेमाल करने से भी रोका जा सके। इस बात की भी इसमें व्यवस्था है कि यह बात देखी जाय कि घर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसका एलाटमेंट कैंसिल कर दिया जाय। श्रीमन्, कुछ अधिक इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। ये मकान जो बने हैं इनकी व्यवस्था करनी होगी, उनका प्रबन्ध करना होगा। इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि किस तरह से उनका किराया वसूल किया जाय। इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि उन मकानों का वे इस्तेमाल कर सकें जिनके लिये वे बनाये गये हैं। इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि कोई उस मकान को लेकर किसी दूसरे से इस्तेमाल करा कर उनका बेजा फायदा न उठा सकें। इन चीजों की व्यवस्था इसमें की गई है। एक बात की और व्यवस्था इसमें है। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अनुसार कुछ वेतन मजदूरों को दिया जाता है। इस बात की भी इसमें व्यवस्था की गई है कि यदि कोई मकान लेने वाला इस बात का एग्रिमेंट कर ले कि वह अपने वेतन में से किराया कटवाने को तैयार है तो जहां उसको वेतन दिया जाता है, उसको यह अधिकार होगा कि उतना किराया उसके वेतन से काट ले और वह उत्तरदायी होगा उस किराये को सरकार में जमा करने के लिये। इन सब बातों को सुनकर मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

[illegible] श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सवाल है यह विधेयक बहुत त्रुटिपूर्ण है और इसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक इसके उद्देश्य का सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, त्रुटियों को बताने के पहले मजदूरों की जो हालत है मकानों के बारे में उस सम्बन्ध में मैं कुछ आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मजदूरों के रहने के घरों का सवाल है इस सम्बन्ध में उनकी दशा बड़ी दयनीय है और एक-एक जगह जिसमें ४–५ आदमी मुश्किल से रह सकते हैं १०, १० मजदूर उसमें रहते हैं। यही नहीं श्रीमन्, न उन मकानों में रोशनी है, न सफाई का कोई प्रबन्ध है, वहां कोई भी आदमी एक घंटा बैठा नहीं रह सकता है। यह सवाल है मजदूरों का। मजदूरों ने मिलमालिकों की तिजोरियों को भरा है, लेकिन आज तक मिलमालिकों ने मजदूरों के रहने के लिये मकान के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मजदूर उनको कमा कर पैसा देता है। फिर जब वह ८ घंटे मेहनत करके घर पर जाता है तो उसके रहने की भी ठीक व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार ने थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया है। यह उसके लिये प्रशंसनीय है। लेकिन जो कुछ भी

[श्री जगन्नाथ मल्ल]
अब तक हुआ बहुत कम हुआ है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और ज्यादा से ज्यादा मकानों को बनवाने की व्यवस्था करेगी। यह ठीक है कि ऐसे विधेयक की जरूरत थी जिसमें यह नियम बना दिये जायं कि किस तरह से उन मकानों का एलाटमेंट होगा, किस तरह से वे उन मकानों से हटाये जा सकते हैं। ताकि जो आफिसर्स हैं उनको मनमानी ढंग से काम करने का मौका न मिले, लेकिन जब हम इस विधेयक पर नजर डालते हैं तो इस उद्देश्य की पूर्ति इस विधेयक के द्वारा नहीं हो रही है। और भी इसमें बहुत सी खामियां हैं। इस विधेयक में आप जहां भी देखें वहां हर तरफ से तमाम अधिकार हाउसिंग कमिश्नर को या ऐसे सरकारी लोगों को दिये जा रहे हैं, जिससे दूसरे लोग कम से कम राय दे सकेंगे। धारा ८ में यह व्यवस्था की गयी है कि परामर्श समिति बनेगी और उसमें एक श्रमिकों का रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक मिलमालिकों का होगा। इस तरह जो बाकी ५ सदस्य होंगे वे सरकारी अफसरान होंगे। इस तरह से यह समिति कोई ठीक राय नहीं दे सकेगी। और वहां भी सरकारी अफसरान का ही बहुमत होगा वे जिस तरह से चाहेंगे या हाउसिंग कमिश्नर जो चाहेगा वह उसमें पास होगा। तो यह एक त्रुटि है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस त्रुटि को सुधारना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को और मिल मालिकों के नुमाइन्दों को उसमें रखना चाहिये ताकि वह ठीक ठीक राय दे सकें और जो सरकारी अफसरान जिस तरह से चाहें, इधर उधर करना, वह न कर सकें। इसलिये मेरा तो यह ख्याल है कि इधर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस सिलसिले में एक बात मैं आप से और निवेदन कर दूं कि जब जब त्रिदलीय दल सम्मेलन हुए हैं तो उनमें हमारे सूबे के दो जो बड़े आर्गनाइजेशंस हैं यानी आई० एन० टी० यू० सी० और हिन्द मजदूर सभा, उसके नुमाइन्दे हर जगह बुलाये जाते रहे हैं ताकि हर तरफ की ठीक ठीक राय आ जाय। अगर इसमें एक ही सदस्य रखा जायगा तो एक दिक्कत यह भी हो सकेगी कि एक ही पक्ष की राय वहां पर दी जा सकेगी। चाहे हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधि हो, तो उसकी राय दे सकेगा और चाहे आई० एन० टी० यू० सी० का प्रतिनिधि हो, तो वह उसकी राय दे सकेगा। तो इस तरह से यह जरूरी है कि मजदूरों और मिलमालिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ायी जाय ताकि जितने भी मजदूर आर्गनाइजेशंस हैं, उनकी ठीक से राय आ सके। इस तरह से जो परामर्श समिति बनायी जाय वह ठीक ठीक राय दे सके और उससे फायदा उठाया जा सके। धारा ९ में यह कहा गया कि अगर्चे यह औद्योगिक श्रमिक नहीं रहेगा तो वह गृह से निकाला जा सकता है। श्रीमन्, ठीक है। अगर वह औद्योगिक श्रमिक नहीं है तो वह निकाला जा सकता है। उस गृह में रहने का उसको अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें एक और ख़याल होना चाहिये। अगर किसी मजदूर को मिल मालिक झूठा या सच्चा चार्ज लगा कर निकाल देता है, तो उसको उस वक्त तक उस मकान से बेदखल नहीं करना चाहिये जब तक कि उसका मामला किसी औद्योगिक न्यायालय में चलता हो और उसका आखिरी फैसला न हो जाय। क्योंकि अगर्चे उसको बीच में हटाया जा रहा है, अगर किसी मिलमालिक को किसी मजदूर को उसको घर से निकलवा देना है, वह चाहता है कि किसी दूसरे मजदूर को घर दिलवा दे जो उसका फेवरिट है, तो वह उस मजदूर को एक डिस्मिशल नोटिस दे देगा और नतीजा यह होगा कि वह मजदूर मकान से निकाल दिया जायगा, भले ही वह अदालत द्वारा बाद में बहाल हो जाय। तो वह उस घर को पाने का हकदार नहीं हो पायेगा। इसलिये जब तक आखिरी फैसला आखिरी अदालत से न हो जाय, तब तक उसको औद्योगिक श्रमिक समझना चाहिये और उसको अख्तियार होना चाहिये कि उस मकान में वह तब तक रह सके और उसका वह फायदा उठा सके, ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। जहां तक इसमें अलाटमेंट कैंसिल करने का सवाल है किसी का भी अलाटमेंट कैंसिल हो सकता है। हाउसिंग कमिश्नर कैंसिल कर सकता है। उसमें यह बहुत बड़ा अधिकार उसको दे दिया

गया है कि मनमाने ढंग से जिसका चाहे कैंसिल कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। उसमें ठीक ठीक बता देना चाहिये कि इन इन हालतों में वह मकान का अलाटमेंट कैंसिल कर सकता है। यह गोलमटोल रखने से हाउसिंग कमिश्नर अपने इस अधिकार से नाजायज फायदा उठा सकता है। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें उसमें साफ साफ बता देना चाहिये कि इन इन हालतों में वह क्या क्या कर सकता है। तभी उस कानून की ठीक ठीक पाबन्दी हो सकती है।

श्रीमन्, एक खामी और इस बिल में है जहां पर किराया देने की बात कही गई है वहां दसवीं तारीख रखी हुई है। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पेमेंट आफ वेजज़ ऐक्ट को देख लें। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्दर जिस मिल में एक हजार से ज्यादा मजदूर काम करते हैं वहां मिल को अखतियार है कि वह दसवीं तारीख तक उसके वेतन को दें। अगर वह १० तारीख को उसको वेतन देगा तो वह मजदूर कैसे दसवीं तारीख को अपना किराया जमा कर सकेगा। इसलिये मैं सोचता हूं कि उस मज़दूर को जिनको कि १० तारीख को तनख्वाह मिलेगी उनको कुछ दिनों का मौक़ा होना चाहिये, ताकि वह किराया ले जाकर ठीक समय पर दे दे। इसलिये १० तारीख की जो बात की गयी है वह ठीक नहीं जंचती है और उसको कुछ बढ़ना चाहिये ताकि मजदूरों को सुविधा हो सके कि जब वह वेतन पाये तो ठीक समय पर जाकर अपना किराया जमा कर सके।

श्रीमन्, जहां किराया नियत करने की धारा है वहां भी यह हाउसिंग कमिश्नर को ही अधिकार दे दिया गया है कि जो चाहे वह किराया निश्चित कर दे। ऐसा अख्तियार उसको नहीं देना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि इसको भी बिल में साफ साफ आना चाहिये कि उसकी तनख्वाह का कै फीसदी किराया मकान उसको देना होगा। अगर हम इसको साफ कर देंगे तो बहुत सी गड़बड़ियों से हम बच जायंगे। यह हो सकता है कि हाउसिंग कमिश्नर एक ही किस्म के मकान में किसी का कम किराया लगा दे और किसी का ज्यादा लगा दे। तो इस तरह का अख्तियार देने में भी गड़बड़ी हो सकती है और इसलिये हमको यह निश्चित कर देना चाहिये कि उसकी तनख्वाह का इतना परसेंटेज उसको किराये के रूप में देना पड़ेगा, जैसा कि और जगह किया भी गया है। अगर इस तरह से हम इसको बना देंगे तो उसका मनमाने ढंग पर किराया न रखा जायगा और यह दिक्कत भी साफ हो जायगी।

श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि इस बिल में जो धारा १८ रखी गयी है वह क्यों रखी गयी है। धारा १८ में यह लिखा हुआ है कि हाउसिंग कमिश्नर को या उसके द्वारा नियत किसी व्यक्ति को यह अख्तियार होगा कि किसी भी घर में कुछ आदमियों को लेकर घुस सके। किराया बाक़ी होगा तो मिल से कटवाइये, उसको जब मालगुजारी की तरह से वसूल करने का अख्तियार दे रहे हैं तो श्रमिक के घर में घुसने की कौन जरूरत होगी और इसको इस बिल में रखने की क्या जरूरत है। और इतना ही नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि उचित समय पर वह घर में घुस सकता है आदमियों को लेकर। यह भी नहीं कि निश्चित समय पर। कोई समय निश्चित हो जाता कि फलां फलां समय पर वह जा सकता है, तो भी गनीमत थी, हालांकि मैं समझता हूं कि इस धारा की कोई भी जरूरत नहीं है और न इसकी जरूरत मंत्री जी ने बताई है। मैं चाहता हूं कि जब मंत्री जी बोलने को उठें तो बतलायें कि इस धारा की क्या ज़रूरत है? क्यों जरूरत पड़ेगी हाउसिंग कमिश्नर को किसी के घर में घुसने की और उसमें भी लिख दिया गया है कि उचित समय पर। अगर वह रात को १२ बजे घुसना चाहता है तो घुस जाय और इतना ही नहीं श्रीमन्, यह भी लिख नहीं दिया गया है कि सूचना देकर घुसेगा। बिना सूचना के भी १० आदमियों को लेकर घुस सकता है। कोई मज़दूर फेमिली के साथ रहता है तो उसके घर में १० लट्ठबन्द आदमियों को लेकरवह घुस जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

जी इस धारा को इस कानून से बिल्कुल निकाल देंगे। वह हमको बतायेंगे कि इसकी क्या जरूरत है। कल जैसा गोदाम के लिये आया था, वह कुछ ठीक भी बैठता था कि वह देखने जायगा कि गोदाम है या नहीं, लेकिन यहां यह धारा क्यों रखी गयी है, मैं समझ नहीं पाया।

श्रीमन्, इसमें एक चीज और है। वह यह कि जब वह नोटिस देगा तो उसको एक महीने के अन्दर मकान को खाली करना होगा। एक महीने का जो समय है वह बहुत कम है, क्योंकि इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि शहरों में मकान की क्या हालत है और कितनी मुश्किल से मकान मिला करता है। एक महीने में किसी को मकान मिल सकना और वह भी एक श्रमिक को, कोई चलता पुरजा आदमी होता तो अपने लिये मकान एलाट करा सकता है, लेकिन एक मजदूर जो बे पढ़ा लिखा है और जिसको खाली अपने कारखाने में जा कर काम करना होता है और काम करने के बाद आकर घर पर अपना जीवन व्यतीत करता है कहीं वह अलौटमेंट के दफ्तर में गया भी। तो कह दिया जायगा कि बाहर ही रहो, वह पहुंच तक नहीं पायेगा, तो अलौटमेंट किसी मकान का किस तरह से मिल सकेगा। इसलिये यह जो अवधि है ३० दिन की वह बहुत कम है और उसको जरूर बढ़ा देना चाहिये। इतना ही नहीं श्रीमन्, हाउसिंग कमिश्नर को यह भी, धारा २१ को अगर आप देखेंगे तो उपधारा (३) में लिखा हुआ है कि कैसे वह नोटिस दे कर उनको हटाने की कोशिश करेगा। उसमें यह लिखा है कि "यदि गृह-आयुक्त इस निर्णय पर पहुंचे कि ...

(३) अन्य किसी रीति से, किसी भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है..

स्पष्ट शर्त तो समझ में आती है, लेकिन यह अस्पष्ट क्या होता है यह मंत्री जी के कानून में होगा। हम नहीं समझते हैं कि अस्पष्ट शब्द भी कुछ होता है। तो वह कोई भी शर्त लगा दे कि यह अस्पष्ट शर्त का तुमने उल्लंघन किया है, तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई स्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है तो ठीक है, लेकिन जो शर्त ही अस्पष्ट हो उसका हवाला दे कर अगर हाउसिंग कमिश्नर किसी को बाहर कर दे तो यह कोई जायज बात नहीं मालूम होती। यह तो यह हुआ कि आप हाउसिंग कमिश्नर को हर तरह का अधिकार देना चाहते हैं कि जिस तरह से चाहे मकान से निकाल कर के बाहर कर दे। ऐसा अधिकार मैं समझता हूं कि हाउसिंग कमिश्नर को देना कुछ उचित नहीं मालूम होता है। इस तरह के अधिकार देने से हो सकता है कि उन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाय। इसलिये इस तरह की चीज किसी भी विधेयक में नहीं आनी चाहिये। इतना ही नहीं श्रीमन्, इस विधेयक में एक चीज और कही गई है, वह यह है कि कोई मजदूर किसी मकान पर जिसका कि उसको अलाटमेंट न हुआ हो अगर रह रहा हो तो उससे हर्जा वसूल किया जाय। मैं कहता हूं श्रीमन्, कि उससे उसका किराया ले लीजिये। अगर वह मकान खाली रहा है और उसको घर नहीं मिला और वह रह रहा हो तो किराया ले लीजिये, हर्जा न वसूल कीजिये। तो उचित तो यह होता है कि अगर मकान खाली है और वह रह रहा है तो बजाय हर्जा के उससे उसका किराया ले लिया जाय और उसको अलाट कर दिया जाय। न भी अलौट होता है तो यह हर्जा वसूल करना अच्छा नहीं मालूम होता और इतना ही नहीं श्रीमन् यह भी कहा गया है कि अगर कोई आदमी किराया न दे, कुछ शर्तें हैं अगर उसका पालन न करे, ठीक समय पर किराया न दे और नोटिस दिया जाय उसके बाद भी किराया न दे तो किराया दे देने पर भी उसका अलाटमेंट कैन्सिल हो जायगा। ठीक है उसने किराया नहीं दिया, लेकिन अगर वह किराया दे देता है तो अलाटमेंट कैन्सिल कर देना यह तो उचित नहीं मालूम होता। और फिर किराया न देने का प्रश्न ही कहां है, जब आप उस की तन्ख्वाह में से कटवा लेंगे। तो होना तो यह चाहिये कि जो मकान का किराया श्रमिकों से लिया जा रहा है वह उन मिलमालिकों से लेना चाहिये जिनकी मिलों

में वह काम करते हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। शुगर फ़ैक्टियों में वहां के मिल मालिक मजदूरों को किराया देते हैं तो उनसे लिया जाना चाहिये, क्योंकि काम तो वह करते हैं उनका, उनकी तिजोरी भरते हैं, उनसे वह किराया लिया जाना चाहिये था। लेकिन इस विधेयक में उस मजदूर को ही पीसा गया है और उसी से किराया मांगा जाता है। तो इधर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। और एक बात और कहूं कि सरकार जो मकान बनवा रही है, ठीक है, लेकिन सरकार को इस कानून में एक बात और भी रखनी चाहिये थी, वह यह कि सरकार यह भी रखे कि जो मिलमालिक अपनी मिलों में मजदूरों से काम कराते हैं उन पर भी कानूनन जोर दिया जाय कि वह भी मकान बनवाये अपने मजदूरों के रहने के लिये, क्योंकि सरकार तो खर्च करे ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा वह उठाते हैं। तो उनको भी चाहिये कि उस तरफ ध्यान दें और मजदूरों के लिये मकान बनावें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसमें इसका जो उद्देश्य है उसका तो समर्थन करता हूं, लेकिन जो बिल है वह बहुत त्रुटिपूर्ण है, उस के लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको ध्यान में रख कर ठीक करने की कोशिश करें, जिससे इससे ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का फायदा हो सके।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा इस भवन का और सरकार का ध्यान मजदूरों के रहने की व्यवस्था की तरफ गया है, जो कि हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त सहायता द्वारा करने का प्रयास किया है। हमारे प्रदेश में इन मजदूरों के रहने के मकानों की समस्या की सब से पहली झांकी भारत के प्रधान मन्त्री ने जब वह आज से कुछ वर्ष पहले कानपुर में आये थे तो उन्होंने वहां के स्लम्स को देखकर कहा था कि यह गन्दी बस्तियां तो जला देने के काबिल हैं और तभी से यह बड़ा सवाल हमारी सरकार के सामने आया, भारत की सरकार के सामने आया और यह नयी योजना, गृह निर्माण की योजना हमारे प्रदेश में बनी, चली और भारत सरकार ने उसमें सहायता दी। उसी सहायता के धन द्वारा हमारे प्रदेश ने पिछले तीन वर्षों में बड़ी तेजी के साथ इस कार्य को शुरू किया और प्लानिंग कमिश्नर की ओर से जो भी कागज छपे हैं और भारत सरकार की ओर से जो इस सम्बन्ध में परची निकली है, उनसे यह विदित होता है कि हमारे प्रदेश ने जिस तेजी से इस काम को किया है जब से उसे भारत सरकार से इस सम्बन्ध में धन प्राप्त हुआ है, वह और दूसरे प्रदेश के मुकाबिले में सब से अधिक है। मकान तो बन रहे हैं और बनेंगे भी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन उन मकानों के इन्तजाम के सम्बन्ध में, उन मकानों से किराया वसूली के सम्बन्ध में इस विधेयक द्वारा जो बातें हमारे सामने आयी हैं उनके सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि हम माननीय मंत्री जी से दो चार शब्द कहें। हमारे दोस्त एक बात अभी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें परामर्शदात्री समिति में मजदूरों, मालिकों के एक-एक नुमाइन्दे सिर्फ होंगे और उन्होंने सोचा कि दो बड़े-बड़े जो यहां संगठन हैं मजदूरों के – राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा, इसमें से एक ही तो इसमें रहेगा, दूसरा नहीं रह सकेगा। मैं उनकी इस विचारधारा के विपरीत नहीं हूं कि सभी बड़े मजदूर संगठनों से मजदूर सम्बन्धी बातों में अवश्य राय ली जाय। लेकिन मैं तो एक राय अपनी माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि जब परामर्शदात्री समिति में मजदूरों के नुमाइन्दों को रखने की बात करें तो जितनी जगहों पर यह कालोनीज़ बन रही हैं, उनमें जो मजदूर रहते हैं, उन मजदूरों के प्रतिनिधियों को वह उनकी अपनी अपनी कालोनीज़ से नामिनेट कराके मांगे और उस पेनेल में से एक को रखें ताकि जो लोग उन बस्तियों में, उन कालोनीज़ में रहते हैं और जो कि उनकी समस्याओं को कहीं अच्छी तरह जानते हैं उन्हीं के बीच रहने की वजह से, उनके द्वारा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

उनका प्रतिनिधित्व हो सके। बजाय इसके कि हम नेता लोगों के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व हो जो कि उन मकानों की समस्याओं से उतने विज्ञ नहीं रहते हैं, जितने कि वह लोग जो कि उन्हीं कालोनीज में स्वयं रहते हैं। तो स्वयं उन मजदूरों के उन प्रतिनिधियों द्वारा जो उन कालोनीज में स्वयं रहते हैं सरकार के सामने बात आवे तो ज्यादा अच्छा होगा। उस में न हिन्द मजदूर सभा का सवाल होना चाहिये, न राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का और न आई० एन० टी० यू० सी० का। इसमें मैं बिलकुल अपने मित्र के साथ सहमत हूं कि उनका एक-एक प्रतिनिधि हो। लेकिन मैं निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस परामर्शदात्री समिति में, जो उन मकानों में रहते हैं उन्हीं में से किसी उनके प्रतिनिधि को परामर्श देने के लिये भेजें, तो ज्यादा मुनासिब होगा। हां, मालिकों का एक नुमाइन्दा जरूर रहे, क्योंकि मालिकों की एजेंसी से आप को किराया वसूल करवाना है। आप अपने इस विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मजदूरों की जो उस फार्म में दस्तखत बना देवें, उनकी तनख्वाहों में से मालिक पैसा काट कर आप को दे सकता है। तो चूंकि वह भी एक सिलसिले से आता है, एक काम में आता है तो एक नुमाइन्दा तो मालिकों का और बाक़ी उसमें जितने नुमाइंदे हैं वह उस आवास के सम्बन्ध में जो गैरसरकारी नुमाइन्दे जितने भी हों, वह लोग होने चाहिये जोकि उस पेनेल में से छांटे जायं, जो सरकार के पास आवे उन लोगों के जरिये, जो कि उन मकानों में रहते हैं। एक तरह के वे टेनेन्ट्स हैं सरकार के। उनकी एसोसिएशंस, जो अपनी उस बस्ती के डेवलप-मेंट के लिये, बेहतरी के लिये जो वह संगठन कायम करें उस से या उन लोगों से जो उस बस्ती में रहते हैं, जो नुमाइन्दे आवें २०–२५, शहरों में जहां मकान बनने वाले हैं उसमें से ४–५–६ नाम छांट लीजिये और उन्हीं लोगों को उस परामर्शदात्री समिति में बैठावें, ताकि वह आप को अपनी दुःख-सुख की कहानी सही-सही बता सकें और वह परामर्श दिया करें जिससे उनके दुःख दूर हो सकें।

मेरे पूर्व वक्ता मित्र ने सरकार का ध्यान एक बात पर अवश्य दिलाया और मैं उसमें उनसे बिलकुल सहमत हूं। उन्होंने सरकार का ध्यान उन मजदूरों की ओर दिलाया जो कभी-कभी अपने मालिकों के निकाले जाने के कारण बेकार हो जाते हैं। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो सरकार की अनुमति से छांटे जाते हैं। तो जब उनको अनुमति सरकार की या सरकार के किसी ऐडजुडिकेटर, या बोर्ड या उन अधिकारियों द्वारा मिल जाती है जो सरकार द्वारा इस काम के लिये नियुक्त हैं तब तो आप उनको उन मकानों में न रहने दें, लेकिन जब तक उनका मामला संबंधित अदालत में आ गया है या आ सकता है या आनेवाला है, उस को भी आपने स्वयं निश्चित किया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के धाराओं के तहत में, तब तक उनको वहां से न हटाया जाय। क्योंकि एक तो वह बेकार है और उस के साथ-साथ अगर वह बेघर भी हो गया तो यह जरा ज्यादती हो जायगी और वह अपने मामले में ठीक तरह से नहीं लड़ पावेंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है जिसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि इन मकानों में कौन रह सकते हैं? वह मजदूर डिफाइंड हैं जो कि फैक्ट्री ऐक्ट की धाराओं के अनुकूल उस की परिभाषा में, जो दे रखा है, उसमें आते हैं। कुछ इसमें दुश्वारी भी है, क्योंकि भारतीय सरकार ने अपना रुपया देने के साथ-साथ जो शर्तें लगायी हैं उनमें से जहां तक मेरी जानकारी है, एक शर्त यह भी है कि यह क्वार्टर्स सिर्फ उन्हीं मजदूरों को दिये जायं जो कि फ़ैक्टरी ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत मजदूर कहलाने के हकदार हों। लेकिन इससे एक बड़ी विषम समस्या उपस्थित हो रही है, जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप उस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई ऐसी राय निकाल सकेंगे, जिससे वह दुःख दूर हो जाय। उदाहरण ले लीजिये, बिजली घरों का। कानपुर एलेक्ट्रिसिटी में रिवरसाईड हाउस पर वह ऐक्ट लगता है, केसा पावर हाउस पर नहीं लगता है, वहां शाप्स ऐण्ड कार्माशियल इस्टेब्लिसमेन्ट ऐक्ट लगता है।

उसी तरह से एलेक्ट्रिसिटी हाउस में आप का शाप एंड कामर्शियल ऐक्ट लगता है, फैक्ट्री ऐक्ट नहीं लगता। एक ही इस्टेब्लिशमेंट में रहने वाले भिन्न-भिन्न किस्म के काम करने वालों पर भिन्न-भिन्न किस्म के कानून लगाये और कुछ तो इस्टैब्लिशमेंट के लोग उसमें आजायं और कुछ न आवें, यह बड़ी विवादग्रस्त बात होगी। निस्संदेह मजदूरों को उसमें असंतोष होगा और सरकार का मकसद भी उस सम्बन्ध में ज्यादा पूरा न होगा। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं सरकार ने तो सिर्फ यह चाहा है कि मजदूरों और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मुनासिब ढंग से मकान मिल जांय। फैक्ट्री ऐक्ट के अंतर्गत जो मजदूर आते हैं सिर्फ उनको मिलें, यह उसकी सीमा को बहुत कम कर देता है और मुझे आशा है कि इस सीमा को बढ़ाने का प्रयास हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी।

मैं जानता हूं और इस विधेयक के सम्बंध में पहले ही कह चुका हूं कि यह आवश्यक था। यदि हमें मकानों का नियंत्रण करना है, मकानों को बांटना है तो उसकी व्यवस्था करनी थी, लेकिन यह कहूंगा कि जहां कहीं भी मकान बने हैं और जैसे वह आज हैं और चल रहे हैं तो निस्संदेह यह सरकार का बहुत बड़ा ट्रस्ट है कि जहां एक तरफ सरकार अपनी तरफ से कहती है कि तुम इन मकानों में इस तरह से रहोगे तो वह भी मकानों को ऐसे ढंग से रखेगी कि उनकी दीवारों और छतों से पानी नीचे न आवे। आप ऐशबाग में चले जांय। मैं माननीय मंत्री जी से निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐशबाग चले जाइये, वहां आपकी हाउसिंग कालोनी बनी हुई है। अभी दो बरसात भी तो नहीं हुए। आपका कसूर नहीं है, बहुत पहले शायद वे बन गए थे, हमारे लेबर डिपार्टमेंट का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसने बनवाया नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी बनाया, यह मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उसकी छतों में इस कदर पानी और सीलन है कि गंध के मारे बड़ी परेशानी है। उन मकानों का रख-रखाव बहुत तेजी से करना होगा। दीवार को अगर आप अंगूठा लगा दीजिए तो मालूम होता है कि सिमेंट और बालू का रिश्ता १:१२ और १:२५ का है, १:४ और १:६ का तो कहीं नाम नहीं है। कहीं उंगली लगा दीजिये तो ऐसी भरभरा कर बालू गिरती है कि मालूम होता है कि सिमेंट का कहीं नाम ही नहीं है।

(इस समय ४ बजे श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

डंडा लेकर उसमें घुसने की बात नहीं है जिसकी जगन्नाथ जी को बहुत परेशानी है। क्या करेंगे डंडा लेकर। हां, आप अपनी तरफ से बंदिश लगाइये, हम मंजूर करते हैं, लेकिन यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि उन्हें स्लम्स से निकाल कर बेहतर जगह पर रखिये। ऐसा आप कर भी रहे हैं, लेकिन आप जो मकान बनवायें वे जरा ठीक बन हों और इस काबिल हों कि उनमें रहने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। मैं ऐशबाग का ही दूसरा उदाहरण देता हूं। वहां उस कालोनी के बिलकुल ठीक सामने स्लाटर हाउस है। वहां गर्मी में आप चले जाइये। मैंने लिखा-पढ़ी भी जून, १९५४ में इस सम्बन्ध में सरकार से की, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि यह तो म्युनिसिपैलिटी का काम है। वहां इस कदर मक्खियां पैदा होती हैं कि अगर आप वहां किसी मजदूर के घर में मई और जून के महीने में आध घंटे बैठ जायं और अब चूंकि अली जहीर साहब ने इस विभाग को ले लिया है, शायद उनको वहां जाना आना पड़े और उनकी कांस्टीटुएंसी भी उधर ही पड़ती है उस सम्बन्ध में जाना आना तो रहता ही होगा, तो मैं वहां किसी से कहने वाला हूं कि एक दिन वह उनको दावत दें, २० मिनट किसी के कमरे में बैठने की। मक्खियां तो इतनी हैं कि उनकी एक चादर सी बिछ जाती है। यह मकान की गंदगी की वजह से नहीं है बल्कि स्लाटर हाउस की तरफ से इतनी मक्खियों का दल आता है जिसकी वजह से यह होता है। तो यह स्लाटर हाउस हटना चाहिये। और अब चूंकि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट भी आपके अन्तर्गत है और हाउसिंग भी आपके अन्दर आ गया है, इसलिये अब कोई ऐसी दिक्कत की बात भी नहीं रहेगी। आप जितना नियंत्रण करना चाहें वह तो ठीक है, लेकिन जो मैंने मुख्य

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

बात कही कि आप ऐसी स्थिति न पैदा करें कि गन्दे मकानों में मजदूरों को रहना पड़े। उनके स्वास्थ्य की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी एक तरह से जब आपके ऊपर आगई है तो आपको इस ओर पूरा ध्यान देना होगा।

मैं मंत्री जी को और इस सरकार को जहां इस बात का मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा काम उन्होंने अपने कन्धों पर उठाया है वहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं। चीनी मिलों के मोलैसेज के सम्बन्ध में जो पैसा इकट्ठा हुआ था उससे सरकार के सामने चीनी मिल के मजदूरों के लिये घर बनवाने की एक योजना है। मैं चाहता था कि इसी बिल के साथ-साथ उसके लिये भी कुछ हो जाय, तो बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर किसी तरह से एक ही में न हो तब भी एक ही विभाग के अन्तर्गत दोनों काम कर दिये जायं ताकि अलग-अलग मालिक न हों। चूंकि चीनी मिल मजदूरों के लिये मकान बनवाना उतना ही आवश्यक है जितना बिजली घर और कपड़ा मिल के मजदूरों के लिये। तो अगर तरह-तरह के लोग इस सम्बन्ध में मालिक हों तो उनकी कुछ राय हो और उनकी कुछ, तो यह ठीक नहीं होगा। इस बिल में मैंने इस बात को भी नहीं देखा। यह शायद इसलिये नहीं हुआ है कि सरकार उस काम को कर नहीं सकती थी, क्योंकि यह भी शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया का आदेश था कि इसके लिये एक अलग ऐक्ट बने। बहरहाल, अगर ऐसा न हो तो इसको उसमें मिलाना जरूर चाहिये।

मैं एक बात मंत्री जी से जरूर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के मकानों को देख कर हमारे प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इनको जला दो, उन लोगों को उन मकानों में आने की गुंजायश नहीं है, जिनके लिये आप बना रहे हैं क्योंकि साफ बात किराये की है। किराये के लिये यह है कि हमारे यहां जो मिनिमम वेजेज होती हैं तो उसके लिये ऐडजुडीकेटर बैठता है तो वह २६ रुपये महीने ज्यादा नहीं रखता है, इसमें किराया रखता है मकान का, जिसके बेसिस पर वह २६ रुपये मिनिमम वेजेज बनाता है, उसमें सवा रुपये से ज्यादा नहीं आता है और जब तक कि उसके साथ महंगाई का भत्ता भी मिला हो। वह किसी भी हालत में मकानों की वजह से आप देखें साढ़े तीन रुपये या पौने चार रुपये से ज्यादा नहीं आता है। ऐसी हालत में आप मकान के लिये निम्बकर कमेटी की सिफारिश के मुताबिक अपने विभाग के हुक्मनामें के मुताबिक जो इंटर नेशनल आर्गेनाइजेशन के आधार पर है, उसके अनुसार जो रखा है तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा जाय कि यह जो आपने बतलाया है कि इतना रुपया जरूरी है, मजदूरों से तो यह कंट्राडिक्टरी आफ टर्म्स है। इसलिये या तो आप उनकी तनख्वाह में रुपया बढ़ा दें, जितना रुपया आप किराया का उनसे लेंगे वरना जो सरकारी कर्मचारियों के लिये कानून लागू है उस हिसाब से ले लीजिये। वह शायद तनख्वाह का दस प्रतिशत लगता है। मुझ से भी यानी मजदूरों से भी वही ले लीजिये, तो इस प्रकार से २६ रुपये पर दस प्रतिशत कितना हुआ। दो रुपया आठ आना हुआ, आप मुझसे साढ़े सात रुपये ज्यादा लेते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मजदूरों के वहन करने की शक्ति के बाहर है, जिनकी भलाई के लिये आप यह मकान बना रहे हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका नतीजा यह होता है वाइड कौलर वर्कर २५०-३०० से कम पाने वाला कोई भी आदमी वहां नहीं जा रहा है। वह इससे पहले भी नहीं रहता था और इसके बाद भी नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ एक कोठरी मिलती है, इसलिये वह वहां क्यों जाय। हां, इतना जरूर है कि फ्लश की सुविधा है, दूसरे खुली आबोहवा है, तीसरे वहां लेबर वैलफेयर सेंटर्स होंगे। मुझे अभी ठीक मालूम नहीं है कि वहां हैं या नहीं, लेकिन सब जगह यह सेंटर्स खुलने चाहिये और जरूर खुलेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन

इन घिरे हुये तबके के लोगों की भलाई का जो तजकिरा चला और उनके नाम से यह काम चला और उनके नाम से ही ये मकान बने हैं, तो उनको इससे कोई लाभ नहीं हुआ।

अब किराये के लिये अगर हम माननीय अली जहीर साहब से कहेंगे तो वह यही कहेंगे कि क्या करें यह रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है और उसका इतना सूद हमें देना पड़ता है। आप सारा हिसाब जोड़ लें। इससे कम हो ही नहीं सकता है, वही नतीजा निकलेगा तो फिर यह होना चाहिये कि आप इस मिल के अन्तर्गत सब्सीडाइज करायें, उसके इम्पलौयर्स से या कोई दूसरा कानून बनायें और किसी तरह से ऐसा करें कि वह सब्सीडाइज हो जाय या ऐसा करें कि उनकी तनख्वाह तो आप के हाथ में है। बैठ जाइये और गवर्नमेंट के आदमी तय कर दें और उनका वेतन-क्रम ऊंचा कर दें। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अगर हमें दिक्कत है तो फिर इन बेचारे गरीब मजदूरों को कोई फायदा नहीं हो सकता है। हां, यह जरूरी है कि कुछ मजदूरों को इससे लाभ हो गया है और जिनको इससे लाभ हुआ है और जो लोग उन मकानों में रह रहे हैं वह भी मजदूर ही हैं। लेकिन जिस तबके के लिये, जिन मजदूरों की बेहबूदी के लिये स्वप्न इन मकानों के निर्माण के साथ-साथ देखे थे, वे पूरे होने वाले नहीं हैं।

अब मैं अन्त में सरकार के उन सब लोगों को, जिन्होंने इस योजना को कार्यरूप में परिणत करने में ध्यान दिया, इस योजना को बनाया और चलाया, मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिये भारत सरकार से लड़ा जाय और चोटी तक लड़ा जाय और हमारा सरकार से लड़ने से मेरा ख्याल है कि अपने देश के सारे प्रान्तों का भला होगा, क्योंकि उन सबकी इच्छा और धारणा हमेशा इसके अनुकूल रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सब लोग हमारे साथ होंगे। अन्त में मेरा कहना यह है कि मजदूरों पर आप उतना ही वजन डालिये जितना कि वह सह सकें। इन शब्दों के साथ में पुरजोर सिफारिश करता हूं कि इसकी परामर्शदात्री समिति में वही लोग रखे जायं जो स्वयं या तो मजदूर हैं या स्वयं टेनेण्ट हैं। मुझे उस में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं आई० एन० टी० यू० सी० का आदमी हूं, आप मुझको उसमें न रखें। आप दूसरे आदमियों को उसमें रखें। हमारे लोग परामर्शदात्री समिति में जा कर क्या करेंगे। वह भी लोग उसमें आवें जो एक्चुअली टेनेण्ट हों। एक तरफ तो आप नामिनी रख रहे हैं जो कि टेनेण्ट एसोसियेशन का हो, तो मैं समझता हूं कि टेनेण्ट इन जनरल भी उसमें होना चाहिये। जो भी आप रखें आप उन टेनेन्ट्स के आदमियों को ही रखें। नानआफिशियल सभी वह लोग हों। जितने भी आदमी आप रख सकें २, ३, ४, ६ उनके ही आदमी रखें और इन ७ के बजाय ११ आदमी उसमें कर सकें तो बहुत अच्छा है, ताकि हरएक मजदूरवर्ग का आदमी उसमें आ सके। मालिकों का एक ही आदमी उसमें रहे। उनको रुपया किस तरह से वसूल हो, इसका परामर्श नहीं देना है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को इस बिल को इस सदन में लाने के लिये मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जो मजदूरों को अब तकलीफ हो रही है वह दूर हो सकेगी, यदि इस बिल के अन्दर उन सब बातों का समावेश किया जा सके जिसके सम्बन्ध में २, ४ बातें मैंने कही हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश औद्योगिक-गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसके उद्देश्य हैं भारत सरकार की राज्य सहायता प्राप्त इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अधीन राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिये निर्मित गृहों के प्रशासन, नियंत्रण, प्रदेशना, मरम्मत, किराया वसूली और अन्य सम्बद्ध मामलों के लिये प्रबन्ध करना। इस विधेयक द्वारा इन्हीं विषयों की व्यवस्था की गयी है।

हमारी सरकार का ध्यान मजदूरों के लिये गृह बनाने की ओर गया, यह बड़ी खुशी की बात है। जो कुछ त्रुटियां उस स्कीम के अन्दर हैं या जिनकी वजह से उसका पूरा लाभ

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

श्रमिकों को नहीं पहुंचता या श्रमिक नहीं उठा सकते उसकी चर्चा अभी बहुगुणा जी ने की थी और उसके ऊपर काफी प्रकाश डाला है। मैं एक दूसरी बात की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बिल केवल इसलिये लाया गया है कि जो मकान बन रहे हैं या बन चुके हैं उनके अलाटमेंट, उनके मैनेजमेंट की व्यवस्था कैसे हो। मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह कुछ एक तरफा सा बिल है। सरकार समझती है कि वह अपना कार्य मकान बनाकर सम्पादन कर चुकी और अब जितना भी उत्तरदायित्व है, जितनी भी जिम्मेदारी है वह मजदूरों के ऊपर है। परामर्शदात्री समिति के अधिकारों के बारे इसमें में कुछ भी नहीं है। इसमें ज्यादातर इस बात का प्रबन्ध हैं कि किस तरह से अलाटमेंट होगा। जो अलाटमेंट की शर्त है उसकी अगर कोई खिलाफ वरजी करेगा तो उसको क्या सजा मिल सकती है। मैंने जब इस बिल को पढ़ा तो मुझे वाकई बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से प्रबन्ध को करने के लिये, कुछ हजार मकानों के मैनेजमेंट के लिये हमको इतने अधिकार आपने हाथ में लेने की आवश्यकता पड़ी। केवल यही नहीं, इसमें कुछ विषयों में तो हमने कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को भी आउस्ट कर दिया। जो बातें सिविल कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो सकती हैं, वह एक अधिकारी की आज्ञा से इसके द्वारा तय किया जायगा। इसमें हमने पहला अधिकार यह लिया है कि जो अनधिकृत अध्यासन या अध्यासन की शर्तों का उल्लंघन करता है उसे बलपूर्वक मकान से निकाला जा सकता है। यह सेक्शन २१ में दिया हुआ है। मालगुजारी की तरह उससे किराया वसूल किया जा सकता है? उसे यह भी हुक्म दिया जा सकता है कि वह धारा २३ के अन्तर्गत हर्जाना दे। यहीं तक नहीं इन शर्तों का उल्लंघन करने पर ६ मास का कारावास और हजार रुपये जुर्माने तक की सजा उसको हो सकेगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब पावर्स लेने की क्या जरूरत है। साधारणतः हम देखते हैं कि प्राइवेट मकान बनाने वाले भी तो अपना काम चलाते हैं। वहां किरायेदारों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये गए हैं। अगर कोई प्राइवेट मकान मालिक अपने घर में से किसी को निकालना चाहे तो पहले उसे कलेक्टर की आज्ञा लेनी होगी। फिर उसकी अपील कमिश्नर और गवर्नमेंट को हो सकती है और तब कहीं उसे सिविल कोर्ट्स में भी जाना होगा। इस प्रकार से ३-४ वर्ष तक वह भटकता फिरेगा। यहां इसके विपरीत हर एक अधिकार लैन्डलार्ड यानी गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। वह अध्यासी को निकाल सकती है, जुरमाना कर सकती है, हर्जाना ले सकती है और अन्त में उसका प्रासीक्यूशन भी करा सकती है। मुझे इसका कोई औचित्य नहीं मालूम पड़ता है। मैं समझता हूं कि २,४ हजार मकान तो मजदूरों के कानपुर में प्राइवेट सैक्टर के भी बने हैं, उन मिलमालिकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट को, जिसके पास पुलिस और रुपया और सब प्रकार के साधन मौजूद हैं। उसे ये सब पावर्स की क्या आवश्यकता पड़ी? ऐसे अधिकार अभी तक किसी के भी पास नहीं हैं। हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और करते चले जावेंगे, अगर उनमें इस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता गया तो हमारा विधान और डिमोक्रेसी एक कागज की चीज रह जायगी। मैं पूरे जोर के साथ मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में एक ही चीज है कि शायद स्ट्राइक हो जाय तो उस समय उन्हें ज्यादा से ज्यादा पावर्स की जरूरत होगी। लेकिन उसके लिये फोर्सीब्लि इजैक्टमेंट की पावर उनके पास काफी है और जैसे वे मिलों से लोगों को हटा सकते हैं उसी तरह से ३० दिन के बाद मकानों में भी कर सकते हैं। मुझे बड़ा अचम्भा है कि ऐसे बिल में कारावास का दंड तक रखा जाय और भी ऐसी कई बातें हैं जिनके लिये आगे संशोधन आवेंगे कि इस प्रकार की सजायें किसी को नहीं दी जावें। एक तरफ गरीब मजदूर और दूसरी तरफ शक्ति से सम्पन्न सरकार दोनों में बड़ा अन्तर है। सरकार साधारण तरीकों से भी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है। फिर ये अधिकार, जो हमारे विधान के खिलाफ हैं, क्यों ले रही है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखकर, इसमें शक नहीं कि सब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। इसमें जो

जिक्र है गृह निर्माण की प्रगति का, वह कैसे हो, यह मजदूरों के लिये लाभकारी और हितकर कैसे हो, इन बातों पर व्यवस्था करने के लिये यह विधेयक है। यदि हम भारतीय सरकार द्वारा जो हाउसिंग स्कीम चलाई जा रही है उस पर विचार करें और उसके आंकड़ों को देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूरों के हित के साथ किस प्रकार से खेल कर रही है। तीन दौर में भारतीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को इस हाउसिंग स्कीम के अन्दर सहायता प्रदान की है। पहली बार २७७६ क्वार्टर्स बनाने के लिये ७५ लाख रुपया नियत किया गया, जिसमें २२१६ क्वार्टर्स कानपुर में बने और ७ लाख रुपया खर्च हुआ और ५०७ क्वार्टर्स लखनऊ में बने, जिनमें १५ लाख रुपया लगा। फिर दूसरे दौर में ३७५० क्वार्टर्स कानपुर में हों और १ लाख से ऊपर रुपया स्वीकार किया गया मगर राज्य सरकार ने कानपुर में मजदूरों के लिये मकान की समुचित व्यवस्था करने में सारा का सारा रुपया खर्च करना उचित नहीं समझा। उसमें से राज्य सरकार ने २५ लाख ६५ हजार रुपया विभिन्न म्युनिसिपल बोर्डों को मेहतरों के क्वार्टर बनाने के लिये दिया। शेष रुपया जो ७५ लाख था उससे कानपुर में २८०० क्वार्टर्स का निर्माण-कार्य आरम्भ हुआ जिस में से जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार की ओर से इसका अब तक कोई समुचित उत्तर मिलना चाहिये था कि जब यह बिल सदन में रखा गया है कि वह २८०० क्वार्टर्स अभी बने हैं या नहीं। मैं सदन को अपनी जानकारी के आधार पर बता दूं कि इन २८०० क्वार्टर्स का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है केवल १३०० बन चुके थे, और बाकी १५०० जिन के बारे में कहा जाता था कि वह फरवरी ५५ तक बन कर तैयार हो जायेंगे उन का क्या हुआ। हम यह जानने का पूरा हक रखते हैं कि सरकार अपनी तरफ से सदन में बताये कि जिन १५०० क्वार्टर्स के जनवरी, फरवरी या मार्च तक बन जाने की बात थी वह अभी बने या नहीं। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार की गतिविधि पर आपत्ति प्रकट की और उन्होंने कहा कि यह जो करीब २५॥ लाख रुपया विभिन्न म्युनिसिपैलिटियों को सरकार ने दिया है बिना हमारी पूर्व अनुमति के, यह अनुचित है और उसको न देना चाहिये था। तो श्रीमन्, आप देखें कि अब जो रुपया विभिन्न म्युनिसिपैलिटियों को देने की बात सरकार की ओर से हुई वह रुपया भी मजदूरों के क्वार्टर्स में प्रादेशिक सरकार को लगाना पड़ा और बाध्य होना पड़ा और उस से ९५० और क्वार्टर्स बनाने की स्कीम है, वह भी अब तक बने या नहीं, सरकार की ओर से कोई भी उत्तर या कोई भी आंकड़े सदन के सम्मुख नहीं रखे गये। तो अब माननीय सदन और आप पर व्यक्त हो चुका होगा कि जब ९५० क्वार्टर्स २५॥ लाख रुपये से फिर से बनाने की बात आयी तो जिस तरह से इस सरकार की प्रगति होती है, इस में शक नहीं कि वह बदलनी चाहिये, लेकिन शायद अभी वह क्वार्टर्स बन नहीं पाये हैं क्योंकि मेरी जहां तक जानकारी है ऐसी बात कही जाती रही है कि मार्च या अप्रैल तक वे क्वार्टर्स बन जायेंगे। यह दूसरे दौर की बात हुई।

तीसरे दौर में केंद्रीय सरकार से प्रादेशिक सरकार ने और सहायता प्राप्त की। १ करोड़ ९९ लाख ८० हजार रुपये की लागत पर ७४०० क्वार्टर्स बनाने की वह स्कीम थी। इस रुपये में भी आधा रुपया ऋण के रूप में था और आधा सहायता के रूप में। इसके लिये जिस तरह से विभाजन किया गया था वह कानपुर में ३४००, आगरा में १२९६, फिरोजाबाद १,०००, सहारनपुर में ६०४, इलाहाबाद में ५०४, बनारस में ५०० और मिर्जापुर में ९६ क्वार्टर्स बनाने की बात थी। इस तरह से ७४०० क्वार्टर्स बनाने की योजना औद्योगिक मजदूरों के लिये थी और उन तमाम क्वार्टर्स के लिये केंद्रीय सरकार से १ करोड़ ९९ लाख ८० हजार रुपया स्वीकृत हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन में से कितने क्वार्टर्स कहां बने? बनारस में, इलाहाबाद में, कानपुर में, फिरोजाबाद में, सहारनपुर में और मिर्जापुर में कितने क्वार्टर्स कहां-कहां बने? आज तक यह सरकार उस रुपये को क्यों व्यय न कर सकी? क्या यह सरकार समझती है कि मजदूरों की दशा सुधर गई है और मजदूरों के निवास स्थान का समुचित बन्दोबस्त हो चुका है और वह अब ठीक तरह से संतुष्ट हो कर अपने काम पर जा सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है इतने दिनों तक सुषुप्तावस्था में बैठने वाली यह सरकार इस बिल के द्वारा कौन सी और पावर्स

[श्री राजनारायण]

लेना चाहती है। उस पर मैं एक-एक धारा को आपके द्वारा इस सदन के सामने प्रस्तुत करते हुये एक विशद व्याख्या करूंगा। श्रीमन्, अभी चौथा दौर बाकी है। इसमें भी प्रांतीय सरकार ने केंद्रीय सरकार से ७४ सौ क्वार्टर्स के लिये २ करोड़ रुपये की मांग की है। पहले के रुपये की खपत हुई या नहीं, जो केंद्रीय सरकार ने पहले प्रांतीय सरकार को दिया था उसको ठीक तरह से खर्च किया या नहीं? जैसा आप श्रीमन्, देखें गे कि साढ़े पचीस लाख रुपया केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हुआ, इस सरकार ने उसे विभिन्न म्युनिसिपैलिटियों को देने की व्यवस्था की थी। हमारी सरकार के पास अपार धन है। इस प्रांतीय सरकार का ९१ करोड़ का बजट है।

श्रीमन्, आप जानते हैं जब अपने प्रदेश में साम्राज्यशाही हुकूमत का पंजा गरीबों के कमर में गड़ा हुआ था उस समय ३० करोड़ से अधिक रुपया कभी इस प्रदेश की सरकार को अपने प्रशासन को चलाने के लिये नहीं मिला, लेकिन आज ९१ करोड़ रुपये उसको इस प्रदेश के शासन पर खर्च करने के लिये मिल रहे हैं, मिल क्यों रहे हैं? यह सरकार ले रही है। आप सन् १९३६ के बजट को देखें तो केवल १२ करोड़ का बजट है, लेकिन जब माननीय गोविन्दबल्लभ पंत की दूसरी बार हुकूमत सन् १९४६ में आयी थी उस समय ३० करोड़ का बजट था। इधर तीन सालों में मई सन् १९५२ से जब से यह प्रादेशिक सरकार काम कर रही है तब से गरीबों पर कर का बोझ बढ़ता जा रहा है और बजट भागता चला जा रहा है। पहले ६५ करोड़, फिर ७८ करोड़ और ८१ करोड़ और फिर चौथे में ९१ करोड़ का बजट पेश हुआ और उसमें से मेहतरों के क्वार्टर्स के लिये रुपया नहीं निकाला जा सका। क्यों? यह बहुत आसानी से हो सकता था, यदि इस सरकार का ध्यान उस ओर गया होता। परन्तु यह सरकार शीर्षासन कर रही है, सिर के बल चल रही है और सिर के बल चलने से जनहित और जनोत्थान का काम चला लेना असम्भव है। श्रीमन्, यह जो दो करोड़ रुपये की मांग की गई है इसके लिये एक बड़ा ब्योरा सरकार की ओर से दिया गया है। कानपुर में ६ हजार क्वार्टर्स बनाये जायेंगे, लखनऊ में ५०७, बरेली में १०८, बदायूं में ९६, मुरादाबाद में २१६, अलीगढ़ में १०८, बनारस में २०४ और रामपुर में १०८ क्वार्टर्स बनाये जायेंगे। यह स्कीम आगे की है, मगर जैसा कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा है कि यह बात निर्विवाद है कि इस सरकार ने मजदूरों के हित के साथ खेल किया है और कर रही है। यह जनता की सरकार है और सरकारी खजाना राष्ट्रीय धन है, किसी एक व्यक्ति का धन नहीं है। तो जो मकान कोई व्यक्ति निजी ढंग से बनाता है उसके किरायेदारों के लिये जो व्यवस्था यह सरकार देना चाहती है वही सुविधायें सरकारी मकानों में उन मजदूरों के लिये आज देने को तैयार नहीं है, जिन मजदूरों की कमाई पर आज हम सब पले हुये हैं! श्रीमन्, आज आप देखेंगे कि वह मकान जो निजी मालिकों के हैं उनके किराये को किस तरह से कंट्रोल किया गया है, उसके किराये को बढ़ाने नहीं दिया गया है और उनके किरायेदारों को निकालने में कितनी कठिनाइयां मकान मालिकों को हैं, मगर जो कि जनता के मकान हैं जो जनता के पैसे से बनाये जा रहे हैं, जो जनता के लाभ के लिये हैं उन पर पग-पग पर प्रतिबन्ध है, पग-पग पर दिक्कत और कठिनाई है। उनका किराया नियत करने का क्या आधार होगा, बेदखल करने का आधार क्या होगा? इन तमाम बातों को ऐसा केंद्रित किया गया है सरकारी हाथों में कि सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से मजदूरों के हकों पर कुठाराघात करे, जिस तरह से चाहे मजदूरों को बाध्य करे और बाध्य करके जिस तरह से चाहे मिलमालिकों की इच्छा शक्ति पर घुटने टेकने के लिये मजबूर करे। जो विधेयक सरकार प्रस्तुत कर रही है, उसके उद्देश्य और कारण अच्छे हैं, शुभ हैं और होने चाहिये। लेकिन उनकी प्राप्ति के लिये जिस तरह से सरकार विधेयक सदन में प्रस्तुत कर रही है वह बिलकुल नाकाफी है, अनुचित ढंग का है और ठीक मात्रा में, समुचित मात्रा में मजदूरों के लिये इसका लाभप्रद होना असंभव है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब, जिनकी मैं बड़ी कद्र करता हूं और जिनका बड़ा सरल स्वभाव है, वही केवल इस वक्त यहां बैठे हुये हैं और जो मंत्रीगण हैं उनमें से कोई सदन में प्रस्तुत नहीं हैं। इतना बड़ा विधेयक और जिन तमाम उत्तर देने की जिम्मेदारी है वे यहां से गायब हैं।

अधिष्ठाता--उप-मंत्री बैठे हुये हैं।

श्री राजनारायण--हां, उपमंत्री जी बैठे हुये हैं, लेकिन उनको कैबिनेट में स्थान नहीं दिया जाता। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को कैबिनेट में इंक्लूड नहीं किया जाता। कैबिनेट की जो ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी है वह मंत्रियों पर आती है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे सामने डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हुये हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से उनकी बड़ी कद्र करता हूं। मैं समझता हूं कि वे समस्याओं के समाधान के लिये बड़ी दिलचस्पी और गहराई के साथ अध्ययन करते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुये होते हैं। काजल की कोठरी में कैसेहु सयानो जाय--उसके काजल की लीक लग ही जाती है। आज तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्यों पर वह लीक लग रही है चाहे वह कितने ही प्रतिभाशाली हों या विद्या विशारद हों। काजल की लीक तो उनके नहीं लगी हुई है बल्कि आज तो काली कूंची ले कर वे सारे शरीर को कालिमामय बना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो मजदूरों से काम लेते हैं और मजदूरों की दिक्कत को अच्छी तरह से जानते हैं। आज वही इस समय चेयरमैन के पद पर विराजमान हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय को इन बातों की जानकारी होगी। मजदूरों का जीवन निर्वाह कैसे होता है। सारे जीवन वे काम करते हैं और अपना शरीर ढकने को वे कपड़ा नहीं पाते और उनकी जिन्दगी कराहते-कराहते व्यतीत हो जाती है। अब देखा जाय कि इतना रुपया जो केंद्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है, इस रुपये से जो भवन निर्माण होंगे, जो क्वार्टर्स बनेंगे इंडस्ट्रियल मजदूरों को रखने के लिये उसमें मजदूरों के ऊपर क्या आफत आ रही है। एक-एक करके देखा जाय तो पहले तो एक परामर्शदात्री समिति सरकार निर्माण करने जा रही है। क्लाज ८ के मातहत जो कानून मजदूरों के हित के लिये बनाया जा रहा है उसमें परामर्शदात्री समिति में मजदूरों के हित की रक्षा के लिये कितने प्रतिशत आदमी रक्खे गये हैं। मजदूरों के हित की हिफाजत कौन करेगा। इस बात में लोग किसी कंफ्यूजन या बुद्धि विभ्रम में न रहें। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो कहा था कि मजदूरों की जो दो संस्थायें हैं उनके प्रतिनिधि भी रहें। ऐसा कहने से उनकी ऐसी कोई इच्छा न रही होगी कि मजदूरों की दो संस्थायें हैं उनके प्रतिनिधि मजदूरों के हित को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे या वे व्यक्ति विशेष को ले जाने के लिये लालायित होंगे। मैं उनकी जो इच्छा रही होगी और जो मैं समझ पा रहा हूं, माननीय बहुगुणा जी ने भी थोड़ा सा हिंट इस ओर किया था उसे बतला देना और उसका उत्तर देना आवश्यक समझता हूं। उनकी जहां तक इच्छा है कि मजदूरों के हित का समुचित रूप से ख्याल किया जाय। और मजदूर अगर अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने उन मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि को भेजना चाहें तो वहां पर भेज सकें। वह भी, जब कि सरकार की जितनी कमेटियां बनती हैं और सरकार उन कमेटियों में इन मजदूरों संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि को स्थान देती है तो वहां न देने का कोई मतलब नहीं मालूम होता। मगर जब यह कोई सुझाव दे कि वहां पर दिया जाना चाहिये तो इस सुझाव का यह अर्थ लगाया जाय हम जाने के लिये तैयार नहीं हैं, मजदूर के प्रतिनिधि रहें, कोई व्यक्ति विशेष जाने के लिये तैयार नहीं है। यहां पर एक सिद्धांत की बात कही गयी। उनका भी वह स्थान है वह भी जायं, और जो मजदूरों के मान्य संगठन हैं वे तमाम संगठन मजदूरों के हित के साथ खेल नहीं करते, बल्कि उनके हित के साधन हैं। अभी रैशनलाइजेशन कमेटी जो बनी हुई है उसमें भी मजदूर संगठन के प्रतिनिधि हैं। तो जो मकान बना हुआ है उसमें वह प्रतिनिधि क्यों न आयें। इसमें यह बात नहीं है कि अगर कोई सुझाव देता है तो वह इसलिये कि उसी मजदूर संगठन के द्वारा स्वतः जाना चाहता हो इसलिये सुझाव दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह का अर्थ अगर माननीय सदस्य किसी सुझाव से निकालेंगे तो उस अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। अब जितने विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो रहे हैं और जिसमें कुछ लेन-देन की बात होती है उस सब में एक वाक्य जरूर लाया जाता है, हर विभाग के द्वारा कि जो कुछ भी देय रकम होगी वह मालगुजारी की तरह वसूल की जायगी। मालगुजारी कैसे वसूल होगी उसमें किस तरह की ज्यादती हो रही है, किस तरह से सख्ती हो रही है और

[श्री राजनारायण]

लेना चाहती है। उस पर मैं एक-एक धारा को आपके द्वारा इस सदन के सामने प्रस्तुत करते हुये एक विशद व्याख्या करूंगा। श्रीमन्, अभी चौथा दौर बाकी है। इसमें भी प्रांतीय सरकार ने केंद्रीय सरकार से ७४ सौ क्वार्टर्स के लिये २ करोड़ रुपये की मांग की है। पहले के रुपये की खपत हुई या नहीं, जो केंद्रीय सरकार ने पहले प्रांतीय सरकार को दिया था उसको ठीक तरह से खर्च किया या नहीं? जैसा आप श्रीमन्, देखेंगे कि साढ़े पचीस लाख रुपया केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हुआ, इस सरकार ने उसे विभिन्न म्युनिसिपैलिटियों को देने की व्यवस्था की थी। हमारी सरकार के पास अपार धन है। इस प्रांतीय सरकार का ९१ करोड़ का बजट है।

श्रीमन्, आप जानते हैं जब अपने प्रदेश में साम्राज्यशाही हुकूमत का पंजा गरीबों के कमर में गड़ा हुआ था उस समय ३० करोड़ से अधिक रुपया कभी इस प्रदेश की सरकार को अपने प्रशासन को चलाने के लिये नहीं मिला, लेकिन आज ९१ करोड़ रुपये उसको इस प्रदेश के शासन पर खर्च करने के लिये मिल रहे हैं, मिल क्यों रहे हैं? यह सरकार ले रही है। आप सन् १९३६ के बजट को देखें तो केवल १२ करोड़ का बजट है, लेकिन जब माननीय गोविन्दबल्लभ पंत की दूसरी बार हुकूमत सन् १९४६ में आयी थी उस समय ३० करोड़ का बजट था। इधर तीन सालों में मई सन् १९५२ से जब से यह प्रादेशिक सरकार काम कर रही है तब से गरीबों पर कर का बोझ बढ़ता जा रहा है और बजट भागता चला जा रहा है। पहले ६५ करोड़, फिर ७८ करोड़ और ८१ करोड़ और फिर चौथे में ९१ करोड़ का बजट पेश हुआ और उसमें से मेहतरों के क्वार्टर्स के लिये रुपया नहीं निकाला जा सका। क्यों? यह बहुत आसानी से हो सकता था, यदि इस सरकार का ध्यान उस ओर गया होता। परन्तु यह सरकार शीर्षासन कर रही है, सिर के बल चल रही है और सिर के बल चलने से जनहित और जनोत्थान का काम चला लेना असम्भव है। श्रीमन्, यह जो दो करोड़ रुपये की मांग की गई है इसके लिये एक बड़ा ब्योरा सरकार की ओर से दिया गया है। कानपुर में ६ हजार क्वार्टर्स बनाये जायेंगे, लखनऊ में ५०७, बरेली में १०८, बदायूं में ९६, मुरादाबाद में २१६, अलीगढ़ में १०८, बनारस में २०४ और रामपुर में १०८ क्वार्टर्स बनाये जायेंगे। यह स्कीम आगे की है, मगर जैसा कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा है कि यह बात निर्विवाद है कि इस सरकार ने मजदूरों के हित के साथ खेल किया है और कर रही है। यह जनता की सरकार है और सरकारी खजाना राष्ट्रीय धन है, किसी एक व्यक्ति का धन नहीं है। तो जो मकान कोई व्यक्ति निजी ढंग से बनाता है उसके किरायेदारों के लिये जो व्यवस्था यह सरकार देना चाहती है वही सुविधायें सरकारी मकानों में उन मजदूरों के लिये आज देने को तैयार नहीं है, जिन मजदूरों की कमाई पर आज हम सब पले हुये हैं। श्रीमन्, आज आप देखेंगे कि वह मकान जो निजी मालिकों के हैं उनके किराये को किस तरह से कंट्रोल किया गया है, उसके किराये को बढ़ाने नहीं दिया गया है और उनके किरायेदारों को निकालने में कितनी कठिनाइयां मकान मालिकों को हैं, मगर जो कि जनता के मकान हैं जो जनता के पैसे से बनाये जा रहे हैं, जो जनता के लाभ के लिये हैं उन पर पग-पग पर प्रतिबन्ध है, पग-पग पर दिक्कत और कठिनाई है। उनका किराया नियत करने का क्या आधार होगा, बेदखल करने का आधार क्या होगा? इन तमाम बातों को ऐसा केंद्रित किया गया है सरकारी हाथों में कि सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से मजदूरों के हकों पर कुठाराघात करे, जिस तरह से चाहे मजदूरों को बाध्य करे और बाध्य करके जिस तरह से चाहे मिलमालिकों की इच्छा शक्ति पर घुटने टेकने के लिये मजबूर करे। जो विधेयक सरकार प्रस्तुत कर रही है, उसके उद्देश्य और कारण अच्छे हैं, शुभ हैं और होने चाहिये। लेकिन उनकी प्राप्ति के लिये जिस तरह से सरकार विधेयक सदन में प्रस्तुत कर रही है वह बिलकुल नाकाफी है, अनुचित ढंग का है और ठीक मात्रा में, समुचित मात्रा में मजदूरों के लिये इसका लाभप्रद होना असंभव है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब, जिनकी मैं बड़ी कद्र करता हूं और जिनका बड़ा सरल स्वभाव है, वही केवल इस वक्त यहां बैठे हुये हैं और जो मंत्रीगण हैं उनमें से कोई सदन में प्रस्तुत नहीं हैं। इतना बड़ा विधेयक और जिन तमाम उत्तर देने की जिम्मेदारी है वे यहां से गायब हैं।

अधिष्ठाता--उप-मंत्री बैठे हुये हैं।

श्री राजनारायण--हां, उपमंत्री जी बैठे हुये हैं, लेकिन उनको कैबिनेट में स्थान नहीं दिया जाता। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को कैबिनेट में इंक्लूड नहीं किया जाता। कैबिनेट की जो ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी है वह मंत्रियों पर आती है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे सामने डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हुये हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से उनकी बड़ी कद्र करता हूं। मैं समझता हूं कि वे समस्याओं के समाधान के लिये बड़ी दिलचस्पी और गहराई के साथ अध्ययन करते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुये होते हैं। काजल की कोठरी में कैसेहु सयानो जाय--उसके काजल की लीक लग ही जाती है। आज तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्यों पर वह लीक लग रही है चाहे वह कितने ही प्रतिभाशाली हों या विद्या विशारद हों। काजल की लीक तो उनके नहीं लगी हुई है बल्कि आज तो काली कूंची ले कर वे सारे शरीर को कालिमामय बना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो मजदूरों से काम लेते हैं और मजदूरों की दिक्कत को अच्छी तरह से जानते हैं। आज वही इस समय चेयरमैन के पद पर विराजमान हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय को इन बातों की जानकारी होगी। मजदूरों का जीवन निर्वाह कैसे होता है। सारे जीवन वे काम करते हैं और अपना शरीर ढकने को वे कपड़ा नहीं पाते और उनकी जिन्दगी कराहते-कराहते व्यतीत हो जाती है। अब देखा जाय कि इतना रुपया जो केंद्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है, इस रुपये से जो भवन निर्माण होंगे, जो क्वार्टर्स बनेंगे इंडस्ट्रियल मजदूरों को रखने के लिये उसमें मजदूरों के ऊपर क्या आफत आ रही है। एक-एक करके देखा जाय तो पहले तो एक परामर्शदात्री समिति सरकार निर्माण करने जा रही है। क्लाज ८ के मातहत जो कानून मजदूरों के हित के लिये बनाया जा रहा है उसमें परामर्शदात्री समिति में मजदूरों के हित की रक्षा के लिये कितने प्रतिशत आदमी रक्खे गये हैं। मजदूरों के हित की हिफाजत कौन करेगा। इस बात में लोग किसी कंफ्यूजन या बुद्धि विभ्रम में न रहें। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो कहा था कि मजदूरों की जो दो संस्थायें हैं उनके प्रतिनिधि भी रहें। ऐसा कहने से उनकी ऐसी कोई इच्छा न रही होगी कि मजदूरों की दो संस्थायें हैं उनके प्रतिनिधि मजदूरों के हित को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे या वे व्यक्ति विशेष को ले जाने के लिये लालायित होंगे। मैं उनकी जो इच्छा रही होगी और जो मैं समझ पा रहा हूं, माननीय बहुगुणा जी ने भी थोड़ा सा हिंट इस ओर किया था उसे बतला देना और उसका उत्तर देना आवश्यक समझता हूं। उनकी जहां तक इच्छा है कि मजदूरों के हित का समुचित रूप से ख्याल किया जाय। और मजदूर अगर अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने उन मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि को भेजना चाहें तो वहां पर भेज सकें। वह भी, जब कि सरकार की जितनी कमेटियां बनती हैं और सरकार उन कमेटियों में इन मजदूरों संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि को स्थान देती है तो वहां न देने का कोई मतलब नहीं मालूम होता। मगर जब यह कोई सुझाव दे कि वहां पर दिया जाना चाहिये तो इस सुझाव का यह अर्थ लगाया जाय हम जाने के लिये तैयार नहीं हैं, मजदूर के प्रतिनिधि रहें, कोई व्यक्ति विशेष जाने के लिये तैयार नहीं है। यहां पर एक सिद्धांत की बात कही गयी। उनका भी वह स्थान है वह भी जायं, और जो मजदूरों के मान्य संगठन हैं वे तमाम संगठन मजदूरों के हित के साथ खेल नहीं करते, बल्कि उनके हित के साधन हैं। अभी रैशनलाइजेशन कमेटी जो बनी हुई है उसमें भी मजदूर संगठन के प्रतिनिधि हैं। तो जो मकान बना हुआ है उसमें वह प्रतिनिधि क्यों न आयें। इसमें यह बात नहीं है कि अगर कोई सुझाव देता है तो वह इसलिये कि उसी मजदूर संगठन के द्वारा स्वतः जाना चाहता हो इसलिये सुझाव दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह का अर्थ अगर माननीय सदस्य किसी सुझाव से निकालेंगे तो उस अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। अब जितने विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो रहे हैं और जिसमें कुछ लेन-देन की बात होती है उस सब में एक वाक्य जरूर लाया जाता है, हर विभाग के द्वारा कि जो कुछ भी देय रकम होगी वह मालगुजारी की तरह वसूल की जायगी। मालगुजारी कैसे वसूल होगी उसमें किस तरह की ज्यादती हो रही है, किस तरह से सख्ती हो रही है और

[श्री राजनारायण]

जो सेलेक्ट कमेटी बनी हुई थी उसमें भी बड़ा विरोध किया गया है। जिस तरह से सरकार चाहे मालगुजारी की वसूली की योजना चला रही है। मगर जो मजदूर धन पैदा करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, और आवश्यक सामग्रियों को बनाते हैं वह जिस मकान में रहें उसका किराया कैसे वसूल होगा उसके लिये उन्हें जेल में भी ले जाया जायगा, उन्हें पकड़वाया भी जायगा। उनको तरह तरह से परेशान भी किया जायगा। जो व्यवस्था अंग्रेजी साम्राज्यशाही हुकूमत के जमाने से मालगुजारी वसूल करने की थी वही करीब-करीब उनके ऊपर लागू की जायगी। मगर जो निजी मकान मालिक हैं, उन मकान मालिकों के किराये की वसूली की क्या व्यवस्था है, उसमें किरायेदारों को सहूलियत है। उसमें किरायेदार अपनी हालत को कुछ सुरक्षित पाता है। मगर आज तो यह सरकार जनता के धन से, जनता के लिये, सामान्य जनता नहीं, बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पैदा करने वाला मजदूर, वह जो अपने खून को पसीना बनाता है और धन पैदा करता है, राष्ट्र, देश और समाज के लिये, उसके लिये यह सरकार कानून बनाना जरूरी समझती है कि अगर उसके ऊपर बकाया रह गयी है किराये को, तो मालगुजारी की, तरह वसूल किया जाय। पकड़ कर जेल में बन्द करो, परेशान करो, वारंट भेजो, उसके ऊपर तरह तरह की दिक्कत पेश करो। दूसरी बात, श्रीमन्, किराये की दर क्या होगी? कितना किराया देना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किराया प्राप्त हो तथा अन्य परिव्यय उन दरों से तथा उन दिनांकों पर देय होंगे जिन्हें गृह आयुक्त निश्चित करे। जो गृह आयुक्त महोदय होंगे वह जो भी दर निश्चित कर दें। 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा'। वह जो भी दर निश्चित कर दें वह मान्य होगी उस मजदूर को। सामान्य सरकारी कर्मचारी के लिये तो यह माना है कि वह अपने सेलरी का १/१० दे कर सरकारी बिल्डिंग्स में रह सकता है, तो क्या वह बिल्डिंग जो मजदूर के लिये बनाई जा रही है वह जनता की बिल्डिंग नहीं है? सरकार की बिल्डिंग नहीं है? अगर सरकार अपने को जनता की सरकार कहती है तो क्या वह बिल्डिंग जनता की नहीं है? पर उस बिल्डिंग के लिये किराया निश्चित करने का सारा का सारा अधिकार उस गृह आयुक्त को क्यों दिया जा रहा है, यह विचारने की बात है। इस पर माननीय मंत्री जी को बड़ी उदारता के साथ, ठंडे दिल के साथ, विचार करना चाहिये कि कितना बड़ा अधिकार गृह आयुक्त को देने जा रहे हैं और वह यदि अधिकार का दुरुपयोग करले, निरंकुश हो जाय, यदि उसका माथा फिर जाय, तो क्या से क्या अनर्थ हो सकता है इसकी कल्पना जरा सदन के सम्मानित सदस्यों को होनी चाहिये। जहां जहां आज सरकारी कर्मचारी, जिलाधीश अन्य किसी ऐसे अफसर के हाथ में इतने बड़े व्यापक अधिकार हैं वहां वह अगर निरंकुश गति से चलता है, जनता के हित में उसका इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि जनता के अहित में उसका दुरुपयोग करता है, तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है इसकी कल्पना कीजिये।

मैं दुख के साथ कहता हूं कि यह जो गृह आयुक्त को किराया निश्चित करने का अधिकार दिया जा रहा है, यह नहीं दिया जाना चाहिये। इसमें कोई शर्त होनी चाहिये, कोई कंडीशन होनी चाहिये कि गृह आयुक्त किन-किन मान्यताओं को सामने रख कर किराया तय करेगा। यहां कोई मान्यता नहीं रखी गई है बल्कि एब्सोल्यूट अथारिटी दे दी गई है उसको। फिर एक, दो, ढाई हजार जो तनख्वाह पाये वह तो अपनी तनख्वाह का १/१० दे कर सरकारी भवन में निवास कर सकता है, लेकिन जो ३० रुपया या ५० रुपया पाता है उसके निवास-स्थान का किराया गृह आयुक्त निश्चित करेगा, यह क्या है? यह कानून मजदूर के लिए हित कर है या यह कानून मजदूर के लिये अहितकर होगा? निश्चित मानिये कि मजदूर के लिये यह कानून अहितकर ही होगा, वरना इसमें बड़ी आसानी के साथ स्वतः सरकार की ओर आना चाहिये था कि मजदूर से किसी भी समय में जो वह तनख्वाह पाता है उसका १/२० से अधिक किराया नहीं लिया जायगा। मैं १/२० कह रहा हूं, तो यह कोई निश्चित न समझ लें कि मैंने आंकड़े लगा कर यह कहा है। हमारा सिद्धान्त है कि टैक्स लगाने के लिये देश में आज प्रपोर्शनल सिस्टम होना चाहिये। जिसकी आमदनी इतनी कम है कि वह अपना

काम उसमें पूरा नहीं कर पाता है, अपनी जरूरतें उसमें पूरी नहीं कर पाता है तो उसको कर-भार से उतना ही मुक्त होना चाहिये। उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। वह मजदूर दस, बारह घंटे मेहनत करता है और अपने श्रम को लगा कर मूल्य पैदा करता है, अन्न पैदा करता है तो आज जो वह अन्न को पैदा करने का अपराधी बना हुआ है आज इस पूंजीवादी ढांचे में, साम्राज्यवाद के युग में उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग इसलिये कर रहा हूं कि यह साम्राज्यवाद विदेशी नहीं है, यह हमारा देशी साम्राज्यवाद है। इस देशी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से काम चलने वाला नहीं है। इस देशी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का खात्मा करना होगा, उन्मूलन करना होगा, इसका विनाश करना होगा।

अब श्रीमन्, जरा यह देखा जाय कि यह जो लिखा है अध्यासन की शर्तें और अनधिकृत अध्यासन में समझा गया व्यक्ति। यह अनधिकृत अध्यासन में समझा गया वह व्यक्ति माना जायगा कि जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, जब तक इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी गृह के अपने अनधिकृत अध्यासन में समझा जायगा—

(क) यदि उसने गृह पर कब्जा उस स्थिति में किया हो, जो गृह आयुक्त द्वारा की गयी प्रदेशना के अन्तर्गत अथवा अनुसार न हो;

(ख) यदि प्रदेशना गृहीता होते हुए धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन प्रदेशना निरस्त हो जाने के कारण वह गृह के अध्यासन का अधिकारी न रहा हो;

(ग) यदि वह अधिनियम में पारिभाषित औद्योगिक श्रमिक न रहे।

अधिष्ठाता—एक बात मैं माननीय राजनारायण जी से निवेदन कर दूं कि इस समय सामान्य विवाद होना चाहिये और एक-एक धारा को ले करके अगर आप बहस करेंगे तो वह जरा असंगत सा होगा।

श्री राजनारायण—इसलिये मैं तमाम धाराओं को छोड़ रहा हूं जो आवश्यक हैं उन्हीं की ओर हिन्ट किये देता हूं क्योंकि तमाम धाराओं पर चलने लगूंगा तो तीन दिन चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मजदूरों पर क्या आफत होती है यहां तक कि कानपुर में जब हड़ताल चली थी जरा उसका तमाम सम्मानित सदस्य ख्याल करें कि २६ मई को मिल मालिकों ने एक हुक्म निकाल दिया कि. . . . .

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य सब जानते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, नहीं जानते। अगर उसकी तनिक भी जानकारी होती तो फिर कहना ही क्या था। मिल मालिकों ने हुक्म निकाल दिया कि जो मजदूर काम पर नहीं आयेंगे उनका नाम निकाल दिया जायगा। अब आपके इस विधेयक के जरिये मजदूर हड़ताल नहीं कर पायेंगे, क्योंकि अभी तक तो मजदूर हड़ताल करते थे, वे अपने हाते में रहते थे, अपने हाते से कानूनी तौर पर नहीं निकाल दिये जाते थे, मगर अगर इस तरह का कानून बन जायगा और हमारे गृह आयुक्त महोदय या श्रम आयुक्त महोदय किसी को कह देंगे कि मिलमालिक ने नोटिस लगा दिया कि फलां तारीख को नहीं आयेगा तो वह मजदूर नहीं माना जायगा, तो वह रह सकता है उस मकान में? यानी इन्डायरेक्टली उसके हक पर कुठाराघात हो रहा है या नहीं? जो उसका मौलिक अधिकार है, स्ट्राइक करके अपने मांग को पूरा करने का वह खत्म हो जायगा। इस नियम के मुताबिक उस मजदूर को हड़ताल पर जाने से भी रोका जायगा और उसको पुलिस के जोर पर मकानों से टांग पकड़-पकड़ कर, खींच कर निकाल दिया जायगा। हमें तो दुख है और श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट में बता दूं कि जब यह नियम नहीं था, जब हाते में मजदूर रहता था, एक मजदूर का लड़का मर

[श्री राजनारायण]

गया था इस सरकार की पुलिस ने यह कहा उन औरतों से जो रोने के हेतु आयी हुई थीं कि तुम १४४ धारा तोड़ रही हो, पकड़ कर बन्द कर देंगे। इतना जुल्म फैलाया जा रहा है पुराने कानून को आश्रय बना करके। तो फिर इतनी पावर सरकार को इस विधेयक के जरिये दे दी गई तो मैं समझता हूं कि बड़ा ही अनर्थ है और यह मजदूरों को हमेशा के लिये पंगु बनाने के लिये और उनको हमेशा अपने चंगुल में रखने के लिये आज इस रूप में इस विधेयक की धारा आयी है। उद्देश्य तो अच्छा है, जो लोग देखेंगे कहेंगे कि अच्छा है फिर क्यों राजनारायण, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग विरोध करते हैं। मगर मैं साफ कहना चाहता हूं कि उद्देश्य कोई अच्छा हो, उस उद्देश्य का पालन करने का तरीका गलत है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है और आज इस गांधी के मुल्क में अहिंसा का नाम ले करके गोलियां चलायी जाती हैं, आज गांधी के मुल्क में जनतंत्र का नाम ले करके सारी ताकतें केन्द्रित की जाती हैं। मजदूरों पर धड़ाधड़ गोलियां चलाई जाती हैं और उस पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

एक बात न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का बाधित होना है। न्यायालय सरकार के द्वारा निर्मित है तो जब दूसरा निजी मकानमालिक किराये के लिये न्यायालय के अधिकार से बाधित नहीं किया गया है तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उस मजदूर के लिये न्यायालयों के अधिकार को क्यों बाधित किया जा रहा है। मजदूर अपने हक को पाते, न्यायालय में जाकर इस पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। इससे क्या इस सरकार की मंशा नहीं व्यक्त होती है। सरकार छिपे हुये भवनों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। जरूर होती है। चाहे कहने के लिये माननीय मंत्रीगण या कोई दूसरे माननीय सदस्य उठकर कह लें कि यह तो राजनारायण की आदत पड़ी हुई है, यह हमेशा विरोध ही करते हैं जैसा की आप की जानकारी में भी श्रीमन्, यह बात होगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कह दी कि राजनारायण को तो जहां कांग्रेस सरकार या कांग्रेस का नाम आयेगा, वहां दोष ही दोष नजर आयेगा। दोष से तो भरी हुई है यह सरकार, तो हमें दोष नहीं नजर आयेगा तो और क्या नजर आयेगा। कोई भी विधेयक या कोई भी अमेंडमेंट जो इस सरकार ने अब तक पास किये हैं, एक भी विधेयक ऐसा बता दिया जाय जिसमें अंग्रेजी शासन के जमाने में जो पावर सरकार के हाथ में थी उससे अधिक पावर इस सरकार ने न ली हो। मैं चुनौती देता हूं। एक भी ऐसा बिल या अमेंडमेंट बिल मुझे बता दिया जाय जिसमें पहले अंग्रेजी शासन के जमाने जो कानून बने हुये थे, उनमें जितनी ताकत सरकार के हाथ में थी, उससे अधिक ताकत इस सरकार ने अपने हाथ में न ली हो। सन् १९१६ का म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट, सन् १९१४ का टाउन एरिया ऐक्ट जिस पर आज विचार हुआ, किसी को भी आप ले लीजिए। तो इन तमाम बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

अच्छा, श्रीमन्, एक और बड़ा जबर्दस्त जो मजदूरों के ऊपर बोझ लादा जा रहा है इस विधेयक के जरिये, वह मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यदि वह किराया नहीं दे पाता है, वह किराया जो अनियंत्रित ढंग पर, बिना न्याय को सामने रखे हुए तय किया गया है, तो उस किराये की वसूली में जो व्यय होगा, उस तमाम व्यय को उस मजदूर को देना पड़ेगा, कितना व्यय होगा, कैसे वसूली होगी, क्या होगा....

अधिष्ठाता--माननीय शिव नारायण जी जरा शान्त रहें।

श्री राजनारायण--तो उसको भी अच्छे तरीके से हमको अपने सामने रखना चाहिये कि आखिर मजदूर है, गरीब है, उसके पास अपने जीवन निर्वाह का साधन नहीं है, तब वह अपने घर को छोड़ कर अपनी कुटिया को छोड़ कर दूर जा करके शहरों में बसा हुआ है और वहां पर अपना जांगर लगाता है, तो उसके बकिये किराये की वसूली मालगुजारी की तरह करो

और फिर उसके ऊपर चाहे जितना भी व्यय हो, चाहे वह पुलिस के लाने में व्यय हो, चाहे हथियार बन्द पुलिस के लाने में व्यय हो, या चाहे जिस तरीके से व्यय हो, अगर दस रुपया किराया वसूल करना है तो उस दस रुपये की वसूली में सौ रुपया भी व्यय हो जायगा, तो उस मजदूर को ११० रुपया देना पड़ेगा। कहां का न्याय है, कहां का औचित्य है? औचित्य के मार्ग पर चलने का जो यह सरकार दम भरती है वह कहां औचित्य के मार्ग का अवलम्बन कर रही है।

श्रीमन्, चूंकि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने इसके ऊपर संकेत कर दिया था, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इतनी अपनी आपत्ति अवश्य व्यक्त करना चाहता हूं कि सभी उचित बेला क्या है। यानी मजदूर के अवास में, मजदूर के क्वार्टर में यह गृह-आयुक्त, उपगृह-आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी किसी भी मजदूर के घर में यथोचित सहायकों के साथ सभी उचित बेलाओं में दाखिल हो सकता है। जरा शब्दावली देखिए श्रीमन्, सभी उचित बेला क्या है। बाल्यावस्था बीती, युवावस्था बीती, वृद्ध काल में मंत्रीगण आये मगर वह अभी तक इस बात को नहीं समझ पाये कि उचित बेला क्या है। श्रीमन्, आप जरा स्वतः समझें यह क्या मजाक का यह विधेयक है। जो लोग इस विधेयक को बाहर पढ़ेंगे, वह इस सरकार की बुद्धि पर तरस खायेंगे। वह सोचेंगे कि आखिर इतना रुपया हम व्यर्थ बरबाद कर रहे हैं, एक एक मंत्री के ऊपर छः छः हजार रुपया खर्च हो रहा है तमाम इसके निवासस्थान का व्यय, इनके फर्नीचर का व्यय, इनके गमनागमन के साधन पर व्यय, इन सब पर मिला कर इतना व्यय हो रहा है, मगर यह उचित बेला नहीं समझ पायें कि उचित बेला है क्या। किस बेला में मजदूर के घर में यह गृह-आयुक्त, उपगृह-आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त या अन्य अधिकारी प्रवेश कर सकता है और यही नहीं कि वही जायं बल्कि यथोचित सहायकों के साथ। यह यथोचित सहायक कौन होंगे श्रीमन्, मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि जिस समय मजदूरों ने अपनी उचित मांग के लिये आवाज बुलन्द की कि हम ४ लूम नहीं चाहेंगे तो गुंडों को मिलमालिकों ने मिलों में बन्द करके रखा। उनको रात रात भर खाना खिलवाया और एक एक गुंडे के ऊपर ५-५, १०-१० रुपया खर्च किया गया, ताकि वे मजदूरों पर लाठियां बरसावें, उनको जबरदस्ती पकड़ कर काम पर भेजे और उनकी स्त्रियों और बच्चों को परेशान करें कि वह मिलमालिकों के कारखानों में काम करें। मजदूर कहते थे कि हम दो ही लूम चलायेंगे, चार नहीं चलायेंगे, यह हमारे साथ अन्याय है। अपनी न्याय की मांग पाने के लिये मजदूर हड़ताल किये हुए थे। हमने यह पहले ही साफ कर दिया है कि अब उस हड़ताल की परिस्थिति में मिलमालिकों के इशारे पर गृहायुक्त यह काम करेंगे।

अधिष्ठाता—अब कितना समय आप और लेंगे?

श्री राजनारायण—यह तो बड़ा व्यापक है।

अधिष्ठाता—तो आप अपना भाषण अगले सरकारी दिन जारी रखिएगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ,
५ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर)

तालिका

भ्रष्टाचार विरोधी समिति, अलीगढ़ ने सन् १६५४ और १६५५ में जिले एवं कचहरियों में भ्रष्टाचार आदि से सम्बन्धित जो प्रस्ताव पास किये तथा जो सुझाव समिति के सामने आयें, उन पर की गई कार्रवाई का विवरण ।

क्रम-संख्या	प्रस्ताव एवं सुझाव	कार्रवाई का विवरण
१	सुझाव पेश किया गया कि भ्रष्टाचार विरोधी समितियों को पुनस्संगठित किए जाने का प्रस्ताव पास किया जाय। समितियों के कार्यों एवं विस्तार की प्रस्तावित रूपरेखा पेश की गई जिसके अनुसार भ्रष्टाचार रोकने तथा प्रशासन का स्तर ऊंचा करने में समितियां अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें।	सुझाव एवं समिति के कार्यों और विस्तार की प्रस्ताविक रूप रेखा समिति के सदस्यों को विचारार्थ भेजी गई।
२	प्रस्ताव पास हुआ कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अभद्र व्यवहार की शिकायत करने के नियमों के सम्बन्ध में जो सरकारी आदेश जारी हुए हैं उनका पर्चे बटवाकर प्रचार किया जाय ।	पर्चे का आलेख्य तैयार हो चुका था किन्तु भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के पुनस्संगठन का विषय सरकार द्वारा विचाराधीन होने के कारण इस पर्चे का प्रकाशन और वितरण स्थगित कर देना पड़ा ।
३	प्रस्ताव पास हुआ कि सभापति, कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन से अदालतों से भ्रष्टाचार दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव मांगे जायं।	तदनुसार सभापति, कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन को लिखा गया ।
४	प्रस्ताव पास हुआ कि सुपरिन्टेन्डेन्ट, सन्ट्रल एक्साइज एक पर्चा प्रकाशित करे जिसमें तम्बाकू पर आबकारी कर निर्धारित करने का तरीका बताया जाय तथा उन अधिकारी का उल्लेख हो जिनके पास इस सम्बन्ध में शिकायतें भेजी जायं ।	सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेन्ट्रल एक्साइज ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा वितरित पर्चा प्रस्तुत किया। उक्त पर्चे में जानकारी की सभी आवश्यक बातें दी हुई हैं ।
५	प्रस्ताव् पास हुआ कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्लानिंग) बीज गोदामों के कार्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच करके अपने सुझाव दें कि किस प्रकार ऐसी शिकायतों को दूर किया जा सकता है । वे सम्बन्धित अधिकारियों को बीज गोदामों के कार्य की अक्सर देखभाल करने के लिये आदेश भी जारी कर दें ।	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्लानिंग) ने सम्बन्धित अधिकारियों को बीज गोदामों के कार्य की देखभाल के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिये तथा बीज गोदामों द्वारा बीज के वितरण एवं संग्रह से सम्बन्धित मुख्य नियमों की तख्तियां (साइन बोर्ड) बनवाई है जो सर्वसाधारण की सूचना के लिए बीज गोदामों के निकट लगवाई जा रही हैं ।

क्रम संख्या	प्रस्ताव एवं सुझाव	कार्यवाई का विवरण
६	उपर्युक्त प्रस्ताव संख्या ३ के संदर्भ में सभापति, कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन ने अदालतों से भ्रष्टाचार दूर करने के संबंध में निम्नलिखित सुझाव पेश किये । इन पर विचार किया गया और प्रस्ताव पास हुआ कि इनको जहां तक कानूनन सम्भव हो कार्यान्वित किया जाय । (क) कापींग विभाग से शीघ्र नकल मिलने का प्रबन्ध किया जाय । (ख) जमानत की दरख्वास्तों पर शीघ्र कार्रवाई की जाय । (ग) विचाराधीन मुकदमों में अभियुक्तों की हिरासत से सम्बन्धित कार्रवाई शीघ्र की जाय । (घ) मुकदमों से सम्बन्धित लोगों को अदालतों के दिन प्रतिदिन के कार्य में आवश्यक सुविधायें दिलाई जायं ।	अदालत के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किये गये ।
७	प्रस्ताव पास हुआ कि जिला सप्लाई अधिकारी एक पर्चा तैयार करें जिसमें जनता को असली सीमेन्ट हासिल करने का तरीका बताया जाय और सचेत किया जाय कि नकली सीमेन्ट न खरीदें ।	सीमेंट के मिलने में सुविधा हो गई और सीमेंट के मिलने का तरीका भी बदल गया । तदनुसार पर्चे बांट कर संशोधित तरीका का प्रचार किया जायगा ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

Copy of G. O. No. 1387/XXII—837-1954, dated June 21, 1955, from the Deputy Secretary to Government, U. P., Home Department (Jails) to the District Magistrate, Etah

With reference to the correspondence resting with your letter no. 2033, dated March 23, 1955, regarding Murrah bull no. 121 belonging to the Animal Husbandry Department, which was sent to the District Jail, Etah for confinement on August 13, 1953, by the Sub-Divisional Magistrate, Jalesar, I am directed to observe that a magistrate has no authority to order confinement of an animal in a jail. I am accordingly to ask you to ensure that such invalid orders are not passed by magistrates in future and no animals are sent to jail for confinement.

No. 1387(1)/XXII—837-1954

Copy forwarded to all other District Magistrates, Uttar Pradesh, for information and guidance.

By order,

S. MASUDUL HASAN,
Deputy Secretary.

No. 1387(2)/XXII—837-1954

Copy forwarded to the Inspector General of Prisons, Uttar Pradesh for information in continuation of G. E. No. 4327 (1)/XXII—837-1954, dated December, 13, 1954. The maintenance charges of the bull in the jail should be treated as Miscellaneous Contingent expenditure and charged to "28—Jails". Necessary instructions to the effect that animal should not be admitted into jail for detention may please be issued to all Superintendents of Jails for guidance.

By order,

S. MASUDUL HASAN,
Deputy Secretary.

True Copy
R. P. VERMA,
Superintendent,
Home Department (Jails),
Civil Secretariat, U. P.,
Lucknow.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ८६ एल० ए०—१९५५—७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहरहुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री

सेवाराम, श्री	हरगोविन्द सिंह, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री	हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री	हरिप्रसाद, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हमीद खां, श्री	हरिसिंह, श्री
हरखयाल सिंह, श्री	हुकुम सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

यू० पी० फैमिन रिलीफ फंड से बाढ़ सम्बन्धी कार्यों पर व्यय

**१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यू० पी० फैमिन रिलीफ फण्ड में १९५५-५६ के बजट वर्ष के प्रारम्भ में कितना धन था?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के प्रारम्भ में दुर्भिक्ष सहायता निधि (फेमिन रिलीफ फंड) में ३२,८४,१७५ रु० था।

**२—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—इस फन्ड से इस वर्ष की बाढ़ के सम्बन्ध में कितना-कितना धन किन-किन मदों में व्यय किया गया?

श्री धर्मसिंह—वर्तमान वर्ष में बाढ़ संबंधी कार्यों पर इस निधि (फंड) से अब तक ४३,२५,००० रु० व्यय किया गया है, जिसके ब्योरे ये हैं:—

		रु०
१—जांच के काम और सहायता (टेस्ट वर्क्स और रिलीफ) के लिये	..	६,५०,०००
२—निर्मूल्य सहायता के लिये	.. .. ..	३४,१०,०००
३—अन्य कामों के लिये	.. .. ..	२,६५,०००
योग	..	४३,२५,०००

**३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या इस वर्ष कन्सालिडेटेड फन्ड से कुछ रुपया निकाल कर इस फंड में रखा गया?

श्री धर्मसिंह—५५,००,००० रु० की निर्धारित न्यूनतम शेष धनराशि में हुई कमी के कुछ भाग को पूरा करने के लिये वर्तमान वर्ष में राज्य की संचित निधि (कन्सालिडेटेड फंड) से १६,००,००० रु० की धनराशि संक्रमित (ट्रांसफर) की जायगी और इस धनराशि के लिये बजट में व्यवस्था है।

लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण की व्यवस्था

**४—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सचिवालय कर्मचारी असोसियेशन के प्रतिनिधियों ने अभी हाल में वित्त मंत्री के समक्ष कुछ सुझाव उस योजना के बारे में रखे हैं, जो निम्नश्रेणी के लोगों को आर्थिक सहायता देकर मकान बनवाने के लिये हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां। यह सुझाव निम्नलिखित है :—

(१) लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण Cooperative Societies के द्वारा न दे कर उनको सरकार द्वारा ही दिया जाय।

(२) सूद की दर ४ १/२ परसेंट हो जो प्रदेशीय सरकार के House Building Advance के लिये निर्धारित है,

(३) ऋण भुगतान करने का समय ३० साल या अवसर ग्रहण (Retirement) का समय (जो भी कम हो) तक हो।

**५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन सुझावों पर सरकार ने क्या किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—अन्य नागरिकों की भांति, लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अधीन, उसके नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी भी सहकारी संघों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये सूद की दर ५ फीसदी और अदायगी की मियाद ३० साल रखी गयी है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि इस योजना के नियमों के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार से सीधा ऋण लेना चाहे तो ले सकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माननीय वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया है कि वह उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—विचार किया गया और दूसरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर दे दिया गया ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी सरकार से सीधे कर्ज लेंगे उन्हें वह कर्ज साढ़े ४ प्रतिशत पर दिया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को साढ़े ४ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने में सरकार को क्या हानि है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह लो इनकम हाउसिंग ग्रुप का ऋण केन्द्रीय सरकार से आता है। केन्द्रीय सरकार साढ़े चार फीसदी सूद प्रदेशीय सरकार से लेती है और प्रदेशीय सरकार को भी उसमें चूंकि खर्च कुछ करना पड़ता है इसी कारण यह निश्चय किया गया है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा भी ऋण जो दिया जायगा वह ५ फीसदी पर दिया जायगा। सरकारी कर्मचारियों को भी यही चीज लागू होगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को ऋण देने के लिये दो जमानतों की आवश्यकता पड़ती है और उसके कारण वे ऋण लेने में हिचकिचाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—उनके लिये भी वही व्यवस्था होगी जो अन्य लोगों के लिये है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकारी कर्मचारियों को इन सहकारी संगठनों का सदस्य होना आवश्यक है ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न ५ के दूसरे भाग के उत्तर में मैं कह चुका हूं कि सरकार से सीधे भी इनको ऋण मिल सकता है।

रामपुर तथा टेहरी जिलों में जिला बोर्डों की स्थापना की आवश्यकता

**६—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर तथा टेहरी जिलों में जिला बोर्डों की स्थापना करने के विषय में सरकार ने क्या निश्चय किया है?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

**७—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह सत्य है कि सरकार उक्त जिलों में जिला बोर्ड की स्थापना सदस्यों की नामजदगी स्वयं ही करके शीघ्र करने वाली है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इस प्रश्न का निश्चय हो सकेगा?

श्री कैलाशप्रकाश—जब विचार पूरा हो जायगा, तब निश्चय हो जायगा।

विद्युत् विभाग में चौथा सर्किल

**८—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चौथा सर्किल विद्युत विभाग में कब खोला गया?

श्री धर्मसिंह—विद्युत विभाग में चौथा सर्किल फरवरी, १९५४ ई० में खोला गया।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में और कितने इस प्रकार के सर्किल्स खोले जाने वाले हैं?

श्री धर्मसिंह—और नहीं खोले जाने वाले हैं, लेकिन पहले से और खुले हुये हैं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कुल कितने सर्किल्स खुले हुये हैं?

श्री धर्मसिंह—इस समय सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स के ७ सर्किल्स हैं।

तारांकित प्रश्न

सेक्सरिया चीनी मिल, बभनान, जिला बस्ती में श्री फौजदारसिंह द्वारा भूख हड़ताल

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेक्सरिया चीनी मिल, बभनान (जिला बस्ती) के मिल गेट पर गत् १४ मार्च, ५५ से मजदूर नेता श्री फौजदारसिंह भूख हड़ताल कर रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, कर रहे थे परन्तु कथित भूख हड़ताल २० मार्च की रात को समाप्त हो गई।

*२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—मांगें संलग्न तालिका में दी हुई हैं। आपस में समझौता हो गया है और सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५०-३५१ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न १ व २ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आज़मगढ़)--क्या संक्षेप में सरकार बताने की कृपा करेगी कि हड़ताल करने का क्या कारण था?

श्री कैलाशप्रकाश--तीस मांगें थीं जिनकी तालिका रख दी गई है। आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष--नहीं, आप पूरी तालिका न पढ़ें। वह जानना चाहते हैं कि मुख्य-मुख्य मागें क्या थीं, अगर आप मुख्य-मुख्य बातें सुना दें तो कोई बात नहीं है।

श्री कैलाशप्रकाश--अगर आप कहें तो मैं सभी पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष--क्या आप का मतलब यह है कि उसमें सभी मुख्य हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप लिख कर माननीय सदस्य को दे दीजिये। मैं पढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगा। बहुत लम्बी है।

एक सदस्य--समय तो है।

श्री अध्यक्ष--समय है, लेकिन यह थोड़े ही है कि सब लोग उसमें दिलचस्पी रखते हों।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो भूख हड़ताल टूटी है वह कौन-कौन सी समझौते की शर्तों पर टूटी है?

श्री कैलाशप्रकाश--जिस समय उन्होंने हड़ताल की उस समय वहां के अधिकारी उनके पास गये। उन्होंने इस विश्वास पर हड़ताल तोड़ दी कि यह सब मांगें समझौते में पेश हो जायंगी। उसके बाद आर०सी०ओ० के यहां ये सब मांगें पेश की गयीं। लेकिन उसके पहले ही आपस में समझौता कर लिया और वहां सब मांगें वापस कर ली। इसमें क्या समझौता हुआ इसका कोई सम्बन्ध सरकार से रहता नहीं।

अमेरिकनों के भारत विरोधी प्रचार को रोकने का सुझाव

३*श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फुलब्राइट फेलोशिप के अन्तर्गत कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट इस प्रदेश में आये थे और उन्होंने गांवों में जाकर बहुत से प्रश्नों के उत्तर एकत्रित किये?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी हां।

*४--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उस प्रश्नावली की एक तालिका सदन की मेज पर रक्खेगी?

डाक्टर सीताराम--प्रश्नावली की कोई तालिका प्राप्त न हो सकी।

*५--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे सवालों के उत्तर एकत्रित करके अमरीका में प्रचार के लिये पुस्तकें छापी जाती हैं? यदि हां, तो क्या कुछ ऐसी किताबों के नाम सरकार बतायेगी?

डाक्टर सीताराम--पुस्तकें तो अमेरिका और भारत में भी अवश्य छापी गयीं, परन्तु प्रचार के लिये यह नहीं कहा जा सकता। केवल एक ऐसी किताब मिली है।

"Some aspects of Urban Migration from a village in North Central India, by E. Eames of Cornell University."

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नावली तालिका के सम्बन्ध में अमरीकन राजदूतावास को लिखा गया था, यदि नहीं तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—राजदूतावास को तो नहीं लिखा गया था लेकिन स्टेट के २१ महकमों को लिखा गया था लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को ज्ञात है कि अमरीका के स्टेट इन्टेलीजेंस के स्पेशल असिस्टेंट श्री पार्क आर्म्सट्रांग ने सिनेट कमेटी के सामने यह कहा था कि अमरीकन रिसर्च करने वाले दूसरे देशों में यूनिवर्सिटी तथा दूसरी रिसर्च संस्थाओं से मिलकर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं ?

डाक्टर सीताराम—उनका तो यह काम ही होता है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह लोग प्रदेश के किन किन जिलों में एंथ्रोपोलोजी या इसी प्रकार की रिसर्च करते हैं ?

डाक्टर सीताराम—लखनऊ और जौनपुर में।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में जो रिसर्च हुयी है उसका उन्होंने क्या परिणाम जनता के सामने रखा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। जौनपुर के एक गांव में वह रिसर्च करते हैं लेकिन वह सरकार के पास कोई फल नहीं भेजते हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जेम्स माईकर्नर अमरीकी ने अपनी पुस्तक 'वाइस आफ एशिया' में पृष्ठ ८ पर लिखा है कि एशिया में उन्होंने १२० लोगों से बातें करके पुस्तक लिखी है उसमें उन लोगों के उत्तर हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—हां, उन्होंने लिखा होगा, उन्होंने एक किताब लिखी है, क्या लिखा है मैंने उसे पढ़ा नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्ट्रैटिक इंटलीजेंस फार अमरीकन वर्ल्ड पालिसी नामक पुस्तक में भारत के विरुद्ध प्रचार किया गया है ?

श्री हरगोविंद सिंह—ऐसी सूचना कोई हमें तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य लिख कर माननीय मंत्री जी से पूछ लें, सदन में इस समय प्रश्न पूछने से तो ज्यादा अच्छा वही होगा।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जौनपुर में रिसर्च हुआ है, उसके फलस्वरूप जौनपुर के ब्राह्मणों और अहीरों पर कालिख पोतने का प्रयत्न किया है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी बात तो नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पुस्तक कब लिखी गयी थी और क्या माननीय मंत्री जी ने उसको पढ़ा है ?

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में तो वह जवाब दे चुके हैं। उन्होंने पुस्तक पढ़ी ही नहीं ?

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विदेशियों के इस प्रकार के कार्य पर कोई रोक लगाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हरगोविंद सिंह—इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूछा गया था लेकिन मेरा खयाल यह है कि यह विषय ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया ही कुछ कर सकती है और हमारी परिधि के बाहर है।

शाहगंज जौनपुर रत्ना शुगर मिल की मैनेंजिग कमेटी

*६---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज जौनपुर रत्ना शुगर मिल की मैनेंजिग कमेटी के खिलाफ आदर्श यूनियन मजदूर संघ ने कोई शिकायत सरकार के पास भेजी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है ।

*७---श्री बाबूनन्दन---यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संघ की कुछ मांगें सरकार के पास आयी थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश---कोई शिकायत नहीं आयी ।

श्री बाबूनन्दन---श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उस संघ की तरफ से कोई मांग सरकार के पास आयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसकी जानकारी तो इस वक्त मुझे नहीं है ।

प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों की जातियां

*८---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं और उनमें से कितने सदस्य पिछड़ी जाति के हैं तथा कितने परिगणित जाति के ?

डाक्टर सीताराम---प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड में कुल २४ सदस्य हैं जिनमें एक पिछड़ी जाति का और १५ परिगणित जाति के सदस्य हैं ।

*९---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार बोर्ड के सदस्यों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५२ पर)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री निजामुद्दीन जो पिछड़ी जाति की सूची में लिखे गये हैं यह किस जाति के हैं और किस जिले के हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह---यह इलाहाबाद के हैं और अन्सार हैं ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हिन्दू पिछड़ी जाति का कोई सदस्य इस बोर्ड में नहीं है ?

श्री हरगोविंद सिंह---यह गलत है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हिन्दू पिछड़ी जाति का कौन सदस्य है, उसका नाम क्या है ?

श्री हरगोविंद सिंह---उनका नाम लालता प्रसाद सोन्कर है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केवल निजामुद्दीन को ही पिछड़ी जाति का कहा गया है और लालता प्रसाद सोन्कार को पिछड़ी जाति का क्यों नहीं कहा गया ?

श्री हरगोविंद सिंह--एक हिन्दू जाति का और एक मुसलमान हैं दोनों पिछड़ी जाति के हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय सोन्कर जो इस बोर्ड में हैं क्या वह शिड्यूल कास्ट के हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह--जी नहीं, यह उत्तर दे दिया गया है कि वह पिछड़ी जाति के हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके फरमायेंगे कि और भी पिछड़ी जाति के कौन लोग हैं जिनको आप इस बोर्ड में लेने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह--यह तो बिलकुल असम्भव सा है कि पिछड़ी जाति की हरएक जाति का सदस्य उसमें रखा जाय इसलिये कि ६० पिछड़ी जातियां हैं और २४ का यह बोर्ड है। इसलिये यह असम्भव सा है कि इस बोर्ड में हरएक पिछड़ी जाति का सदस्य रहे।

श्री वीरेन्द्र पति यादव--गत ५ वर्ष में इस बोर्ड में से पिछड़ी जातियों की संख्या क्यों कम कर दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम--यह बोर्ड घटता-बढ़ता रहता है और यह कोई जरूरी नहीं है कि बैकवर्ड क्लासेज के आदमी रखे ही जावें लेकिन उपयुक्त आदमी मिलने पर रख लिये जाते हैं।

*१०-११--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[हटा दिये गये।]

मेहता पुस्तकालय, आजमगढ़ के लिये सहायता की मांग

*१२--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आजमगढ़ शहर में कितने पुस्तकालय हैं जिनको सरकारी सहायता मिलती है।

डाक्टर सीताराम--केवल एक।

श्री रामसुन्दर पांडे--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस पुस्तकालय का नाम क्या है, और उसको कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम--उस पुस्तकालय का नाम मेहता पुस्तकालय है और २०० रु० पार साल सन् १९५४-५५ में दिये गये थे। इस साल का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री, मेहता पुस्तकालय में पुस्तकों तथा अन्य आर्थिक व्यय ज्यादा होने के कारण उसमें बढ़ोतरी करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--जब वह मैनेजर्स रिटर्न्स शिक्षा संचालक के पास आ जायंगी तो उन पर विचार किया जायगा।

*१३--श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)--[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर की मिलों द्वारा बोनस वितरण में विलम्ब

*१४--श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या श्रम मंत्री को मालूम है कि कानपुर की अधिकांश मिलों ने सन् ५२,५३ और ५४ का बोनस नहीं बांटा है। सरकार इस सम्बन्ध में मजदूरों को बोनस दिलाने के बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

नोट--तारांकित प्रश्न १२ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं। १९५२ और ५३ का बोनस कानपुर की अधिकांश मिलों ने बांट दिया है। सन् १९५३ के बोनस के सम्बन्ध में कुछ मिलों का मामला स्टेट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इलाहाबाद के विचाराधीन है। कुछ मिलों ने १९५४ का बोनस भी बांटा है पर अधिकांश मिलों में बैलेंस शीट तैयार न होने के कारण बोनस बांटने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

*१५--श्री राजनारायण--भविष्य में बोनस दिलाने के बारे में सरकार की क्या योजना है?

श्री कैलाशप्रकाश--बोनस का प्रश्न प्रत्येक मिल के वार्षिक लाभ-हानि के ब्योरे से संबंधित होता है, इसलिये इस विषय में कोई निश्चित योजना नहीं बनायी जा सकती।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन मिलों ने बोनस नहीं बांटा है?

श्री कैलाशप्रकाश--२२ मिलें बांट चुकी हैं। कुछ ने घाटा दिखलाया है। महेश्वरी देवी जूट मिल्स कानपुर, जे०के० जूट मिल्स कानपुर, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, म्यूर मिल्स, न्यू विक्टोरिया मिल्स, स्वदेशी काटन मिल्स, ऐथर्टन वेस्ट कम्पनी, जे०के० काटन मिल्स मैनुफेक्चरर्स इन्होंने घाटा दिखलाया है। इनका विवाद स्टेट इंडस्ट्रियल को भेजा गया जिसने बोनस देने का निर्णय किया लेकिन अपील पर लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल ने उसे रद्द कर दिया।

श्री राजनारायण--जो ११,१२ नाम माननीय मंत्री जी ने बताये हैं उनके बोनस का मामला कब तक तय होगा?

श्री अध्यक्ष--वह तो बतला दिया है कि अपील में रद्द कर दिया गया है।

श्री राजनारायण--क्या ५३-५४ के बारे में स्थिति माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश--५३ के विषय में, १७ मिलें बांट चुकी हैं। १० मिलों का मामला अभी ट्रिब्यूनल के सामने है या फैसले के लिये हैं। सन् ५४ की, १० मिलें बांट चुकी हैं। बाकी में से बहुतों की बैलेंस शीट नहीं बनी है, इसलिये उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री राजनारायण--जिन मिलों ने ५३ का बोनस नहीं बांटा है उनका फैसला कब तक होने की आशा है?

श्री कैलाशप्रकाश--यह मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार को पता है कि मिलमालिक जानबूझ कर बैलेंस शीट बनाने में देर करते हैं ताकि उन्हें बोनस न देना पड़े?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता, मिलमालिकों के दिल की बात सरकार नहीं जान सकती।

श्री राजनारायण--सन् ५४ के सम्बन्ध में जो बैलेंस शीट नहीं बन पायी है तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि मिलमालिकों को निश्चित समय के अन्दर बैलेंस शीट बनानी पड़े?

श्री कैलाशप्रकाश--इस पर विचार किया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि बैलेंस शीट एक निश्चित समय तक बन जानी चाहिये?

श्री कैलाशप्रकाश--ऐसा तो शायद कुछ नहीं है।

श्री राजनारायण--क्या जो मिलें जानबूझ कर बैलेंस शीट बनाने मे देरी करती हैं या बैलेंस शीट समुचित रुप से नहीं बनाती हैं उनके लिये कोई व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनावेगी कि जो कम्पनीज बैलेंस शीट बनाने में व्यर्थ की देर करें वे किसी खास समय तक बैलेंस शीट तैयार कर लें ?

श्री कैलाशप्रकाश--मैं उत्तर दे चुका हूं कि इस पर विचार किया जायगा।

स्कूलों में कृषि की नयी योजना पर व्यय

*१६--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्कूलों में खेती की नयी स्कीम पर सरकार को कितना रुपया वार्षिक व्यय करना पड़ता है ?

डाक्टर सीताराम--कृषि की नयी योजना पर पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित व्यय हुआ--

		रु०	आ०	पा०
१९५३-५४	..	१,७२,२१०	१	०
१९५४-५५	..	३७,३१,४६६	१०	०

इस वर्ष के आय-व्ययक में इस योजना के लिये ६१,९६,१०० रु० का प्राविधान है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या यह योजना सभी स्कूलों में चालू कर दी गई है ?

डाक्टर सीताराम--प्रांत के ३,२०० स्कूलों में।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन स्कूलों में खेती से कुछ फायदा भी हुआ है ?

श्री हरगोविंद सिंह--खेती से इसपर फायदे का प्रश्न नहीं है। केवल शिक्षा के लिये यह सहायता दी जाती है। हां, इतना मैं कह सकता हूं कि इस साल प्रांत भर में लगभग ५० हजार रुपया टीचरों और लड़कों में इस खेती की आय का बांटा गया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार का इरादा इस योजना को इस प्रदेश के सभी स्कूलों में चालू करने का है ?

श्री हरगोविंद सिंह--जूनियर हाई स्कूलों में और जहां ऐसे हायर सेकेंड्री स्कूल्स हैं जिनके पास भूमि है, वहां लागू करना चाहते हैं ?

श्री वसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--खेती की शिक्षा देने के लिये किन-किन साधनों के लिये यह रुपया दिया जाता है और क्या उनमें बैल और हल भी हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह--खेती के सभी साधन जरूरत के मुताबिक दिये जाते हैं और उनमें हल और बैल भी हैं।

श्री वसन्तलाल शर्मा--क्या यह सही है कि बहुत से स्कूलों के पास हल और बैल नहीं हैं और उसकी वजह से कठिनाई होती है ?

श्री हरगोविंद सिंह--कुछ स्कूलों की जमीन को ऐसा समझा गया कि वहां हल-बैल की आवश्यकता नहीं है। ५००,७०० स्कूलों को हल बैल दिये गये हैं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--हल-बैल देने की स्कूलों को क्या शर्त है ?

श्री हरगोविंद सिंह---कोई शर्त नहीं है। जहां यह समझा जाता है कि जरूरत है वहां दिये जाते हैं।

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)---क्या यह सही है कि बैलों के चारे का इन्तजाम मास्टरों को अपनी तनख्वाह से करना पड़ता है?

श्री हरगोविंद सिंह---जी नहीं। मास्टरों को अपनी तनख्वाह से नहीं करना पड़ता है लेकिन उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने फार्म से बैलों के चारे का प्रबन्ध करें।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जहां जमीन खराब और कड़ी मिली है वहां उस को तोड़कर खेती योग्य बनाने के लिये कुछ रुपया सरकार उन की मदद के लिये मंजूर करती है?

श्री हरगोविंद सिंह---जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ३,२०० स्कूलों में यह व्यवस्था है उन में से कितने स्कूलों में हल-बैल हैं?

श्री हरगोविंद सिंह---जैसा कि मैंने बताया वह अब तक शायद ५ या ७ सौ स्कूलों में दिये जा चुके हैं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार अगली मार्च तक सब स्कूलों में हल बैल का प्रबन्ध कर देगी?

श्री ह गोविन्द सिंह---जी नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन स्कूलों को हल-बैल नहीं दिये गये हैं वहां कौन से काम अध्यापक और विद्यार्थी कृषि का करते हैं?

श्री हरगोविंद सिंह---वहां हाथ से नर्सरी लगाना, बाग लगाना, मेंड बांधना, क्यारी बनाना और हार्टीकल्चर का काम सिखाया जाता है, और गड्ढे खोदना, खाद लगाना और जमीन को जरखेज बनाने आदि का काम सिखाया जाता है, वह सब काम सिखाये जाते हैं जो हल-बैल के अलावा हाथ से हो सकते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार के पास ऐसी रिपोर्टें आयी हैं कि इस सूबे में जो यह नया तजुरबा किया गया है वह कामयाब हुआ है और अगर हुआ है तो क्या सरकार का इसको और बढ़ाने का इरादा है?

श्री हरगोविंद सिंह---हां, जहां तक कि अब तक की सूचना है उससे ऐसा मालूम होता है कि यह प्रयोग कामयाब हुआ है। मैंने बताया कि इम्साल ५० हजार रुपया टीचर्स और लड़कों में बांटा जा सका जो कि खर्च निकाल कर लाभ के तरीके से बचा था, मैं समझता हूं कि आइन्दा साल शायद यह भी संभव हो सके कि हम अधिक रुपया टीचर्स और बच्चों को दे सकें। यह काम ३,२०० स्कूलों में चल रहा है, जिनके पास जमीन है जो हायर सेकेंड्री या हाई स्कूल हैं उनको सहायता दी जाती है। अभी यूनिवर्सिटीज में यह काम नहीं चलाया जा सकता। प्राइमरी स्कूलों के भी बच्चे छोटे होते हैं उनको केवल बाग लगाने का ही काम सिखाया जा सकता है और खेती वगैरह के लिये उनकी उम्र कम होती है।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्कूलों को बैल नहीं दिये गये हैं वहां पर सिंचाई के लिये क्या प्रबन्ध सोचा गया है?

श्री हरगोविंद सिंह—कहीं नहर का और कहीं कुयें इत्यादि का प्रबन्ध किया जाता है। जहां जैसी आवश्यकता होती है, उसके लिये एक विशेष अधिकारी है, टीचर्स हैं, सुपरवाइजर हैं वह सब देखते हैं और जो उचित प्रबन्ध होता है वह वे करते हैं। सब स्थानों के लिये कोई निश्चित तरीका नहीं है, जहां जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार की सिंचाई का प्रबन्ध किया जाता है।

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वजीफा देने का आधार

*१७—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वजीफा किन-किन आधारों पर दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—योग्यता और निर्धनता के आधार पर वजीफे दिये जाते हैं।

*१८—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिला कमेटियों में जहां वजीफे निश्चित किये जाते हैं पिछड़ी जातियों की तरफ से कोई नुमाइन्दा रहता है या नहीं?

डाक्टर सीताराम—जी हां, पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को भी इन कमेटियों में रखने का नियम है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि यह नियम होने पर भी अधिकांश जिलों में इसका पालन नहीं हो रहा है?

डाक्टर सीताराम—ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अधिकांश जिलों में जिलाधिकारियों ने इस चीज को कर दिया है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन समितियों का चुनाव किस प्रकार होता है?

डाक्टर सीताराम—जुलाई २९, १९५३ के जी० ओ० को देखने से मालूम हो जायगा कि यह सब अधिकार जिलाधीश को दिये गये हैं, और जो नियम हैं उनके अनुसार वह समिति बनाते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन जिलों में पिछड़ी जाति के विधान सभा के सदस्य हैं, उन्हें उस कमेटी में रखने के प्रश्न पर वह विचार करेंगी?

श्री हरगोविंद सिंह—ऐसा तो कोई विचार नहीं है, वह कमेटी में रह भी सकते लेकिन सभी शायद न भी रह सकते हों।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार वजीफे के सिलसिले में मुसलमान कायस्थों को भी पिछड़ी जाति में रखती है?

श्री हरगोविंद सिंह—आज से पूर्व मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि मुसलमान कायस्थ भी होते हैं। इसलिये जाहिर है कि उसका तो प्रश्न भी नहीं हो सकता था।

गन्ना फैक्टरी राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद के गन्दे पानी से हानि

*१९—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गन्ना फैक्ट्री राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद के गन्दे पानी से आरिल नदी का पानी अत्यन्त हानिप्रद हो गया है?

नोट—तारांकित प्रश्न १९ व २० श्री शिवनारायण ने पूछे।

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां।

*२०--श्री महीलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस संबंध में उचित व्यवस्था कराने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश--उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उस गन्दे पानी को नदी में जाने से रोकने के लिये कोई प्रबन्ध कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश--यह प्रश्न केवल एक मिल का नहीं है बल्कि सब मिलों का है। उसके विषय में सरकार के विचाराधीन ये बातें हैं। मिलों के गन्दे पानी से नदियों, तालाबों आदि के पानी के खराब होने की समस्या प्रदेश की अधिकांश मिलों के साथ है। इसका निराकरण करने के लिये सरकार ने यू० पी० फैक्ट्रीज रूल्स, १९५० के रूल १८ में आवश्यक संशोधन तैयार करने का निश्चय किया है। संशोधित रूल का आलेख्य तैयार हो गया है और उस पर जनता के सुझाव और आपत्तियां भी सरकार ने प्राप्त कर ली हैं जिन पर इस समय विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चीफ इन्सपेक्टर आफ फैक्ट्रीज, उत्तर प्रदेश, ने राज्य के तमाम मिलों को आदेश जारी किया है कि वे अपने गंदे पानी को प्रारम्भिक अवस्था में साफ करने के लिये उचित आकार के सेटिलमेंट और फिल्ट्रेशन टैंक तथा इस साफ किये गये पानी को बहा कर नदियों, तालाबों आदि तक ले जाने के लिये पक्की नालियां बनवायें। सरकार ने भी इस संबंध में एक प्रेस कम्युनिक प्रसारित किया है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुरादाबाद अपने बाई लाज में सुधार करके मिल के गन्दे पानी को नदी में जाने से रोकने की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस गन्दे पानी का उचित प्रबन्ध कितने अर्से के अन्दर हो जायगा?

श्री कैलाशप्रकाश--कोई समय निर्धारित करना तो दुश्वार है, किन्तु प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या सरकार की यह योजना केवल गन्ने की मिलों से निकले हुये गन्दे पानी के लिये है या चमड़े की मिलों या और इस तरह की मिलों से जो पानी निकलता है उसके लिये भी है?

श्री कैलाशप्रकाश--जिन मिलों से भी गन्दा पानी निकलता है और स्वास्थ्य के लिये अलाभकर है उनके विषय में यह है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह सही है कि सरकार के सामने यह प्रश्न सन् ४६ से ही विचाराधीन है?

श्री कैलाशप्रकाश--यह निश्चित सन् तो मैं बता नहीं सकता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या यह सरकारी योजना जहां मिल का गन्दा पानी नदी में गिरता है, वहीं के लिये है या और जगहों के लिये भी है?

श्री कैलाशप्रकाश--जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि वह फिल्ट्रेशन टैंक भी बनायें।

एजूकेशनल रिओरियन्टेशन स्कीम में पिछड़ी व परिगणित जाति एक्सटेन्शन टीचर्स की नियुक्ति

*२१--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एजूकेशनल रिओरियन्टेशन स्कीम में इस वर्ष कितने एक्सटेन्शन टीचर्स की नियुक्ति की जाने वाली है और इसमें से कितने ग्रेजुएट और कितने अन्डर ग्रेजुयेट होंगे?

डाक्टर सीताराम—

ग्रेजुएट	..	२०५
अन्डरग्रेजुएट	..	२००
	योग ..	४०५

*२२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कुल कितने उम्मेदवारों को इन्टरव्यू में बुलाया गया और उनमें कितने परिगणित जाति के थे और कितने पिछड़ी जाति के?

डाक्टर सीताराम—१०९७५।

उनमें २९५ परिगणित जाति के और १०९६ पिछड़ी जाति के थे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह चुनाव हो गया, यदि हां, तो कितने परिगणित जाति के लिये गये और कितने पिछड़ी जाति के?

डाक्टर सीताराम—चुनाव हो गया। १२ परिगणित जाति के लिये गये और ३१ पिछड़ी जाति के लिये गये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब ४०५ व्यक्तियों का चुनाव हुआ तो उसमें केवल १२ ही परिगणित जाति के लोग क्यों लिये गये जब दरख्वास्तें २९५ व्यक्तियों की थीं और वह इंटरव्यू में बुलाये भी गये थे?

डाक्टर सीताराम—सूचना से विदित होता है कि उनमें से बहुत से आदमी क्वालिफाइड नहीं थे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इन्टरव्यू में बुलाये जाते हैं वे क्वालिफाइड होते हैं या अनक्वालिफाइड?

श्री हरगोविन्द सिंह—सब क्वालिफाइड बुलाये जाते हैं। इसमें शायद माननीय सदस्य को मालूम हो कि एग्रीकल्चरल ग्रेजुयेट्स या जिन्होंने ऐग्रीकल्चरल इंटरमीडियेट पास किया था या जिन्होंने ऐग्रीकल्चर में डिप्लोमा प्राप्त किया है उनको प्रिफरेंस दिया गया और ये इस योग्यता के नहीं थे।

*२३—श्री रामचन्द्र विकल—[३० सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

कनइल, जिला गोरखपुर में मकतूली आदि की भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने भेजा है जो इस प्रकार है—"बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति में सरकारी लापरवाही के कारण ग्राम कनइल, तहसील बांस गांव, जिला गोरखपुर के श्री शिवदत्त हरिजन की स्त्री लड़का तथा लड़की जिनका नाम क्रमशः मकतूली, द्वारिका तथा बकी था, भूख से मृत्यु होने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति पर वाद विवाद के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके साथ माननीय सदस्य ने मेरे पास दो पत्र भेजे हैं। एक तो श्री शिवदत्त चमार का है जिसके यहां यह मृत्युयें हुईं और दूसरा है जिला मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर का। मैंने दोनों को पढ़ा है। तो जिनके यहां मृत्यु हुई उनका कहना यह है कि "जब घनघोर वर्षा हुई तब हमारा परिवार जब भूख से तड़पन लगा तो लगभग दो तीन दिन भूखे रहने के कारण

पिछले १६ अगस्त को, शुक्रवार के दिन, बच्चों को खिलाने के लिये मेरी स्त्री और मकतूली ने आम की गुठली की रोटी बनाई और अपने तथा दो बच्चों को खिलाई। दुर्भाग्यवश गुठली जहरीली होने के कारण मेरी स्त्री और दो बच्चे जिनका नाम फलां फलां है, वे मर गये" और श्री अश्विनीकुमार जी लिखते हैं कि भूख से तड़पने और चिल्लाने के बाद आम की गुठली खा कर मर गये। इस तरह का उनका कथन है।

मैंने इसलिये यह सदन में बात रक्खी कि मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि ऐसे प्रश्नों के बारे में जैसा मैंने पहले भी कह दिया था शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स कर देने चाहिये तो ज्यादा अच्छा हो और इस विषय के संबंध में ऐसे प्रश्न पूछे भी गये थे लेकिन सरकार की तरफ से वे नामंजूर कर दिये गये? तो मैं इतना जरूर सरकार से कहूंगा कि जब ऐसे प्रश्न आयें तो उनको अल्पसूचित प्रश्नों के रूप में स्वीकार कर लेना अच्छा होता है। तार या फोन से सरकार ऐसे-ऐसे महत्व के प्रश्नों के बारे में मालूमात कर ले तो अधिक अच्छा हो बनिस्बत इसके कि उन पर कामरोको प्रस्ताव आया करे और उसको मैं हर दम कहूं कि यह आ नहीं सकता। जहां तक इस काम रोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह वाकयात १६ अगस्त के हैं। काफी पुराना मामला हो चुका है और मैं समझता हूं कि १७,१८, १९ को इस सदन में बाढ़ के संबंध में बहस भी हुई थी। इसी दर्मियान का यह सवाल है। तो मुझे तो यह दिखाई नहीं देता कि बहस के बाद कोई ऐसा प्रश्न विवाद के लिये उठाना उचित होगा। सब बातों पर विचार उस वक्त हो चुका था कि क्या-क्या कार्यवाही होनी चाहिये। कहीं व्यवस्था में अगर एक आध जगह गड़बड़ी हो, रोज के इन्तजाम में, तो उससे सरकार से कोई संबध नहीं आता। जब तक सरकार से कोई प्रत्यक्ष सबध न आ जाय और लापरवाही सिद्ध न हो तब तक वह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता। रोज के इन्तजाम में कहीं कोई गड़बड़ी हुई और उसमें अधिकारियों की भूल भी हो गई, या यह मान भी लिया जाय कि भूल हो गई तो वह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता बल्कि प्रश्न पूछ कर उस पर किसी कार्यवाही के लिये सरकार की तवज्जह दिलानी चाहिये। इसलिये मैं इस काम रोको प्रस्ताव को इस दृष्टि से अस्वीकार करता हूं।

दूसरे वाकयात में भी बड़ी है अनिश्चित सी बात है। जिसके घर में मृत्युएं हुई थीं स्वयं कह रहे हैं कि जहरीली गुठली की वजह से मरे। वे भूख से मरे और जहरीली गुठली खा कर मरे इनमें बड़ा अन्तर है, क्योंकि कई दिन तक भूखे रह कर मरना संभव है, लेकिन मरने में १०,१५ दिन तो लगेंगे ही। जहरीली गुठली से कुछ ही समय में आदमी मर सकता है। इसलिये यह अनिश्चित है कि वह भूख से मरे। मैं इसको कामरोको प्रस्ताव का विषय होना उचित नहीं समझता, लेकिन इस किस्म के वाकयातों में यह अवश्य होना चाहिये कि जब ऐसे जिम्मेदार माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न उठायें तो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार कर लिये जाया करें। यह हो सकता है कि अगर उनके उत्तर देने में तीन दिन से ज्यादा समय लगता हो तो कह दिया जाय कि ६ या ७ दिन के बाद उनका जवाब दे दिया जा सकता है अगर मेरे पास ऐसी सूचना आ जाय तो ऐसे प्रश्नों पर कामरोको प्रस्ताव यहां लाने की आवश्यकता न पड़ेगी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमान् जी कृपा कर क्या बतलायेंगे कि इस प्रकार की चिट्ठियां अक्सर उस मुहल्ले में क्यों आया करती हैं। इधर क्यों नहीं आया करतीं?

श्री अध्यक्ष—खैर, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जो आपने सुन्दर व्यवस्था अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की की उसके मातहत मैंने नहर रेट संबंधी आन्दोलन में जो जुरमाने हुये थे उस संबंध में एक प्रश्न दिया है। उसको दिये हुये ८,९ दिन हो गये हैं। मैं उस पर एजर्नमेंट मोशन ला रहा था तो आपने कहा कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दो। उसमें भी बड़ा

विलम्ब हो रहा है। तो मैं बड़ी मुसीबत में हूं कि मुकदमा करूं या नहीं। तो मैं समझता हूं कि उसका जवाब भी मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये तो मैंने सुझाव दिया है। अगर उस पर अमल न हो तो आप ऐसे प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री रामनारायण—दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी थी कि आज भी उग्रसेन सिंह, देवरिया ने एक १७ पेज का पत्र मुझे दिया है जिसमें जिले के हर गांव का डिटेल ब्योरा है। लेकिन चूंकि माननीय रामनारायण जी का यह एजर्नमेंट मोशन आया था तो मैंने सोचा कि उसमें ही मेरी बात आ जायगी। मैं वह पत्र भी उनके पास पूरा भेज दूंगा। आप भी कहते हैं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव न आये और काम चलता रहे। हमारी तो इच्छा है कि काम अपना सरकार देखती रहे। रामनरेश शुक्ल जी ने जैसा कहा, उसमें तो हम अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक हैं इसलिये लोग हमारे पास अपनी समस्यायें रखते हैं . . .

श्री अध्यक्ष—मैंने आपको इसकी इजाजत नहीं दी थी कि आप उसका जवाब दें।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये विधान सभा को एक सदस्य का चुनाव करना है। इसके लिये समय के अन्दर निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं :—

१—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल;
२—श्री मलखान सिंह;
३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ; और
४—श्री देवराम।

यह नामांकन पत्र ठीक हैं और इनको वापस लेने की तिथि २० सितम्बर, १९५५ को ४ बजे तक है। अब अगर यह वापस नहीं होंगे तो उस पर बाद में निर्णय होगा।

१९ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ४-५ से सम्बद्ध एक पूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—अध्यक्ष महोदय, १९ अगस्त, १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या ४,५ से संबंधित श्री शिवनारायण के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह उत्तर दिया था कि सरकार ने अब तक करीब ७,८ लाख रुपया दिया होगा। किन्तु मेरे विभाग में आपके कार्यालय से उत्तर की जो प्रतिलिपि प्राप्त हुई है उसमें ७,८ लाख के बजाय ७,८ हजार लिखा था। ठीक उत्तर ७,८ लाख है। कृपया कार्यवाही में उचित संशोधन कर दिया जाय।*

श्री रामनारायण त्रिपाठी के प्रश्नों को 'अल्पसूचित' न मानने के सम्बन्ध में माल मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, मुझे इस ऐजर्नमेंट मोशन के विषय में तो कुछ कहने का मौका नहीं, लेकिन आपने जो सुझाव दिया था उसके सिलसिले में कुछ सफाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्यों नामंजूर किया आपने ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी हां, यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन रामनारायण त्रिपाठी जी ने १० सितम्बर को असेम्बली के आफिस में भेजा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में १२ सितम्बर को आया और जिस विषय की बाबत था उसकी खबर २२ अगस्त के नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित हो चुकी थी और उसकी कटिंग मेरे पास मेरी फाइल में मौजूद थी। गुठली खाने से ३ आदमी मर गये

---

*१९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में यथावत् संशोधन कर दिया गया।

[श्री चरण सिंह]

यह खबर २२ अगस्त को निकल चुकी थी और १२ सितम्बर को शार्ट नोटिस क्वेश्चन की बाबत पूछा जा रहा था। मैंने यह समझा था कि जो वाकया हो चुका और २० रोज पहले हो चुका, वह ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर फौरन ही तार के जरिये मालूमात करायी जाय। जिन माननीय सदस्य ने पूछा है उनको भी इसकी अर्जेन्सी नहीं रही थी इसलिये मैंने यह मुनासिब समझा कि पूरी तफसील मंगा ली जाय ताकि सप्लीमेंट्री जवाब दिया जा सके। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी।

श्री अध्यक्ष--ऐसी अवस्था में मेरे पास यह सूचना आ जानी चाहिये कि किन कारणों से आपने नामंजूर किया। क्योंकि जो कारण आपने अभी बताया, वह मुझे मालूम होता तो मैं माननीय सदस्य को बता देता कि किस वजह से यह हुआ? जिसमें सदन का काम खामख्वाह न बढ़ता। यदि उत्तर अगर ठीक मेरे पास आ जाय तो फिर ऐसे प्रस्ताव की कोई गुंजाइश भी न रहे। क्योंकि माननीय मंत्री जी को यह अधिकार है नियमों के अनुसार कि आप केवल इतना ही कह दें कि आप अल्पसूचित प्रश्न लेना नामंजूर करते हैं। यदि इसका फायदा उठाकर अगर आप कारण नहीं बतायेंगे तो कभी-कभी यह चीज पैदा हो सकती है कि नामंजूरी के बाद कामरोको प्रस्ताव के द्वारा उस विषय पर प्रश्न उठाया जाय। तो ऐसी अवस्था में जब किन्हीं व्यक्तियों का भूख से मरने का सवाल आवे तो समाज में बहुत गर्मा-गरमी इस वजह से हो जाती है, ऐसे प्रश्नों के अल्पसूचित उत्तर देने की असमर्थता के आप कारण बता दें। हर एक प्रश्न के नामंजूर करते समय कारण देने का सुझाव मैं नहीं दे रहा हूं।

श्री चरण सिंह--जैसा आपने बताया नियमों में पूरा डिस्क्रीशन मिनिस्टर को है, इसलिये उचित नहीं समझा। आगे से मैं इसका ख़याल रखूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ तारीख को इसलिये किया था कि पत्र मेरे पास ३ तारीख को आया था और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि २२ तारीख के नेशनल हैराल्ड में यह खबर छपी थी और तब भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे तो और लापरवाही सिद्ध होती है सरकार की कि इतने दिनों तक इसकी जांच नहीं करायी। तो मैंने एक हफ्ता पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा था १२ को नहीं ५ तारीख को।

श्री अध्यक्ष--अब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा।

अनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तीव्र करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसमें मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था और उसमें मैंने जो ओरिजिनल प्रस्ताव है उसको संशोधित रूप में रखा है, तो अगर आपकी आज्ञा हो और हाउस की आज्ञा हो तो ओरिजिनल प्रस्ताव लाने के बजाय जो संशोधित प्रस्ताव है उसको हाउस के सामने रख दूं।

श्री अध्यक्ष--आप जिस शक्ल में लाना चाहते हैं उस शक्ल में लायें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं इस संबंध एक निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष--क्या कोई वैधानिक आपत्ति है?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, वैधानिक ही समझ लीजिये या अर्ध वैधानिक समझ लीजिये।

श्री अध्यक्ष--तो आप कृपा करके अभी बैठ जाइये। उनको पहले संकल्प पेश करने दीजिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधित प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में पेश कर रहा हूं ——

श्री अध्यक्ष—आपने तो अभी कोई संकल्प पेश ही नहीं किया। संशोधन का सवाल कहां पैदा होता है?

***श्री वीरेन्द्रपति यादव**—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि :—

> "इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है और न निकट भविष्य में उसमें विशेष उन्नति होने की संभावना ही प्रतीत होती है, अतः संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यकीय है कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की गति को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र किया जावे ताकि संविधान में दिये हुये निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की पूर्ति हो सके।"

श्री अध्यक्ष—यानी जो संशोधन आपने रखा था उस शक्ल में आप संकल्प रख रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—जी हां।

श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)—मैं एक वैधानिक आपत्ति आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि चूंकि अब इस प्रस्ताव की दूसरी रूपरेखा हो गई तो जो पहले से संशोधन आये हुये हैं उनके अलावा इस वक्त आपकी स्वीकृति यह मिलनी चाहिये कि उसके अनुसार जो नया प्रस्ताव है, उसी के अनुसार संशोधन भी आ सकें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। आ सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता था कि जैसे आज १६ सितम्बर गैरसरकारी दिवस है और यह चार प्रस्ताव हैं तो ऐसा होता है कि प्रमुख प्रस्ताव सब हैं, लेकिन एक ही प्रस्ताव पर पूरा दिन हो जाता है और उसके बाद आगे वह आ नहीं पाते। तो अगर सदन यह चाहे, श्रीमन्, हमारा कोई इनसिस्टेंस नहीं है, मगर यदि सदन चाहता हो, और आप उचित समझें तो जो बहुत ही प्रमुख हैं उनके लिये भी कुछ ऐसा समय निर्धारित कर दिया जाय जैसे कि एक माननीय द्वारिका प्रसाद जी मौर्य का भी प्रस्ताव हैं जो कि सारे उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिये।

श्री राजनारायण—जी नहीं, बोल नहीं रहा हूं। वह आवश्यक इसलिये है श्रीमन्, कि एक ही परगने में चार-चार तरह के रेट्स ......

श्री अध्यक्ष—आप उसके ऊपर भाषण न दें। आपने एक सुझाव दिया। उस संबंध में और लोगों के भी विचार हैं। असरकारी संकल्पों में लाटरी डाली जाती है कि कौन-कौन से प्रस्ताव प्राथमिकता के अनुसार सामने आने चाहिये। अगर एक वक्त की लाटरी के सभी प्रस्ताव सदन में एक साथ पेश कर दिये गये तो उसका नतीजा यह होगा कि कितने ही असरकारी दिनों तक वह चलते रहेंगे। फिर दूसरों को अपने संकल्प लाने का मौका नहीं रहेगा। आजकल जो प्रथा चालू है उसमें बहुतों को मौका मिल जाता है कि जिनके प्रस्ताव पहिली लाटरी में पहले न आये और यदि वे उन्हें महत्व के समझते हैं, तो दुबारा लाटरी हो जाती है उसमें आ जाते हैं और जो बहुत अधिक महत्व के हैं वह बार-बार भी आ जाते हैं। ३०-३०, ४०-४० सदस्य दस्तखत करके महत्व के संकल्पों को दे देते हैं और अलग-अलग भी वह भेज देते हैं तो नतीजा यह होता है कि वह फिर आ जाते हैं। इसलिये अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

एक साथ सब प्रस्ताव उपस्थित कर दिये जायं तो उनका नुकसान हो जाय और उनके प्रस्ताव दुबारा न आ पायें। ऐसे लोगों को फिर लाटरी डालने से फिर मौका मिल जाता है। तो इसमें अगर कोई सदस्य चाहे किसी प्रस्ताव को जल्दी खत्म करना जिसमें आगे के प्रस्ताव लिये जा सकें तो कोई भी सदस्य क्लोजर मूव करके उसे खत्म करा सकता है सदन की अनुमति प्राप्त होने पर।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, आज दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की और संविधान की नीति होते हुये भी कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया जावे, आज विशेष कर ग्रामीण जनता सरकार की इस नीति का लाभ नहीं उठा पा रही है। हम देखते हैं कि सरकार की जो नीति है और जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी, कम से कम कागज पर तो दोनों में बहुत अन्तर नहीं मालूम पड़ता है, सिवाय इसके कि संविधान में प्रदेशीय सरकार को एक डाइरेक्टिव दे दिया गया है कि एक निर्धारित समय के अन्दर देश में शिक्षा को फ्री और कम्पलसरी कर दिया जाय। हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार के प्रारम्भिक काल से ही शिक्षा के इतिहास के पन्नों पर करीब-करीब आज वही भाषा पाते हैं जो आज हमारी सरकार की आज की पुस्तकें हैं शिक्षा की उनमें हम भाषा पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सब से पहले सन् १८५४ ई० की शिक्षा की पुस्तकों में हमने देखा है कि सरकार का विचार था कि प्रदेश के गांव-गांव में स्कूलों का जाल बिछाया जाय।

श्री अध्यक्ष--किस सन् की बात आपने कही?

श्री वीरेन्द्रपति यादव--१८५४ की बात कही, फर्स्ट एजूकेशनल डिस्पैच।

श्री अध्यक्ष--यानी सौ वर्ष पहले की?

श्री वीरेन्द्रपति यादव--जी हां। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि १९०४ और १९१२ की सरकार की जो शिक्षा नीति रही है, उसके दो चार शब्द यह हैं:--

"प्रदेशीय सरकारों का यह परम कर्त्तव्य है कि प्रदेश में सर्वप्रथम प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार किया जावे।"

उसके बाद यह तो रही शिक्षा के प्रसार की बात, लेकिन आज ४०-४५ साल हो गये, जिस बात की मांग आज हम कर रहे हैं, या जिस बात की मांग हमारी विधान सभा में संविधान को बनाते वक्त देश के नेताओं ने की कि देश में शिक्षा को फ्री और कम्पलसरी कर दिया जाय यह कोई नयी मांग नहीं है।

सन् १९१० में भी माननीय गोखले ने एक प्रस्ताव केंद्रीय सभा में रखा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक साल बाद ही १९११ में उन्होंने इस अन्न का विधेयक भी प्रस्तुत किया। लेकिन यह अर्ध शताब्दी व्यतीत हो जाने के बाद भी आज इतिहास अपने को दोहरा रहा है और आज इस प्रदेश की विधान सभा में भी वही प्रस्ताव पेश हो रहा है जो कि अर्ध शताब्दी पहले हमारे देश के एक महान नेता ने किया था। वैसे तो मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने की कुछ अधिक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे संविधान में एक डाइरेक्टिव है जिसमें सरकार को आदेश दिया गया है कि इस संविधान के प्रारम्भ होने के १० साल के भीतर इस बात का प्रयत्न किया जाय कि प्रदेशों में शिक्षा को फ्री और कम्पलसरी कर दिया जाय। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा की गति में कोई विशेष, मैं शब्द "विशेष" का ही प्रयोग करूंगा, कोई विशेष उन्नति हम नहीं कर पाये हैं। इसके बाद, आज कल की जो शिक्षा प्रणाली है, सरकार इस बात को स्वयं ही मानती है कि आज कोई पौने चार करोड़ के रुपया हम प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, उसमें से लगभग ४९ फीसदी रुपया फिजूल जा रहा है। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि शिक्षा की जो पुस्तकें हैं उन्हीं के आंकड़ों से कह रहा हूं कि यह रुपया किस तरह से खर्च हो रहा है।

हम सभी जानते हैं कि जब तक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य नहीं किया जाता है तब तक जो हमारे बच्चे पाठशालाओं में पढ़ने के लिये जाते हैं वह किन्हीं कारणों से, वह कुछ भी हों, स्कूलों को, पाठशालाओं को छोड़ देते हैं और चार पांच साल निरन्तर अध्ययन न होने के कारण जो कुछ साक्षरता थोड़ी बहुत उनमें आती है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। इसीलिये महात्मा गांधी ने सन् १९३७ में वार्धा एजूकेशनल कांफ्रेंस में कहा था :—

"This expenditure on primary education is a waste of money inasmuchas whatever little is taught is soon forgotten."

हम यह भी देखते हैं कि इस बीच में विशेषरूप से १९३७ से आजतक जो प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है वह अधिक संतोषजनक नहीं है। अगर हम सेन्सस रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहें कि जिस तरह से हमारी आबादी प्रदेश की बढ़ी है और जिस तरह से १९३१ में १४ फीसदी के करीब आबादी बढ़ी, उसके बाद १९५१ में यानी २० साल बाद १२—१४ फीसदी बढ़ी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में डेढ़ दो करोड़ के करीब आबादी बढ़ गयी। उस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये और पाठशालाओं के आंकड़े और बच्चों की संख्या को देखते हुये हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा की तरफ जो उन्नति आपने की है वह संतोषजनक नहीं है। हमने देखा कि १९११ में शिक्षा का प्रतिशत ३·४ था, यानी १३ लाख बच्चे पढ़ा करते थे। उसके बाद १९३१ में देखा कि वह संख्या २३ लाख के करीब हो गई। १९४१ में वह संख्या ४७ लाख के करीब हो गई। अब जो प्रतिशत १९५१ की सेंसस रिपोर्ट में दिया हुआ है उसको अगर माना जाय तो हमारे प्रदेश में जो साक्षरता है वह मैं समझता हूं १०·४ है। अगर इसमें से हम शहर की आबादी निकाल दें तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे ग्रामों में चार साढ़े चार प्रतिशत से अधिक साक्षरता नहीं होगी।

अब देखना यह है कि यह धीमी गति सरकार की तरफ से जो रही है उसका क्या कारण है इसकी जिम्मेदारी सरकार पर भी हो सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी दूसरी तरफ भी है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज इस बात की आवश्यकता नहीं है कि सरकार उच्च शिक्षा पर अधिक खर्च करे। आज सरकार का ध्यान उच्च शिक्षा की तरफ अधिक जा रहा है, लेकिन जहां प्रारम्भिक शिक्षा का प्रश्न है वहां सरकार उदासीन सी मालूम पड़ रही है। दूसरा कारण, जैसा मैंने बतलाया, प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य न होने के कारण बच्चे घटते रहते हैं। तीसरा कारण इसका मैं यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश में एक डबल बोझा भी है। वह यह कि हमारे बच्चों की तादाद इस प्रदेश में दूसरे प्रदेशों को देखते हुये सब से अधिक है। चौथी चीज यह है कि हमारे प्रदेश की आमदनी एक इंडस्ट्रियल प्रदेश न होने के कारण, केवल खेतिहर प्रदेश होने के कारण पर केपिटा बहुत ही कम है। ये कारण किस तरह से हटाये जा रहे हैं इसको सरकार ही अच्छी तरह से समझ सकती है। लेकिन यह कह देना मैं उचित ही समझता हूं कि प्रदेशीय सरकारों का कर्तव्य मुख्य तौर से उच्च शिक्षा को बढ़ाना नहीं है बल्कि प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर उसे अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं एक पुरानी पुस्तक से उद्धरण पढ़ रहा हूं। हालांकि आंकड़ों को देखते हुये यह कहा जायगा कि यह पुरानी चीज है, लेकिन यह जो पुस्तक है दिनकर देसाई की, इसमें यह लिखा हुआ है :—

"In this Connexion it is to be greatly regretted that when only about 10 per cent of the population is literate the need for increased Provision for primary education is not realised either by provincial Governments or other educationists. In this connexion we are Permitted to quote the words of His Execllenay the Governor of Bombay which he uttered only the other day. Government, he declared is chiefly concerned with primary education and to a less degree with seccndary education."

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

जबकि एक विदेशी गवर्नर का यह कथन हो सकता था कि सरकार का मुख्य कर्त्तव्य प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार करना है न कि उच्च शिक्षा का, तो हम इसको बलपूर्वक कह सकते हैं कि जो इस गवर्नर ने बात कही थी वह आजकल के समय में जब कि हमारे यहां प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है तो सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है कि बजाय उच्च शिक्षा के वह प्रारम्भिक शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान दे।

आज हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार ने १९४७ में एक योजना बनाई और हम लोग स्वप्न देख रहे थे कि संविधान में जो समय निर्धारित किया गया है उसके अन्दर हमारी शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो जायगी लेकिन जिस स्वप्न की हम पूर्ति करना चाहते थे, तीन साल के बाद, वह व्यर्थ गया। सन् १९४७ में सरकार ने योजना बनाई कि प्रदेश में २२,००० स्कूलों का निर्माण किया जाय और सरकार कुछ हद्द तक सफल भी रही। १९४७-४८-४९ और १९५० में ११,००० स्कूल खुले और इसके बाद सरकार की योजना समाप्त सी हो गई। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जिस बात की वह घोषणा करते हैं कि प्रदेश में सरकार ने ११,०००स्कूलों की स्थापना की तो उन्होंने उनमें से एक-एक हजार रुपया कितने स्कूलों को दिया और कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो पूर्णरूप से बन चुकी हैं? मैं कहने के लिये तैयार हूं कि इन स्कूलों में इमारत बनी हुई हैं, उनके संबंध में हम लोगों की तरफ से और सरकार का कहना है कि यह स्कूल पूरे हो चुके हैं, उनमें से सात हजार स्कूल ऐसे हैं जिनकी दशा अधूरी है, जिनकी इमारत अधूरी बनी है और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके लिये सरकार ने एक-एक हजार रुपये देने के लिये कहा था वह भी सरकार अभी तक नहीं दे सकी है।

इसके बाद हम देखते हैं कि जो केंद्रीय सरकार की ओर से रिपोर्ट निकलती है उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र भी किया गया है। उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में ५२-५३ में ५१ के बजाय जो विद्यार्थी पाठशालाओं में पढ़ते थे उनकी संख्या गिर गई अगर मैं यह कहूं कि इन सब का कारण सरकार की उदासीनता है और सरकार प्रारम्भिक शिक्षा पर अधिक रुपया खर्च करना नहीं चाहती है तो वह गलत बात न होगी।

अब प्रश्न यह होता है कि आज हमारे प्रदेश में इतना कम रुपया खर्च होने के कारण हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत से प्रदेशों से पीछे है। जहां हम इस बात का गर्व करते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत सी बातों में अग्रगण्य रहा, चाहे जमींदारी अबालीशन का प्रश्न ले लीजिये, चाहे पंचायत स्थापना का सवाल लीजिये, चाहे प्रोहीबीशन का सवाल ले लीजिये, लेकिन हम इन बातों का गर्व करते हैं, वहां हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में जो साक्षरता का आंकड़ा है वह और सरकारों से पीछे है। बम्बई और मद्रास का तो कहना ही क्या है लेकिन हमारे देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जो बी और सी श्रेणी के हैं, अगर मैं यह कहूं कि हमारा प्रदेश इन बी और सी श्रेणी के राज्यों से भी पीछे है तो मैं समझता हूं कि यह सत्य ही होगा। देहली को ले लीजिये, कुर्ग को ले लीजिये, अजमेर को ले लीजिये, मैसूर को ले लीजिये, हम देखते हैं कि वहां साक्षरता कितनी अधिक है हमारे प्रदेश की अपेक्षा। वहां साक्षरता अधिक है। हमारे यहां विशेषरूप से जब हम लोग जनतंत्र में विश्वास करने लगे हैं तो सरकार को चाहिये कि वह प्रारंभिक शिक्षा के लिये रुपये का प्रबंध करे। इसमें मैं तो समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया ही खर्च हो सकता है कि जो हमारा बजट है उसका कम से कम ६० फीसदी शिक्षा पर व्यय होना चाहिये। यह रुपया कहां से आवे? इसके लिये मैं यह समझता हूं कि जैसा दूसरे देशों में किया गया है वही यहां पर भी करना चाहिये। जहां-जहां प्रारंभिक शिक्षा आरम्भ की गयी है वहां पर एजुकेशन टैक्सेज लगाये गये हैं। जहां तक इस टैक्स का सवाल है लोग इससे अब कुछ चिढ़ से गये हैं लेकिन जहां तक इस टैक्स का सवाल है लोग शिक्षा की खातिर एजुकेशन टैक्स लगाने पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। दूसरे देशों में भी इस तरह से किया गया है। जैसा कि हमारे यहां केन्द्रीय सरकार ने डेथ ड्यूटी लगायी है उससे करोड़ों रुपया सरकार के रेवेन्यू में आयेगा। उसके लिये हमारी प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार

से यह अनुरोध करना होगा कि डेथ ड्यूटी के रुपये में से कुछ रुपया प्रदेश की सरकार को दिया जाय जिससे वह शिक्षा पर और अधिक व्यय कर सके। इसके अलावा मैं समझता हूं कि अगर प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाय तो इसके लिये एजूकेशन लोन की योजना बनायी जा सकती है। जिस प्रकार से नेशनल प्लान लोन और दूसरे लोन लेने की योजना बनायी गयी है इसी तरह से अगर एजूकेशनल लोन लेने की योजना बनायी जाय तो कोई कारण नहीं है कि लोग इसमें आगे न आ सकें जिस प्रकार से उन योजनाओं में करोड़ों रुपया आ सकता है तो इसमें भी रुपया आ सकता है। तो मैं नहीं समझता कि सरकार इस अच्छे काम के लिये घोषणा क्यों नहीं करती है और जनता से रुपये की क्यों नहीं मांग करती है?

जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है सरकार की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल और कालेज चल रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि आज सरकार के जो स्कूल और कालेज हैं वह अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। अगर प्राइवेट एडेड स्कूल और कालेजों का सरकार के स्कूल और कालेजों के परिणाम का मुकाबला किया जाय तो यही मालूम होगा कि प्राइवेट संस्थाओं का परिणाम अच्छा रहता है। इससे यह मालूम होगा कि सरकारी संस्थाओं का काम अच्छा नहीं हो रहा है या जो स्तर वहां पर शिक्षा का है उससे वह ऊंचे नहीं उठना चाहते हैं। इसका इलाज तो यही हो सकता है कि जितने भी सरकारी स्कूल और कालेज हैं उनको तोड़ दिया जाय चाहे वह सेकेंडरी स्कूल हों या कालेज हों। उससे करीब डेढ़ दो करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और उस डेढ़ दो करोड़ रुपये को इस योजना पर लगाया जा सकता है। इस तरह की चीज दूसरे देशों में की गयी है। जो इन्कम टैक्स सेंट्रल सबजेक्ट हुआ करता है कुछ उसमें से प्रदेश को हिस्सा मिला करता है, उसको एजूकेशन की तरफ लगाया जाता है। जो हमारे प्रदेश को इन्कम टैक्स का हिस्सा केन्द्रीय सरकार से आता है अगर उस रुपये को हमारी सरकार प्रारंभिक शिक्षा की तरफ लगा सके तो अच्छा होगा। इससे करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है और कुछ काम प्रारंभिक शिक्षा की तरफ बढ़ सकता है।

तीसरी चीज यह है कि यह भी एक सोर्स हो सकता है कि कुछ लेजिस्लेशन ऐसा बनाया जाय कि जो मालदार व्यक्ति हों, जिसको कोई आर्थिक कठिनाई नहीं है उनके लिये एक स्टैन्डर्ड रहने का फिक्स कर दिया जा सकता है और उनसे इस योजना के लिये शिक्षा प्रसार करने के लिये अनिवार्य रूप से कुछ रुपया लिया जा सकता है। मैं समझता हूं यहां भी इस प्रकार का कोई बिल लाया जा सकता है। दूसरे देशों में ऐसी योजना बनायी गयी है अगर औसत लिया जाय तो हमारे यहां १४ प्रतिशत कुल आबादी का ६ से १४ साल के बच्चों का आता है और इस तरह से यह संख्या प्रान्त में ८०-६० लाख के करीब आती है। अगर सरकार के आंकड़े ठीक हैं तो सरकार ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करने में कम से कम १३ रुपया फी बच्चा खर्च हो सकता है और अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाय तो १०-११ करोड़ रुपये का व्यय बढ़ जाता है और एक रिकरिंग या चालू खर्च बढ़ा जाता है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता केवल इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर सरकार को इस प्रदेश को बढ़ाना है, इसे अन्धकार से और निरक्षरता से निकालना है और ग्रामीण जनता को ऊपर उठाना है और सरकार वास्तव में यदि ग्रामीण जनता की सच्ची प्रतिनिधि बनना चाहती है तो हमें उनकी मांगों को जिनसे हम वोट लेते हैं, अवश्य ध्यान में रखना होगा। अगर आप निरक्षरता को दूर करना चाहते हैं और यहां जनतंत्र प्रणाली को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको देश में शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा और देश की जनता के हित के लिये बनाये गये संविधान के ४५ वें अनुच्छेद के लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी। जो खर्च हम कम्युनिटी प्रोजेक्ट आदि पर कर रहे हैं वह सब तो अस्थायी चीजें हैं, चाहे हम उद्योग धंधों की तरक्की करें चाहे खाद्यान्नों को बढ़ावें लेकिन जब तक हमारी ग्रामीण जनता साक्षर और शिक्षित नहीं होती है तब तक जो कुछ भी लाभ हमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट आदि से हो रहा है वह अस्थायी है, २०-२५ साल में पूरा हो सकता है। मैं कहूंगा कि वास्तव में माननीय शिक्षा मंत्री जी ग्रामीण हैं और वह शिक्षा की ग्रामीण समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, उनको यह न भूलना चाहिये और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहां की शिक्षा की समस्या को हल न किया तो मैं समझता हूं कि वह देश के हित में न होगा।

श्री अध्यक्ष--संशोधन चूंकि नई शक्ल में आये हैं इसलिये जिसके जो संशोधन जिस जगह आयेंगे, उसी क्रम से मैं पेश करने के लिये नाम पुकारूंगा।

***श्री राधामोहन सिंह** (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रथम पंक्ति में "उत्तर प्रदेश" से लेकर तीसरी पंक्ति में "प्रतीत होती है अतः" तक सब निकाल दिया जाय। मेरा इस संशोधन को उपस्थित करने का उद्देश्य यह है कि मेरे ख्याल से यह शब्द इस में अनावश्यक हैं। जहां तक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रश्न है इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है। इसके साथ-साथ यह कहना कि आज जो कुछ हो रहा है वह सन्तोषजनक नहीं है, अथवा ऐसी भावना है कि आगे भी उस में कोई उन्नति नहीं हो सकती। मैं इस प्रस्ताव में इसकी आवश्यकता नहीं समझता। संविधान के अनुसार अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये, यह कारण ही काफी है और उन शब्दों को अधिक जोड़ कर न तो प्रस्ताव को कोई अधिक बल मिलता है और न कोई तर्क ही उपस्थित होता है।

दूसरी बात यह है कि अगर इस प्रकार के शब्द प्रस्ताव में लाये जाते हैं तो सदन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इन शब्दों की जांच करे और इस सम्बन्ध में आंकड़े रखे जिससे साबित हो कि शिक्षा की यहां क्या प्रगति हुयी है जिसके आधार पर हम निर्णय कर सकें कि जो कुछ प्रगति हुयी है वह संतोषजनक नहीं है। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि सदन में समय-समय पर जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते रहे हैं उनसे यह पता चलता है कि काफी प्रगति हुयी है और संतोषजनक हुयी है। "प्रगति" शब्द के प्रयोग से पहले हमें यह समझ लेना चाहिये कि प्रगति के माने क्या हैं। जब तक लक्ष्य सामने न हो तब तक उसकी तरफ हमारी प्रगति नहीं हो सकती। जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है हम उसकी तरफ काफी आगे बढ़े हैं। मैं नहीं कहता कि हम लोग अपने ध्येय तक पहुंच गये हैं लेकिन जिस अवस्था में हम थे इन चन्द सालों में हम जो कर पाये हैं उसमें हम बहुत काफी आगे बढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष--आपका संशोधन "प्रतीत होती है" तक है या आप "अतः" तक निकाल देना चाहते हैं।

श्री राधामोहन सिंह--जी हां, "अतः" तक निकालना चाहता हूं। मेरे संशोधन के बाद प्रस्ताव का रूप यह होगा।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यकीय है कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की गति को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र किया जावे ताकि संविधान में दिये हुये निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की पूर्ति हो सके।"

मैं समझता हूं कि इतना प्रस्ताव यह ऐसा है जिसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता। यह अच्छा ही हुआ कि इस प्रस्ताव के अन्दर जो तिथि निश्चित की गयी थी वह हटा दी गयी है। इससे मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को भी इस प्रस्ताव को मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती। जहां तक साधन जुटाने की बात है हमें अवश्य विशेष ध्यान उस ओर देना है जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इस विषय में कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से क्या लाभ होंगे इस सम्बन्ध में हमारे सदन में काफी कहा जा चुका है और कई बार प्रश्न आ चुका है। हमारे संविधान के अन्दर भी जब इस तरह की व्यवस्था है तब इसकी महत्ता और उपयोगिता के बारे में कोई संदेह ही नहीं रह जाता लेकिन मैं दो शब्द इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आजकल इस देश में ही नहीं सभी स्थानों पर बेकारी की समस्या भयंकर रूप में खड़ी हो गयी है। अगर हम अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के सवाल को अपने हाथ में लें तो मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों की बेकारी की जो समस्या है वह बहुत हद तक हल हो जायगी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और साथ ही साथ एक बड़ी फौज प्राप्त हो जायगी पढ़े लिखे लोगों की, जो आज देहातों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से चिढ़ते हैं और शहरों की तरफ चले आ रहे हैं । जब छोटे-छोटे देहातों में स्कूल खोले जायेंगे तब हम ऐसे-पढ़े लिखे लोगों की एक फौज देहातों में पहुंचायेंगे और हमें आशा है कि हम अपने यहां साक्षरता के साथ-साथ अपने राज्य में एक ऐसी जागृति पैदा कर सकते हैं जो उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती है । मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव से हम अपने समाज में, अपने राज्य में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में भी सब लोगों को साक्षर बनाने का कार्य अपने हाथ में लेते हैं । साथ ही साथ एक तरह से हम बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास भी करते हैं और अपने यहां के लोगों को अच्छी तरह से दीक्षित करके, उनको अपनी समस्याओं से पूरी पूरी जानकारी करा कर अगर ऐसे बड़े समुदाय को देहातों में भेजते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि वैसे तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना एक राष्ट्र का परम धर्म है लेकिन जिस नाजुक समय से राष्ट्र हमारा आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुये जो समस्यायें हमारे सामने हैं यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है और अविलम्ब हमारी सरकार इस तरफ कदम उठायें और संविधान के अन्दर जो समय नियत किया गया है उस समय के अन्दर इस लक्ष्य की पूर्ति का प्रयत्न करे ।

एक बात की ओर और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां तक बालकों की शिक्षा का प्रश्न है उसमें तो हमें संतोष है कि हम बहुत आगे बढ़ गये हैं लेकिन साथ ही हमको इस बात को खेद के साथ स्वीकार करना चाहिये कि जहां तक बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न है अभी हम बहुत पीछे पड़े हुये हैं । हमारे संघ के अन्दर ही बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर बालिकाओं की शिक्षा बहुत काफी बढ़ गयी है लेकिन हमारे यहां बहुत कम है । यह प्रस्ताव अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के कार्यक्रम को आगे ले जाता है और पूरा करने का प्रयत्न करता है । इससे बालिकाओं के अन्दर शिक्षा का प्रचार होगा और जो थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करेंगी उनके अन्दर एक तरह की ऐसी प्रेरणा होगी कि वे शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगी । इस तरह से इस बालिका शिक्षा को अपने यहां हम प्रतिष्ठापित करके एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं । अपने अन्दर सामाजिक उत्थान के लिये, अपनी महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, बेकारी की समस्या को हल करने के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों की जाग्रति के लिये और घरों की जो मौजूदा अवस्था है उसे शीघ्रातिशीघ्र बदलने के लिये यह कदम उठाना निहायत आवश्यक है । मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर कदम उठायेगी । जहां हम सैकड़ों काम राष्ट्र की उन्नति के लिये कर रहे हैं वहां यह एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है, एक बुनियादी काम है और इस अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को चालू करने के लिये अब विलम्ब नहीं किया जा सकता । यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि हमारे यहां फंड की कमी है । लेकिन यह जो प्रश्न है कि शुल्क को हम माफ कर दें, उसके व्यय के भार को उठा लें तो जो एक बहुत बड़ा प्रश्न बेकारी का है वह हल हो जायगा और इससे जो आर्थिक व्यवस्था की उन्नति हम करना चाहते हैं उस उद्देश्य की भी पूर्ति होती है । लिहाजा यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । इतना तो भार सरकार को उठाने के लिये तैयार रहना ही चाहिये कि वह शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दे और इसका जो बहुत बड़ा महत्व है, मुझे संदेह नहीं इसको पूरा करने में हमें विलंब नहीं होगा ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं । आपकी आज्ञा हो तो मैं तीनों संशोधन एक साथ पेश कर दूं ।

श्री अध्यक्ष--आप एक साथ अपने संशोधनों को पेश कर दें ।

श्री जगदीश प्रसाद--संकल्प की पंक्ति २ और ३ के शब्द "और न" से लेकर शब्द "प्रतीत होती है" तक निकाल दिये जायं ।

संकल्प की पंक्ति ५ के शब्द "१ जुलाई, १९५७ तक" के स्थान पर शब्द "१५ जुलाई १९५६ से १५ जुलाई, १९५९ तक चार वर्षों में" रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--यह तो इसमें है ही नहीं। वह तिथि इसमें नहीं रहती है तो यह संशोधन नहीं रहता।

श्री जगदीश प्रसाद--ठीक है। मेरा तीसरा संशोधन यह है कि पंक्ति ६ के शब्द "कर दिया जाय" के स्थान पर "करने का प्रयत्न किया जाय" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--सिर्फ पहला ही संशोधन आपका रहेगा। यह तीसरा भी निकल गया। ये शब्द इसमें रहेंगे ही नहीं।

श्री जगदीश प्रसाद--मुझे प्रसन्नता है कि मेरे दो संशोधनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और प्रस्तावक महोदय ने उन्हें स्वयं स्वीकार कर लिया और अपने प्रस्ताव का अंश बना लिया।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे समक्ष हमेशा से रहा है और इस बात के विचार करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं क्योंकि उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुये संविधान में इसको रखा गया कि दस वर्ष के अन्दर इसको लागू करने का प्रयत्न किया जाय। परन्तु प्रस्तावकर्ता ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें एक वाक्य के ऊपर थोड़ा विरोध भी हुआ कि प्रगति संतोषजनक नहीं हो रही है। मैं प्रस्तावकर्ता से इस बात में पूर्णतया सहमत हूं कि प्रगति संतोषजनक नहीं है। प्रगति संतोषजनक उसी अवस्था में मानी जा सकती थी जब कि जो संविधान के अन्दर दिया हुआ है उसके अनुसार कोई दस वर्ष की योजना बनायी जाती और दस वर्ष में सम्पूर्ण प्रान्त के अन्दर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लागू करने के लिये स्कूल खोले जाते और प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाया जाता। लेकिन जैसा कि अभी माननीय वीरेन्द्रपति यादव जी ने कहा कि हमारे प्रान्त में शिक्षा की प्रगति हुयी लेकिन प्रारंभिक शिक्षा तीन वर्षों में कम हुयी है। तीन वर्षों में प्रारंभिक संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जहां १९५१-५२ में २८,४०,२८३ थी, वहां १९५२-५३ में २७,४२,७६० हो गयी और १९५३-५४ में २६,९४,५४५ रह गयी। इसका अर्थ यह है कि कुल मिलाकर १ लाख ४५ हजार ७ सौ ३८ छात्रों की कमी १९५१-५२ की अपेक्षा १९५३-५४ में हो गयी। इसको किसी प्रकार शिक्षा की प्रगति नहीं कहा जा सकता और मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी स्वयं इसको स्वीकार करेंगे कि यह प्रगति संतोषजनक नहीं है। यह दूसरी बात है कि वह उन कारणों से संतुष्ट हों जिनके कारण प्रगति आगे नहीं बढ़ायी जा सकी और कोई दूसरे सज्जन उनसे संतुष्ट न हों। दूसरा जो वाक्य था, राधामोहन सिंह जी ने उसकी पुष्टि की है कि आगे प्रगति होने की सम्भावना नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि यह कहना किसी प्रकार सुन्दर नहीं होगा। मेरा यह संशोधन माननीय वीरेन्द्रपति जी के संकल्प से सहमत होते हुये उसको और सुन्दर बनाता है। हमें यह कहने का अधिकार है कि प्रगति संतोषजनक नहीं है परन्तु यह कहना कि प्रगति की सम्भावना भी नहीं है यह कोई अच्छा शब्द नहीं है और मैं उनसे आशा करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। आगे अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में सरकार से इस बात का अनुरोध किया गया है, इस बात का प्रस्ताव किया गया है कि हम उस अवधि के अन्दर इस शिक्षा को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। मैं यह समझता हूं कि आज इसके करने में हमें उतनी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिये। यों तो खर्चा बढ़ता है, लेकिन जहां तक जनता का सम्बन्ध है, जनता सहयोग देना चाहती है और उसकी इच्छा है कि हमारे यहां प्रारंभिक स्कूल खोले जायं। एक नियम बनाया गया था कि एक हजार रुपया जो देगा, एक हजार रुपया जो गांव वाली जनता देगी, उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सहायता देगी और वहां स्कूल बन जायगा। मुझे इस बात का अनुभव है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह शिकायत नहीं है कि उसके पास प्रार्थना-पत्र नहीं आये जो एक हजार रुपया देना चाहते हैं। परन्तु बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हम एक हजार रुपया दे चुके, या देने के लिये तैयार हैं, इमारत भी कुछ बना चुके हैं, लेकिन हमें सहायता नहीं मिली। अब अगर सरकार एक निश्चित योजना बना कर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू करेगी तो उसको यह कठिनाई नहीं होगी कि जनता सहयोग नहीं करती।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ सका कि मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं और यह बताया है कि १९५१-५४ तक विद्यार्थियों की संख्या में कमी हुयी परन्तु प्रारंभिक स्कूलों के जो आंकड़े हैं उनसे मालूम होता है कि उनके व्यय में वृद्धि हुयी है यह मैं नहीं समझ सका कि इसका क्या कारण है। १९५१-५२ में प्रारंभिक स्कूलों पर व्यय ३,५४,०७,१०० रु० था, १९५२-५३ में ३,८२,८५,६०० हो गया और १९५३-५४ में बढ़ कर ३,९१,३६,००० हो गया। मैं यह समझता था कि सम्भव है कि यह योजना हो कि कक्षाओं में ज्यादा बच्चे जो जाते हैं तो उनकी पढ़ायी में कठिनाई होती है इसलिये ज्यादा स्कूल खोल कर उनमें कम बच्चे प्रत्येक कक्षा में रखने की व्यवस्था की गयी है। परन्तु सरकार ने अपनी इस विज्ञप्ति में दिया है, "अंतिम दो वर्षों में संस्थाओं में कमी दृष्टिगोचर होने का कारण यह है कि अब से दो वर्ष पूर्व शिक्षा विभाग का लक्ष्य प्रसार से हट कर संगठन की ओर आ गया और तदनुसार अनावश्यक तथा आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद पाठशालाओं को या तो बन्द कर दिया गया या उन्हें समीपस्थ अन्य पाठशालाओं से मिला दिया गया"। इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार भी वह संस्थायें बढ़ायी नहीं गयीं। वह संस्थायें कम की गयीं। तो फिर मैं नहीं समझ सका कि व्यय किस प्रकार बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की कठिनाइयों का जहां तक सम्बन्ध है उसको हम सब महसूस करते हैं। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार हमारे प्रान्त में ७ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या ५८ लाख थी और हमारे प्रान्त में सन् १९५३-५४ में, जैसा कि मैंने अभी बताया कुल छात्रों की संख्या आज इन कक्षाओं में २८,४०,२८३ थी। मैं नहीं समझता कि किस नियोजन के अनुसार कहा गया था कि यह प्रगति संतोषजनक थी और किस नियोजन के अनुसार हम १० वर्षों में इसको पूरा करने का प्रयत्न करें। परन्तु मैं तो यह भी समझता हूं कि आज जब कि कुल संख्या २६ लाख है यह असंभव है कि हम अगले ४,५ वर्षों में ५८ लाख बच्चों की शिक्षा का पूरा-पूरा प्रबंध कर सकें। आज केवल ८६ नगरपालिकाओं में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध है। अतः हम सरकार से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह भी एक अनुरोध करेंगे कि वह इस पर पुनः विचार करे और एक ऐसी योजना बनाये कि इन चार वर्षों में, सन् १९६० तक यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सारे प्रान्त में लागू हो जाय और अगर किन्हीं कारणवश ऐसा हो कि वह लागू न हो सके तो कम से कम इस सदन को और जनता को यह अवश्य भासित हो जाय कि इसके लिये हमारे यहां प्रयत्न पूरा-पूरा किया गया। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस संकल्प में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संकल्प की प्रथम पंक्ति के शब्द "प्रारंभिक शिक्षा" के स्थान पर शब्द "बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, संकल्प में संविधान के अनुच्छेद ४५ की चर्चा की गयी है, जिसके आधार पर यह संकल्प लाया गया है उसको मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि :

"45. The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

इस अनुच्छेद का आशय स्पष्ट है कि सन् १९६० में हमारे देश में कोई भी बालक जिसकी आयु १४ वर्ष या उससे कम की होगी ऐसा नहीं रहना चाहिये कि जिसके लिये सरकार ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध न कर दिया हो। इसी आशय के अन्तर्गत मैंने अपना यह संशोधन पेश किया है। शिक्षा की आवश्यकता के सम्बन्ध में मुझसे पहले श्री यादव जी, श्री जगदीश प्रसाद जी तथा श्री राधामोहन सिंह जी आदि ने पर्याप्त प्रकाश डाला है और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें सदन का समय लिया जाय। सभी इसको मानते हैं और इसकी प्रतीति करते हैं कि इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। एक पुरानी कहावत के अनुसार कि "विद्या विहीनाःपशुभिः

[श्री कृष्णशरण आर्य]

समानः ।" अर्थात् विद्या के बिना जो मनुष्य होता है वह पशु के तुल्य होता है। आज सरकार जो नियोजन पर, स्वास्थ्य, पर अथवा सिंचाई या सड़कों पर जितना रुपया व्यय करती है उसका पूरा पूरा उपयोग और उसका पूरा-पूरा लाभ इसलिये नहीं हो पाता कि जिनके लिये वह किया जाता है वह उसकी प्रतीति नहीं कर पाते। वे अशिक्षित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि सरकार के साधन क्या हैं तथा सरकार किस प्रकार तमाम आवश्यकताओं को उनकी इच्छा के अनुसार समय-समय पर धीरे-धीरे कर सकती है। वह इसको समझ ही नहीं पाते हैं। जहां पर कुछ थोड़ा सा हो गया वे संतुष्ट नहीं होते और जहां नहीं हो पाया है वह तो असंतुष्ट रहते ही हैं। इसका कारण शिक्षा का कम होना है और जो ग्रामीण भाई हैं, वे जितना प्रचार सरकार की ओर से होता है उसका अनुभव नहीं कर पाते। इसी के साथ साथ जो और योजनायें श्रमदान की हों या अन्य जैसे कि अपने पैरों पर आप खड़े होने की हों, उन पर भी पूरा पूरा सहयोग जनता से नहीं मिल पाता। कारण यह है कि जो उनकी महत्ता है उसको भी अशिक्षित होने के कारण ग्रामों की जनता नहीं समझ पाती है। इसलिये मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं कि कितना भी धन हम और योजनाओं पर खर्च करें वह तब तक सार्थक नहीं हो पायेगा, जब तक कि उसका लाभ जिन लोगों के लिये वह खर्च किया जा रहा है वह अनुभव नहीं करें और वह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक शिक्षा की गति तीव्र न हो।

अब एक बात माननीय राधा मोहन सिंह जी ने कही कि शिक्षा जो दी जाती है उससे परिणाम यह हो रहा है कि बेकारी बढ़ रही है। यह दोष शिक्षा का नहीं उसके प्रकार का है। यह सही है कि अंग्रेजों के जमाने में जो शिक्षा दी जाती थी उसका लक्ष्य होता था हमारे विद्यार्थियों को नौकरी की राह पर डालने का और वैसी ही उनमें मनोवृत्ति पैदा करने का। आज भी शिक्षा का यही लक्ष्य रहे यह वांछनीय नहीं। सरकार ने इसी बात को सोचते हुये जो शिक्षा के रीओरियन्टेशन की बात की है उससे लाभ हुआ है। ग्रामों के अन्दर जो शिक्षा अब चलती है उससे केवल नौकरी की भावना प्रोत्साहित न हो करके उनमें अपनी कृषि उन्नति या उद्योग की जो बात है वह आती है। परन्तु यह तो अभी बहुत अपूर्ण है जैसा कि आज ही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया, केवल २,५०० स्कूल में अभी तक लागू हो पायी है और उनमें से भी केवल ५,७ सौ ऐसे हैं जहां योजना पूरी तरह चल सकी है। तो इसलिये जब तक हमारी शिक्षा की प्रगति और उसके प्रकार दोनों में सुधार न हो शिक्षा की वर्तमान दशा के लिये, उदाहरण के लिये मैं अभी की एक बात बताऊं। इसी १५ अगस्त को मैं एक जूनियर हाई स्कूल के फंक्शन के सिलसिले में गया तो वहां पर मिडिल स्कूल के बच्चे जो ८वें दर्जे के थे, उनके सामने जब अध्यापक महोदय ने माननीय शिक्षा मंत्री जी का भेजा हुआ संदेश पढ़कर सुनाया तथा बताया कि वह प्रदेश के शिक्षा मंत्री का संदेश था। उनके बाद जब मैंने उन लड़कों से पूछा कि तुम्हारे शिक्षा मंत्री कौन हैं तो किसी ने मौलाना आजाद बताया, किसी ने डा० राजेन्द्र प्रसाद बताया इत्यादि-इत्यादि, तो आज जो ८वें दर्जे के बच्चे हैं वे यह नहीं बता पाते कि हमारे प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्य मंत्री कौन हैं या देश का शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा का जो प्रकार उनको दिया जा रहा है वह किस प्रकार उनमें देश के लिये भक्ति पैदा कर सकता है या देश की रचना और निर्माण की ओर उन्हें अग्रसर कर सकता है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे, शिक्षा के प्रकार और प्रगति दोनों में वांछनीय उन्नति हो सके, जिसकी ओर कि संविधान में संकेत किया है कि सन् १९६० में कोई भी बालक हमारे देश का ऐसा नहीं जिसकी आयु १४ वर्ष की उस समय हो चुकी हो या कम हो निःशुल्क अथवा अनिवार्य शिक्षा न पा रहा हो, इसके लिये विशेष प्रयत्न करें। इसमें जो प्रयत्न विभाग की ओर से हो रहा है शिक्षा की पुस्तकें बदलने के सम्बन्ध में या उसका बोझ विद्यार्थियों पर हल्का करने के सम्बन्ध में, वह अभी तक लाभदायक हो पाया हो, यह सिद्ध नहीं हुआ। अभी जैसा कल विधान परिषद् में जो गैरसरकारी प्रस्ताव था उसके देखने से मालूम यह हुआ कि वहां पर भी विभाग का जो ध्यान है वह इस ओर नहीं प्रतीत होता कि शिक्षा जो सही है, जो हमारे देश के लिये लाभकर हो सकती है वह हो। जैसे अनेक उद्धरण आये जिसमें

इतिहास की चर्चा है कि जो बातें आज भी लिखी जा रही हैं वह बिल्कुल अशुद्ध लिखी जा रही हैं। इससे हमारे यहां के बच्चे जो स्वतंत्र वायु में शिक्षा पा रहे हैं ......।

श्री अध्यक्ष—जरा आप असंगत हो रहे हैं, आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर ही रहिये।

श्री कृष्णशरण आर्य—मैं वहीं पर आना चाहता हूं। शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। अनिवार्य के लिये यह है कि देहात के अन्दर हजारों और लाखों-करोड़ों बच्चे ऐसे हैं कि जिनको शिक्षा दिलाने के लिये उनके मां-बाप कभी नहीं भेजते। वह इसकी महत्ता को अनुभव नहीं करते। जब तक कि यह अनिवार्य न हो तब तक जो स्कूल सरकार खोल रही है वह भी बेकार से रहते हैं क्योंकि गांव के लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं और निःशुल्क की बात तो यह है कि गांव वालों से कहा जाता है कि यह फीस, वह फीस तो वह घबड़ाते हैं और इसलिये वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिये नहीं भेजते। इसलिये उसका निःशुल्क होना परम आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने संशोधन के साथ इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन श्रीमान् वीरेन्द्रपति यादव के संकल्प में पेश करता हूं। इसमें उन्होंने जो संशोधित रूप रखा है उससे भाषा में थोड़ा-सा फर्क हो जायगा।

संकल्प की द्वितीय पंक्ति में "नहीं है" जो अब संशोधित रूप में "नहीं रही है" हो गया है, उसके बाद जो वाक्यांश दिया हुआ है "और न निकट भविष्य में उसमें विशेष उन्नति होने की सम्भावना ही प्रतीत होती है" के स्थान पर "उसमें विशेष प्रगति लाना आवश्यक है" रख दिया जाय तथा तीसरी पंक्ति के बजाय अब चौथी पंक्ति में शब्द "यह" और शब्द "आवश्यकीय" के बीच में शब्द "भी" रख दिया जाय।

मैं समझता हूं कि मैंने अपने आशय को स्पष्ट कर दिया है। अब इसका संशोधित रूप ऐसा हो जायगा —

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, उसमें विशेष प्रगति लाना आवश्यक है और संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह भी आवश्यकीय है" और उसके बाद का वह होजायगा।

श्री अध्यक्ष—आप जरा पढ़िये किस तरह से होगा ?

श्री व्रजभूषण मिश्र—यह इस प्रकार हो जायगा—"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है, उसमें विशेष प्रगति लाना आवश्यक है—

श्री अध्यक्ष—"अतः संविधान के अनुच्छेद ४५" अतः से फिर आप शुरू करिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन अतः को भी निकालने का है इस प्रकार वह होगा। "और संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह भी आवश्यकीय है और यहां "यह" तथा "आवश्यकीय" के बीच में "भी" और बढ़ा है—"यह भी आवश्यकीय है कि अनिवार्य शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा" वगैरह-वगैरह आगे जैसा है। अध्यक्ष महोदय, मानव जीवन में विद्या का बड़ा ऊंचा स्थान है। दो आंख मनुष्य लेकर पैदा होता है और विद्या माता दो आंख उसको अपनी तरफ से देती हैं, तब वह अन्धे से देखने वाला कहा जा सकता है। बिना इस विद्या रूपी आंख के आदमी अंधा ही होता है। कवियों ने विद्या विहीन को "पशु" कहा है, लेकिन मैं तो और आगे बढ़ करके यह कहना चाहता हूं कि बिना विद्या के मनुष्य अगर पशु है तो अन्धा पशु है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में आधा भ्रष्टाचार केवल अविद्या के कारण होता है। गांव में अमीन लोग रसीदें देते हैं और ग्रामीण को पता नहीं चलता कि इस पर कितना रुपया लिखा हुआ है। अगर पढ़ा-लिखा हो तो वह जान सकता है और उसको धोखा नहीं दिया जा सकता।

[श्री व्रज भूषण मिश्र]

इसी प्रकार फर्जी कागजों पर लोग हस्ताक्षर कराते हैं। बेचारे को पता नहीं चलता। उससे कहा जाता है कि यह नहर निकालने के लिये तुम्हें हस्ताक्षर करना है, लेकिन उसमें उसका हैन्डनोट बना रहता है या अपने विपक्षियों के प्रति गंदी बात रहती है, इत्यादि। इस तरह हम देखते हैं कि समाज में यदि शिक्षा का प्रसार हो और कम से कम मनुष्य साक्षर बना दिया जाय तो बहुत सी तकलीफें और भ्रष्टाचार और दिक्कतें अनायास ही दूर हो जायं।

प्रस्तुत संकल्प केवल प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें ऊंची शिक्षा की कोई बात नहीं है, इस वास्ते हम भी यहीं तक सीमित रहेंगे। कागजों पर चाहे शिक्षा की उन्नति दिखायी जाय किन्तु इस संकल्प का जो पहला अंश है कि प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, इसमें दो मत नहीं हैं। कागजों पर स्कूलों की संख्या बढ़ी ही दिखायी जाय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मंत्री जी को या इस सदन को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, जहां तक प्रकार का सम्बन्ध है और जहां तक उसके असली व्यवहार का रूप है वहां कागजों पर चाहे संख्या बढ़ी हो, छात्रों की संख्या बढ़ी हो, लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत ही शोचनीय है और खराब है। मैं थोड़े में आपके समक्ष दृष्टांत के रूप में अपने जिले की बात बताना चाहता हूं। हमारे जिले में कुल ५२६ प्रायमरी स्कूल हैं, उनमें से १८३ स्कूलों के पास उनके निज के मकान हैं, वह भी बहुत बुरी हालत में हैं। ९३ बन रहे हैं और २१ स्कूल किराये के मकानों में हैं, ७९ मंगनी के मकानों में और १५२ स्कूल पेड़ों के नीचे या खुले में लगते हैं। यह स्वराज्य हो जाने के बाद शिक्षा का स्वरूप है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें। इन बातों को जब हम देखते हैं तो कहना पड़ता है कि शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

इसके सिवाय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कूल चल रहे हैं उनमें अध्यापक प्रायः गैरहाजिर रहते हैं। सौ-सौ मील दूर अध्यापकों को रख दिया गया है। मैंने स्वयं ८०-८० मील दौरा करके देखा तो स्कूल में अध्यापकों को अनुपस्थित पाया। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के क्लार्क से मिले रहते हैं। घर बैठे तनख्वाहें ले लेते हैं और स्कूलों से अनुपस्थित रहते हैं। पोस्टमैनों से मिले रहते हैं? उनको दिन मालूम हो जाता है, आकर तनख्वाह ले जाते हैं, मनिआर्डर का कुछ रुपया उस पोस्टमैन को दे देते हैं और स्कूलों से महीनों-महीनों गैरहाजिर रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। डिप्टी इंस्पेक्टर या और अधिकारी उन स्कूलों पर नहीं पहुंचते, क्योंकि वे सड़कों से ५०-५०, ६०-६० मील दूर होते हैं जहां पहुंचना किसी का बहुत कठिन और दुष्कर है। तो इस आरामतलबी के युग में पैदल चल कर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, जबकि वहां भालू और शेर भी लगा करते हैं। वहां कोई सामग्री पढ़ाई की नहीं दी गयी है। "बेसिक" सब स्कूलों के पट पर लिख दिया गया है, लेकिन बेसिक नाम के सिवाय कोई सामग्री वहां नहीं है। न तकली है, न चरखा है, न रुई है, न खिलौने का सामान है, न नक्शे हैं, न फर्नीचर है, कोई चीज नहीं है। इन सब बातों को जब मैं ध्यानसे देखता हूं तो मैं कहता हूं कि प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसी के समर्थन में इतनी बातें कहनी पड़ीं। अभी कल हमको यह मालूम हुआ कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने १३४ करोड़ आगामी पचवर्षीय योजना के लिये शिक्षा के निमित्त केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी। किन्तु वहां से काट-पीट कर केवल २३ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया। जब मुझे यह बात मालूम हुयी और उसका हिसाब मैंने लगाया तो यह केवल २० प्रतिशत रह गया। इससे सिद्ध होता है कि शिक्षा की प्रगति में हम कोई विशेष परिवर्तन नहीं ला सकते। इस वास्ते मेरा मत है कि शिक्षा का जो रूप है, जहां तक उसकी व्यवस्था का सम्बन्ध है वह बहुत दूषित है। अभी बताया गया कि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की गयी है कि विद्यार्थी को एक मील से अधिक स्कूल पहुंचने के लिये न चलना पड़े। लेकिन मैं अपने जिले के अनुभव के आधार पर बतला सकता हूं कि हमारे यहां बालक को चार-चार छः-छः मील जाना पड़ता है, नदी नालों को पार करना पड़ता है, अभी वहां स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। जिले भर में केवल दो मिडिल स्कूल कन्याओं के हैं और हमारी तहसील राबर्ट्सगंज दूधी में जो १०० मील लम्बी और ९० मील चौड़ी है, उसमें केवल ११ मिडिल स्कूल हैं। अभी यह बताया गया कि प्रदेश में गत तीन साल में विद्यार्थियों की संख्या १-१ लाख हर साल घटी है। तो इस क्रम से तो हम देखते

हैं कि शिक्षा बढ़ने की ओर हम नहीं जा रहे हैं। इस हिसाब से तो ५८ लाख जो हमारे १४ साल से नीचे के छात्र माने जाते हैं वे सभी ५८ साल में निरक्षर हो जायेंगे, साक्षर बनाने की बात तो दूर रही। इस वास्ते यह कहना कि शिक्षा की प्रगति संतोषजनक है यह गलत है। हमारे यहां हजार रुपये की मदद से स्कूल खोले गये। उनमें बहुत से स्कूल बने लेकिन हमारा निज का अनुभव है कि करीब-करीब चौथाई स्कूल तीन ही वर्षों के अन्दर धराशायी हो गये, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। इन सब बातों से सिद्ध हुआ कि शिक्षा की प्रगति असंतोषजनक है, लेकिन उसके साथ ही मैं इतना हताश नहीं हूं कि हम यह मान लें कि हम प्रगति कर ही नहीं सकते। मैं यादव जी को बधाई तो देता हूं कि उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत कर के सदन को एक अवसर दिया कि शिक्षा का नग्न रूप हमारे सामने आये और हम लोग देखें कि हम किधर जा रहे हैं और हमारी क्या आवश्यकतायें हैं? किन्तु भावी प्रगति के बारे में जो कहा जाता है कि भविष्य में उन्नति की कोई आशा नहीं है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। मैं तो आशावादी हूं और यह विश्वास करता हूं कि हमारी प्रगति होगी यदि हम लोग जोर लगायें। जो यह कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय इसमें दो मत हैं ही नहीं। इसलिये जो संकल्प है उसका इस संशोधित रूप में मैं समर्थन करता हूं और पुनः यादव जी को बधाई देता हूं।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की पंक्ति ४ के शब्द "आवश्यकीय" के स्थान पर शब्द "आवश्यक" रख दिया जाय और संकल्प की पंक्ति ४ के शब्द "अनिवार्य व निःशुल्क" के स्थान पर शब्द "निःशुल्क तथा अनिवार्य" रख दिये जायं।

श्रीमन्, आवश्यकीय शब्द के लिये बहुत वादविवाद करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। "आवश्यक" से ही काम चल जाता है इसलिये मैंने यह शब्द रखा है। इसके अतिरिक्त "अनिवार्य व निःशुल्क" के लिये जो मैंने "निःशुल्क तथा अनिवार्य" शब्द रखने के लिये संशोधन दिया है उसका अभिप्राय यह है कि संविधान में शब्द पहले निःशुल्क तथा अनिवार्य आता है। बीच में जो "व" है वह यद्यपि और के लिये है लेकिन हमारे यहां संस्कृत में यह जो "व" है वह "या" के लिये आता है। इसलिये मैंने इस प्रकार से "अनिवार्य व निःशुल्क" के स्थान पर शब्द "निःशुल्क तथा अनिवार्य" रखे जाने के लिये संशोधन दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे कोई भाव में परिवर्तन नहीं होता है किन्तु निःशुल्क तथा अनिवार्य में मैं समझता हूं कि अधिक स्पष्ट हो जाता है। यहां पर सेशन में मेरा एक संकल्प पारित हुआ है जिसमें जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा को निःशुल्क दिये जाने के लिये स्वीकार किया गया है। इसलिये निःशुल्क को पहले रखा जाना आवश्यक है इसके बाद अनिवार्य शिक्षा दी जाय।

इसमें जैसा कि माननीय श्री कृष्णशरण आर्य का संशोधन है १४ वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिये, इसमें संदेह नहीं है कि १४ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिये किया गया है। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से बालक कुशाग्र बुद्धि होते हैं वह शीघ्र पढ़ कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से बालक ऐसे हैं जो उस उम्र में १२ वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसलिये १४ वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। संविधान में अंग्रेजी में "फ्री ऐंड कम्पलसरी एजूकेशन" लिखा है। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे यहां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है।"

मैं समझता हूं कि हमारी इस शिक्षा के लिये दशाब्दी की अवधि निश्चित की गयी है और अर्द्धदशाब्दी व्यतीत हो चुकी है और अभी तक पूरा संतोष हमें प्रतीत नहीं होता है। किन्तु आगे के लिये अभी समय है। मेरे संशोधन में यह नहीं आ सकता है, लेकिन सरकार विचार कर रही है और निकट भविष्य में सरकार प्रयत्न करेगी जिससे दशाब्दी पूर्ण होने से पहले ही यह पूरी हो जाय। शिक्षा की दशा को देखते हुये और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी समझता हूं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जो कि वास्तविक शिक्षा हो और उसके लिये विशेष प्रयास होना चाहिये। अशिक्षा के कारण जो गड़बड़ी है वह प्रत्यक्ष है। इसके सम्बन्ध में

[श्री रणंजय सिंह]

कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है तो फिर ऐसा प्रबंध हो जिससे जो मेरा प्रस्ताव गत वर्ष पारित हुआ है उसके अनुसार और इस संकल्प के अनुसार निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा शीघ्र से शीघ्र हो सके। अभी मैंने यह कहा कि ..... ।

श्री अध्यक्ष—इसमें एक गल्ती हुयी है कि इसकी पंक्ति ३ में "आवश्यकीय" के स्थान पर "आवश्यक" रखे जाने का प्रस्ताव आपने किया है। लेकिन यह पंक्ति ३ में न होकर पंक्ति ४ में है।

श्री रणंजय सिंह—जी हां, पंक्ति ४ के लिये मैं ठीक किये दे रहा हूं कि संकल्प की पंक्ति ४ में "अनिवार्य व निःशुल्क" के स्थान पर "निशुल्क तथा अनिवार्य" रख दिया जाय। दशा ऐसी हो रही है कि हमें अभी सचेत हो जाना चाहिये। अर्द्धदशाब्दी तो व्यतीत हो चुकी है। हमें इस बात का सिंहावलोकन करना है कि हम कितने आगे बढ़े हैं तथा हमने १९५० में संविधान बनाया है और अब कितने आगे बढ़ सके हैं और यहां पर जैसा कि गत वर्ष निःशुल्क शिक्षा के लिये मेरा संकल्प पारित हुआ उसके अनुसार कितनी कार्यवाही हुयी है और सरकार कितना आगे बढ़ी है यह सब बातें विचारणीय हैं। इसलिये सरकार से इसके सम्बन्ध में बारम्बार अनुरोध करना है कि जब तक कि यह संविधान के ४५ वें अनुच्छेद में जो कहा गया है उसकी पूर्णरूप से पूर्ति नहीं होती। इसलिये देहातों की दशा को देखते हुये जैसा कि हमारे मित्र माननीय मित्र यादव जी ने संकल्प रखा है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि वहां पर हमारे १४ वर्ष के बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिये साधन हो सके तो इसमें संदेह नहीं है कि हमारे बालक आगे चलकर हमारे प्रदेश का मुख उज्ज्वल कर सकेंगे और आगे चलकर ऐसा नहीं होगा कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम हो, बहुत लोग अच्छे पढ़े लिखे हो जायेंगे। उनके लिये यदि अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो सके तो यह हमारे देश के भविष्य पर अच्छा प्रभाव डालने वाली बात होगी। इसलिये देहातों पर विशेष ध्यान देकर इस संकल्प को इस सशोधन के साथ पारित किया जाय। इससे लाभ ही लाभ है। जो संशोधन रखा गया है यदि उस पर विचार करके देखा जाय तब यह ज्ञात होगा कि उसमें कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं है। बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में जो शब्द रखे गये हैं उन पर विचार करने के उपरान्त उनको ठीक ही समझा जायगा। म उसका भी समर्थन कर सकता हूं कि वह अनिवार्य शिक्षा हो चाहे वह १४ साल के बालक हों या १२ साल के या ११ साल के, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। वह तो इसलिये रखा है कि संविधान के अन्दर ११ वर्ष तक के लिये रखा गया है। वहीं हम यहां पर प्रबंध करने की बात कह रहे हैं, जिससे कि हम सभी बालकों को शिक्षित कर सकें। कम से कम इस प्रकार के अशिक्षित नहीं रहने चाहिये जैसा कि आजकल देखने में आते हैं कि बहुत बूढ़े हो गये हैं लेकिन नाम भी नहीं लिख सकते हैं। यह देश की समुन्नति के लिये आवश्यक है कि शिक्षा हमारे यहां निःशुल्क और अनिवार्य की जाय जैसा कि संशोधन में कहा गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को यहाँ पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरा संशोधन इस प्रकार है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है और न भविष्य में उसमें विशेष उन्नति होने की सम्भावना प्रतीत होती है अतः" इन शब्दों को निकाल दिया जाय और इस प्रस्ताव के अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जायं कि "साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसे सुधार किये जायं कि जिनसे धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा सामाजिक गलतफहमियां दूर हों तथा एकता और प्रेम के प्रसार से प्रदेश सुखी और शक्तिशाली बन सके।"

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन तो प्रातः पेश हो चुका है, इसे क्यों ले आया हूं? इस पर मुझे अर्ज करना है। प्रस्ताव तो तरमीम करने

के बाद भी माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्रपति यादव ने इस प्रकार इसको उपस्थित किया है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं है और न निकट भविष्य में उसमें विशेष उन्नति होने की संभावना ही प्रतीत होती है।"

श्री वीरेंद्रपति यादव—मुझे इस संशोधन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं है। मालूम नहीं कि आप का क्या संशोधन है?

श्री उपाध्यक्ष—वह पेश भी हो चुका है और मैं समझता हूं इस सदन में पढ़ा भी गया होगा।

श्री सीताराम शुक्ल—यह वोट आफ सेन्सर है सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर। मैं कानपुर जाने वाला था लेकिन जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो मैंने जरूरी समझा कि मैं आज असेम्बली में जरूर रहूं और अपने विचार जरूर रखूं। मुझे बड़ा दुःख होता है कि जब आज शिक्षा मंत्री जी के लिये ऐसी बात कही जाती है। इस सरकार के वे माननीय शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने अपने आराम को ठोकर मार दी थी और गोलियों की परवाह छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हुये। कांग्रेस में शरीक हुये, जेल गए और आज भी बीमार रहने के बाद भी यहां बैठे और काम कर रहे हैं। वह उपमंत्री जिनको ३,००० रुपया मासिक अमरीका से मंजूर हुआ और जिन्होंने अपनी देश भक्ति की वजह से सिर्फ यह पसन्द किया कि हम कम पैसा लेकर भी अपने प्रदेश की सेवा करेंगे और जिनकी योग्यता, लगन और कार्यकुशलता व त्याग के सम्बन्ध में किसी को शक नहीं है और सुबह से लेकर शाम तक इस विभाग के कर्मचारियों ने जितनी जांफिशानी के साथ, परिश्रम के साथ काम किया है, इसकी सभी प्रशंसा करेंगे। कई हजार स्कूल खुलवाये गये, मास्टरों का वेतन करीब-करीब दुगना कर दिया गया।

श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे मित्र पंडित सीताराम शुक्ल के लिये कह रहे हैं या उपमंत्री सीताराम जी के लिये?

श्री सीताराम शुक्ल—सीताराम शुक्ल शायद उपमंत्री हों या न हों लेकिन पं० बद्री नारायण जी आज या कल जरूर हो ही जायंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इतनी तरक्की होने के बाद भी कई हजार स्कूल खुलने के बाद और मास्टरों की वेतन दुगुनी हो जाने के बाद भी यदि कोई लर्नेड मेम्बर इस तरह की बात कहें तो बड़े दुख का विषय है। आश्चर्य की बात है यदि आपको इस ओर ध्यान आकर्षित करना था तो उसे आपने किया होता। लेकिन जनाब वाला, सुस्त चलने वाले को समझा बुझाकर धमकी देकर तेज चलाया जा सकता है। तेज चलने वाले को कोशिश करने पर बहुत तेज चलाया जा सकता है लेकिन बहुत तेज चलने वाले को और तेज नहीं चलाया जा सकता। अगर उनको चलाया जायगा तो वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। आज यही बात है। इतना तो काम किया गया लेकिन अपने ही मेम्बर यह शिकायत करें, यह कार्यवाही अच्छी नहीं है। मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि सदन इस पूरे जुमले को इसमें से जरूर निकाल दे। अव्वल तो इस प्रस्ताव को ही निकाल दे और यदि न हो सके तो मेरे संशोधन के साथ इसको पास किया जाय। हमारी सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि हर बच्चे को पढ़ाये, स्कूल खोले, सब को योग्य बनाये। जब यह कोशिश हम कर रहे हैं तब इसको लाने की जरूरत नहीं थी। कोई घड़ी को कहे, साहब यह घड़ी है तो उसे सुना नहीं जायगा क्योंकि हम जानते ही हैं कि यह घड़ी है अतः सुनने में समय नहीं लगाया जायगा। इस काम के लिये सरकार कोशिश करे इसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। वह तो खुद ही कोशिश कर रही है। बजट आपके सामने है। यह फरमाइये कि बैंक में रुपया रक्खा हुआ है और इस मद में लगा दीजिये, फलां मद का रुपया घटा दीजिय और फलां मद में लगा दीजिये। रुपया हो और खर्च न किया जाय तब तो शिकायत जायज हो सकती है लेकिन आप को मालूम है कि रुपया है नहीं। हर साल बजट पास होता है। फिर यह प्रस्ताव लाना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव यदि वापस न हो तो कम से कम मेरे संशोधन के साथ पास किया जाय।

एक सदस्य—प्रस्ताव आपका क्या है?

श्री सीताराम शुक्ल---प्रस्ताव तो मैंने पढ़ दिया था लेकिन आप ने सुना नहीं होगा। प्रस्ताव इस प्रकार है कि "संकल्प की पहली पंक्ति के शब्द "अतः तक" निकाल दिया जाय और संकल्प के अन्त में यह वाक्य जोड़ दिया जाय :

"साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठक्रम में ऐसा सुधार किया जाय कि जिससे धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा सामाजिक गलतफहमियां दूर हों तथा एकता तथा प्रेम के प्रसार से प्रदेश सुखी और शक्तिशाली बन सके।"

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आया। जहां तक इसके संशोधन का ताल्लुक है कौन ऐसा मेम्बर है जो नहीं पसन्द करेगा कि हमारे यहां शिक्षा का प्रसार न हो। लेकिन हुक्म वाला यह जरा सोचने की बात है "सक्षरा विपरीताश्च राक्षसाइव केवलम्" मूर्ख बुरा आदमी उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि पढ़ा लिखा बुरा आदमी खतरनाक होता है। पढ़ा जाइये पढ़ा जाइये परन्तु क्या पढ़ाइये आज इस पर गौर करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले मैंने चीफ मिनिस्टर साहब जो उस समय शिक्षा मंत्री थे उनसे कहा था कि लोग सिफारिश से पास होते हैं। वे तेज आदमी हैं और जल्दी फैसला कर देते हैं मगर मेरी बात नहीं सुनी। कई साल से मैं अर्ज कर रहा हूं। किन्तु आज खुली हुई बात है कि लोग सिफारिश कर के पास होते हैं। एक लड़का, एक एम० पी० साहब का मेरे जिले में है। उसने कहा कि पिता जी बार बार कहते हैं कि "पढ़ो बेटा! पढ़ो बेटा" किन्तु हम नकल कर के पास हो जायंगे और सिफारिश से नौकरी पा जायंगे। तब पढ़ने की क्या आवश्यकता २० साल से ज्यादा-तर लोग सिर्फ नकल कर के पास होते हैं और सिफारिश से नौकरी पा जाते हैं। तो पहले तो इन मास्टरों को ठीक करना होगा जो पढ़ा रहे हैं। मैंने मुआइना किया कई स्कूलों का और मैं आप से अर्ज करता हूं कि जिनको विश्वास न हो मेरे साथ अभी चलें सदन समाप्ति होने के बाद किसी स्कूल का मुआइना करें तो आप को दिखला सकता हूं। मैंने मुआइना किया, कापी देखी। लड़कों की कापियों में गलतियां थीं। मैंने कहा मास्टर साहब इसमें कौन सी गलती है जो दुरुस्त नहीं की गयी है। मैंने देखा कि मास्टर साहब के दस्तखत थे लेकिन गलती नहीं काटी गयी थी। मास्टर ने गौर से कापी देखी, लेकिन कहा कुछ नहीं, गलती है किन्तु जब मैंने बतलाया तब यह कहा कि गलती हो गई। तात्पर्य यह कि लड़के सिफारिश से पास हो जाते हैं। इस पढ़ने से न पढ़ना अच्छा। पहले मास्टरों का पढ़ाना होगा।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था कि माननीय सदस्य किस शिक्षा पर बोल रहे हैं, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या यूनिवर्सिटी शिक्षा पर?

श्री उपाध्यक्ष---वे अपने संशोधन पर बोल रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---आप जरा सुनें आज जो विद्यार्थी हिन्दी में पास होकर यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उनसे कहा जाय कि अपना पता लिख दीजिये तो वे अंग्रेजी में लिखने लगते हैं। इसकी वजह है। हिन्दी लिखते ही कांपने लगते हैं। मैंने कहा कि हिन्दी में लिखिये तो घबड़ा जाते हैं। ज्यादा जोर देते हैं अंग्रेजी पढ़ने पर कि अंग्रेजी पढ़ने से नौकरी मिल जायगी और पहले नौकरी मिल भी जाती थी और यह भी समझते हैं कि हिन्दी तो अपनी जबान है, आप से आप आ जायगी। लेकिन आज जरूरत है कि अंग्रेजी अच्छी हो या न हो परन्तु हिन्दी अच्छी हो। हिन्दी कैसे अच्छी हो जब कि शुरू में ही मास्टर साहब ने गलत पढ़ाया है। प्रारम्भ में जब पढ़ाई हो तो ठीक तरह से पढ़ाई हो। मैं सब को नहीं कहता, आज मास्टर बहुत होशियार हैं, तेज हैं, अच्छे हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी पढ़ाई शुरू हो, शिक्षा का प्रसार हो, उत्तम अध्यापक रखना होगा, क्योंकि अगर मास्टर गलत जानता है तो वह सैकड़ों लड़कों को गलत पढ़ा देगा। तब उसे बड़ी मेहनत के बाद ठीक करना होगा। इसलिये आप को चाहिये कि पहले हम उन मास्टरों का सुधार करें। आज कहा जाता है शुक्ला, मिश्रा, तो शुक्ल को शुक्ला

लिखते हैं, मिश्र को मिश्रा लिखते हैं। ऐसी छोटी मोटी गलती भी लोगों को मालूम नहीं। इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले मास्टरों को पढ़ाइये। कोई बात नहीं, अगर १ साल बच्चों का पढ़ना रोक देना पड़े। वह उतना नुक्सानदेह नहीं होगा जितना कि उनको गलत पढ़ाना। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि मास्टरों का एक साल भी गलत पढ़ाना बहुत खतरनाक होगा। जो तेज मास्टर हैं उनसे पहले उन कमजोर मास्टरों को पहले पढ़वा दें जो कि गलत पढ़ाते हैं और फिर उनसे पढ़वाने का काम लें।

इसके अलावा मेरा सुझाव है कि जहां तक संभव हो प्रारम्भिक स्कूलों में स्त्रियां पढ़ायें। इसी फ्लोर पर मेरा एक प्रस्ताव पास हुआ था १९३९ में और वह सर्वसम्मति से पास हुआ था कि प्रारम्भिक स्कूलों में अध्यापिकायें रखी जायें। वह प्रेम से बच्चों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव कर सकती हैं। उनमें बुद्धि होती है, सहनशीलता होती है, जन्त होता है, छोटे बच्चों को वह अच्छी तरह से पढ़ा सकती हैं। नर्सरी स्कूलों में अध्यापक के स्थान पर स्त्रियां ही हैं। अगर यहां वह काम कर सकती हैं तो देहातों में भी वह काम कर सकती हैं। अच्छा हो कि पुरुष साहबान फावड़ा उठायें और देवी जी बच्चों को पढ़ायें। बच्चों को शिक्षा भी अच्छी मिलेगी और पढ़ाने का काम भी हो जायगा। तो मैं अर्ज करता हूं कि अब आप जो भरती करें नये अध्यापकों की वह इस शर्त के साथ करें कि जहां हमको स्त्री अध्यापिका मिल जायंगी तो फौरन् तुमको छुट्टी मिल जायगी और वह आप की जगह रख ली जायगी। तो प्रारम्भिक शिक्षा में आवश्यक है कि अध्यापिकायें पढ़ायें और उसके अक्षर के साथ-साथ चरित्र भी पढ़ाया जाय। लाल रोशनी हो गई है। क्या करूं?

अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां पढ़ाया जाय यह कि सब धर्म एक है। आज बच्चा पैदा नहीं हुआ कि वह समझता है कि हम ऊंचे हैं। हम ब्राह्मण के यहां पैदा हुये हैं लिहाजा ऊंचे हो गये। दूसरा समझता है कि हम ऊंचे इसलिये हैं कि हिन्दू हैं और वह ईसाई और मुसलमान है इसलिये हम से नीचे हैं। मुसलमान समझता है कि हम ऊंचे इसलिये हैं कि हम मुसलमान हैं और वह हिन्दू और ईसाई हमसे नीचे हैं, ईसाई अपने को ऊंचा समझता है। कुछ लोग समझते हैं कि हम धनी हैं इसलिये ऊंचे हैं और वह गरीब है इसलिये हमसे नीचा है। हुजूरवाला, बात तो और कहनी थी परन्तु लाल रोशनी हो गई। इसलिये समय के अन्दर ही अर्ज करूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, शुक्ल जी को कुछ समय और दिया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं शुक्रिया अदा करता हूं मल्ल जी का। आशा है उनकी बात आप भी पसन्द करेंगे। मैं कहने वाला था ही कि मुझे पांच मिनट और दीजिये। मैं अर्ज कर रहा था कि सिर्फ धनी के घर पैदा होना ही बड़प्पन नहीं है। ब्लैकमार्केटिंग से, धोखाधड़ी दे कर, जिस तरह से हो सके, पैसा इकट्ठा करना, बंगला, बागीचा हो जाना, मोटर पर चढ़ना, बड़ी चीज नहीं है। बड़ा वह है जो कि ईमानदार है, सच्चरित्र है चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। या हिन्दू के घर पैदा होने से ही कोई बड़ा नहीं होगा या मुलमान के घर पैदा होने से बुरा नहीं होगा। हर बिरादरी, हर जाति में अच्छे होते हैं। प्रत्येक धर्म में....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि धर्म का विषय आप के संशोधन से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं बिलकुल अपने विषय पर और रेलेवेंट बोल रहा हूं। मेरे संशोधन में यह चीज है कि वहां धार्मिक शिक्षा हो, साम्प्रदायिकता मिटायी जाय, सामाजिक असमानता मिटायी जाय। बिलकुल रेलेवेंट अर्ज कर रहा हूं। पांच मिनट के अन्दर ही खत्म होता है। अगर ऐसी शिक्षा दी जाय तो हमारा भला होगा।

[श्री सीताराम शुक्ल]

मैं अर्ज करूं आप से कि हर मजहब वालों का मतलब यह था, "इह लोके सुखं भुक्त्वा चांते सत्यपुरं ययौ।" इस लोक में आराम से रहिये और आखिर में ईश्वर को पाइये। लेकिन लोग मजहब का मतलब नहीं जानते हैं। इसलिये लड़ते हैं, अगर मजहब को सही तौर से जान जायं तो झगड़ा न हो। एक बीमार आदमी को बुखार का मर्ज था। वह डाक्टर के पास गया। तो डाक्टर ने उससे कहा कि फलां मिक्सचर पीना और दूध पीना। वैद्य के पास गया तो उसने कहा कि यह गोली खाना और खटाई, मिठाई छोड़ देना, हकीम के पास गया तो हकीम ने कहा कि फलां काढ़ा पीना और मुनक्का खाना। बीमारी तो एक है और दवायें तीन। किसको बुरा कहा जाय ? हर एक की दवा से बीमार अच्छा होता है, जिससे चाहिये दवा करा लीजिये, उसी तरह हर मजहब अच्छा होता है। किसी भी मजहब में रह कर ईमानदारी के साथ ईश्वर को पायेगा और सब को आराम दे सकेगा।

एक जगह तीन मेहमान आये उनमें से एक ने कहा कि मैं वाटर चाहता हूं, दूसरे साहब ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिये और तीसरे साहब ने कहा कि मेरे लिये आब ले आओ। एक ने जल मांगा, एक ने वाटर मांगा और एक ने आब मांगा। उन्होंने कहा कि पहले वाटर आयेगा, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जल आयेगा और उन्होंने कहा कि नहीं पहले आब आयेगा। इसी पर मारा-मारी, पटका-पटकी हो गयी जल, वाटर और आब के झगड़े में। उसी वक्त एक समझदार आदमी आ गये। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। एक साहब ने कहा कि हमने वाटर मांगा था मैंने क्या गलती की ? दूसरे साहब ने कहा कि हमने जल मांगा था ठीक ही किया था और तीसरे साहब ने कहा कि हमने आब मांगा था। यह भी पीते। उसने समझाया कि नालायको तुम सब एक ही चीज मांग रहे हो, लेकिन अफसोस यह है कि एक दूसरे की बात नहीं समझते हो, इसलिये झगड़ते हो। इसी तरह हर मजहब का मतलब यही है कि सब लोग सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, खूब आराम से रहें और औरों को भी खूब आराम से रखें। चूंकि दूसरे मजहब को नहीं जानते, इसलिये झगड़ते हैं। आप ने रोशनी बुझा दी इसलिये मैं बैठता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संकल्प में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। मेरा यह प्रस्ताव है कि संकल्प की चौथी पंक्ति में शब्द "की गति को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र किया जावे, ताकि संविधान में दिये हुये निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की पूर्ति हो सके" निकाले जायं और उनके स्थान पर शब्द "समस्त प्रदेश में १ जुलाई , १९५७ तक अनिवार्य कर दी जाय" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब आज के एजेन्डा में माननीय वीरेन्द्रपति यादव का यह प्रस्ताव आया तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं माननीय वीरेन्द्र पति जी यादव को धन्यवाद देता हूं कि वह इस प्रस्ताव को ओरिजिनल रूप में लाये थे, लेकिन उन्होंने उनका जो ओरिजनल रूप में प्रस्ताव था वह पेश न करके एक दूसरा प्रस्ताव जो कि अमेंडमेंट के रूप में रखा हुआ था उस को यहां पर पेश किया। जो असली प्रस्ताव था उस में एक वास्ताविक स्थिति रखी गयी थी कि शिक्षा १ जुलाई, १९५७ तक अनिवार्य और निःशुल्क कर दी जाय। इसीलिये जो अमेंडमेंट रखा है सिर्फ कुछ शब्दों में इतना जोड़ देना चाहते हैं कि "की गति को विशेष रूप से" ले कर "पूर्ति हो सके" तक के शब्दों को हटा दिया जाय और उस के स्थान पर सिर्फ इतना जोड़ना चाहते हैं कि समस्त प्रदेश में १ जुलाई, १९५७ तक अनिवार्य कर दी जाय। मैं समझता हूं कि इससे मेरा संशोधन स्पष्ट हो जायगा। हम यह चाहते हैं और जो आपने ओरिजनल प्रस्ताव रखा था वह बिलकुल स्पष्ट था। जैसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद ४५ में यह लिखा गया है कि १० वर्ष के अन्दर यानी १९६१ तक अनिवार्य शिक्षा समस्त देश में होनी चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश की ६ करोड़ ३६ लाख की आबादी है और यह भारतवर्ष में सब से बड़ा

राज्य है। हमारे प्रदेश में छोटे छोटे प्रदेशों से भी साक्षरता बहुत कम है। इसमें १३.६ प्रति सैकड़ा साक्षरता है और हमारे संविधान में १९६१ की अवधि रखी गयी है। मैं समझता हूं कि इस गति से १९४६ से आज तक जितनी शिक्षा बढ़ी है, बल्कि हमें आपकी आज्ञा से कहना चाहिये कि प्रारम्भिक शिक्षा वास्तव में शिक्षा तो नहीं है और न इसको शिक्षा कहा जाना चाहिये। बहुत से माननीय सदस्यों ने धार्मिक शिक्षा पर सदन का ध्यान आकर्षित कराया। मैं तो कहूंगा कि प्रारम्भिक शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं है वह तो एक साक्षरता है। शिक्षा की मांग नहीं, साक्षरता की मांग है कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम पढ़ना-लिखना आ जाय और अपने दस्तखत कर सके। प्रारम्भिक शिक्षा कोई शिक्षा नहीं, साक्षरता है। और संविधान में प्रोवीजन होने पर भी आज तक जो सरकार ने इसमें प्रगति की है वास्तव में किसी सरकार के लिये, क्या शब्द कहूं, उतना शोभाजनक नहीं है। क्योंकि सन् १९६१ तक किस आधार पर, किस प्रगति से प्रतिवर्ष कितना परसेंटेज के हिसाब से इस सरकार ने साक्षरता बढ़ायी है जरा इसके आंकड़े देख लिये जायं।

जहां तक यह प्रश्न उठता है कि यहां पर इतना पैसा कहां से आयेगा। हम समझते हैं कि सन् १९४६ से आज तक जो कि बजट के आंकड़े इतने अधिक बढ़ गये हैं और ९१ करोड़ का बजट हो गया उस परसेंटेज के हिसाब से सन् १९४६ से आज तक १३.६ परसेंट साक्षरता बढ़ा सके, जो नगण्य है। और इस पर सरकार का ध्यान यथाशीघ्र जाने की आवश्यकता है। इसलिये मैंने प्रारम्भ में कहा था कि वीरेन्द्रपति यादव जी ने जो प्रारम्भिक प्रस्ताव दिया था, उसमें सरकार को समय दे दिया गया था कि इस समय के अन्दर सरकार समस्त प्रदेश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कर दे, जिससे सन् १९६१ तक, अगर १९५७ तक समस्त प्रदेश में प्रारम्भ कर दी जाय शिक्षा संविधान की धारा के अनुसार, हम उसका पालन कर सकेंगे। इसी आधार पर जो प्रारम्भिक प्रस्ताव था उसी को मैंने रखा और हम आज यह देखते हैं कि शिक्षा पर जो खर्च किया जा रहा है आसाम में, बिहार में, मद्रास में तथा और प्रान्तों में जिस परसेंटेज से खर्च किया जाता है उतना उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा है। हम देखते हैं कि आसाम में जहां ९० लाख की आबादी है, लेकिन वहां १ करोड़ से भी अधिक रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता है, बिहार में ४ करोड़ की आबादी है वहां पर और अधिक खर्च किया जाता है, मद्रास की आबादी ५ करोड़ है और वहां पर १७ करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाता है। यहां पर ६ करोड़ ३६ लाख की आबादी होने पर भी केवल १० करोड़ रुपया ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इसलिये इस सरकार से सदन की मांग नहीं बल्कि संविधान की मांग है और उस मांग के मुताबिक सन् १९६१ तक हम देश में साक्षरता ला सकते हैं। शिक्षा की बात को छोड़ दीजिये, मैं समझता हूं कि समाजवादी ढांचे में केवल प्रारम्भिक ही नहीं, प्रारम्भिक शिक्षा तो छोटी सी मांग है उसमें कोई विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, कोई आर्ट्स और क्राफ्ट्स नहीं सिखाया जाता है, प्राइमरी स्कूल्स का जहां तक सम्बन्ध है वहां तो सिर्फ लिखना-पढ़ना, चिट्ठी लिख सकें और पोलिंग के वक्त जब वोट देने जायं तो अपने कन्डीडेट का नाम पढ़ सकें, इतनी ही हम माँग करते हैं। उतना ही संविधान के अन्दर कहा गया है। जितने प्रगतिशील राज्य हैं होना तो यह चाहिये कि शिक्षा जो है, ऊंची शिक्षा भी चाहे एम० ए० हो या पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की हो, तो वहां तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये। लेकिन आज इस देश में जहां पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और जनता जो टैक्स से लदी जा रही है प्रारम्भिक शिक्षा भी अगर न देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार कोई उन्नति नहीं कर पायेगी और संविधान का जो अनुच्छेद है उसका पालन भी यह सरकार ५० फीसदी भी नहीं कर पायेगी सन् १९६१ तक।

जहां तक यादव जी के प्रस्ताव में कहा गया और यहां पर बहुत से लोगों ने कन्ट्रेडिक्ट किया है यह कहा है कि शिक्षा की प्रगति असंतोषजनक नहीं रही है। मैं तो कहूंगा कि शिक्षा की जो हालत है बार बार कहा है और माननीय मिश्र जी ने कहा कि प्राइमरी स्कूल्स की हालत क्या है? न तो अध्यापक अच्छे हैं, हम देखते हैं कि जहां २ प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां न फ़र्नीचर

[श्री गंगाधर मैठाणी]
हैं, न ब्लैकबोर्ड है और यह तो हालत है कि जो पढ़ाने के लिय चाक वगैरह है उसकी भी व्यवस्था नहीं और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल चलाये जाते हैं, न तो उनके अध्यापकों को समय पर वेतन ही मिलता, है जिसको सरकार भी मानती है और उस तरफ के भी सदस्य बराबर इसकी शिकायत करते रहते हैं और कहते है कि प्राइमरी स्कूलों की हालत क्या है। हम देखते हैं कक्षा १ से लेकर कक्षा ५ तक कक्षायें हैं और यहां इस सरकार की तरफ से जी० ओ० निकाला गया है कि जिस प्राइमरी स्कूल में ३६ एवरेज बच्चे हों, वहां एक अध्यापक रहना चाहिये, हम मानते हैं कि ३६ बच्चे वहां होंगे, लेकिन कक्षायें उसमें ६ होंगी फिर उसके साथ साथ बेसिक का काम भी होगा, कृषि का भी काम होगा, तो एक अध्यापक किस तरह से ६ कक्षाओं को देखेगा और किस तरह से उनको पढ़ा सकेगा? तो इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा की नीति को बल्कि हम तो इसे साक्षरता कहेंगे, साक्षरता की नीति को किस तरह से इकानामी से या कम से कम खर्च करके चला रही है। कम से कम जितना खर्च हो सके वह नीति इसके लिये यह सरकार बरत रही है। इसलिये हमने यह संशोधन रखा है, जिससे सरकार के लिये एक निश्चित समय दे दिया जाय, जिसके अन्दर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सारे प्रदेश में हो जाय। वरना वैसे मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज बोर्डों के द्वारा यह कार्य चलाया जा रहा है उससे प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा का इन्तजाम न जाने कितने वर्षों में भी नहीं हो पायेगा। अभी माननीय शुक्ल जी ने कहा कि अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी के लोगों ने ही ऐसा प्रस्ताव रखा है।

मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर सच्ची बात को सच्चा कहा जाय तो उसमें ऐसी कौन सी बात है और माननीय शुक्ल जी ने स्वयं भी इस प्रस्ताव की जो असली चीज है उसका समर्थन किया है और कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्कूलों की हालत किस तरह से खराब है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि १ जुलाई, १९५७ तक समस्त प्रदेश में चाहे वह शहरी इलाका हो, चाहे देहाती इलाका हो, अनिवार्य और निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा कर दी जाय जिससे कि कम से कम उस प्लेज की जिसको हमने संविधान में लिया है, उसकी पूर्ति हो सके। इस प्रजातंत्र के युग में यह एक कलंक की बात है कि यहां का रहने वाला यह न समझ सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यह मार्ग किधर को जाता है, यहां तक कि जब वह पोलिंग के लिये जाय तो वह यह भी नहीं समझ पाता कि यह किसका नाम है, यह किसका चिह्न है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस सरकार को जो कि समाजवादी ढांचे का अपने को मानती है उसको चाहिये कि यहां के प्रत्येक रहने वाले को कम से कम साक्षर तो बनाये. जिससे उस के सामने जो अन्धकार है वह दूर हो सके और जिससे संविधान की जो मंशा है उस की पूर्ति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश कर रहा हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---प्रस्तुत संकल्प को निम्न रूप में रख दिया जाय।

> "इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में सर्वत्र प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक बनाने के लिये अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को १ जुलाई, सन् ५६ से लागू किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत संकल्प है वह कतई अपूर्ण है और उसके अन्दर बड़ी-बड़ी खामियां और अनिश्चितता है। वह सरकार की नीति को जो निर्धारित की गयी है उस को भी स्पष्ट नहीं करता है और मैं यह बताना चाहता हूं कि संकल्प को कभी इस तरह अनिश्चित नहीं होना चाहिये। उसके अन्दर निश्चितता लाने के लिये मैंने जिन शब्दों को उचित समझा है उनको इस प्रस्तुत संकल्प में पेश कर दिया है। और मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस राष्ट्र के अन्दर या जिस प्रदेश के अन्दर जम्हूरियत प्रणाली की सरकार है, उसका यह

फर्ज हो जाता है कि उसके नागरिकों को ३ अधिकार स्वतः मिलने चाहिये। अगर वह ३ अधिकार हर एक नागरिक को, हर गरीब को जम्हूरियत में पहाड़ों पर, मैदानों में, चट्टानों पर, हर एक जगह अमीर-गरीब और फकीर तक नहीं पहुंचते हैं तो हम उस सरकार को डेमा-क्रैटिक सरकार मानने के लिये तैयार नहीं हैं। वह तीन अधिकार यह हैं : एक तो उनको फ्री मेडिकल एड मिलनी चाहिये, दूसरा उसको प्राइमरी शिक्षा कम्पलसरी व फ्री होनी चाहिये और तीसरे उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका पूरा पूरा उपभोग करने के लिये उनको पूरी पूरी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें। जब तक यह तीन बातें जम्हूरियत किसी जनता तक उन के घर-घर तक नहीं पहुंचती, हम उस को डेमोक्रेटिक कहने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा प्रसार करने के लिये, इसमें कोई शक नहीं, अधिक प्रयास किया और यहां तक किया कि उन्होंने एडल्ट एजुकेशन को भी हमारे प्रान्त के अन्दर कई जगह उसका प्रसार किया, उसको फैलाने की कोशिश की। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यह बड़ी नासमझी की बात है और इस प्रकार का क़दम जो सरकार ने उठाया है उसके पीछे कोई रैशनलिस्टिक व्यू आफ लाइफ नहीं है और न कोई व्यू आफ प्लानिंग हमें दिखाई देता है।

सब से पहली गलती जो हमारी सरकार ने की है वह यह है कि प्लानिंग जो कि हमारे देश के अन्दर चल रही है उसको सही दिशा में सही तरीके पर सही डायरेक्शन नहीं किया गया। हम समझते थे कि जिस रोज़ हमारा राष्ट्र आज़ाद होगा, हमारे भारत-वर्ष के अन्दर निःशुल्क और कम्पलसरी शिक्षा लागू हो जायगी और वह चन्द दिनों के अन्दर उन्नति के शिखर पर दिखाई देगा। लेकिन हमने सही प्रायर्टी इसको न देकर दूसरे दूसरे क्षेत्रों में अपने प्रदेश के रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया और इस कारण से जितनी उन्नति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो पायी। इसलिये मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं हाउस से और सरकार से कि हमारी प्लानिंग सब से पहले शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिये थी और उस प्लानिंग का नक्शा अभी तक सरकार ने हमारे इस सदन में नहीं पेश किया, यह बड़े खेद की बात है। जब कि हमारे प्रान्त में बड़े पढ़े-लिखे विद्वान और साइंस और लिट्रेचर और दूसरी दूसरी बातों को जानने वाले हैं, यह अत्यन्त खेद की बात है कि अभी तक उस भविष्य का नक्शा हमारे सामने, हमारे माननीय सदस्यों के सामने पेश नहीं किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली और नीति सरकार की कहां तक उचित है कि जिसमें जो मरने वाले हैं, २० साल के अन्दर, १० साल के अन्दर, चन्द सालों के मेहमान हैं, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के अन्दर हैं, ४० वर्ष से लेकर ६० वर्ष और ६० से ८० वर्ष तक के एडल्ट एजुकेशन ले रहे हैं जो कतई कोई मानी नहीं रखता है। इस मुल्क में जिसके विकास के जरिये ऐसे हों, जैसा कि हमारा मुल्क है, वहां जो कब्रस्तान की ओर लोग जा रहे हैं उनको "अ" "ई" की किताबें पढ़ाई जा रही हैं और शिक्षा दी जा रही है जो चन्द घंटों के अन्दर कब्रस्तान जाकर उस शिक्षा को खाक में मिला देंगे मैं समझता हूं कि हमारे रिसोर्सेज को इस प्रकार वेस्ट करना किसी सरकार का अधिकार नहीं जब कि हमारे लाखों और करोड़ों बच्चे, ६ करोड़ की आबादी में हर साल पैदा होते हैं उनकी अनिवार्य और कम्पलसरी एजुकेशन न हो सकने के कारण गरीबों के बच्चे जाहिल, बड़ी तादाद में मल्टिप्लाई कर रहे हैं। अब आपकी शिक्षा की नीति क्या मानी रखती है? वह नीति नीति नहीं है वह तो अनीति है यह मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं। इन्सान पैदा होता है, वह अपनी बुद्धि से काम लेता है। हम अगर इस देश को साक्षर बनाना चाहते हैं, और निरक्षरता को १० साल के अन्दर यहां से लिक्विडेट करना चाहते हैं तो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना चाहिये और वह तभी हो सकता है जब कि हमारे बच्चे जो पैदा हों उनमें एक भी जाहिल न रहने पाये। मैं आप को बताना चाहता हूं कि आप का एडल्ट एजुकेशन का रुपया यार-दोस्तों में, रिश्तेदारों में बंट रहा है और छोटे छोटे सरकारी नौकर अपने भाइयों को पेंशन और खैरात के बतौर बांट देते हैं। जब मैंने यह देखा तो मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी को एक पत्र लिखा चार साल पहले

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

और मैंने बताया कि आपकी सरकार यह क्या कर रही है। गरीब जनता के रुपये को क्यों ख़ैरात में बांट रही है। वे बूढ़ पढ़ने लिखने से इन्कार करते हैं, वे टीचर्स केवल झूठे रजिस्टर्स भरते हैं और तनख्वाहों को हज़्म करते हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति से हमारे देश के अन्दर जो प्रगति होनी चाहिये थी शिक्षा के क्षेत्र में वह नहीं होने जा रही है। जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं वे हमारे राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं, वे हमारे भविष्य के निर्माता हैं और उन्हीं के कन्धों पर हमारे उत्तर प्रदेश के ६ करोड़ इन्सानों का उत्तरदायित्व है। हमें उनको सही रास्ते पर चलाना है। हम किसी को खुश करने के लिये आग के भाड़ में उनको झोंक नहीं सकते। गलत क़दमों को उठा कर हम अपने देश को जलती हुई आग में नहीं झोंक सकते। ऐसा हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यह हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं २० साल में इस देश को पढ़े-लिखे नवयुवक और नवयुतियों का राष्ट्र बनाना तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप को पहली जुलाई, १९५६ से यह क़दम उठाना पड़ेगा और आपको उत्तर प्रदेश के उन गरीबों और भिखमंगों को जो रास्तों पर पड़े हुये हैं उठाना होगा। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है चाहे वह अमीर का हो या गरीब का, राष्ट्र की सम्पत्ति होता है। कोई भी अधिकारी जो इन गरीबों और भिखमंगों के बच्चों को सड़क पर पड़े हुये देखता है अगर उसका दिल दहलता नहीं तो मैं समझता हूं कि वह अपने उत्तरदायित्व को निबाह नहीं रहा है, उन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है जिनका उसे पालन करना चाहिये। किसी भी बच्चे को राष्ट्र की सम्पत्ति होते हुये यह पूरा-पूरा अधिकार है कि उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति से जो विकास वह अपना कर सकता है, करे और हमारी सरकार को उसके लिये उन सारी सुविधाओं को मुहय्या कराना होगा। यह हमारा अधिकार है और यह कांस्टीट्यूशन में प्रदान किया गया है। वह अधिकार केवल कांस्टीट्यूशन तक महदूद रखने के लिये नहीं रखा गया है, वह उपभोग के लिये बनाया गया है वरना वह कांस्टीट्यूशन इनएफ़ेक्टिव है। आप एक आदर्शवादी कांस्टीट्यूशन बना कर के दुनियां के सामने ऊंचा बनना चाहते हैं। मुझे उस पर तरस आता है जो समझता है कि कांस्टीट्यूशन के अन्दर आदर्शवादी धारा को रखकर हिन्दुस्तान ने बड़ी तरक्की कर ली है और दुनियां के बड़े बड़े प्रगतिशील मुल्कों को डिफीट देकर देश आगे निकल गया है। इसलिये मैं बताना चाहता हूं और मेरा प्वाइन्ट स्पष्ट है कि माननीय सदस्य मुझको समझाने में गलती न करें कि सबसे पहले प्लानिंग शिक्षा के क्षेत्र में होना अनिवार्य है और उसकी सबसे पहली सीढ़ी हमारी शिक्षा की जो आधारशिला हमारी प्राइमरी पाठशालायें हैं जब तक उन पाठशालाओं को कंसोलिडट नहीं किया जाता तब तक किसी प्रकार की प्रगति असम्भव है।

मैं कहता हूं कि आज हम अपने स्वार्थ के आवेश में आकर बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज को खोल रहे हैं और उन लाखों करोड़ों को तादाद में जनता को शिक्षा से महरूम रख कर हम चन्द व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इस नीति को अपनाने के लिये कतई तैयार नहीं हूं और न तो मैं आपकी सराहना ही कर सकता हूं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे जितने राष्ट्र के नेता हैं, निर्माता हैं वे केवल ४ प्रतिशत लिटरेट जनता में से निकले हैं। मैं उस शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करना चाहता हूं। हम १०० फीसदी में से उन चुने हुये दिमागों को, उन ईमानदारों को, उन इंटेलेक्चुअल्स को आगे लाकर, उनको पूरा पूरा मौक़ा देकर राष्ट्र के लिये उन नेताओं को पैदा करना चाहते हैं, जो आज हमारे देश को उपलब्ध नहीं है। मैं आप को बतलाना चाहता हूं जैसा कि कवि ने कहा है कि :—

"Many a flower is born to blush unseen.
And waste its sweetness in the desert air"

हमारे गरीबों के घरों में, गरीबों की झोपड़ियों में बड़े-बड़े दिमाग पैदा होते हैं, लेकिन हमें

खेद है कि उन दिमागों को मौका नहीं दिया जाता है उनके विकास का और हम अपनी राष्ट्र सेवा के लिये उनसे बड़ा से बड़ा चमत्कार प्राप्त कर सकते है परन्तु इस गलती के कारण हमारा देश महरूम रह जाता है। यदि उनका विकास हो सके तो हमारा देश प्रगति की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को मौका दिया जाय कि इस देश में उसकी उचित ढंग से शिक्षा-दीक्षा हो सके।

दूसरी बात मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आज बड़े दुख की बात है कि हम लोग जो अपने देश की प्रगति के लिये प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कभी दूसरों की राय नहीं ली जाती है और जो चन्द व्यक्ति हैं जो अपने को माहिर समझते हैं उन्होंने ही बुद्धि का ठेका ले रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बुद्धि सो जाती है, उनकी बुद्धि ऊंघ जाती है और वह सच्चा रास्ता नहीं दिखा सकती है। इसलिये आज अगर आप प्रगति के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आप को सही तरीके पर चलना होगा, सही बात सोचनी होगी। यूनिवर्सिटी खोलने का आप को कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ६ करोड़ गरीब जनता के बच्चों को छोड़ कर यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं तो आप का यह कार्य बेकार है। मैं जानना चाहता हूं कि अपने प्रान्त में जितनी यूनिवर्सिटी इस समय मौजूद हैं उनके लिये ठीक प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता है। लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में जो रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ऐक्सटेंशन क्यों नहीं किया जाता है? क्या जरूरत है डुप्लीकेसी की, आज जहां देखो वहीं डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी दिखाई देती है। संस्कृत की यूनिवर्सिटी आप खोलना चाहते हैं, इसके सम्बन्ध में आप से यह कहना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग को ही आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं? व्यर्थ में नई यूनिवर्सिटी खोल कर आप प्रजा का रुपया जाया करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग तो अपने स्वार्थ में मुब्तिला हैं। आज हम हाई स्कूल को डिग्री कालेज करने के लिये हैं और बहुत से कर भी दिये हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल जो गरीबों के घर के पास हो वहां स्कूल नहीं खोलते हैं।

मैंने देखा है और माननीय सदस्यों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दारुल-शफा में आप लोग रहते हैं। वहां एक प्राइमरी स्कूल है, उस की हालत को आप लोग देखने का कष्ट करें। बिल्डिंग के नाम पर वह एक इमली के पेड़ के नीचे स्कूल लगता है जहां पर रात को गदहे, खच्चर व लोग टट्टी किया करते हैं। वहां के हेड टीचर साहब ईंटों पर बैठा करते हैं और जो उनके सहायक हैं वह खड़े रहते हैं। क्या इसी हालत से आप प्रगति के राह पर आगे बढ़ेंगे? कभी नहीं।

मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि आप आज बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं जिनके लिये सही आधार नहीं है, जिनके लिये सही तरीका नहीं है, उनकी बुद्धि सही रास्ते पर नहीं चलती है, सही रास्ता नहीं बतलाती है। अगर आप आज अपने प्रदेश के छः करोड़ लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने स्वार्थों को छोड़िये। आज हालत यह है कि हर आदमी दौड़ रहा है कि मेरे जिले में डिग्री कालेज हो जाय तो मेरा नाम हो जायगा। मैं कहता हूं कि इस चीज को छोड़िये। अगर आप अपने स्वार्थ के लिये छः करोड़ लोगों को अंधकार के गर्त में डालना चाहते हैं तो वह ठीक नहीं हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिये अगर छः करोड़ लोगों को छोड़ कर आगे दौड़ना चाहता हूं तो अगर चन्द्र सिंह का व उस के परिवार का नाम निशान मिट जाय, तो तब उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा और इसके बच्चे अधिक शिक्षित होंगे और इसके समाज को और नागरिकों को मौका मिलेगा कि वह प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकें।

मैं समझता हूं कि जब हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ था और हम उस समय जेलों में यह स्वप्न देखा करते थे कि जब हमारा देश आजाद होगा तो यह समझते थे कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, हमारे राष्ट्र के काम में आयेंगी। लेकिन हमें आज अत्यन्त दुख है कि आज भी हमारे यहां नाचघर वगैरह जारी हैं लेकिन हमारे प्राइमरी स्कूलों

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

के लिये और खास कर हमारे दारूलशफा के पीछे वाले प्राइमरी स्कूल के लिये बिल्डिंग नहीं है। जब दूसरी ऐक्टीविटीज के लिये हमारी सरकार के पास करोड़ों रुपया है तो दारुलशफा के पीछे जो प्राइमरी स्कूल है उस के लिये बिल्डिंग नहीं हो सकती? बच्चों को धूप और वर्षा से बचाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं हो सकता है? यह तो शहर की म्युनिसिपैलिटी की शिक्षा की हालत है जो कि अभी कारपोरेशन बनने जा रही है। तो फिर देहात की क्या हालत होगी इसका आप अन्दाजा कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)--मेरा यह प्वाइंट आफ आर्डर है कि आप के पास कुछ अमेंडमेंट आये हुये हैं उनका ही नाम बोला जाता है तो अगर आप कृपा कर यह बतला दें कि और कितने हैं तो उतनी देर तक और लोग खड़े नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष--एक तो यह पेश कर रहे हैं और दो और हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--डिप्टी स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव आज हमारे सामने पेश है.....

श्री वीरेन्द्रपति यादव--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संशोधन की लिखित रूप में सूचना देने की प्रथा समाप्त कर दी गई है? मेरे पास कोई संशोधन नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष--जो एडमिट किये गये हैं मैं उनके अनुसार ही चल रहा हूं। स्पीकर महोदय ने उनको लिया है मैं उस के अनुसार ही चल रहा हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--जितने संशोधन पेश हुये हैं उनकी लिखित सूचना मेरे पास नहीं आयी है।

श्री उपाध्यक्ष--मूल संकल्प ही संशोधित कर दिया इस कारण लोगों को अमेंडमेंट का नोटिस देने का मौका नहीं रहा।

***श्री सुल्तान आलम खां**--डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आप की इजाजत से यह अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "प्रारम्भिक शिक्षा" के स्थान पर शब्द "बेसिक तथा टेक्नीकल शिक्षा" रख दिये जायं।

जनाबवाला, जो प्रस्ताव आज हमारे दोस्त मैनपुरी के मेम्बर साहब ने रखा है वह अहम प्रस्ताव है। मैं उनका मशकूर हूं कि उसके जरिये से उन्होंने इस सदन को इस बात का मौका दिया कि हम यहां बैठ कर इस बात पर गौर कर सकें कि हमारे सूबे की तालीम कैसी है और उस में किन किन तरमीमों की जरूरत है और इसको बेहतर बनाने के लिये हम क्या कर सकते हैं। इसमें शक नहीं है कि गुजिश्ता ४, ५ सालों में यानी सन् १९४६ से जब से कि मौजूदा गवर्नमेंट इस सूबे में आयी तालीम की तरक्की देने के लिये उन्होंने अपनी जगह पर काफी कोशिश की। हमने यह भी देखा कि जो बजट पिछले, २, ३ साल से हमारे सामने आये उन बजटों में तालीम पर रुपया बढ़ाने की कोशिश की गयी है खासतौर से अभी तक इस सूबे में जो बजट पेश हुआ करते थे उनमें ज्यादा रकम पुलिस के लिये रखी जाती थी। लेकिन पिछले दो साल से हम यह बात देख रहे हैं कि तालीम के महकमे के लिये जो रकम रखी गयी वह पुलिस के महकमे और दूसरे महकमों से ज्यादा है। इससे यह अन्दाजा होता है कि हकूमत का ध्यान इस तरफ है कि शिक्षा को आम बनायें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आम लोगों की पहुंच के अन्दर इसको पहुंचाया जाय ताकि अच्छा प्रबन्ध अपने सूबे में हो सके। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो कुछ तस्वीर है वह मुकम्मल है या उस में किसी और तरमीम की जरूरत है जिसमें और बेहतर बनाने के लिये जरूरत हो।

जनाबवाला, इसमें शक नहीं है कि इन ५ सालों के अन्दर तालीम आम हुई, और बहुत बड़ी तादाद में स्कूल हमारे यहां खुले लेकिन उसके लिये सवाल यह है कि उसको कहां तक हमारी जरूरतों के मुताबिक बनाने की कोशिश की गयी है। यह बड़ा अहम और जरूरी सवाल है जिसके ऊपर इस रेजोलूशन के जरिये से रोशनी डाली गयी है। आम-तौर पर यह भी कहा गया है कि हमारे मुल्क के अन्दर बेरोजगारी का सवाल बहुत बढ़ रहा है। फिर अगर इस बैकग्राउन्ड में इस बात को हम सोचें तो हम को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी तालीम इस किस्म की होनी चाहिये जिससे यह मसला हल हो सके। यह सही है कि हमारे यहां हाई स्कूल और इन्टरमिडियेट कालेजों से २॥, ३ लाख तालिबइल्म हर साल पास हो कर निकलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर तालीम को इतना आम बना दिया जाय कि जिससे आम लोग पढ़ कर निकल सकें तो फिर उनके लिये क्या बन्दोबस्त होगा? जाहिर है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी तादाद में लोगों को साल ब साल नौकरी नहीं दे सकती। हमारे पास इतना सरमाया भी नहीं है कि हम बैठ कर तिजारत कर सकें। इस मुल्क के अन्दर इतनी जमीन नहीं है कि लोग उस में जा कर काश्त कर सकें। तो फिर सवाल यह होता है कि आखिर हम अपने यहाँ लोगों को तालीम दें तो वह तालीम किस किस्म की होनी चाहिये और उस तालीम को हासिल करने के बाद उन लोगों को क्या करना चाहिये। बहरहाल इस मामले पर बहुत गौर हुआ और बहुत सी बातें सामने आयीं। हम सब यह जानते हैं कि बेसिक एजूकेशन जो इस मुल्क के अन्दर गांधी जी ने पहले बतलाया था और जिसका आइडिया दिया था क्या उस को गवर्नमेंट ने तसलीम कर लिया है? वह एक ऐसी तालीम है जो हमारी त्रुटियों को पूरा कर सकती है। वह हमारी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकती है। दूसरी तरह की तालीम जो हमारे लिये जरूरी है वह टेक्निकल ऐजूकेशन है। इसकी इसलिये भी जरूरत है कि हम अपने मुल्क में प्लानिंग और डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमने कम्युनिटी प्राजैक्ट्स खोले हैं और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया में तरक्की के मैदान में अपनी कमियों को पूरा करें। अगर तालीम को आम करना है और लोगों को इस काबिल बनाना है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो मैं समझता हूं कि प्राइमरी तालीम से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बेसिक और टेक्निकल एजूकेशन पर ध्यान देने की है। इस वक्त हमारे सूबे में ५ युनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं और इसके अलावा २, ३ और खुल गई हैं या खुलने वाली हैं। हमारे यहां सैकड़ों की तादाद में डिग्री और इन्टरमिडियेट कालेज हैं लेकिन सवाल यह है कि जो लोग यहां से तालीम हासिल करके निकलें वे मुल्क के लिये कहां तक कारआमद हो सकते हैं। पिछले ४, ५ साल में हमारे देश में काफी प्लानिंग हुआ और उसके जरिये से हम लोग आइन्दा के प्रोग्राम बना रहे हैं लेकिन इस प्लानिंग के अन्दर जो इसे प्रायरिटी मिलनी चाहिये मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूंगा कि वह पूरी प्रायरिटी तालीम को नहीं मिल सकी। हमारे सामने नरेन्द्र देव कमेटी और पब्लिक मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट हैं। हमने उनमें से कुछ तो किया लेकिन इस बात की जरूरत है कि हम उनकी पूरी सिफारिशों को काम में लावें। रिज़ोल्यूशन का स्कोप तो महदूद है लेकिन तालीम के मसले में बहुत सी दूसरी चीजें भी आवेंगी, मसलन् बच्चों की ट्रेनिंग और डिस्पिलिन क्या हो, उनकी तन्दुरुस्ती कैसी हो और उनके लिये खेल का क्या बन्दोबस्त हो। एकैडेमिक कैरियर के साथ तन्दुरुस्ती भी अच्छी होनी चाहिये। इस सूबे के अन्दर एक काउन्सिल आफ़ फ़िज़िकल कल्चर काफ़ी अर्से से कायम हुई जिसका स्कोप यह था कि यह तालिबिल्मों के अलावा और तमाम लोगों की तालीम और सेहत का भी इन्तज़ाम करेगी, लेकिन उसे तालीम के महकमे से तोड़ कर और किसी दूसरे महकमे में कर दिया गया है। काउन्सिल आफ फ़िज़िकल कल्चर की तालीम बिलकुल सही तौर पर तालीम

[श्री सुल्तान आलम खां]

के महकमे से ही हो सकती है। इसलिये हमें इस बात की जरूरत होगी कि हम अपनी तालीम के उस हिस्से को जो दिमागी और इस्प्रीचुअल और जिस्मानी से ताल्लुक रखता है उसकी प्लानिंग करें और उसे प्रायौरिटी दें ताकि हम अपनी क़ौम और मुल्क को सही रास्ते पर चलावें और हम दुनिया में सही क़िस्म के शहरी इन्सान बन सकें।

जब मैं इस कसौटी पर इस रिज़ोलूशन को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि यह कोई मामूली प्रस्ताव नहीं है बल्कि यह एक अहम प्रस्ताव है और इस पर हमें काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद ४५ में भी कहीं पर यह जिक्र नहीं है कि इससे मुराद सिर्फ प्राइमरी तालीम ही हो सकती है। इसमें लिखा है, यह मैं आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं।

"The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

इन अल्फाज़ से यह मतलब नहीं है कि इसे महदूद कर दिया हो सिर्फ प्राइमरी एजूकेशन के लिये। बल्कि इसमें सिर्फ यही है कि बच्चों को इब्तदाई तालीम मुफ्त हो और जब्रिया हो और जब्रिया तालीम मुफ्त ही हो सकती है। किसी शख्स को मजबूर करना कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ और साथ में यह मजबूर करना कि अपने पास से उस की तालीम का खर्चा बरदाश्त करो, यह मुनासिब नहीं है। इसलिये यह प्रावीजन रखा गया है कि वह तालीम १० साल में मुकम्मिल हो जाय और तमाम सूबे में ऐसी तालीम हो। जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है मैं उस की दिल से ताईद करता हूं और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मसले पर गौर करे और सोचे कि तालीम के महकमे को कितनी प्रायौरिटी मिलनी चाहिये और उस का क्या प्लानिंग होना चाहिये और इस बदले हुये जमाने में उसका क्या बदला हुआ रुख होना चाहिये। इसलिये तालीम के सिस्टम में जो तब्दीलियां होंगी उस बारे में कोई दो राय नहीं हैं। हर शख्स इस बात को मानता है कि हमारी तालीम का ढांचा आज से १०० बरस पहले का है जो अंग्रेज ने बनाया था लेकिन इसके साथ साथ हमने इस बात पर तवज्जह नहीं की है कि इसके लिये क्या प्रायौरिटी होनी चाहिये। इससे पहले जो कमेटियां बैठीं उन्होंने भी इसकी तरफ हमारी तवज्जह दिलायी और हर शख्स इस बात को महसूस करता है कि अब वक्त आ गया है कि हम इसे तरजीह दें, प्लानिंग करें और बेसिक और टेक्निकल तालीम को फ्री और कम्पलसरी करें। इन अल्फाज़ के साथ मैं अपने संशोधन के साथ इस रिज़ोल्यूशन की ताईद करता हूं।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि वीरेन्द्रपति यादव जी के संशोधित प्रस्ताव की दूसरी पंक्ति में "रही" शब्द निकाल कर उससे बाद वाले शब्द "है" के पश्चात् पूर्ण विराम कर दिया जाय और शब्द "और" से लेकर तीसरी लाइन में "है" तक निकाल दिया जाय। यह प्रस्ताव मैंने केवल इसलिये रखा है कि मैं चाहता हूं कि इस संशोधित प्रस्ताव के मंशा पर कोई आघात न लगे और सदन एकमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा है कि इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं जिससे किसी भी व्यक्ति को चोट न लगे और हमारे पूरे प्रान्त में जिस चीज की आवश्यकता है वह पूरी हो जाय। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, जहां तक प्रारंभिक शिक्षा की बात है हम सभी जानते हैं कि सरकार का जो प्रयास रहा है वह बहुत ही नगण्य रहा है। अपने पूरे प्रदेश में शिक्षा पर १६ करोड़ ८० लाख रुपया के करीब व्यय होता है और उसमें से १० करोड़ रुपया के लगभग सरकार खर्च करती है और ६ करोड़ कुछ रुपया जनता द्वारा प्राप्त होता है। जो प्रारंभिक शिक्षा है उस पर हमारी राज्य सरकार के फंड से ३ करोड़ ३४ लाख, ऊंची शिक्षा पर ३ करोड़ के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगभग सरकार का राज्य के फंड से व्यय होता है और बकिया १० करोड़ जनता व्यय करती है। तो फिर सरकार से अगर यह कहा जाय कि इस सरकार ने अपने शासनकाल में शिक्षा पर और प्रारंभिक शिक्षा पर कोई प्रयास नहीं किया है तो वह कोई अतिशयोक्ति न होगी और न उसके लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता होगी। संसार के बहुत से देशों में अनिवार्य शिक्षा है बल्कि दुनिया के अन्य देशों में तो यहां तक है कि प्रारंभिक शिक्षा के समय शिक्षार्थियों को पुस्तकें और कहीं-कहीं खाने पीने की भी सहायता दी जाती है।

अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में अर्ज करूंगा कि अनिवार्य शिक्षा चालू करने के साथ और भी कुछ खास बातों की तरफ उनको ध्यान देना होगा, उसके साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होनी चाहिये तभी हमें इसमें सफलता मिल सकेगी। आज हरिजन भाइयों को बड़ी सुविधा दी जाती है किताबें आदि उनको दी जाती हैं, फीस भी माफ की जाती है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी दावा कर सकते हैं कि हरिजनों के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में १० प्रतिशत भी जाते हैं, तो इस का उत्तर शून्य ही होगा। यही कारण है कि हरिजन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते, वह मजदूरी कर के जीवनोपार्जन के साधन कमाते हैं। उन बच्चों से जो भेड़,बकरियां, गाय, भैंसें चराने का काम लिया जाता है वह उनकी शिक्षा के रास्ते में रोड़ा बन कर रह जाता है और इस तरह से उनके सामने उन की शिक्षा की तरक्की के सामने उनकी आर्थिक कमजोरी खड़ी हो जाती है। इस तरह से उन लोगों के स्तर को बिना उठाये उनके लिये अनिवार्य शिक्षा बेकार है। हमें उनको अपने जीवन के स्तर को उठाने के साधन मोहेय्या करने चाहिये। हमारे प्रदेश की आबादी सवा ६ करोड़ के करीब है उसमें से ६.७ के करीब बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ने जाते हैं और २६ लाख ९४ हजार ५४५ प्राइमरी एजूकेशन में पढ़ रहे हैं जिन में से ३ लाख से कुछ ज्यादा लड़कियां हैं। यह भी जरूरी है कि अनिवार्य शिक्षा में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। हमारे प्रदेश में शिक्षा का कुल प्रतिशत १३.६ है, वह भी प्रदेश में रहने वाले लोगों के स्तर के अनुसार बंटा है। तराई के इलाके में वह १०. कुछ है, पूर्वी इलाके में वह साढ़े १० के करीब है और बीच के और पश्चिमी इलाके में वह १६. कुछ हैं और पिछड़े हुए इलाके में स्त्री शिक्षा ३.६ के करीब है। इसलिये जरूरी है कि स्त्री शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाय और यदि वह अनिवार्य होगी तो स्त्री और लड़कों दोनों की शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान जायगा, बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों ही होंगी। इन दो प्वाइंट्स की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा चालू करने के लिये हमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी ट्रेन्ड करना पड़ेगा। उनमें शिक्षा के प्रति सद्भावना प्रेरित करनी पड़ेगी। जब तक हमारे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये भेजने को तयार नहीं होते तब तक जबरदस्ती अनिवाय शिक्षा का अर्थ मुकदमेबाजी का बढ़ाना होगा और बहुत से लोगों को इसमें हमें दन्ड भी देना पड़ेगा। तो हमें अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ देहातों में शिक्षा प्रेम भी बढ़ाना पड़ेगा। विद्यार्थियों की अभिरुचि को भी बढ़ाना पड़ेगा और अभिभावकों के शिक्षा प्रेम को भी। विद्यार्थियों के लिये भी कोई ऐसा माध्यम पैदा करना पड़ेगा जिससे वे अपना समय खेलकूद में अधिक न व्यतीत कर पढ़ने में रुचि लें। इसके साथ एक काम और भी करना होगा। आज अधिकतर प्रारंभिक शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के हाथ में है। लेकिन यह बोर्डस उस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं। सरकार समय समय पर इतना धन उनको दे रही है लेकिन मेरा दावा है कि ३० प्रतिशत कम से कम ऐसे स्कूल हमारे जिले में हैं जहां कोई छत नहीं है जहां के बच्चे पानी में बैठकर या तो शिक्षा प्राप्त करते हैं या स्कूल बन्द कर दिये जाते हैं और अध्यापक लोग जाकर अपने खेतों पर काम करते हैं। वह भी मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लिखते हैं, सरकार को लिखते हैं लेकिन वहां कहीं से कोई उत्तर नहीं आता है और उनके पास फिर कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह अपने बच्चों को छुट्टी दे दें और नामिनल पढ़ाई करें। तो करना यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डस प्रारंभिक शिक्षा का काम अच्छी तरह से नहीं करती हैं और जिन्होंने

[श्री रामेश्वर लाल]

जनता के साथ खिलवाड़ किया है उनके हाथ से इसको छीन लेना चाहिये और उनको एड देना बन्द कर देना चाहिये । अगर प्रारंभिक शिक्षा को चलाना है तो यह सब करना पड़ेगा । अनिवार्य शिक्षा देहात में देना है तो जो पीड़ित है, शोषित हैं और त्याज्य हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जायगा। और यह हमारे हक में अच्छा है कि कुछ थोड़े से लोग जो सभ्यता के नाम पर शहरों में अपना जीवन बिताते हैं उनसे ध्यान हट कर दरिद्रनारायण की तरफ जायगा जो गांवों में बैठे हुये शिक्षा के अभाव में अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं और जहां की शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है । हमें वहां के बच्चों के अभिभावकों के लिये भोजन की व्यवस्था करनी होगी और यही नहीं इस अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ हमें उनकी पुस्तकों का भी प्रबन्ध करना होगा । उनको पुस्तकें देना भी हमारे लिये लाजिमी हो जाता है । यदि हम वहां के रहने वालों के लिये समुचित आजीविका की व्यवस्था करें तो फिर हम वहां अभिभावकों के लिये यह नहीं कहते कि आप उनके बच्चों को पटरी, प्लेट वगैरह दें लेकिन यदि सरकार इसको नहीं मानती है और वहां के लोग आर्थिकव्यवस्था के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते तो मैं इस हालत में निवेदन करूंगा कि सरकार को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने के साथ-साथ उन गरीब विद्यार्थियों के लिये जो पेंसिल, कागज, और दावात अभाव में शिक्षा चालू नहीं कर सकते उनके लिय भी कोई व्यवस्था अवश्य करें ।

श्रीमन्, इसके बाद मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिये सब से बड़ा काम जो इस सरकार को करना पड़ेगा वह यह है कि स्कूलों में जो लोकल टीचर्स हैं उनको वहां न रहने दिया जाय । श्रीमन्, लोकल टीचर्स जो अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं वे उन विद्यार्थियों से समय-समय पर अपने घर का तो काम लेते ही हैं साथ ही साथ चूंकि खेती बाड़ी के काम में उनकी दिलचस्पी होती है वे स्कूलों से अमूमन गैर हाजिर भी रहते हैं । मेरा यह कहना नहीं है कि सारे के सारे प्रान्त के अध्यापक ऐसा ही करते हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि लोकल टीचर्स अपने घर के कामों में व्यस्त रहते हैं । अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा को जल्दी से जल्दी अनिवार्य करके लोगों को शिक्षित बनाया जाय तो जहां हमें विद्यार्थियों में एक तरफ रुचि पैदा करनी होगी वहां अध्यापकों में भी रुचि बढ़ानी होगी । अध्यापक अपना कर्त्तव्य समझें और एक निश्चित अवधि के भीतर बच्चों को शिक्षा दे देना है ऐसा वे समझें । अध्यापकों में रुचि बढ़े इसके साथ उन्हें खाने लायक तनख्वाह और भोजन के लिये पर्याप्त साधन और सम्पत्ति मिले ताकि वे आनन्द और सुख की जिन्दगी अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकें । यह बात तभी हो सकती है जब कि टीचर्स में रुचि बढ़े पढ़ाने की ओर और उनको लोकल एरियाज से हटा कर दूसरे एरियाज में भेज दिया जाय । वहां फिर उनका एक ही काम रह जायगा पढ़ाने का । सदन का हर एक सदस्य यह मानेगा कि लोकल टीचर्स जो अपने एरियाज में रहते हैं वे निश्चय ही अपने घरेलू कारोबार में फंसे रह जाते हैं । अगर हमको शिक्षा को ठीक प्रगति देना है तो सबसे ज़रूरी यह है कि हमको अध्यापकों का स्तर ऊंचा करना होगा, मासिक वेतन अधिक बढ़ाना होगा ।

माननीय सीताराम शुक्ल जी ने अपने भाषण में यह सुझाव दिया था कि प्रारंभिक शिक्षा देने के लिये स्त्रियों का स्थान हो । मैं समझता हूं कि होना चाहिये लेकिन स्त्रियों के शिक्षा के अनुपात को देखते हुये हम लाजिमी तौर पर हर अपर प्राइमरी पाठशाला में स्त्रियों को स्थान देने में असमर्थ हो जायेंगे । लेकिन यह निवेदन करूंगा कि यदि यह संभव हो सके और जितनी भी स्त्रियां हमें अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा देने के लिये प्राप्त हो सकें वहां उन्हें हमें भेजना चाहिये । उनमें एक मातृत्व शक्ति होती है, एक प्यार की भावना होती है, बच्चों के प्रति एक ममता होती है और उससे प्रारंभिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत कुछ लाभ हो सकेगा । सचमुच मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ेगा ही । इसलिये मैं सीताराम जी के सुझाव का समर्थन करता हूं और अपना यह संशोधन प्रस्तुत करते हुये यह उम्मीद करता हूं कि श्री वीरेन्द्रपति और यह सरकार दोनों इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वीरेन्द्रपति यादव जी के संशोधन में निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

संकल्प की पंक्ति ५ के शब्द "क्षेत्रों में" और शब्द "तीव्र" के बीच में शब्द "प्रत्येक जिले के एक-एक परगने में" रख दिये जायं।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अब तक के भाषण मैंने सुने हैं उन सब से यह प्रतीत होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में यदि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरम्भ कर दी जाय तो यह सब व्यय पूरा करना कठिन हो जायगा। मैं यह समझता हूं कि प्रत्येक सज्जन इस बात को मानता है कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिये। परन्तु यह किस प्रकार से की जाय। जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है कि १० वर्ष में अनिवार्य शिक्षा करके ऐसा कर दिया जाय कि कोई भी अनपढ़ बचा न रह जाय। यह प्रायः १४ वर्ष की आयु तक माना है, मैं समझता हूं कि १४ वर्ष की आयु तक कक्षा पांच तक की शिक्षा हो सकती है और इसके साथ यह देखना पड़ेगा कि यह खर्चा कहां से आये ? इस खर्चे को पूरा करने के लिये टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। परन्तु यह समय नहीं कि ऐसी दशा में टैक्सों की भरमार हो। मैं यह बेहतर समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ५१ जिलों में से हर एक जिले में यदि एक-एक परगना में अनिवार्य शिक्षा आरम्भ कर दी जाय निःशुल्क, तो यह कार्य चल सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि एक ही जिले में आरम्भ की जाय तो दूसरे जिले अनभिज्ञ रहेंगे। यदि एक-एक जिले में एक-एक परगना ले लिया जाय तो उस परगने का प्रभाव समस्त जिले में होगा और साथ ही साथ यह भी ज्ञात होता रहेगा कि किस प्रकार शिक्षा की उन्नति हो रही है ? यह अत्यन्त आवश्यक है, सबसे बड़ी चीज है कि प्रत्येक देश में पढ़े लिखे व्यक्तियों का होना बड़ा जरूरी है। कोई भी काम किया जाय यदि कोई मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं है तो भली प्रकार कोई काम नहीं कर सकता है। इसके साथ दो बातें और मैं चाहता हूं कि जो बातें प्रारम्भ में बच्चों को सिखानी हों, सिखाना आवश्यक हैं। पहला कार्य यह है कि जिस प्रकार से बच्चों के बड़े अर्थात् माता पिता जो व्यवसाय कर रहे हों ऐसा न हो कि पढ़ कर वह उस व्यवसाय को भूल जायं। मान लीजिये एक किसान का लड़का है, उसके लिये यह परमावश्यक है कि पढ़ते समय उस को खेती करने का अभ्यास कराया जाय। और इसके लिये मैं अपने मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जगह-जगह पर स्कूलों में जो यह शिक्षा का कार्य था, शिक्षालयों में इसके लिये अध्यापक रखे हैं जो कृषि का काम सिखाते हैं वह उस समय तक ठीक है जब तक बच्चे इस कार्य में अभ्यस्त हों, यदि केवल किताबों से ही यह बात होगी और किताब ही देखकर इसकी जानकारी करेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहां अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की जाती है साथ में यह भी होना चाहिये कि गांव के रहने वाले बच्चों को, गांवों में ७५ प्रतिशत किसान हैं, उन बच्चों को यह कार्य सिखाना और उनका अभ्यास कायम रखना यह बड़ा जरूरी है।

इसके साथ ही एक और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे-छोटे विद्यालयों में यूनिवर्सिटियों और कालेजों में भी जगह-जगह पर यह कोई भी विचार नहीं कि उन बच्चों का कर्त्तव्य क्या है, आगे चल कर वह अपने देश के लिये कैसे साबित होंगे ? इसका मुख्य कारण यह मैं समझता हूं कि उनके कर्त्तव्यों की शिक्षा नहीं है, न उनके धर्म-कर्म की शिक्षा है, न उनको यह सिखाया जाता है कि कौन गुरू और कौन माता पिता हैं। वह अपने रास्ते से स्वयं चलते हैं। प्रायः बातें सुनने में आती हैं। यूनिवर्सिटी और कालेज के लड़के तो एक सीमा से पार हो जाते हैं। वह बिलकुल अपने आपको यह नहीं समझते कि आगे चल कर अपने देश में हमें क्या करना है, माता-पिता के लिये हमारा क्या कर्त्तव्य है, हमारे नेताओं के लिये क्या कर्त्तव्य है ? इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जैसे कि सेकुलर स्टेट के एलान होने से पहले प्रत्येक कालेज और स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाया करती थी, वह तो हानिकर है ऐसा मैं समझता हूं क्योंकि जाति-पांति की बात पैदा हो जाती है। परन्तु दूसरे रूप में उनके आचरण सम्बन्धी सदाचारी, आज्ञाकारी किस प्रकार से वह बन सकते हैं, किस प्रकार से अपने देश के लिये वह एक देश भक्त साबित हो सकते हैं, यह दूसरी चीज है। इसमें भी हमको पढ़ने के साथ-साथ एक खास कदम उठाना

[श्री श्रीचन्द्र]

पड़ेगा। इसके बगैर मैं समझता हूं कि चाहे वह अनिवार्य शिक्षा हो, चाहे कालेज की शिक्षा हो, चाहे कोई भी शिक्षा हो, बेकार होगी। इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रारम्भ में बच्चों के लिये ऐसा एक कोर्स अनिवार्य किया जाय, साथ-साथ में वह कक्षावार हो कि इन तीन बातों पर-सदाचार, आचरण और आज्ञाकारी बनने पर—अच्छा प्रभाव पड़े। इसके लिये अगली दो कक्षाओं के लिये किताबें बनायी जायं और यह विषय अनिवार्य कर दिया जाय। प्रत्येक स्कूल और यूनिवर्सिटी में यह विषय अनिवार्य हो और इसमें पास होना वैसा ही हो जैसा कि दूसरे विषयों में होता है। मैं, अभी तीसरा दिन है, एक यूनिवर्सिटी के लड़के से मिला। उस लड़के के पिता को यह शिकायत थी कि वह कहना नहीं मानता और अपने मनमाने रास्ते पर वह चल रहा था। मैंने उसको समझाया तो उसने मुझे जवाब दिया कि यूनिवर्सिटी के लड़कों को यह बात सिखाने की जरूरत नहीं। तो जब हमारे प्रदेश में यह बात कही जाती है। एक यूनिवर्सिटी का लड़का इस तरह की बात कहता है तो आगे चल कर और भी कुप्रभाव उस पर पड़ेगा और वह हमारे देश के लिये और उसके अपने लिये घातक सिद्ध होगा। इसलिये प्रथम ही यह आवश्यक है कि जब मर्ज पैदा हो उसका इलाज उसी समय किया जाय। तो यह एक अत्यन्त आवश्यक बात है। यदि हम इसमें ढील करते हैं तो यह हमारी अनिवार्य शिक्षा भी बेकार साबित होगी।

अब आपके सामने यह प्रश्न है कि खर्च कहां से आये। मैं यह समझता हूं कि ५ वर्ष हमारे और शेष हैं। इसके लिये यदि प्रथम वर्ष के प्रत्येक जिले के एक परगने में यह शिक्षा १ जुलाई, १९५६ से अनिवार्य कर दी जाय और उसके बाद दो-दो परगनों में कर दी जाय और तीसरे वर्ष ४,४ परगनों में कर दी जाय, तो इस प्रकार से पांच साल में यह शिक्षा समस्त प्रदेश में पूरी निःशुल्क और अनिवार्य हो सकती है, और जो अध्यापक उसमें कार्य कर रहे हैं, उनके पास यदि अधिक संख्या लड़कों की आ जाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि उन लड़कों के लिये और नये अध्यापक रखे जायं। उसके लिये एक साधारण नियम यह भी हो सकता है कि जो लड़के बुद्धिमान हैं ऊंचे क्लास के वह नीचे के क्लासों को पढ़ाने के लिये काम में लाये जा सकते हैं और इस प्रकार एक-एक अध्यापक काफी लड़कों को पढ़ाने का काम कर सकता है। हमारे इस प्रदेश में जो कमी है और जगह जगह पर जो त्रुटियां हैं, उनका कारण यह है कि हमारे जितने भी प्रदेश भारतवर्ष में हैं, उनमें हमारे प्रदेश में शिक्षितों की संख्या सब से कम है और सब से कम संख्या होने से हमको बड़ी हानि पहुंच रही है। जब कि हमारा राज्य एक जमहूरियत का राज्य है प्रजातंत्र का राज्य है तो उसमें मनुष्यों को समझने की कुछ शक्ति होनी चाहिये और यह सबसे आवश्यक और पहली बात है कि वे अपने कर्त्तव्य को समझें। यदि अपने कर्त्तव्य को वह नहीं समझते हैं और यह नहीं जानते हैं कि हमें इस जनतंत्र राज्य में क्या करना है, जनता के लिये हमें क्या करना है, अपने लिये हमें क्या करना है और राज्य के लिये हमको किस प्रकार से सहायता देनी है तो मैं समझता हूं कि यह सब बातें व्यर्थ होंगी। दूसरे और बहुत से विभाग हैं और मैं तो अपनी सरकार को यह राय दूंगा कि दूसरे और जो बेकार विभाग हैं अगर उनको समाप्त कर दिया जाय तो उनसे हमारे देश को कोई हानि न होगी और यह देखने में आ रहा है।

हमारे सामने ८ रिपोर्टें एस्टीमेट्स कमेटी की आयीं। मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन रिपोर्टों को उन्होंने पढ़ा होगा तो उस रुपये को, जो हमारे माननीय सदस्य एस्टीमेट्स कमेटी के मेम्बरों ने सुझाव दिये हैं, काफी रुपया हमारा बच सकता है। मैंने उनको सब को पढ़ा है और देखा है कि वह व्यर्थ रुपया जा रहा है। इस बात पर अगर ध्यान दें कि प्रत्येक विभाग को ले लें और जो बेकार के ऐसे पद हैं, ऐसे सरकारी नौकर हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उनको तोड़ दिया जाय और प्रत्येक विभाग को धीरे-धीरे लिया जाय, एक-एक विभाग की ओवरहालिंग की जाय तो इतना हमारा रुपया बच सकता है कि सर्वप्रथम इस अनिवार्य शिक्षा में उसको व्यय करने से, यदि ठीक तरह से काम में लाया जाय तो यह सब जिलों में हमारी योजना बड़ी आसानी से चल सकती है।

अब आपके सामने जो समस्या इस समय है, जगह-जगह पर देखने में आ रहा है और जो कोर्स आज पढ़ाया जा रहा है, वह भी बहुत विचित्र सा है। हम देखते हैं कि बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा में जायं उनकी किताबें ऐसी हैं कि पहले ही ऐसी बातें रख दी गई कि उनकी समझ से वह बिल्कुल बाहर की चीज हैं और उन बातों को बिलकुल नहीं समझ सकते हैं। कहां प्रारम्भिक शिक्षा और कहां वर्ल्ड का मैप, बड़ी-बड़ी बातें अमरीका वगैरह की सिखायी जाती हैं तो उनकी समझ में नहीं आ सकतीं। हम सामने जो चीज देखते हैं, घरों में हमारे बच्चे जो चीज देखते हैं, पहले ही से अगर उन्हें वहीं से पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनकी जल्दी समझ में आ जायगा। बच्चे तो पास-पड़ोस में एक-एक चीज देखते हैं, वहीं से हमें पढ़ाना चाहिये न कि अपने घरों की बातों को छोड़ कर हम एक दम इंगलैन्ड और अमरीका पहुंच जायं, यह तो असम्भव बात है, इसका फल क्या होगा और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उसी भावना के होंगे, वे अपने घर को भूल जायेंगे और विदेशी बातों पर चलेंगे।

एक अत्यन्त आवश्यक बात मुझे इस सम्बन्ध में यह भी कहनी है कि इस समय हमारी आय कम है और बहुत से हमारे छोटे-छोटे वेतन पाने वाले अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनके लिये दूभर हो गया इसका कारण यह है कि जो बड़े-बड़े आदमी जो हजारों रुपया तनख्वाह पाते हैं या बड़े-बड़े व्यापारी हैं और बड़े-बड़े रुपये वाले हैं, उनके बच्चे किस ठाट से यूनिवर्सिटी में या स्कूल में रहते हैं। हमारे चपरासी या छोटे क्लर्क के बच्चे, उनको शर्म आती है उनके पास बैठने में। तो इसलिये आवश्यक है कि प्रारम्भिक कक्षा से लेकर उच्च कक्षा तक एक ड्रेस कर दी जाय कपड़े की, जिससे कि चाहे अमीर लड़का हो चाहे गरीब का, झिझक पैदा न हो दोनों एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे, इसके साथ उनकी आत्मा पर बड़ा भारी असर पड़ेगा, उनके दिमाग़ की शक्ति बढ़ेगी, उनके अन्दर यह बात पैदा नहीं होगी कि यह अमीर है और मैं ग़रीब हूं। आप देखें कि जब यह प्रभाव किसी मनुष्य के चित्त पर पड़ जाता है कि मैं छोटा हूं और यह बड़ा है तो इससे हमारे देश को बड़ी भारी क्षति पहुंचती है। जैसे कि उच्च विचार का सज्जन या बड़ा मनुष्य देश के काम आने लायक उस को होना चाहिये, वह नहीं हो पाता है और उस के जो विचार हैं, वह कुचल जाते हैं। तो यह परमावश्यक है कि उनकी ड्रेस प्रारम्भिक कक्षा से लेकर उच्च कक्षा तक एक सी होनी चाहिये।

***श्री मोहनलाल गौतम**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने पेश हुआ वह बहुत महत्व का है हालांकि प्रस्ताव दफा ४५ कांस्टीट्यूशन के मुताबिक नहीं है फिर भी जितना है वह काफी महत्व का है।

दफा ४५ इस प्रकार है :—

"45. The State shall endeavour to provide, within the period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

जहां तक १४ वर्ष का ताल्लुक है इसमें आमतौर से सिर्फ प्रारम्भिक शिक्षा ही नहीं बल्कि ८वें क्लास तक कम से कम बच्चा पहुंच ही जाना चाहिये। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं, जो १४ साल की उम्र में मैट्रिक भी पास कर लेते हैं लेकिन इस वक्त जो बन्धन लगाया गया है, उसको देखते हुये अगर यह माना जाय कि कांस्टीट्यूशन की मांग यह है कि कम से कम आठवीं जमाअत तक फ्री कम्पलसरी एजूकेशन बच्चों के लिये हो, इसका प्रबन्ध दस साल के अन्दर हो जाना चाहिये। वह दस साल पूरा होता है कांस्टीट्यूशन के शुरू होने के हिसाब से सन् ६१ में क्योंकि जहां तक मुझे याद है सन् ५१ में यह कांस्टीट्यूशन शुरू हुआ था, सन् ५१ नहीं बल्कि सन् ५० में और इस तरह दस साल सन् ६० में पूरा हो जाता है। तो सवाल यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

होता है कि यह जो धारा है, इसके जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनमें क्या हो रहा है और इसका क्या अर्थ है, यह सोचने की बात है। जहां तक स्टेट का ताल्लुक़ है, जो लफ़्ज़ इसमें आये हैं कि दी स्टेट शैल ईन्डेवर, उस की परिभाषा इसमें जो दी गयी है वह यह है, कि स्टेट की परिभाषा वही है, जो चेप्टर तीन में है, इस चौथे चेप्टर में जो कि तीसरे चेप्टर में और तीसरे चेप्टर में स्टेट की यह परिभाषा दी हुई है—

"In this part unless the context otherewise requires, 'the State' includes the Government and Parliament of India and the Government and the legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India".

यानी इसकी जिम्मेदारी कि स्टेट अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करेगी जो दफ़ा ४५ में मांग है, उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार, पार्लियामेंट, हमारे स्टेट की सरकार, इस लेजिस्लेचर और जितनी लोकल बाडीज़ हैं उन पर है और उसके अलावा और क्या अथारिटीज़ हैं, वह सवाल इस वक्त में नहीं छेड़ना चाहता। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन तीनों ने इस शिक्षा के सम्बन्ध में क्या किया है। इस कांस्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल को पूरा करने के लिये क्या हो रहा है, यह जरा विचार करने की बात है और यह सदन चाहेगा कि गवर्नमेंट यह बतलाये कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या हुआ और क्या होगा ताकि यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के अन्दर जो मांग की गई है, वह अपने समय के अन्दर पूरी हो सके। गवर्नमेंट आफ इंडिया इसमें कितनी मदद करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, लोकल बाडीज को इसमें क्या सहायता करनी है, यह सारी बातें जब तक इनकी एक स्कीम सामने न हो तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल पूरा हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे प्रदेश का ताल्लुक है हम सब से कम पढ़े लिखे इलाके के हैं। सेन्सस कमीशन ने सारे भारत को छः हिस्सों में बांटा है और जबकि सम्पूर्ण भारत की लिटरेसी का परसेंटेज १६.६ है हमारे यू० पी० का जो यह छः रीजंस में से १ रीजन है, उसमें हम सब से कम पढ़े लिखे हैं। इसका ब्योरा इस प्रकार है—

वेस्टर्न इंडिया में ..	.. २३.८ परसेंट लिटरेसी है
साउथ इंडिया में ..	.. २२.८ ,, ,,
ईस्टर्न इंडिया में ..	.. १६.८ ,, ,,
नार्थ वेस्ट इंडिया में ..	.. १३.३ परसेंट जिसमें राजस्थान वगैरह सब शामिल हैं
सेंट्रल इंडिया में ..	.. १०.९ और

नार्थ इंडिया जिसमें यू० पी० ही है उसमें १०.८ परसेंट लिटरेसी है। यानी सारे भारत को सेंसस कमीशन ने जब ६ हिस्सों में बांटा तो उसके सामने लिटरेसी की स्थिति इस प्रकार आयी कि यू० पी० सब से पिछड़ा हुआ है और बाक़ी सब सारा भारत जिसको ५ हिस्सों में उन्होंने बांटा वहां हमसे ज्यादा लिटरेट हैं। स्त्रियों की भी संख्या पढ़ी लिखी स्त्रियों की हमारे यहां सब से पीछे है। साउथ इंडिया में १३.५ परसेंट उनकी संख्या है जब कि हमारे यहां ३.६ है पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या। यह जब हमारी हालत है तो अब हमें सोचना है कि करना क्या है। अगर इसको रीजनवाइज़ न देखा जाय और अगर इसको स्टेटवाइज़ देखा जाय तो २८ स्टेट्स हैं—अंडमान, निकोबार को मिला कर, हमारा, अध्यक्ष महोदय, नम्बर बीसवां आता है, यानी १९ राज्य हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम बीसवें हैं। बहुत अपने आपको पढ़ा लिखा समझते हैं। यूनिवर्सिटी भी हमारी बहुत ज्यादा है, मनुष्य भी संख्या में बहुत ज्यादा हैं, हमारा कार्य भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब फ़ैक्ट्स पर जायं तो हम यह देखते हैं कि हमारा राज्य बहुत ही पिछड़ा हुआ है और १९ राज्य इस

देश में हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें लिट्रेसी ज्यादा है। यह "हिन्दुस्तान ईयर बुक, १६५५" है, इसके पेज ४३४ पर यह दिया हुआ है और यह सब न कह कर यह बतलाऊंगा कि सब से बड़ी संख्या पढ़े लिखों की तो ट्रावनकोर कोचीन में है और हम लोग बीसवें नम्बर पर लिखे हुये हैं स्टेटवाइज। रीजन-वाइज तो सब से पीछे हैं और स्टेटवाइज बीसवें नम्बर पर हैं। अब हमें देखना है कि कांस्टीट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपिल है, उस को हम कैसे पूरा कर रहे हैं।

यदि हम यू० पी० के आंकड़ों को देखें, यह किताब है "यू० पी० इन फिगर्स, १६५२-५३" इसमें देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि इसमें पेज १६ पर यह लिखा हुआ है, टेबिल १६, कि १६५१-५२ में बेसिक प्राइमरी स्कूल्स में विद्यार्थियों की संख्या २८,४०,२८३ थी। १६५२-५३ में २७,४२,७६० हो गयी। यानी एक लाख कम हो हो गयी और १६५३-५४ में २६,६४,५४५ हो गयी, यानी नीचे को चले जा रहे हैं। अब बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है। विद्वानों का कहना यह है कि हम १६८१ में पौने नौ करोड़ के हो जायंगे, तो इस तेजी से बच्चों की तादाद बढ़ रही है, हम बीसवें नम्बर पर हैं, बैकवर्ड रीजन हैं और उस पर भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स में विद्यार्थियों की संख्या लिट्रेसी में कम हो रही है क्योंकि प्राइमरी के विद्यार्थी लिट्रेट कहलायेंगे, जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं वह कोई अल्ट्रा लिट्रेट तो होंगे नहीं। तो प्राइमरी स्कूलों में संख्या घट रही है। २८ लाख थी ५१-५२ में, २७ लाख रह गयी ५२-५३ में और २६ लाख ५३-५४ में रह गयी। यह हमारी संख्या है, जो कि गवर्नमेंट की फीगर्स हैं उनके मुताबिक। अब देखना यह है कि जब कि हमारी संख्या घट रही है, इसी के साथ-साथ टीचर्स की संख्या देखने की है। सन् १६५१-५२ में टीचर्स की संख्या ८०,६३३ थी, सन् ५२-५३ में ७८,६४७ थी और १६५३-५४ में ७६,५५३ हो गयी। इस तरह से बेसिक प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स की संख्या घट गयी। विद्यार्थियों की घट गयी, टीचर्स की घट गयी, बैकवर्ड पहले ही हम हैं, बच्चों की संख्या बढ़ रही है और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल यह है कि १० साल में इसको पूरा करो। १६५० से १६५५ आ गया, आधा समय बीत गया और आधा ही बाक़ी है, पांच साल। समस्या यह है कि हम इस डाइरेक्टिव प्रिंसिपल को कैसे पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि यह सदन जानना चाहेगा कि सरकार की क्या स्कीम है कि कितना तो केन्द्रीय सरकार देगी, कितना यह सरकार देगी और कितना लोकल बाडीज देंगे ताकि यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल पूरा हो सके।

अब यह तो रही हालत जो अब तक है प्राइमरी एजूकेशन की, विद्यार्थियों की। अगर जरा उधर देखा जाय कि जो इस वक्त प्राइमरी स्कूल्स की हालत है, वह क्या है? वह यह है कि गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि ३५ रुपया तनख्वाह और १२ रुपया मंहगाई भत्ता प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की तनख्वाह होनी चाहिये। बहुत अफसोस इस बात का है कि उन प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स को ४७ रुपया नहीं मिलता। मैंने एक दो दफ़ा कहा केन्द्र के मंत्रियों और प्लानिंग कमीशन के सदस्यों से दिल्ली जा कर कि अगर मुझसे टीचर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कहे कि मैंने बड़ी गलती की कि शिक्षा पाई, उससे भी ज्यादा गलती की कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नौकरी की। मुझ से तो रेल का प्वाइंट्समैन या वाटर मैन अच्छा है कि जो ४३ रुपया तनख्वाह और ४५ रुपया मंहगाई भत्ता पाता है, मैं क्या जवाब दूं उस को, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने यह बात कई बार कही। तो ४७ रुपये देने के लिये बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्डस, कुछ दिनों पहले के आंकड़े मुझे मालूम हैं, आज के नहीं मालूम हैं वह मंत्री महोदय साफ करेंगे। कुछ में २ रुपये मंहगाई भत्ता था, कुछ में ८ रुपये था और डिपार्टमेंट की फ़ीगर्स यह थी कि अगर ४७ रुपये पूरी तनख्वाह देनी हो तो दो करोड़ रुपये सालाना जरूरत होगी। फिर हमने अभी जो एजूकेशनल कान्फ्रेन्स हुई दिल्ली में वहां हमारे हेड्स आफ दि डिपार्टमेन्ट्स और सेक्रेटरीज ने मिल कर यह तय किया कि प्राइमरी टीचर्स की बेसिक सेलेरी ५० रुपये होगी अगर मैंने उस को सही समझा है।

[श्री मोहनलाल गौतम]
मंहगाई भत्ता बेसिक सेलरी में शायद शामिल नहीं होता। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मंहगाई भत्ता २० रुपये तो है ही। अगर ऐसा है तो ५० रुपये बेसिक सेलेरी और २० रुपये मंहगाई भत्ता, यानी ७० रुपये उसकी सेलेरी हो जायगी। उस हालत में २३ रुपये और बढ़ जायगी जो ४७ रुपये आज है उससे। तो इसके लिये मेरा यह ख़याल है कि २३ रुपये के हिसाब से अगर पूरे ८० हजार टीचर्स जो मौजूद हैं उनको देने के लिये करीब २ करोड़ रुपये की और जरूरत है। तो दो करोड़ पहले ४७ रुपये पूरा करने के लिये और दो करोड़ अब, यानी चार करोड़ रुपये हर साल और जरूरत होगी जितने मौजूदा टीचर्स हैं उनके लिये, अभी मैंने तमाम की बात नहीं कही है। इसके बाद हमने यह कहा कि जो बिल्डिंग बनायेगा उसको एक हजार रुपया देंगे। उसमें भी करीब १ करोड़ रुपये के अभी और जरूरत होगी। अब अगर तमाम को एजूकेशन देना है तो मेरे ख्याल में २०-२२ हजार स्कूल और चाहिये। और २०-२२ हजार स्कूलों के लिये अगर ७० रुपये फी टीचर के हिसाब से देंगे तो साढ़े तीन करोड़ रुपया और रेकरिंग खर्चा चाहिये। इस तरीके से अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की फीगर्स जोड़ी जायं तो आपको करीब ५० करोड़ रुपये की जरूरत होगी, प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी करने के लिये। और उस पर जो फ़ीस आती है, वह कितनी कम हो जायगी यह हिसाब और है। इसी तरह से ये तमाम चीजें हैं जो हमें देखनी हैं। फिर उसके बाद जूनियर हाई स्कूल्स की क्या संख्या है, कितनी जरूरत होगी और कितना उस में खर्च होगा यह बात और देखने की है। और मैंने सुना यह है कि शायद एजूकेशन मिनिस्टर साहब को कुल २३ करोड़ रुपया द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये मिला है। (एक आवाज--वह तो यूनिवर्सिटी एजूकेशन में ही खत्म हो जायगा।) एक मेम्बर साहब कह रहे हैं कि वह तो सिर्फ यूनिवर्सिटी एजूकेशन में ही खत्म हो जायगा। तो अब प्राइमरी एजूकेशन के लिये ५० करोड़ की यह जरूरत है, जूनियर हाई स्कूल्स के लिये और जरूरत है। ये तमाम प्राब्लम्स जो सामने हैं, इनको गवर्नमेंट कैसे हल करने की सोच रही है, केन्द्र क्या मदद करेगा और केन्द्र से हमने क्या कहा है और जो कांस्टीट्यूशन में डायरेक्टिव दिया है उसे हम कैसे पूरा करेंगे, कम से कम ये सब बातें मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। तो मैंने यह समस्या इसलिये सामने रखी कि इतना आसान मामला नहीं है। एक तरफ तो कांस्टीट्यूशन यह कहता है कि इसको पूरा करना चाहिये और दूसरी तरफ ये दिक्कतें हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस तमाम को पूरा करने के लिये क्या योजना उन्होंने बनाई है, यह माननीय मंत्री हमें बतायें।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

*श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरेन्द्रपति यादव जी के प्रस्ताव पर उन्हें बधाई देना चाहता था लेकिन जिस प्रकार का प्रस्ताव आज उन्होंने दुबारा पेश किया और उस पर माननीय गंगाधर मैठाणी जी को संशोधन पेश करना पड़ा तो ऐसी हालत में मैं माननीय गंगाधर मैठाणी जी के संशोधन का ही समर्थन करना चाहता हूं और चाहता हूं कि वीरेन्द्रपति जी यादव गंगाधर मैठाणी जी के संशोधन को स्वीकार करें और हमसे बधाई भी स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और मैं समझता हूं कि सदन इसमें एक राय का है कि हमारे प्रदेश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जारी हो जाय। अब प्रश्न यह है कि इसके लिये कितना समय लिया जाय। माननीय वीरेन्द्रपति जी का जो प्रस्ताव है वह शुभ कामना रखता है, इच्छा रखता है कि इस मुल्क में, इस देश में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जारी की जाय। जो विधान का उद्देश्य है, जो विधान की मंशा है, उसे पूरा किया जाय लेकिन कितना समय लगे, इसके लिये कोई बंधन नहीं चाहता हूं। जहां तक इसके प्रिंसिपल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का ताल्लुक है, इसमें भी कोई बंधन नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि दस वर्ष के भीतर हो जाना चाहिये। अगर स्टेट गवर्नमेंट न करे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर किया जाय इस काम को पूरा करने के लिये। इसलिये मैं समझता हूं कि जो वीरेन्द्रपति जी का प्रस्ताव था, वह स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करता था कि दस वर्ष में ऐसा बंदोवस्त करें, जिससे अनिवार्य निःशुल्क प्रायमरी शिक्षा दी जा सके। इसलिये मैं माननीय मैठाणी जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं और आप माननीय वीरेन्द्रपति जी को इस बात के लिये राजी करें और वह राजी हो जायं और माननीय गंगाधर जी का संशोधन करके पुराने प्रस्ताव में सरकार को यह काम करने के लिये एक डायरेक्टिव, एक निदेश विधान सभा दे कि इसके अनुसार सरकार कार्य करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रायमरी शिक्षा में और प्रदेशों से पीछे है। माननीय गौतम जी ने कुछ आंकड़े दिये हैं। मैं भी थोड़े से आंकड़ों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९५०–५१ का एक पब्लीकेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया का "ऐजूकेशन इन इंडिया" है उससे हम पाते हैं कि १९५०–५१ में बम्बई में २९,२३,७९९, मदरास में ३८,७६,००० और उत्तर प्रदेश में २८,१८,५३२ बच्चे स्कूल में जाते हैं। इन तीनों प्रांतों की जन संख्या ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की जन संख्या बहुत ज्यादा है और ६ करोड़ ३२ लाख की संख्या को देखते हुये बहुत कम बच्चों का परसेंटेज हम स्कूल में भेजने का बन्दोवस्त कर पाते हैं और इसका बड़ा भारी बोझ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अन्य संस्थाओं पर है। छोटी-छोटी रियासतें काफी इस बोझ को अपने सिर पर उठाती हैं। हैदराबाद में ९७.७, मध्य भारत में ९७.१, मैसूर में ८५.५, पैपसू में ९८, सौराष्ट्र में ९५.४ तथा भूपाल में ९७.१ प्रतिशत स्कूल सरकार द्वारा चलाये जाते हैं। इससे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कम इस बोझ को अपने ऊपर डालती है और सारा बोझा जो है वह डिस्ट्रिक्टबोर्ड पर है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह आंकड़े आपने कहां से दिये हैं?

श्री गेंदासिंह—यह एक किताब है "ऐजूकेशन इन इंडिया" उसमें दिया है जो सन् १९५०–५१ की है। उसका पेज मैं अभी आपको बतला दूंगा।

तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि सरकार के ऊपर जो बोझ है, वह क्या है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हमारे हैं उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सरकार जो इमदाद करती है, वह इमदाद इतनी कम है कि उससे वह प्राइमरी एजूकेशन भी जारी नहीं कर सकती है। प्राइमरी एजूकेशन देने के लिये अगर सारे प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी की जाय जैसा कि गौतम जी ने बतलाया कि बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल खोलने पड़ेंगे, उनके लिये इमारत बनानी पड़ेगी, जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने को तैयार करने के लिये सामान मुहैया करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के मुहैया करने में सरकार को विशेषरूप से आयोजन करना पड़ेगा और अगर सरकार इस तरह से विशेष आयोजन नहीं करती है तो इस कार्यक्रम को पूरा किसी तरह से नहीं कर सकती है। हम समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल जो विधान का है वह बन्धन नहीं देता है, इस स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम उस तरफ जाने के लिये जैसा कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल है उस तरफ जाने के लिये वह आग्रह करता ही है। मैं यह भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर दूसरे प्रदेश की सरकार से अगर वह आगे न भी रहे पीछे रहने का दावा तो नहीं करेगी। वह तो आगे रहने का दावा करती है तो कम से कम बराबर तो रहे। मद्रास ने अपने यहां निःशुल्क शिक्षा की। बम्बई ने अपने यहां राज्य में निःशुल्क शिक्षा की। मद्रास और बम्बई की सरकार से हमारे यहां की आर्थिक अवस्था खराब है, यह हम मानने के लिय तैयार नहीं हैं। हम जब अपने बजट को देखते हैं तो उस बजट को देखते हुये हमारी समझ में यह बात आती है कि हम उनसे पीछे रहने वाले नहीं हैं, तो फिर जो ऐसी जरूरी चीज हो, जैसा कि एजूकेशन जिसके बिना डेमोक्रेसी का चलना हमेशा मुश्किल होता है, तो फिर

[श्री गेंदा सिंह]

उस एजुकेशन को बढ़ाने में हम पीछे क्यों रहें ? सारजेन्ट स्कीम की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह अंग्रेजों की बनायी हुई स्कीम है लेकिन वह अच्छी स्कीम थी। अगर सरकार उसके मुताबिक काम कर पाती तो हमारे यहां स्कूल ज्यादा खुले होते और स्कूलों की ज्यादा अच्छी अवस्था होती और हमारे बच्चे पढ़ने में ज्यादा अच्छे बच्चे हुये होते, लेकिन उस सारजेन्ट स्कीम के मुताबिक चलने की सरकार कोशिश नहीं कर सकी है। हम सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहते हैं कि आखिर स्कूलों की अवस्था क्या है।

वीरेन्द्रपति जी ने अपने संकल्प में कहा है कि सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। प्रगति कैसे हो ? हमारे बच्चे हमारी दौलत हैं और हमारा भविष्य हैं। लेकिन वह बच्चे किन स्कूलों में जा कर पढ़ते हैं ? वह जाकर पढ़ते हैं दरिद्रनारायण स्कूल में। उन स्कूलों का नाम अगर दरिद्रनारायण रखा जाय तो अच्छा है। आखिर इन बच्चों पर हमारा भविष्य है और इन बच्चों को मुल्क में अगले जमाने के लिये तैयार करना है। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं, जिनमें बरसात में क्लास नहीं लग सकते हैं। पेड़ों के नीचे वह स्कल लगते हैं। जिस वक्त पानी आता है वह बन्द हो जाते हैं। बच्चों के बैठने के लिये कोई जगह नहीं रहती है। बैठने का प्रबन्ध नहीं है। उनके लिये तख्तास्याह नहीं है। अध्यापक जो इस वक्त हैं वह भी उसी तरह के हैं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में उसके लिये स्पष्ट कहा गया है; उसको मैं माननीय मंत्री जी के सामने और उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने रखना चाहता हूं। उसमें यह कहा गया है कि इतना कम वेतन पाने वाले जो अध्यापक हैं, वह हमारे बच्चों को आगे भविष्य के लिये ऐसा नागरिक तैयार नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सरकार चाहती है कि हमारे मुल्क में तैयार हों। मैं चाहता हूं कि आपका प्लानिंग विभाग का जो विलेज लेविल वर्कर है, जो वहां जा कर सुपरवाइजर का काम करता है या खेती-बाड़ी का काम करता है, उसके वेतन से जब हम अपने अध्यापक के वेतन का मुकाबला करते हैं तो उसमें बड़ा अन्तर पाते हैं जब कि काम दोनों का करीब-करीब बराबर है। थोड़ी ट्रेनिंग की जरुरत है तो इन अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाय लेकिन उनका वतन किसी हालत में भी एक विलेज लेविल वर्कर से कम न होना चाहिये। अगर हम उस स्टैंडर्ड से कम वेतन उसको देते हैं तो हम उसको एन्करेज करते हैं कि वह स्कूल से गैरहाजिर रहे और एन्करेज करते हैं कि वह अपने घर गृहस्थी और खेती-बाड़ी के काम को देखता रहे और वह स्कूलों में ठीक समय पर न पहुंचे। मैं इस बात को मानता हूं कि दूसरे कर्मचारियों की तरह प्राइमरी स्कूल के मास्टर भी अपने घर से दूर कर दिये जायं लेकिन उनकी जो कठिनाई है वह भी सरकार के ध्यान में आनी चाहिये तभी हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक हो सकती है।

छै वर्ष की एज प्राइमरी स्कूल की एज कही जा सकती है। उसी में बच्चा खाना पीना, बोलना या पढ़ना सीखता है और उसी एज में खास तवज्जह की जरुरत है। एजूकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वह दूसरी बातों से बिलकुल आइसोलेटेड हो। हम एक तरफ देखते रहें और एक योजना से शिक्षा की प्रगति हो जाय यह बात नहीं है, एक तरफ शिक्षा की प्रगति हो और साथ ही हर दिशा में तमाम तरह के और राष्ट्रीय प्रयत्न उत्थान के चलें तब सबके साथ-साथ शिक्षा भी पनप सकती है। आज स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उनके पेट में भोजन नहीं। इस तरह से कम्पलसरी एजूकेशन करके हम उनके भूखे बच्चों को स्कूल में नहीं बैठा सकते, जब तक हम उन भूखे बच्चों की पेट पूजा का बन्दोबस्त नहीं करते तब तक हमारे लिये कठिन होगा कि हम उनको किसी प्रकार की भी शिक्षा दे सकें, और मैं जानता हूं कि आज भी हमारे यहां ऐसे बच्चों की तादाद काफी है। ऐसी हालत में कहां तक हम ऐसे बच्चों के मां बाप पर दबाव डाल सकते हैं कि अपने लड़कों को वह स्कूल में भेजें और अगर वह न भेजेंगे तो उन पर मुकदमा चलाया जायगा ? मेरे कहने का मतलब यह है कि यह ६ साल की जो एज है वह उनके सीखने की एज है और अगर उनको इस तरह के अध्यापक मिलेंगे, जैसे आज हमारे गांवों के अध्यापक हैं तो उनसे काम नहीं चल सकता। गांव में अधिकतर मां ही ऐसे बच्चों की

पहली घर की अध्यापक होती है और वह भी जैसी है उनका हाल यह है कि बच्चे जब खाना मांगते हैं तो वे उनसे कहती हैं और डराती हैं कि चुप रहो सिपाही आता है और वे डर से घर में भाग जाते हैं। छपहरा आता है जो चेचक का टीका लगाने वाला होता है उसका डर वे उनको दिखाती है। हालत यह है कि जिस वक्त अपनी मां को बच्चे परेशान करते हैं और उससे खाना मांगते हैं तो उनको छपहरा का डर दिखा कर चुप किया जाता है और वे डर से घर में छुप जाते हैं। जब कोई आता है तो माता बच्चों को सिखा देती है कि वह पूछें कि क्या खाया है तो वह कह देते हैं कि बहुत अच्छा खाना हमने खाया है और जब उनके यहां कोई रिश्तेदार आ जाता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि उनके कारण हमको भी भर पेट भोजन मिलेगा। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह कोई भी एजूकेशन स्कीम बनावे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी प्राइमरी एजूकेशन इन हालात में चले तो कैसे चले, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है कि जब स्कूल में फीस मांगी जाती है तो लड़के फीस देने के डर से गैरहाजिर हो जाते हैं और घर जब वह जा कर फीस मांगते हैं तो उनको मां मारती है और स्कूल में अध्यापक कनऐंठी देते हैं। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि भविष्य में यह बच्चे डरपोक और झूठ बोलने वाले बनते जाते हैं। मैं नहीं सोच सकता कि उनकी भविष्य में क्या मारेलिटी बनेगी और क्या उनका भविष्य बन सकेगा। इन सब चीजों की तरफ मैं ध्यान दिलाने के बाद कहूंगा कि हम भी चाहते हैं कि शिक्षा यहां अनिवार्य हो लेकिन स्कूल ऐसे होने चाहिये, जहां बच्चे पढ़ सकें, अध्यापक ध्यान से पढ़ा सकें, बच्चों का पेट भरा हो और वह वहां बैठने की ताकत रखते हों और वह ऐसे न हों कि १४ वर्ष से कम उम्र में ही अपने पेट पूजा की फिक्र में रहें तभी हम शिक्षा की कोई योजना बना सकते हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का माननीय मैठाणी जी के संशोधन के साथ समर्थन करता हूं और अन्त में मैं माननीय वीरेन्द्रपति यादव और सरकार से कहना चाहता हूं कि वे इस संशोधन को मान कर अपने प्रस्ताव की खूबसूरती और कार्य क्षमता को बढ़ावें।

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज सदन के सामने है निस्संदेह वह बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदन के सभी दलों के सदस्यों ने इसपर बुद्धिमत्तापूर्ण और ऊंचे पैमाने से विचार किया है। यह शिक्षा की समस्या हमारे प्रदेश की ऐसी है, जिस पर हमें पूरी तरह से गौर करना चाहिये जो दृष्टिकोण अभी सदन के सामने रखे गये हैं वे अधूरे हैं। कुछ और बातें इसमें हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां शिक्षा का मामला है वहां पैसे रुपये का सवाल सबसे बड़ा सवाल है लेकिन उसी के साथ-साथ इसके और भी पहलू यह हैं कि यह मामला अकेले रुपये पैसे में हल नहीं होता, इसके सामाजिक और ऐतिहासिक पहलू भी हैं। चाहे जो गवर्नमेंट हो और चाहे जितनी कोशिश की जाय लेकिन हम अपनी हिस्ट्री को, अपनी सोसाइटी को नहीं भूल सकते। जो आंकड़े माननीय गौतम जी ने दिये हैं उन्हीं में आगे चल कर हम देखें तो मालूम होगा कि जो हालत अपने प्रदेश की है वह सब मिल कर तो वैसी है, जैसा उन्होंने कहा लेकिन अगर हम उसकी विवेचना करें तो मालूम होगा कि जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं उसमें ८ और १० साल की जो स्कूल गोइंग एज होती है उसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं। उसमें अरबन (शहरी) और रूरल (देहाती) एरिया के आंकड़े हैं। मेल्स और फीमेल्स के आंकड़े अलग-अलग अरबन और रूरल एरियाज के दिये हुये हैं। उनको देखें तो मालूम होगा कि इसका सामाजिक और ऐतिहासिक पहलू भी है। वे आंकड़े इस प्रकार हैं :——

यह सही है कि १०.८ प्रतिशत हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। १० साल के ऊपर के जो हमारे यहां पढ़े लिखे लोग हैं यदि उनको एनेलाइज करें तो पायेंगे कि उत्तर भारत शहरी क्षेत्र में मेल्स ५४.६ प्रतिशत और फीमेल्स २७ प्रतिशत पढ़ी लिखी हैं। अब जो सबसे अधिक (हाइयेस्ट) है मैं उन्हीं को पढ़ दूंगा। वेस्ट इंडिया में अरबन मेल्स ६२.३ और फीमेल्स ३१.७ और साउथ इंडिया जिसमें दूसरा ज्यादा नम्बर है उसमें अरबन मेल्स ५६.१ और फीमेल्स

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

३०.८। तो इस तरह से जहां तक अरबन एरिया का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश का ५४.६ करीब करीब सब स्टेट्स में तीसरा नम्बर है। जहां तक अरबन एरिया के मेल्स का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश तीसरा नम्बर रखता है। अरबन एरिया में फीमेल्स का २७ फीसदी है। वह भी इतना गिरा हुआ नहीं है। अब रूरल (देहाती) एरिया को देखिये उस रूरल एरिया में मेल्स की एजूकेशन उतनी कम नहीं है जितनी कि फीमेल्स की है। नार्थ इंडिया में रूरल एरिया के मेल्स की एजूकेशन (शिक्षा) २४ फीसदी है लेकिन फीमेल्स (स्त्रियों) की एजूकेशन (शिक्षा) बदकिस्मती से ६ प्रतिशत है। उन स्टेट्स में जहां ज्यादा है साउथ इंडिया में ३४.८ परसेन्ट मेल्स और १२.७ परसेन्ट फीमेल्स। वेस्ट इंडिया में ३३.२ मेल्स और ८.१ परसेंट फीमेल्स। तो इन आंकड़ों से श्रीमन् समझ सकते हैं कि आर्थिक पहलू महत्व का होते हुये भी और भी दृष्टिकोण इसमें सम्मिलित हैं और वे हैं ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू। क्या कारण है कि देहातों में मेल्स में एजूकेशन ज्यादा है और फीमेल्स में ६ परसेंट है जब कि और स्टेटस में १२ से फीमेल्स में शिक्षा ३०–३३% तक है? इसका कारण यह है कि हमारे यहां देहातों में लोग लड़कियों को पढ़ाने नहीं भेजते। अभी तक सामाजिक स्थिति ऐसी है कि स्कूल खुलते हैं, अध्यापक आते हैं लेकिन लड़कियां नहीं जाती हैं। स्कूल टूटते हैं। रुपया बरबाद होता है लेकिन एजूकेशन लेने लड़कियां नहीं आतीं। इस कारण हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम तैयार करें समाज को और जो यह पुरानी बातें हैं कि लोग लड़कियों को पढ़ाना पसन्द नहीं करते, इस तरह का जो सामाजिक प्रश्न है, इसे हमें सामाजिक ढंग से हल करना है। आखिर वहीं लड़कियां हैं जो शहरों में पढ़ती हैं लेकिन देहातों में नहीं पढ़तीं। अगर आज देहातों में लड़कियों के स्कूल एक दम से खोल दिये जायं, रुपया भी फर्ज कीजिये मिल जाय तो मैं आप से अर्ज करता हूं कि रुपया मिलने पर भी स्कूल नहीं खुल सकते क्योंकि अध्यापिकायें नहीं मिलेंगी। अध्यापिकायें आपको बाहर से मंगानी होती हैं। बाहर से गई हुई अध्यापिकायें उतना काम नहीं करेंगी, शहरों में वापस भागने की कोशिश करेंगी। तो सबसे पहले इस बात पर विचार करना है।

दूसरी चीज हमारी स्टेट की यह है कि हमारे यहां एग्रिकल्चरल पापूलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है और इंडस्ट्रियल पापूलेशन बहुत कम है क्योंकि रोजगार नहीं है। ६७.८ से भी ज्यादा लोग एग्रिकल्चर पर गुजर बसर करते हैं। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है। चूंकि एग्रीकल्चर पापूलेशन हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा है तो उसका एजूकेशन पर असर पड़ता है। एग्रिकल्चरल क्लासेज का परसेंटेज एजूकेशन का है १२.१ और नान एग्रीकल्चरल क्लासेज का २९ परसेंट। तो आप देखें कि दूने से भी ज्यादा ढाई गुना परसेंटेज है नान एग्रीकल्चरिस्ट क्लासेज का एजूकेशन के सम्बन्ध में एग्रीकल्चरिस्ट क्लासेज के मुकाबले में। मैंने सदन के सामने अर्ज किया, यह सवाल आर्थिक सवाल अवश्य है लेकिन साथ ही साथ यह एक सामाजिक और ऐतिहासिक सवाल भी है। इत्तिफाक से साउथ इंडिया में आप देखें जहां फेमेल्स की एजूकेशन ज्यादा है वहां परदा नहीं है। परदा प्रथा नार्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसका असर पड़ता है एजूकेशन पर। एक मेरे मित्र ने जैसा कहा वह बात भी बहुत हद तक ठीक है। यहां जो सही मानों में एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं, वे अपने बच्चों को मवेशियों को चराने के लिये, खेत में काम करने के लिये भेजना पसन्द करते हैं, शिक्षा के लिये भेजना पसन्द नहीं करते। लिहाजा इस मेंटेलिटी को भी शिक्षा कम होने के कारण मद्देनजर रखना होगा। उत्तर प्रदेश का स्थान शिक्षा के मामले में जहां आखिरी नम्बर है वहां उसे हम पहले नम्बर देखना चाहते हैं लेकिन यह होगा तब जब हम इस सवाल का साइंटिफिक (वैज्ञानिक) तरीके से, सही तरीके से विश्लेषण करें। रुपये की कमी जहां तक है उस संबंध में तो शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि किस तरह से वे उसे पूरा करेंगे लेकिन जो खामियां हैं, उनको हमें देखना है और हल करना है। सारे पहलुओं

को देखकर हमारे सामने जो प्रश्न है उसे हल करना है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। गांव की मुझे हालत अच्छी तरह से मालूम है। जो अपने लड़कों को पढ़ा सकते हैं, वह भी अपने लड़कों को शिक्षा नहीं देते, खेत में भेजते हैं, स्कूल में नहीं भेजते। मवेशी चराने के लिये भेजते हैं और जो गरीब लोग हैं, जिन्हें शिक्षा से प्रेम है वे किसी न किसी तरह से अपने लड़कों को स्कूल में भेज देते हैं और यह सौभाग्य की बात है कि हम देखें कि हमारे शिक्षा के उपमंत्री जी एक ऐसे क्लास से आते हैं, जिसको हम नहीं कह सकते कि अमीर क्लास है। उन्होंने पढ़ करके एक मिसाल पैदा की कि उनको देख कर उनके क्लास के लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं अर्ज करता हूं कि हम शिक्षा का शौक पैदा करें। हम सरकार से कहें, हमारे बजट का कुछ पैसा शिक्षा में खर्च हो, सेंट्रल से ज्यादा पैसा मिले। लोकल सेल्फ संस्थाओं से हमें ज्यादा पैसा मिले ताकि शिक्षा की उन्नति हो। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमारी स्टेट किसी तरह से कम मालदार नहीं है दूसरी स्टेटों के मुकाबिले में। मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद दूसरे राज्य के अंक (फीगर्स) नहीं देखे। बम्बई स्टेट का बजट आपसे ज्यादा है। वहां की पापुलेशन और अपनी पापुलेशन मिलाइये तो पर कैपिटा जो बम्बई स्टेट खर्च करती है उतना हम खर्च नहीं कर सकते। हमारी पापुलेशन बम्बई स्टेट से बहुत ज्यादा है और आमदनी उससे थोड़ी बहुत कम है ज्यादा नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप पापुलेशन का हिसाब लगायें तो बम्बई के मुकाबले में मद्रास के मुकाबले में जो उनका बजट बनता है, उस बजट से पर कैपिटा हमारा बजट कम पड़ता है इतना बढ़ा देने पर भी। जब से प्रजा की सरकार बनी उसने अपने बजट को काफी बढ़ाया है, जिसके लिये हमें खुश होना चाहिये। माननीय गेंदा सिंह जी ने एक तरह से इंडाइरेक्टली गवर्नमेंट की तारीफ की कि उसने अपने बजट को बड़े से बड़ा जो किसी दूसरी स्टेट के बजट का था उसके करीब करीब बराबर अपना बजट कर लिया। लेकिन हमारा फिर भी पर कैपिटा बजट उतना नहीं है जितना कि और राज्यों का। इस लिये शायद हम उतना खर्च नहीं कर सकें जितना और स्टेट करती है। दूसरी बात यह है कि और स्टेट्स में डाइरेक्टली सीधे प्राइमरी एजूकेशन को डील करती रही है। लेकिन हमारे यहां एक दूसरी परम्परा रही है चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यहां पर प्राइमरी एजूकेशन का कंट्रोल कम से कम रूरल एरियाज देहाती क्षेत्रों में डि० बोर्डस् के हाथ में छोड़ दिया गया। उनके रिसोर्सेज बहुत कम थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा नहीं था। आप देखते हैं कि पिछली साल में शिक्षा की फीगर्स कम हुई। जैसा माननीय गौतम जी ने बतलाया और उसका कारण यह था कि उनके कार्य काल में एक भारी हड़ताल हुई अध्यापकों की। जहां तक उनकी तनख्वाह का बेसिक सवाल है कि उनकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए; माननीय गौतम जी न तो उससे इनकार कर सकते थे और न आज कर सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां थीं, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चलते थे, और जिस तरह से माननीय गौतम जी लाचार थे, वह उनकी एक मांग को सही मानते हुए भी पूरा नहीं कर सके, वह परिस्थितियां उनको मजबूर करती रहीं। वह परिस्थितियां गौतम जी के सामने थीं। यह एक ऐतिहासिक पहलू है। हमारी प्राइमरी एजूकेशन लोकल बोर्ड के हाथ में रही। वही परम्परा आज भी है। बहुत थोड़ी सी स्टेट की तरफ से चलती है। अब बोर्डों के रिसोर्सेज को हमको देखना है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के एक चपरासी के बराबर भी तनख्वाह अपने अध्यापक को दे सकते हैं या नहीं। एक छोटा आदमी एक बड़े आदमी के चपरासी के बराबर अपने भाई को खिला सकता है या नहीं, यह देखने की बात है। सारी परिस्थितियों को देखने की बात है। मैंने जैसा अभी अर्ज किया सदन के सामने, इस सवाल में सारा सवाल गुथा हुआ है। हमको सारी चीजों को देख कर इस बात पर गौर करना है। मुझे विश्वास है कि इस सदन ने जैसी दिलचस्पी दिखायी है अगर ऐसी दिलचस्पी रही तो सारे सवालों को समझ कर, आर्थिक सवाल, सामाजिक सवाल, ऐतिहासिक सवाल, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जो हालत खराब है, उनके पास जो बजट कम है, उन सारे सवालों को हम सही तरीके से हल करेंगे और हमें विश्वास है कि अगर हमने इस समस्या को सही तरीके से टैकिल किया और लिया तो हम

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

इसको हल करके रहेंगे और अभी ५ साल बाकी हैं । हो सकता है कि जितना तेज हमें चलना चाहिये था, वह किन्हीं कारणों से हम न चल पाये हों लेकिन आइन्दा हम चलने की कोशिश करेंगे और अगर हमारी कोशिश रही तो मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे शिक्षा मंत्री जी इस बात को पूरा करने में कोई बात उठा न रखेंगे ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में सुबह से एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न पर विचार हो रहा है और यह प्रश्न माननीय वीरेन्द्रपति यादव जी ने इस सदन के सामने रखा है । मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उन्होंने इस सरकार का ध्यान इस प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने की ओर आकर्षित किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा की दशा आज अच्छी नहीं है । उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार की इस ओर गति से जो आज तक इस प्रदेश में देखने को मिली है निकट भविष्य में भी यह संभावना नहीं है कि प्राइमरी एजूकेशन का स्तर इस प्रदेश का भारतीय संविधान के उस आशय की पूर्ति कर सके जो हमारे देश के लिये बनाया गया है । बहुत से आंकड़े माननीय गौतम जी ने और अनेक सदस्यों ने आज इस सदन के सामने उपस्थित किये हैं । उन आंकड़ों को देखते हुए कोई भी सदस्य यह कहने के लिये तैयार न होगा कि जिस गति के साथ प्राइमरी एजूकेशन इस प्रदेश में बढ़ना चाहिये थी वह बढ़ सकी है, बल्कि उल्टे वह और कम हुई है । अभी जो हमारे माल विभाग के उपमंत्री जी अपना भाषण कर रहे थे उन्होंने स्पष्ट कोई रूप-रेखा यह नहीं बताई कि हम अनिवार्य शिक्षा के लिये इस प्रदेश में क्या क्या साधन अब तक जुटा सके हैं, क्या आगे के लिये हमारा प्लान है जिससे कि हमें सान्त्वना हो सकती है कि हमारी सरकार संविधान का आशय किसी प्रकार पूरा करना चाहती है । आखिर जब प्राइमरी एजूकेशन हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी उन्नतियों के लिये आवश्यक है, यदि उसकी ओर सरकार विशेष ध्यान नहीं देती तो वास्तव में यह बड़े ही दुख की बात है और हम यह नहीं समझ पाते कि जब यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी ओर इस तरह से संतोष कर लेना कहां तक उचित है जैसा कि अभी माननीय उपमंत्री जी कह रहे थे कि गांव के लोग लड़के और लड़कियों के पढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं, सरकार की बिल्डिंग बनी खड़ी हैं, सरकार के अध्यापक चले जाते हैं और सरकार हर तरह से निर्दोष है । तो मैं भी माननीय उपमंत्री जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं । सैकड़ों स्कूलों के भवन सरकार के इस आश्वासन पर बनवाये गये कि १ हजार रुपया इमारत के लिये हम देंगे । मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद, लिखित तथा मौखिक वायदे के बाद भी वह सहायता नहीं दी जा सकी और फिर इसके बाद यह कहना कि गांव के लोग पढ़ने को उत्सुक नहीं हैं, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है । मैं हजारों दरख्वास्तें अपने जिले की और निकटवर्ती जिलों की जानता हूं इस १००० रुपये के लिये । हो सकता है कि बुन्देलखंड क्षेत्र में लोग अपने लड़के और लड़कियों को पढ़ाने के लिये उत्सुक न हों, हालांकि मुझे इसमें भी विश्वास नहीं है इसलिये कि मैं भी बुन्देलखंड के इलाके में घूमा हूं ।

वहां भी मुझे कहीं ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि आज के इस जनजागरण के युग में शिक्षा के लिये कहीं से मांग उपस्थित न हुई हो। अभी माननीय शिक्षा उपमंत्री मेरे जिले में गये थे, उन्होंने देखा होगा कि किस कदर जूनियर हायर सेकेंड्री स्कूल व हायर सेकेंड्री स्कूलों की मांगें उनके सामने उपस्थित हुईं। तो यह कहना कतई उस सचाई को छुपाना होगा कि आज के युग में ग्रामीण जनता एजुकेशन के लिये तैयार है और सरकार एजूकेशन बढ़ाने के लिये तैयार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह तो एक ऐसा उदाहरण हो गया कि हम तो मद्रास बम्बई के बहुत पीछे हैं मगर क्योंकि हमारे साधन कम हैं, हम उनके आगे आयें, इस उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिये शोभनीय नहीं है और एक उदाहरण में देता हूं। एक कहावत है, कोई गीदड़ था वह दुखी होकर बेचारा कुयें में गिर गया और बड़ा खुश हो करके फिर कुयें में कह रहा है कि अब तो बहुत दिन हमें इस कुयें में रहना है। यह कोई अच्छी उक्ति नहीं। जहां हम दावा करते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत ऊंचा है, हम सब बातों में बहुत बड़े हैं, हम इस देश को लीड करते हैं लेकिन शिक्षा में पीछे हैं। यह इस प्रदेश की जनता के लिये दुख का विषय है। मैं तो यह कहता हूं कि गांव वालों ने जिस उत्साह से कार्य किया सरकार अगर अपने वादे को पूरा करती तो गांवों का एक एक आदमी लड़के, लड़कियों की पाठशाला खोलने के लिये तैयार है। बल्कि सरकार ने उस वादे के खिलाफ जो १ हजार रुपया न दे सकी, गांव वालों का सरकार के प्रति उत्साह नहीं रहा और वह उत्साह से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सरकार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में फिर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की तरफ ध्यान दे तो कौन ऐसा होगा, जो यह कह सके कि हम शिक्षा लेने के लिये तैयार नहीं हैं?

जहां तक इस अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का सवाल है हम जानते हैं कि इसके लिये अपार धन की जरूरत होगी मगर आखिर वह अपार धन हम किन साधनों से जुटायें, यह एक विस्तृत योजना सरकार के सामने होनी चाहिये। जहां प्रथम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई, सड़कें, अस्पताल की आये दिन नवीन योजनायें होती हैं, वहां इस शिक्षा के महत्वपूर्ण सवाल को जो बुनियादी है और जिसको पहले हल होना चाहिये, मैं समझता हूं उसकी आवश्यकता को देखते हुये सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं यादव जी का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस सरकार का ध्यान इस बुनियादी सवाल की तरफ आकर्षित किया, जो इस प्रदेश की जनता के लिये एक बहुत ही आवश्यक सवाल है, जहां तक बात इस शिक्षा के संबंध में है जूनियर हायर स्कूल होते हैं और हायर सेकेंड्री स्कूलों में और इस शिक्षा की दशा को देखें तो मैं कहता हूं कि जो सुविधायें उन्हें मान्यतायें प्राप्त करने की थीं वे बजाय सुलभ करने के और बढ़ा दी गई हैं। तो क्या यह शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने की योजना हो सकती है कि इतने बीघा जमीन हो और जो शर्तें पहले थीं उनको भी अधिक बढ़ा दिया गया? तो जो बढ़ती हुई शिक्षा की गति थी वह मैं समझता हूं इससे काफी मन्द पड़ गई और मैं तो कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता जो आर्थिक कठिनाई में है आप अगर शिक्षा की इन मान्यताओं के प्राप्त करने की शरतों को हल्का कर सकें तो इस प्रदेश में शिक्षा और भी आगे बढ़ सकेगी।

अनेक सवाल इस प्रदेश के सामने इस बेकारी और बहुत बातों के बढ़ने के लिये हैं। हमारी शिक्षा में एग्रीकल्चर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और काफी इस पर हमारे शिक्षा मंत्री को गर्व है तथा सदन को भी। मगर मैं अपने छोटे विचारों के मुताबिक कहता हूं मैंने खुद मालूमात की कि जो खेतिहर प्रधान देश हैं, जो खेती पर निर्भर करते हैं कोई देश हो, जिला हो, किसान हो, वह कभी मालदार नहीं होता, वह हमेशा गरीब होता है और दुनिया के देशों के मुकाबिले अपने देश को आप देखें अकेले खेती पर निर्भर करने वाला देश गरीब होता है जब तक और उद्योगधंधे या और शिक्षाओं को प्रोत्साहन न दिया जाय। तो जब यह खेतिहर प्रदेश है, इसमें ८० फीसदी लोग खेती करते हैं तो और औद्योगिक धंधे, कारखाने तथा और तरह की शिक्षा देने के बजाय आज सरकार का ध्यान केवल खेती की शिक्षा की तरफ आता है। मैं समझता हूं कि यह इतना आवश्यक नहीं था जितना कि सरकार को और टेक्निकल शिक्षाओं की तरफ ध्यान देना चाहिये था और इसमें जो रुपया खर्च होता है मैं देखता हूं आये दिन सवालों में मंत्री जी बताते हैं कि इतना रुपया

[श्री रामचन्द्र विकल]

खर्च हो रहा है, केवल इससे योजना आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकती। यह कहने मात्र से संतोष नहीं हो सकता कि हम बहुत बड़े खेती के विज्ञान की शिक्षा में बहुत सा रुपया व्यय कर रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि मैंने ऐसे ऐसे अध्यापक देखे जिनको कि एक साधारण किसान के बराबर भी खेती का ज्ञान नहीं और वह जा कर उन्हीं किसानों के बच्चों को कृषि का ज्ञान सिखाते हैं, जो कि उन अध्यापकों से कहीं ज्यादा ज्ञान उसका रखते हैं। एक जूनियर स्कूल को मैंने देखा। केवल सवा तीन रुपये की सरसों बेची गई और वह भी चारे के लिये। कारण क्या था कि उस स्कूल को जो जमीन खेती के लिये मिली वह कल्लर जमीन थी। शर्त यह थी कि मान्यता तब मिलेगी जब स्कूल के साथ में १० एकड़ जमीन हो और वह शर्त पूरी करने के लिये १० एकड़ कल्लर जमीन उसमें लगा दी गई थी। उस पर एक अध्यापक रखा हुआ है और सवा तीन रुपये की सरसों वहां बेची गई। तो यह एक अजीब समस्या है कि इस शिक्षा से किसी को भी संतोष नहीं है। न अध्यापक को संतोष है कि वह सही शिक्षा दे रहा है, न बच्चों को संतोष है, न उनके घर वालों को संतोष है, तो फिर यह समझ में नहीं आता कि इतने बड़े पैमाने पर जो इतना रुपया खर्च हो रहा है, उससे क्या लाभ हो रहा है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हो वहां शिक्षा उपयोगी भी हो, यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है क्योंकि बेकारी अभी भी बराबर बढ़ रही है।

इसके अवाला यूनिवर्सिटियों की जो इतनी खरचीली शिक्षा हो गई है, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। आखिर यह क्या बात है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा अपने बस्ते को खुद उठाकर नहीं ले जा सकता, क्या उसका सिलेबस बनाया गया है? इतनी किताबें उसके लिये रखी हुई हैं जिनको वह उठाकर ले नहीं जा सकता। क्या उससे वह ज्ञान हासिल करेगा और क्या उससे प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम होगा? जो हम किसी समय कल्पना करते थे कि अधिक से अधिक योग्य अध्यापक को हम प्राइमरी शिक्षा के लिये रखेंगे, हमारा वह स्वप्न, स्वप्न ही रहा। हमारा वह भी स्वप्न सार्थक नहीं हुआ कि प्राइमरी शिक्षा को सरकार अपने हाथ में ले रही है, अब उसमें सुधार होगा। हमने देखा कि जो स्कूल सरकार द्वारा खोले गये वह भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले कर दिये गये और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की अथवा उनके स्कूलों की क्या हालत है, वह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्राइमरी एजुकेशन के लिये योग्य से योग्य अध्यापक होने चाहिये थे और जैसा रावत जी ने कहा, मुझे उसमें भी कोई हर्ज नहीं दिखाई पड़ता कि प्राइमरी शिक्षा के लिये स्त्रियों को ही रखा जाना चाहिये, क्योंकि उनमें एक प्रेम की भावना होती है और छोटे बच्चों को प्रेम के साथ जो शिक्षा दी जायगी, वह उससे अधिक लाभ उठा सकेंगे, लेकिन वह प्लान हमारा आज है कहां? आज तो मामूली मिडिल पास किया एक साल की छोटी सी ट्रेनिंग देकर अध्यापक बना दिया जाता है। तो एक प्लान तो यह था कि प्राइमरी शिक्षा जो थी वह ऊंचे गुरुओं के द्वारा दी जायगी, प्राइमरी स्कूल ही वह खजाने हैं, जहां से हमें देश के लिये वह रत्न पैदा करने हैं जो आगे चलकर देश की सभी समस्याओं को समझ सकें, लेकिन आज की प्राइमरी शिक्षा की इस प्रकार की दशा देखकर अफसोस होता है। हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि सरकार अधिक से अधिक योग्य अध्यापकों को प्राइमरी शिक्षा देने के लिये भेजे और इसके लिये अधिक से अधिक धन सरकार जो और अनावश्यक योजनायें हैं, उनको रोककर खर्च करे। इन बच्चों को बनाने के लिये हमें उन अनावश्यक योजनाओं को रोक देने में कोई हिचक न होगी और उनके स्थान पर प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करके, एक अच्छी और उत्तम शिक्षा जो बच्चों के अनुकूल हो सके वह शिक्षा उनको देने का प्रबन्ध वह करे तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह कहता हूं कि इतना जो हड़तालों पर खर्च होता है, उसकी व्यवस्था करने पर खर्च होता है वह सब रुपया बच सकता है अगर इन बच्चों को अच्छी और उपयोगी शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी जाय। यह सारी समस्यायें हल हो सकती हैं अगर उनको अच्छी शिक्षा दी जाय, उनके लिये अच्छे अध्यापक रखे जायं और उनको अच्छा वेतन दिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरेंद्रपति यादव जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय यादव जी को इस संकल्प के लिये इस प्रदेश की ग्रामीण जनता की ओर से बधाई का पात्र समझता हूं और वह इसलिये कि कम से कम उन्होंने अपने इस संकल्प के द्वारा सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति की ओर दिलाया है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता पायी जाती है उसी प्रकार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रगति अथवा कार्य हमारी सरकार की ओर से हो रहा है उसमें भी असमानता की झलक प्रकट होती है। स्वतंत्रता के बाद हमारी इस प्रांतीय सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह अधिकतर हमारे हायर सेकेंड्री, माध्यमिक और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ही ज्यादातर हुआ है और यही नहीं बल्कि हमारा बजट यह बताता है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से ऊंची शिक्षा की ओर है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह मौजूद है कि दूसरे प्रदेशों के शिक्षा के बजट का एक बहुत बड़ा अंश प्राइमरी शिक्षा पर खर्च होता है, अथवा हाई स्कूल शिक्षा पर खर्च होता है और हमारे इस राज्य की शिक्षा का बजट ज्यादातर ऊंची शिक्षा पर खर्च होता है। उदाहरण के तौर पर हम बम्बई प्रांत को लें। वहां की शिक्षा का बजट करीब-करीब ६९ प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पर होता है। इसके अतिरिक्त मद्रास को लीजिये और दूसरे प्राविंसेज को लीजिये, यही नहीं बल्कि संसार में जो देश आज उन्नतिशील कहे जाते हैं उनमें भी देखा जाय तो ज्यादातर उनका व्यय प्रारम्भिक शिक्षा पर होता है लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारी इस सरकार का जो शिक्षा का बजट है उसका केवल ३३ प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पर होता है, जबकि इस प्रारम्भिक शिक्षा का संबंध सीधा हमारी ग्रामीण जनता से है, जिसकी समस्यायें ही हमारे देश की समस्याएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के प्रति जो बहुत से असंतोष के प्रश्न हमारे सामने आते हैं उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारी ग्रामीण जनता अशिक्षित है। आज पुलिस विभाग को लीजिये वहां रिपोर्ट लिखाने की शिकायतें दूसरी और बहुत सी शिकायतें जो हमारे सामने आती हैं उनका भी एक मुख्य कारण यह है कि हमारी ग्रामीण जनता पढ़ी-लिखी नहीं है; एक अनपढ़ किसान पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखाने जाता है। कहता कुछ है और मुंशी लिखता कुछ है। यदि हमारी इस प्रदेश की सरकार प्राइमरी एजूकेशन की तरफ पूरे तरीके से लगी होती तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हल हो गई होतीं। इसी प्रकार हम पंचायत राज्य को लें। यों कहने के लिये हम भी इस बात को कहते हैं कि पंचायत राज की स्थापना के बाद ग्रामीण लोगों में कुछ जागृति आई। कुछ उनको अधिकार मिले, लेकिन हमारे सभापति, उप-सभापति और दूसरे हमारे यहां के उत्तरदायित्व रखने वाले लोग अशिक्षित होने के कारण उसका पूरा लाभ हमारे ग्रामों को नहीं पहुंचा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अब अगले दिन आप अपना भाषण जारी रक्खें।

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ सितम्बर, १९५५।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

तालिका

१---तारीख १८-२-५४ को समाप्त होने वाली स्ट्राइक पीरियड का पैसा दिया जाय।

२---कोर्ट आफ इन्क्वायरी द्वारा पास किया रिटेनिंग एलाउन्स बटवा दिया जाय।

३---डेजिगनेशन काम करने के अनुसार रजिस्टर में ठीक करवा दिया जाय।

४---ड्यू लीव पिछले वर्षों में हर महीने का हर महीने में दिया जाता था, परन्तु १९५४ से मैनेजमेंट ने एक साल का ड्यू लीव दूसरे साल में देने की नई प्रथा निकाली है, अतः हमारी पुरानी सहूलियत को खत्म न करके इस प्रकार से कटा हुआ पैसा वापिस दिलाया जाय।

५---मैनेजमेंट २६ दिन का महीना मानकर तनख्वाह लगाने की प्रथा चालू करना चाहती है इस प्रकार की प्रथा को लागू न किया जाय जबकि पास-पड़ोस की किसी भी मिल में ऐसा नहीं होता है।

६---कर्मचारियों के मरने अथवा चले जाने से खाली हुई जगहों पर जो आदमी गलत तरीके से रख लिये गये हैं उन्हें हटाकर समझौते के अनुसार आदमी रक्खे जायें।

७---जिन पुराने आदमियों को उनकी जगह से हटाकर उनके स्थान पर नये आदमी रक्खे गये हैं उन्हें हटाकर पुराने आदमियों को उनकी पुरानी जगहों पर वापिस किया जाय।

८---मैनफैक्चरिंग डिपार्ट में सबस्टीट्यूट हैंड बढ़ाये जायें क्योंकि किसी को छुट्टी लेने पर एक आदमी को दो जगह काम करना पड़ता है अथवा एक मेट को एक कुली का काम करना पड़ता है।

९---स्किल्ड तथा सेमी-स्किल्ड कर्मचारियों की तनख्वाहें जो कि अनस्किल्ड ग्रेड के बराबर हैं बढ़ाई जायें।

१०---क्लर्कों को उनकी पोजीशन तथा पोस्ट के अनुसार क्वार्टर दिये जायें।

११---रेस्टरूम में पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। चार पानी के नल लगवाये जायें।

१२---डोगा कुलियों को वर्दी दी जाये।

१३---लकड़ी ग्रेड के अनुसार दिया जाय।

१४---सीजनल कर्मचारियों को मिट्टी का तेल काम पर आने के एक महीने के बाद दिया जाता है ऐसा न करके काम पर आते ही तुरन्त देने की व्यवस्था की जाये।

१५---बेल्ट मैनों को हेल्पर दिया जावे।

१६---अस्पताल में एक क्वालीफाइड कम्पाउंडर और रक्खा जाय।

१७---जो कर्मचारी लगातर ३ सालों से परमानेंट सीजनल की जगहों पर काम करते आ रहे हैं उन्हें परमानेंट सीजनल की सारी सुविधायें दी जायें।

१८---सीजन चलते समय हर शिफ्ट में एक मेहतर की तादाद बढ़ाई जाये।

१९---फिटरों को परमानेंट हेल्पर दिया जाय।

२०---डबल स्टोरी (गेट पर) वाले क्वार्टरों में पानी का नल लगवाया जाये।

२१---मिट्टी के तेल की बचत के नाते किसी दो क्वार्टरों में ४ या ५ आदमी रख दिये गये हैं जबकि क्वार्टर खाली पड़े हुये हैं। उन्हें खुलवाकर उचित कर्मचारियों को दिये जायं।

२२---सीजनल कर्मचारियों का भी प्रावीडेंट फंड काटना चालू किया जाय।

२३—मिल के अन्दर सलफर टैंक कवर किया जाय।

२४—मिल जमादार तथा माली फार्म पी से हटाकर अलग कर दिये गये हैं अतः उन्हें फार्म पी ही पर रक्खा जाये।

२५—पर्चा व्यायों से क्लर्कों का काम लिया जाता है पहले क्लर्कों की जगहें खाली होने पर उन्हें क्लर्क का चांस दिया जाता था परन्तु इस साल खाली जगह होने पर भी उन्हें चांस न देकर नये आदमी रक्खे गये। अतः इन लोगों को क्लर्क का चांस दिया जाय।

२६—सेंटीफुगल कर्मचारियों को एक रुपया अतिरिक्त तरक्की न देकर उनकी जगहें चेंज कर दी गयीं इसका तुरन्त सुधार किया जाये।

२७—अगर किसी कर्मचारी को प्रावीडेंट फंड से कर्ज लेना हो तो नियमानुसार उन्हें अवश्य दिया जाय।

२८—सभी केन क्लर्कों को ड्यू लीव समान दिया जाय जबकि जमानत, लाइसेंस की तथा अथारटी लेटर एक समान है।

२९—खाड़ा सुपरवाइजर टाइम आफिस तथा स्टोर की जो फिक्सड ड्यूटी चलती है वह गलत है और जगहों की तरह शिफ्टवाइज होनी चाहिये।

३०—सीजनल कर्मचारियों को जिन्हें रिटेनर मिलता है, जिसे टाइम पर दे देने के विषय में एक समझौता भी हो चुका है जबकि उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही दे देना चाहिये, तुरन्त दिया जाय और आगे के लिये आश्वासन दिया जाय कि ड्यूटी ज्वाइन करने के एक सप्ताह अन्दर दे दिया जाय।

(ह०) फौजदार सिंह

२७–२–५५

नत्थी ख

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों की सूची

१—मंत्री, शिक्षा तथा हरिजन	..	सभापति	..
२—श्री गिरधारी लाल, मंत्री, मद्य निषेध तथा रजिस्ट्रेशन	..	उपसभापति	परिगणित
३—डाक्टर सीताराम, उप मंत्री	..	सदस्य	,,
४—प्लानिंग सेक्रेटरी	..	,,	,,
५—शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश	..	,,	,,
६—श्री बलदेव सिंह आर्य, सभा सचिव	..	,,	,,
७—श्री जयपाल सिंह	..	,,	,,
८—श्री नारायण दास	..	,,	,,
९—श्री राम लखन	..	,,	,,
१०—श्री वीर सेन	..	,,	,,
११—श्री श्याम लाल	..	,,	,,
१२—श्री देवराम	..	,,	,,
१३—श्री राम प्रसाद टमटा	..	,,	,,
१४—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (बुलन्दशहर)		,,	,,
१५—श्री मसुरियादीन	..	,,	,,
१६—श्री लालता प्रसाद सोनकर	..	,,	खटिक
१७—श्री दयानन्द व्यास	..	,,	परिगणित
१८—श्री हीरा लाल आर्य	..	,,	,,
१९—श्री शंकर शरण	..	,,	कायस्थ
२०—श्री निजामुद्दीन	..	,,	पिछड़ी हुई जाति
२१—श्री चन्द्रभान विद्यार्थी	..	,,	ब्राह्मण
२२—श्री रामशंकर लाल	..	,,	कायस्थ
२३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (हरदोई)		,,	परिगणित
२४—संचालक, हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश		सेक्रेटरी	

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ८५ एल० ए०—१९५५—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १५६

घ

प्रश्नोत्तर

[प्रश्नोत्तर]

स्थानिक प्रश्न

ह

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२८ एल० ए०—१९५६—७९६।